

**DUE DATE SLIP**

**GOVT. COLLEGE, LIBRARY**

**KOTA (Raj.)**

Students can retain library books only for two weeks at the most.

BORROWER'S No.	DUE DATE	SIGNATURE

समाजशास्त्रीय चिन्तन के आधार  
(Foundations of Sociological Thought)

# समाजशास्त्रीय चिन्तन के आधार

## (Foundations of Sociological Thought)

वीरेन्द्र प्रकाश गर्मा



पंचशील प्रकाशन, जयपुर

© लेखक

ISBN 81-7056-294-5

संस्करण : प्रथम, 2005

मूल्य : पाँच सौ रुपये

प्रकाशक  
पंचशील प्रकाशन  
फिल्म कॉलोनी, चौड़ा रास्ता,  
जयपुर—302 003  
e-mail : panchsheel\_j@sify.com

शब्द-संयोजक  
पंचशील कम्प्यूटर्स  
फिल्म कॉलोनी, जयपुर

मुद्रक  
शीतल प्रिन्टर्स  
फिल्म कॉलोनी, जयपुर

## आमुख

प्रस्तुत पुस्तक "समाजशास्त्रीय चिन्तन के आधार" विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा प्रदान की गई रूपरेखानुसार विश्वविद्यालयी स्तर के समाजशास्त्र विषय के लिए तिथि गई है। इस कृति में समाजशास्त्र के उद्भव और विकास का विवरण परिचम भार भारत के समाजशास्त्रीय चिन्तन के सदर्थ में किया गया है। सर्वप्रथम समाजशास्त्र के उद्भव को ध्यान में रखते हुए सामाजिक दर्शनशास्त्र से समाजशास्त्र को दिशा में सक्रमण पर प्रकाश डाला गया है। समाजशास्त्र के चिन्तकों पर जिन पृष्ठभूमियों शक्तियों और क्रान्तियों का प्रभाव पड़ा है। उसका क्रम से वर्णन और व्याख्या अलग अलग अध्यायों में की गई है। बौद्धिक सदर्थ—पुनर्जागरण, सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक शक्तियाँ फ्रासोसी क्रान्ति एवं औद्योगिक क्रान्ति के सदर्थ में समाजशास्त्र के उद्भव को विवेचना की गई है।

इस कृति में समाजशास्त्रीय चिन्तन की आधारशिलाओं का क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित वर्णन किया गया है। समाजशास्त्र के प्रमुख अग्रणियों (पायोनियर्स), ऑंगस्ट कॉम्ट, हर्बर्ट स्पेन्सर, कार्ल मार्क्स, इमाइल दुखोव्हिम और मेक्स वेवर के प्रमुख योगदानों पर प्रकाश डाला गया है।

इस कृति में मर्टन के प्रकार्यवाद, मार्क्स के सधर्य सिद्धान्त, पारसन्स की सामाजिक क्रिया का विवेचन सैद्धान्तिक परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखते हुए किया गया है। भारत के समाजशास्त्र के विकास में जी एस घुर्ये, डी पी मुकर्जा, आर के मुखजी के प्रमुख योगदानों का भी वर्णन इस कृति में किया गया है।

विषय को सुग्राह्य एवं अद्यतन बनाने के उद्देश्य से यथास्थान भारतीय एवं परिचमी समाजशास्त्रियों के आलोचनात्मक मूल्यांकनों को भी प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तुत पुस्तक के प्रणयन में जिन विद्वान लेखकों की कृतियों का सहयोग लिया है, उनके प्रति मैं हृदय से आभारी हूँ।

मैं पचशील प्रकाशन के सचालक श्री मूलचन्द जी गुप्ता के प्रति भी आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने व्यक्तिगत रूचि लेकर अल्प समय में पुस्तक पाठकों तक पहुँचाने में अत्यन्त सफल प्रयास किया है। आशा है सुधी पाठकों के लिये यह कृति उपादेय एवं उपयोगी सिद्ध होगी।

—घरीन्द्र प्रकाश शर्मा

## विषय-सूची

आधार	पृष्ठ सं
1 समाजशास्त्र का उद्भव (Origin of Sociology)	1
2 सामाजिक दर्शन से समाजशास्त्र को दिशा में सक्रमण, बौद्धिक सदर्भ : प्रबोधन (Transition from Social Philosophy to Sociology, The Intellectual Context Enlightenment)	6
3 सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक शक्तियाँ : फ्रासीसी और औद्योगिक क्रान्तियाँ (The Social, Economic and Political Forces The French and Industrial Revolutions)	11
4 समाजशास्त्र के अग्रणी (पायोनियर्स) (The Pioneers of Sociology)	20
5 कॉम्टे : प्रत्यक्षवाद (Comte Positivism)	36
6 स्पेन्सर : सामाजिक उद्विकास (Spencer Social Evolution)	40
7 पेरेटो : अभिजन-परिभ्रमण (Pareto Circulation of Elites)	43
8 इमाइल दुखेम : श्रम-विभाजन (Emile Durkheim Division of Labour)	46
9 वेबर : प्रोटेस्टेंट आचार और पूँजीवाद की भावना (Weber The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism)	72

10	मार्क्स : दार्शनिक और आर्थिक पाण्डुलिपि और वर्ग-सघर्ष (Marx Philosophical and Economic Manuscript and Class-Struggle)	97
11	प्रकार्यवाद : मर्टन (Functionalism Merton)	126
12	सघर्ष : मार्क्स (Conflict Marx)	149
13	मामाजिक क्रिया : पारसन्स (Social Action Parsons)	164
14	भारत में समाजशास्त्रीय चिन्तन का विकास (Development of Sociological Thought in India)	187
15	जी एस घुर्ये का योगदान (Contribution of G S Ghurye)	191
16	डी.पी मुखर्जी का योगदान (Contribution of D P Mukherjee)	218
17	आर के मुखर्जी का योगदान (Contribution of R K Mukherjee)	245

## अध्याय-1

# समाजशास्त्र का उद्भव (Origin of Sociology)

मानव एक ऐसा सामाजिक प्राणी है जिसके पास सम्मृति है और जन्म के बाद वह सामाजिकता को सीखता है। दैनिक जीवन की अवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उसे अन्य व्यक्तियों का आश्रय लेना पड़ता है, इस रूप में अन्य व्यक्तियों के माथ उसकी अन्तःक्रिया होती है। इस अन्तःक्रिया के परिणामस्वरूप उसके सामाजिक सम्बन्धों का निर्धारण होता है, उसकी सामाजिकता का नियन्त्रण, निर्देशन और सचालन होता है और यह कार्य समाज की व्यवस्था और उसके संगठनों द्वारा किया जाता है। इस रूप में जहाँ-जहाँ मानव है, वहाँ-वहाँ उसका समाज भी अवश्य है। समाज की इस जटिल व्यवस्था का वैज्ञानिक अध्ययन करने के लिए समाजशास्त्र का जन्म हुआ है। अतः समाजशास्त्र का उद्भव अति प्राचीनकाल से हो ही गया था किन्तु एक व्यवस्थित रूप में इसका अध्ययन नवीन ही है। सन् 1838 में फ्रास के दार्शनिक ऑंगस्ट कॉम्स्ट ने इसे नवीन विज्ञान के रूप में स्थापित किया। इसके पूर्व इसे स्वतंत्र विज्ञान के रूप में अस्तित्व में नहीं लाया जा सका था।

अब आगे के पृष्ठों में समाजशास्त्र के उद्भव और विकास के पूर्ण इतिहास को देखने का प्रयास किया जाएगा कि किन-किन अवस्थाओं से होता हुआ यह एक विज्ञान के रूप में स्थापित हुआ है और किन-किन विचारकों ने इसमें सहयोग प्रदान किया है।

समाजशास्त्र के उद्भव और विकास का अध्ययन दो दृष्टियों से किया जा सकता है—(1) पाश्चात्य देशों में, और (2) भारत में।

(1) पाश्चात्य देशों में समाजशास्त्र के विकास की अवस्थाएँ (State of the Development of Sociology in Western Countries)—पाश्चात्य देशों में समाजशास्त्र के उद्भव और विकास को अग्र चार अवस्थाओं में देखा जा सकता है—

पाश्चात्य देशों में समाजशास्त्र के विकास की अवस्थाएँ

प्रथम अवस्था

द्वितीय अवस्था

तृतीय अवस्था

चतुर्थ अवस्था

1. विकास की प्रथम अवस्था (First Stage of the Development) — पाश्चात्य विचारक समाजशास्त्र का उद्भव यूरोप से मानते हैं किन्तु वास्तविकता यह है कि भारत में इसका शुभारम्भ इससे बहुत पूर्व वेदों, उपनिषदों, पुराणों, महाकाव्यों में ही चुका था, जैकि समाजशास्त्र का अर्थ ऐसे व्यवस्थित ज्ञान से है जो सामाजिक मम्बन्धों के विषय में है, इस दृष्टि में भारतीय वाद्यमय में इन सभी का सूक्ष्म विवेचन हुआ है। पश्चिमी समाजों में समाजशास्त्र के उद्भव और विकास को यूनानी विचारकों में क्रमवद् रूप में देखा जा सकता है, जिन्होंने बहुत पहले सामाजिक मम्बन्धों का सूक्ष्म अध्ययन किया था। प्लेटो ने अपनी कृति "रिपब्लिक" [437-347 ई पू.] और अस्त्वू<sup>१</sup> ने "इथिक्स और पोलिटिक्स" [384-322 ई पू.] में अनेक सामाजिक घटनाओं, प्रथाओं, पारिवारिक सम्बन्धों, स्थितों को स्थिति और सामाजिक सहिताओं पर प्रकाश डाला था। यूनानी सामाजिक विचारकों में 'स्फुकेशियम' [97-55 ई पू.] 'सिसरा' [106-43 ई पू.] तथा "भारकस आरेलियस" [121-180 ई पू.] आदि के विचार भी उल्लेखनीय हैं। इनके ग्रन्थों में आदर्श राज्य और विश्व-चन्द्रुत्व को भावना परिलक्षित होती है।

2. विकास की द्वितीय अवस्था (Second Stage of the Development) — 13वीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध से सामाजिक समस्याओं को तार्किक ढग में मम्बज़ने वा प्रयास प्रारम्भ हुआ। इस शताब्दी के विचारकों — थामस इक्कूनस (1227-1274) तथा दान्ते (1265-1332) ने समाज को परिवर्तनशील माना और उसके तथ्यों का अध्ययन करने के लिए व्यार्थ-कारण मम्बन्ध की स्पष्ट किया। इन विचारकों ने मनुष्य को सामाजिक प्राणी माना और सामाजिक प्राणी होने के कारण उसके लिए समाज का होना अनिवार्य बताया साथ ही समाज की सुल्यवस्था के लिए सरकार की स्थापना को अनिवार्य बताया। इसके साथ ही सामाजिक सहयोग, न्याय, श्रद्धा, विश्वाम, एकता, ईश्वर आदि पर भी बल दिया। इक्कूनस ने चार प्रकार के कानूनों — शारकत, प्राकृतिक, दीविक और मानवीय का उल्लेख किया है। इस काल में वैज्ञानिकता का प्रभाव परिलक्षित होने लगा था।

3. विकास की तृतीय अवस्था (Third Stage of the Development) — इस अवस्था का प्रारम्भ 15वीं शताब्दी से माना गया है जब सामाजिक घटनाओं का स्वर्वान्त्र रूप से अध्ययन करने की प्रवृत्ति प्रारम्भ हो गई थी और जीवन के मामाजिक, आर्थिक, धर्मनैतिक और धर्मिक आदि पक्षों का स्वतंत्र रूप से अध्ययन किया जाने लगा। इस पुण के प्रमुख समाजशास्त्री — थामस हॉम्स, जान लॉक, रूमो, भाण्टेस्क्यू, एडम स्मिथ, हीगेल आदि हैं। हॉम्स, लॉक और रूमो ने "सामाजिक समझौते का सिद्धान्त" प्रतिपादित किया। भाण्टेस्क्यू ने समाज को भीगोलिक व्याख्या प्रस्तुत की। थामस मूर ने आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र में साम्यवाद की वकालत की। थेथम ने समाज की मनोवैज्ञानिक व्याख्या प्रस्तुत की। एडम स्मिथ ने धर्म-विभाजन, स्वतंत्रता और व्यक्तिगत स्वार्थ की व्याख्या की। माल्थस ने जनसंख्या के सिद्धान्तों की व्याख्या की, और जनसंख्या तथा खाद्य-सामग्री के अनुपात को स्पष्ट किया। जेम्स हेरिगटन ने इतिहास की आर्थिक व्यवस्था का सिद्धान्त प्रस्तुत किया। थेक्कन ने सामाजिक चिन्तन के क्षेत्र में सामाजिक कल्याण को सर्वाधिक प्रहस्त्र दिया। इस प्रकार इस काल में विचारकों द्वारा वैदिक चिन्तन प्रारम्भ किया गया और समाजशास्त्र के प्रन्वेषक क्षेत्र में अपने ग्रानिकारों विचार प्रस्तुत किए।

4 विकास की चतुर्थ अवस्था (Fourth Stage of the Development)— समाजशास्त्र के उद्भव और विकास की इस अवस्था का शुभारम्भ ऑगस्ट कॉमट (1758-1857) से होता है। आपने ही सर्वप्रथम समाजशास्त्र को व्यवस्थित विज्ञान का रूप दिया, इसी कारण इन्हें 'समाजशास्त्र का पिता' कहा जाता है। कॉमट का परिचय प्रसिद्ध समाजवादी विचारक 'सेप्ट साइमन' से हुआ जो भौतिक विज्ञानों के समान समाजशास्त्र को एक ऐसा विज्ञान बनाना चाहते थे जो सामाजिक घटनाओं का व्यवस्थित और क्रमबद्ध अध्ययन कर सके तथा समाज के सभी पहलुओं का अध्ययन करे। ऑगस्ट कॉमट ने उन्हें अपना गुरु माना और उनके विचारों को मूर्त रूप देने का प्रयास किया और 'समाजशास्त्र' विषय की स्थापना की।

जॉन स्टुअर्ट मिल (1843) ने इंग्लैण्ड को 'समाजशास्त्र' शब्द से अवगत कराया। हरबर्ट स्पेन्सर ने अपनी कृति 'सिन्थेटिक फिलोसॉफी' और 'प्रिसिपल्स ऑफ सोशियौलॉजी' में कॉमट के विचारों को आगे बढ़ाया और इस प्रकार 1876 में सबसे पहले अमेरिका के 'थेल' विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र का अध्ययन-अध्यापन प्रारम्भ हुआ। स्पेन्सर ने अपने 'सावधी सिद्धान्त' में समाज की तुलना मानव शरीर से की है।

समाजशास्त्र को एक स्वतंत्र विषय के रूप में स्थापित करने का श्रेय फ्रास के इमाइल द्वुखीम (1858-1917) को भी है— आपने समाजशास्त्र को सामूहिक प्रतिनिधित्वों का विज्ञान घासा है। फ्रास के ही टाडे, लीप्ले ने समाजशास्त्र की प्रगति में अपना सहयोग दिया। जर्मनी में 19वीं शताब्दी के अन्त और 20वीं सदी के प्रारम्भ के वर्षों में अनेक विचारक जैसे—टानीज, चानविज, हीगल, मैक्सवेबर, सिमेल व बीरकान्ट आदि प्रमुख हैं। अमेरिका के विचारकों में गिडिंग्स, समनर, जिमरमैन, सोरोकिन, आगवर्न, मैकाइवर, निम्कॉफ, पार्सन्स, रॉस, पार्क और यग आदि प्रमुख हैं। इटली के 'विलफेड पेरेटो' (1848-1923) ने समाजशास्त्र को विकसित करने में अपना पूर्ण सहयोग दिया है। इस प्रकार द्विसदीं सदी में सुयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रास और जर्मनी में समाजशास्त्र के विकास में उपरोक्त सभी विचारकों ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया जबकि इंग्लैण्ड में इसके विकास की गति धीमी रही यद्यपि वहाँ के विचारकों में वेस्टर मार्क, हाब हाउस, मानहीन, गिन्सबर्ग, चार्ल्स बूथ और हर्बर्ट स्पेन्सर के नाम प्रमुख हैं। आज ससार के लगभग सभी विकासी-मुख्य और विकासशील देशों में समाजशास्त्र का अध्ययन-अध्यापन करके देखा जा रहा है और इसकी लोकप्रियता बढ़ रही है।

(2) भारत में समाजशास्त्र का विकास (Development of Sociology in India)—भारत में समाजशास्त्र के विकास को निम्न तीन युगों में विभाजित किया जा सकता है, जो क्रमशः निम्नानुसार है—

### भारत में समाजशास्त्र के विकास की अवस्थाएँ

प्राचीन भारत में विकास

स्वतंत्रता पूर्व विकास

स्वतंत्र भारत में विकास

**1 प्राचीन भारत में विकास (Development in Ancient India)**—सम्पूर्ण विश्व में सर्वप्रथम भारत में समाज का व्यवस्थित रूप देखने को मिलता है। प्राचीन भारत के ग्रन्थों—घंटे, उपनिषद्, ग्मृति, पुराण, गीता, गमायण व महाभारत का अध्ययन करने में स्पष्ट विदित होता है कि उस समय की सामाजिक व्यवस्था उच्च कोटि की थी। वर्णाश्रम व्यवस्था में व्यक्ति और समाज के बीच एक समन्वय था। चार पुरुषार्थ—धर्म, अर्थ, काम, और मोक्ष व्यक्ति के जीवन के भुख्य लक्ष्य थे जिनकी मापदंशित प्रनेत्र व्यक्ति का प्रमुख उद्देश्य होता था। सबुत्तन परिवार, ग्राम पंचायत जैसी व्यवस्थाएँ व्याश, गम्भार, विवाह और धर्म के स्वरूप आदि में समाज और व्यक्ति के सम्बन्धों पर स्पष्ट विचार परिलक्षित होते हैं जो सामाजिक ज्ञान के क्षेत्र में आज भी अनुलेखनीय हैं।

कौटिल्य के अर्थशास्त्र, गुरुकी मनुस्मृति, शुक्राचार्यकि नांतिशास्त्र व मुगलालीन आदि अन्य वर्ती आदि वो तन्मालीन सामाजिक व्यवस्था, रीति-रिवाज, परम्पराएँ, प्रथाएँ, मानक आदि आज भी उदाहरणीय हैं, जिनके आधार पर जाति, वर्ण, राज्य, परिवार व धर्म आदि पर आज भी समाजशास्त्रीय दृष्टि से गहनता में मनन किया जा सकता है। सारांशतः यह कहा जा सकता है कि भारत में समाजशास्त्र के विकास की परम्परा प्रारम्भ तो हो गई थी—यद्यपि इन सभी पर धर्म की दृष्टि से चिन्तन किया जाना था जिसका कारण सम्भवतः तत्कालीन समाज-व्यवस्था के निर्माण में समाज-विशेष की संम्बूद्धि व उसकी विशेषताएँ मानी जा सकती हैं।

**2 स्वतंत्रता पूर्व विकास (Development in Pre-Independence)**—यद्यपि प्राचीनकाल में समाजशास्त्र का अनौपचारिक स्वरूप दिखाई पड़ता है किन्तु इसका व्यवस्थित स्वरूप भारत में बोसवों सदी में ही दिखाई देता है। पाश्चात्य देशों में समाजशास्त्र तीव्रता से विकसित हो रहा था तब भारतीयों का ध्यान भी इसे एक विषय के रूप में स्थापित करने की ओर गया और यहीं समाजशास्त्र का अध्यापन प्रारम्भ किया गया। इस प्रकार भारत में सन् 1914 से 1947 स्वतंत्रता पूर्व तक का काल समाजशास्त्र के औपचारिक प्रतिस्थापन का काल कहा जा सकता है।

1914 में बम्बई में सर्वप्रथम स्नातक स्तर पर समाजशास्त्र का अध्ययन प्रारम्भ हुआ। 'पैट्रिक गिडिंग्स' जो एक ग्रिटिंश समाजशास्त्री थे—उनकी अध्यक्षता में बम्बई विश्व-विद्यालय में पृथक् विज्ञान के रूप में समाजशास्त्र का अध्ययन प्रारम्भ हुआ। वे 1919 से लेकर 1924 तक समाजशास्त्र के अध्यक्ष रहे। जो. एम. युवें पहले भारतीय समाजशास्त्री थे जिन्होंने 1924 में बम्बई विश्वविद्यालय से समाजशास्त्र की उपाधि प्राप्त की और वहीं समाजशास्त्र के प्राध्यापक हो गए। 1917 में कलकत्ता विश्वविद्यालय में विजेन्द्रनाथ शील के प्रयत्नों से समाजशास्त्र का अध्यापन प्रारम्भ हुआ। शील के विद्यार्थियों में—राधाकमल मुकर्जी, चिनव कुमार सरकार, डॉ. एन. मजूमदार व निर्मल कुमार बोस जैसे विद्वानों ने समाजशास्त्र के विकास में पर्याप्त योगदान दिया है। 1921 में लखनऊ विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र को पृथक् विषय के रूप में रसायित किया गया और प्रख्यात विद्वान् राधाकमल मुकर्जी को इस विषय का प्राध्यापक बनाया गया। 1920 व 1929 में मैसूर और आग्रा विश्वविद्यालयों में क्रमशः समाजशास्त्र को पृथक् विषय के रूप में स्वीकार किया गया।

1930 में पूना विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र विभाग का शुभारंभ हुआ जिसमें इरावतों कर्वे ने विभागाध्यक्ष का पदभार संभाला। 1947 के पूर्व यद्यपि देश में कई विश्वविद्यालयों ने समाजशास्त्र विषय को अपना लिया था फिर भी इसके विकास की गति भीमी रही। कहीं-कहीं इसे दर्शनशास्त्र, अर्थशास्त्र और मानवशास्त्र के साथ जोड़ा गया। अतः स्वतंत्र रूप से एक विषय के रूप में समाजशास्त्र मान्यता प्राप्त करने में अक्षम रहा।

**3. स्वतंत्र भारत में विकास (Development in Independent India)**—1947 में जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय से समाजशास्त्र का भारत में तेज़ी से विकास हुआ। 1951 में पटना और बड़ौदा विश्वविद्यालयों में समाजशास्त्र विषय का अध्ययन प्रारंभ हुआ। 1954 में गुजरात विश्वविद्यालय में, 1956 में आगरा विश्वविद्यालय में तथा 1959 में दिल्ली विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र का पृथक् विषय के रूप में अध्ययन अध्यापन प्रारंभ हुआ। वर्तमान में भारत के अनेक स्थानों—दिल्ली, जबलपुर, रायपुर, पंजाब, राजस्थान, बड़ौदा गुजरात, पटना इन्हें भोपाल, काशी विद्यापीठ, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, कुमाऊँ बुद्धेलखण्ड रुहेलखण्ड कानपुर, मद्रास, आन्ध्र प्रदेश आदि में समाजशास्त्र विषय स्थापित हो चुका है।

विश्वविद्यालयों के अतिरिक्त राजकीय एवं निजी महाविद्यालयों में भी ए. ब.एन.ए के स्तर पर और अब तो उच्च माध्यमिक स्तर पर भी समाजशास्त्र का अध्यापन किया जा रहा है।

अनेक विश्वविद्यालयों में समाजशास्त्र में शोधकार्य भी हो रहा है, इनमें—(1) राजस्थानीट्यूट ऑफ सोशियल साइंसेज, बम्बई, (2) जै के इन्स्टीट्यूट ऑफ सोशियल साइंसेज एण्ड सोशियल वर्क, लखनऊ, (3) इन्स्टीट्यूट ऑफ सोशियल साइंसेज आगरा, (4) झज्जूर झज्जूर टी., देहली, (5) आई. आई. टी., कानपुर, (6) जवाहरलाल नेहरू नीति शोध एन्ड अर्थशास्त्र प्रतापसिंह विश्वविद्यालय, रीवा (मध्यप्रदेश) प्रमुख हैं।

इनके अतिरिक्त समाजशास्त्र में अनेक समाजशास्त्रीय सम्मेलनों जैसे आन्दोलन किया जाता है। अखिल भारतीय समाजशास्त्र के सम्मेलन—दैहरादू, आगरा पट्टा, फ्रान्सी लैस्ट्रेन्स, हैदराबाद, अहमदाबाद, वाराणसी, चण्डीगढ़, जबलपुर, मेरठ एवं दिल्ली में शाखन हुए हैं। इन सम्मेलनों में डॉ. पी. मुकर्जी, डॉ. एन. मजूमदार, राधाकमल मुहर्जी, कर्मा एम. ए। श्रीगिरिय आर एन सक्सेना जैसे समाजशास्त्रियों ने अध्यक्षता की है। इससे स्पष्ट होता है कि स्वतंत्र भारत में समाजशास्त्र का प्रचार-प्रसार दिन-प्रतिदिन बढ़ रहा है। यह एक सराहनीय प्रगति है।



## अध्याय-२

# सामाजिक दर्शन से समाजशास्त्र की दिशा में संक्रमण, बौद्धिक संदर्भ : प्रबोधन

(Transition from Social Philosophy to Sociology.  
The Intellectual Context : Enlightenment)

विद्वानों की मान्यता है कि किसी भी विज्ञान का विकास किसी महत्वपूर्ण वैज्ञानिकों, उनकी सामाजिक पृष्ठभूमियों, उनमें समकालीन उपलब्ध साहित्य आदि परिणाम होता है। विज्ञान के विकास में जिन वैज्ञानिकों का योगदान होता है उसमें वैज्ञानिक के चारों ओर विद्यमान आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक परिस्थितियों का प्रभाव होता है। सम्बन्धित विज्ञान के प्रतिपादक जो कुछ लिखते हैं, विज्ञान की मान्यता निश्चित करते हैं, वह सब उनके समकालीन दर्शन, भौगोलिक परिस्थिति या सामाजिक निनान आदि के प्रभाव का परिणाम होती है। विद्वानों ने समाजशास्त्र के उदय को भी इसी पृष्ठभूमि में समझने और समझाने का प्रयास किया है। समाजशास्त्रियों ने समाजशास्त्र के विकास की दशा और दिशा का भी अध्ययन किया शीर्षक—सामाजिक दर्शन से समाजशास्त्र की दिशा में संक्रमण के अन्तर्गत किया है। इस शीर्षक के अन्तर्गत समाजशास्त्र के उद्भव और विकास का बौद्धिक संदर्भ में विश्लेषण किया है। इन्हीं सब पृष्ठभूमि के अन्तर्गत समाजशास्त्र के उद्भव और विकास का वर्णन क्रमशः प्रस्तुत है—

सामाजिक दर्शन और समाजशास्त्र (Social Philosophy and Sociology)—समाजशास्त्र की स्थापना अगस्ट कॉम्प्ट ने 1838 में की थी। इस बात से पहिले सामाजिक वैज्ञानिकों की विचारधारा का जो विकासीय क्रम विद्यमान था, उसका प्रभाव कॉम्प्ट पर पड़ा। कॉम्प्ट ने सामाजिक दर्शन में विद्यमान साहित्य प्रयोगन युग, वाणिज्यिक क्रान्ति, फ्रांसोसी क्रान्ति एवं अंग्रेजीक इंडियन के प्रभाव के परिणामस्वरूप समाजशास्त्र की स्थापना की थी। प्रयोगन युग से पूर्व सामाजिक दर्शन का मुख्य आधार धार्मिक था। इस काल में जो भी नियर्क्य निकाले जाते थे मैं पूर्णतः सामान्य और धारालीकिक होते थे। प्रारम्भिक विचारकों द्वारा सत्य की खोज धार्मिक होती थी। इस

धर्मशास्त्रीय अवस्था में किसी भी घटना को विचारकों ने अलौकिक शक्तियों के प्रभाव से सम्बन्धित बताया। सभी घटनाएँ अलौकिक शक्तियों के तात्कालिक प्रभाव के कारण घटित होती हैं जैसे जनजातियों में ये विश्वास किया जाता है कि हैंजा, चेक्क आदि योग्यारियाँ अलौकिक शक्ति के रुप होने के कारण होती हैं। कर्मशास्त्रीय अवस्था में सामाजिक दार्शनिकों की मान्यता थी कि सामाजिक इकाई के रूप में परिवार एक महत्वपूर्ण इकाई है। मानव प्रजनति के इतिहास में मानव चिन्तन की इस धर्मशास्त्रीय अवस्था में धर्म का पूर्ण रूप से राजनीति पर प्रभुत्व था एवं शासन फौजों शासकों का होता था। इस काल में धर्म संस्कार या राजा की कही गई वातों को अनिम सत्य माना जाता था। कॉस्ट के अनुसार सामाजिक दर्शन की प्रथम अवस्था धर्मशास्त्रीय है। इस प्रकार धर्मशास्त्रीय अवस्था में दार्शनिकों ने प्रत्येक घटना को व्याख्या अलौकिक या आधिकैविक आधार पर की जाती थी। उनका घटना की व्याख्या का परिप्रेक्ष्य धार्मिक या अलौकिक होता था आर ये धार्मिक दृष्टिकोण से ही घटना को समझाने का प्रयास करते थे। इस सामाजिक दार्शनिक, वैचारिक अवस्था में परिवार को सामाजिक इकाई का आदि रूप माना जाता था। राजनैतिक सत्ता पुजारियों, धार्मिक कर्मकाण्ड सम्पन्न कराने वाले व्यक्तियों एवं सैनिकों के हाथों में हुआ करती थी। प्रबोधन युग से पूर्व सामाजिक दर्शन की प्रथम अवस्था धर्मशास्त्रीय थी और दूसरी अवस्था तत्त्वमीमांसीय थी। तत्त्वमीमांसीय अवस्था में घटनाओं के कारण और प्रभाव अमूर्त शक्तियों का परिणाम माने जाते थे। सामाजिक विचारक अमूर्त शक्तियों को सर्वोपरिमानते थे। राजनैतिक प्रभुत्व धर्माधिकारियों एवं विशेषज्ञों के पास होता था। इस काल के बाद सामाजिक दर्शन का प्रवेश यूरोपीय समाज में परिवर्तन के युग में हुआ जिसे प्रबोधन युग कहते हैं।

**प्रबोधन युग (Enlightenment Period)**—इस युग में फ्रांसीसी दार्शनिकों की चेतना को निश्चित रूप से व्यक्त किया गया है। 18वीं शताब्दी में अनेक परिवर्तन आए। इन परिवर्तनों में प्रमुख परिवर्तन यूरोपीय दर्शन में आया एवं इस शताब्दी में सामाजिक आन्दोलन हुए जिसे विज्ञानों ने प्रबोधन काल का नाम दिया। इसे प्रायः विवेक युग भी कहा जाता है। प्रबोधन कालीन दार्शनिकों ने धार्मिक और तत्त्वमीमांसीय दृष्टिकोण एवं व्याख्या की आलोचना की। इस प्रबोधन युग में सामनवादी यूरोप के परम्परागत चिन्तन में क्रान्तिकारी परिवर्तन देखा जा सकता है। प्रबोधनकालीन दार्शनिकों ने अनेक प्रगतिशील विचारों पर प्रकाश ढाला। इन्होंने पूर्व यरम्परागत चिन्तन जो धार्मिक आध्यात्मिक और तात्त्विक था—की आलोचना की। विज्ञान एवं तर्क के महत्व को समझा एवं यथार्थ अध्ययन के लिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ाव दी। प्रबोधन युग में विचारक जीवन के प्रत्येक पहलू पर तात्त्विक चिन्तन करने लगे। उन्होंने व्यक्तिवादिता के महत्व को समझा। यथार्थ को समझाने के लिए नूतन परिप्रेक्ष्य और चिन्तन की नवीन रीतियों का विकास किया। पूर्व में विद्यामान धार्मिक और तत्त्वमीमांसीय प्रवृत्ति का विरोध किया तथा धर्म, सरकार एवं राजा द्वारा कही गई परम्परागत अनिम सत्य मानने की प्रवृत्ति का विरोध किया। सामान्य विज्ञानों में वैज्ञानिक विचारधारा प्रत्यक्षबाद, अनुभवबाद आदि का विकास हुआ। प्रबोधन काल में परम्परागत सामाजिक दर्शन की आलोचना के फलस्वरूप नवीन वैज्ञानिक विचारधाराओं का उद्भव एवं विकास हुआ।

इम काल में इस विचारधारा का विकास हुआ कि प्रकृति एवं समाज का अध्ययन वैज्ञानिक अध्ययन विधि से करना सम्भव है। पूर्व गं तर्कपूर्ण मिद्दान जैसे विचार यूरोप में विज्ञान एवं वाणिज्य के विकास में ही विद्यमान थे—वैज्ञानिक क्रान्ति एवं वाणिज्यिक क्रान्ति के परिणामस्वरूप एक नवीन परिप्रेक्ष्य का उदय हुआ जो आगे चलकर फ्रांसीसी और अंग्रेजीक ब्रान्ति के प्रभाव से विकसित हुआ। विद्वानों की ये मान्यता है कि इस नवीन दृष्टिकोण ने समाज का एक विज्ञान के रूप में प्रादुर्भाव सम्भव किया।

प्रबोधन युग से पूर्व यूरोप का परम्परायादी स्वरूप था। प्राचीन यूरोप में धर्म का प्रभुत्व था। आर्थिक व्यवस्था का मूल आधार भूमि थी। प्राचीन यूरोप के समाज में दो वर्ग थे—मामन्त वर्ग और किसान। सामन्त भूमि के मालिक होते थे और किसान उस पर काम करते थे।

समाज का आधारभूत मिद्दान धर्म था। क्या नैतिक है और क्या नैतिक नहीं है—इसका निर्णय धर्मगुह (पादरी) करते थे। मार्याजिक व्यवस्था में बन्धुत्व सम्बन्ध एवं परिवार बहुत महत्वपूर्ण थे। प्राचीन यूरोप के ममाजों में ये मान्यता व्याप्त थी कि राजा को भगवान ने लोगों पर शासन करने के लिए भेजा है। महिलाओं की स्थिति बहुत खाराप थी। राजतंत्र का प्रभुत्व था। धर्म सत्ता, राष्ट्रनि, समुदाय आदि की व्याख्याएँ धर्म के आधार पर की जाती थीं।

प्रबोधन युग में इन सबका विरोध किया गया। समाज के सभी परम्परायादी धारणाओं की नवीन व्याख्याएँ की जाने लानी और उन्हें नवीन सदर्भ में देखा जाने लगा। पारिवारिक निष्ठाओं का स्थान आस्थाओं ने ले लिया। महिलाओं की दयनीय स्थिति में कुछ सुधार आया, राजतंत्र समाप्त हो गया। लोकतंत्र का प्रादुर्भाव हुआ। किसानों के लिए सुखद स्थितियाँ पैदा हुई, उनको नए-नए अवसर व नए-नए अधिकार प्राप्त हो रहे थे। इस प्रकार से प्रबोधन युग में परम्परागत, धार्मिक और तत्त्वमीमांसीय दर्शन का विरोध करके वैज्ञानिक दृष्टिकोण का प्रादुर्भाव हुआ।

**वैदिक संदर्भ की समीक्षा (Review of Intellectual Context)—**समाजशास्त्र का उद्भव 18वीं और 19वीं शताब्दियों में हुआ था। उसके उदय पर जिन वैदिक चिन्तनों का प्रभाव पड़ा है उसे सार रूप में निन्न दो बाँड़ों में चौटकर देखा जा सकता है—

1. प्रबोधन युग का वैदिक प्रभाव, और
2. प्रबोधन युग के बाद का वैदिक प्रभाव

1. प्रबोधन युग का वैदिक प्रभाव (Intellectual Impact of Enlightenment Period)—प्रबोधन युग के विभिन्न विचारकों के चिन्तन के प्रभाव समाजशास्त्र के प्रादुर्भाव एवं विकास पर पढ़े जिनको सार रूप में तीन शोर्पकों के अन्तर्गत रखा जा सकता है, ये हैं—(i) वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य, (ii) लार्किकता, और (iii) निष्पुणता।

1.1 वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य (Scientific Perspective)—प्रबोधन युग के विचारकों ने समाज के अध्ययन में पूर्व में विद्यमान दृष्टिकोणों धार्मिक और तत्त्वमीमांसीय का आलोचनात्मक मूल्यांकन किया और गे निष्कर्ष निकाला कि समाज का अध्ययन प्राकृतिक विज्ञानों की तरह वैकल्पिक परिप्रेक्ष्य के अनुसार करना चाहिए। उन्होंने वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सामाजिक दशाओं से वैज्ञानिक अध्ययन का श्रोगणेश किया। इतना ही नहीं, इस युग के वैज्ञानिकों ने समाज, मानव और उसकी प्रकृति के अध्ययन में, वैज्ञानिक अध्ययन विधियों एवं मिद्दान का प्रयोग किया। प्रबोधन युग का समाजशास्त्र के उदय में यह प्रमुख ये महत्वपूर्ण योगदान कहा जा सकता है।

**1.2 तार्किकता (Rationality)**—प्रबोधन युग के सामाजिक वैज्ञानिकों की दृसरी बौद्धिक देन तार्किकता को अध्ययनों में महत्वपूर्ण बताया है। इन विचारकों ने यह सुझाव दिया कि मानव एक अनिवार्य रूप से तार्किक प्राणी है, अतः सामाजिक मस्थाओं तथा प्रकृति के अध्ययन के लिए तर्क को मानदण्ड के रूप में प्रयुक्त करना चाहिए। मानव के इस तार्किकता के गुण के कारण उसे उसके विचारों और कार्यों के क्षेत्र में स्वतंत्रता प्राप्त हो सकती है।

**1.3 निपुणता (Perfection)**—प्रबोधन युग के सामाजिक विचारकों की यह मान्यता थी कि मानव उत्कृष्टता प्राप्त करने में समर्थ है। मानव तार्किकता के आधार पर एवं वैज्ञानिक परिणीत्य के द्वारा सामाजिक परम्पराओं का भूल्याकृत कर सकता है। उसमें सामाजिक परम्पराओं को यारिवर्तित करने की क्षमता है। इस क्षमता के द्वारा मानव सामाजिक यारिवर्तन करके अधिक स्वतंत्रता प्राप्त कर सकता है। वह अपनी सूजनात्मक शक्तियों को अधिक व्यावहारिक एवं उपयोगी बना सकता है।

समाजशास्त्र के उद्भव एवं विकास पर प्रबोधन युग के सामाजिक विचारकों और दार्शनिकों ने उपर्युक्त बौद्धिक सामर्थ्य प्रदान करके उल्लेखनीय योगदान दिया है।

**2. प्रबोधन युग के बाद का बौद्धिक प्रभाव (Intellectual Impact of Post Enlightenment Period)**—प्रबोधन युग के बाद के सामाजिक विचारकों एवं विज्ञानिकों ने कुछ और बौद्धिक अवधारणाओं से सम्बन्धित साहित्य प्रदान किए हैं। इस साहित्य का प्रभाव पूरोप में समाजशास्त्र के प्रादुर्भाव पर पड़ा जिसे निम्न तीन शीर्षकों के अन्तर्गत वर्णित किया जा सकता है—(i) अध्ययन का दर्शन, (ii) उद्विकासीय सिद्धान्त, एवं (iii) सर्वेक्षण।

**2.1 अध्ययन का दर्शन (Philosophy of Study)**—19वीं शताब्दी का काल जीव वैज्ञानिक प्रभुत्व का काल कहा जा सकता है। इस काल के अध्ययन का दर्शन मुख्यतः इस मान्यता पर आधारित रहा कि समाज सरल अवस्था से जटिल अवस्था में परिवर्तन होता है, जो निश्चित चरणों में होता है। समाजशास्त्रियों ने भी इन मौलिक अवधारणाओं को अपनाया और समाजशास्त्र में समाज संस्कृति और उसके विभिन्न अणों के उद्विकासीय प्रारूप विकसित किए। बॉटेमोर के अनुसार सामाजिक विचारकों ने समाज के मात्र सास्कृतिक, आर्थिक एवं राजनीतिक पक्षों का ही अध्ययन नहीं किया जैसा कि पूर्व के विचारक करते आए थे, बल्कि समाज को एक सम्पूर्ण इकाई मानकर अध्ययन करने पर जोर दिया। इस जैविकीय उद्विकासीय नवीन अवधारणा का प्रयोग अनेक समाजशास्त्रियों ने अपने-अपने अध्ययनों में किया। उनमें उल्लेखनीय कुछ समाजशास्त्री—कॉम्प्ट, स्पेन्सर, दुर्वाम, पार्कर्स, बेलन, टायलर, मार्गरेट, पेरटो, स्पेंगलर आदि गिनाए जा सकते हैं।

**2.2 उद्विकासीय सिद्धान्त (Evolutionary Theory)**—प्रबोधन पश्चात् काल के दार्शनिकों और विचारकों ने उद्विकास के सिद्धान्त प्रतिपादित किए। उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में उद्विकास का क्रम सरल से जटिल एवं निश्चित चरणों में बताया। इस विचारधारा का प्रभाव समाजशास्त्र पर पड़ा जिसके परिणामस्वरूप समाजशास्त्र में भी समाज, परिवार विवाह एवं विभिन्न संस्थाओं का अध्ययन उद्विकासीय दृष्टिकोण से किया जाने लगा। समाजशास्त्रियों ने

जावाहिज्जान की तरह समाज को जीव के समरूप माना, समाज का विकास माले में डटिल भूमि निपुणता से पूर्ण निपुणता, न्यून श्रम विभाजन से अधिकतम श्रम विभाजन के रूप में वर्णित हिया। इस प्रकार के दृष्टिकोण के प्रमुख समर्थक स्पन्दर और दुर्छीम उदाहरणस्वरूप देखे जा सकते हैं।

**2.3 सर्वेक्षण (Survey)**—प्रबोधन युग के बाद सामाजिक विज्ञानों में अध्ययन की अनेक विधियों का प्रयोग होना था। इस काल में गह भी विश्वास पैदा हुआ कि प्राकृतिक विज्ञानों की विधियों का प्रयोग सामाजिक विज्ञानों के अध्ययन के द्वेष में किया जा सकता है। इस धारणा के कारण समाजशास्त्र में समाज के अध्ययन के लिए सामाजिक सर्वेक्षण का प्रयोग किया जाने लगा। इस मानवता के प्रभाव के फलस्वरूप मानवीय समस्याओं का अध्ययन, वर्गीकरण एवं मूल्यांकन करना समाय हुआ। समाजशास्त्र में प्राकृतिक विज्ञानों की विधि, शब्देश्वर का प्रयोग इस काल में भी किया जाने लगा कि सामाजिक वैज्ञानिक गतिविहीनों की समस्याएँ के प्रति चिन्तित थे। उन्होंने यह ठिक्की गमज्ञा कि सामाजिक शर्वेक्षण द्वारा गतिविहीनों के विभिन्न पक्षों का अध्ययन किया जाए और उभय मुधार करने के उपाय खोजे जाएँ। आगे चलकर सामाजिक समस्याओं के समाजशास्त्रीय शाप में सामाजिक सर्वेक्षण एक महत्वपूर्ण अध्ययन विधि बन गई। निष्कर्षः: यह कहा जा सकता है कि प्रबोधन पश्चात् काल में समाजशास्त्र के उद्भव और विकास को पृष्ठभूमि बहुत प्रभावशाली रही।

अन्त में यह कहा जा सकता है कि समाजशास्त्र के उद्भव और विकास में सामाजिक दर्शन, प्रबोधन युग एवं पश्चात् के काल से सम्बन्धित बौद्धिक संदर्भ का विशेष प्रभाव पड़ा। समाजशास्त्र के उद्भव और विकास में 18वीं और 19वीं शताब्दियों में विकसित वैज्ञानिक परिषेक्ष्य अध्ययन की विधियों, शार्किकता एवं निपुणता सम्बन्धी बुद्धिजीवियों के विकास ने समाजशास्त्र विषय के उद्भव और विकास को सम्पव बनाया। समाजशास्त्र के उद्भव और विकास को समझने के लिए सामाजिक दर्शन, प्रबोधन काल एवं बौद्धिक संदर्भ का ज्ञान अत्यावश्यक है।



### अध्याय-३

## सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक शक्तियाँ : फ्रांसीसी और औद्योगिक क्रान्तियाँ (The Social, Economic and Political Forces : The French and Industrial Revolutions)

समाजशास्त्र के प्रतिपादक ऑगस्ट कॉम्ट का जन्म फ्रांस में 1798 में हुआ था। फ्रांसीसी क्रान्ति 1789 में हुई थी। कॉम्ट की शिक्षा-दीक्षा का काल ऐसा था जब फ्रांस में क्रान्ति के विनाशकारी सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक प्रभाव पराकाश्या पर थे। कॉम्ट ने फ्रांसीसी क्रान्ति के परिणामों को देखा। कॉम्ट फ्रांसीसी के पश्चात् के विनाशकारी परिणामों के कारण बेचैन रहते थे। फ्रांसीसी जनता की गरीबी से आप बेचैन रहते थे। आप निरन्तर प्रयासरत रहे कि समाज की अव्यवस्था को कैसे समाप्त किया जाए और अव्यवस्था के स्थान पर व्यवस्था को कैसे पुनः स्थापित किया जाए। कॉम्ट की इसी पोराशी और बेचैनी ने 1838 में समाजशास्त्र की स्थापना की।


1760 के आस-पास ब्रिटेन में औद्योगिक क्रान्ति प्रारम्भ हुई। इस क्रान्ति के प्रभाव के फलस्वरूप इंगलैण्ड एवं यूरोपीय देशों तथा चाद में अन्य महाद्वीपों में सामाजिक और आर्थिक जीवन में आमूल-चूल परिवर्तन हुए। शहरों का विकास हुआ। परम्परावादी कृषक समाज में परिवर्तन आए। औद्योगिक समाज और नगरीय समाजों में अनेक परिवर्तन प्रारम्भ हुए। इन परिवर्तनों का प्रभाव परम्परावादी और परिवर्तनवादी विचारों पर पड़ा, जिसका अध्ययन भी समाजशास्त्र की उत्पत्ति और विकास के संदर्भ में करता अपेक्षित है।

कॉम्ट की भौति और भी अनेक सामाजिक विचारक फ्रांसीसी और औद्योगिक क्रान्ति के विनाशकारी परिणामों से प्रभावित हुए और समाजशास्त्र एवं अन्य चिन्तन के क्षेत्रों में अनेक प्रगतिशील विचार विकसित हुए। इसलिए यह आवश्यक हो जाता है कि फ्रांसीसी और औद्योगिक क्रान्तियों का क्रमबद्ध और व्यवस्थित अध्ययन किया जाए। उन परिस्थितियों एवं सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक शक्तियों का अध्ययन किया जाए जो इन क्रान्तियों के समय पैदा हुई और उनका बौद्धिक जगत विशेष रूप से समाजशास्त्र की उत्पत्ति और विकास पर पड़ा। इन्हों उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए फ्रांसीसी और औद्योगिक क्रान्तियों का व्याख्यात्मक विवेचन प्रस्तुत है।

## फ्रांसीसी क्रान्ति (The French Revolution)

फ्रास में भामूल-चूल परिवर्तन करने वाली ऐतिहासिक क्रान्ति 1789 में हुई थी। यह क्रान्ति स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व को प्राप्ति के लिए हुई थी। इस क्रान्ति ने फ्रास तथा अन्य देशों पर अनेक सामाजिक, अर्थिक एवं राजनीतिक प्रभाव डाले। जिस पृष्ठभूमि (सामनवाद) के कारण यह क्रान्ति पटित हुई थी, उसके परिणामस्वरूप में क्राम में सामनवाद युग समाप्त हो गया था। इस क्रान्ति का फ्रांसीसी समाज व्यवस्था को नवीन स्वरूप प्रदान करने के साथ साथ गूरोप को अन्य देशों पर भी इसका उल्लेखनीय प्रभाव पड़ा। फ्रांस की क्रान्ति के परिणाम से पूर्व इसमें घटनाक्रम का अध्ययन करना अनियार्य है जो क्रागशः प्ररतुत है।

फ्रांसीसी सामाजिक सम्बन्धों में सम्पत्ति ऐस्टेटों में में विभाजित थी। प्रत्येक समाज में स्तरीकरण की व्यवस्था होती है कोई भी समाज लिना श्रेणी विभाजन के साथित और व्यवस्थित नहीं रह सकता। अन्य यूरोपीय समाजों की तरह फ्रास में भी सामाजिक स्तरीकरण की व्यवस्था क्रान्ति से पूर्व ऐस्टेट थी। इस स्तरीकरण की व्यवस्था ने एक वर्ग श्रेणी या ऐस्टेट दूसरे वर्गों से उच्च या निम्न होता है। फ्रांस में इस उच्चता और निम्नता का निपारण वर्गों को ग्रान अधिकार और प्रतिवंधों के आधार पर होता है। फ्रांस में प्रमुखतः स्तरीकरण में तीन श्रेणियाँ या ऐस्टेट थीं जो निम्नानुसार हैं—



1. प्रथम संपदा वर्ग (The First Estate)—फ्रांस के सामाजिक संगठन में प्रथम सम्पत्ति समूह में धर्म नेता होते हैं। इन धर्म नेताओं को कार्डिनल, आर्क विश्व, विशप, ऐवट आदि के नामों से सम्बोधित किया जाता है। फ्रांसीसी क्रान्ति से पूर्व ये परिवत हो गए थे। इन लोगों ने धर्म के कार्यों के प्रति रुचि लेना छोड़ दिया था और विलारिता पूर्ण जोकन व्यतीत करते थे। कुछ धार्मिक नेता राजनीतिक गतिविधियों में अधिक रुचि लेने लग गए थे। ये लोग पदच्युत हो गए थे और अपने समय जुआ, मद्यपान आदि गतिविधियों में विलाने लगे। उन्नस्तरीय धार्मिक नेताओं ने अपने कर्तव्यों का पालन करना छोड़ दिया और उनसे निम्न श्रेणी के पार्दियों को अधिक पर्दिक कार्य करना पड़ता था। इन छोटे और निम्न स्तर के पार्दियों में भी अर्थिक स्थिति भी खराब थी। ये सोंग गरीबी से झस्त थे।

2. द्वितीय संपदा वर्ग (The Second Estate)—फ्रांसीसी सामाजिक मंगठन में दूसरी श्रेणी संपदा वर्ग होती थी। इस वर्ग में अधिजात या नोबल होते थे जो दो श्रेणियों में बैट होते थे। ये अधिजात श्रेणी में सदस्य शस्त्रों या वस्त्रों से पहचाने जाते थे। प्रथम वर्ग के नोबलों भी पहचान

शहरों से होती थी और द्वितीय श्रेणी के नोबलों की पहचान वर्मों से होती थी। ये प्रथम श्रेणी के नोबल फ्रांस में बड़े बड़े भूस्वामी होते थे। आदर्श स्पष्ट म उनका कर्तव्य क्रिमाना और जनना को रक्षा कार्य था लेकिन क्रान्ति से पूर्व इन लोगों ने अपने कर्तव्यों को भुला दिया था। ये बड़े बड़े भूस्वामी भूमिहीन किसानों से अपने सभों काम फ़रात थ और उनका शोषण करते थे। जहाँ ये पहले शास्त्रों से पहचाने जाते थे अब इनकी पहचान फ़िज़्रूख़च़र्ची और शानसीक नपूण जीवनयापन हो गया था।

दूसरी श्रेणी अभिजात या नोबल वस्त्रों से पहचाने जाते थे। उनकी प्राप्तिप्रदान नहीं होती थी। ये जन्म के बाद अपने प्रयासों से नोबल का पद प्राप्त करते थे। ये व्याधीश होने थे। क्याकि ये आम लोग होने थे और नोबल का पद इनको अपने प्रयत्नों से प्राप्त होना था इसलिए ये आम लोगों के प्रति दयावान व उदार होते थे।

**३ तीसरी संपदा वर्ग (The Third Estate)**—प्राप्त के मध्यात्र के इम तीसरे संपदा वर्ग म उपर्युक्त दो संपदा वर्ग से बचे लोग होने थे। इस तीसरे संपदा वर्ग के सामान्यजन किसान, व्यापारी, कारोगर तथा अन्य लोग होते थे। तीसरे संपदा वर्ग के किसान लोगों की सबसे खुराय स्थिति थी। ये मुश्किल से ही अपनों आवश्यक आवश्यकताओं की पूर्ति कर पाते थे। संपदात्र के अन्य लोगों के लिए अनाब की खेती करते थे। दिन-रात परिश्रम करने के उपरान्त भी उनका जीवनयापन घोर संघर्षपूर्ण था। इन पर भारी बर लगा हुआ था। राजा प्रथम दो संपदा वर्गों धर्म नेताओं और को प्रसन्न रखने के लिए इस तीसरे वर्ग के मुख्यतः किसानों और कारोगरों का घोर शोषण करता था।

तीसरे संपदा वर्ग में वर्ग विभाजन था। इम तीसरे संपदा वर्ग के मध्यमवर्गीय चुर्जुआ कहलाने वाले व्यापारी, कर्किल आदि की स्थिति काफी अच्छी थी। प्रथम संपदा वर्ग के धर्म नेता और द्वितीय संपदा के नोबल राजा भी चापलूसी और जी-हजूरी करते थे। प्राप्त की अर्थव्यवस्था 1720 से लेकर क्रान्ति के वर्ष 1789 तक बहुत खाराय थी। शामन घाटे में था। उससे वम्बुओं के मूल्या म तेज़ी आई। इस तेज़ी का भाग मध्यम वर्ग फ्रांसीसी व्यापारियों की खुब मिला। तीसरे संपदा वर्ग के व्यापारी एवं कार्णिक वर्ग धनाद्य बन गया था। इस लाभ के उपरान्त इन व्यापारियों की सामाजिक स्थिति प्रथम दो संपदा वर्गों की तुलना में बहुत निम्न थी। इसका प्रमुख कारण चुर्जुआ वर्ग का प्रशासन में प्रभावहीन होना था। चुर्जुआ वर्ग का व्यापार, उद्योग, वैकिंग आदि पर पूर्ण नियन्त्रण था। इसके उपरान्त भी राजा उन पर ध्यान नहीं देता था। दूसरी ओर प्रथम दोनों संपदा वर्ग इनको निम्न और हीन समझते थे। इन परिस्थितियों में तीसरे संपदा श्रेणी में मध्यम श्रेणी के चुर्जुआ गवर्नरों प्राप्त करने के लिए सक्रिय हो गया। इनकी सक्रियता कर परिणाम 1789 की प्रसरणों क्रान्ति की परिणति है।

**फ्रांसीसी क्रान्ति के संरचित कारक एवं शक्तियाँ (Causes and Forces of French Revolution)**—फ्रांस में क्रान्ति के कारक कोई एक दिन में उत्पन्न नहीं हुए थे। प्रांसीसी क्रान्ति के मुख्यतः कारक उपर्युक्त वर्गित प्रथम दो संपदा वर्ग (भार्मिंक नेता और नोबल वर्ग) एवं गजा द्वारा तृतीय संपदा वर्ग के किसानों का घोर शोषण था और इसके माथ साथ तृतीय संपदा वर्ग में मध्यम श्रेणी के चुर्जुआ वर्ग था (1720-1789) के काल में वम्बुओं के मूल्यों में

तेजी अनेक के फलस्वरूप उनका धनी होना, सत्ता में प्रभुत्व प्राप्त भर्हों कर पाना एवं राजा द्वारा बुजुआ वर्ग की ओर ध्यान नहीं देना था। इसके अतिरिक्त फ्रासीसी क्रान्ति में निम्नलिखित चार सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और बौद्धिक परिस्थितियों और शक्तियों ने क्रान्ति की पृष्ठभूमि तैयार की जिनका वर्णन निम्नलिखित है—

**1. सामाजिक कारक एवं शक्तियाँ (Social Factors and Forces)**—फ्रांस की क्रान्ति के पूर्व काल (1720-1789) के मध्य निम्नलिखित सामाजिक सांस्कृतिक परिस्थितियाँ थीं। सामाजिक संरचना की कुल आवादी का 80 प्रतिशत भाग किसानों का था जिनका घोर शोषण हो रहा था। इन किसानों को सामाजिक परिस्थिति का वर्णन तृतीय संपदा वर्ग शीर्षक के अन्तर्गत उपर्युक्त पक्षियों में किया जा चुका है। किसानों की 80 प्रतिशत जनसंख्या के पास सम्पत्ति का मात्र 30 प्रतिशत अंश था। इन किसानों पर अनेक प्रकार के कर लगे हुए थे, जैसे—सामनों और गिरिजाघरों को कर देना सरकार को भूमिकर, चुंगी कर और आयकर देना आदि। फ्रांस के सम्पूर्ण समाज के प्रधम दो संपदा वर्गों की विलासिता का भार इन किसानों का घोर शोषण कर रहा था। धार्मिक नेता और नौयल आलोच्यकाल की जनसंख्या का मात्र दो प्रतिशत भाग था। इन दोनों संपदा वर्ग का फ्रांस की 35 प्रतिशत संपदा पर आधिपत्य था। इन सामाजिक परिस्थितियों एवं वस्तुओं के मूल्यों में 65 प्रतिशत नृद्धि के परिणामस्वरूप 1989 में क्रान्ति होना माना जाता है।

**2. राजनीतिक कारक एवं शक्तियाँ (Political Factors and Forces)**—फ्रांस में राजतन्त्र परम्परागत था अर्थात् उस काल के राजतन्त्र की व्यवस्थाओं के अनुसार फ्रांस राज्य के राजा को भी दैविक अधिकार प्राप्त थे। ये मान्यता चली आ रही थी कि राजा का आदेश कानून है। राजा ईश्वर का रूप है, राजा के आदेश का कोई विरोध नहीं कर सकता था। राजा जिसे चाहे उसे गिरफ्तार कर सकता था, विना मुकदमे के कोई भी सज़ा दे सकता था। क्रान्ति से पूर्व के 200 वर्षों से फ्रांस पर चोरबन राजवंश का रान्य था। सामान्यजनों को किसी प्रकार के अधिकार प्राप्त नहीं थे। सरकार की आय राजा की आय होती थी। क्रान्ति से पूर्व फ्रांस में विविध धरों में भिन्न-भिन्न कानून व्यवस्था थी जिसके कारण फ्रांस में अराजकता, नियमहीनता तथा असंतुलन की स्थिति थी। इन राजनीतिक परिस्थितियों और शक्तियों ने ही फ्रांस में क्रान्ति को यथार्थ रूप देने में प्रभावशाली भूमिका अदा की थी।

**3. आर्थिक कारक एवं शक्तियाँ (Economic Factors and Forces)**—तुई-14 के शासनकाल में अनेक युद्ध हुए, जिसमें काफी जान-माल की हानि हुई। फ्रांस की आर्थिक स्थिति यहुत खराब हो गई। तुई-15 ने आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए कोई प्रयास नहीं किया बल्कि महाबनों से कर्जा लेकर अपना खर्चा चलाता था। तुई-16 तो और भी कमज़ोर शासक था। उसे तो विरासत में दिवालिया सरकार मिली थी। उसकी पत्नी फिजूलग़ुच्छों थी। इसके शासनकाल में एक चार भूखी जनता महल के बाहर खाना मांगने के लिए एकत्र हुई तो महारानी मारी आनोनेता ने जनता से कहा था, “अगर तुम्हारे पास रोटी (ड्रेड) नहीं है तो केक खा लो।” उसका यह उसर आज भी एक प्रसिद्ध वाक्द माना जाता है। इन सब आर्थिक परिस्थितियों ने भी क्रान्ति को चलायी बनाया था।

4. बौद्धिक परिस्थितियाँ एवं शक्तियाँ (Intellectual Conditions and Forces)—फ्रांस की क्रान्ति के लिए निम्नलिखित बौद्धिक परिस्थितियाँ और उनका प्रभाव भी उत्तरदायी हैं। फ्रांस के बुद्धिजीवियों एवं जनता पर माटेस्क्यू, लॉक, वॉल्टेयर, रूसो आदि दार्शनिकों के विचारों का यहुत अधिक प्रभाव पड़ा। क्रान्ति से पूर्व के काल में फ्रांस में भी तर्क और बुद्धिवाद का प्रसार देखा जा सकता है। इन उपर्युक्त वर्णित दार्शनिकों का विश्वास था कि सत्य को तर्क के द्वारा सत्य और प्रमाणित सिद्ध किया जा सकता है। इन दार्शनिकों का निम्न विचारों ने फ्रांसीसियों में क्रान्ति की आग पैदा की थी।

माटेस्क्यू का यह विचार कि प्रशासनिक, विधायी और न्यायिक सत्ता का एक स्थान होना गलत है। आपके विचार कि अधिकता को स्वतन्त्र होना चाहिए तथा अधिकारों का विकेन्द्रीकरण होना चाहिए—ने फ्रांसीसियों में जागरूकता पैदा की थी। लॉक का कहना था कि अधिकता को जीवन, सम्पत्ति और स्वतन्त्रता के अधिकार दिए जाने चाहिए। जो शासक इन अधिकारों से जनता को विचित करे उसे हटा देना चाहिए तथा उसके स्थान पर ऐसे शासक को सत्ता दे देनी चाहिए जो इन अधिकारों को जनता को दे तथा इनकी रक्षा करने में सक्षम हो। वॉल्टेयर ने धार्मिक सहिष्णुता और चोलने की स्वतन्त्रता का विचार दिया। रूसो ने लिखा कि जनता को अपना शासक चुनने का अधिकार होना चाहिए। इन विचारों का प्रभाव फ्रांसीसी जनता पर पड़ा और वे क्रान्ति करने के लिए प्रयासरत हो गए। समानता और स्वतन्त्रता के विचारों के प्रभाव के कारण फ्रांस में क्रान्ति होना विचारक और इतिहासकार बताते हैं।

फ्रांसीसी क्रान्ति का घटनाक्रम (Course of Events of French Revolution)—फ्रांसीसी क्रान्ति में निम्नलिखित घटनाओं का विशेष प्रभाव पड़ा था। ये घटनाएँ हैं—(1) फ्रांस की 'एस्टेट जनरल' (समसीय सम्मेलन) का 1614 के बाद बैठकों का नहीं होना। (2) लुई-16 द्वारा फ्रांस की साकार का दिवालिएपन को दूर करने के लिए 1778 में सभी पर कर लगाना। (3) कर का विरोध करने के लिए धनी और नोबल ने 'एस्टेट जनरल' की बैठक की माग की। इसमें तीसरी एस्टेट के प्रतिनिधियों ने सभी संपदा वर्गों के सदस्यों द्वारा मतदान की माग करना था जिसका विरोध प्रथम दो संपदा वर्गों ने किया। (4) तीसरी संपदा वर्ग के साथ प्रथम दो संपदा वर्गों का साथ बैठने से इन्कार करने के कारण राष्ट्रीय एसेम्बली का गठन किया गया। राष्ट्रीय एसेम्बली के सदस्यों के 20 जून, 1789 को टेनिस कोर्ट में बैठक की तथा फ्रांस के लिए नए संविधान के निर्माण करने की शपथ ली। इस बैठक को 'टेनिस कोर्ट की शपथ' कहा जाता है तथा यहाँ से फ्रांसीसी क्रान्ति का प्रारम्भ भी माना जाता है। (5) 14 जुलाई, 1789 को फ्रांस में एक पुरानी जेल 'बोस्टाइल' से पेरिसवासियों की धौड़ ने मध्यम वर्ग के नेताओं के नेतृत्व में कैंटियों को रिहा कर दिया। पेरिस की जनता ने राजा के विरुद्ध बगावत कर दी। इसे फ्रांसीसी क्रान्ति की महत्वपूर्ण घटना माना जाता है। इस दिन को फ्रांस में स्वतन्त्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। (6) संविधान सभा (1789-1791) ने मानव के अधिकारों—अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता, धर्म की स्वतन्त्रता, मनमाने दंड से मुक्ति आदि की घोषणा कर दी। राजा के दैविक अधिकारों की मान्यता समाप्त कर दी। घोषणा में सभी व्यक्तियों को जन्म से सम्पन्न बताया और ये भी घोषणा को कि कानून

के समक्ष सभी समान हैं। स्वतन्त्रता, समानता और भ्रातृत्व भाव के विचारों की भी घोषणा की। (7) फ्रांस में राजा को 1771 में बंदी बना लिया गया। (8) 1791- 1792 में लेजिस्लेटिव एसेम्बली का गठन किया गया। (9) 21 जनवरी, 1793 को राजा लुई-16 को देशब्रोह का अपराधी घोषित करके उसका सिर काटकर हत्या कर दी गई। उमी वर्ष रानी की भी हत्या कर दी गई और फ्रांस को गणराज्य घोषित कर दिया गया। (10) फ्रांस में अनेक मुनोवलों, पादरियों और कुछ ख्रान्तिकारियों को तीन वर्ष की अवधि में मूल्युदंड दिया गया। इस काल को फ्रांस में 'आतंक का दौर' कहते हैं। (11) 1798 में फ्रांस में डाइरेक्ट्रों की स्थापना की गई जिसका तख्ता नेपोलियन बोनापार्ट ने पलट दिया और स्वयं डाइरेक्टर बन गए। नेपोलियन ने फ्रांस में स्थिर सरकार की 'स्थापना की और इस प्रकार फ्रांसीसी ख्रान्ति की समाप्ति हो गई।

**फ्रांसीसी ख्रान्ति का प्रभाव (Impact of French Revolution)**—फ्रांसीसी ख्रान्ति का सबसे प्रमुख प्रभाव सामंतवाद की समाप्ति करना और लोकतन्त्र का उद्भव और विकास करना है। इस ख्रान्ति का दूसरा प्रभाव ख्रान्ति के परिणामस्वरूप अनेक मुद्रे उभरे, जैसे—सम्पत्ति का रूपान्तरण, सामाजिक अल्पवरथा आदि पर समाजशास्त्रियों को विचार करने के लिए आमन्त्रित किया गया। कॉम्प्ट पर फ्रांस की ख्रान्ति के घटनाक्रम एवं परिणामों का ऐसा प्रभाव पड़ा कि आपने सामाजिक अवस्था को सुधारने के लिए एक विज्ञान-समाजशास्त्र ही स्थापना कर दी।

### औद्योगिक ख्रान्ति—1760-1830 (Industrial Revolution—1760-1830)

औद्योगिक ख्रान्ति का महत्वार्थ एवं प्रभावशाली काल यूरोप हथा अन्य देशों एवं भारतीयों में 1770 के दशक से 1830 के दशक तक के काल के रूप में निरिचत किया जा सकता है। इसका सूतपात ब्रिटेन में 1767 में स्पिनिंग जेनी (Spinning Jenny) कपड़ा बुनने की मशीन के आविष्कार से हुआ था। औद्योगिक ख्रान्ति ने विश्व के अनेक देशों में उत्पादन के साधन, उत्पादन की शक्तियों और उत्पादन के सम्बन्धों में आमूल-चूल परिवर्तन पैदा किए। इससे विश्व के विभिन्न समाजों में आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन हुए। नए वर्ग उभरे। पूँजीवादी अवस्था विकसित हुई। किसान कारखानों के श्रमिक यन गए। नगरों की जनसंख्या में बढ़ि हुई। प्रारम्भिक समाजशास्त्रियों के चिन्तन के नए क्षेत्र उभरे। औद्योगिक ख्रान्ति के अनेक प्रभाव पड़े जिनकी विवेचना करना अत्यावश्यक है। यहाँ पर औद्योगिक ख्रान्ति के सूतपात, विकास एवं प्रभावों की विवेचना समाजशास्त्र के चिन्तन के विकास के सन्दर्भ में प्रस्तुत है।

**यांत्रिक आविष्कार एवं औद्योगिक ख्रान्ति (Mechanical Inventions and Industrial Revolution)**—औद्योगिक ख्रान्ति का सूतपात अँग्रेज बुनकर जेम्स हारग्रेव्स (James Hargreaves) के द्वारा कपड़ा बुनने के यंत्र स्पिनिंग जेनी के 1767 में आविष्कार से हुआ था। जहाँ पहिले हाल से कपड़ा बुना जाता था उसके स्थान पर इस आविष्कार मशीन के कई कनुओं (Spindles) की सहायता से एक ही कताई चक्र से चलाकर बुना जाने लगा। इस नवीन स्पिनिंग जेनी से कम समय में अधिक कपड़ा बुना जाने लगा। इस आविष्कार के दो वर्ष बाद एक अँग्रेज नाई ऑर्कराइट (Arkwright) ने 1769 में वाटर फ्रेम (Water Frame) मशीन

का आविष्कार किया। यह मशीन बहुत बड़ी थी, इसे घर में नहीं लगाया जा सकता था। इसके लगाने के लिए विशेष भवन और स्थान की आवश्यकता पड़ी। इसे घर से बाहर लगाया गया, जिसके परिणामस्वरूप इस आविष्कार ने उत्पादन की प्रणाली को घर से बाहर निकाल दिया और उत्पादन के क्षेत्र में फैक्ट्री प्रणाली का उद्भव हुआ। इस आविष्कार के दस वर्ष बाद 1779 में सैमुअल क्रॉम्प्टन (Samuel Crompton) ने इंग्लैण्ड में 'म्यूल' मशीन का निर्माण किया।

औद्योगिक क्रान्ति के इस 1767 से 1830 के काल में अनेक उत्पादन के उपकरणों और तकनीकों का प्रादुर्भाव और विकास हुआ। उत्पादन के क्षेत्र में फैक्ट्री प्रणाली का विकास और विस्तार हुआ। वस्तुओं के उत्पादन, वितरण और विनियम के प्रबन्धन में अनेक नवीन प्रणालियों का सूत्रपात हुआ। हाथ से बनी वस्तुओं का स्थान यत्रों से बनी वस्तुओं ने ले लिया और मानव ने एक नए 'प्रौद्योगिक युग' में पदार्पण किया। इस प्रकार से उत्पादन और औद्योगिक क्षेत्र में अनेक यात्रिक आविष्कार हुए जिनका यूरोप तथा अन्य महाद्वीपों के समाजों में अनेक प्रभाव पड़े।

### औद्योगिक क्रान्ति के प्रभाव

#### (Impact of Industrial Revolution)

औद्योगिक क्रान्ति के प्रभाव अनेक क्षेत्रों पर पड़े। इन्हे सामाजिक संरचना (स्तरीकरण के प्रकार) जिसको सामाजिक, आर्थिक, नगरीय, वैचारिक आदि क्षेत्रों में वर्गीकृत करके देखा जा सकता है।

**1. आर्थिक प्रभाव (Economic Impact)**— औद्योगिक क्रान्ति के सबसे अधिक और प्रत्यक्ष प्रभाव समाज की आर्थिक व्यवस्था के उत्पादन के साधन और इकाई, उत्पादन के स्थान, उत्पादन की मात्रा आदि पर पड़े। पहले वस्तुओं का उत्पादन मानव श्रम (हाथ) से होता था। उसका स्थान नवीन आविष्कारों ने ले लिया। पहले उत्पादन घेरेलू स्तर पर होता था जो क्रान्ति के कारण फैक्ट्रियों में स्थानान्तरित हो गया। पहले उत्पादन की मात्रा कम होती थी। नवीन उपकरणों की सहायता से वस्तुओं का उत्पादन व्यापक या बृहद स्तर पर होने लगा। उत्पादन की घेरेलू परम्परा समाप्त हो गई। हाथ से बनी वस्तुओं का परम्परागत युग समाप्त हो गया। क्रान्ति के प्रभाव के परिणामस्वरूप उत्पादन की सामंतवादी व्यवस्था समाप्त हो गई और उनका स्थान पूँजीवादी व्यवस्था ने ले लिया। आर्थिक क्षेत्र में बैंक, वित्त निगम और बीमा कम्पनियों का प्रादुर्भाव एवं गठन किया गया। पूँजीपति और श्रमिक वर्ग अस्तित्व में आए। भूमि का महत्व कम हो गया तथा पूँजी का महत्व बढ़ गया। कारखाना प्रणाली का विकास और विस्तार हुआ। रोटी-रोजी के लिए ग्रामीणों का नगरों की ओर प्रवास में बढ़ दिया हुआ। कुल मिलाकर औद्योगिक क्रान्ति ने आर्थिक व्यवस्था के क्षेत्र में अनेक परिवर्तन किए।

**2. सामाजिक प्रभाव (Social Impact)**— औद्योगिक क्रान्ति के समाज पर अनेक प्रभाव पड़े हैं। उनमें से कुछ प्रमुख प्रभावों का वर्णन प्रस्तुत है। औद्योगिक क्रान्ति के प्रभाव के कारण घेरेलू स्तर पर होने वाला उत्पादन फैक्ट्रियों में स्थानान्तरित हो गया। इससे व्यक्ति का पारिवारिक जीवन और व्यावसायिक जीवन अलग-अलग हो गए। पहले उत्पादित वस्तु के प्रति व्यक्ति का लगाव होता था लेकिन इस क्रान्ति ने व्यक्ति में अलगाव की भावना पैदा कर दी है।

उत्पादन की प्रक्रिया में उसका भावनात्मक संगाव समाप्त हो गया है। मानवीं के अनुसार कामगार स्वयं के द्वारा उत्पादित वस्तु से अलग-थलग पड़ गया है। पहले समाज का स्तरीकरण भूमि से सम्बन्धित था। इस क्रान्ति ने भूमि का महत्व समाप्त कर दिया है। उसके स्थान पर अब पूँजी महत्वपूर्ण हो गई है। इस नई उत्पादन की व्यवस्था ने पहले जो सामन्त वर्ग और कृषक वर्ग थे उसके स्थान पर पूँजीपति वर्ग और श्रमिक वर्गों का विकास कर दिया है। पहले शोपक भूमिपति होते थे अब शोपक पूँजीपति बन गए हैं। इसी प्रकार से पहले शांगित वर्ग भूमिहीन किसान अब श्रमिकों का शोपित वर्ग विकसित हो गया है। अगर 19वीं शताब्दी के प्रथम 50 वर्षों का इतिहास देखें तो उससे स्पष्ट हो जाता है कि औद्योगिक क्रान्ति ने समाजों के श्रमिक वर्गों के सम्बन्ध में लगातार बद्धि की है।

**3. नगरीयकरण पर प्रभाव (Impact on Urbanization)**—औद्योगिक क्रान्ति के उत्पादन में बहुत अधिक बद्धि की है। नगरों एवं औद्योगिक नगरों में अनेक कल-कारखाने खुल गए हैं। इसके कारण ग्रामीण और किसान व्यवसाय के लिए नगरों और औद्योगिक केन्द्रों में जाकर व्यस गए हैं। नगरों की जनसंख्या में तेजी से बढ़ि हो रही है। इस क्रान्ति ने ग्रामीणों को खुले ग्राकृतिक पर्यावरण को छोड़कर नगरों, महानगरों और औद्योगिक केन्द्रों में जाकर रहने को विवरण कर दिया है। आज वे इन केन्द्रों में दूषित वातावरण में जीवन व्यतीत करने को विवरण हैं। इन केन्द्रों में सामाजिक और आर्थिक विपर्यास भी बहुत अधिक देखा जा सकता है। प्रवासी ग्रामीणों और किसानों को विभिन्न प्रकार के प्रदूषणों (वायु, जल, ध्वनि) में जीवनयापन करना पड़ रहा है।

**4. समाजशास्त्रियों के चिन्तन पर प्रभाव (Impact on the Thought of Sociologists)**—औद्योगिक क्रान्ति का मुख्यतः दो प्रकार के विचारकों : परम्परावादियों (Conservatives) और डग्रेडम्यूलनवादियों (Radical) पर पड़ा है। परम्परावादियों ने इस क्रान्ति के प्रभावों के सम्बन्ध में अनुमान लगाया कि इस क्रान्ति के कारण समाजों में अव्यवस्था फैल सकती है। ये दोनों ही विचारकों के सम्प्रदाय इस तथ्य पर एक मत थे कि इस क्रान्ति का समाजों पर बहुत अधिक प्रभाव पड़े हैं। इस क्रान्ति के परिणामस्वरूप श्रमिक वर्ग की समस्याओं में बढ़ि होगी और ये पूँजीपति वर्ग से संघर्ष करेंगे। इनके बीच संघर्षों में सागातार बढ़ि होगी। क्योंकि श्रमिक वर्ग की निर्भता स्थाभाविक नहीं है। इस निर्भता का कारण पूँजीपतियों द्वारा योजनावद्ध तरीके से शोषण करना है।

औद्योगिक क्रान्ति के प्रभाव के कारण समाज में अनेक नवीन परिस्थितियों एवं समस्याएँ उभरकर सामने आई हैं जिनके अध्ययन की ओर प्रारम्भिक समाजशास्त्रियों का ध्यान गया। प्रमुख समस्याएँ इस प्रकार हैं—प्रौद्योगिकी और कारखाना प्रणाली, श्रमिकों की स्थिति, गरीबी का परिवर्तित रूप (किसान से श्रमिक) का अध्ययन और नगरीयकरण की समस्या। इन प्रारम्भिक समाजशास्त्रियों ने प्रौद्योगिकी और फैक्ट्री तथा कारखानों की व्यवस्था का अध्ययन किया और निष्कर्ष निकाला कि ये दोनों प्रणालियों मानव के भावी जीवन को बहुत अधिक परिवर्तित करेंगी। परम्परावादियों और डग्रेडम्यूलनवादी विचारकों ने स्पष्ट किया कि औद्योगिक क्रान्ति के कारण आर्थिक प्रणाली में पूँजी का महत्व बढ़ गया है और भूमि का महत्व प्रायः समाप्त हो गया है।

नए शापर के रूप में पैंजीपतियों के हाथ में मना का नियन्त्रण आ गया है। सामन्तवादिया आर घड़े भू-स्वामियों का मना पर में नियन्त्रण कम हो गया है। इन विचारकों का ये भी कहना है कि गरीबी और आर्थिकी और सामाजिक स्तरीकरण तक गरीबी और राजनीतिक मना परस्पर मोध मन्त्रालय हैं। समाजशास्त्रियों ने इन पर विचार किया और भविष्यवाणी की कि समाज के सभी मौलिक विशेषताओं में परिवर्तन आएगा।

आंदोलिक क्रान्ति का प्रभाव व्यक्ति, समाज, देश एवं प्रायद्वापा आदि पर द्युत अधिक पड़ा है। उस क्रान्ति के प्रभाव के परिणामस्वरूप सभी व्यवस्थाओं—सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक में क्रान्तिकारी परिवर्तन आए हैं। इन परिवर्तनों एवं नई सामाजिक व्यवस्थाओं को ओर प्रारम्भिक विचारकों का ध्यान गया जिसके परिणामस्वरूप समाजशास्त्र का उद्भव और विकास हुआ। नईन परिस्थितियों में प्रभावित होकर प्रारम्भिक समाजशास्त्रों न समाजशास्त्र विषय के विकास में ही यागदान नहीं दिया अल्लि अनेक वैदिक अवधारणाओं का विकास भी किया जिसमें समाजशास्त्र का एक सामाजिक विज्ञान के रूप में उत्तेजनीय यागदान हुआ है।



## अध्याय-4

# समाजशास्त्र के अग्रणी (पायोनियर्स) (The Pioneers of Sociology)

समाजशास्त्र के उद्भव और विकास में पैंच समाजशास्त्रियों का महत्वपूर्ण योगदान है जिन्हें समाजशास्त्र के जनक में अग्रणी या पायोनियर्स में सम्मानित किया जाता है, ये हैं—  
ऑगस्ट कॉम्ट, हर्बर्ट स्पेनर, कार्ल मार्क्स, इमाइल दुखोम और मैक्स वेंडर। इनके योगदान का वर्णन प्रमुखता है।

### समाजशास्त्र के अग्रणी (पायोनियर्स)

ऑगस्ट कॉम्ट हर्बर्ट स्पेनर कार्ल मार्क्स इमाइल दुखोम मैक्स वेंडर

#### (1) ऑगस्ट कॉम्ट (1798-1857) का योगदान

#### [Contribution of August Comte (1798-1857)]

ऑगस्ट कॉम्ट का समाजशास्त्र के उद्भव और विकास में प्रमुख योगदान है जिसे निन्हें चार प्रमुख शीर्षकों के अनुरूप देखा जा सकता है—

- (1) समाजशास्त्र के जनक के रूप में योगदान
- (2) विज्ञानों के विकास का ग्रेनीक्रम के निर्धारण के रूप में योगदान
- (3) समाजशास्त्र की निष्पत्ति-सामग्री के निर्धारण के रूप में योगदान, और
- (4) समाजशास्त्र की अध्ययन पद्धति से सम्बद्धित नियमों और अवधारणाओं के निर्माता के रूप में योगदान।

1. समाजशास्त्र के जनक के रूप में योगदान (Contribution as a Founder of Sociology)—फ्रांस में जन्मे ऑगस्ट कॉम्ट ने समाजशास्त्र विषय की स्थापना 1838 में की थी। आपको समाजशास्त्र का जनक या गिता कहा जाता है। आपका डॉक्यूमेंटेशन एवं सामाजिक विज्ञान का उद्भव और विकास करना या जो मानव समाज का अध्ययन उसी प्रकार से करें जिस प्रकार से कि प्राकृतिक विज्ञान भौतिक जगत को करते हैं। समाजशास्त्र भी प्राकृतिक विज्ञानों की तरह से समाज के मौलिक सिद्धान्तों का निर्माण करें। आनुभविक पद्धतियों की भूहायता में समाज के

विकास एवं सरचना सम्बन्धी नियमों का निर्माण करे। कॉम्प्ट ने अपना अधिक समय समाजशास्त्र को एक विषय के रूप में स्थापित करने में लगाया। यहाँ (1838) से समाजशास्त्र की उत्पत्ति और विकास के इतिहास का शुभारम्भ होता है।

**2. विज्ञानों के विकास का श्रेणीक्रम के निर्धारण के रूप में योगदान (Contribution as a Determinator of Stages of Development of Sciences)—** ऑस्ट्रेलिया कॉम्प्ट ने विभिन्न विज्ञानों की उत्पत्ति और विकास का क्रम उनकी जटिलता, घटनाओं के प्रकारों और मानवता से निकटता के आधार पर निम्न बताया है। आपकी मान्यता है कि सर्वप्रथम गणितशास्त्र का विकास हुआ। गणितशास्त्र अन्य सभी विज्ञानों का आधार शास्त्र है। गणितशास्त्र के बाद सेकिन इस पर आधारित नक्शत्र विज्ञान का विकास हुआ। इसी प्रकार से नक्शत्र विज्ञान पर आधारित भौतिकशास्त्र, रसायनशास्त्र और प्राणीशास्त्र का विकास हुआ। इन सब विज्ञानों पर आधारित एवं जटिल शास्त्र समाजशास्त्र का विकास हुआ है।

**3. समाजशास्त्र की विषय-सामग्री के निर्धारण के रूप में योगदान (Contribution as a Determinator of the Subject Matter of Sociology)—** कॉम्प्ट ने समाजशास्त्र की विषय सामग्री को दो प्रमुख प्रकारों में बांटा है—सामाजिक स्थैतिकी, और (2) सामाजिक गतिकी। आपके अनुसार समाजशास्त्र प्रथम सामाजिक स्थैतिकी या स्थिरता के अन्तर्गत समाज की संरचना का अध्ययन करता है। समाज की चृहद् इकाइयों की जटिलताओं का क्रमबद्ध अध्ययन और विश्लेषण करता है, जैसे—आर्थिक, राजनैतिक, सामाजिक संरचनाओं का अध्ययन। इसमें समाज की विभिन्न इकाइयों की पारस्परिक क्रियाओं और प्रतिक्रियाओं की खोज का अध्ययन किया जाता है तथा सामाजिक व्यवस्था की आवश्यकताओं की खोज की जाती है। कॉम्प्ट ने समाजशास्त्र की विषय सामग्री का दूसरा प्रकार 'सामाजिक गतिकी' बताया है जिसके अन्तर्गत समाज के विकास और परिवर्तन की प्रक्रिया एवं परिवर्तन के निर्धारक कारकों की खोज की जाती है, के अध्ययन पर जोर दिया जाता है। कॉम्प्ट की मान्यता थी कि प्रत्येक समाज का विकास विभिन्न स्तरों में होता है।

**4. समाजशास्त्र की अध्ययन पद्धति से सम्बन्धित नियमों और अवधारणाओं के निर्माता के रूप में योगदान (Contribution as a Founder of the Rules Related to the Methods of Study and Concepts of Sociology)—**

**ज्ञान के विकास का नियम (Laws of the Development of Knowledge)—** कॉम्प्ट ने ज्ञान के विकास पर आधारित 'मानव प्रगति का नियम' निर्मित किया है, जिसे 'ज्ञान के विकास का नियम' भी कहते हैं। आपने स्पष्ट किया है कि हमारे प्रत्येक विचार और सम्पूर्ण मानवीय बौद्धिक विकास के तीन स्तर होते हैं, जो निम्न हैं—(1) धार्मिक, (2) तत्त्वमीमांसीय, और (3) प्रत्यक्षवादी।

कॉम्प्ट ने ज्ञान को उद्विकास के आधार पर समझते हुए लिखा कि ज्ञान की प्रथम अवस्था धार्मिक थी। प्रारम्भ में प्रत्येक घटना की व्याख्या अलौकिक या धार्मिक आधार पर की जाती थी। कभी यह माना जाता था कि वर्षा का होना इन्द्र की इच्छा पर निर्भर था। इस धार्मिक स्तर बालों

के हाथ में राजनीतिक भत्ता होती थी। ज्ञान के विकास की द्वितीय अवस्था तत्त्वमीमांसीय है। इस स्तर पर घटना की व्याख्या और वोध के स्रोत अमृत शक्तियों को माना जाता था। मध्य युग और पुनर्जीवण काल ज्ञान का तत्त्वमीमांसीय काल था। इस काल में राजनीतिक प्रभुत्व चर्च के अधिकारियों एवं विधि विशेषज्ञों के पाम था। कॉम्प के अनुसार ज्ञान के विकास की दौसरी अवस्था वैज्ञानिक या प्रत्यक्षचारी है। इस अवस्था में यही ज्ञान स्वीकार किया जाता है जिससे पुष्ट वैज्ञानिक या प्रत्यक्षवादी आधार पर की जाती है। इस ज्ञान के स्तर पर ग्रह्याण्ड के नियमों वा अध्ययन, अवलोकन, परीक्षण, प्रयोग एवं तुलना के आधार पर किया जाता है। आपके अनुमार समाजशास्त्र भी प्राकृतिक विज्ञान की तरह से समाज का वैज्ञानिक अध्ययन विज्ञान की विधियों—अवलोकन, परीक्षण तथा तुलना के द्वारा करेगा तथा रामाजिक व्यवधा का विश्लेषण और व्याख्या करेगा एवं सार्वभौमिक नियमों का निर्धारण करेगा।

समाज 'सावधव' का एक रूप है (Society is a Form of Organism) कॉम्प के अनुसार, समाज और जीव दोनों में संरचना और प्रकार्य की समानता होती है। समाज सावधव का एक रूप है। आपकी मान्यता है कि जीवों और पेड़-पीढ़ों को तरह में समाज की भी एक संरचना होती है। इस संरचना का निर्माण अनेक अन्तर्संघनित अंगों से मिलकर होता है। समाज की संरचना का उद्धृत और विकास धीरे-धीरे सरल से जटिल रूप में होता है। आपने लिखा है कि श्रम-विभाजन के द्वारा समाज सरल से अधिक जटिल, विभेदीकृत और विशेषीकृत होता जाता है और सामाजिक एकता का निर्माण होता है। संक्षिप्त में यही औंगस्ट कॉम्प का समाजशास्त्र के प्रतिपादन और विकास में योगदान है जिसका और सार्थकता आज भी प्रासंगिक है।

## ( 2 ) हर्बर्ट स्पेन्सर ( 1820-1903 ) का योगदान

### [Contribution of Herbert Spencer (1820-1903)]

कॉम्प द्वारा प्रतिपादित समाजशास्त्र विषय के विकास के कार्य को हर्बर्ट स्पेन्सर ने आगे बढ़ाया। ऐसा माना जाता है कि कॉम्प ने जिस समाजशास्त्र का चित्र बनाया उसमें रंग स्पेन्सर ने भरे। कॉम्प की भौति आपने भी समाज के समग्र अध्ययन पर जोर दिया। आपने मानव समाज की व्याख्या एक ऐसे जीव के रूप में की है जो धीरे-धीरे विकसित होकर एक जटिल व्यवस्था बन जाता है। स्पेन्सर ने समाजशास्त्र के विकास में जो योगदान किया है उसे निम्न श्वेत्रों में वर्गीकृत करके देखा जा सकता है—

1. समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य सम्बन्धी विचार (Views Related to Sociological Perspective)—स्पेन्सर ने समाजशास्त्रीय अध्ययन के दृष्टिकोण को स्पष्ट करते हुए लिखा है कि समाज के विभिन्न अंगों के स्वतंत्र अध्ययन की अपेक्षा समाज और उसके अंगों का समग्र अध्ययन किया जाना चाहिए। आपका आग्रह था कि पारस्परिक सम्बन्धों के अध्ययन के द्वारा ही हम समाज को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। आपके अनुसार समाज के विभिन्न अंगों की पारस्परिक निर्भरता प्रकार्यात्मक होती है। समाज का प्रत्येक अंग अलग-अलग कार्य करता है

जो सम्पूर्ण समाज के समय कल्याण के लिए आवश्यक होता है। आज भी समाजशास्त्र में प्रकार्यवाद सम्प्रदाय स्पेन्सर के इस प्रकार्यात्मक पारस्परिक निर्भरता के विचार को समाज के विज्ञानिक अध्ययन के लिए आधारभूत मानता है।

**2. समाजशास्त्र का विषय क्षेत्र (Scope of Sociology) —** स्पेन्सर के 'ग्रिसीपल्स ऑफ सोशियोलॉजी' तीन छान्ड 1877 में प्रकाशित हुए। इसमें आपने समाजशास्त्र के अध्ययन क्षेत्र में निम्न विषयों का वर्णन किया है—परिवार, राजनीति, धर्म, सामाजिक नियन्त्रण, उद्योग। इन विषयों के अतिरिक्त आपने समाजशास्त्र में समितियों, समुदायों, सामाजिक विभेदोकरण, स्तरीकरण, ज्ञान का समाजशास्त्र, विज्ञान का समाजशास्त्र तथा कला और संगीत के समाजशास्त्र के अध्ययनों को भी सम्मिलित किया।

**3. जैवकीय उपागमों का मानवीय समाज की व्याख्या में प्रयोग (Use of Biological Postulates for the Explanation of Human Society) —** स्पेन्सर पर जीव विज्ञान तथा डार्विन का विशेष प्रभाव था जिसके कारण आपने सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक स्तरीकरण, अनुकूलन आदि की व्याख्या जैवकीय उपागमों के आधार पर की है, जो निम्नलिखित है—

**3.1 'सामाजिक डार्विनवाद' या सामाजिक परिवर्तन की उद्विकासीय प्रवृत्ति (Social Darwinism or Evolutionary Tendency of Social Change) —** स्पेन्सर की मान्यता थी कि सामाजिक सरचना और सामाजिक संस्थाओं में परिवर्तन की प्रक्रिया जीव जगत की भौति उद्विकासी प्रवृत्ति को जैसी होती है। मानवीय समाज भी डार्विन के 'प्राकृतिक प्रवरण' (नैचुरल सलेक्शन) की प्रक्रिया के सिद्धान्त की तरह से उद्विकासीय प्रक्रिया से होकर गुजरता है। समाजशास्त्र में स्पेन्सर ने ही सबसे पहिले यह स्थापित किया कि मानवीय समाजों में भी परिवर्तन प्राकृतिक नियमों के सिद्धान्तों की भौति उद्विकास होता है। आपके अनुसार मानव समाज में भी 'प्राकृतिक प्रवरण' 'योग्यगतम उत्तरजीवित' के प्रमाणों को देखा जा सकता है।

स्पेन्सर ने लिखा है कि जिस प्रकार से प्राकृतिक प्रवरण के सिद्धान्त के अनुसार मात्र बलिष्ठ जीव ही बचते हैं और जीवित रहते हैं तथा उनकी वश वृद्धि होती है, उसी भौति वे मानव समाज जो अपने पर्यावरण के अनुसार आपको परिवर्तित कर लेते हैं, अनुकूलन कर लेते हैं वे ही समाज सम्बी अवधि तक जीवित रहते हैं। इसके विपरीत जो समाज अपने पर्यावरण से अनुकूलन नहीं कर पाते हैं। प्रतिस्पर्धा में असमर्थ होते हैं, वे अन्ततः लुप्त या नष्ट हो जाते हैं। स्पेन्सर की सामाजिक उद्विकासीय अवधारणा अनेक प्रकार से डार्विन के जैवकीय उद्विकासीय सिद्धान्त के समान होने के कारण आपके सिद्धान्त के 'सामाजिक डार्विनवाद' कहा जाता है। स्पेन्सर के अनुसार सामाजिक स्तरीकरण मानवीय उद्विकासीय प्रगति का एक स्वाभाविक परिणाम है। आपने यह भी स्पष्ट रूप से लिखा है कि 'योग्यतम की उत्तरजीवित' या प्रतिस्पर्धात्मक संघर्ष मात्र प्रारम्भ के लड़क समाजों में ही देखा जाता है। आपने लिखा है कि विकसित एवं उनत औद्योगिक समाजों में सहयोग परार्थवाद और समझौतावादी सक्षण विद्यमान होते हैं न कि लड़क समाजों जैसे संघर्ष और आक्रामक व्यवहार।

**3.2 आन्तरिक विभेदीकरण और एकीरण (Internal Differentiation and Integration)**—स्पेन्सर ने लिखा है कि सामाजिक व्यवस्थाओं में भी जैवकीय व्यवस्थाओं की भौतिक आन्तरिक विभेदीकरण और एकीकरण को प्रक्रियाओं के पाठ्यप से समाज पर्यावरण के साथ अनुकूलन करता है। सामाजिक विभेदीकरण सरल से जटिल विभेदीकरण और न्यून निपुणता से पूर्ण निपुणता की ओर एवं समानता से विगमता की ओर नित्यर प्रक्रिया के रूप में चलता है। स्पेन्सर ने इस प्रकार से समाजशास्त्र के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देकर इस एक विज्ञान बनाने का सराहनीय प्रयास किया है।

### ( 3 ) कार्ल मार्क्स ( 1818-1883 ) का योगदान

[Contribution Karl Marx (1818-1883)]

कार्ल मार्क्स का समाजशास्त्र विषय में विशिष्ट योगदान रहा है। आपने समाज को समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य से समझने में विशेष दिशा प्रदान की है। मार्क्स ने सामाजिक परिवर्तन, समाज के परिवर्तन के प्रारूप, अतिरिक्त मूल्य की अवधारणा, द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद, समाज के इतिहास की भौतिकवादी (आर्थिक) व्याख्या, वर्ग एवं वर्ग-संघर्ष की अवधारणा आदि महत्वपूर्ण अवधारणाओं एवं सिद्धान्तों को प्रतिपादित करके समाजशास्त्र विषय के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अब हम निम्न महत्वपूर्ण अवधारणाओं एवं सिद्धान्तों को सक्षिप्त में समझने का प्रयास करेंगे।

1. अतिरिक्त मूल्य का सिद्धान्त । 2. वर्ग एवं वर्ग-संघर्ष की अवधारणा । 3. द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद । 4. इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या । 5. अलगाव का सिद्धान्त ।

**1. अतिरिक्त मूल्य का सिद्धान्त (Theory of Surplus Value)**—कार्ल मार्क्स ने समाज की जो व्याख्या की है उसका मूल आधार अतिरिक्त मूल्य है। आपके अनुसार अतिरिक्त मूल्य का अर्थ यह है, किसी वस्तु के निर्माण में जितना खर्च आता है और खर्च की तुलना में जितने अधिक मूल्य में वह वस्तु बेची जाती है उसके बीच के अन्तर को कहते हैं। इसको निम्न उदाहरण द्वारा समझा जा सकता है—एक कुर्सी के निर्माण में निम्न मटों के अन्तर्गत खर्च किया जाता है। मान लीजिए चार रुपये की लकड़ी लागे, दो रुपये की कीलं, बढ़ई को कुर्सी बनाने के 10 रुपये दिये गये। इसके अतिरिक्त कुर्सी के निर्माण के लिए पूँजीपति ने स्थान एवं वित्तीय व्यवस्था में दो रुपये खर्च किये। इस प्रकार से कुर्सी की कुल लागत 18 रुपये आयी। पूँजीपति ने इस कुर्सी को बाजार में 28 रुपये में बेचा। एक कुर्सी पर 10 रुपये का लाभ हुआ। मार्क्स के अनुसार यह 10 रुपये अतिरिक्त मूल्य है जिसको पूँजीपति प्राप्त करता है। कुर्सी के निर्माण में बढ़ई (मजदूर) ने अधिक श्रम किया है जिसके परिणामस्वरूप 10 रुपये का लाभ हुआ है, लेकिन पूँजीपति श्रमिक को इस 10 रुपये में से कुछ नहीं देता है और स्वयं हड्डप कर लेता है। मार्क्स का बहना है कि श्रमिक (बढ़ई) के पास उत्पादन के साधनों को जुटाने की शक्ति एवं दक्षता नहीं है, इस कारण श्रमिक (बढ़ई) अपना श्रम पूँजीपतियों को बेच देता है। उम्रके श्रम के द्वारा उत्पन्न अतिरिक्त मूल्य जो कुर्सी से प्राप्त होता है वह सारा-का-सारा पूँजीपति हड्डप लेता है। इस प्रकार से पूँजीपति उत्पादन के साधन जुटाने की क्षमता रखने के फलस्वरूप अतिरिक्त मूल्य के द्वारा विभिन्न उत्पादन

के शेत्रों में श्रमिकों का शोषण करते हैं। शोषक (पूँजीपति) और शोषित (शमिर) में सभी ना भूल कारण यह अतिरिक्त मूल्य ही है। मार्क्स के अनुसार अतिरिक्त मूल्य ही पूँजीपति द्वारा वो बुराइयों का मूल कारण है।

2. वर्ग एवं वर्ग-संघर्ष की अवधारणा (Concepts of Class and Class Conflict)—मार्क्स का मत है कि समाज में हमेशा दो वर्ग होते हैं। शोषक वर्ग और शोषित वर्ग शोषक वर्ग वह वर्ग है जिसका उत्पादन के साथना उत्पादन की शासियों और उत्पादन के सम्बन्ध पर स्वामित्व रहता है। विभिन्न कालों में शोषक के रूप में मालिक राजा जागद्धार वृक्षभा पूँजीपति आदि किसी न किसी रूप में होते हैं। इसी प्रम में शोषित वर्ग के विभिन्न रूप द्वारा गुलाम, किसान, श्रमिक, भजदूर आदि होते हैं। मार्क्स मार्क्स ने "कम्युनिस्ट पार्टी पत्र पोषणा पत्र" में लिखा है "आज तक अस्तित्व में जो सफार है उसका इतिहास में सभी ना हुआ है।" ये दोनों शोषक व शोषित वर्ग अपनी अपनी समस्याओं वित्ती राजनीतिक आदि के लिए एक-दूसरों से राघर्ष करते रहते हैं। मार्क्स का मत है कि मार्क्स इतिहास के आदि साम्यवादी मुग, दासत्व मुग एवं सामन्ती मुग भी इन संघर्ष भारों होता है और पूँजीपति मुग भी वर्ग संघर्ष तीव्र हो जाता है। मार्क्स ने भविष्यवाणी की है कि वर्ग संघर्ष + इतिहास में एक गमण ऐसा आयेगा जब राविहारा-वर्ग (श्रमिक वर्ग) पूँजीपति वर्ग एवं व्यवस्था ने समाप्ति कर देगा। पूँजीपति व्यवस्था के स्थान पर साम्यवादी व्यवस्था स्थापित हो जायेगी। जिसमें शामिल वर्ग ना अन्त हो जायेगा। इसके साथ-साथ रामाज में असमानता वा भी अन्त हो जायेगा। वर्ग भेद नहीं होता, श्रमिकों को पूँजीवादी दुखों से सुटकारा गिरा जायेगा।

3. द्वन्द्वात्मक भौतिकव्याद (Dialectical Materialism)—कार्ल मार्क्स पर हीपाठ का प्रभाव पड़ा जिसके परिणामस्वरूप मार्क्स ने हीगले में द्वन्द्वव्याद को भाषो द्विष्टोन्न रूपाभिभृत किया, जो विन प्रसार है। मार्क्स ने हीगल के आला द्वन्द्वव्याद रूप भौतिक द्वन्द्वात्मक वा प्रतिपादित किया। आपके अनुसार विश्व का मूल भी पदार्थ ही है। मार्क्स का वहन है गर्वप्रभाव विश्व के पदार्थों (आर्थिकी) में परिवर्तन होता है और उसके बाद गामाजिर, भागित, भागिक, राजनैतिक, कला, साहित्य, विज्ञान आदि में परिवर्तन होता है। द्वन्द्वात्मक गिर्डात्मक असमानी मार्क्स की मान्यता है कि समाज में संघर्ष एवं द्वन्द्व होता है। यह भागव्याद—प्रतिवाद और गणवाद वा प्रक्रिया में से गुजारता है। कोई वातु होती है वह वाद है। उस वातु में इस वाद के नियमी तत्त्व विद्यमान होते हैं, वह प्रतिवाद है। इन वाद और प्रतिवाद में संघर्ष होता है जिसके बारे में स्वरूप विस्तृत होता है—यह नवीन स्वरूप समन्वय वहलता है। कुछ गमण के बीत 1 के बाद समवाद एक वाद का रूप प्राप्त कर लेना है। इस नवीन वाद के विस्तृत फिर एक नया प्रतिवाद भी विस्तृत हो जाता है। इन वाद और प्रतिवाद में संघर्ष होता है, जिसके परिणामस्वरूप उन्हीं समवाद विस्तृत होता है।

गार्फ़ वर्गी मान्यता है कि विश्व के भौतिक जगत में पदार्थों में संघर्ष एवं द्वन्द्व चलता रहता है। और गणाज का विवास होता रहता है। मार्क्स ने भौतिक द्वन्द्वात्मक वा द्वारा वर्ग संघर्ष वी व्याख्या दी है। प्रत्येक युग में शायक एक वाद का रूप भी होता है और भौतिक प्रृथक वाद

के रूप में होता है जिनमें मध्यर्थ होता है। परिणामस्वरूप नवीन समवाद विकसित होता है जो कुछ समय बाद एक बाद का रूप ग्रहण कर लेता है। यह बाद अतिवाद और समवाद की प्रक्रिया तथा तक चलती रहती है जब तक कि समाज कल्पनालोकीय समाजवाद की अवस्था में नहीं पहुँच जाता है। यह सारे रूप में यही कार्ल मार्क्स का द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद है।

**4. इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या (Materialistic Interpretation of History)**—कार्ल मार्क्स ने मानव इतिहास की व्याख्या का मूल कारण या आधार भौतिक या अर्थिकों बताया है। आपने “फ्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकॉनॉमी” में लिखा है कि उत्पादन के साधन, उत्पादन की प्रणाली, उत्पादन के सम्बन्धों के द्वारा समाज व मस्कृति में परिवर्तन होता है। मार्क्स के अनुमार सर्वप्रथम अर्थिक व्यवस्था में परिवर्तन आता है। उत्पादन के साधनों व उत्पादन की शक्तियों में परिवर्तन आता है। इन परिवर्तनों का प्रभाव सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया को परिवर्तित करता है। मार्क्स ने अर्थिक कारकों का कारण माना है और कन्य सभी जैसे सामाजिक परिवर्तन को परिणाम माना है। अर्थिक कारक चालक है और सामाजिक परिवर्तन उसमें गति प्राप्त करता है। क्योंकि कार्ल मार्क्स सामाजिक परिवर्तन का एकमात्र कारण अर्थिक कारकों द्वारा होता है इसलिए इनका सामाजिक परिवर्तन का सिद्धान्त अर्थिक निर्णायकवाद का सिद्धान्त कहलाता है। आपने इतिहास की व्याख्या अर्थिक आधार पर की है, इसलिए आपको इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या का कट्टा समर्थक कहते हैं।

**5. अलगाव का सिद्धान्त (Theory of Alienation)**—कार्ल मार्क्स ने “अलगाव का सिद्धान्त” भी प्रतिपादित किया है। मार्क्स के अनुसार पूँजीवादी व्यवस्था को अलगाव की अवधारणा के बिना नहीं समझा जा सकता। मार्क्स की मान्यता है कि समाज में अलगाव की देन आधुनिक पूँजीवादी व्यवस्था का परिणाम है। मार्क्स ने लिखा है कि आदिकाल में श्रम का विभाजन नहीं था, मशोनें नहीं थीं। व्यक्ति स्वयं अपने हाथों से वस्तु का उत्पादन प्रारम्भ से लेकर अन्त तक करता था। वस्तुओं के बनाने में उसे मानसिक सन्तोष मिलता था। लेफिन डैसे-जैसे श्रम का विभाजन बढ़ा, उत्पादन के साधनों में विकास हुआ वैसे-वैसे व्यक्ति का उत्पादित वस्तुओं, श्रम आदि से अलगाव होता गया। नये-नये उपकरणों के आने से वस्तु की उत्पादन की प्रक्रिया में व्यक्ति एक छोटा-सा हिस्सा बनकर रह गया। श्रमिक का उत्पादन की प्रक्रिया में कोई अधिकार नहीं रहा। उसमें कार्य के प्रति अहंकार पैदा कर दी। मार्क्स का कथन है कि पूँजीवादी व्यवस्था ने श्रमिकों, भजदूरों, कारीगरों आदि में काम के प्रति अलगाव पैदा कर दिया है, इस अलगाव की भावना के कारण व्यक्ति का स्वयं से तथा दूसरों के साथ उसके सम्बन्धों में अलगाव पैदा हो गया है। अलगाव को भावना के कारण श्रमिक का जीवन निष्क्रिय हो गया है। वह अपने आपको अलग-अलग महसूस करता है। जब कभी भी कोई आनंदोलन होता है उसमें यह उदास श्रमिक तोड़-फोड़ करता है। मार्क्स का मत है कि पूँजीवादी व्यवस्था ने अलगाव जैसी हानिकारक भावना पैदा कर दी है। मार्क्स ने समाजशास्त्र में जो योगदान किया है उसके अनुमार उनका महत्व समाजशास्त्रियों में चढ़ गया है। एक समाजशास्त्री के रूप में मार्क्स का उपर्युक्त योगदान विशिष्ट है।

## (4) इमाइल दुर्खीम (1858-1917) का योगदान [Contribution of Emile Durkheim(1858-1917)]

दुर्खीम ने कॉम्प्ट के कार्य को आगे बढ़ाया। दुर्खीम ने भी समाजशास्त्र को एक पृथक् सामाजिक विज्ञान के रूप में स्थान दिलवाने के लिए अनेक कार्य किये। आपने समाजशास्त्रीय अध्ययन किये। समाजशास्त्रीय पढ़ति के नियमों पर एक पुस्तक लिखी, जिसमें समाजशास्त्रीय तथ्यों को वस्तुओं का दर्जा प्रदान करने के लिए व्याख्याएँ और विवेचनाएँ कीं। दुर्खीम का प्रमुख लक्ष्य 'सामाजिक घटनाओं' और 'सामाजिक समस्याओं' पर विभिन्न कारकों के प्रभावों का क्रमबद्ध और व्यवस्थित अध्ययन करना था। आपने भी कॉम्प्ट की इस बात का समर्थन किया कि सामाजिक घटनाओं, सामाजिक समस्याओं, सामाजिक सारचना आदि को समझने के लिए समाजशास्त्र को मनोविज्ञान विषय की सहायता नहीं चाहिए बल्कि मनोविज्ञान समाजशास्त्र के ज्ञान पर आधारित है। दुर्खीम ने सामाजिक तथ्यों तथा आँकड़ों के अध्ययन के लिए वैज्ञानिक पद्धति को भी निश्चित किया। इस प्रकार दुर्खीम ने समाजशास्त्र को एक नूतन तथा विशिष्ट विज्ञान के रूप में स्थापित एवं विकसित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, जो एक वास्तविक और स्वतन्त्र विषय के रूप में समाज का क्रमबद्ध और व्यवस्थित अध्ययन करता है।

1. दुर्खीम की मान्यताएँ (Postulates of Durkheim)—दुर्खीम निम्नलिखित बातों को मानते थे जिन्हें विद्वानों ने इनके मान्यताएँ या अभिगृहीत कहा है—

(1) समाज में सामूहिक अन्तर्विवेक (चेतना) विद्यमान होता है। (2) पूर्ण योग से अधिक होता है। (3) सामाजिक तथ्य यथार्थ होते हैं। (4) अनुरूपता से संयुक्तता आती है। (5) श्रम-विभाजन से संयुक्तता आती है। (6) सत्ता सामूहिक विचारों पर आधारित होती है। (7) सामाजिक तथ्य समाजीय आवश्यकताओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। (8) जनसंख्या के आकार, सामाजिक घनत्व और श्रम विभाजन में परिवर्तन आता है, और (9) विसमानता समाज के लिए प्रकार्यात्मक होती है।

2. पद्धतिशास्त्र (Methodology)—दुर्खीम ने अपनी पुस्तक 'समाजशास्त्रीय पढ़ति के नियम' में समाजशास्त्र के लिए वैज्ञानिक अध्ययन पद्धति का विस्तार से वर्णन और व्याख्या की है। कॉम्प्ट की तरह आपने भी समाजशास्त्र को भौतिक विज्ञानों की तरह निश्चित, यथार्थ, आनुभविक, प्रयोगसिद्ध तथा प्रमाणित विज्ञान का स्तर प्राप्त कराने का सुनिश्चित प्रयास किया। इन्होंने समाजशास्त्र में प्राकृतिक विज्ञानों की अध्ययन पद्धति के प्रयोग पर ही बल नहीं दिया। दुर्खीम की मान्यता रही कि जिस प्रकार प्राकृतिक विज्ञानों में अवलोकन, निरीक्षण, परीक्षण, धर्गाकरण, विश्लेषण आदि किये जाते हैं, उसी प्रकार समाजशास्त्र के अध्ययन में भी इनका उपयोग किया जाना चाहिए। आपने सिद्ध किया कि समाजशास्त्रीय तथ्य भी उसी प्रकार से यथार्थ हैं जिस प्रकार से प्राकृतिक विज्ञानों के तथ्य हैं। आपने कहा कि सामाजिक तथ्य भी वस्तुओं के रूप में अध्ययन के विषय हो सकते हैं, इनको एकत्र करने की पद्धति पर भी आपने प्रकाश डाला है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण कार्य पद्धतिशास्त्र से सम्बन्धित विशेषताओं का वर्णन और व्याख्याएँ हैं।

दुर्खीम ने समाजशास्त्र में वस्तुगिष्ठा पर विशेष जोर दिया है। आपने कहा कि सामाजिक घटनाओं के अध्ययन में समाजशास्त्री को स्वयं की भावना, विचार, मूल्य तथा पूर्वाग्रह से स्वतन्त्र रहना चाहिए। तथ्यों का मंकलन, वर्णन और व्याख्या निष्पक्ष रहकर करनी चाहिए।

आपने समाजशास्त्र को ग्राकृतिक विज्ञानों के समान वैज्ञानिकता प्रदान करने के लिए सुझाव दिया और कहा कि समाजशास्त्रीय घटनाओं में कार्य कारण और प्रभावों के धरम्पर सम्बन्धों का अध्ययन करना चाहिए तथा घटनाओं से सम्बन्धित मिट्टान्त बनाने चाहिए।

दुर्खीम ने समाजशास्त्र में मानव समाज के वैज्ञानिक अध्ययनों के लिए तुलनात्मक विधि के प्रयोग पर जोर दिया। आपका कहना है कि सामाजिक तथ्यों, आँकड़ों तथा जानकारी को परस्पर तुलना करनी चाहिए। ऐसा करने से वास्तविकता को पता चलेगा।

दुर्खीम ने पढ़तिशास्त्र के अन्तर्गत अवलोकन पर विशेष जोर दिया है। आपने अपनी कृति "समाजशास्त्रीय पद्धति के नियम" में सामाजिक तथ्यों के अवलोकन के नियमों की विवेचना की है। आपने पहिला नियम यहीं दिया है कि 'सामाजिक तथ्यों को बन्नु जैसा भानो'। वस्तुप्रक अवलोकन के लिए घटना की विशेषताओं का विवेचन किया जाना चाहिए न कि घटना से सम्बन्धित विद्यमान विचारों का। समाजशास्त्री जब भी किसी सामाजिक तथ्य का अन्वेषण करे तो उसे घटना में आने वाले लक्षणों, तथ्यों तथा वास्तविकताओं का अवलोकन तथा अध्ययन करना चाहिए तथा इन्हे व्यक्ति के पूर्वाग्रह से रखतन्त्र होना चाहिए।

3. समाज में श्रम-विभाजन (Division of Labour in Society)—दुर्खीम ने अपनी प्रथम कृति 'समाज में श्रम-विभाजन' 1893 में श्रम-विभाजन के कारणों, प्रकारों, परिणामों तथा प्रभावों का समाजशास्त्रीय परिश्रेष्ट से वर्णन और व्याख्या की है। इसके साथ-साथ आपने सामाजिक एकता के कारणों, प्रकारों तथा प्रभावों का भी विश्लेषण किया है। इन दोनों विषयों (श्रम-विभाजन तथा सामाजिक एकता) के साथ-साथ आपने सामाजिक परिवर्तन तथा अन्य समाज से सम्बन्धित वातां की व्याख्या भी की है। आपने अध्ययन करके निष्कर्ष निकाला कि जब जनसंघा बढ़ती है तो वह समाज में अनेक आवश्यकताओं को जन्म देती है। उनको पूरा करने के लिए आवश्यक हो जाता है कि समाज के सदस्य आपस में क्षम को बाँटे तथा अपना अस्तित्व बनाये रखें। आगे सभी एक प्रकार का कार्य या व्यवसाय करेंगे तो कठिनाई होगी। इसलिए दुर्खीम ने निष्कर्ष दिया कि जब-जब जनसंघा के आकार और पनत्य तथा भौतिक और नैतिक घनत्व में वृद्धि होती है, तब-तब समाज में एकता बनाये रखने के लिए श्रम का विभाजन होता है। दुर्खीम ने आत्मच्छ पुस्तक में सभाओं को दो बांगों में बाँटा है—(1) यान्त्रिक एकता एवं (2) जैविक एकता।

यान्त्रिक एकता व्यक्तियों की सजातीय एकता पर आधारित होती है। जब जनसंघा कम होती है तो समाज के सदस्यों में परस्पर श्रम-विभाजन का अभाव होता है। विशेषकरण भी नहीं होता है। उनमें परस्पर मानवीय-व्यवहार, बौद्धिक-आचार एवं सामाजिक सजातीयता होती है। उनके विश्वास, विचार, अविरण, व्यवहार आदि एक से होते हैं। परस्पर का प्रभुत्व होता है। वैष्विकता और व्यक्तिवाद का अभाव होता है। फैजदारी कानून का प्रभुत्व होता है। इनसे

परस्पर एक सूत्र में बाँधने वाली कड़ी सर्वसम्मत जनमत होती है जो व्यक्तियों की मानसिक और नैतिक सज्जातीयता पर आधारित होती है। आदिम समाज तथा छोटे ग्रामीण समाज में यात्रिक एकता होती है। समाज में जनसंख्या की बढ़िया के कारण यात्रिक एकता से सावधानी एकता की ओर परिवर्तन होता रहता है। नगरों तथा महानगरों में सावधानी एकता होती है।

दुर्खीम ने तथ्यों का विश्लेषण करके निष्कर्ष निकाला कि जनसंख्या के बढ़ने से श्रम का विभाजन भी बढ़ता है। जो जिस काम को करता है उससे उसमें विशेषीकरण आ जाता है। लोगों की परस्पर एक-दूसरे पर निर्भरता भी बढ़ जाती है। इसके फलस्वरूप वे परस्पर एक-दूसरे से सहयोग करने के लिए बाध्य हो जाते हैं। उनमें एकता पेदा हो जाती है। इस प्रकार से विकसित एकता को दुर्खीम ने सावधानी एकता कहा है।

**4. आत्महत्या का सिद्धान्त (Theory of Suicide)**—दुर्खीम ने आत्महत्या का समाजशास्त्रीय सिद्धान्त अपनी पुस्तक 'आत्महत्या' (The Suicide), 1897 में दिया था। इनके द्वारा प्रतिपादित आत्महत्या का सिद्धान्त समाजशास्त्र विषय में महत्वपूर्ण और उल्लेखनीय योगदान है। इस अध्ययन में आपने आत्महत्या के कारणों, प्रकारों, अन्य सिद्धान्तों आदि का अनेक प्रकार से परीक्षण, निरीक्षण वर्गीकरण, विश्लेषण, सामाज्यीकरण आदि समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य में किया है।

सर्वप्रथम आपने उन सब कारणों और सिद्धान्तों की जाँच की जो आपके समय में विद्यमान थे। आपने सर्वेक्षण द्वारा सिद्ध किया कि आत्महत्या का कारण मनोविकृति, प्रजाति, वशानुक्रमण, भौगोलिकता, अनुकरण, अन्य विशुद्ध मनोवैज्ञानिक कारक, गरीबी, असफल प्रेम तथा अन्य वैयक्तिक प्रेरक नहीं होते हैं। इन्होंने इन सब कारकों की आँकड़ों के आधार पर जाँच की और पाया कि इनमें से कोई भी कारक आत्महत्या का कारण नहीं है। इसके बाद दुर्खीम ने स्पष्ट किया कि महत्वपूर्ण आत्महत्याओं के प्रकार—अहमन्यवादी, परार्थवादी और अप्रतिमानित आत्महत्याओं के कारण पूर्ण रूप से सामाजिक हैं। इसलिए इनके कारणों को भी समाज में ही खोजना चाहिए। आपने आत्महत्या को सामाजिक तथ्य बताया है। यह व्यक्तिगत या निजी क्रिया नहीं है। यह समाज के दबाव के कारण की जाती है। आपके अनुसार आत्महत्या के कारणों, प्रकारों, परिणामों, तथ्यों आदि का अन्वेषण तथा व्याख्या समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से करनी चाहिए। अब हम दुर्खीम द्वारा वर्णित आत्महत्या के तीन प्रमुख प्रकारों की विवेचना करेंगे।

**4.1 अहंमन्यवादी आत्महत्या (Egoistic Suicide)**—दुर्खीम के मत में अहमन्यवादी आत्महत्या का कारण व्यक्ति का सामाजिक अकेलापन तथा अलग-थलग पड़ जाना होता है, सामाजिक समूह से लगाव की भाँति का कम हो जाना है। व्यक्ति का स्वयं को समाज से डरेक्षित और कटा-कटा-सा महसूस करना है।

**4.2 परार्थवादी आत्महत्या (Altruistic Suicide)**—दुर्खीम का मानना है कि परार्थवादी आत्महत्या व्यक्ति तब करता है जब वह समूह का बन जाता है। व्यक्ति का व्यक्तित्व पूर्णरूप से समूह अथवा समाज में लीन हो जाता है। अबसर आने पर वह अपना जीवन समाज, समूह, देश, जाति आदि के लिए बलिदान कर देता है। दुर्खीम बलिदान को ही परार्थवादी आत्महत्या

कहते हैं। रैनिको द्वारा देश के लिए जीवन का बलिदान तथा राजपृत यौरांगनाओं द्वारा जौहर इस प्रकार की आत्महत्या के उदाहरण हैं।

**4.3 अप्रतिमानित आत्महत्या (Anomic Suicide)**— अप्रतिमानित अथवा भादर्शहोन आत्महत्या व्यक्ति तब करता है जब सामाजिक सन्तुलन आकस्मिक रूप से तुरन्त नष्ट हो जाता है, जब समाज की नैतिक संरचना का यकायक क्रम बिगड़ने का व्यक्ति पर प्रभाव पड़ता है, वह अपने को सन्तुलित नहीं रख पाता है और आत्महत्या कर बैठता है तो ऐसी आत्महत्या को दुखोंम ने अप्रतिमानित आत्महत्या कहा है। आपका कहना है कि आधिक सकट और बैंकों के असफल या दिवाली पिट जाने के प्रभाव से पीड़ित लोग आत्महत्या करते हैं वह इसी प्रकार की आत्महत्या का उदाहरण है।

**5. धर्म का सिद्धान्त (Theory of Religion)**— दुर्खाम ने धर्म का समाजशास्त्रीय सिद्धान्त अपने तीसरे विनिकन 'धार्मिक जीवन के प्रारम्भिक स्वरूप', 1912 मे प्रस्तुत किया है। इस पुस्तक में आपने धर्म की प्रकृति, स्रोत, स्वरूप, प्रभाव और धर्म मे भिन्नताओं का गहन समाजशास्त्रीय विश्लेषण प्रस्तुत किया है। आपने धर्म की सामान्य और प्रचलित परिभाषा—'ईश्वर में विश्वास अथवा पारलैंकिक शक्तियों में विश्वास' की कटु आलोचना की है तथा धर्म की निम परिभाषा दी है, "धर्म पवित्र वस्तुओं से सम्बन्धित विश्वासों और आचरणों को संगतित व्यवस्था है; कहने का तात्पर्य यह है कि धार्मिक वस्तुओं को अलग रखा जाता है तथा उन पर निर्धेश लगा दिए जाते हैं—वे विश्वास और आचरण जो एक नैतिक समुदाय के रूप में संगठित होते हैं तथा वे सभी जो उससे जुड़े होते हैं, गिरजाघर कहलाता है।" दुर्खाम ने उपर्युक्त कथन को स्पष्ट करने के लिए राखी वस्तुओं और घटनाओं को दो बगों में बांटा है—धार्मिक और हाँकिव। धर्म अपने मतावलम्बियों को यह भी सिखाता है कि इन दोनों बगों को नहीं मिलाएं। ऐसा करना पाप है। पवित्र वस्तुएँ धर्म के अनार्थी आती हैं। साधारण क्रियाएँ, वस्तुएँ आदि हाँकिक के अनार्थी आती हैं। आपने धर्म को भी सामाजिक तथ्य बताया है। इसक्तिएँ धर्म को उत्पत्ति का स्रोत भी समाज को भाना है। धर्म का स्रोत स्वयं समाज है। धार्मिक बातें और विशेषताएँ समाज की विशेषताएँ ही होती हैं। ईश्वर समाज का ही मानवीकरण होता है; धर्म के यथार्थ कार्य समाज के निर्माण, पुनर्स्थापना और समाज की एकता बनाए रखने के लिए किए जाते हैं। आपके अनुसार धर्म की उत्पत्ति सामूहिक चेतना और सामूहिक प्रतिनिधानों से होती है।

**6. सामूहिक चेतना (Collective Consciousness)**— दुर्खाम ने सामूहिक चेतना का विवेचन अपनी प्रथम कृति 'समाज में श्रम-विभाजन' मे किया है। आपने सामूहिक चेतना की निम्नलिखित परिभाषा दी है—

"एक ही समाज के अधिकांश नागरिकों में सामान्य रूप से पाये जाने वाले समूर्ध विश्वास और भावनाएँ सामान्य अथवा सामूहिक चेतना कहलाती हैं।"

जब अनेक व्यक्ति परस्पर अन्तःक्रिया करते हैं तब उनमे परस्पर विचारों और नैतिकता का आदान-प्रदान होता है। भीर-भीर ये व्यक्तिगत नेतृत्वाएँ परस्पर घुलमिल जाती हैं तथा सामूहिक नेतृत्व के रूप मे विकसित हो जाती हैं। सामूहिक चेतना व्यक्तिगत चेतना से भिन्न, स्वतन्त्र और

अधिक शक्तिशाली होती है। इनका अस्तित्व व्यक्ति के बाहर विद्यमान होता है। व्यक्ति जब इनका उल्लंघन करने का प्रयास करता है तब उसे सामूहिक चेतना के द्वारा तथा नियन्त्रण का ज्ञान होता है। व्यक्ति इन्हे सामाजिकरण के द्वारा सीखता है। सामूहिक चेतना व्यक्ति के बाहर तथा व्यक्ति पर नियन्त्रण रखने का कार्य करती है।

**7. सामूहिक प्रतिनिधान (Collective Representation) —** आपके अनुसार सामूहिक प्रतिनिधान सारे समूह द्वारा स्वीकृत व्यवहार अथवा विचार होते हैं जो सारे समाज में फैले होते हैं तथा ये सामूहिक चेतना के प्रतीक होते हैं। सामूहिक प्रतिनिधान व्यक्तियों पर सामाजिक नियन्त्रण रखते हैं। सामूहिक प्रतिनिधान सामाजिक चेतना के द्वारा बनते हैं। ये ये व्यवहार अथवा विचार होते हैं जिनके प्रति स्तोगों के मन में मानसिक और भावात्मक लगाव उत्पन्न हो जाते हैं। समाज के सभी सदस्य इनका पालन करते हैं। व्यक्तिगत चेतना की अन्तःक्रिया रो सामूहिक चेतना बनती है तथा सामूहिक चेतना से सामूहिक प्रतिनिधानों की उत्पत्ति होती है। दुर्खाम के अनुसार धार्मिक विश्वास, धार्मिक अनुष्ठान, सास्कार, ज्ञान की श्रेणियाँ, समय, स्थान आदि सामूहिक प्रतिनिधान हैं। किसी देश का इण्डा, धार्मिक ग्रन्थ जैसे—बाइबिल, रामायण, गीता, गुरु ग्रन्थ, धार्मिक स्थान—मन्दिर, गिरजाघर, मस्जिद, मठ आदि सामूहिक प्रतिनिधानों के उदाहरण हैं। दुर्खाम का मानना है कि किसी समाज को समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से समझाने के लिए उसके सामाजिक प्रतिनिधानों का अध्ययन करना परम आवश्यक है।

**8. सामाजिक तथ्य (Social Fact) —** दुर्खाम ने कहा कि जिस प्रकार प्राकृतिक विज्ञान तथ्यों का अध्ययन करते हैं उसी प्रकार से समाजशास्त्र को भी सामाजिक तथ्यों का अध्ययन करना चाहिए। आपने कहा कि सामाजिक तथ्य वस्तुएँ हैं तथा इनकी दो विशेषताएँ हैं—मान्यता और आधिका।

बाहुदाता से अर्थ है कि सामाजिक तथ्य का अस्तित्व व्यक्ति के बाहर विद्यमान होता है तथा ये व्यक्ति से स्वतंत्र होते हैं। बाध्यता के विषय में दुर्खाम का मानना है कि सामाजिक तथ्य समूह की चेतना के द्वारा बनते हैं इसलिए वे व्यक्ति पर नियन्त्रण रखते हैं।

दुर्खाम ने सामाजिक तथ्यों को समाजशास्त्र की विषय-वस्तु बताया है। आप सभी मानवीय व्यवहारों, विचारों, भावनाओं, सामूहिक प्रतिनिधानों आदि को सामाजिक तथ्य मानते हैं। दुर्खाम ने सामाजिक तथ्यों की निम्न परिभाषा दी है, “सामाजिक तथ्य व्यवहार (विचार, अनुभव या क्रिया) का वह पक्ष है जिसका निरीक्षण वस्तुपुरक रूप से सम्भव है और जो एक विशेष तरीके से व्यवहार करने को मजबूत करता है।” आपका कहना है कि जिस प्रकार से वस्तु का अवलोकन, निरीक्षण, परीक्षण, खार्गकरण तथा विश्लेषण सम्भव है उसी प्रकार से सामाजिक तथ्यों का भी सम्भव है क्योंकि आप सामाजिक तथ्यों को वस्तु मानते हैं। समाजशास्त्र में भी सामाजिक तथ्यों का अध्ययन समाज से सम्बन्धित सिद्धान्तों का निर्माण करने के लिए किया जाना अत्यावश्यक है।

## (5) मैक्स वेबर (1864-1920) का योगदान

[Contribution of Max Weber (1864-1920)]

वेबर ने समाजशास्त्र के विकास में डलोखनीय योगदान दिया है जो निम्न है—

1. पद्धतिशास्त्र (Methodology)—वेबर ने समाजशास्त्र के लिए वैज्ञानिक पद्धति के विकास में योगदान दिया है। मर्वरथम् आपने यह स्पष्ट किया कि प्राकृतिक घटनाओं और सामाजिक घटनाओं में भीलिक अन्तर है। वेबर का कहना था कि प्राकृतिक घटनाओं सामाजिक क्रियाओं को तरह अर्थपूर्ण नहीं होती है। सामाजिक क्रियाओं के पासे कोई उद्देश्य निहित होता है जबकि प्राकृतिक घटनाएँ उद्देश्यनिहीन होती हैं। आपने सामाजिक घटनाओं के अध्ययन के लिए निम्न विधि आपनाई थी। सबसे गहिले उन्होंने घटनाओं को चुना। उन्होंने सामाजिक घटनाओं में कुछ छोटी-छोटी घटनाएँ चुनीं जिनका वे अध्ययन करना चाहते थे। दूसरे चरण में इन छोटी-छोटी घटनाओं में से उन घटनाओं को चुना जो परम्परा-एक-दूसरे से सम्बन्धित थीं। इस प्रक्रिया से पूर्ववर्ती घटनाओं का पता चल जाता है अर्थात् वे घटनाएँ चुनीं जो अन्य घटनाओं का कारण है। तीसरे चरण में वेबर ने घटनाओं को दो ग्रांड में बांटा—एक वे घटनाएँ जो पूर्ववर्ती थीं अर्थात् कारण थीं तथा दूसरी वे घटनाएँ जो परिणाम थों।

वेबर ने अपने अध्ययनों द्वारा गिर्द किया कि भौतिक घटनाओं में उपयोग की जाने वाली वैज्ञानिक विधियों का उपयोग सामाजिक घटनाओं के अध्ययन में नहीं किया जा सकता। आपका कहना है कि सामाजिक घटनाएँ एक समय विशेष में होती हैं तथा विशिष्ट होती हैं। प्राकृतिक घटनाएँ एक-जैसी और वार-धार होती हैं। प्राकृतिक घटनाओं में सामान्यीकरण सम्भव है। सामाजिक घटनाओं में सामान्यीकरण असम्भव है। सामाजिक घटनाओं का सामान्यीकरण सम्भव करने के लिए वेबर ने तुलनात्मक अध्ययन को सम्भव बनाया। इसके लिए इन्होंने पद्धतिशास्त्र को 'आदर्श-प्रालृप' प्रदान करके एक महान् योगदान किया है।

पद्धतिशास्त्र की विशेषताएँ (Characteristics of Methodology)—

वेबर का कहना है कि (1) प्राकृतिक विज्ञानों की विधियों से सामाजिक घटनाओं का अध्ययन नहीं हो सकता। (2) आप तुलनात्मक विधि के अध्ययन करने पर जोर देते हैं। (3) आदर्श प्रालृप रो सामाजिक घटनाओं को समझा जा सकता है तथा उनकी व्याख्या की जा सकती है। (4) वेबर समाजशास्त्र में “क्या है?”, “क्यों है?”, “कैसे है?” आदि के अध्ययन पर जोर देते हैं। समाजशास्त्र का “क्या होना चाहिए?” से कोई सम्बन्ध नहीं है। (5) समाजशास्त्र को सामाजिक घटनाओं का अध्ययन वस्तुपरक तथा व्यक्तिपरक दोनों प्रकार से करना चाहिए। (6) वेबर ने समाजशास्त्रीय अध्ययन में ऐतिहासिक कारणता को स्थान दिया है। घटनाओं और उनके क्रम में पूर्ववर्ती घटनाओं के द्वारा कारण प्रभाव भालूम करने की विधि प्रदान की है। (7) वेबर ने समाजशास्त्र में सामाजिक क्रियाओं के व्याख्यात्मक योग पर जोर दिया है।

2. सामाजिक क्रिया का सिद्धान्त (Theory of Social Action)—वेबर के चिन्तन ने सामाजिक क्रिया को समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से समझते हुए लिखा है कि कोई भी क्रिया जब अन्य व्यक्तियों की क्रिया से प्रभावित होती है तब वह सामाजिक क्रिया कहलाती है। इन्हीं के

शब्दों में, “किसी क्रिया को तब सामाजिक क्रिया कहा जा सकता है जब व्यक्ति या व्यक्तियों के द्वारा लगाए गए व्यक्तिनिष्ठ अर्थ के कारण वह (क्रिया) दूसरे व्यक्तियों के व्यवहार से प्रभावित हो और उसके द्वारा उनकी गतिविधियाँ निर्धारित हो।”

वेबर ने सामाजिक क्रिया के निर्णय करने से सम्बन्धित चार बातें बताई हैं। (1) सामाजिक क्रियाएँ भूतकाल, वर्तमान अथवा भावी व्यवहारों से प्रभावित हो सकती हैं। (2) आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक क्रिया सामाजिक क्रिया ही हो। (3) प्रत्येक प्रकार वा सम्पर्क भी सामाजिक सम्पर्क हो तथा सामाजिक क्रिया ही हो। (4) वही क्रिया सामाजिक क्रिया कहलाएगी जिसमें क्रिया का प्रभाव अर्थपूर्ण हो तथा एक-दूसरे को प्रभावित करने वाले व्यक्ति भी परस्पर सम्बन्धित होने चाहिए। वांच आने पर सभी व्यक्ति अपना-अपना छाता खोलकर लगा लेते हैं। यह क्रिया अवश्य है परन्तु सामाजिक क्रिया नहीं है। यह क्रिया वर्षा से प्रभावित हुई है। व्यक्तियों ने परस्पर एक-दूसरे को प्रभावित नहीं किया है। वेबर ने चार प्रकार की सामाजिक क्रियाओं का वर्णन किया है—(1) तार्किक क्रिया, (2) मूल्य-अभिपुखी तार्किक क्रिया, (3) भावात्मक क्रिया, और (4) पारम्परिक क्रिया।

**3. आदर्श प्रारूप (Ideal Type)**—वेबर ने सामाजिक क्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन करने के लिए आदर्श प्रारूप का निर्माण किया। सामाजिक सम्बन्धों में मानव की क्रियाओं के दो अर्थ लगाये जाते हैं—एक वास्तविक अर्थ और दूसरा अनुमानित अर्थ। प्रथम अर्थ (वास्तविक) से तात्पर्य है कि व्यक्ति वास्तव में समाज में कैसे क्रिया करता है। दूसरा अर्थ (अनुमानित) अमृत वास्तविकता से सम्बन्धित होता है अर्थात् व्यक्ति को समाज में कैसे व्यवहार करना चाहिए। वास्तविक और अपेक्षित व्यवहार में अन्तर होता है। वेबर अपेक्षित व्यवहार या क्रिया को आदर्श प्रारूप कहते हैं। इसके द्वारा सामाजिक वास्तविकता को समझा जा सकता है।

**4. धर्म का सिद्धान्त (Theory of Religion)**—मैंक्स वेबर ने धर्म का समाजशास्त्रीय सिद्धान्त ‘दा प्रोटेस्टेण्ट एथिक एण्ड द्वा स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म’ में दिया है। वेबर ने विश्व के छ: धर्मों का अध्ययन किया है तथा यह मालूम करने का प्रयास किया है कि धर्म आर्थिक घटनाओं को कैसे प्रभावित करता है? मार्क्स का यह कहना कि सभी परिणामों का कारण आर्थिक है—वेबर इसको नहीं मानते। वेबर ने आधुनिक पूँजीवाद का कारण धर्म को मानकर अध्ययन किया। आपने निष्कर्ष दिए कि धर्म के जिस प्रकार के आदर्श, आचार, प्रवचन तथा नैतिक मूल्य होंगे उसके अनुसार ही समाज की आर्थिक व्यवस्था होगी। प्रोटेस्टेण्ट धर्म पूँजीवाद को बढ़ावा देता है। जहाँ-जहाँ प्रोटेस्टेण्ट धर्म था वहाँ पूँजीवाद जल्दी पनपा तथा अन्य धर्म कैथोलिक, बौद्ध, जैन और इस्लाम धर्म पूँजीवाद को बढ़ावा नहीं देते हैं, वहाँ पूँजीवाद नहीं पनपा। वेबर ने आदर्श-प्रारूप के आधार पर छः धर्मों के आदर्श प्रारूपों का केवल आर्थिक व्यवस्था के सन्दर्भ में विश्लेषण किया है।

आपका मानना है कि सामाजिक संगठन में धार्मिक और आर्थिक कारक परस्पर सम्बन्धित हैं तथा अन्योन्याश्रित हैं। वेबर के अध्ययन में धार्मिक कारक निर्णायक सिद्ध हो गया परन्तु वेबर का कहना है कि सभी कारक परस्पर प्रभाव डालते हैं। अध्ययन की सुविधा के लिए किसी एक कारक को कारण माना जा सकता है। वेबर अहुकारक के सिद्धान्त में विश्वास रखते थे।

5. नौकरशाही (Bureaucracy)—वेवर ने नौकरशाही व्यवस्था का समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से अध्ययन किया है। आपने इसकी उत्पत्ति, विशेषताओं, कार्यों तथा महत्व पर प्रकाश डाला है। वेवर का कहना है कि नौकरशाही व्यवस्था पूर्वीवादी प्रवृत्ति के परिणामस्वरूप विकसित हुई है। आपके अनुसार नौकरशाही की निम्न विशेषताएँ हैं—

नौकरशाही की विशेषताएँ (Characteristics of Bureaucracy) — (1) नौकरशाही व्यवस्था में व्यक्ति विशिष्ट कार्य करता है। (2) इसमें मत्ता का विभाजन सहस्रार्थ के आधार पर होता है। (3) नौकरशाही व्यवस्था में कार्यों का बैटवारा तकनीकी आधार पर होता है। (4) इस संगठन में कार्यकर्ता का जीवन कार्यालय और परिवार में अलग-अलग बैंटा होता है। (5) इसमें व्यापारिक सम्पत्ति तथा व्यक्तिगत सम्पत्ति अलग-अलग होती है। (6) आमदनी वेतन के रूप में भी होती है।

6. शक्ति और सत्ता (Power and Authority) —वेवर ने सत्ता और शक्ति पर अपने विचार व्यक्त किये हैं। आपके अनुसार अगर किसी शक्ति के पीछे कानून, पद अधिकार कोई और वैध आधार है तो वह सत्ता कहलायेगी। सत्ता व्यक्ति को वैध रूप से ऐसे अधिकार दे देती है जिनके द्वारा वह अन्य व्यक्तियों, संगठनों आदि को नियन्त्रित करता है। सत्ता को कई प्रकारों में विभाजित किया जा सकता है। औपचारिकता के आधार पर औपचारिक सत्ता तथा अनौपचारिक सत्ता में वर्गीकृत कर सकते हैं।

सामाजिक क्रिया (Social Action)—वेवर ने सामाजिक क्रिया की अवधारणा, सिद्धान्त तथा योजना आपकी पुस्तक “दा थ्योरी ऑफ सोशियल एण्ड इकोनौमिक ऑर्गनाइजेशन” में दी है। सामाजिक क्रिया का समाजशास्त्र में विशेष महत्व है। आपने सामाजिक क्रिया को सामाजिकशास्त्र के अध्ययन की धारा बताया है।

आपने सामाजिक क्रिया की परिभाषा में भी इसे स्पष्ट किया है, “समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो सामाजिक क्रिया के लाइगारक योग्य द्वारा उसके दिशा क्रम और परिणामों के कार्य-कारण नियन्त्रण पर पहुँचने का प्रयास करता है।”

सामाजिक क्रिया या अर्थ एवं परिभाषा (Meaning and Definition of Social Action)—वेवर ने ‘सामाजिक क्रिया’ शब्द का प्रयोग विशिष्ट अर्थ में किया है। आपने सामाजिक क्रिया यी विभिन्न परिभाषा दी है, “क्रिया में वे सभी मानवीय व्यवहार सम्मिलित होते हैं जिनके साथ क्रिया करने वाला व्यक्ति व्यक्तिगत अर्थ जोड़ता है।” मैंक्स वेवरके अनुसार कोई भी क्रिया जब अन्य व्यक्तियों की क्रिया से प्रभावित होती है, तब वह सामाजिक क्रिया कहलाती है। इन्हीं ने शब्दों में—

“किसी क्रिया को तब सामाजिक क्रिया कहा जा सकता है, जब व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा सामाजिक व्यक्तियों के कारण यह (क्रिया) दूसरे व्यक्तियों के व्यवहार से प्रभावित हो और उसके द्वारा उनके परिवर्गित्व किया जाता है।”

इसे दूसरे रूप में इस प्राप्त एवं विद्या जा सकता है। मनुष्य के जीवन में अनेक आनंदशास्त्रीय होती है। यह जो भी नाम नहीं रखता है, उसके पीछे कुछ न-कुछ उद्देश्य अवश्य होता है और उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए ही उसे आनंद भरना होता है। अतः समाज में रहकर

सामाजिक अन्तःक्रिया आवश्यक है और इन्हीं अन्तःक्रियाओं के परिणामस्वरूप सामाजिक सम्बन्ध उत्पन्न होते हैं, किन्तु सामाजिक क्रिया के अन्तर्गत मानव के वे ही व्यवहार सम्भिलित किये जाते हैं, जो अर्थ पूर्ण होते हैं। इसी को मैंनस वबर 'अर्थपूर्ण क्रिया' कहते हैं। अर्थात् जब व्यक्ति की क्रिया को विशिष्ट अर्थ प्रदान कर दिया जाता है तो वह सामाजिक क्रिया हो जाती है। इसके अतिरिक्त क्रिया का सम्बन्ध वर्तमान, भूत अथवा भविष्य किसी काल से भी हो सकता है तथा वह बाह्य भी हो सकती है और आन्तरिक अथवा मानसिक भी हो सकती है।



## अध्याय-५

# कॉम्ट ; प्रत्यक्षवाद

### (Comte : Positivism)

कॉम्ट पर सेन्ट-साइमन के विचारों का प्रभाव पड़ा था। उनके विचारों के प्रभावों का ही परिणाम है कि आपने दर्शन की एक नवीन शाखा का निर्माण किया जो आगे चलकर प्रत्यक्षवाद के रूप में विकसित हुई। कॉम्ट को सामाजिक जगत में प्रत्यक्षवाद का प्रतिपादक भी कहा जाता है। समाजशास्त्र में प्रत्यक्षवाद की अवधारणा के रूप में इसे प्रमुख योगदान माना जाता है। इस प्रत्यक्षवाद के आधार पर ही आपने एक नए सामाजिक विज्ञान समाजशास्त्र विषय की स्थापना की। क्योंकि आपकी शिक्षा-दीक्षा प्राकृतिक विज्ञानों में हुई थी उसी के आधार पर आपने मानव समाज के अध्ययन के लिए प्रत्यक्षवाद की अवधारणा का विकास किया। आपका विचार था कि जिस प्रकार से प्राकृतिक विज्ञान अपने अध्ययन की सामग्री का अध्ययन वैज्ञानिक अध्ययन पद्धति से करते हैं उसी प्रकार से समाज का अध्ययन भी वैज्ञानिक पद्धति से करना चाहिए। समाजशास्त्र में समाज रो सम्बन्धित आनुभविक सार्वभौमिक और कारणता पर आधारित आधारभूत नियमों के निर्माण के लिए आपने प्रत्यक्षवाद पर जोर दिया। कॉम्ट ने प्रत्यक्षवाद का निर्माण परिभाषा और विशेषताओं के सम्बन्ध में जो कुछ कहा, उसकी विवेचना प्रस्तुत है—

प्रत्यक्षवाद की अवधारणा का इतिहास (History of the Concept of Positivism)—अगस्त कॉम्ट ने सामाजिक विज्ञानों को मानव प्रकृति का नियम प्रदान किया। यह नियम आपने ज्ञान के विकास के क्रम के आधार पर विकसित किया। कॉम्ट ने लिखा कि प्रत्येक विचार मानव का भौतिक विकास आदि निम्न तीन विकास के चरणों से विकसित होता है। ये तीन चरण निम्न हैं—(1) धर्मशास्त्रीय (Theological), (2) तत्त्वमीमांसीय (Metaphysical), और (3) प्रत्यक्षात्मक (Positivistic)।

कॉम्ट ने लिखा कि ज्ञान के विकास के प्रथम चरण में प्रत्येक घटना का वर्णन और व्याख्या अलौकिक या धार्मिक आधार पर की जाती है। घटनाओं को समझने का प्रयास भी इसके परिप्रेक्ष्य के अनुसार किया जाता है। इसको आपने धर्मशास्त्रीय स्तर कहा है जिसमें राजनैतिक सत्ता पुरोहितों, कर्मकाण्ड सम्पन्न करवाने वाले पंडितों आदि के हाथों में होती थी। ज्ञान के विकास के दूसरे चरण को आपने तत्त्वमीमांसीय या अमूर्त स्तर बताया है। इस स्तर में घटनाओं की व्याख्या एवं वर्णन अमूर्त शब्दों के आधार पर किया जाता है। इस चरण में राजनैतिक प्रभुत्व चर्च अभिकारियों एवं विधि विशेषज्ञों में निहित होता है। तीसरे और अनिम्न को कॉम्ट ने ज्ञान के विकास का चरण बताया

है। इस प्रत्यक्षवादी चरण में घटनाओं का अध्ययन अवलोकन परीक्षण और तुलनाओं के आधार पर किया जाता है। कॉम्प्ट ने यह भी लिखा कि ज्ञान के विकास के इस अन्तिम और सर्वोच्च चरण—प्रत्यक्षवाद का प्रारम्भ उनके जीवन काल में ही प्रारम्भ हुआ है। आपने यह भी सम्भावना व्यक्त की कि आने वाले समय में प्राकृतिक विज्ञानों की तरह समाजशास्त्र भी प्रत्यक्षवाद अर्थात् वैज्ञानिक विधियों—अवलोकन, परीक्षण और तुलना आदि के आधार पर अध्ययन करेगा तथा सार्वभौमिक सिद्धान्तों का निर्माण करेगा। संक्षिप्त में कॉम्प्ट द्वारा प्रतिपादित प्रत्यक्षवाद का यही इतिहास है।

**प्रत्यक्षवाद की परिभाषा एवं अर्थ (Definition and Meaning of Positivism)**—प्रत्यक्षवाद एक ऐसा सिद्धान्त है जो घटनाओं से सम्बन्धित सार्वभौमिक नियमों का निर्माण करता है जिनका अवलोकन, परीक्षण और तुलना सम्भव है। प्रत्यक्षवाद का प्रयोग निम्न अर्थों में देखा जा सकता है—

दर्शनशास्त्रियों का तार्किक प्रत्यक्षवाद सम्प्रदाय या तार्किक अनुभववादी सम्प्रदाय—प्रत्यक्षवाद का प्रयोग किसी कथन के अर्थ में सत्यापन को ज्ञात करने की पद्धति के रूप में करता है।

टालकर पार्सन्स ने समाजशास्त्र के उन सभी समाजशास्त्रीय सिद्धान्तों को प्रत्यक्षवाद शीर्षक के अन्तर्गत रखा है जिनमें कर्ता के रूप में मानव की सभी मानवीय क्रियाओं को कर्ता के दृष्टिकोण से समझा—परखा जाता है।

कॉम्प्ट के अनुसार प्रत्यक्षवाद तथ्यों के मध्य गुण—सम्बन्धों का अवलोकन, परीक्षण और तुलना करने की विधि है। आपके अनुसार प्रत्यक्षवाद सामाजिक घटनाओं के अध्ययन करने की वैज्ञानिक पद्धति है। जो हेबर्या के अनुसार प्रत्यक्षवाद तार्किकता की कार्य-प्रणाली पर आधारित सामाजिक विज्ञानों की विधि है जो सामाजिक नियन्त्रण की आवश्यकता से सम्बन्धित है। निष्कर्षः यह कहा जा सकता है कि प्रत्यक्षवाद समाजशास्त्र में सामाजिक घटनाओं के अध्ययन करने की ऐसी वैज्ञानिक पद्धति है जो अवलोकन, परीक्षण, वर्गीकरण और तुलना पर आधारित है। कॉम्प्ट ने प्रत्यक्षवाद को समाजशास्त्र में सामाजिक घटनाओं के अध्ययन के लिए प्रतिपादित किया है जिसके द्वारा यह ज्ञात किया जा सके कि सामाजिक घटनाएँ किस प्रकार घटित होती हैं, घटना का क्रम एवं गति कैसी है, कारण प्रभाव का क्रम क्या है आदि-आदि। आपने प्रत्यक्षवाद को यथार्थ अध्ययन करने के लिए महत्वपूर्ण घोषणा की है।

**प्रत्यक्षवाद: अध्ययन के चरण (Positivism Steps of Study)**—कॉम्प्ट ने प्रत्यक्षवाद की वैज्ञानिक अध्ययन पद्धति के चार चरण बताए हैं—(1) समाजशास्त्रीय अध्ययन की समस्या या घटना का चयन, (2) समस्या या घटना से सम्बन्धित सम्पूर्ण कारण और उनके प्रभावों का परीक्षण, अवलोकन एवं सकलन करना, (3) तीसरे चरण में विशेषताओं एवं गुण—संक्षणों के आधार पर तथ्यों का वर्गीकरण एवं विश्लेषण करना, तथा (4) तथ्यों के पारस्परिक गुण सम्बन्धों के आधार पर निष्कर्ष निकालना एवं नियमों का निर्माण करना।

**प्रत्यक्षवाद के अभ्युपगम/मान्यताएं (Postulates or Assumptions of Positivism)**—कॉम्ट द्वारा प्रत्यक्षवाद से सम्बन्धित व्यक्त विचारों के आधार पर निम्न मान्यताओं को निश्चित किया जा सकता है—

( 1 ) **सामाजिक नियम (Social Laws)**—कॉम्ट के अनुसार प्रत्यक्षवाद की ये मान्यता है कि सामाजिक घटनाएं प्राकृतिक घटनाओं की तरह निश्चित नियमों के अनुसार पठित होती हैं। ये घटनाएं आकस्मिक रूप से नहीं घटतीं इसलिए सामाजिक घटनाओं का भी अध्ययन प्राकृतिक घटनाओं की तरह अवलोकन, परीक्षण, वर्गीकरण और तुलना के आधार पर किया जा सकता है। प्रत्यक्षवाद के अनुसार सामाजिक घटनाओं का अध्ययन करके मुनिश्चित सामाजिक मिदानों और नियमों का विकास किया जा सकता है।

( 2 ) **वैज्ञानिक अध्ययन पद्धति (Methodology)**—कॉम्ट के अनुसार प्रत्यक्षवाद सामाजिक घटनाओं का अध्ययन वैज्ञानिक पद्धतियों के द्वारा क्रमबद्ध और व्यवस्थित रूप से करता है। प्रत्यक्षवाद के अध्ययन के चरणों का उल्लेख ऊपर किया जा चुका है जिसमें समस्या का चयन, अवलोकन, तथ्य संकलन, वर्गीकरण, विश्लेषण और निष्कर्ष प्रमुख चरण हैं।

( 3 ) **वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य (Scientific Perspective)**—कॉम्ट ने स्पष्ट किया है कि आपके जीवनकाल से पूर्व घटनाओं के अध्ययन के परिप्रेक्ष्य वर्षभासीय एवं तत्त्व मीमांसीय क्रम में थे। बर्तमान में घटना का अध्ययन प्राकृतिक विज्ञानों की तरह वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य के अनुसार किया जाता है। घटना की व्याख्या में कार्मिक, अलौकिक, अधिदैविक, काल्पनिक और अमृत आधार नहीं हैं बल्कि 'प्रत्यक्षवादी' हैं जो अनुभविक, कारणीय सम्बन्धों पर आधारित है।

( 4 ) **मात्र अनुभविक अध्ययन (Only Empirical Study)**—कॉम्ट की मान्यता रही है कि सामाजिक विद्या में प्रत्यक्षवाद को मात्र प्रत्यक्ष घटनाओं का ही अध्ययन करना चाहिए। जिन घटनाओं का अवलोकन व परीक्षण नहीं किया जा सकता है, उनका प्रत्यक्षवाद से कोई सम्बन्ध नहीं है। अज्ञात और अप्रत्यक्ष अनुमानित घटनाओं का अध्ययन प्रत्यक्षवाद के द्वारा नहीं किया जाता है। इसी मान्यता के कारण आगे चलकर प्रत्यक्षवाद और अनुभववाद पर्याय हो गए।

( 5 ) **सामाजिक पुनर्निर्माण का साधन (Tool of Social Reconstruction)**—कॉम्ट ने प्रत्यक्षवाद को समाज के पुनर्निर्माण के लिए महत्वपूर्ण बताया है। आपने यह विश्वास व्यक्त किया था कि प्रत्यक्षवाद के द्वारा समाज का वैज्ञानिक अध्ययन करके कारकों का विश्लेषण करके सामाजिक पुनर्निर्माण की योजना तैयार की जा सकती है। प्रत्यक्षवाद आपके अनुसार उपरोक्तावादी है, उपरोक्ती एवं सुधारात्मक है।

**प्रत्यक्षवाद के उद्देश्य (Aims of Positivism)**—कॉम्ट ने अपने विचारों में जो भावना व्यक्त की है उसके अनुसार प्रत्यक्षवाद के निम्नलिखित उद्देश्य निश्चित किये जा सकते हैं—

आपकी मान्यता रही है कि प्रत्यक्षवाद सामाजिक विज्ञानों, भौतिकशास्त्र एवं रसायनशास्त्र के सामान तार्किक, अनुभविक एवं प्रयोगिक सिद्ध घन सकता है। प्रत्यक्षवाद का उद्देश्य एक माध्यन के रूप में सामाजिक विज्ञानों को वैज्ञानिकता प्रदान कर सकता है। कॉम्ट का उद्देश्य प्रत्यक्षवाद

को प्रतिपादित करके मानव मस्तिष्क का धर्मशास्त्रीय या काल्पनिक, तत्त्वभीमासीय या अमूर्त चौंडिक स्तर से स्वतन्त्र करना रहा है। आप पर फ्रास की क्रान्ति का भी प्रभाव था जिसके कारण आपने प्रत्यक्षवाद का उद्देश्य सामाजिक पुनर्निर्माण करने का एक साधन माना।

**प्रत्यक्षवाद को मूल्यांकन (Evaluation of Positivism)**—प्रत्यक्षवाद के आलोचकों ने इसको कुछ प्रमुख कमियाँ निम्नलिखित गिनाई हैं। कुछ समाजशास्त्रियों ने प्रत्यक्षवाद पर आधारित समाजशास्त्र को विज्ञान मानने से असहमति घ्यक्त की है। इनका मानना है कि समाजशास्त्र का उद्देश्य समाज के सम्बन्ध में समझ पैदा करना है न कि समाज की व्याख्या करना। समाजशास्त्र का उद्देश्य सामाजिक सम्बन्धों को समझाना है न कि इनकी व्याख्या और नियमों का निर्माण करना। सामाजिक घटनाएँ प्रेरणा और उद्देश्यों पर आधारित होती हैं जबकि प्राकृतिक घटनाओं में प्रेरणा और उद्देश्यों का अभाव होता है इसलिए समाजशास्त्र के प्रत्यक्षवाद का उपयोग करना अवैज्ञानिक और अतार्किक है। अमेरिकी समाजशास्त्री जगत के एक सम्प्रदाय—फ्रेकफर्ट की आपत्ति है कि प्रत्यक्षवाद मात्र परिमाणत्वक एवं सख्तात्मक तथ्यों तक ही सीमित होता है और यह समाजशास्त्र की वास्तविकता एवं यथार्थता का अध्ययन नहीं करता। कॉम्प्ट ने समाजशास्त्र को अवलोकन योग्य घटनाओं तक ही सीमित रखकर प्रत्यक्षवाद की विकालत की है जबकि यथार्थवाद का कहना है कि समाजशास्त्र उन घटनाओं का भी अध्ययन करता है जो मात्र अवलोकन से अलग हटकर भी है।

**निष्कर्ष:** यह कहा जा सकता है कि कॉम्प्ट ने प्रत्यक्षवाद की उपर्युक्त सीमा होते हुए भी समाजशास्त्र के परिप्रेक्ष्य अध्ययन पढ़ति और सिद्धान्तों के निर्माण में विकास की प्रक्रिया को दिशा एवं गति प्रदान की।

## अध्याय-6

# स्पेन्सर : सामाजिक उद्विकास (Spencer : Social Evolution)

हर्बर्ट स्पेन्सर (1820-1903) का जन्म एक मध्यम चर्चीय परिवार में हुआ था। आपने समाजशास्त्र के विकास में ठल्लेखनीय योगदान किया है। समाजशास्त्रियों का कहना है कि हर्बर्ट स्पेन्सर ने ऑगस्ट कॉम्प्ट के समाजशास्त्रीय विकास के कार्य को आगे बढ़ाया। स्पेन्सर ने भी कॉम्प्ट की तरह समाजशास्त्र को एक समाज के विज्ञान के रूप में स्थापित करने में विशेष प्रयत्न किया। स्पेन्सर का समाजशास्त्र विज्ञान में ठल्लेखनीय योगदान विकासवादी मिद्दान के आधार पर समाज के विकास को व्याख्या है। आप ऑगस्ट कॉम्प्ट के विचारों के सम्पर्क में तो आए, लेकिन आपने कॉम्प्ट से भिन्न समाज के व्यव्ययन के लिए एक अलग दृष्टिकोण अपनाया। स्पेन्सर का ठल्लेखनीय योगदान सामाजिक उद्विकास है, जिसका महिसकार वर्णन प्रस्तुत है—

सामाजिक उद्विकास (Social Evolution)—स्पेन्सर पर चाल्म डार्विन का विशेष प्रभाव पड़ा, जिसके परिणामस्वरूप आपने सामाजिक उद्विकास के मिद्दान का निर्माण किया। एक प्रकार से स्पेन्सर ने चाल्म डार्विन की कृति 'द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज' (The Origin of Species) 1859 के विचारों को एक प्रकार से मानव गमाज के विकास में रूपान्तरित किया है। आपने चाल्म डार्विन के दिए गए प्रमाण एवं प्रमाणनाएं, 'प्राकृतिक वरण' (Natural Selection), योग्यतम की उत्तर जीवितता (Survival of the Fittest) आदि को उपरोक्त रूप में प्रयुक्त करके सामाजिक उद्विकास की प्रस्थापनाएं, विकास के क्रम, सामाजिक परिवर्तन की व्याख्या की है।

स्पेन्सर आपने माता-पिता की 9 मन्त्रानों में सबसे बड़े थे और भाज आप ही आपने भाई-बहिनों में बयान आयु प्राप्त कर पाए थे, वास्त्री सव आपके अन्य भाई-बहिनों की मृत्यु कम आयु में हो गई थी। वैज्ञानिकों की मान्यता है कि सम्भवतः इन्हीं परिस्थितियों के कारण आपने सामाजिक परिवर्तन एवं सामाजिक उद्विकास में चाल्म डार्विन द्वारा प्रतिपादित जीव-जगत के प्रमाणों, प्राकृतिक वरण और योग्यतम की उत्तर जीवितता की आधारभूत मान्यताएं देनार्थ।

सामाजिक उद्विकास से सम्बन्धित रचनाएं (Work Related to Social Evolution)—हर्बर्ट स्पेन्सर की निम्नलिखित प्रमुख रचनाएँ हैं जिनमें आपने आपने सामाजिक उद्विकास सम्बन्धी विचार प्रस्तुत किए हैं—

सक्षम होते हैं वे उर्मी के अनुमत्य लम्ही अव्याधि तक बने रहते हैं और विश्वित होते हैं। इसके विपरीत वे समाज जा अपने पर्यावरण के साथ अनुकूलन नहीं कर पाते हैं वे लुप्त हो जाते हैं। स्पेन्सर ने लिखा है कि मानव समाज जीविक अवधारणों की तरह निश्चिन चरणों में आन्तरिक विभेदीकरण एवं समोक्तण की प्रक्रिया द्वारा पर्यावरण में अनुकूलन करते हैं।

मानव समाज अपने उद्दिविकासीय क्रम में यरल एवं समानता की मिशन से जटिल एवं विप्रमत्ता ही पी औद्योगिक समाज की ओर विकसित होते हैं।

निकोलस एम टिमारेफ ने अपनी 'कृति' 'भांसियांनोजितल व्यापी : डृग्स नेचर एण्ड ग्राम्य' में लिखा है कि स्पेन्सर ने अपनी उद्दिविकासीय योजना अपनी कृति फार्म्स्ट ग्रिमिपल और पुनः प्रिमिपल मार्शियालाजी में वर्णित की है। समाज के उद्दिविकास को गति भारत समाज में जटिल समाज में अनेक चरणों में दौड़कर होता है। कुछ यग्न समाजों के माप्यश्रण में जटिल समाजों का निर्वाण होता है। पुनः उन जटिल समाजों के माप्यश्रण में दोहरे जटिल समाजों की उत्पत्ति होती है और उन दोहरे समाजिक सम्मिश्रण से तिहरे समाजों का सम्मिश्रण होता है। उन्होंने उदाहरण देते हुए यताया कि भरत समाज में अनेक परिवार होते हैं। परिवारों के सम्मिश्रण समाज में बनान या गोप होते हैं। ये बनान या गोप मिलकर एक विशिष्ट जन-जाति बन जाते हैं तथा तिहरे सम्मिश्रण समाज जो हमारे जैसे समाज है, इनमें जनजातियाँ सम्मिश्रित हो जाती हैं और राष्ट्र और राज्य का निर्माण करती है। स्पेन्सर ने अपनी उठर्युक्त वर्णित कृतियों में लिखा है कि आकार के बढ़ने से संरचना को भी तृदृढ़ होती है और उसके साथ-साथ सदस्यों के व्यवसायों एवं शक्ति में भी भिन्नता आती है और इन्हों के साथ-साथ कार्यों में भी भिन्नता आती है।

स्पेन्सर ने सामाजिक उद्दिविकास की एक दूसरी रूपावली और दी है, जिसके अनुमार समाज के विकास का क्रम युद्धप्रिय समाज से औद्योगिक समाज के क्रम में होता है। युद्धप्रिय, समाज में सहयोग का अनिवार्य रूप में प्रभुत्व होता है तथा औद्योगिक समाज में सहयोग ऐच्छिक होता है।

इस प्रकार से स्पेन्सर ने चार्ल्स डार्विन के जीवन जगत के उद्दिविकासीय मिलान अवधारणाओं, प्रमाणों और रूपावलियों के आधार पर समाजशास्त्र के सामाजिक विकास के क्रम प्रमाण, प्रस्थापनाएँ एवं रूपावलियाँ समानान्तर रूप से प्रस्तुत भी हैं। स्पेन्सर को अपनी रखनाओं के आधार पर विकटोरिया के समय का 'समाजशास्त्र का मरींहा' यताया जाता है। स्पेन्सर ने डार्विन के अनुमार समाजशास्त्र में सामाजिक उद्दिविकास का स्थान दिया है, इस कारण इन्हें 'सामाजिक डार्विनवाद का प्रवर्तक' माना जाता है।



## अध्याय-7

# परेटो : अभिजन-परिभ्रमण (Pareto : Circulation of Elites)

समाजशास्त्र के विकास में विलफ्रेडो परेटो (1848-1923) का योगदान उल्लेखनीय है। आप इटली के एक प्रसिद्ध समाजशास्त्री हैं। परेटो का समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण वैज्ञानिक और आनुभविक रहा है। आपकी प्रमुख समाजशास्त्रीय पुस्तक 'द ट्रीटाइब ऑन जनरल सोशियोलॉजी' 1916 में लिखी थी। इस रचना का ऑग्सीजी में अनुवाद 1935 में 'माइड एण्ड सोसाइटी' (4 वाल्यूम) के शोर्पक के रूप में हुआ। 'माइड एण्ड सोसाइटी' में आपने 'अभिजन परिभ्रमण' के सिद्धान्त को प्रतिपादित किया। अभिजन परिभ्रमण में आपने अभिजात वर्ग और गैर अभिजात वर्ग को 'शेरो' और 'लोमड़ियो' के नामों से वर्णित किया है। शेरो और लोमड़ियों की अवधारणाओं को आपने 'मैकियावेली' से लिया है। परेटो ने अभिजन-परिभ्रमण के सिद्धान्त के द्वारा सामाजिक परिवर्तन को भी व्याख्या की है। परेटो समाजशास्त्र जगत में अभिजनों के विश्लेषण और अभिजन परिभ्रमण की अवधारणा से पहचाने जाते हैं। आपने अभिजन वर्ग की परिभाषा, विशेषताएँ, अवशिष्ट वर्ग के प्रकार आदि को व्याख्याएँ की हैं जो निम्नलिखित हैं—

1. अभिजात वर्ग की परिभाषा (Definition of Elite Class)—परेटो के अनुसार अभिजात वर्ग ऐसे लोगों का वर्ग है जिनका कार्य आपने शेत्र में सर्वोच्च स्थान रखता है। ऐसा माना जाता है कि परेटो पहले समाजशास्त्री हैं, जिन्होंने अभिजात (Elite) अवधारणा का प्रयोग समाजशास्त्र में सर्वप्रथम किया है। आपने लिखा है कि अभिजात समाज के ऐसे थोड़े गिने चुने श्रेष्ठ व्यक्ति होते हैं जो बहुसंखक व्यक्तियों पर शासन करते हैं। आपने 'अभिजन' को समाज के सर्वश्रेष्ठ बुद्धिमान और योग्य व्यक्ति बताया है।

परेटो ने अभिजनों के सम्बन्ध में निम्न तथ्य भी प्रस्तुत किया है। आपका कहना है कि शासन से सम्बन्धित अभिजनों को दो ब्रेणियों में बांटा जा सकता है—

अभिजनों के प्रकार (Types of Elites)—परेटो ने शासकीय अभिजन एवं गैर शासकीय अभिजन के प्रकारों पर प्रकाश डाला है। आपने लिखा है कि शासकीय अभिजन वे व्यक्ति होते हैं जो सरकार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इनकी यह भूमिका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार की हो सकती है। दूसरे शेष अभिजन वर्ग में गैर शासकीय अभिजनों को आपने रखा। परेटो ने अभिजनों के वर्गीकरण और गुण तो बताए हैं लेकिन अभिजन वर्ग के लोगों में यह अन्तर स्पष्ट

नहीं करते हैं कि अभिजनों को प्रतिष्ठा विरासत में मिली है, धन के कागण मिली है अथवा अच्छे लोगों के साथ सम्पर्क के परिणामस्वरूप मिली है। आपने प्रदत्त और अर्जित प्रस्तिथिति के आधार पर अभिजन वर्ग के प्रकार के निर्माण पर प्रकाश नहीं टाला।

पेरेटो ने प्रदत्त प्रस्तिथिति के सम्बन्ध में इतना अवश्य लिखा है कि जो अभिजन प्रदत्त प्रस्तिथिति के अनुसार होते हैं और उनकी उपलब्धियाँ उनके स्वयं के प्रयास से प्राप्त नहीं होती हैं वे समाज के लिए पतनकारी होते हैं।

**अभिजन-परिभ्रमण की व्याख्या** (Explanation of Circulation of Elite)—पेरेटो ने अभिजन की परिभाषा देने के बाद अभिजन-परिभ्रमण की व्याख्या की है। आपकी मान्यता है कि प्रत्येक समाज में च प्रत्येक काल में साधारणतया दो प्रमुख वर्ग होते हैं—एक अभिजन वर्ग (उच्च वर्ग) एवं दूसरा अभिजनेतर वर्ग (निम्न वर्ग)। अभिजन वर्ग के पास समाज को शक्ति, सत्ता एवं प्रशासन होता है। ये समाज के शासक भी होते हैं। आपने यह भी स्पष्ट किया है कि यह अभिजन वर्ग स्थाई नहीं होता है। इस अभिजन वर्ग को आपने 'शेर' की संज्ञा दी है। जब ये शेर या अभिजन वर्ग आलसी एवं निष्क्रिय हो जाता है तो इसके स्थान को प्राप्त करने की ताक में इनजार कर रहे चालाक, होशियार अभिजनेतर वर्ग, जिसको आपने लोमड़ी कहा है, उनका स्थान ग्रहण कर लेते हैं।

**पेरेटो के अनुसार अभिजन-परिभ्रमण—अभिजन वर्ग और अभिजनेतर वर्ग की एक चक्रीय प्रक्रिया** है। अभिजात वर्ग अपनी निष्क्रियता के कारण निम्न वर्ग में आ जाता है और निम्न वर्ग के चतुर, बुद्धिमान एवं कुशल व्यक्ति उनका स्थान ले लेते हैं। इस चक्रीय प्रक्रिया को पेरेटो ने 'अभिजन-परिभ्रमण' कहा है। आपने अपनी कृति में यह भी स्पष्ट किया है कि सभी समाजों में यह प्रक्रिया अवश्यम्भावी है त्वेरिका सभी समाजों में यह प्रक्रिया भिन्न-भिन्न गति और तीव्रता के साथ चलती है। जिस प्रकार से कार्लमार्क्स ने समाजों का इतिहास 'वर्ग-संघर्ष का इतिहास' बताया है, उसी प्रकार से पेरेटो ने भी समाजों का इतिहास 'कुतीन तत्री या कविस्तान' बताया है। अभिजात-परिभ्रमण को और अधिक स्पष्ट रूप से समझने के लिए इन वर्गों की विशेषताओं का अध्ययन श्रेयस्कर रहेगा—

( 1 ) **अभिजात वर्ग—'शेर'** की विशेषताएँ (Characteristics of Elite-Class-'Lion')—पेरेटो ने अभिजात वर्ग को प्रमुख विशेषताएँ निम्न बताई हैं—अभिजात वर्ग के लोग रुढ़िवादी विचारधारा के होते हैं व अनुदार होते हैं। ये भास्त्रांजिक जड़ता और स्थायीत्व का प्रतिनिधित्व करते हैं। इस वर्ग के लोग अपने परिवार जाति, नगर, राष्ट्र आदि के प्रति बहुत अधिक निष्पापन होते हैं। इनके व्यवहार में देशभक्ति और भार्मिक उत्साह भी देखा जा सकता है। ये लोग परिस्थितियों के अनुसार नियंत्रकोच कठोर कदम उठाते हैं।

( 2 ) **अभिजनेतर-वर्ग—'लोमड़ी'** की विशेषताएँ (Characteristics of Non Elite-Class-'Fox')—अभिजन-परिभ्रमण में दूसरे निम्न वर्ग जो अभिजनों का स्थान ग्रहण करते हैं, की विशेषताएँ पेरेटो ने निम्नलिखित बताई हैं। इस निम्न वर्ग या लोमड़ी वर्ग की विशेषता यह है कि उनमें संयोजन की विशेषता होती है। इस वर्ग के लोग पद्धति-निर्णय

के कार्य में चतुर होते हैं। वृहद स्तर पर वित्तीय जोड़-तोड़ विठाने में अग्रणी होते हैं। इन्हीं गुणों के कारण 'मैकियावेली' और उनका अनुकरण करते हुए पेरेटो ने इन्हे 'लोमड़ी' की सज्जा दी है। इनमें विशिष्ट लक्षणों को स्पष्ट करते हुए पेरेटो ने लिखा है कि ये लोग समाज में परिवर्तन की प्रक्रिया को प्रारम्भ करने में अग्रणी होते हैं। समाज में परीक्षण करना इनका स्वभाव होता है। आपने इनमें कुछ नकारात्मक सक्षणों पर प्रकाश डालते हुए लिखा है, कि ये लोग अस्थिर प्रवृत्ति के और वफादार हैं और निष्ठावान नहीं होते हैं।

**सामाजिक परिवर्तन का सिद्धान्त (Theory of Social Change)**—पेरेटो द्वी मान्यता है कि अभिजन-परिभ्रमण की प्रक्रिया के द्वारा समाज में परिवर्तन होता है। अभिजन वर्ग के निष्क्रिय, आलसी और अयोग्य सदस्य अभिजनेतर या निम्न वर्ग में चले जाते हैं। इसके विपरीत निम्न या अभिजनेतर वर्ग के चतुर साहसी, वित्तीय, जोड़-तोड़ विठाने वाले चालाक व्यक्ति उनका स्थान ले लेते हैं। इस प्रकार से पेरेटो ने कहा कि शेरों का लोमड़ीयां बन जाना और लोमड़ीयों का शेर बन जाना अर्थात् अभिजन वर्ग के लोगों का निम्न वर्ग में चले जाना और निम्न वर्ग के लोगों का अभिजन वर्ग में चले जाना—समाज में चक्रीय परिवर्तन की प्रक्रिया को सक्रिय करता है। पेरेटो के अनुसार शेरों से लोमड़ीयों और लोमड़ीयों से शेरों की सामाजिक प्रक्रिया सभी समाजों में चलती रहती है। ये अभिजन-परिभ्रमण की प्रक्रिया एक समाज को एक स्थिति से दूसरी स्थिति में चक्र के रूप में परिवर्तित करती रहती है और सक्रिय बनाए रखती है।

सार रूप में समाजशास्त्र के विकास में पेरेटो का यह एक महत्वपूर्ण योगदान है।



## अध्याय-४

# इमाइल दुखीम : श्रम-विभाजन (Emile Durkheim : Division of Labour)

‘दा डिविजन ऑफ लेबर इन सोसायटी’ दुखीम की विश्वविद्युत प्रथम वृति है। इसमें आपने श्रम के विभाजन से सम्बन्धित विभिन्न पहलुओं की विवेचना की है। सर्वप्रथम यह ग्रन्थ प्रामाणी भाषा में 1893 में ‘De la division du travail social’ शोर्पक से प्रकाशित हुआ था। इसका अंग्रेजी में अनुवाद ‘The Division of Labour in Society’ शोर्पक में हुआ है। यह विनियन्य दुखीम ने अपनी हॉटस्टेट की उपाधि के लिए लिखा था। दुखीम ने इस पुस्तक में श्रम-विभाजन से सम्बन्धित अनेक महत्वपूर्ण समाजशास्त्रीय अवधारणाएँ, प्रारूप, मिलाना, यांगीकरण आदि प्रतिपादित किए हैं। इसमें प्रत्युत विवारों तथा निकर्पों का प्रभाव आपकी बाद की कृतियों तथा विधारों में भी देखा जा सकता है। रेमण्ड ऐरन का मत है कि दुखीम के समाजशास्त्रीय चिन्तन में प्रमुख केन्द्र श्रम-विभाजन की समस्या ही रहा है। ‘समाज में श्रम-विभाजन’ विनियन्य में श्रम-विभाजन से सम्बन्धित विभिन्न पक्षों की विवेचना 17 अध्यायों में की गई है। इस पुस्तक की पाठ योजना निम्नानुसार है—

(I) प्रस्तावना (Introduction)—सर्वप्रथम दुखीम ने ‘प्रस्तावना’ शोर्पक के अन्तर्गत समस्या की व्याख्या की है। आपने समाज में श्रम-विभाजन के विकास का संक्षिप्त इतिहास और समस्या का वर्णन किया है। पुस्तक की पाठ योजना भी दी दी है।

(II) खण्ड प्रथम—श्रम-विभाजन का प्रकार्य (The Function of the Division of Labour)—इस प्रथम खण्ड में सात अध्याय हैं। इन अध्यायों में आपने कार्यों को निर्धारित करने की विधि, यान्त्रिक एकता, जैविक एकता और जैविक एकता का विकास आदि का वर्णन किया है। जैविक एकता, संविदात्मक एकता की व्याख्या की है। इसमें आपने मुख्य रूप से सामाजिक एकता और श्रम-विभाजन के सम्बन्धों की व्याख्या की है।

(III) खण्ड द्वितीय—कारण एवं दशाएँ (Causes and Conditions)—इस खण्ड के पाँच अध्यायों में आपने श्रम-विभाजन और सुख, श्रम-विभाजन के कारण, हैरायक वारक, चंशानुक्रमण और परिणाम आदि का वर्णन और व्याख्या की है।

(IV) खण्ड तीसीय—असामान्य स्वरूप (Abnormal Forms)—पुस्तक के तीसरे खण्ड में कुल तीन अध्याय हैं। जिनमें आपने श्रम-विभाजन के कुछ असामान्य स्वरूपों की विवेचना की है।

(V) निष्कर्ष (Conclusion)—इस कृति के अन्तिम भाग में, आपने प्रस्तावना में जा व्यावहारिक समस्याएं उठाई थीं उनका हता प्रस्तुत किया है। आपने अपने अध्ययन के निष्कर्ष प्रस्तुत किए हैं। दुर्खीम ने प्रस्तावना में लिखा है कि हमे श्रम विभाजन का अध्ययन वस्तुपरक तथ्य मानकर करना चाहिए। इनका अवलोकन तथा तुलना करनी चाहिए तथा हम देखेंगे कि इन अवलोकनों के परिणाम उन अर्थों से भिन्न मिलेंगे जो हमको बताए गए हैं। अब हम दुर्खीम के दृष्टिकोण से श्रम विभाजन को समझने के लिए उनके द्वारा दिए गए विभिन्न तथ्यों, जानकारियों, व्याख्याओं, निष्कर्षों आदि का अध्ययन करेंगे।

### श्रम-विभाजन

#### (The Division of Labour)

दुर्खीम ने सर्वप्रथम प्रकार्यवादी दृष्टिकोण से श्रम विभाजन के प्रकारों पर प्रकाश डाला है। आपने श्रम विभाजन को सामाजिक तथ्य बताया है। पुस्तक के प्रथम खण्ड में श्रम विभाजन के प्रकार्य, प्रकार्य की समाजशास्त्रीय परिभाषा, श्रम-विभाजन का सम्बन्ध, नवीन समूहों का निर्णय, सामाजिक एकता तथा इसके प्रकार—यात्रिक एवं सावगवी एकता तथा इनके लक्षणों, भिन्नताओं आदि पर प्रकाश डालते हैं। इस खण्ड के अन्त में श्रम विभाजन के विभिन्न प्रभावों तथा परिणामों की भी विवेचना की है।

प्रकार्य की समाजशास्त्रीय परिभाषा (Sociological Definition of Function)—दुर्खीम ने 'प्रकार्य' शब्द के निम्न दो अर्थ स्पष्ट किए हैं। (1) प्रकार्य का अर्थ गति-व्यवस्था से है अर्थात् क्रिया से है, और (2) प्रकार्य का दूसरा अर्थ क्रिया के द्वारा पूर्ण होने वाली आवश्यकता से है। इस पुस्तक में आपने प्रकार्य की अवधारणा का दूसरा अर्थ लगाया है। इन्होंने प्रकार्य को सामान्य अर्थ अर्थात् प्रभाव या परिणाम के रूप में प्रयुक्त नहीं किया है। आपने लिखा है, "हम इस अवधारणा का प्रयोग दूसरे अर्थ में करेंगे।" आपके अनुसार श्रम-विभाजन के प्रकार्य से अर्थ है कि श्रम-विभाजन को प्रक्रिया समाज के लिए किन-किन आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। दुर्खीम ने लिखा है कि, जीव में पाचन क्रिया, श्वसन क्रिया आदि शरीर को आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कार्य करती हैं। इसी प्रकार हम श्रम-विभाजन के कार्यों को समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति के सन्दर्भ में अध्ययन करेंगे। आपने 'प्रकार्य' शब्द का यही अर्थ लगाया है।

श्रम-विभाजन एवं नैतिकता (Division of Labour and Morality)—दुर्खीम ने श्रम-विभाजन और नैतिकता में परस्पर घनिष्ठ सम्बन्ध बताया है। आप समाज को एक नैतिक चास्तिकता मानते हैं। समाज की व्यवस्था, एकता, निरन्तरता आदि के लिए नैतिक व्यवस्था को अत्यावश्यक मानते हैं। नैतिकता के अभाव में समाज विफटित हो जाता है। समाज का अस्तित्व नैतिक व्यवस्था पर टिका होता है। दुर्खीम का मत है कि सभी सामाजिक तथ्यों का मौलिक प्रकार्य नैतिक होना चाहिए।

दुर्खीम ने लिखा है कि नैतिकता व्यवहार के बे नियम हैं जो मानव के आचरण पर अनिवार्य रूप से लागू होते हैं और जिनके साथ समूह की अभिभाव जुड़ी हुई होती है। आपका मत है कि नैतिक तथ्य मानव के आचरण से सम्बन्धित होते हैं। वयोंकि श्रम-विभाजन की प्रकृति

नैतिक हैं इसी कारण श्रम विभाजन का प्रकार्य समाज में नैतिक तथ्यों को उत्पन्न करना तथा नैतिक कार्यों को सम्पन्न करना है। आपने लिखा है, “नैतिकता न्यून अपरिहार्य है, अत्यावश्यक है, प्रतिदिन का भोजन है, जिसके बिना समाज यन्म नहीं रह सकता है।

### सभ्यता का विकास— श्रम-विभाजन का प्रकार्य नहीं—

दुर्घीम का मत है कि श्रम विभाजन का प्रकार्य सभ्यता का विकास करना नहीं है। आपका कहना है कि श्रम विभाजन सभ्यता के विकास का स्रोत है। श्रम विभाजन का अर्थ प्रकार्य ये: स्वप्न में लगाना तुटिष्ठूर्ण है। अन्य विद्वान् यह मानते हैं कि श्रम-विभाजन से सभ्यता का विकास होता है। ये कहते हैं कि श्रम विभाजन से समाज में विरोधीकरण आता है। इनमें उत्पादन शक्ति में विकास तथा वृद्धि होती है। भौतिक विकास होता है। मुख्य सुविभागों की वृद्धि होती है। इसके माध्यम साथ वैदिक प्रगति तथा ज्ञान का प्रसार होता है। दुर्घीम का मत है कि वैदिक तथा भौतिक प्रगति आदि श्रम विभाजन के स्रोत से उत्पन्न होते हैं। ये हम प्रक्रिया के परिणाम हैं। आपका कहना है कि न तो स्रोत का अर्थ ही प्रक्रिया है और न ही परिणाम का अर्थ प्रक्रिया। अतः श्रम विभाजन का प्रकार्य सभ्यता का विकास करना नहीं है।

सभ्यता के विकास के प्रकार (Types of the Development of the Civilization)—इमाइल दुर्घीम ने सभ्यता के निम्न तीन प्रकार के विकास बताए हैं—

1. औद्योगिक या आर्थिक विकास,
2. कलात्मक विकास और
3. वैज्ञानिक विकास।

1. औद्योगिक या आर्थिक विकास (Industrial or Economic Development)—अधिकतर समाजशास्त्री सभ्यता का प्रमुख स्थान आर्थिक विकास को मानते हैं। गोटर, रेल, तार तथा अन्य भरीमें आजकल यहुत उपयोगी यस्ताएँ मानी जाती हैं। दुर्घीम इसे नैतिकता का तत्व नहीं मानते हैं। आपका मत है कि आर्थिक तथा औद्योगिक विकास से बड़े-बड़े औद्योगिक केन्द्र विकसित होते हैं। जहाँ आत्म-हत्याएँ और अपराधों में वृद्धि हो जाती है। वहाँ नैतिक ढन्ति नहीं होती है।

2. कलात्मक विकास (Artistic Development)—कला का विकास सभ्यता से सम्बन्धित अवयव है परन्तु कला से नैतिकता का विकास नहीं होता है। दुर्घीम के अनुसार कला विलासिता तथा उद्देश्यहीन श्रम है जो रागात्मक प्रवृत्तियों को विकसित याती है। आप कला को नैतिकता न मानकर नैतिक संस्कृत मानते हैं। आप मानते हैं कि कलाकृतियों के हारा नैतिक मूल्यों को अधिव्यक्त किया जा सकता है सेकिन कला स्वयं नैतिक तथ्य नहीं हो सकती है। आप कला का विकास उत्तेजक विकास का पर्याय ही मानते हैं।

3. वैज्ञानिक विकास (Scientific Development)—समाज में प्रत्येक रसदस्य का कर्तव्य है कि वह ज्ञान और वृद्धि का विकास करे तथा वैज्ञानिक सत्य की खोज करे। इस अर्थ के फलस्वरूप दुर्घीम विज्ञान की नैतिकता का तत्व मानते हैं। सेकिन इसे भी केवल आंशिक मानते हैं। दुर्घीम सभ्यता के इन तीनों प्रकारों—आर्थिक, कलात्मक और वैज्ञानिक विकास

को नैतिक विश्वास नहीं मानते हैं, जबकि नैतिकता का समाज के लिए विश्वाप महत्वपूर्ण माना है जो आपके द्वितीय कथन से स्पष्ट होता है—

“नैतिकता सभी न्यून अपरिहार्य, अत्यन्त आवश्यक है, दैनिक भोजन है जिसके बिना समाज यन्म नहीं रह सकता है।”

### श्रम-विभाजन के प्रकार्य

(Functions of the Division of Labour)

दुर्घीम ने श्रम विभाजन के दो महत्वपूर्ण प्रकार्य बताए हैं जो समाज की नियनता और अस्तित्व के लिए अत्यावश्यक हैं—(1) समाज में नवाच समूहों का निर्माण करना तथा (2) समूहों में समाजिक एकता पैदा करना।

1. नवीन समूहों का निर्माण (Creation of New Groups)—दुर्घीम का मत है कि श्रम-विभाजन से समाज में अनेक नए समूहों का निर्माण होता है। आपका कहना है कि समाज में जनसंघों की वृद्धि होती है। सर्वश्रेष्ठम जनसंघों की वृद्धि से श्रम का विभाजन होता है। इससे विशेषीकरण आता है। विशेषीकरण समाज में नए, नए व्यावसायिक तथा विशेषीकृत समूहों का निर्माण करता है। समाज परिवर्तनशील है। उसमें परिवर्ती होते हैं। इससे आवश्यकता आ में वृद्धि होती है। इनको पूरा करने के लिए नए, नए समूह जन्म लते हैं। समाज में जनसंघों की वृद्धि से नए-नए समूहों का निर्माण होना अवश्यभावी है। श्रम विभाजन ही इन समूहों में एकता पैदा करता है।

118349

2. नवीन समूहों में एकता पैदा करना (To Create Unity in New Groups)—दुर्घीम श्रम विभाजन का दूसरा और महत्वपूर्ण कार्य नवीन समूहों में एकता पैदा करना मानते हैं। आपका मत है कि नए-नए समूहों में परस्पर एकता का होना समाज के अस्तित्व के लिए आवश्यक है। श्रम-विभाजन ही नए समूहों के निर्माण के साथ-साथ परस्पर एकता पैदा करता है जो समाज की व्यवस्था तथा सन्तुलन को बनाए रखता है। दुर्घीम के अनुसार इन विभिन्न नवीन समूहों में परस्पर एकता एक नैतिक आवश्यकता है जो श्रम विभाजन द्वारा पूर्ण की जाती है।

श्रम-विभाजन का महत्वपूर्ण कार्य नैतिक एकता उत्पन्न करना है। आपका कहना है कि विभिन्न नवीन समूह विशिष्ट कार्य करते हैं। ये अन्य कार्यों के लिए अन्य विशिष्ट समूहों पर निर्भर हो जाते हैं। इससे समूहों में परस्पर निर्भरता बढ़ जाती है। यात्र्य होकर उन्हें परस्पर सहयोग करना पड़ता है। यह सहयोग समाजिक समूहों में परस्पर नैतिक एकता पैदा करता है। दुर्घीम के अनुसार श्रम विभाजन ही नवीन समूहों का निर्माण तथा उसमें एकता पैदा करने का कार्य करता है।

दुर्घीम के लिया है कि समाजला और भिन्नता दोनों ही आर्थिक के कारण होते हैं। ये कारण श्रम-विभाजन की प्रतिका के द्वारा एकता पैदा करते हैं। आपने लिया है कि हम उनमें मिलता रहते हैं जो हमसे गमनता रहते हैं तथा उनमें भी जो हमारे गे भिन्न हैं। आपने लिया है, “एक से यांत्रिकीय वाली विद्यियों एक झूण्ड बना कर रहती है।” “चोर-चोर भीतरों भाई”,


'चोर का साथी गिरहकट', Like seeks like' आदि उदाहरण इस तथ्य को स्पष्ट करते हैं कि समानता में एकता होती है। दुखीम ने असमानता से भी एकता पैदा होने के उदाहरण दिये हैं। स्त्री पुरुष में प्रेम तथा विवाह जो वैवाहिक एकता का उदाहरण हैं जिसका कारण लिंग भेद पर आधारित श्रम-विभाजन है। आपके अनुसार श्रम-विभाजन का उद्देश्य समाज के कार्यों को व्यवस्थित करके एकता पैदा करना तथा उसे बनाए रखना है।

### कानून—एकता का मापन

#### (Law—Measurement of Solidarity)

दुखीम ने लिखा है कि सामाजिक एकता पूर्णरूप से नेतिक पटना है जिसका प्रत्यक्ष एवं सुनिश्चित रूप से न तो अवलोकन ही कर सकते हैं और न ही माप सकते हैं। लेकिन सामाजिक एकता का मापन श्रम-विभाजन के प्रकार तथा इससे सम्बन्धित कानून व्यवस्था के प्रकार एवं इनकी तुलना के द्वारा किया जा सकता है। हमें नेतिक अमृत तथ्यों की कुछ वाहरी प्रत्यक्ष विशेषताओं को आधार के रूप में लेना होगा। दुखीम ने लिखा है, ये दिखाई देने वाले प्रतीक कानून हैं। आपने सामाजिक एकता को मापने के लिए प्रत्यक्ष प्रतीक के रूप में वैधानिक कानून का चयन किया है। वैधानिक कानून सम्बन्धित समाज के सदस्यों के पारस्परिक सम्बन्धों को व्यक्त करते हैं। दुखीम ने समीकरण दिया है कि मदस्यों में जितने अधिक घनिष्ठ सम्बन्ध होगे उनके समूह में उतनी ही अधिक एकता होगी। आपने ये भी लिखा है कि कानूनी-व्यवस्था का रूप सामाजिक एकता को व्यक्त करता है। कानून वाहरी लक्षण है जिसको मापा जा सकता है। आपके अनुसार कानून और सामाजिक एकता सीधे सम्बन्धित हैं। किसी भाषाज में जिस प्रकार की सामाजिक एकता होगी उसी प्रकार की उस समाज में कानून व्यवस्था भी होगी। दुखीम ने कानून का वर्गीकरण किया है। साथ-साथ सामाजिक एकता का भी वर्गीकरण किया है। इनपे पारस्पर सह-सम्बन्ध का अध्ययन करके स्पष्ट किया है कि जितने प्रकार की कानून व्यवस्था होती है उतने ही सामाजिक एकता के प्रकार भी होते हैं। समाज के कानून की माप ही समाज की एकता की माप है।

दुखीम ने कानून के प्रमुख दो प्रकार—(1) दमनकारी कानून तथा (2) प्रतिकारी कानून बताए हैं। कानून के प्रकारों से सम्बन्धित द्रमशः एकता के भी दो प्रकार बताए हैं—(1) यांत्रिक एकता और (2) सावधानी एकता। ये पारस्पर सम्बन्धित हैं। इन्हें अग्र चित्र द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है।



1. दमनकारी कानून एवं यांत्रिक एकता (Repressive Law and Mechanical Solidarity)—दुखीम ने लिखा है कि जिस भाषाज में दमनकारी कानून होते हैं वहाँ पर सामाजिक

एकता का प्रकार यांत्रिक होता है। इनमें आपने निम्न पारस्पर सम्बन्ध बताया है। आपका कहना है कि दमनकारी कानून वे सार्वजनिक कानून होते हैं जो व्यक्ति एवं समाज के पारस्परिक सम्बन्धों को व्यवस्थित रखते हैं। इस कानून व्यवस्था में समाज तत्त्व समूह के हितों का विशेष ध्यान रखा जाता है। दुर्खीम ने दमनकारी कानून के दो प्रकार बताए हैं। (i) दण्डकारी कानून (Penal Law) वा कार्य समाज में कष्ट देने, नुकसान या हानि पहुँचाने, हत्या बरने तथा स्वतन्त्रता आदि का हनन करना है। ये कानून यात्रिक एकता वाले समाजों में पाये जाते हैं। (ii) व्याप्त कानून (Diffused Law) नैतिकता के आधार पर सम्पूर्ण समाज में व्याप्त होते हैं।

दुर्खीम ने कहा है कि समाज में जैसी कानून व्यवस्था होती है उसी के अनुसार समाज में सामाजिक एकता का प्रकार भी होता है। इसी नियम के अनुसार आपने बताया कि जिस समाज में दमनकारी कानून व्यवस्था होती है उन समाजों में सामाजिक एकता का प्रकार यात्रिक एकता का होता है। दमनकारी कानून व्यवस्था वाले समाजों की जीवन शैली विचारों, विश्वासों आदि में समानता मिलती है। ऐसे समाजों में सामूदायिक सम्पत्ति, परम्परा का प्रभुत्व तथा जनमत में एकरूपता आदि मिलती है। ये सभी लक्षण दमनकारी कानून तथा यात्रिक एकता को प्रकट करते हैं।

**2. प्रतिकारी कानून एवं सावधानी एकता (Restorative Law and Organic Solidarity)**—दुर्खीम ने कानून का दूसरा प्रकार प्रतिकारी कानून बताया है। प्रतिकारी कानून वह कानून है जो समाज के सदस्यों के सम्बन्धों पे उत्पन्न असन्तुलन को सामान्य स्थिति प्रदान करता है। यह सामूहिक हित की रक्षा करने के लिए नहीं होता है यद्यपि यह स्थिति को सामान्य रखने वा प्रयास करता है। इस प्रतिकारी कानून के कई उप प्रकार हैं, जैसे—दीवानी कानून, व्यावसायिक कानून, संवैधानिक कानून, प्रशासनिक कानून आदि। प्रतिकारी कानून जिस समाज में होता है उन समाजों में सावधानी एकता होती है। प्रतिकारी कानून श्रम-विभाजन और विभिन्नताओं से सम्बन्धित होता है। इस प्रकार श्रम विभाजन सावधानी एकता का स्रोत है। दुर्खीम ने दोनों प्रकार के कानूनों के साथ-साथ यात्रिक एकता एवं सावधानी एकता की विवेचना की है जो अग्रलिखित है।

### यांत्रिक-एकता

#### (Mechanical Solidarity)

दुर्खीम ने प्रथम प्रकार की एकता को 'यांत्रिक एकता' कहा है जो प्राचीन, सरल, सादे, छोटे, अविकसित, आदिम और पिछड़े समाजों में पाई जाती है। इन समाजों के सदस्यों में सभी क्षेत्रों में समानताएँ पाई जाती हैं जो सामाजिक एकता का आधार होती है। ये समाज आकार में छोटे होते हैं। अर्थात् इनकी जनसंख्या एवं जनसत्त्व का घनत्व बहुत कम होता है। ये छोटे-से भौगोलिक क्षेत्र धैर्य वाले बसे होते हैं। इनकी आवश्यकताएँ बहुत सीमित होती हैं तथा एक जैसी होती हैं। व्यक्ति का व्यक्तित्व स्वतन्त्र नहीं होता है। वह समूह के व्यक्तित्व में भुल मिल जाते हैं। इनमें एकता का कारण सभी क्षेत्रों में एकरूपता का होता है। इसलिए दुर्खीम ने एकरूपता पर आधारित

एकता को यांत्रिक एकता बताया है। इन समाजों में श्रम के विभाजन के अभाव अथवा न्यूनतम या अल्प होने के कारण विभिन्न श्रेणीों में एकरूपता होती है।

**यांत्रिक एकता की विशेषताएँ (Characteristics of Mechanical Solidarity)**—दुर्गीमने श्रम के विभाजन के अभाव अथवा अल्पता के कारण इन आदिम समाजों को यांत्रिक एकता की जो विशेषताएँ बताई हैं उन्हें निम्नान्वित शीर्षकों के अन्तर्गत क्रमबद्ध तथा व्यवस्थित रूप में देखा जा सकता है।

**1. मानवव्यवहार और मनोविज्ञान (Human Behaviour and Psychology)**—यांत्रिक एकता वाले आदिम समाजों के व्यक्तियों की मानसिक, नैतिक और सामाजिक घटनाओं के क्षेत्रों में एकरूपता व्याप्त होती है। उनके विश्वास, भारणाएँ, पत, तर्गें, व्यवहार आदि- आदि मय कुछ एक जैसे होते हैं। दुर्गीमने लिखा है कि इन यांत्रिक एकता वाले समाजों के व्यक्तियों में भिन्नता केवल आनुवांशिकता के कारण होती है। इन आदिम समाजों में परम्परा का प्रभुत्व होता है। वैयक्तिकता और व्यक्तिगत का पूर्णतः अभाव पाया जाता है।

**2. कानून, नैतिकता और सामाजिक नियन्त्रण (Law, Morality and Social Control)**—दुर्गीम का मत है कि यांत्रिक एकता का आधार सामाजिक अन्तर्विवेक और सामाजिक चेतना की एकरूपता होती है। यह शक्तिशाली, सर्वसम्मत तथा अव्यक्तिगती होती है। सामाजिक नियन्त्रण का उद्देश्य समूह के नैतिक मूल्यों तथा नैतिक अन्तर्विवेक को पुनः स्थापित करना होता है। न्याय का उद्देश्य भी यही होता है तथा यह अपराधी द्वारा क्षतिग्रस्ता की शक्ति पूर्ति नहीं करवाना है।

**3. एकात्मता और सामाजिक बन्धन (Solidarity and Social Ties)**—इन समाजों में जनसंख्या के अल्प होने तथा श्रम-विभाजन की अल्पता के फलस्वरूप इनमें यांत्रिक एकता मिलती है। यह व्यक्तियों को सादृश्यता या साजातीयता पर आधारित होती है। बन्धन जो इनमें एक सुदृढ़ एकता में बांधते हैं, वे सशक्त जनसत्ता की सर्व-सम्मति होती है। यह भी व्यक्तियों की मानसिक और नैतिक एकरूपता पर आधारित होती है।

**4. राजनैतिक शासन-प्रणाली (Political Regime)**—इन समाजों में सभी महत्वपूर्ण न्याय के कार्य तथा सामाजिक मामले सारा समाज मिलकर निपटता है। शासन करना, नियम बनाना आदि कार्य मध्यूर्ण समूह अपने सदस्यों को सार्वजनिक मध्य में मिलकर छारते हैं। यह पंचायत के रूप में संगठित होते हैं। समाज का कोई भी भागला व्यक्तिगत नहीं होता है। उसकी चर्चा तथा मामले का निर्णय मामूलिक रूप से तय किया जाता है।

**5. आर्थिक संगठन (Economic Organisation)**—इनकी आर्थिकी संभरणात्मक होती है। व्यक्ति भुक्तिकर से ही अपनी आवश्यक आवश्यकताएँ—भोजन, धन और आवास वी पूर्ति कर पाता है। सम्पत्ति मामूलिक होती है। विशेषोकरण का अभाव होता है। उत्पादन में श्रम के विभाजन का अभाव होता है। सभी परिवार अपनी आवश्यकता और वी पूर्ति के लिए सभी कार्य करते हैं। वर्ग नहीं होते हैं। सभी समान होते हैं। पालिक-मजदूर के सम्बन्ध नहीं मिलते हैं। सम्पत्ति सामुदायिक होती है।

**6. धर्म एवं विचारधारा (Religion and Ideology)**—दुर्खीम ने निष्कर्ष प्रस्तुत किया कि इन आदिम समाजों में यात्रिक एकता का मुख्य कारण धर्म एवं इनकी विचारधारा है। इन समाजों के लोग अवैयक्तिक टोटेम शक्तियों में विश्वास करते हैं। ये सामूहिक होती हैं। टोटेम व्यक्तित्व और वैयक्तिकता से स्वतन्त्र होती है। इनमें स्थानीय एवं जनजातीय भक्तिवाद मिलता है। सदस्यों में वैयक्तिकता का अभाव होता है। इसे पवित्र शक्ति में विश्वास तथा अभिव्यक्ति में देखा जा सकता है।

दुर्खीम के अनुसार यात्रिक एकता और दमनकारी कानून में परस्पर गम्भीर हैं। आपने इनके परस्पर सम्बन्धों की व्याख्या की है जिसमें 'अपराध' 'दण्ड', और 'सामूहिक चेतना' पर अलग से प्रकाश ढाला है। आदिम समाजों में दमनकारी कानून का प्रभुत्व होता है और उनमें यात्रिक एकता होती है। इसी सन्दर्भ में दुर्खीम ने अपराध तथा दण्ड को निम्न व्याख्या प्रस्तुत की है—

**1. अपराध (Crime)**—दुर्खीम ने अपराध की व्याख्या करते हुए लिखा है कि सभी समाजों में अपराध के लिए दण्ड दिया जाता है। अपराध को सामूहिक चेतना का उल्लंघन माना जाता है। इसे सामाजिक नैतिकता के विरुद्ध आचरण माना जाता है। यात्रिक एकता याले समाजों में अपराध का निर्धारण दमनकारी कानून व्यवस्था के द्वारा किया जाता है। इन कानूनों के पीछे समूह की मान्यता होती है। दुर्खीम ने इन समाजों में अपराध किसे बहते हे? यह समझाया ह। आपका कहना है कि ये लोग अपराध उन कार्यों को मानते हैं जिसे समूह के सदस्य अनुचित समझते हैं तथा वे कार्य जो सामूहिक भावना को चोट पहुँचाते हैं। आपने निम्न शब्दों में अपराध की परिभाषा दी है—

“एक क्रिया अपराध है, जब वह सामान्य अन्तर्विवेक की शक्तिशाली और निश्चित अवस्थाओं पर आघात करती है।”

दुर्खीम के अनुसार सामूहिक चेतना, सामूहिक भावना, सामूहिक अन्तर्विवेक आदि के विरुद्ध कोई भी असामाजिक क्रिया अथवा कृत्य अपराध है।

**2. दण्ड (Punishment)**—जब कोई व्यक्ति समाज-विरोधी कार्य करता है तो समाज उसे दण्ड देता है। दुर्खीम का भत है कि दण्ड का उद्देश्य प्रतिशोध लेना है। अपराध को यो भी परिभाषित किया जा सकता है कि जिस कार्य के लिए समाज दण्ड देता है वहीं कार्य अपराध कहलाता है। जब व्यक्ति समाज के मूल्यों या समाजसम्बन्ध नियमों अथवा अपेक्षित व्यवहार का उल्लंघन करता है तो वह दण्डनीय कार्य है जिसकी समाज कभी भी स्वीकृति नहीं देता है बल्कि प्रतिशोध लेता है, जो दण्ड का रूप ले लेता है। आदिम समाजों में दण्ड का उद्देश्य समाज के मूल्यों को पुनः स्थापित करना तथा अपराधी को कुचलना है। अपराध तथा अपराधी दोनों का दमन करना है।

दुर्खीम ने अपराध के विपर्णकारी कार्यों के अतिरिक्त उसके अप्रत्यक्ष संगठनात्मक कर्मों पर भी प्रकाश ढाला है। आपका कहना है कि अपराध की उपयोगिता यह है कि इसके विरुद्ध समूह के लोग समर्थित होकर इसका विरोध करते हैं। लोगों में मानसिक एकता शक्तिशाली हो जाती है। दुर्खीम ने लिखा है, “अपराध उत्तेजित अन्तर्विवेक को एक-दूसरे के निकट ला देता है और उन्हें एकाग्र कर देता है।” दण्ड सामूहिक अन्तर्विवेक को पुष्ट करता है। दण्ड के

द्वारा सामूहिक चेतना तथा सामाजिक व्यवस्था गुन; स्थापित होती है। उसे बल मिलता है। दृग्भाँड़ की कानून के विरुद्ध वार्ष करने को हिम्मत नहीं होती है। दुखीम ने यात्रिक एकता तथा दमनकारी कानून के घनिष्ठ सम्बन्धों को निम्न शब्दों में व्यक्त किया है, “एक ऐसी सामाजिक एकता का अस्तित्व है जो अन्तर्विवेक की उन निश्चित अवस्थाओं में से उत्पन्न होती है जो किसी समाज के सदस्यों के लिए सामान्य हैं। इसी को वास्तव में दमनकारी कानून व्यक्त करता है, कम-से-कम उस मोमा तक जहाँ तक कि यह अनिवार्य है।”

इसी को दुखीम यात्रिक एकता कहते हैं जो दमनकारी कानून से मन्दिरित है। आपने दगनकारी कानून के विल्कुल विपरीत प्रतिकारी कानून बताया है तथा यात्रिक एकता से विल्कुल भिन्न सावधानी एकता को प्रतिपादित किया है जिसकी विवेचना प्रस्तुत है।

### सावधानी एकता (Organic Solidarity)

दुखीम ने द्वितीय प्रकार की एकता को ‘सावधानी एकता’ कहा है जो यात्रिक एकता में विल्कुल विपरीत होती है। यह सावधानी एकता जटिल, विकसित, आधुनिक और प्रौद्योगिक समाजों में विद्यमान होती है, जैसे—नगर, महानगर, ऑटोगिक केन्द्र आदि। इन समाजों के सदस्यों में मार्गी थेट्रों में विभिन्नताएँ पाई जाती हैं तथा प्रतिकारी कानून व्यवस्था मिलती है। इन समाजों में भिन्नता का वारण श्रम-विभाजन और विशेषीकरण वा होना है। ये सावधानी एकता वाले समाज आवार में बड़े होते हैं। इनकी जनसंख्या तथा जनसंख्या का प्रत्यक्ष यात्रिक एकता वाले समाजों की तुलना में बहुत अधिक होता है। ये बड़े भौगोलिक क्षेत्र में बसे होते हैं। इन समाजों के सदस्यों की आवश्यकताएँ बहुत अधिक होती हैं तथा भिन्न-भिन्न होती हैं। सभी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक-दूसरे पर निर्भर होते हैं। व्यक्तियों का स्वतन्त्र व्यक्तित्व होता है। इसमें सामूहिक भावना, सामूहिक चेतना आदि का प्रभाव कम हो जाता है। विभिन्न व्यक्ति एक-दूसरे से अप्रत्यक्ष रूप से परस्पर निर्भर और सम्बन्धित होते हैं।

दुखीम का मत है कि यात्रिक एकता से सावधानी एकता का विकास निम्न क्रम में होता है। जब जनसंख्या बढ़ती है तो समाज के सदस्यों में श्रम-विभाजन होता है। श्रम-विभाजन सदस्यों के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए आवश्यक हो जाता है। श्रम-विभाजन के फलावहण भिन्न-भिन्न व्यक्ति भिन्न-भिन्न कार्य करते हैं। जो जिस कार्य को चार-चार करता है तो वह उस कार्य को करने में दक्ष हो जाता है। समाज में विशेषीकरण का विकास होता है। व्यक्ति समाज के सदस्यों की किसी एक आवश्यकता की पूर्ति के लिए कार्य करता है तथा अपनी अन्य सभी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए समाज के दूसरे सदस्यों पर निर्भर रहता है। इससे सभी सदस्यों की एक-दूसरे पर निर्भरता बढ़ जाती है। दुखीम ने लिखा है कि यही निर्भरता सदस्यों को परस्पर एक-दूसरे से सहयोग करने के लिए आवश्यक है। यह सहयोग ही जटिल समाजों में सावधानी एकता पैदा करता है। इसे निम्न उदाहरण द्वारा भी समझाया जा सकता है। यह विशिष्ट प्रकार की सावधानी एकता जटिल जीव-प्राणियों के शरीर के विभिन्न अंगों में मिलती है। जीवों के बने रहने तथा जीवित रहने के लिए विभिन्न अंगों में श्रम-विभाजन, विशेषीकरण, निर्भरता तथा सहयोग मिलता है। शरीर

के विभिन्न अग—आँख, नाक, मुँह, पेट, सिर, फैफड़े दिल तथा पैर आदि शरीर के लिए विशिष्ट कार्य करते हैं। सम्पूर्ण शरीर इन विभिन्न अगों पर निर्भर करता है तथा प्रत्येक अग सम्पूर्ण शरीर पर तथा परस्पर एक-दूसरे पर आश्रित रहता है। यह सावधानी एकता कहसाती है। दुखीौम उन समाजों की एकता को सावधानी एकता कहते हैं, जिनमें श्रम-विभाजन, विशेषीकरण, निर्भरता तथा सहयोग के गुण मिलते हैं। आपने समाज की सावधानी एकता को स्पष्ट करने के लिए उसकी विशेषताओं का वर्णन किया है, जो अग्रलिखित हैं—

### सावधानी एकता की विशेषताएँ (Characteristics of Organic Solidarity)

1. मानव व्यवहार और मनोविज्ञान (Human Behaviour and Psychology)—सावधानी एकता वाले जटिल समाजों में व्यक्तियों की मानसिक, नैतिक और सामाजिक एकरूपता का लोप हो जाता है। समाज के सदस्यों की वैयक्तिकता और विशिष्टता में बृद्धि हो जाती है। उनके विश्वास, धारणाएँ, मत, तरीके, पसंद, नैतिकता में कम-से-कम समानता भाई जाती है। दुखीौम के अनुसार इस वैयक्तिकता का कारण श्रम-विभाजन है। विशेषीकरण के कारण परम्पराओं में कभी आ जाती है। व्यक्तियों की भूमिका तथा प्रस्थिति के निर्धारण में अनुवाशिकता का महत्व बहुत कम हो जाता है। समाज में प्रस्थिति प्रदत्त से अनिंत में परिवर्तित हो जाती है। व्यवसाय और सामाजिक स्थिति पिता से पुत्र को हस्तान्तरित करने तथा जाति के प्रतिबन्धों में परिवर्तन हो जाता है। परम्परागत बन्धन टूट जाते हैं। उनको तोड़ने में श्रम विभाजन सहायक सिद्ध होता है।

2. कानून, नैतिकता और सामाजिक नियन्त्रण (Law, Morality and Social Control)—दुखीौम का भत है कि श्रम-विभाजन के प्रभाव से सार्वजनिक तथा सामाजिक चेतना तथा सामाजिक अन्तर्विवेक की एकरूपता में कभी आ जाती है। अपराधी क्रियाओं को अब समाज-विरोधी नहीं माना जाकर केवल व्यक्ति की हानि समझा जाने लगता है। समाज के सदस्यों में धार्मिक लक्षणों, विचारों, विश्वासों में कभी आने साग जाती है। कानून में दमनात्मक लक्षणों में दिन-प्रतिदिन कमी आती है। अब सम्पूर्ण सूयू के नैतिक अन्तर्विवेक तथा चेतनता को दण्ड के द्वारा पुनः स्थापित करने पर जोर नहीं दिया जाता है। इसके परिणामस्वरूप दमनात्मक दण्ड में कभी आ जाती है। अब अपराधी के बल हानि पहुँचने वाले व्यक्ति की हानि की पूर्ति करता है। सामाजिक नियन्त्रण, सामूहिक उत्तरदायित्व के दृष्टिकोण शिथित हो जाते हैं। इनकी कठोरता में कमी आ जाती है। परिवर्तन के फलस्वरूप केवल कुछ सार्वजनिक क्षेत्रों के व्यवहार ही निश्चित रह जाते हैं। अन्य क्षेत्रों में, विशेष रूप से निजी क्षेत्रों में, प्रत्येक सदस्य को इच्छानुसार व्यवहार करने की स्वतन्त्रता होती है। वैयक्तिक स्वतन्त्रता में अपार बृद्धि हो जाती है। इसके परिणामस्वरूप समझौते के कानून में भी बृद्धि हो जाती है। विभिन्न व्यक्ति परस्पर सम्बन्धों को स्वतन्त्र सविदा या समझौते के अनुसार स्थापित करते हैं।

3 एकात्मकता और सामाजिक बन्धन (Solidarity and Social Ties)— दुखीौम लिखते हैं कि सावधानी एकता वाले समाज में व्यक्तियों में एकरूपता तथा सजातीयता विद्यमान नहीं होती है। इसलिए एकरूपता पर आधारित सामाजिक एकता तथा सामाजिक बन्धन भी शिथित हो जाते हैं। सामाजिक बन्धन की भूमिका एकरूपता नहीं निभाती है। आप लिखते हैं कि आगर

समाज में इन व्यवस्थों को निभाने की भूमिका को दूसरा नहीं लेता है तो, समाज में अव्यवस्था फैल सकती है। समृद्ध की एकता नहीं हो जाती है। दुर्घट्टाम के अनुसार श्रम-विभाजन ही वह नया व्यवस्था है, जो व्यक्तियों में एकता बनाये रखने की भूमिका निभाता है। अब समृद्ध की मुद्राद़ एकता का आधार व्यक्तियों की पारस्परिक निर्भरता है। यह श्रम के विभाजन का परिणाम ही है जिसके कारण विशेषीकरण में वृद्धि होती है। प्रत्येक को एक दूसरे की आवश्यकता होती है। क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति के बीच एक विशिष्ट कार्य ही सम्पन्न करता है। कार्य सभी के सहयोग से सम्पन्न होते हैं। इसलिए सभी परम्परा महायोग करते हैं। दुर्घट्टाम का मत है कि इस प्रकार में श्रम विभाजन के परिणामस्थल परम्परा गांत्रिक एकता का रूपान्तरण साक्षयोगी एकता में हो जाता है।

**4. राजनीतिक शासन-प्रणाली (Political Regime)**—साक्षयोगी एकता वाले समाजों की एक विशेषता यह भी है कि इनमें राजनीतिक कार्यों पर विशेषीकरण हो जाता है। न्यायपालिका, कार्यपालिका तथा व्यवस्थापिका के द्वारा विभिन्न राजनीतिक कार्यों को सम्पन्न किया जाता है। अब राजनीतिक पद पिता से पुत्र को वंशानुगत के रूप में हस्तान्तरित नहीं होते हैं। वंशानुगत राजनीतिक पदों की प्रवृत्ति में कमी आ जाती है। भारका तथा नागरिकों के पारस्परिक सम्बन्ध समझातों के अनुसार निर्धारित होते हैं। सारांशतः कहा जा सकता है कि अब सार्वजनिक सभा में समृद्ध के सभी सदस्य राजनीतिक कार्यों को मिलकर नहीं करते हैं। सम्पूर्ण राजनीतिक व्यवस्था औपचारिक स्वरूप में विफलित हो जाती है जो साक्षयोगी एकता वाले समाज की विशिष्टता है।

**5. आर्थिक संगठन (Economic Organisation)**—साक्षयोगी एकता की विशेषता सम्भरणात्मक आर्थिकी से आर्थिकी अधिरोप में परिवर्तन होना भी है। इसे व्यती की आर्थिकी भी कहते हैं। परम्परागत व्यवसायों के महत्व में कमी आ जाती है। व्यक्तिगत सम्पत्ति का महत्व घट जाता है। आर्थिक व्यक्तिवाद में वृद्धि हो जाती है। 'चन्द-अर्थ-व्यवस्था' के स्थान पर 'खुली अर्थ-व्यवस्था' का विकास हो जाता है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति अपनों इच्छानुसार योग्यता, कार्य-कुशलता, ईशानदारी के आधार पर कोई भी व्यवसाय कर सकता है। दुर्घट्टाम ने लिखा है कि श्रम-विभाजन के कारण वंशानुगत सामाजिक प्रस्थिति तथा वंशानुगत विशिष्ट क्षमताओं का हास हो जाता है।

**6. धर्म एवं विचारधारा (Religion and Ideology)**—श्रम-विभाजन का प्रभाव धर्म तथा विचारधारा की अनेक विशेषताओं पर पड़ता है। इनमें अनेक परिवर्तन दृष्टिगोर्गत होते हैं। वहु-ईश्वरवाद तथा एक ईश्वरवाद का संक्रमण हो जाता है। इन महानगरीय तथा जटिल समाजों में ईश्वर का वैयक्तिकीकरण तथा निजीकरण हो जाता है। धर्म का शेष भी लानु से घृद हो जाता है तथा धर्म का सार्वभौमिकरण हो जाता है। जनजातीय समाजों में विद्यमान स्थानीय तथा जनजातीय भक्तिवाद का हास हो जाता है। समाज के स्थानीय भार्मिक विश्वासों का स्थान विश्ववाद तथा अन्तर्राष्ट्रीयवाद ले लेता है। इस प्रकार विचारधारा में विश्व के स्तर की भावनाओं का विकास हो जाता है।

## यांत्रिक एकता एवं सावधानी एकता में अन्तर (Difference between Mechanical Solidarity and Organic Solidarity)

इमाइल दुर्खीम ने लिखा है कि जिन समाजों में श्रम के विभाजन का अभाव अथवा अल्पता होती है, उन समाजों में यांत्रिक एकता होती है। श्रम-विभाजन की इस कमी के प्रभाव उन समाजों के विभिन्न क्षेत्रों पर पड़ते हैं। इसी प्रकार आपका कहना है कि समय के साथ साथ श्रम का विभाजन बढ़ता है, इसमें बृद्धि होती है। आप आगे लिखते हैं कि यह एक ऐतिहासिक प्रवृत्ति और प्रक्रिया है। जब श्रम का विभाजन अधिक हो जाता है तब सावधानी एकता का विकास हो जाता है। श्रम विभाजन के प्रभाव समाज के विभिन्न क्षेत्रों पर पड़ते हैं। दुर्खीम का मानना है कि सामाजिक जीवन का आधार सामाजिक एकता है। यह एक नैतिक तथा परिवर्तनशील सामाजिक तथ्य है। यह दो प्रकार की होती है, जिसकी विस्तार से विवेचना उपर्युक्त पृष्ठों में की जा चुकी है। दुर्खीम के अनुसार यांत्रिक एकता तथा सावधानी एकता में सामाजिक घटनाओं और क्षेत्रों में अप्रलिखित अन्तर मिलते हैं, जो सलान चार्ट द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है—

अन्तर के आधार	यांत्रिक एकता (श्रम-विभाजन का अभाव या अल्पता)	सावधानी एकता (श्रम-विभाजन की अधिकता)
1. भानव व्यवहार और मनोविज्ञान	व्यक्तियों की मानसिक, नैतिक और सामाजिक एक-रूपता। उनके विश्वास, धारणाएं, मत, तरीके, व्यवहार आदि-आदि एक जैसे होते हैं। भिन्नता केवल आनुवंशिकता के कारण होती है। परम्परा का प्रभुत्व, वैयक्तिकता और व्यक्तिवाद का अभाव।	व्यक्तियों की मानसिक, नैतिक और सामाजिक एकरूपता का लोप। उनकी वैयक्तिकता और विशिष्टता में बृद्धि। उनकी पसन्द, विश्वास, मत, नैतिकता में कम से-कम समानता। श्रम का विशेषी-करण वैयक्तिकता का कारण। विशेषीकरण से परम्पराओं में कमी। आनुवंशिकता भूमिका के निर्धारण में कम-से-कम महत्वपूर्ण। यह व्यवसाय और सामाजिक स्थिति को पिता से पुत्र को हस्तान्तरित करने तथा जाति के बन्धनों को तोड़ने में सहायक होते हैं।

<p><b>2. कानून, नीतिकता और सामाजिक नियन्त्रण</b></p>	<p>सामाजिक अन्तर्विवेक और सामाजिक चेतना की एकहस्ता का आधार है जो शक्तिशाली, मर्वसम्मत तथा अव्यक्तिवादी है। अपराध वह क्रिया है जो शक्तिशाली तथा गहरी सामाजिक अन्तर्विवेक के विरुद्ध है तथा इसके लिए कठोर दमन आवश्यक है। फॉजिदारी कानून-दमन और दण्ड का प्रभुत्व दीवानी कानून पर होता है। न्याय का उद्दरण समूह के नीतिक अन्तर्विवेक को पुनःस्थापित करना होता है न कि अपराधी द्वारा शक्ति ग्रस्त की शक्ति-पूर्ति करना।</p>	<p>सार्वजनिक तथा सामाजिक चेतना तथा अन्तर्विवेक में कमी। आपराधी के विरोध में कमी होना जिससे राष्ट्रान्य सामाजिक अन्तर्विवेक में भी कमी। अपराधी क्रियाओं को केवल यद्यप्तों को हानि ममझना। उनमें भार्तीक लक्षणों की गिरावट। इसके फलस्वरूप कानून में दमनात्मक लक्षणों की दिन प्रतिदिन कमी होना। अब सम्पूर्ण समूह के नीतिक अन्तर्विवेक को दण्ड द्वारा पुनःस्थापित करने की आवश्यकता नहीं होने के बारें दण्ड में भी कमी। अपराधी केवल शक्तिग्रस्त की हानि की पूर्ति करता है। सामाजिक नियन्त्रण न्यून कठोर तथा अधिक शिथिल। केवल कुछ सार्वजनिक क्षेत्रों के व्यवहार निश्चित। अन्य क्षेत्रों में प्रत्येक को इच्छानुसार व्यवहार की स्वतंत्रता। वैयक्तिक स्वतंत्रता और संविदा कानून में वृद्धि तथा सम्बन्धों का आधार पक्षों में स्वतंत्र संविदा का होना।</p>
<p><b>3. एकात्म- कता और सामाजिक व्यव्यवहार</b></p>	<p>“यांत्रिक एकात्मकता” व्यक्तियों की सादृश्यता (सजातीयता) पर आधारित होती है। ये व्यव्यवहार जो इनको एक सुदृढ़ एकता में बौधते हैं, यही सरकार जनपत की सर्वेसम्मति होती है जो व्यक्तियों की मानसिक और नीतिक एकरूपता पर आधारित होते हैं।</p>	<p>व्यांत्रिक व्यक्तियों में अब सजातीयताविद्यमान नहीं होती है इसलिए वह अब सामाजिक व्यव्यवहार की भूमिका नहीं निभाती है। अगर समाज में कोई नया व्यव्यवहार नहीं होता तो समूह की एकता भी नष्ट हो जाती। त्रैम का विभाजन ही वह नया व्यव्यवहार है। अब समूह की सुदृढ़ एकता का आपार विजातीय व्यक्तियों की अनात्म-निर्भरता है, जो श्रम के विभाजन का परिणाम है। प्रत्येक को एक-दूसरे की आवश्यकता है और यिनी सहयोग के उनका जीवा असम्भव क्योंकि हर कोई काम का केवल एक विशिष्ट कार्य ही करता है। इस प्रकार से यांत्रिक एकता का हमालरण जैविक एकता में ही हो जाता है।</p>

4 राजनैतिक शासन-प्रणाली	सभी महत्वपूर्ण सामाजिक मामले एवं न्याय के कार्य, जैसे—नियम बनाना, शासन करना आदि सम्पूर्ण समूह द्वारा अपने सदस्यों की सार्वजनिक सभा में किये जाते हैं।	राजनैतिक कार्यों का विशेषीकरण, वशानुगत राजनैतिक पदों की प्रवृत्ति में कमी। सरकार तथा नागरिकों के मध्यमें के सम्बन्ध।
5 अर्थिक संगठन	सामुदायिक सम्पत्ति।	यक्तिगत सम्पत्ति, अर्थिक व्यक्तिवाद, सविदागत सहयोग, "खुली अर्थव्यवस्था" प्रणाली जिसमें प्रत्येक कोई भी व्यवसाय कर सकता है। श्रम के विभाजन के कारण वशानुगत सामाजिक प्रस्थिति तथा वशानुगत विशिष्ट क्षमताओं का हास।
6. धर्म एवं विचारधारा	अवैयक्तिक टोटेम शक्तियों में विश्वास जो व्यक्तित्व या वैयक्तिकता से स्वतन्त्र होती है। सदस्यों में वैयक्तिकता का अभाव होता है जो पवित्र शक्ति में वैयक्तिकता के अभाव के द्वारा अभिव्यक्त होता है। स्थानीय एवं जनजातीय भक्तिवाद का हास और विश्ववाद या अन्तर्राष्ट्रीयवाद में वृद्धि।	बहु-ईश्वरवाद तथा एक ईश्वरवाद का सक्रमण। ईश्वर का वैयक्तिकीकरण तथा निजोकरण के साथ-साथ धर्म का सार्वभौमिकोकरण। स्थानीय एवं जनजातीय भक्तिवाद का हास और विश्ववाद या अन्तर्राष्ट्रीयवाद में वृद्धि।

**स्रोत :** पिटिरिम सोरोकिन : कॉनेम्पोरेरी सोशियोलॉजिकल थोरिज, पृ. 468-470  
पूर्वोक्त तालिका में वर्णित अन्तरों को निम्नलिखित रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है—

1. **श्रम-विभाजन (Division of Labour)**—यात्रिक एकता वाले समाज में श्रम-विभाजन का अभाव होता है अथवा यह अल्प मात्रा में होता है, जबकि सावधवी एकता में समय के साथ-साथ श्रम का विभाजन बढ़ता जाता है। यह एक ऐतिहासिक प्रवृत्ति और प्रक्रिया है, जिसके परिणामस्वरूप अन्य सभी क्षेत्रों में विकास और प्रभावों में वृद्धि होती है।

2. **विशेषीकरण (Specialization)**—यात्रिक एकता वाले समाज में विशेषीकरण का अभाव अथवा अल्पता होती है। सावधवी एकता में विशेषीकरण अधिक होता है जो श्रम-विभाजन के कारण विकसित होता है।

3. **निर्भरता (Interdependence)**—यात्रिक एकता वाले समाज में व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं के सम्बन्ध में आत्म-निर्भर होते हैं, सावधवी एकता समाज में आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक-दूसरे पर निर्भर होते हैं।

**4. एकता का आधार (Basis of Solidarity)**—यांत्रिक वाले समाज एकता का आधार समाज के सदस्यों की सभी देशों में समरूपता या एकस्तपता है, जबकि साववयवी एकता का आधार विशेषीकरण और निर्भरता पर आधारित सहगोग जिसके द्वारा अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर गाते हैं। यांत्रिक एकता का आधार समरूपता है तथा साववयवी एकता का आधार विशिष्टता तथा भिन्नता है।

**5. कानून (Law)**—यांत्रिक एकता में दमनकारी कानून का प्रभुत्व होता है तथा माववयवी एकता समाज में प्रतिकारी कानून का। दमनकारी कानून सामृहिक चेतना को पुनःशारीरिक करता है। प्रतिकारी कानून शतिग्रस्त की हानि को पूर्ण करवाता है।

**6. व्यक्ति के समाज से सम्बन्ध (Relation of Man with Society)**—यांत्रिक एकता वाले समाज में व्यक्ति का समाज से सीधा सम्बन्ध होता है तथा समाज के उद्देश्यों, भूल्यों, चेतना, प्रतिनिधान, विचारधारा से भी व्यक्ति का सीधा व प्रत्यक्ष सम्बन्ध होता है। व्यक्ति अपनी क्रियाओं में समाज का प्रत्यक्ष ध्यान रखता है। साववयवी एकता में व्यक्ति और समाज में परस्पर सम्बन्ध प्रत्यक्ष न होकर अप्रत्यक्ष होता है। विशेषीकरण के परिणामस्वरूप विभिन्न व्यक्ति एक-दूसरे पर निर्भर होते हैं।

**7. व्यक्ति का विकास (Development of the Individual)**—यांत्रिक एकता वाले समाज में व्यक्ति का अस्तित्व महत्वपूर्ण नहीं होता है। व्यक्ति के विकास में यह एकता वापक होती है। परस्पराएँ, रूढ़ियाँ, सामान्य भावनाएँ आदि व्यक्ति पर पूर्ण नियन्त्रण रखती हैं। व्यक्ति अपना जीवन समाज के लिए जीता है। साववयवी एकता वाले समाज में व्यक्ति पूर्ण स्वतन्त्र होता है। वह जैसे चाहे थैसे विकास कर सकता है। व्यक्तित्व के गुणों को महत्व दिया जाता है।

**8. सादृश्यता (Analogy)**—दुर्दीप ने यांत्रिक एकता को असाववयवी या वस्तु तथा साववयवी एकता को जीवों के समान माना है। आपका कहना है कि जिस प्रकार से असाववयवी और अचेतन वस्तुओं की संरचना तथा संगठन का निर्माण विभिन्न लेकिन एक-से तत्त्वों के परस्पर एक-दूसरे में पुल-पिल जाने पर होता है। इन निर्जीव तत्त्वों का स्वतन्त्र अस्तित्व नहीं होता है। श्रम-विभाजन नहीं होता है। उनमें क्रिया साथ-साथ होती है। उसी के सादृश्य पर यांत्रिक एकता वाले सामाजिक संगठन में सभी सदस्य घुले-मिले होते हैं। उनका स्वतन्त्र अस्तित्व नहीं होता है। ये सब एक-से होते हैं। उनमें श्रम-विभाजन तथा विशेषीकरण नहीं होता है।

**9. अपराध (Crime)**—यांत्रिक एवं साववयवी एकता में एक बड़ा अन्दर अपराधों के स्वरूप गाथा अपराधों को संख्या में मिलता है। यांत्रिक एकता-अपराधों के प्रकार अधिक होते हैं। व्यक्ति के समाजसम्मत आचरण से मामूली अलगाव भी अपराध माना जाता है। इनमें अपराधों की संख्या अधिक होती है। साववयवी एकता वाले समाजों में छोटी-मोटी भूल पर कोई ध्यान नहीं देता है। धार्मिक अपराध तो लगभग समाप्त हो जाते हैं। परिवार तथा विवाह से सम्बन्धित नियमों का उल्लंघन ही अपराध माना जाता है। साववयवी एकता में अपराधों के प्रकार यांत्रिक एकता से विलुप्त भिन्न होते हैं। यांत्रिक एकता में अपराध समाज विशेषी होते हैं तथा साववयवी एकता में व्यक्ति विशेषी।

**10. सामाजिक संरचना (Social Structure)**—यात्रिक एकता वाले समाजों की सामाजिक संरचना का आधार नातेदारी—विवाह रक्त और गोद सम्बन्धों पर आधारित होता है, जैसे—परिवार, संयुक्त-परिवार, वश-समूह, गोत्र-समूह आदि। वे वहिविवाही और अन्तविवाही समूह होते हैं। अर्थिक दृष्टिकोण से सब समान होते हैं। सावधानी एकता वाले समाजों में सामाजिक संरचना का आधार नातेदारी पर कम अधिक्रित होता है तथा दैवीयक समूहों पर अधिक आधारित होता है। समाज में वर्ग-व्यवस्था होती है। अर्थिक भिन्नता अधिक मिलती है। यात्रिक एकता वाले समाजों की सामाजिक संरचना समानता पर आधारित होती है तथा सावधानी एकता में भिन्नता तथा निर्भरता प्रमुख आधार होते हैं।

**11. धर्म (Religion)**—यात्रिक एकता वाले समाज धर्म प्रधान होते हैं। समाज तथा व्यक्ति की सभी चातों का निर्देशन, सचालन, नियन्त्रण आदि धर्म करता है। धर्म उनकी सामाजिक, अर्थिक, राजनीतिक, सास्कृतिक आदि सभी क्रियाओं का निर्धारण करता है। सावधानी एकता वाले समाजों में धर्म का प्रभाव स्वभग बहुत कम हो जाता है। इसका स्थान दूसरों विशिष्ट सम्पादन तथा समितियाँ ले लेती हैं।

**12. भावना/नियम (Feelings/Law)**—यात्रिक एकता वाले समाज में व्यक्ति को सभी क्रियाओं में सामूहिक भावनाओं का प्रभुत्व होता है। भावनाओं का प्रभाव इतना अधिक होता है कि व्यक्ति का व्यक्तिगत-जीवन सामूहिक-जीवन बन जाता है। वह समुदाय के लिए जीता है। सावधानी एकता वाले समाजों में सामूहिक भावना का स्थान नियम ले लेते हैं। व्यक्ति का जीवन नियमों पर आधारित होता है न कि भावना पर।

**13. समाजों के प्रकार (Types of Society)**—यात्रिक एकता वाले समाजों के उदाहरण हैं—कबीले, आदिम समाज, घुमन्तु समाज, गिरिजन समाज, जनजातियाँ, चारागाही समाज, आखेटक एवं भोजन एकत्र करने वाले समाज। यात्रिक एकता वाले समाजों के उदाहरण हैं—कस्बाई समाज, नगरीय समाज, महानगरीय समाज, औद्योगिक समाज आदि।

इन उपर्युक्त कर्णित भिन्नताओं के अतिरिक्त और भी अनेक लक्षण तथा आधार हैं जो यात्रिक एकता तथा सावधानी एकता में भिन्नता स्पष्ट करते हैं, जैसे—शिशा-संचार तथा यातायात के साधन, व्यवसाय, अर्थिक उत्पादन, उपभोग, विनियम, वितरण, सामाजिक प्रस्त्रियति—प्रदत्त तथा अर्जित, सम्पत्ति, वस्तु विनियम तथा मुद्रा विनियम, संस्कृति आदि। यांत्रिक एकता वाले समाजों में अशिक्षा, यातायात तथा संचार के साधनों का अभाव, परम्परागत व्यवसाय, परिवार उत्पादन, उपभोग तथा विनियम की इकाई, सामूहिक सम्पत्ति की प्रधानता, वस्तु विनियम का प्रचलन तथा नकद मुद्रा का अभाव आदि विशेषताएँ मिलती हैं। इसके विपरीत सावधानी एकता वाले समाज में साक्षरता, उन्नत यातायात तथा संचार के साधन, अर्जित प्रस्त्रियति पर आधारित व्यवसाय, व्यक्तिगत सम्पत्ति, परिवार के बीच उपभोग की इकाई, नकद मुद्रा विनियम का प्रचलन आदि विशेषताएँ मिलती हैं।

## दुर्खीम का उद्विकासीय सिद्धान्त (Durkheim's Evolutionary Theory)

दुर्खीम ने समाज के उद्विकास की व्याख्या श्रम-विभाजन और सामाजिक एकता के प्रकारों के आधार पर की है। आपका मत है कि समाज का विकास यांत्रिक एकता से सावधानी एकता वो और क्रम में होता है। इस विकास का कारण श्रम-विभाजन है। प्रारम्भ में समाज में श्रम विभाजन का अभाव होता है। समाज की जनसंख्या भी कम होती है। जनसंख्या का घनत्व कम होता है। धीरे-धीरे समाज की जनसंख्या में वृद्धि होती है। उम्रके घनत्व में भी वृद्धि होती है। समाज के सदस्यों की आवश्यकताएँ भी बढ़ती हैं। प्रारम्भ में समाज सरल, सादे तथा सीधे होते हैं। उनमें यांत्रिक एकता होती है। यांत्रिक एकता वाले समाजों को अपनी विशेषताओं की प्रधानता होती है, जैसे—दमनकारी कानून का प्रचलन होता है। सापृहिक प्रतिनिधान तथा सामृहिक नेतृत्व का प्रभुत्व होता है। यांत्रिक एकता से समाज सावधानी एकता की विशेषताओं वाले समाजों में परिवर्तन तथा विकास एक ऐतिहासिक तथ्य है। दुर्खीम स्पेनर की भाँति यह मानते हैं कि समाज सरलता से जटिलता में विकसित होता है। समाज के विभिन्न गुणों में समानता से विभिन्नता में परिवर्तन होता है। अत्मनिर्भरता से पारस्परिक निर्भरता में परिवर्तन होता है। इस प्रकार समाज यांत्रिक एकता से सावधानी एकता श्रम-विभाजन की वृद्धि के फलस्वरूप परिवर्तन होता है। सामाजिक परिवर्तन एक कालक्रमिक प्रक्रिया है। इसमें समय के साथ-साथ श्रम-विभाजन में वृद्धि होती है। दुर्खीम इसे ऐतिहासिक घटना मानते हैं। श्रम-विभाजन के कारण विशेषीकरण आता है, जो समाज में परिवर्तन लाता है। विशेषीकरण से समाज की विभिन्न इकाइयों में पारस्परिक निर्भरता बढ़ती है जो समाज वो सावधानी एकता वाले समाज में विकसित और परिवर्तित कर देती है। दुर्खीम के अनुसार श्रम-विभाजन आदि सामाजिक तथ्य हैं। इनका सामाजिक परिवर्तन में प्रभाव पड़ता है। आपका मत है कि श्रम-विभाजन से मानव के सुख में वृद्धि होती है। आपके अनुसार सामाजिक परिवर्तन समाज के विभिन्न गुणों, जो यांत्रिक एकता वाले समाज में पाए जाते हैं, में होता है। समाज के यांत्रिक एकता वाले गुणों से सावधानी एकता के गुणों में परिवर्तन का प्रदर्शन संलग्न चार्ट 'यांत्रिक एकता और सावधानी एकता में अन्तर' में किया गया है। यही दुर्खीम का सामाजिक परिवर्तन का उद्विकासीय सिद्धान्त है।

### श्रम-विभाजन के कारण

#### (Causes of Division of Labour)

दुर्खीम ने श्रम-विभाजन के कारणों की विवेचना अपनी पुस्तक के द्वितीय छण्ड में की है। आपने श्रम-विभाजन के दो कारण माने हैं। ये निम्न हैं—

- (1) प्राथमिक कारण—1.1. जनसंख्या में वृद्धि, और
- (2) द्वितीय कारण—
  - 2.1. सामृहिक नेतृत्व का हाम, और
  - 2.2. पैतृकता वा घटा प्रभाव।

**1.1 जनसंख्या में वृद्धि (Population Growth)**—दुर्खीम का मत है कि श्रम विभाजन का प्राथमिक कारण जनसंख्या में वृद्धि होना है। आपने जनसंख्या की वृद्धि दो प्रकारों की बताई है—(1) जनसंख्या के आवार में वृद्धि, तथा (2) जनसंख्या के घनत्व में वृद्धि। आपने अपने निम्न कथन में स्पष्ट किया है कि जनसंख्या और श्रम विभाजन किस प्रकार परस्पर सम्बन्धित हैं—

“श्रम-विभाजन समाजों की जटिलता और घनत्व के साथ सीधे अनुपात में विचरण करता है, और यदि सामाजिक विकास के दौरान यह निरन्तर वृद्धि करता है तो इसका कारण यह है कि समाज नियमित रूप से अधिक घने और सामान्यतः अधिक जटिल हो जाते हैं।”

आपने लिखा है कि जनसंख्या के बढ़ने या घटने का समाजों के श्रम-विभाजन के बढ़ने या घटने के साथ सीधा सम्बन्ध होता है। घनत्व घड़ेगा तो समाजों की जटिलता भी घटेगी। यह घटने की प्रक्रिया समाजों के विकास के साथ-साथ निरन्तर चलती रहती है। आपने यह भी यातायात है कि जनसंख्या के आवार तथा घनत्व में वृद्धि के कारण खण्डालमक समाज मिश्रित समाज में घटत जाते हैं। यातायात के साधनों की सुविधा का प्रभाव भी समाज की जटिलता तथा विशेषीकरण पर पड़ता है। लोगों को आने जाने की सुविधा मिलने से ये एक स्थान पर केन्द्रित होने लगते हैं। इसी सन्दर्भ में दुर्खीम ने जनसंख्या के घनत्व के दो प्रकार बताए हैं—(1) भौतिक घनत्व तथा (2) नैतिक घनत्व। शारीरिक दृष्टि से लोग एक स्थान पर केन्द्रित होते हैं उससे जो जनसंख्या का घनत्व बढ़ता है उसे आप भौतिक घनत्व कहते हैं। इसको बढ़ाने में यातायात के साधनों का प्रभाव पड़ता है। आपका मत है कि नैतिक घनत्व में समाज के सदस्यों के सम्बन्धों, सामाजिक क्रियाओं और प्रतिक्रियाओं की वृद्धि को देखा जाता है। यह भौतिक घनत्व के बढ़ने से बढ़ता है। जब नैतिक घनत्व बढ़ता है तो समाज की जटिलता भी बढ़ती है। सारांशतः यह कहा जा सकता है कि जनसंख्या की वृद्धि के दूरगमी प्रभाव पड़ते हैं जिससे समाज सरल अवस्था तथा यात्रिक एकता से जटिल अवस्था तथा सावधानी एकता में परिवर्तित हो जाता है। जनसंख्या के बढ़ने से अस्तित्व के लिए सधर्ष, श्रम का विभाजन, भौतिक घनत्व तथा नैतिक घनत्व में वृद्धि आदि तथा समाज की सामाजिक संरचना में जटिलता में वृद्धि होती है।

**द्वितीयक कारक (Secondary Factors)**—ये दो प्रकार के होते हैं। दुर्खीम ने इनकी निम्न व्याख्याएँ की हैं—

**2.1. सामूहिक चेतना का ह्रास (Decline in the Collective Consciousness)**—दुर्खीम का मत है कि सामूहिक चेतना के कम होने से व्यक्तिगत चेतना में वृद्धि होती है जो श्रम-विभाजन में वृद्धि करती है। दुर्खीम के अनुसार सामूहिक चेतना को श्रम विभाजन का द्वितीयक कारक याताया गया है जो श्रम-विभाजन पर विपरीत प्रभाव डालता है। सामूहिक चेतना प्रबल होगी तो श्रम-विभाजन में वृद्धि नहीं होगी। सामूहिक चेतना के घटने और कमज़ोर पड़ने पर श्रम-विभाजन में वृद्धि होती है। इन गुण सम्बन्धों को आपने निम्न शब्दों में व्यक्त किया है—

“यह देखा जा सकता है कि श्रम-विभाजन की प्रगति उतनी ही अधिक कठिन और धीमी होगी, जितनी सशक्त और निश्चित सामूहिक चेतना होगी। इसके विपरीत, यह उतनी ही तीव्र होगी जितनी व्यक्ति अपने व्यक्तिगत पर्यावरण के साथ सामर्जस्य करने में समर्थ है।”

**2.2. पैतृकता का घटता प्रभाव (Decreasing Influence of Hereditary)—** दुर्खीम ने पैतृकता को दूसरा हीतीयक कारक बताया है। आपने कहा कि पैतृकता जब प्रभाव - शारीरी होती है तो सामाजिक परिवर्तन की गति कम होती है। आपका पैतृकता से तात्पर्य है कि समाज में व्यवसाय, कार्यों का बैंटवारा आदि प्रदूष होते हैं। यक्ति के जन्म के आधार पर निश्चित होते हैं। अर्थात् यक्ति वही व्यवसाय करता है जो उसके पिता तथा पूर्वज करते आए हैं। इस प्रकार समाज में पैतृकता के कठोर होने के कारण व्यवसाय तथा कार्यों का बैंटवारा प्रतिवर्णित होता है जो सामाजिक परिवर्तन में वापक होता है। इससे श्रम-विभाजन में वृद्धि नहीं होती है। दुर्खीम ने इन्हीं वास्तविकताओं के आधार पर निम्न निष्कर्ष दिए हैं। आपका मत है कि पैतृकता जितनी अधिक प्रभावशाली होगी समाज में श्रम विभाजन में वृद्धि तथा परिवर्तन उत्तरा ही कम होगा। पैतृकता के घटने तथा कमज़ोर होने पर परिवर्तन तीव्र होगे। लोग परम्परागत व्यवसाय त्याग कर अन्य व्यवसाय करेंगे। श्रम-विभाजन में वृद्धि भी तेजी से होगी। आधुनिकीकरण भी पैतृकता के प्रभाव को घटाता है। निष्कर्षः दुर्खीम का मत है कि पैतृकता के प्रभाव के बढ़ने से श्रम-विभाजन नहीं बढ़ता है तथा पैतृकता के घटने से श्रम-विभाजन बढ़ता है। इनमें परस्पर विपरीत सम्बन्ध है। एक के घटने से दूसरा बढ़ता है।

### श्रम-विभाजन के परिणाम

#### (Consequences of Division of Labour)

दुर्खीम ने श्रम-विभाजन के प्रागुत्थ आठ परिणामों का उल्लेख किया है जो निम्न हैं—

1. प्रकार्यात्मक स्वतन्त्रता एवं विशेषीकरण (Functional Freedom and Specialization)—दुर्खीम ने श्रम-विभाजन का एक महत्वपूर्ण परिणाम यह बताया है कि इसके द्वारा कार्यों का विभाजन होता है, उससे विशेषीकरण में वृद्धि होती है। यक्ति कार्यों के चुनाव करने के लिए भी स्वतन्त्र होता है। इस पर पैतृकता का बन्धन नहीं रहता है। आपने इस परिणाम के निम्न चार कारण बताए हैं। यक्ति विशिष्ट कार्य करता है। अपनी शारीरिक क्षमता का विशिष्ट कार्य करने के लिए जितना अधिक ठप्योग करता है उसकी क्षमता में उतना अधिक निखार आता है। एक शारीरिक क्षमता तो परिष्कृत हो जाती है तथा शेष शारीरिक क्षमताएँ शिथिल हो जाती हैं। यक्ति जब निश्चित कार्य करता है तो उसके प्रकार्य का एक निश्चित रूप घन जाता है। उसकी क्रिया का विशेषीकरण हो जाता है। यक्ति कार्य का चुनाव करने तथा त्यागने के लिए स्वतन्त्र होता है। उसे इस नए समाज में परम्परागत बन्धन से मुक्त प्राप्त होते हैं। वह जब चाहे इच्छानुसार व्यवसाय चुने या त्यागे। दुर्खीम के अनुसार प्रकार्य सामाजिक संचयन से स्वतन्त्र होते हैं। व्यवसीयों को चुनने तथा त्यागने की स्वतन्त्रता होती है जिससे गतिशीलता बढ़ जाती है। श्रम-विभाजन के कारण प्रकार्यों में विशिष्टता आ जाती है। दुर्खीम ने निष्कर्ष निकाला कि वे सब श्रम-विभाजन के परिणाम समाज की प्रगति के प्रतीक हैं। आप स्पेनर की भाँति इस मत के हैं कि प्रकार्यात्मक जटिलता ही प्रगति की आधारशिला है। आपने इसे समाज तथा संस्कृति के विकास से मन्दिरित पाया है।

**2. सभ्यता का विकास (Development of Civilization)**—दुर्खीम ने श्रम-विभाजन का दूसरा महत्वपूर्ण परिणाम सभ्यता का विकास बताया है। आपने लिखा है कि जनसंख्या के आकार और जनसंख्या के घनत्व में वृद्धि से समाज में श्रम विभाजन में वृद्धि होती है जिसका परिणाम सभ्यता का विकास होता है। आपने यह परिणाम निम्न कथन में स्पष्ट किया है, “सभ्यता स्वयं उन परिवर्तनों का आवश्यक परिणाम है जो समाजों के आकार तथा घनत्व में उत्पन्न होते हैं।” जनसंख्या की वृद्धि से व्यक्तियों के पारस्परिक सम्बन्ध जटिल हो जाते हैं। व्यक्ति कठोर परिश्रम करता है। क्षमताओं का अधिकतम उपयोग करता है। इसी के फलस्वरूप सभ्यता और संस्कृति का विकास होता है। दुर्खीम के अनुसार सभ्यता श्रम-विभाजन का लक्ष्य नहीं है। सभ्यता तो श्रम विभाजन का एक महत्वपूर्ण परिणाम है।

**3. सामाजिक प्रगति (Social Progress)**—परिवर्तन अवश्यधारी है। समाज हमेशा गतिशील रहता है। समाज कोई वस्तु नहीं है। यह तो एक प्रक्रिया है जो हमेशा चलती रहती है। दुर्खीम का मत है कि परिवर्तन से ही समाज की प्रगति होती है। आपने श्रम-विभाजन को परिवर्तन का कारण माना है तथा परिवर्तन को प्रगति का कारण। इस प्रकार प्रगति श्रम-विभाजन का परिणाम है। दुर्खीम लिखते हैं कि श्रम-विभाजन में वृद्धि नहीं होगी तो परिवर्तन इक जाएगा। परिवर्तन रुक जाएगा तो समाज की प्रगति भी रुक जाएगी। इस प्रकार से श्रम-विभाजन का परिणाम प्रगति है जो अवश्यम्भावी है।

**4. सामाजिक परिवर्तन एवं व्यक्तिगत परिवर्तन (Social Change and Individual Change)**—दुर्खीम ने सामाजिक परिवर्तन और व्यक्तिगत परिवर्तन को व्याख्या श्रम-विभाजन के आधार पर की है। आपका मत है कि जनसंख्या के घनत्व, जनसंख्या के आकार में वृद्धि से जो परिवर्तन आते हैं वे श्रम-विभाजन में वृद्धि करके समाज को संरचना और सामाजिक संबंधों में परिवर्तन करते हैं। इसके प्रभाव व्यक्ति पर भी पड़ते हैं। व्यक्ति के विचार, दृष्टिकोण, व्यवसाय को चुनने की स्वतंत्रता, व्यक्तिवाद की भावना आदि में भी परिवर्तन आते हैं। घरनु वे परिवर्तन श्रम-विभाजन के परिणाम हैं क्योंकि श्रम-विभाजन तो विशेषीकरण, पारस्परिक निर्भरता आदि का कारण है। ये कारण समाज तथा व्यक्ति में परिवर्तन लाते हैं, इसलिए श्रम-विभाजन के परिणाम कहलाते हैं। दुर्खीम के अनुसार यह चौथा परिणाम है जो समाज तथा व्यक्ति का विकास भी है। सामाजिक परिवर्तन से ही व्यक्ति में भी परिवर्तन आते हैं।

**5. नवीन समूहों की उत्पत्ति और अन्तर्निर्भरता (Origin of New Groups and Interdependence)**—दुर्खीम ने श्रम-विभाजन का एक और महत्वपूर्ण परिणाम समाज में नए-नए समूहों की उत्पत्ति तथा उन समूहों में पारस्पर निर्भरता बताया है। आपने लिखा है कि श्रम-विभाजन से समाज में विशेषीकरण आता है। एक विशेष कार्य को करने के लिए विशेष व्यक्तियों का समूह संगठित होकर उस कार्य को सम्पन्न करता है। इस प्रकार से समाज में जितना अधिक श्रम-विभाजन होगा उतने ही अधिक विशिष्ट समूह समाज में बन जाते हैं। क्योंकि ये समूह समाज में अलग-अलग कार्य करते हैं इसलिए जो विशिष्ट कार्य एक विशिष्ट समूह करता है उस पर अन्य सभी आवश्यकताओं के लिए अन्य सभी विशिष्ट समूह निर्भर हो जाते हैं तथा वह समूह अपनी

सभी अन्य आवश्यकताओं के लिए अन्य समूहों पर निर्भर हो जाता है। इस प्रकार से श्रम-विभाजन के प्रभाव के परिणामस्वरूप समाज में अनेक नए-नए समूहों का निर्माण होता है और उनमें परस्पर निर्भरता भी बढ़ती जाती है।

**6. व्यक्तिवादिता का विकास (Development of Individualism)—** दुखीम ने श्रम-विभाजन के अनेक परिणाम बताए हैं उनमें से एक परिणाम व्यक्तिवादी विचारधारा यताया है। श्रम-विभाजन से समाज में सामूहिक चेतना तथा सामूहिक प्रतिनिधान का प्रभाव शिथिल होता जाता है तथा व्यक्तिगत चेतना में वृद्धि होती है। व्यक्तित्व का महत्व बढ़ता है। समूहवाद का हास होता है। व्यक्तिगत विचार, दृष्टिकोण तथा स्वतन्त्रता बढ़ती है। इन भवका परिणाम व्यक्तिवादी विचारधारा को उन्नत तथा विकसित करने में स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है।

**7. प्रतिकारी कानून और नैतिक दवाव (Restitutive law and Moral Pressure)—** श्रम-विभाजन का एक महत्वपूर्ण परिणाम दमनकारी कानून से प्रतिकारी कानून के परिवर्तन के स्पष्ट में देख सकते हैं। जब समाज में श्रम-विभाजन का अभाव होता है अथवा अत्यं श्रम-विभाजन होता है तब समाज में प्रतिकारी कानून व्यवस्था होती है तथा सामूहिक चेतना का वर्चस्व होता है। तेकिन जब श्रम-विभाजन में वृद्धि होती है तो व्यक्तियों में विशेषोकरण बढ़ता है। इसके कारण समझौते के सम्बन्धों का विकास होता है। पारस्परिक सम्बन्ध जटिल यन जाते हैं। सामूहिक उत्तरदायित्व के स्थान पर व्यक्तिगत उत्तरदायित्व बढ़ जाते हैं। व्यक्तिवाद का महत्व बढ़ जाता है। व्यक्तियों के सम्बन्धों तथा अपराधों को नियन्त्रित, निर्देशित तथा संचालित करने के लिए दमनकारी कानून का स्थान प्रतिकारी कानून से लेता है। सामूहिक हितों से सम्बन्धित नैतिकता का भी विकास होता है इससे व्यक्तिगत स्वतन्त्रता, स्वार्थ आदि पर नियन्त्रण रखा जाता है। इस प्रकार से श्रम-विभाजन का एक परिणाम प्रतिकारी कानून का महत्व बढ़ना तथा नैतिकता का विकास होना है।

**8. सावधानी सामाजिक एकता (Organic Social Solidarity)—** दुखीम ने श्रम-विभाजन का रायरे महत्वपूर्ण परिणाम समाज में सावधानी एकता की स्थापना यताया है। बारतविकास तो ये है कि श्रम-विभाजन के सारे परिणामों को व्याख्या इस एक परिणाम 'सावधानी एकता' के अन्तर्गत की जा सकती है, जो इस प्रकार है। आपका मत है कि श्रम-विभाजन के अभाव अथवा अल्पता की स्थिति में समाज में यांत्रिक एकता होती है। जैसे-जैसे श्रम-विभाजन में वृद्धि होती है वैसे-वैसे समाज में विशेषोकरण, पारस्परिक निर्भरता, अन्यो-यांत्रिता तथा सहयोग बढ़ता है। इसी सहयोग के परिणामस्वरूप समाज में सावधानी एकता स्थापित होती है जिससे समाज के विभिन्न व्यक्तियों, समूहों या अंगों में परस्पर प्रकार्यात्मक निर्भरता, संगठन एवं सहयोग मिलता है। इसी को दुखीम ने श्रम-विभाजन का परिणाम सावधानी सामाजिक एकता कहा है।

### श्रम-विभाजन के असामान्य स्वरूप

#### (Abnormal Forms of Division of Labour)

दुखीम ने आलोच्य पुस्तक के तीमरे और अन्तिम छण्ड में श्रम-विभाजन के तीन महत्वपूर्ण असामान्य स्वरूपों की विवेचना की है। आपका मत है कि जहाँ श्रम-विभाजन के अनेक

सगठनात्मक परिणाम है वहाँ कुछ व्याधिकीय परिणाम भी हैं। दुर्खीम ने श्रम-विभाजन के व्याधिकीय परिणाम उनको कहा है जो समाज में एकता पैदा नहीं करते हैं। आपने निम्नांकित श्रम-विभाजन के असाधारण स्वरूपों का उल्लेख किया है—

1. आदर्शहीन श्रम-विभाजन,
2. बलात् श्रम-विभाजन, और
3. व्यक्तिगत कार्य की अपर्याप्तता।

1. **आदर्शहीन श्रम-विभाजन (Idealless Division of Labour)**—जब समाज में श्रम-विभाजन विभिन्न सामाजिक कार्यों में तालमेल तथा परस्पर सम्बद्ध स्थापित नहीं करता है तब वह एक-टूमरे के कार्य तथा किकास में बाधाएँ उत्पन्न करता है। दुर्खीम के अनुसार ऐसा विशेष रूप से आर्थिक क्षेत्रों तथा विज्ञान के क्षेत्रों में अव्वलस्थित श्रम-विभाजन के फलस्वरूप होता है। दुर्खीम ने उस श्रम-विभाजन को आदर्शहीन श्रम-विभाजन कहा है जो श्रम-विभाजन विभिन्न प्रकारों में असाधारण उत्पन्न करता है। यह आदर्शहीन श्रम विभाजन आर्थिक क्षेत्र तथा वैज्ञानिक क्षेत्र में पाया जाता है।

1.1. **आर्थिक क्षेत्र में आदर्शहीन श्रम-विभाजन (Idealless Division of Labour in Economic Field)**—जब उत्पादन के साठनों, औद्योगिक केन्द्रों, कारखानों आदि में श्रम-विभाजन होता है तो उससे विशेषीकरण आता है जो उत्पादन में लगे मालिक और मजदूरों में सघर्ष पैदा कर देता है। इनमें परस्पर, व्यापारिक तथा अन्य झगड़े होते हैं। इस प्रकार श्रम-विभाजन आर्थिक क्षेत्रों तथा विभिन्न सामाजिक इकाइयों में तनाव, सघर्ष तथा असनुचलन पैदा कर देता है। साधारण के स्थान पर हानि होती है। सामाजिक सावधानी एकता पर व्याप्त लगता है। सहयोग का स्थान पारस्परिक संघर्ष, हड्डाताल, तालाबन्दी आदि ले लेते हैं। इसी को दुर्खीम ने आर्थिक क्षेत्र में आदर्शहीन श्रम-विभाजन कहा है।

1.2. **वैज्ञानिक क्षेत्र में आदर्शहीन श्रम-विभाजन (Idealless Division of Labour in Scientific Field)**—दूसरा आदर्शहीन श्रम-विभाजन आपने वैज्ञानिक क्षेत्र में बताया है। पहिले सभी विज्ञान परस्पर सम्बन्धित थे। अलग-अलग नहीं थे। परन्तु अब विज्ञानों में श्रम-विभाजन के फलस्वरूप बहुत अधिक विशेषीकरण आ गया है। एक वैज्ञानिक अब केवल एक विज्ञान अधिकारी भी एक शाखा मात्रा से जुड़ा हुआ है। इसने विज्ञानों में परस्पर दूरीयों बढ़ा दी है। सावधानी एकता स्थापित नहीं होने के कारण विभिन्न विज्ञानों के सम्बन्ध टूट गए हैं। दुर्खीम के अनुसार श्रम-विभाजन ने विज्ञान में सघर्ष, तथा दूरीयों बढ़ा दी है।

2. **बलात् श्रम-विभाजन (Forced Division of Labour)**—दुर्खीम का मत है कि बाहर से शोपा गया श्रम-विभाजन बलात् श्रम-विभाजन है। व्यक्ति को अपनी रुचि के अनुसार कार्य को चुनने तथा त्यागने की स्वतन्त्रता नहीं होती है। उससे शक्ति से कार्य लिया जाता है। वह पूर्व निश्चित कार्यों को करने के लिए बाध्य रहता है। आएका मत है कि श्रम-विभाजन से एकता स्थापित करना सरल कार्य नहीं है। यह तभी स्थापित हो सकती है जब समाज के सभी लोगों को उनकी योग्यता, कार्यकुशलता, रुचि आदि के अनुसार व्यवसाय मिले जो जाति अवस्था तथा कर्म-

व्यवस्था में भी नहीं मिलता है। यह श्रम-विभाजन का दुष्कार्य है जिसे वलात् श्रम-विभाजन भी कहते हैं।

**3. व्यक्तिगत कार्य की अपर्याप्तता (Insufficiency of Individual Work)**—दुखीम के अनुमार श्रम-विभाजन का तीसरा असामान्य कार्य समाज के सदस्यों को पर्याप्त मात्रा में कार्य प्रदान नहीं कर पाना है। श्रम-विभाजन समाज में एकता पैदा नहीं कर सकता जब तक कि कार्य करने वालों को काफी कागज दिया जाए। व्यक्ति को क्रियाओं के लिए पर्याप्त सामग्री प्राप्त होनी चाहिए। श्रम-विभाजन के कारण ऐसा नहीं हो पाता है। व्यावसायिक और औद्योगिक सम्बन्धों में श्रम का विभाजन ठीक से नहीं होता है। लोगों में असन्तोष होता है। अनुपयोगी कार्यों को अधिकता होती है। कार्यों का विभाजन अनुपयोगी होता है। इससे व्यवस्था स्थापित न होकर अव्यवस्था बनी रहती है। जब श्रम-विभाजन अव्यवस्था और असनुलन पैदा करता है और सावधानी एकता पैदा नहीं कर पाता है तो यह व्यक्तिगत कार्य की अपर्याप्तता बढ़लाती है। श्रम-विभाजन आवश्यक नहीं है कि एकता तथा संगठन ही पैदा करे। यह असंगठन, असनुलन तथा अव्यवस्था भी फैलाता है।

### आलोचनात्मक मूल्यांकन (Critical Evaluation)

‘समाज में श्रम-विभाजन’ दुखीम की प्रथम कृति है। इसमें कभियों का होना स्वाभाविक है। इस विनियन्य की आलोचना विभिन्न समाजशास्त्रियों—गिन्सवर्ग, बीरस्टेड, मर्टन, चोगार्डस, रेमण आदि ने की है। इन विभिन्न विद्वानों ने दुखीम के इस शोध प्रबन्ध का कई चिन्हां—तथ्यों, अवधारणाओं, पद्धति, वर्गोकरण, कारणों, प्रभावों, सिद्धान्त तथा निष्कर्षों के आधार पर मूल्यांकन तथा आलोचना की है, जो निम्न प्रकार है—

**1. अस्पष्ट तथ्य (Vague Facts)**—दुखीम ने दावा किया है कि आपका अध्ययन समाजशास्त्रीय है तथा इसमें जो तथ्य दिये गये हैं, वे समाजशास्त्रीय हैं। परन्तु अनेक समाजशास्त्रियों का कहना है कि आप स्पष्ट रूप से सामाजिक तथ्यों तथा मनोवैज्ञानिक तथ्यों में अन्तर नहीं कर पाये हैं। दुखीम के एकता तथा सामाजिक एकता का अन्तर अवैज्ञानिक है। एकता एक मानसिक मत्त्य तथा तथ्य है। एकता भावात्मक तथ्य है न कि समाजशास्त्रीय।

**2. अस्पष्ट अवधारणाएं (Vague Concepts)**—दुखीम द्वारा इस अध्ययन में प्रयुक्त अवधारणाएं—प्रकार्य, एकता, खण्डात्मक समाज, सामूहिक चेतना आदि की मर्टन, रेमण, एन आदि ने आलोचनाएं की हैं। मर्टन का मत है कि दुखीम ने उद्देश्य के स्थान पर प्रकार्य शब्द का प्रयोग किया है, यह अनुपयुक्त है। इसी प्रकार एकता की अवधारणा को दुखीम ने विकसित किया है तथा इसे सामाजिक तथ्य कहा है। वासाव में यह मनोवैज्ञानिक अवधारणा है। आपने यांत्रिक एकता वाले समाजों को खण्डात्मक समाज कहा है। एन ने आपत्ति उठाई है और कहा है कि आदिम समाजों तथा यांत्रिक एकता वाले समाजों को खण्डात्मक समाज कहना अवैज्ञानिक तथा त्रुटिपूर्ण है। जाति-व्यवस्था तथा वर्ग-व्यवस्था वाले समाज खण्डात्मक समाज हैं।

सामूहिक चेतना की अवधारणा को भी समाजशास्त्रियों ने आलोचना की है। सामूहिक चेतना समूह-मन का पर्यायबाची है तथा यह एक मनोवैज्ञानिक अवधारणा है न कि समाजशास्त्रीय अवधारणा है।

**3. अव्यावहारिक अध्ययन पद्धति (Unworkable Method of Study)**—मर्टन और थर्गेस दुर्खोम द्वारा काम में ली गई अध्ययन पद्धति से असहमत हैं। आप दोनों की आपत्ति है कि दुर्खोम ने श्रम विभाजन और सामाजिक एकता के अध्ययन में भौतिक विज्ञान की अध्ययन पद्धति का भवनाने हेंग से प्रयोग किया है, वह अवैज्ञानिक तथा अविश्वसनीय तथा अप्रभागित प्रयोग है।

**4. त्रुटिपूर्ण दृष्टिकोण (Faulty Perspective)**—एमिल वेनैफ़र—स्मुलियन, मर्टन आदि समाजशास्त्रियों ने दुर्खोम के समूहकादों दृष्टिकोण को कटु आलोचना की है। इन्होंने कहा कि दुर्खोम अपने इस सम्पूर्ण विनिकृत्य में यह सिद्ध करने का पूर्ण प्रयास करते हैं कि समाज सब कुछ है, सबोपरि है। समाज व्यक्ति का निर्माण करता है। व्यक्ति का अस्तित्व समाज के लिए कुछ नहीं है। यह धारणा तथा दृष्टिकोण अवैज्ञानिक तथा तर्कहीन है। टार्डे ने आपत्ति उठाई है कि दुर्खोम का यह दृष्टिकोण अतिवादी है तथा भ्रामक है। टार्डे ने लिखा है, “मैं मानता हूँ कि ऐसे तिए यह समझना कठिन है कि व्यक्तियों को निकाल देने के बाद समाज जैसी कोई वस्तु शेष रह जायेगा। यदि किसी विश्वविद्यालय के छात्रों तथा अध्यापकों को अलग कर दिया जाये तो मैं नहीं समझता कि वहाँ नाम के अतिरिक्त भी कुछ शेष रह जायेगा।”

सोरोविन, टार्डे के मत का समर्थन करते हैं तथा लिखते हैं, “संक्षिप्त मेरे दुर्खोम की यह वास्तविकता वैज्ञानिकतानुसार गलत है तथा इसे त्याग देना चाहिए। यह कुछ नहीं है, केवल एक अनुचित धरूपवाद है।” मर्टन आदि अनेक विद्वानों ने भी दुर्खोम के इस दृष्टिकोण को त्रुटिपूर्ण घोषिया है।

**5. अतार्किक वर्गीकरण (Illogical Classification)**—मर्टन, स्मुलियन, बोरस्टीड आदि समाजशास्त्री दुर्खोम द्वारा प्रतिशोदित वर्गीकरणों को अनुचित, अतार्किक और अस्थैष मानते हैं।

**5.1. मर्टन तथा स्मुलियन दुर्खोम द्वारा प्रतिशोदित व्यक्तिगत नैतिकता तथा सामूहिक नैतिकता के वर्गीकरण को अस्थैष मानते हैं तथा लिखते हैं कि नैतिकता तो नैतिकता है उसको व्यक्तिगत तथा सामूहिक में बांटा नहीं जा सकता है। जो कुछ व्यक्ति के प्रति नैतिकता का कर्तव्यपूर्ण आवरण है वह अन्ततोगत्वा व्यक्ति को समाज के प्रति ही तो नैतिकता को प्रकट करता है।**

**5.2. बोरस्टीड** ने दुर्खोम के प्राचीन तथा आधुनिक समाजों के किये गये वर्गीकरण पर आपत्ति उठाई है। बोरस्टीड का विरोध यह है कि इन दोनों प्रकार के समाजों के वर्गीकरण के आधार—समानता तथा विभेद उचित नहीं हैं। आपका मत है कि सभी समाजों में समानता और भिन्नता के लक्षण कुछ मात्रा में अवश्य पाये जाते हैं।

5.3. पर्टन तथा स्मुलियन की आपत्ति है कि दुर्खीम ने कानून और एकता के विभिन्न प्रकारों या वर्गों करणों में विश्वसनीय सम्बन्ध स्थापित नहीं किया है। यह दुर्खीम की कमी रही है।

5.4. अनेक समाजशास्त्रियों की आपत्ति है कि दुर्खीम ने यांत्रिक एकता एवं सावधानी एकता की जो विशेषताएँ बताई हैं वे विकसित तथा ग्रामीण समाजों में भी मिलती हैं। इसलिए इनका 'एकता के दो प्रकार' या स्वरूप भी पूर्ण स्पष्ट नहीं है।

6. कारणों पर आपत्ति (Objection on Causes)—अनेक समाजशास्त्रियों—सोरोकिन, पर्टन, एन, गिम्बर्ग, बोगार्ट्स और स्मुलियन आदि ने दुर्खीम द्वारा प्रतिषादित श्रम-विभाजन के सिद्धान्त के कारणों पर आपत्ति डालाई है। इन विद्वानों का मत है कि दुर्खीम ने श्रम-विभाजन का प्राथमिक कारण जनसंख्या का आकार और जनसंख्या का धनत्व में वृद्धि को माना है लेकिन ये कारण जैविक हैं। इस प्रकार से इन जैविक कारणों पर आपत्ति व्याख्या भी जीवशास्त्रीय व्याख्या हो जाती है न कि समाजशास्त्रीय। एमिल वेनौयत-स्मुलियन ने निम्न शब्दों में आपत्ति व्यक्त की है—

"स्पष्ट रूप से यह (श्रम-विभाजन) समाजशास्त्रीय की अपेक्षा एक जीवशास्त्रीय व्याख्या है।"

7. कारणों और परिणामों में अस्पष्टता (Vagueness in Causes and Results)—दुर्खीम ने अपनी पुस्तक में श्रम-विभाजन के महत्वपूर्ण आठ परिणामों का डल्टेख विद्या है। लेकिन आपने स्पष्ट रूप में श्रम-विभाजन को विभिन्न परिणामों का कारण निश्चित करके व्याख्या को अस्पष्ट तथा अवैज्ञानिक बना दिया है। आप सभ्यता और प्रगति को श्रम-विभाजन का परिणाम मानते हैं, लेकिन कोई भी सम्प्रदाय इसको नहीं मानता है। सभ्यता और संस्कृति तथा समाज की प्रगति के अनेक कारण हैं। श्रम-विभाजन को इसका एकमात्र कारण मानना गलत है। सोरोकिन का मत है कि समाज से सम्बन्धित एक कारण को विभिन्न परिणामों के लिए उत्तरदायी ठहराना अवैज्ञानिक तथा तर्कहीन है। क्योंकि सामाजिक व्यवस्था में अनेक कारक परस्पर अन्योन्याश्रित होते हैं। यही आलोचना श्रम-विभाजन के अन्य परिणामों—प्रकार्यात्मक स्वतंत्रता, सामाजिक तथा व्यक्तिगत परिवर्तन, व्यक्तिवादी विचारधारा, प्रतिकारी कानून और नैतिक दबाव एवं सावधानी सामाजिक एकता के सम्बन्ध में भी विद्वानों ने की है।

8. उद्विकासीय सिद्धान्त की आलोचना (Criticism of Evolutionary Theory)—पर्टन ने दुर्खीम के सामाजिक उद्विकासीय सिद्धान्त की आलोचना की है। आपका कहना है कि दुर्खीम ने विकास के क्रम में एक छोर पर प्राचीन या यांत्रिक एकता वाले समाजों को रखा है तथा दूसरे छोर पर आधुनिक या सावधानी एकता वाले समाजों को रखा है। दुर्खीम ने समाजों का उद्विकास रेखांश, सरल से जटिल, समानता से विभिन्नता आदि के द्वारा समझाया है। इसका कारण श्रम-विभाजन यत्तया है। अनेक विद्वानों ने मत व्यक्त किया है कि सामाजिक परिवर्तन अनेक कारणों से होता है। पर्टन ने भी यही आपत्ति डाला है। सोरोकिन का कहन है कि सामाजिक परिवर्तन का एक कारकीय सिद्धान्त हो ही नहीं सकता है। सामाजिक परिवर्तन

श्रम-विभाजन के अतिरिक्त अनेक कारणों का परिणाम होता है। सामाजिक परिवर्तन की व्याख्या मैकोवर, भजूमदार, भदन, मैलिनोव्स्की, रेडविलफ-द्राउन आदि के अनुसार, उद्योगिक सिद्धान्त से नहीं बीजा सकती है, जो दुर्खीम ने की है। वह सत्य तथा प्रमाणित नहीं है।

दुर्खीम की उपर्युक्त आलोचनाओं का यह अर्थ कदाचित् नहीं लगा लेना चाहिए कि उनका श्रम-विभाजन का सिद्धान्त निरर्थक तथा अनुपयोगी है। आपको यह कृति समाजशास्त्र में एक अमृत्यु योगदान मानी जाती रही है और भविष्य में भी मानी जाती रहेगी। इस सन्दर्भ में जॉर्ज सिप्सन का निम्न कथन विचारणीय है, आपने दुर्खीम की इस आलोच्य पुस्तक के आमुख में दिया है—

“उस व्यक्ति (दुर्खीम) को प्रथम महान् रचना है जिसने लगभग छाँधाई शताब्दी तक फ्रांसीसी विचारधारा पर नियन्त्रण किया है और जिसका प्रभाव भी घटने के स्थान पर बढ़ रहा है, यह पुस्तक आज भी ऐतिहासिक ओर प्रसग के दृष्टिकोण से उन सभी को पढ़नी चाहिए जो सामाजिक विचारधारा के ज्ञान तथा सामाजिक समस्याओं में रुचि रखते हैं।”



## अध्याय-९

# वेबर : प्रोटेस्टेंट आचार और पूँजीवाद की भावना

(Weber : The Protestant Ethic and  
the Spirit of Capitalism)

समाजशास्त्र में मैक्स वेबर के योगदानों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान आपके हारा किये गये धर्म सम्बन्धी अध्ययन को माना जाता है। आपने विश्व के प्रमुख छः धर्मों—हिन्दू, बौद्ध, ईसाई, कम्बूशियस, इस्लाम और यहूदी धर्म का गहन अध्ययन किया तथा इनकी समाजशास्त्रीय व्याख्या प्रस्तुत की है। वेबर हारा किए गए धर्म सम्बन्धी अध्ययन एवं व्याख्याएँ आपकी विश्वविद्यात कृतियों—(1) दा प्रोटेस्टेण्ट एथिक एण्ड दा सियरिट ऑफ कैपिटलिज्म, (2) दा रिलिजन ऑफ चाइना, (3) दा रिलिजन ऑफ इण्डिया और (4) एशियण्ट जूडाइज्म में मिलते हैं। ये सभी कृतियाँ जर्मन भाषा में सिरी पुस्तकों के अंग्रेजी अनुवाद हैं। आपने विश्व के प्रमुख धर्मों का अध्ययन धर्म तथा सामाजिक घटनाओं के पारस्परिक गुण-सम्बन्ध को मालूम करने के लिए किया था। मैक्स वेबर का अनुमान था कि सामाजिक घटनाओं के अध्ययन में किसी एक कारक को अध्ययन की मुविधा के लिए कारण मान कर अध्ययन किया जा सकता है। परन्तु किसी एक कारक को (जैसा कि कार्ल मार्क्स ने आर्थिकी को माना है) निर्णायक रिढ़ करना गम्भीर भूल करना है। वेबर के अनुसार समाज में विभिन्न कारक परस्पर एक-दूसरे से बहुत अधिक गुण्ठित होते हैं और वे एक-दूसरे से अलग नहीं हो सकते हैं। मार्क्स ने धर्म का निर्णायक कारक—आर्थिकी को बताया है। मैक्स वेबर ने मार्क्स के इस सामाज्योकरण एवं निष्कर्ष का परीक्षण विश्व के छः प्रमुख धर्मों को आर्थिकी का कारण मान कर किया तथा सिद्ध कर दिया कि आर्थिक व्यवस्था का निर्णायक धर्म है।

वेबर का प्रमुख उद्देश्य यह सिद्ध करना था कि समाज में विभिन्न कारक, घटनाएँ, नियोपताएँ आदि परस्पर एक-दूसरे से प्रभावित होते हैं तथा एक-दूसरे को प्रभावित करते हैं। सोरोकिन ने भी लिखा है कि मैक्स वेबर ने विशेष रूप से यह स्पष्ट किया है कि किस प्रकार से भारत, चीन, प्राचीन विश्व, मध्य काल और वर्तमान समय के आर्थिक संगठनों के लक्षण अपने-अपने सम्बन्धित धर्मों, जातू, परम्पराओं अथवा तर्कनापरवता की विशेषताओं से निर्णीत, निर्देशित, संचालित तथा अनुकूलित होते हैं।

वेबर ने अपने अध्ययनों के आधार पर प्रमुख रूप से यह स्पष्ट करने का प्रयास किया है कि आधुनिक पूँजीवाद सबसे पहिले परिचय के देशों में ही वर्त्ते आया, अन्य देशों में क्यों नहीं आया? इसके लिए आपने विश्व के प्रमुख छः धर्मों के धार्मिक लक्षणों, विशेषताओं, आचार संहिताओं आदि का तुलनात्मक अध्ययन किया और धर्म का प्रभाव सामाजिक संगठनों तथा आर्थिकी पर क्या पड़ा, इसका विश्लेषण किया।

### वेबर : धर्म का समाजशास्त्र

(Weber . Sociology of Religion)

मैक्स वेबर ने पूर्वी जर्मनी में खेतिहार श्रमिकों और स्टॉक एक्सचेन्ज का आनुभविक अध्ययन किया। प्रोटेस्टेंट एथिक के अध्ययन का स्रोत भी यही था। आपने धर्म के समाजशास्त्र को तोन खण्डों में प्रकाशित किया था जिसमें उपर्युक्त वर्णित अध्ययन तथा कन्फूशियम, हिन्दू, बौद्ध, ईसाई और भगवान् भर्मों का अध्ययन भी समिलित किया है। वेबर द्वारा किए गए धर्मों का अध्ययन समाजशास्त्र में अप्राप्ती एवं सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। आपका प्रारम्भ में उद्देश्य विभिन्न सभ्यताओं का तुलनात्मक अध्ययन करने का था लेकिन बाद में आपने धर्म के समाजशास्त्र को विकसित तथा स्थापित कर दिया। आपके धर्म के आनुभविक अध्ययन का उद्देश्य यह मालूम करना था कि विभिन्न सभ्यताओं के विकास में धर्म सम्बन्धी कारकों की क्या भूमिका है।

धर्म के समाजशास्त्र की विषयवस्तु (Subject Matter of Sociology of Religion) — प्रत्येक धर्म एक विशेष प्रकार के सामाजिक व्यवहार को जन्म देता है। धर्म के द्वारा उत्पन्न तथा धर्म-जनित अन्तःक्रियाओं और व्यवहारों का अध्ययन ही समाजशास्त्र की विषयवस्तु होती है।

जुलियेन फ्रेण्ड (Julien Freund) ने वेबर के धर्म के समाजशास्त्र की निम्न व्याख्या की है—जब कोई धर्मविलापी किसी धर्म के सदर्भ में अर्थपूर्ण व्यवहार करता है तो उसका अध्ययन धर्म के समाजशास्त्र के अन्तर्गत आता है।<sup>11</sup> फ्रेण्ड लिखते हैं कि धर्म का समाजशास्त्र केवल धार्मिक व्यवहार का मानव को लैंकिक गतिविधि के रूप में क्रमबद्ध और अवस्थित अध्ययन करता है। वेबर ने धर्म के समाजशास्त्र को विशेष प्रारंभिकता आपने जीवन के अन्तिम वर्षों में दी थी। उपर्युक्त अव्यवस्था पर कितना धड़ता है और कैसा पड़ता है। आपकी मान्यता थी कि धार्मिक व्यवहार में तर्कनापरकता और तर्किकता होती है। आपने धार्मिक व्यवहारों के द्वैतोपक प्रभावों को शिद्धा और राजनीति में भी देखने का प्रयास किया था। आपके अनुसार यही सब धर्म के समाजशास्त्र की विषयवस्तु है।

### धर्म के प्रकार (Types of Religion)

वेबर ने धार्मिक व्यवहारों के आधार पर धर्म के निम्न दो प्रकार बताए हैं—(1) मुक्ति धर्म और (2) कर्मकाण्डीय धर्म।

(1) मुक्ति धर्म या विश्वास मूलकधर्म (Religion of Conviction or Salvation)—वह व्यवहार जो मोक्ष से सम्बन्धित होता है तथा व्यवहार करने वाले धर्मान्वलापी को यह विश्वास होता है कि अमुक-अमुक क्रियाएं करने से उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी—मुक्ति

धर्म कहलाता है। वेदों के अनुसार मोक्ष मार्गीय धर्मवलम्बी निम्न तीन प्रकार की क्रियाएँ करते हैं—

1. मोक्ष मार्गीय धर्मवलम्बी कर्मकाण्डीय या अनुष्ठान सम्बन्धी क्रियाएँ करते हैं। इसमें उनके व्यक्तिगत रहस्यों और करिश्मों में वृद्धि हो जाती है।

2. ये धर्मवलम्बी मध्ये के साथ भाईचारा रखते हैं, स्नेह स देखते हैं, नीतिपूर्ण व्यवहार परते हैं जिससे उनकी समाज में प्रतिष्ठा एवं सम्मान बढ़ जाता है।

3. इन मुक्ति धर्मवलम्बियों का विश्वास होता है कि ऐसा करने में वह मोक्ष क निकट पहुँच जायेगे। ये स्वयं को पूर्ण बनाने का प्रयत्न करते हैं। पूर्णता की प्राप्ति के लिए मोशिश करते हैं।

वेदों इन मोक्ष प्राप्त करने वाले धर्मवलम्बियों को सामान्य जीवन से उच्च तथा अमाधारण पार्मिक जीवन से निम्न अर्थात् मध्यम स्थिति वाला मानते हैं। ये अनुयायी न तो पूर्णहृष्य से ससार से पृथक् हो पाते हैं और न ही मोक्ष प्राप्त कर पाते हैं। परन्तु ऐसे व्यक्ति रहस्यपूर्ण या करिश्माई बन जाते हैं। वेदों के अनुसार मोक्ष प्राप्ति के लिए किए प्रयोग एवं क्रियाओं के जो प्रभाव अर्थव्यवस्था, नैतिकता तथा राजनीति पर पड़ते हैं वे धर्म के समाजशास्त्र के अध्ययन के अन्तर्गत आते हैं।

(2) कर्मकाण्डीय धर्म (Ritualistic Religion)—वेदों के अनुसार इस धर्म के अन्तर्गत लौकिक व्यवहार आते हैं। व्यक्ति पूर्ण रूप से कर्मकाण्डी होता है तथा दुनिया के क्रियाकलापों को स्वीकार करता है तथा उनसे अनुकूलन भी करता है। चीन का काम्पांशियस धर्म कर्मकाण्डीय है। इस धर्म की परम्पराओं की बाध्यता इतनी कठोर होती है कि व्यक्ति को नैतिकता पूर्ण रूप से पार्मिक व्यवहारों तक सीमित होकर रह जाती है। इन अनुयायियों के लिए दुनिया का अर्थ ही ग्रन्थ हो जाता है एवं कर्मकाण्ड तथा लौकिक व्यवहार प्राथमिक हो जाते हैं। गैर पार्मिक लौकिक हो जाते हैं। पार्मिक संस्कार इनके लिए मात्र संस्कार होते हैं। ये धर्मवलम्बी धर्म के रहस्य को भूल जाते हैं। यहूदी धर्म में भी कर्मकाण्डीय व्यवहार देखे जा सकते हैं। कर्मकाण्डीय धर्म ऐसे हैं जो एक साधारण दृष्टि से स्थापित होते हैं और इनके विश्वास तथा धारणाएँ रुद्धिवादी होती हैं।

### धर्म एवं संघर्ष

#### (Religion and Conflict)

वेदों ने धर्म से उत्पन्न होने वाले संघर्षों के निम्न छः प्रकार बताए हैं—

(1) सामाजिक संघर्ष (Social Conflict)—मुक्ति धर्म के कारण समाज में संघर्ष पैदा हो जाते हैं क्योंकि यह धर्म अनुयायियों को गार्लांकिक क्रिया एवं व्यवहार करने के लिए कहता है। यह धर्म अवतारी होता है। अपने बन्धु-बाध्यवां को त्यागने की सलाह देता है। अनुयायियों को सार्वभौमिक दान देने के लिए बाध्य करता है। इसा ममीह ने भी अपने शिष्यों को ऐसा करने का आदेश दिया था। इससे मोक्ष धर्म पालक का अपने सम्बन्धियों तथा अन्य तोतों से भन-मुटाव तथा झगड़ा हो जाता है जो घाद में संघर्ष का रूप धारण कर लेता है।

( 2 ) आर्थिक संघर्ष (Economic Conflict) — मुक्ति धर्म तथा अनेक धर्म आर्थिक क्षेत्र में संघर्ष पैदा करते हैं। अनेक धर्म व्याज लेना पाप मानते ह। दान देने को प्रोत्साहित करते हैं। निम्नतम आवश्यकताओं को पूर्ण करते हुए जीवन पिंडांह करने का प्रवचन देते हैं। धर्म अनेक व्यक्तियों को करना पाप मानता है तथा उन्हे निपिण्ड कर देता है। इस प्रकार से आधुनिक समय में धर्म के ये नियन्त्रण तथा धार्यताएँ कदम कदम पर संघर्ष पैदा कर देते हैं। वेबर के अनुसार हिन्दू, बौद्ध, कन्फूशियम और इस्लाम धर्म आधुनिक पूँजीवाद का विरोधी है क्योंकि इन धर्मों के अनुसार व्याज लेना, घन सचय करना आदि पाप है। ये मूल्य पूँजीवाद के विरोधी हैं।

( 3 ) राजनीतिक संघर्ष (Political Conflict) — राजनीतिक संघर्ष का कई बार कारण धर्म होता है। अनेक धार्मिक युद्ध इसके प्रमाण हैं। साम्राज्यिक झगड़े भारत का विभाजन, हिन्दू-मुसलमानों का झगड़ा आदि इसके उदाहरण हैं।

( 4 ) सांस्कृतिक संघर्ष (Cultural Conflict) — कला के क्षेत्र में धर्म के कारण संघर्ष पैदा हो जाते हैं। अनेक धर्म नृत्य, संगीत और मूर्ति पूजा के कट्टर विरोधी होते हैं। जो धर्म मूर्ति पूजक नहीं है वह मूर्ति-पूजक धर्मों से संघर्ष करते हैं। उनका विरोध करते हैं। मूर्ति पूजक के साथ कुछ धर्म जैसे—इस्लाम धर्म विवाह नहीं करते हैं।

( 5 ) वेबर ने कामवासना को एक सबैगात्मक शक्ति के रूप में देखा है। आपने धर्म के समाजशास्त्रीय विवेचन में यौन सम्बन्धों, कामकला तथा कामवासना को सबैगात्मक शक्ति के रूप में विद्यमान पाया जो लोगों में तनाव तथा संघर्ष को उत्पन्न करती है।

( 6 ) शैक्षिक संघर्ष (Educational Conflict) — वेबर ने धर्म के कारण ज्ञान के क्षेत्र में भी तनाव एवं संघर्ष को पाया। आपने कहा कि पुरोहितों ने समाज में प्रभावपूर्ण पद को श्राप्त करके ईश्वर और धर्मावलम्बियों के बीच मध्यस्थता की प्रभावपूर्ण भूमिका निभा कर जनता का शोषण किया है। इतिहास इस बात का साक्षी है कि विभिन्न कालों में पुरोहितों ने जनसाधारण पर अनेक प्रतिबन्ध लगाए हैं, तथा तनाव एवं संघर्ष पैदा किए हैं। हिन्दू धर्म में ग्राहण पुरोहितों ने अद्यतों के लिए शिक्षा को निपिण्ड किया। निम्न जातियों को भी शिक्षा से दूर रखा, पिछड़े गया जातियाँ कठपर नहीं डठ पाई। इससे संघर्ष पैदा हुए हैं।

धर्म से सम्बन्धित अवधारणाएँ (Concepts related to Religion)

वेबर ने धर्म के समाजशास्त्र का विकास विश्व के विभिन्न धर्मों के तुलनात्मक अध्ययन एवं विश्लेषण करने के साथ-साथ धर्म से सम्बन्धित कुछ अवधारणाओं पर भी प्रकाश डाला है। धर्म के समाजशास्त्र को समझने के लिए विनांकित करितय अवधारणाओं का अर्थ जान लेना उपयोगी होगा।

( 1 ) अलौकिक (Supernatural) — वेबर ने धर्म के समाजशास्त्र में अलौकिक शक्तियों, ईश्वर, देवी-देवता, लाभकारी एवं अनिष्टकारी आत्माओं की अवधारणाओं को महत्वपूर्ण माना है। आपके अनुसार इनके द्वारा ही किसी समाज के धर्म को ठोक से समझा जा सकता है। इन विभिन्न पारलौकिक शक्तियों के प्रभावों को समाज की विभिन्न परंपराओं, क्रियाकलापों, आपात स्थिति आदि में देख सकते हैं। इन अलौकिक शक्तियों को दो प्रधारणे हैं,

कुछ तो संसार के सभी समाजों में पूजे जाते हैं, जैसे—ईश्वर, भगवान तथा कुछ स्थानीय देवी-देवता होते हैं जो परिवार, नगर या गाँव के स्तर पर पूजे जाते हैं। वेवर ने स्पष्ट किया है कि हिन्दू धर्म वह—ईश्वरवादी है तो कुछ धर्म, जैसे—इस्लाम एवं यहूदी धर्म एक-ईश्वरवादी धर्म हैं।

(2) प्रतीक (Symbol)—देवी-देवता, ईश्वर, अलौकिक शक्ति आदि के सम्बन्ध में माना है कि ये घटनाओं, क्रियाकलापों आदि को प्रभावित करती हैं। ये शक्तियाँ अमृती और अदृश्य होती हैं जिनको समझने, आराधना करने आदि के लिए समाज उन्हें प्रतीकों के रूप दे देता है। इसको अभिव्यक्त करने के लिए प्रतीकों की सहायता ली जाती है। इमीलए धर्मों में प्रतीकों का विशेष महत्व है।

(3) सामर्थ्य (Competence)—वेवर ने लिखा है कि अलौकिक शक्ति वो सम्बन्धित धर्म वाले मानते हैं कि वह सर्वत्र विद्यमान है, सब शक्तिमान है। वह कुछ भी कर सकने की सामर्थ्य रखती है। वही समार की पालक तथा कर्ता है। इन पारलौकिक शक्तियों एवं सामर्थ्य के अनुमार सम्बन्धित धर्म के अनुयायी क्रमानुसार इनकी पूजा-पाठ करते हैं। देवी देवताओं में उनका स्थान सर्वोच्च बताया है।

(4) जादुई तत्त्व (Magical Elements)—विश्व के सभी धर्मों में ग्राधना, अर्चना, पूजा पाठ आदि के अतिरिक्त जादुई तत्व भी होता है। जनसाधारण ये मानते हैं कि पूजा-पाठ से जो कार्य रिढ़ होते हैं उनको ईश्वर के द्वारा पुरोहित करवाता है। अगर कोई कार्य नहीं हो पाता है तो वह पुरोहित में कुछ कमी होने का परिणाम भाना जाता है। पर्मावलम्बियों की धारणा होती है कि धर्म में कोई-न-कोई चमत्कारी शक्ति है जो असम्भव कार्य को जादुई शक्ति के द्वारा पूर्ण कर देती है। कार्य सिद्ध नहों होने पर अनुयायी ईश्वर को दोष न दंकर पुरोहित के द्वारा की गई किसी त्रुटि का दोष मानते हैं।

(5) पाप (Sin)—वेवर ने धर्म से सम्बन्धित पाप की अवधारणा पर प्रकाश डाला है। आपने धर्म के तुलनात्मक अध्ययन में पाया कि पाप की अवधारणा के बारें धार्मिक सोच में परिवर्तन आया। अगर कोई धार्मिक नियमों, व्यवहारों, कृतियों, संस्कारों का उल्लंघन करेगा तो उसे अलौकिक शक्ति के क्रोध को भोगना पड़ेगा। धर्म-विश्व कार्य पाप है और उसका दण्ड मिलता है। हिन्दू धर्म में पिछले जन्म के कर्मों का फल इस वर्तमान जन्म में भोगना पड़ता है। अगर कोई पिछले जन्म में धर्म-विरोधी कर्म (पाप) करेगा तो इस जन्म में भुगतने पड़ेंगे। इस जन्म के पाप पूर्ण कुकर्मों के फल अगले जन्म में भुगतने पड़ेंगे। पाप की अवधारणा के फलस्वरूप अनुयायियों से भलाई-बुराई, सत कर्म, अच्छा-बुरा, हिंसा-अहिंसा आदि से सम्बन्धित चेतना, विश्वास, धारणाओं का विकास हुआ।

(6) नियेप (Taboo)—वेवर ने नियेप को धर्म से सम्बन्धित महत्वपूर्ण अवधारणा माना है। धर्म को समझने के लिए नियेपों की व्याख्या तो नहीं की है परन्तु इसके गुण-दोषों तथा नैतिक और व्यावहारिक लक्षणों पर प्रकाश डाला है। सभी धर्मों में कुछ कार्यों या क्रियाओं को करने पर प्रतिविभ लगे होते हैं वहीं नियेप कहलाते हैं। हिन्दू धर्म में गाय को मारना पाप है। द्वाहाण

में माँस खाना निषेध है। वेबर ने लिखा है कि एक समाज निषेधों का पालन करने वालों में बन्धुत्व की भावना पैदा हो जाती है। निषेध के पौछे तकनापरकता या विवेकीकरण की प्रक्रिया कार्य करती है। धर्म को पहचान निषेधों द्वारा भी को जा सकती है।

### धार्मिक अधिकारियों के प्रकार एवं कार्य

(Types and Functions of Religious Officials)

वेबर ने लिखा है कि सभी धर्मों में अलौकिक शक्ति की आराधना तथा उपासना की क्रियाओं को करने के लिए विशिष्ट व्यक्ति होते हैं, जैसे—पुरोहित, पादरी, ओड़ा, पैगम्बर आदि। आपने उल्लेख किया है कि धार्मिक गतिविधियाँ कौन-से धार्मिक अधिकारी किस प्रकार करते हैं। कुछ प्रमुख धार्मिक अधिकारी, उनकी विशेषताएँ एवं कार्य निम्नांकित हैं—

( 1 ) पुरोहित और ओड़ा (Priest and Sorcerer)—पुरोहित धर्म का व्यावसायिक अधिकारी होता है। उसका कर्तव्य ईश्वर की प्रतिष्ठा को स्थापित करना होता है। इसकी गतिविधियाँ नियमित होती हैं, जैसे—मूर्ति को प्रतिदिन स्नान करवाना, तिलक और चन्दन लगाना, वस्त्राभूषण पहनाना आदि-आदि। वह अपने कार्य में स्वतंत्र होता है। ओड़ा की प्रस्तिति और कार्य पुरोहित से भिन्न होते हैं। ओड़ा भूत-प्रेतों को भगाता तथा उतारता है। वह उन पर नियंत्रण करने की विद्या जानता है। वेबर तथा कुछ सामाजिक मानवशास्त्रियों के अनुसार कुछ समाजों में ओड़ा और पुरोहित के कार्य एक ही व्यक्ति करता है। पुरोहित और ओड़ा में अन्तर अनुमानित होता है। वेबर ने लिखा है कि पुरोहित को अपने धर्म का ज्ञान होता है तथा वह सात्त्विक और बौद्धिक दृष्टि से उच्च स्तर का होता है। उसे धार्मिक परम्परा का ज्ञान होता है। कुछ धर्मों में ओड़ा भी ज्ञानी और विद्वान देखे जा सकते हैं। इसी प्रकार पुरोहित भी अज्ञानी और अनपढ़ देखे जा सकते हैं। ओड़ा की जानकारी अनुभविक होती है तथा पुरोहित की तार्किक। पुरोहित अपने मठ या सम्प्रदाय का अधिकारी होता है। उसके अनुयायी सुनिश्चित और स्पष्ट होते हैं। ओड़ा का जीवन, कार्य-प्रणाली, क्षेत्र, अनुयायी आदि व्यक्तिगत होते हैं। इसका कोई मठ या सामुदायिक संगठन नहीं होता है।

( 2 ) पैगम्बर (Prophet)—पैगम्बर या अवतार लगभग सभी धर्मों में होते हैं। ईश्वर के आदेश पैगम्बर द्वारा अनुयायियों को प्राप्त होते हैं। ईश्वर अमूर्त और अदृश्य होता है जबकि पैगम्बर सशरीर होता है। वेबर के अनुसार पैगम्बर असाधारण विशेषताओं वाला होता है। उसमें करिश्मा होता है जिसके कारण उसका जीवन, दिनचर्या, बातें, आदेश, वचन सब कुछ जन-सामान्य के लिए आदर्श हो जाता है। पैगम्बर नवीन धर्म की घोषणा करता है तथा उसके प्रवचन एवं उपदेश धार्मिक आदेश के रूप में अनुयायियों द्वारा पालन किए जाते हैं। पैगम्बर के लिए नए धर्म की स्थापना करना या नवीन धार्मिक सम्प्रदाय को जन्म देना आवश्यक नहीं है। पैगम्बर समाज सुधारक भी हो सकता है। इस्ताम धर्म के हजरत मोहम्मद पैगम्बर इसके उदाहरण हैं।

सामाजिक वर्गों की धार्मिक अभिवृत्तियाँ (Religious attitudes of Social Classes)—वेबर ने विश्व के विभिन्न धर्मों के विश्लेषणों में पाया कि समाज के विभिन्न स्तरों, वर्गों, ब्रेजियों आदि के धर्म के सम्बन्ध में भिन्न-भिन्न दृष्टिकोण होते हैं। आपने कहा कि लोगों की जैसी सामाजिक स्थिति होती है उसी के अनुसार उनका धर्म के प्रति दृष्टिकोण होता है। इसी

७५% वे भाषा । ६८% । ये सेनिक मरदार, अधिकारी, व्यापारिक वर्ग और निम्न वर्ग के ८०% वे भाषा । ८०% । ये विवेचना प्रस्तुत हैं ।

( १ ) भूक-भाषा (Bilingual) — येवर की मान्यता है कि किसान की कृषि वाड़ और मूँछ पकड़ा, ये भूके होते हैं, यह प्रकृति के निकट होते हुए भी धर्म के प्रति लगाव नहीं रखता है । १८% १३% ऐतिहासिक दृष्टि से भी योंकर नहीं किया । उनका कहना है कि धर्म एक शहरी कर्म है । १५% १५% वे भाषजते हैं कि किसान प्रकृति के निकट होने के कारण धर्म में विश्वास रखता है । ये भूके वे गुजार लोगों की यह धारणा गलत है ।

( २ ) कुलीन योद्धा (Noble Warrior) — कुलीन योद्धा, सेनिक मरदार, राजपूत भाषा । आदि का जीवन युद्ध के कारण कभी भी समाप्त हो सकता है । उनका जीवन अनिश्चित रहता है । इसलिए इस वर्ग के लोगों की आवश्यकता को पुर्ति वही धर्म कर सकता है जिसमें जीवन । ११% ११% से सम्बन्धित काला जादू हो, विजय के लिए प्रार्थना-अर्चना हो, भरणोपरान्त स्वर्ग एवं पोश यी प्राप्ति की वात हो । योद्धाओं का धर्य लॉकिक अधिक होता है । ये सेनिक मरदार मोक्ष, पाप, दया, अहिंसा आदि में विश्वास नहीं रखते हैं ।

( ३ ) अधिकारी (Bureaucrats) — अधिकारी, नौकरराह, दफ्तरशाही और अधिकारियों आदि की अभिहृचि उपर्योगितावादी और अवसरवादी धर्म में होती है । इस वर्ग के लोगों में ताकिकता अधिक होती है । इसीलिए इस वर्ग के लोग बेवर के अनुसार धर्म-प्रियुष होते हैं ।

( ४ ) व्यापारिक वर्ग (Business Class) — व्यापारी वर्ग के लोगों का प्रमुख उद्देश्य अधिक-से-अधिक धनोपार्जन करना होता है । ये लोग पारलौकिक दुनिया से कोई सम्बन्ध नहीं रखते हैं परन्तु बेवर की मान्यता है कि ऐतिहासिक प्रणालों से एष्ट होता है कि धर्म तथा व्यापारिक और औद्योगिक विकास में फिल्ली शताब्दियों में परस्पर गहन सम्बन्ध रहा है । आपने लिखा है कि व्यापारिक वर्ग धार्मिक नीतिप्रक व्यवहार से जितना अधिक सम्बन्धित होगा व्यापारिक और औद्योगिक विकास उतना ही अधिक होगा । आपने आगे चलकर धर्म और पूँजीवाद के परस्पर सम्बन्ध को अपनी भ्रान् कृति “प्रोटेस्टेण्ट आचार और पूँजीवाद की आत्मा” में विस्तार से विश्लेषित किया है ।

( ५ ) निम्न वर्ग (Lower Class) — येवर ने अपने अध्ययन में देखा कि निम्न वर्ग के लोग, जैसे कि गुलाम और कारखानों में काम करने वाले कामगारों में धर्म के प्रति कोई विरोध उत्तरोत्तरीय संवेदन या आकरण नहीं होता है । आपने इमर्झ कारणों पर प्रकाश डालते हुए लिखा है कि धर्म के प्रति संवेदन का अभाव उनकी निर्भनता तथा विषयनावस्था है । ये वर्ग अपनी भ्रमस्थाओं से इतने अधिक ग्रसित होते हैं कि इनको धर्म के सम्बन्ध में भोचने का समय ही नहीं मिलता है । आज का सर्वहारा वर्ग भी धर्म में कोई विश्वास नहीं रखता है । धर्म के सम्बन्ध में यह धारणा मिलती है कि उच्च वर्ग तथा जातियां धर्म के द्वारा अपनी उच्च स्थिति बनाए रखते हैं तथा निम्न जातियां तथा तर्गों को ऊपर ठिठने नहीं देते हैं । येवर इसे भी अतिशयोक्ति मानते हैं कि आदिम इसाई धर्म

में यह आग्रह पूर्वक कहा गया है कि कमज़ार वर्ग के लोग इमा मसीह के प्रति सम्पूर्ण संवदना रखते हैं। धर्म तो गरीबों को गरीब बनाए रखने का प्रभावपूर्ण साधन है। फिर ऐसे धर्म के प्रति गरीबों की आस्था कैसे हो सकती है।

(6) बौद्धिक वर्ग (Intellectual Class) — वेबर ने बौद्धिक वर्ग के लोगों की धर्म के प्रति आस्था तथा अभिवृत्तियों की विवेचना करते हुए लिया है कि अनेक वर्षों तक बादिक क्षेत्र के विकास ने धर्म को बहुत प्रभावित किया है। यूरोप में स्वाधीनता के आने के साथ-साथ धार्मिक क्षेत्र में भी धर्म निरपेक्षता का विकास हुआ है। वेबर के अनुसार बौद्धिक वर्ग के सोगा में धर्मों के प्रति सहिष्णुता भी विकसित हुई है तो दूसरी ओर आक्रामक मनोवृत्ति के विकास को भी देखा जा सकता है। बादिक वर्ग ने धर्म की व्याख्याएँ भी की हैं।

### वेबर का बौद्धिक दृष्टिकोण

#### (Intellectual Perspective of Weber)

वेबर के धर्म सम्बन्धी बौद्धिक दृष्टिकोण को उनकी कृति 'दा प्रोटेस्टेण्ट एथिक एण्ड दा स्पिरिट ऑफ कैपिटलिजिन्म' में देख सकते हैं। आपने प्रश्न उठाया कि पश्चिमी समाजों में प्रचलित विचार-मनुष्य का कर्तव्य ईश्वर द्वारा प्रदत्त अपनी आजीविका कमाने में है। "का मूल क्या है? विभिन्न समाजों और सभ्यताओं में इस समस्या का सम्बन्ध धर्म और समाज से है। वेबर ने संसार के छः प्रमुख धर्मों के तुलनात्मक अन्वेषण एवं व्याख्या के आधार पर यह स्पष्ट किया कि किस प्रकार से कुछ धार्मिक सिद्धान्तों के प्रभाव से आर्थिक जीवन की तर्कनापरकता में वृद्धि होती है और किस प्रकार से कुछ धार्मिक सिद्धान्तों के द्वारा घटती है। मैक्स वेबर ने निम्न तीन प्रमुख समस्याओं को लेकर धर्म की समाजशास्त्रीय विवेचना का अध्ययन प्रारम्भ किया था—

(1) एक औसत अनुयायी की धर्म-निरपेक्ष नीति और आर्थिक व्यवहार पर प्रमुख धार्मिक विचारों का प्रभाव।

(2) समूह की रचना पर धार्मिक विचारों का प्रभाव।  
 (3) विभिन्न सभ्यताओं में धार्मिक नीतियों के कारणों और प्रभावों की तुलना के द्वारा पश्चिमी सभ्यता के तत्त्वों को ज्ञात करना।

वेबर ने उपर्युक्त समस्याओं से सम्बन्धित प्रभावों और कारणों का पता साजाने के लिए गणितीय पूँजीबाद के विकास का अध्ययन करके यह जानने का प्रयास किया कि पूँजीपति लोगों में धार्मिक द्वृकाव का क्या प्रारूप है। वेबर ने तुलनात्मक अध्ययन के आधार पर निष्कर्ष निकाला कि सभी समाजों में बड़े व्यापारियों में एक नैतिक कल्पना होती है कि देवता व्यक्ति से अच्छे कार्य की अपेक्षा करते हैं और उसे उपर्युक्त पुरस्कार भी देते हैं एवं दूसरी ओर बुरे कार्यों के लिए व्यक्ति को दण्ड दिया जाता है। वेबर का कहना है कि यह अपनी उन्नति और दीर्घयु के लिए धार्मिक विश्वासों के अनुसार कार्य करता है। आपने धार्मिक कारकों को परिवर्तनी का कारण माना है। आपके अनुसार आर्थिक और सामाजिक घटनाओं तथा परिणामों का कारण धर्म है। आपने मानवसं के निष्कर्ष कि 'आर्थिकी धर्म का निर्णयक है' नहीं माना है। यात्कि इसके विपरीत धर्म

को आर्थिकों का कारण माना है तथा विश्व के छः महान धर्मों के अध्ययन ने आधार पर इसे सिद्ध भी कर दिया। आपकी मान्यता है कि लोग धार्मिक आचारों के अनुमार इमलिए बायं करते हैं कि उनको विश्वास है कि ऐसा करने से उनकी प्रगति एवं उन्नति होगी तथा ये दीर्घायु होंगे।

मैंकम वेवर ने गहन अध्ययन करके प्रोटेस्टेण्ट धर्म के उन महत्वपूर्ण आचारों को खोज निकाला जिनके प्रभाव से आधुनिक पूँजीवाद की आत्यका विकास हुआ है। आपने धर्म को कारण माना तथा सिद्ध किया कि धर्म किस प्रकार से सामाजिक और आर्थिक जीवन को प्रभावित करता है। वेवर ने धर्म के समाजशास्त्र से सम्बन्धित निम्नलिखित निष्पत्ति प्रस्तुत किए हैं—

( 1 ) पारस्परिक निर्भरता (Interdependence)—वेवर ने यह निष्पत्ति किया कि धार्मिक एवं आर्थिक घटनाएँ परम्परा एक दृमर में मान्यन्मित और एक दृमर पर आश्रित होती हैं। सामाजिक व्यवस्था में इनमें से किसी एक को दृमर का निर्णायक (कारण) मानना अनुचित एवं अवैज्ञानिक है। सत्य तो ये हैं कि दोनों एक-दूसरे को प्रभावित करते हैं और प्रभावित होती हैं।

( 2 ) बहुवाद (Pluralism)—वेवर बहुवादी थे। आपका कहना था कि सामाजिक वैज्ञानिक को सामाजिक घटनाओं के विश्लेषण में एक-तरफा तथा एक-कारकीय दृष्टिकोण नहीं अपनाना चाहिए। मात्र धार्मिक या आर्थिक आधार पर किसी घटना की व्याख्या और विवेचना नहीं करनी चाहिए बल्कि अन्य कारकों के प्रभाव का भी ध्यान रखना चाहिए।

( 3 ) एक-कारक की सुविधा (One-factor facility)—अध्ययन की सुविधा के लिए किसी एक कारक को कारण तथा निर्णायक के रूप में देखा जा सकता है। किसी एक कारक को एक परिवर्तनीय तत्त्व या कारण माना जा सकता है, जैसे—मार्क्स ने आर्थिकी को तथा वेवर ने धर्म को समाज में सभी परिवर्तनों एवं परिणामों का कारण सिद्ध किया। वेवर ने धार्मिक कारक को एक परिवर्तनीय तत्त्व या कारक मानकर आर्थिक तथा अन्य सामाजिक घटनाओं पर प्रभाव के विश्लेषण की विवेचना की।

( 4 ) आदर्श प्रारूप (Ideal Type)—वेवर ने प्रमुख धर्मों के केवल आदर्श प्रारूपों की विवेचना की है। आपने सभी धर्मों के सभी तत्त्वों का उल्लेख नहीं किया है। आपने धर्म के अवेषण में आदर्श प्रारूप का प्रयोग किया है।

### धर्म सम्बन्धी विचार

#### (Views Related to Religion)

वेवर ने 1904 और 1905 में व्यक्ति के आर्थिक व्यवहारों पर धार्मिक कारकों के प्रभावों की व्याख्या सम्बन्धी लेख लिखे थे। इन्हीं लेखों के आधार पर आपने विस्तार से इस समस्या पर प्रकाश डाला कि किस प्रकार से प्रोटेस्टेण्ट धर्म की नीतियाँ पूँजीवाद के विकास को प्रभावित करती हैं। यह सम्पूर्ण सामग्री आपकी कृति 'दा प्रोटेस्टेण्ट एथिक एण्ड दा स्प्यरिट ऑफ कैपीटलिन्म' में प्रकाशित हुई। इस पुस्तक में वेवर ने कहा कि प्रोटेस्टेण्ट नीति एक आवश्यक कारक था जिसके अभाव में आधुनिक पूँजीवाद का विकास नहीं हो सकता था। आपने इन दोनों—आधुनिक पूँजीवाद

'ओर प्रोटेस्टेंट नीति के 'आदर्श प्रारूपों' के आधार पर उपर्युक्त गुण-सम्बन्ध के सम्मापन की जांच की थी। वेवर के धर्म सम्बन्धी विचारों एवं धर्म के समाजशास्त्र की पूर्ण जानकारी के लिए इन दोनों अवधारणाओं का ज्ञान आवश्यक है जो निम्नलिखित पृष्ठों में प्रस्तुत किया जा रहा है।

(1) **पूँजीवाद का सार (L'sence of Capitalism)**—वेवर ने पूँजीवाद की विशेषताओं को अपने पारिवारिक जीवन में देखा। आपने अपने भाचा कार्ल डेविड वेवर में व्यक्तिवाद तथा अर्थिक आचरणों से सम्बद्ध नैतिकता का एक विशिष्ट सम्मिश्रण पाया। उनके भाचा गाँव के घेरलू उद्योग पर आधारित उद्यम के सम्मापक धे तथा वे कठोर परिश्रमी, दिखावा न बरने वाले, दयालु और तर्कनापरकता के गुणी व्यक्तित्व चाले थे। ऐसे गुण आधुनिक पूँजीवाद के उद्यमकर्ताओं में मिलते हैं। भाचा के व्यक्तित्व से वेवर प्रभावित हुए तथा वेवर को धारणा बन गई कि पूँजीवाद में एक विशेष प्रकार की नैतिकता का होना आवश्यक है। पूँजीवाद के सार को समझाने एवं विवेचना करने के लिए वेवर ने एक अन्य अर्थिक क्रिया की अवधारणा दी जिसको इन्होंने 'परम्परावाद' कहा। परम्परावाद पूँजीवाद की विल्कुल विपरीत अर्थिक-क्रिया है। वेवर के अनुसार परम्परावाद वह स्थिति है जिसमें व्यक्ति अकस्मात् लाभ प्राप्त करना चाहता है, सिद्धान्तहीन तरीकों से धन सचय करना चाहता है। व्यक्ति कम काम और अधिक लाभ प्राप्त करना चाहता है। काम के समय आराम करना अधिक प्रसन्न करता है। उसमें कार्य की नवीन प्रविधियों से अनुकूलन करने की इच्छा एवं गुण का अभाव होता है। ये लोग कम आय से ही सन्तुष्ट रहते हैं। वेवर ने दक्षिण यूरोप, एशिया के विशेषाधिकार सम्बन्ध समूहों, चीन के अधिकारियों, रोम के अभिजात वर्ग तथा एल्बी नदी के पूर्व के जमीदारों की अर्थिक क्रियाओं को पूँजीवाद नहीं माना है व्योकि ये अकस्मात् लाभ कमाना चाहते हैं, इनकी अर्थिकों में तर्कनापरकता का अभाव विद्यमान था। आधुनिक पूँजीवाद में परम्परावाद की उपर्युक्त विशेषताओं से विपरीत विशेषताएँ विद्यमान होती हैं।

वेवर ने आधुनिक पूँजीवाद के निम्न विशिष्ट लक्षण गिनाएँ हैं—

(1) आधुनिक पूँजीवाद में व्यापार, वाणिज्य और उद्योग बड़े पैमाने में तर्कनापरकता पूर्ण वैज्ञानिकता पर आधारित विधि से व्यवस्थित, समर्थित एवं संचालित होता है। उत्पादन अधिक लोगों द्वारा मशीनों से किया जाता है। (2) उत्पादित वस्तुओं की विक्रय व्यवस्था समर्थित होती है। (3) अधिकतम कार्यकुशलता पर जोर दिया जाता है जिसके लिए श्रम-विभाजन एवं विशेषोकरण का विशेष ध्यान रखा जाता है। (4) पूँजीवादी व्यवस्था का सर्वोच्च उद्देश्य अधिकतम लाभ कमाना होता है। इस व्यवस्था में कार्य ही जीवन, कुशलता एवं धन है। (5) इस व्यवस्था में जोखिम अधिक होती है। व्यक्ति में कर्तव्य परायणता, आत्मविश्वास तथा व्यवसाय के प्रति पूर्ण निष्ठा होना आवश्यक है। व्यवसाय में कुशल व्यक्ति धन और समान दोनों पाता है तथा अकुशल व्यक्ति धन और समान दोनों ही नहीं पाता है। वेवर के पूँजीवाद का यही सार है।

परिचयी समाजों के अतिरिक्त अन्य समाजों में भी ऐसे लोग हुए हैं जिन्होंने अपने व्यापार के लिए कठोर परिश्रम किया, बचत को व्यापार के विस्तार करने में लगाया, वेवर का कहना है कि उपर्युक्त विणित पूँजीवादी विशेषताएँ परिचयी समाजों में अधिक मिलती हैं। परिचय के समाजों में कठोर श्रम, तर्कनापरकता, तार्किक आधार पर वस्तुओं का उत्पादन, समर्थित विनियम

केन्द्र आदि जीवनयापन के सामान्य तरीके बन गए हैं। यह सब कुछ समाज की संस्कृति के अभिन अग एवं विशेषताएँ हैं। व्यापारिक आचार, सार्वजनिक ध्रम व्यवस्था, पूँजी का निरन्तर विनियोजन, कठोर परिश्रम आदि पूँजीवाद का सार है, जो मामान्य आर्थिकी या परम्परावाद से विलकुल विपरीत एवं भिन्न हैं।

(2) प्रोटेस्टेण्ट नीति (Protestant Ethics)—प्रश्न यह उठता है कि आधुनिक पूँजीपति-आर्थिक-व्यवस्था को कौनसी शक्ति या कारक सम्भव बनाती है? वेवर के अनुसार वह शक्ति या कारक प्रोटेस्टेण्ट धर्म को नीति या आचार है जो इस पूँजीपति व्यवस्था को नियन्त्रित निर्देशित, संचालित तथा सन्तुलित रखती है। आधुनिक पूँजीपति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए जिन आचारणों, मूल्यों, नीतियों की आवश्यकता होती है उनम् मध्यमित अनेक प्रवचन उपदेश, आचार आदि प्रोटेस्टेण्ट धर्म से प्रधावित धर्मिक और सामाजिक नेताओं द्वारा प्रदर्शित हात रहे हैं। ये निम्न प्रकार के हैं—

पेटी (Perry), माण्टेस्क्यु (Montesquieu), बकल (Buckle), कीटस (Keats) आदि ने वेवर से पूर्व प्राटेस्टेण्ट धर्म आर व्यापारिक प्रवृत्ति के विवाद के पास्यर मध्यमितों पर अपन विचार व्यक्त किए थे। वेवर ने अपने शिष्य बाडेन (Baden) में शिक्षा के चयन और धार्मिक मध्यमितों का सर्वेक्षण करवाया जिससे एता चला कि कैथोलिक छात्रों को तुलना में प्रोटेस्टेण्ट विद्यार्थी उन शिक्षण संस्थाओं में अधिक जाते हैं जो औद्योगिक जीवन से सम्बन्धित होती हैं। अध्ययन में यह पाया गया कि यूरोप में कुछ अल्पसंख्यक समूहों ने कठोर परिश्रम करके सामाजिक और राजनीतिक हानियों को पूरा कर लिया। परन्तु कैथोलिक धर्मविलम्बी ऐसा नहीं कर पाए। इन परिणामों के आपार पार वेवर ने यह परिणाम निकाला कि धर्मिक नीति (आचार) और आर्थिक गतिविधियों में परस्पर सहसम्बन्ध होता है। वेवर ने सर्वेक्षण में पाया कि जिन नागरिकों और प्रदेशों के लोगों ने प्रोटेस्टेण्ट धर्म अपनाया वहाँ आर्थिक लाभ को प्रोत्साहित किया जा रहा था। प्रोटेस्टेण्ट धर्म पोषक के सर्वस्व अधिकार को भी स्वीकार नहीं करता है। यूरोप के विभिन्न देशों में पूँजीवाद के विराम का प्रमुख कारण यहाँ पर प्रोटेस्टेण्ट धर्म के प्रमुख तत्त्वों : संग्रह की प्रवृत्ति, इमानदारी, नीतिकालादी दृष्टिकोण, धर्म के प्रति निदान का होना था। इन देशों में प्रोटेस्टेण्ट धर्म के अनेक आदेशों तथा नीतियों का प्रभाव भी पड़ा। जिनमें से कुछ प्रमुख निम्नलिखित हैं।

(1) सेण्ट पाल के प्रोटेस्टेण्ट धर्म की नीति में सम्बन्धित निम्न आदेश वा व्यापक स्पष्ट में प्रभाव पड़ा, “जो व्यक्ति काम नहीं करेगा, वह गोंदी नहीं खाएगा। तथा निभैन की तरह भनवान भी ईश्वर के गोंदी में तृद्धि करने के लिए किमी-न-किसी पेशे में अवश्य जुटे।”

(2) रिचार्ड बैक्स्टर (Richard Baxter) का कथन, “केवल कर्म के लिए ही ईश्वर हमारी और हमारी क्रियाओं की रक्षा करता है, परिश्रम ही शक्ति का नीतिक एवं प्राकृतिक उद्देश्य है.... केवल परिश्रम से ही ईश्वर की सघसे अधिक भेदा एवं सम्मान ही सकता है।”

(3) सेण्ट जॉन व्यनियन का कथन, “यह नहीं कहा जाएगा कि तुम क्या विश्वास करते थे, केवल यह कहा जाएगा कि क्या तुम कुछ परिश्रम भी करते थे या केवल बातूनी थे।”

(4) बैंजुमिन फ्रैकलिन (Benjamin Franklin) आधुनिक पूँजीवाद के भावितक सिद्धान्तों के प्रतिपादक भावने जाते हैं। आपने अस्तिकथा में उन लोगों के लिए अनुरूप उपदेश दिए हैं जो धनी होना या व्यवसाय में सफल होना चाहते हैं। ये उपदेश प्रोटेस्टेण्ट नीतियां या आचारों के अनुहृत हैं। इन उपदेशों में से कुछ महत्वपूर्ण उपदेश यहाँ पर वर्णित हिए जा रहे हैं—

1. समय ही धन है।
2. धन से धन कमाया जाता है।
3. एक पसा बचाना एक पैसा कमाना है।
4. इमानदारी सबसे अच्छी नीति है।
5. कार्य ही पूजा है।
6. जल्दी सोना आर जल्दी डठना व्यक्ति को स्वभव धनी और युद्धमान बनाता है।

**निष्कर्षः** यह कहा जा सकता है कि प्राटस्टेण्ट नीति म सहित जीवन, परिश्रम समय का सदुपयोग, व्यर्थ की बातचीत पर प्रतिबन्ध, कम सोना, ईश्वर के ध्यान के स्थान पर परिश्रम एवं कार्य करना, ईमानदार एवं डत्साही हाना, पैसा बचाने पर जोर देना, मितव्ययी हाना आदि हैं, जिन्होंने आधुनिक पूँजीवाद को सम्भव बनाया है।

### प्रोटेस्टेण्ट धर्म की नीतियाँ एवं पूँजीवाद

#### (Ethics of Protestant Religion and Capitalism)

वेवर के अनुसार प्रोटेस्टेण्ट धर्म की निम्नलिखित कुछ महत्वपूर्ण नीतियाँ हैं जिनके प्रभाव से यूरोप में आधुनिक पूँजीवाद का विकास हुआ है—

(1) कार्य ही पूजा है (Work is Worship)—प्रोटेस्टेण्ट धर्म की नीति है “काम करना ही सबसे बड़ा गुण है।” कैथोलिक धर्म में परिश्रम करके जीविकोपार्जन करना पाप एवं दण्ड है। इस सम्बन्ध में कैथोलिक धर्म में आदम और ईश्वर की माथा प्रमाण है। ईश्वर ने आदम और ईश्वर को स्वार्ग में एक पेड़ के फल को खाने से मना कर रखा था। जिसको खाने से अच्छे-युरो का ज्ञान प्राप्त हो जाता था। इन्होंने ईश्वर के मना करने पर भी शैतान के बहकावे से आकर वह फल खा लिया। ईश्वर ने इसी होकर उन्हें स्वर्ग से निकाल दिया जहा पूछ्यी पर भेज दिया और श्राप दिया कि ईश्वर और उसकी पुत्रियों को कष्ट से सन्ताने होगी और आदम और उसके पुत्र परिश्रम करके पसीना बहा कर रोटी रोजी कमाएंगे। यह श्राप स्पष्ट करता है कि कैथोलिक धर्म में श्रम करके रोटी रोजी कमाना धुरी बात है तथा एक दण्ड है वहीं प्रोटेस्टेण्ट धर्म में परिश्रम एक उत्तम कार्य माना जाता है। “कर्म ही पूजा है” अथवा “परिश्रम से ही ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है।” प्रोटेस्टेण्ट धर्म को इस नीति के प्रभाव के परिणामस्वरूप पूँजीवाद का विकास सम्भव हुआ है।

(2) कैल्विनवाद या व्यावसायिक आचार (Calvinism or Vocational Ethics)—प्रोटेस्टेण्ट धर्म की नीति की दूसरी महत्वपूर्ण देन पूँजीवाद का ‘व्यावसायिक आचार’ है। पूँजीवाद के विकास के लिए परिश्रम, डत्साह और व्यावसायिक सफलता अनिवार्य लक्षण है। कैल्विनवाद इनी विशेषताओं का समाज में प्रचार और प्रसार निम्न प्रसार से करता है।

प्रोटेस्टेण्ट धर्म में मान्यता है कि जो श्रम करेगा, व्यवसाय में मफल होगा वही स्वर्ग में जाएगा तथा जो आलमी होगा, श्रम से डेरेगा, ल्यावसाय में असफल रहेगा वह नरक में जाएगा। कल्याणवाद प्रत्येक व्यक्ति को यह नैतिक शिक्षा देकर उसे कठोर परिश्रमी बनाता है। गिरजाघर में जाने से मुक्ति नहीं मिलेगी। मुक्ति मिलेगी कठोर परिश्रम तथा व्यावसायिक सफलता से और ईश्वर इसी सफलता से प्रभन्न होता है।

( 3 ) व्याज की आय को मान्यता (Approval of Interest-income)—प्रोटेस्टेण्ट धर्म की नीति है “भन से भन पिंडा होता है।” इसलिए इस धर्म में व्याज पर पैसा देकर भन को द्विगुणित करना अच्छा माना जाता है। इसके विपरीत कैथोलिक, इस्लाम, हिन्दू आदि धर्मों में व्याज लेना पाप माना जाता है। पूँजीवाद के विकास में इस व्याज कमाने के आचरण ने महेंगा किया है।

( 4 ) शराबखोरी पर प्रतिबन्ध एवं ईमानदारी को प्रोत्साहन (Restrictions on Alcoholism and Encouragement to Honesty)—प्रोटेस्टेण्ट धर्म में शराबखोरी तथा नशावाजी का दुरु यताया गया है और ईमानदारी को उच्च मम्मान प्रदान किया गया है। इस आनन्द सहिता के परिणामस्वरूप लोगों में नशाखोरी घटती गई तथा आलस्य भी कम होता चला गया। इसमें कार्यकुशलता में बढ़ि द्वारा इसका प्रभाव पूँजीवादी अर्थव्यवस्था के विकास पर राकारात्मक पड़ा। व्यक्ति कारबानों में शराब गोकर मरीन नहीं चला राकते। नशे में दुर्घटना घटने की पूर्ण सम्भावना रहती है। उससे जानमाल की हानि होती है। इस पर रोक लगाने से तथा ईमानदारी से काम करने से दुर्घटनाएँ घटनी कम हुई तथा उत्पादन बढ़ा जिसने पूँजीवाद के विकास को प्रोत्साहित किया।

( 5 ) अवकाश पर रोक (Restrictions on Leave and Holidays)—प्रोटेस्टेण्ट धर्म में आगर कोई व्यक्ति लघ्ये समय तक अवकाश या छुट्टी पर जाता है तो उसे अनुचित माना जाता है। पूँजीवाद का तो नारा ही “कार्य ही पूजा है” का है उसमें न्यूनतम तथा विशेष परिस्थितियों में ही अवकाश प्रदान किया जाता है। इस अधिक कार्य एवं न्यून छुट्टी की विरोपता के कारण भी पूँजीवाद सफलतापूर्वक विकसित होता चला गया।

ठानी (Tawney) ने ‘इंट्रोडक्शन टू प्रोटेस्टेण्ट एथिक एण्ट दा सिरिट ऑफ कैपिटलिज्म’ में लिखा है, “इस क्रान्तिकारी धर्मिक अवधारणा ने नैतिक मानदण्ड को बदलकर धन-ताप की प्राकृतिक कमज़ोरी को आत्मा का आभूषण बना दिया तथा पूर्ववर्ती गुणों में जिन आदतों को दुरु समझा जाता था, उनको अर्थिक गुणों से बदल दिया ..... पूँजीवाद को केंत्वित के धर्मशास्त्र का सामाजिक प्रतिरूप मानना चाहिए।”

इस प्रकार प्रोटेस्टेण्ट धर्म की नीतियों—सदुपयोग, अधिक न सोना, व्यर्थ की बातबीत न करना, ईश्वर के ध्यान के स्थान पर कार्य करना, नशाखोरी नहीं करना, ईमानदार होना, भेहनत से कार्य करना, एवं न्यूनतम छुट्टी लेना आदि के परिणामस्वरूप पूँजीवाद सफलतापूर्वक विकसित हुआ है। परन्तु वेवर की यह मान्यता नहीं है कि पूँजीवाद के विकास का एकमात्र कारण प्रोटेस्टेण्ट धर्म की नीति (आचार) है। आपके अनुगार अन्य अनेक कारकों का भी प्रभाव रहा होगा। मैम्प

वेवर इस प्रकार एक-कारकवादी या एक-कारक निष्ठायकवादी न होकर वहुकारकवादी माने जा सकते हैं।

वेवर ने अपने निष्कर्षों की प्रामाणिकता एवं विश्वसनीयता को सिद्ध करने के लिए अनेक ऐतिहासिक प्रमाण प्रस्तुत किए हैं। आपने तथ्य प्रस्तुत करके स्पष्ट किया है कि आधुनिक पूँजीवादी अर्थव्यवस्था का सर्वोत्तम विकास अमरीका, हालैण्ड, इंग्लैण्ड आदि उन देशों में हुआ है जहाँ पर लोग प्रोटेस्टेण्ट धर्मावलम्बी हैं। उन देशों में पूँजीवादी व्यवस्था विकसित नहीं हुई है जहाँके लोग कैथोलिक धर्मावलम्बी हैं, जैसे—स्पेन, इटली आदि।

**पूँजीवाद और प्रोटेस्टेण्ट नीति का सम्बन्ध (Relationship of Capitalism and Protestant Ethics)**—वेवर ने प्रोटेस्टेण्ट नीति को कारण तथा पूँजीवाद को उसका परिणाम पानकर अध्ययन किया तथा निष्कर्ष में भी पाया कि प्रोटेस्टेण्ट नीति कारण चालक और चर है तथा पूँजीवाद उसका प्रभाव, चरित्र तथा परिणाम है। आपने धर्मों के तुलनात्मक अध्ययनों में 'पूँजीवाद के सार' एवं 'प्रोटेस्टेण्ट नीतियों' में अनेक समानताएँ देखीं। वेवर न ऐतिहासिक प्रमाणा, तथ्यों तथा घटनाओं के आधार पर यह स्थापना की है कि यूरोप के कई देशों में पूँजीवाद की उत्पत्ति, विकास एवं निरन्तरता में प्रोटेस्टेण्ट धर्म की नीतियों की प्रमुख भूमिका रही है। प्रोटेस्टेण्ट धर्म की विभिन्न नीतियों के प्रचार-प्रसार एवं शिक्षा के द्वारा इस धर्म के अनुयायियों का विकास हुआ उसमें वे कैथोलिक धर्मावलम्बियों की तुलना में अधिक परिश्रमी, इमानदार, कर्मठ, पैसा बचाने, व्याज कमाने, कार्य ही मूजा है, समय ही धन है आदि गुणों से सम्पन्न हो गए तथा पूँजीवाद के विकास में सहायक सिद्ध हुए। वेवर ने निष्कर्षतः यही स्थापना की है कि पूँजीवाद के विकास के लिए प्रोटेस्टेण्ट धर्म प्रमुख कारण रहा है।

### संसार के महान् धर्मों का तुलनात्मक अध्ययन : धर्म और पूँजीवाद

#### (Comparative Study of World's Great Religion Religions and Capitalism)

वेवर ने धर्म और आर्थिक सत्त्वना (पूँजीवाद) के पारस्परिक सम्बन्धों की ज्ञात करने के लिए विश्व के महान् छः धर्मों का तुलनात्मक अध्ययन किया। ये छः महान् धर्म—(1) कन्फ्यूशियस, (2) बौद्ध, (3) हिन्दू, (4) ईसाई, (5) इस्लाम और (6) यहूदी थे। इन महान् धर्मों के तुलनात्मक अध्ययन के द्वारा आप धर्मों का पूँजीवाद की उत्पत्ति और विकास पर पड़ने वाले प्रभावों को जानना चाहते थे। आप ये ज्ञात करना चाहते थे कि धर्म का आर्थिक नीति के साथ कहाँ तक और क्या गुण-सम्बन्ध हैं।

**संसार के धर्मों की आर्थिक नीति (Economic Ethics of the World Religions)**—वेवर का उद्देश्य विश्व के महान् धर्मों का अध्ययन करके ये पता लगाना था कि इन विभिन्न धर्मों के नियम, आचार, प्रचरण, मूल्य, उद्देश्य, तौकिक और पारलैंकिक जीवन की इच्छा आदि कहाँ तक आधुनिक पूँजीवाद के विकास से सम्बन्धित हैं। आपने उन धर्मों को महान् धर्म माना है जिनके धर्मावलम्बियों को संख्या बहुत अधिक है, जैसे—हिन्दू, बौद्ध, ईसाई और इस्लाम धर्म। यहूदी धर्मावलम्बी संख्या में कम हैं परन्तु वेवर ने इस धर्म का अध्ययन इमर्तिए

किया क्योंकि इम धर्म में अधिकाश लोग गृंजीपति एवं व्यापारी हैं। वेवर के अध्ययन का उद्देश्य धर्मों की ईश्वरीय मीमांसा का अध्ययन करना नहीं था बल्कि भाषक। उद्देश्य तो धर्मों की उन मामाजिक, मनोवैज्ञानिक, व्यावहारिक आदि विशेषताओं का पता लगाना था जो आर्थिकी के विभिन्न पक्षों को प्रभावित, नियन्त्रित और निर्देशित करती है। धर्म की ये कीन कीनसी विशेषताएँ हैं जो पूँजीवादी आत्मा को प्रभावित करती हैं। धर्म का पूँजीवाद पर मकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव कितना ह? वेवर ने अपने अध्ययन के प्रारम्भ में यह स्पष्ट कर दिया है कि यह आवश्यक नहीं ह कि धर्म ही आर्थिक संगठन का निणायक हो।

धर्मों के तुलनात्मक अध्ययन के कारण (Reasons of Comparative Study of Religions) — रेमण्ड एर्सॉन ने शक्ति व्यक्ति की है कि वेवर ने जब भौमार के विभिन्न धर्मों के तुलनात्मक अध्ययन करने का निश्चय किया तो इसके पीछे कोई न-कोई प्रमुख कारण रहा होगा। एर्सॉन ने इसके पीछे प्रमुख निम्न दो कारणों का अनुमान लगाया है—

(1) जब वेवर ने यह देखा कि काल्चनवाद (प्रोटेस्टेण्ट धर्म) में ऐसी आचार महिताएँ हैं जिसके प्रभाव से पश्चिमी समाजों में पूँजीवाद का उदय हुआ तो क्या पश्चिमी समाजों के अतिरिक्त भी ऐसे धर्म हैं जिनकी आचार महिताएँ भी पूँजीवाद को जम्म दे सकें या पूँजीवाद की आत्मा को नाश्त कर सकें? एर्सॉन का कहना है कि शायद इसी जिजासा की शानि के लिए वेवर ने विश्व के महान् धर्मों का तुलनात्मक अध्ययन किया था।

(2) एर्सॉन ने वेवर द्वारा धर्मों के तुलनात्मक अध्ययन का दृस्य कारण यह अन्वेषण करना चाहता था कि विभिन्न धर्मों में आधारभूत धार्मिक प्रकार कीन-कीन से हैं तथा इन मौलिक धार्मिक प्रकारों के पीछे लोगों की आर्थिक अभिरचियाँ क्या हैं?

इसी मन्दर्भ में वेवर ने जिन महान् धर्मों को तुलनात्मक अध्ययन किए हैं वे प्रस्तुत हैं।

### चीन का कन्फ्यूशियस धर्म

#### (Confucious Religion of China)

वेवर ने चीन के धर्म कन्फ्यूशियस और ताओवाद की सविस्तार विवेचना अपनी कृति ‘चीन का धर्म’ (The Religion of China) में की है। इसमें इस पुस्तक के अन्तिम भाग में अपने कन्फ्यूशियम और प्रोटेस्टेण्ट धर्म को नीतियों का तुलनात्मक अध्ययन करके निष्पर्पदिया है कि इनकी धार्मिक नीतियों में भिन्नता के कारण ही चीन और पश्चिम के समाजों की आर्थिक मनोवृत्तियों में भिन्नता है। वेवर ने इस पुस्तक में चीन के नगरों, पैतृकवाद, अधिकारी वर्ग, चीनी पारमिंक संगठन, प्रारम्भिक इतिहास, राजवंशी सरकार और सामाजिक संरचना, पण्डित वर्ग एवं कन्फ्यूशियस धर्म की सृष्टिवादिता, राजकीय उपासना और जनत्रिय धार्मिकता और कन्फ्यूशियसवाद और प्रोटेस्टेण्ट धर्म के शुद्धाचारवाद का वर्णन किया है। यहाँ पर चीन की सामाजिक व्यवस्था के कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं का वर्णन दिया जा रहा है—

(1) नगर (Cities)—वेवर ने लिखा है कि चीनी और पश्चिमी दूरोंप के नगरों में पूर्ण विपरीतताएँ नहीं थीं। पश्चिम की तरह से चीनी नगर भी अक्सर गढ़ियों और राजकीय निवाय स्थानों के रूप में पैदा हुए थे। ये व्यापार और शिल्प के केन्द्र थे। इनके विभिन्न भाग व्यापारिक संगठनों के नियंत्रण में थे। परन्तु चीन के नगरों में पश्चिमी समाज जैसी सुपरिचित राजनैतिक

स्वायतता किसी भी रूप में कभी भी नहीं रही। ग्रामों की तुलना में स्वायत शासन की गारणी भी बहुत कम थी। नगर का प्रत्येक निवासी अपने मूल निवास स्थान के परिवार से सब प्रकार से सम्बन्धित रहता था। पारिवारिक सम्बन्धों की रक्षा पूर्वजों की पूजा के अभ्यास से सम्बन्धित थी। नगर के रहने वाले विभिन्न व्यक्तियों में कोई एकता नहीं हो पाती थी। चीनी नगरों के निवासियों का नागरिकों के रूप में कोई एक अलग प्रस्तिति समूह नहीं था जिनके स्पष्ट विशेषधिकार और कर्तव्य ही और उनके आधार पर सारे नगर पर उनका स्वायत्तपूर्ण अधिकार हो। चीन में नागरिक स्वायतता के अभाव का एक और महस्वपूर्ण कारण साप्राञ्छादी प्रशासन का प्रारम्भ से ही केन्द्रीयकरण था। एक स्थान से भर्ती किए हुए भैनिकों को अक्सर अद्वितीय रूप भेज दिया जाता था जिसमें प्रशासकीय सत्ता को उनसे कम से-कम खाता हो।

(2) पैतृकता (Patrimonialism)—चीन में पितृवशीय विवाह व्यवस्था थी अर्थात् व्यक्ति अपने परिवार और ग्राम से बाहर ही विवाह वर सकता था। ये गोत्र-समूह पूर्ण रूप से अपनी भूमि से जुड़े होते थे। पूर्वजों की पूजा का महत्व था। परिवार में उच्च स्तर की सामूहिक मुद्रूदत्ता थी। पिता का नियन्त्रण बहुत कठोर था। सन्तानों को परिवार के मुखिया के अदेशों का कठोरता से पालन करना होता था। जहाँ यूरोप और अमरीका के समाज से महिलाओं को स्वतंत्रता प्राप्त थी वहाँ चीनी समाज में इसका अभाव था। सभी दृष्टिकोणों से चीनी समाज पर व्यक्ति को तुलना में परिवार एक प्रभावशाली एवं ताकतवर इकाई थी।

(3) स्तरीकरण (Stratification)—चीन में यूरोप जैसी वर्ग व्यवस्था नहीं थी। चीन में पद सोपान जैसी व्यवस्था का अभाव था। सभी व्यक्तियों को व्यवसाय के चुनाव करने का समान अवसर प्राप्त था। कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यवसाय को अपना सकता था। व्यवसाय के चयन में परिवार और गोत्र का भी कोई प्रभाव, दबाव अथवा परम्परागत हस्तान्तरण नहीं था। चीन का व्यावसायिक चयन तथा व्यवस्था परिचय के पूँजीवादी समाजों जैसी थी।

(4) राज्य व्यवस्था (State System)—चीन में राज्य व्यवस्था एक प्रकार से धर्म-तत्व ही थी जो इसाई शाजनैतिक सरचना से भिन्न थी। चीन में राज्य का समाट स्वरूप पुत्र के रूप में सम्मानजनक समझा जाता था। राजा की प्रतिष्ठा और सम्पादन समाज और परमात्मा के बीच की थी। राजा के माध्यम से ही परमात्मा तक पहुँचा जा सकता था। ऐसे में व्यवधान आने पर परमात्मा तक पहुँचने का मार्ग बन्द हो जाता था। चीन के लोगों में समाट धार्मिकता का केन्द्र था।

(5) धर्म और प्रशासन (Religion and Administration)—चीन में सभी धार्मिक अधिकार एवं सत्ता समाट के हाथ में थी। यहाँ पर न तो कोई पुरोहित था और न हो पुरोहित व्यवस्था। समाट की देखोखाने में अधिकारियों का विशेष वर्ग मदारिन का था जो समूर्ण प्रशासन की सचालन करते थे। समूर्ण राजनैतिक तत्र का सचालन भी ये ही लोग करते थे। लेकिन इस अधिकारी वर्ग (मदारिन) में यूरोप जैसे बुर्जुआ पूँजीवाद को विकसित करने की क्षमता नहीं थी। राजनैतिक अधिकारी (मदारिन) को नियुक्ति उस धोत्र में नहीं की जाती थी जहाँ पर उसका कोई पारिवारिक अधिकारी (पदारिन) को नियुक्ति उस धोत्र में नहीं की जाती थी। अधिक नहीं रहने दिया जाता था। सम्बन्धी रहता हो। अधिकारी को एक स्थान पर तीन वर्ष से अधिक नहीं रहने दिया जाता था। इन नियमों का पालन कड़ाई से किया जाता था। इस प्रकार से अधिकारी केन्द्रीय सत्ता को चुनौती देने की स्थिति में कभी नहीं रहे। चीन की राजनैतिक व्यवस्था में समन्वाद कभी नहीं पता।

स्थानीय परिस्थितियों के ज्ञान के अभाव में मंदास्ति अधीनस्थ कर्मचारियों पर निर्भर रहता था। मदारिन रोजे के काम-काज, राजकीय क्रिया कलापों के लिए अधीनस्थों पर निर्भर रहते थे। येवर ने इस प्रशासन-तत्र को अधिकारी-तंत्र (पेट्रिमोनियल) दफारशाही कहा है।

### कन्फूशियस और प्रोटेस्टेण्ट धर्म में अन्तर

#### (Difference Between Confucious and Protestant Religion)

राइनहार्ड बेंडिक्स (Reihard Bendix) ने "मैकम वेवर : एक वैदिक व्यक्तित्व" कृति में कन्फूशियस धर्म और प्रोटेस्टेण्ट धर्म के बीच पाए जाने वाले कुछ अन्तरों को मध्यिका में निम्न रूप में प्रस्तुत किया है—

कन्फूशियस धर्म	प्रोटेस्टेण्ट धर्म
1. अवैयक्तिक ग्रहाणीय व्यवस्था में विश्वाम एवं जात् के प्रति सहन-शोलता।	विश्वातीत ईश्वर में विश्वाम और जात् का लाग।
2. पृथ्वी और स्वर्ण में शान्ति बनाए रखने के लिए संसार के साथ अनुकूलता, व्यवस्था का आदर्श।	ईश्वर की दृष्टि में निरन्तर सदाचार की तत्त्वाएँ संसार पर अधिकार : प्रणाली-शोल परिवर्तन का आदर्श।
3. आत्म-परिपूर्णता और गौरव के लिए रातक आत्म-नियंत्रण।	मनुष्य की पापी प्रकृति को नियंत्रित करने और ईश्वर की इच्छा को पूर्ण करने के लिए सत्तके आत्म-नियंत्रण।
4. अनुलंभनीय परम्परा से सम्बन्धित भविष्यवाणी की अनुपस्थिति, यदि मनुष्य उचित तरीके से कार्य करे तो वह अच्छा बन सकता है और प्रेतात्माओं के क्रोध को टाल सकता है।	भविष्यवाणी परम्परा का निर्माण करती है और वास्तविक संसार पापी प्रतीत होता है; मनुष्य अपने प्रयत्नों से अच्छा नहीं बन सकता।
5. पारिवारिक धर्म-निया सभी गानवोय सम्बन्धों के संचालन का सिद्धान्त है।	सभी गानवोय सम्बन्ध, ईश्वर की सेवा के अधीन हैं।
6. बन्धुत्व सम्बन्ध ही वाणिज्यिक लेन-देन, ऐच्छिक समितियाँ, कानून और सोक प्रशासन के आधार हैं।	वाणिज्यिक लेन-देन, ऐच्छिक समितियाँ, कानून और सोक प्रशासन के आधार— तर्कयुक्त नियम और समझौते हैं।
7. विमृत परिवार से बाहर के सभी व्यक्तियों पर अविश्वाम।	उन सभी व्यक्तियों पर विश्वास जो "धर्म-भ्राता" हैं।
8. धर्म एक प्रकार से प्रतिष्ठा और आत्म-पूर्णता का आधार है।	धर्म एक प्रकार से सदाचारी जीवन का अनुचाल उपोत्पाद और प्रलोभन है।

## चीन में आधुनिक पूँजीवाद के अभाव के कारण (Causes of Lack of Modern Capitalism in China)

वेवर ने चीन के धर्म, परिवार, नगर, सरोकरण, राज्य व्यवस्था, धर्म और प्रशासन का विस्तृत व्याख्या करने के बाद निष्पत्ति निकाला कि चीन के धर्म के लाभिक होने पर भी वहाँ आधुनिक पूँजीवाद कर्णे नहीं पनपा। वेवर ने चीन के धर्म को विशेषताओं के सन्दर्भ में उन कारणों परिस्थितियों, मूल्यों, विश्वासों आदि का मूल्यांकन पूँजीवाद के विकास से सम्बन्धित नोटिया के अभाव के सन्दर्भ में किया है, जो निम्नलिखित हैं।

(1) चीन का कन्फूशियस धर्म अपने धर्मांवलम्बियों को समाज के व्यवस्था से अनुबूलन करने पर जोर देता था। यह धर्म अपने अनुयायियों को किन्हीं विशेष आदर्शों जैसे—पूँजीवाद के अनुरूप अपने को परिवर्तित करने की आज्ञा नहीं देता था। यह धर्म रूढ़िवादी था।

(2) कन्फूशियस धर्म में जन-वल्याण से सम्बन्धित आर्थिक आर रजनेत्रिक लिङ्ग में अनेक व्यापारों का वर्णन काफी घटा-घटा कर किया गया है लेकिन उनमें ऐसी कोई डिजिन आर्थिक और राजनेत्रिक मनोवृत्ति नहीं है जो जन कल्याण सम्बन्धी धार्मिक नीतियों में परिवर्तन ला सके। अर्थात् आधुनिक पूँजीवाद को स्थापित कर सके। चीन के धर्म की तुलना में प्रॉटेरस्टैट धर्म में श्रम और कर्म की ऐसी जीतियाँ रहीं जिनसे पूँजीवाद का विकास सम्भव हुआ। चीनी धर्म ने पूँजी के संबंध और सार्किक विज्ञारों को कभी भी प्रोत्साहित नहीं किया।

(3) कन्फूशियस धर्म ने चीन की परम्परागत राजनेत्रिक व्यवस्था को बनाए रखा। इस व्यवस्था में सप्राट को स्वर्ग का पुत्र माना जाता था। उसको चुनीती देने की वात तो कोई सोच भी नहीं सकता था फिर पूँजीवाद कैसे आ सकता था।

(4) यह धर्म पैतृकवाद को विशेष बढ़ावा देता था। यह धर्म पारिवारिक सम्बन्धों की परम्परागत शैली की निरन्तरता पर जोर देता था। इसके प्रभाव के कारण लोग परम्परा और परिपाठी से हपेशा बंधे रहे और उससे स्वतंत्र होने तथा आधुनिक पूँजीवादी मूल्यों को अपनाने के लिए कभी प्रयाप नहीं किया।

(5) समाज के सदस्यों ने पूर्वजों द्वारा दी गई सामाजिक व्यवस्था को दिना किसी विरोध एवं प्रश्न के स्वीकार किया था। समाज में किसी भी प्रकार के विरोध के लिए कोई स्थान नहीं था।

(6) कन्फूशियस धर्म में तर्कनापकता थी परन्तु समाज के सदस्यों ने यिन किसी विवाद के सभी परम्पराओं को स्वीकार कर निया था। सोरोकिन ने लिया है कि कन्फूशियस धर्म के प्रति इस प्रकार की निया और कुछ न होकर पूरी रूप से रूढ़िवादिता थी। ऐसी परिस्थितियों में पूँजीवाद का विकास पैसे सम्भव हो सकता है।

(7) कन्फूशियस <sup>वा</sup> ने लोकप्रिय जादू की गहरी जड़ों को कमी भी प्रभावित नहीं किया। इसी प्रकार चीनी समाज में मंदारिका वा अधिकारी-लान से भी विशिष्टों ने ज्ञान का धूर्ण अभाव था। ये नारक पूँजीवाद के विकास में बाधक रहे थे।

(8) वेवर ने अन्त में लिखा है कि चीन में पूँजीवाद के नहीं आने का प्रमुख कारण कन्फूसियम धर्म रहा जिसने अपनी आवार सहिता को लिंबकीकरण की दृष्टि से कभी भी नहीं देखा था। आगे विदेशीकरण की दृष्टि से आचार संहिता में परिवर्तन होता तो पूँजीवाद का विकास चीन में भी जाता। चीनी समाज का ज्ञान भी उनके रास्त्रीय ग्रन्थों (बल्लसिकल ग्रन्थों) तक ही सीमित रहा। वो इन्हीं ग्रन्थों का अध्ययन करते थे और उसी के अनुसूत्य रुद्धिवादी जीवन व्यर्तात करते रहे। ये कुछ कारण रहे जिनके कारण चीन में आधुनिक पूँजीवाद का विकास नहीं हो पाया।

### भारत का हिन्दू धर्म

#### (Hindu Religion of India)

वेवर ने विश्व के महान् धर्मों में जिस दृष्टरे धर्म का अध्ययन किया है वह हिन्दू धर्म है। इस धर्म का अध्ययन आपकी मृत्यु के बाद 'भारत का धर्म' (The Religion of India) में प्रकाशित हुआ है। इस हिन्दू धर्म के अध्ययन में आपने उन कारणों की विवेचना की है जिनके कारण भारत में आधुनिक पूँजीवाद का विकास नहीं हो सका। वेवर ने भारतीय समाज, भारतीय सामाजिक व्यवस्था, धार्मिक व्यवस्था और इनके प्रभावों से सम्बन्धित विचार—(1) दा रिलिजन ऑफ इण्डिया : दा सोशियोलॉजी ऑफ हिन्दूइज़ एण्ड बुद्धिज़म्, (2) ऐसेज इन सोशियोलॉजी, (3) इकोनौमी एण्ड सोसाइटी एवं (4) जनरल इकोनौमिक हिस्ट्री में भी व्यक्त हैं।

वेवर ने दा 'रिलिजन ऑफ इण्डिया' कृति में हिन्दू धर्म की विवेचना चीन के धर्म के समान ही निम्न क्रम में की है—भारतीय समाज की सामाजिक संरचना, हिन्दू धर्म के परम्परावादी सिद्धान्त और चौदू धर्म के सिद्धान्त, तोकप्रिय कट्टर धर्म के प्रभाव से होने वाले परिवर्तन और अन्त में धार्मिक विश्वासों के भारतीय समाज की धर्म निर्णय नीति पर पड़े प्रभावों का विवेचन किया है। इन विभिन्न पक्षों पर विचार व्यक्त करने से पूर्व वेवर ने भारतीय समाज और धर्म से सम्बन्धित कुछ प्रश्न उठाए थे—पहिले उनका वर्णन करना उपयुक्त होगा।

भारतीय समाज और धर्म से सम्बन्धित प्रश्न (Question related to Indian Society and Religion)—वेवर भारतीय समाज और धर्म से सम्बन्धित निम्न प्रश्नों का परोक्षण एवं निरीक्षण करना चाहते थे—

(1) क्या हिन्दू धर्म और उसकी पारलॉकिक तपश्चर्यों की नीति आधुनिक पूँजीवाद के विकास में वापक हैं?

(2) क्या जाति व्यवस्था, परम्परागत संयुक्त परिवार और धार्मिक सम्प्रदाय भारत में वैज्ञानिक अभिवृत्तियों के विकास में वापक रहे हैं?

(3) क्या हिन्दू धर्म की परम्परागत धार्मिक नीतियों के कारण भारत में आधुनिक आर्थिक औद्योगिकरण की गतिविधियाँ गतिशील नहीं हो पाई हैं?

(4) वे कौन-से विशिष्ट विश्वास हैं जो आर्थिक विकास में वापक रहे हैं?

(5) वे कौन-से विशिष्ट विश्वास हैं जो भारतीय समाज में तीव्र परिवर्तन के साथ मार्गज्ञा रखते हैं। ऐसे विश्वासों पर जार कैसे दिया जाए?

वेदर ने इन उपर्युक्त वर्णित प्रश्नों में भुख्यतः सामृद्धताः, आर्थिक एव आधुनिकीकरण के विकास से सम्बन्धित प्रश्नों का चयन किया है। अब वेदर द्वारा किया हिन्दू सामाजिक व्यवस्था का अध्ययन प्रस्तुत है।

### हिन्दू सामाजिक व्यवस्था

#### (Hindu Social System)

वेदर ने भारत में हिन्दू सामाजिक व्यवस्था में जाति की सामाजिक सरचना को उसी प्रकार से एक केन्द्रीय तत्व माना था जिस प्रकार से चीनी राजवर्षीय सभाज में पैतृकवाद या कौटुम्बिक समूह और कर्मचारी-तन्त्र वो केन्द्रीय तथ्य माना था। आपके अनुसार भारत में धार्मिक विश्वास तथा सामाजिक स्तरीकरण परस्पर एक-दूसरे से प्रत्यक्ष रूप से सम्बन्धित हैं। वेदर जाति को प्रस्थिति समूह मानते हैं तथा आपने जाति व्यवस्था की विशेषताओं पर प्रकाश डाला है।

#### जाति व्यवस्था की विशेषताएँ (Characteristics of the Caste System)

जाति व्यवस्था की विशेषताओं, लक्षणों पर भारत एवं विश्व के अनेक विद्वानों ने विस्तार से प्रकाश डाला है तथा इसके लक्षणों में आज अनेक परिवर्तन दृष्टिगोचर हो रहे हैं। परन्तु यहाँ पर केवल उन्हीं विशेषताओं का उल्लेख किया जा रहा है जो वेदर ने अपने अध्ययनों में दी हैं—

( 1 ) अन्तर्विवाही समूह (Endogamous Group)—वेदर ने लिखा है कि एक ही जाति के सदस्य अपनी ही जाति में विवाह करते हैं जिसे अन्तर्विवाही समूह कहते हैं हिन्दू धर्म में जातियाँ अन्तर्विवाही होती हैं।

( 2 ) वंशानुगत व्यवसाय (Hereditary Occupations)—जाति सामाजिक वंशानुगत व्यावसायिक समूह होते हैं। जाति के सदस्य अपनी ही जाति के वंशानुगत व्यवसाय को करते हैं।

( 3 ) जन्म से सदस्यता (Membership by Birth)—जो व्यक्ति जिस जाति में जन्म होता है जीवन पर्यन्त वह उसकी जाति का सदस्य रहता है। इस प्रकार से जाति की सदस्यता जन्म के द्वारा निश्चित होती है।

( 4 ) संस्तरण (Hierarchy)—जाति व्यवस्था में उच्चता और निम्नता के आधार (धार्मिक क्रियाएँ, व्यवसाय, पवित्रता आदि) पर द्रष्टव्य-विन्यास होता है। इस व्यवस्था में ग्राहण शीर्ष स्थान पर होते हैं। मध्य में क्षत्रिय और वैश्य होते हैं तथा सबसे नीचे दलित जातियाँ होती हैं। कुछ जातियाँ आपस में समानता का दावा भी करती हैं। वेदर ग्राहण जाति को पुरोहित जाति जैसी मानते हैं। जाति व्यवस्था में सभी जातियों के कार्य निश्चित होते हैं।

( 5 ) धार्मिक नियोग्यताएँ (Religious Disabilities)—निम्न एवं दलित जाति के सोग मन्दिर मे प्रवेश नहीं कर सकते हैं। धार्मिक ग्रन्थों को नहीं पढ़ सकते हैं। ये अस्मृत्य माने जाते हैं। इनको दूने से द्विज ग्राहण, क्षत्रिय और वैश्य अपवित्र हो जाते हैं। इस प्रकार जातियों में कुछ धार्मिक नियोग्यताएँ होती हैं।

## हिन्दू रुद्धिवादिता (Hindu Orthodoxy)

वेवर ने हिन्दू धर्म के धार्मिक विश्वासों, धर्म परापरणता या शास्त्र-सम्मत विरोपताओं का अध्ययन किया। आपने हिन्दू धर्म के दो प्रमुख सिद्धान्तों—(1) पुनर्जन्म और (2) कर्म—का वर्णन किया है। उन मिद्दान्तों के द्वारा आपने निम्न दो प्रश्नों का उत्तर दिया है—(1) क्या हिन्दू धर्म का मनुष्य भी दिन-प्रतिदिन की भाँतिकि गतिविधियों पर कोई प्रभाव है? और (2) यदि है तो उन विश्वासों की प्रणालियों ने आर्थिक व्यवहारों को क्या कोई नई दिशा प्रदान की?

### पुनर्जन्म एवं कर्म का सिद्धान्त

*(Theory of Rebirth and Karma)*

वेवर ने लिखा है कि व्यक्ति को प्रलेक जन्म से पूर्व जन्म के पापों के अनुसार फल मिलता है। पहिले हिन्दू धर्म में आत्मा को अमर नहीं माना जाता था। परलोक में मनुष्यों और देवताओं का अस्तित्व अनन्त नहीं माना जाता था। बाद में ब्राह्मणों की कल्पना ने दूसरों मृत्यु के विचार के विकसित किया जिससे मरने वाली आत्मा दूसरा जन्म पाती है। मनुष्यों के अच्छे या युरों कर्म के फल के विचार को पुनर्जन्म के विचार के साथ जोड़ दिया गया। मनुष्यों के कर्मों का प्रभाव अगले जन्म में उम्रके भाष्य पर अनिवार्य रूप में पड़ता है तथा उसको जाति सम्बन्धी मदस्यता इसी से निर्धारित होती है। वेवर की मान्यता है कि इन विचारों के द्वारा ब्राह्मणों ने व्यक्तियों के कृत्यात्मक और नैतिक पृष्ठों और पापों का लेखा-जोड़ा (बहीखाता) बना दिया। उन्होंने कहा कि हिन्दू धर्म में यह रुद्धिवादिता विकसित हो गई कि अगले जन्म में एक व्यक्ति का भाष्य उसी अनुपात में होगा जिस अनुपात में पिछले जन्म के पृष्ठों और पापों का चिट्ठा है। जाति व्यवस्था इन विचारों से प्रत्यक्ष रूप से सम्बन्धित है। किसी व्यक्ति का निश्चित जाति में जन्म लेना उसके पिछले जन्म के कर्मों के परिणामस्वरूप होता है और इस जन्म में जाति-कृत्यों का त्रिदार्पणके पालन अगले जन्म में उच्च योग्यि या जाति की प्राप्ति करने के लिए आवश्यक पृष्ठ है।

वेवर की मान्यता है कि प्रत्येक हिन्दू ऐसी जीवन पद्धति में फैस गया जिसके लिए इन सिद्धान्तों का बहुत व्यावहारिक अर्थ था। व्यक्ति कर्मों के आधार पर आगले जन्म में एक देवता, एक ब्राह्मण या एक क्षत्रिय बन सकता है तो किन इस जन्म में वह कुछ नहीं कर सकता है। व्यक्ति के लिए धर्म की उपेक्षा इस जन्म तथा अगले जन्म में भी हानिकारक है। मनुष्य का कर्म आत्मा के भाष्य का निर्णयक है।

### हिन्दू धर्म का आर्थिक जीवन पर प्रभाव

*(Impact of Hindu Religion on Economic Life)*

वेवर के अनुसार भारत के हिन्दू धर्म की नीति प्रोटेस्टेण्ट धर्म जैसी नहीं थी। धर्मोपार्जन के लिए जैसी व्यादिकता की आवश्यकता होती है उसका हिन्दू धर्म में अभाव पाया गया। वेवर के अनुसार हिन्दू धर्मानुसार यह भौमार एवं जीवन एक अस्थाई पड़ाव या जिसका व्यक्ति के आर्थिक जीवन एवं व्यवहार पर कोई दबाव नहीं पड़ा। इसी कारण भारत में प्रोटेस्टेण्ट धर्म की तरह पूँजीवादी आर्थिकी का विकास नहीं हुआ। वेवर ने अन्त में निष्कर्ष दिया कि भारत की सामाजिक व्यवस्था और धार्मिक नीति में वे स्थान विद्यमान नहीं थे जो धर्म-निरपेक्ष व्यवहारों तथा पूँजीवादी विचारधारा को शक्तिशाली घनाने।

वेबर के निष्कर्ष (Conclusions of Weber) — वेबर ने हिन्दू धर्म के तुलनात्मक अध्ययन सम्बन्धी निष्कर्ष प्रतिशाम दिए हैं—

(1) जाति व्यवस्था से सम्बन्धित कर्मकाण्ड वृहद् उद्योगों के विकास में वाधक रहे।

(2) भारत की सामाजिक व्यवस्था और विशेष रूप से इसकी परम्पराएँ बहुत अधिक लूढ़ियादी थीं जो भारत में आर्थिक विकास में वाधाएँ बनी रहीं।

(3) पुनर्जन्म और कर्म के सिद्धान्त के कारण आर्थिक विकास नहीं हो पाया। ये सिद्धान्त आर्थिक विकास में वाधक रहे जिससे पूँजीवाद का विकास नहीं हो सका। व्यक्ति वर्तमान जीवन एवं जन्म को अस्थाई निवास मानकर धर्म के नाम पर व्यवहार करता था तथा मोक्ष के लिए कर्म करता था।

(4) पुनर्जन्म, मोक्ष, कर्म आदि में धार्मिक विश्वास के कारण लोग लौकिक जीवन की तुलना में पारलौकिक जीवन के लक्ष्य के ध्यान में रुपकर जीवन व्यक्तीत करते थे। पुनर्जन्म और कर्म की नीति या आचार सहित ने वर्तमान जीवन के विकास में वाधा खड़ी करदी।

(5) स्थिरता, पढ़े-लिखे, राजा-महाराजा, पुरोहित, ग्राहण, शत्रिय आदि का विश्वास था कि जातू और धार्मिक अनुग्रह देश की सुधार कोरें। इस प्रकार के सोबत ने आर्थिक विकास को अवश्यक एवं हतोत्साहित किया।

वेबर के अनुसार इन्हीं धार्मिक नीतियों ने भारत में सभी प्रकार के उद्यमों के होते हुए भी आधुनिक पूँजीवाद को कभी भी विकसित नहीं होने दिया।

### प्राचीन यहूदी धर्म

यह पुस्तक मैंक्स वेबर की भूत्यु के बाद प्रकाशित हुई। इस पुस्तक में आपने उन परिस्थितियों का वर्णन किया है जो पश्चिमी सभाजों में धार्मिक तार्किकता के विकास में सहायक रही हैं। यहूदी धर्म ने प्रोटेस्टेण्ट धर्म में संसार के स्वरूप में परिवर्तन लाने वाली नैतिकता का विकास किया। यहूदी पैगम्बर संसार को शाश्वत नहीं भानते थे। वे इसे उत्पन्न किया हुआ मानते थे। वो संसार को एक ऐतिहासिक घटना मानते थे। यहूदी धर्मविलम्बियों का विश्वास है कि ईश्वर के हाथ भविष्य में निश्चित सामाजिक और राजनैतिक क्रान्ति होगी जिसके अनुसार व्यक्तियों की मनोवृत्तियों होनी चाहिए।

इन्हीं विश्वासों ने यहूदियों में व्यवहार की उच्च तर्कनापक धार्मिक सहित विकसित की। यहां (यहूदियों के उपास्य) ने नप्रता एवं आज्ञा पालन को व्यक्ति का विशिष्ट गुण बताया है। इन्होंने यह भी व्याख्या की है कि पुण्य करने की जरूरत एवं अच्छे तथा बुरे भाग्य की आशाएँ निकट भविष्य से ही सम्बन्धित होती हैं। इस प्रकार से यहूदी धर्म एक ऐसे धर्म को पहन्च देता है जो व्यक्ति के दिन-प्रतिदिन के जीवन को ईश्वर हाथ निर्देशित नैतिक नियमों से सम्बन्धित कर देता है। यहूदी धर्म रहस्यमयी कल्पनाओं और परम्परागत लक्षणों से स्वतंत्र रहा है। जहाँ ईसाई धर्म सभी सांसारिक वस्तुओं का ल्यापन करने की बात करता है वहाँ यहूदी धर्म ने प्रोटेस्टेण्ट धर्म में एक ऐसी नैतिकता को विकसित किया है जो आर्थिक व्यवस्था तथा समाज के स्वरूप में परिवर्तन करना चाहती थी। सारांशतः यहूदी धर्म के विश्वास, नीति, आचार सहित, मूल्य, पैगम्बर के उपदेश आदि ने तर्कनापकता के विकास में योगदान देकर पूँजीवाद के विकास को प्रोत्साहित किया है।

## धर्मों के तुलनात्मक अध्ययनों का निष्कर्ष

(Conclusion of Comparative Studies of Religions)

वेवर के धर्मों के तुलनात्मक अध्ययनों का उद्देश्य धार्मिक नीतियों का आधुनिक पूँजीवाद के विकास के योगदान को ज्ञात करना था। आपने धार्मिक आचार सहित और, धार्मों के उपरेक्षा, विभिन्न धार्मिक सिद्धान्तों, उद्देश्यों आदि के प्रभावों को पूँजीवाद के विकास में देखने का प्रयास किया। आपने सामाजिक स्तरीकरण पर धर्म के प्रभावों का भी विश्लेषण करके स्पष्ट किया कि संस्तरण का निर्णायक धार्मिक नीतियाँ हैं। पारसप्त्र ने लिखा है कि धर्म के समाजशास्त्र की व्याख्या में वेवर का महत्वपूर्ण योगदान एक व्यवस्थित पढ़तिशास्त्रीय अनार्द्धे है जिसके हांग आपने विभिन्न कारकों को एक-दूसरे से अलग करके उनके कारण और प्रभावों को एक-दूसरे की तुलना में स्पष्ट किया। वेवर ने मार्क्स से भिन्न आर्थिकी का निर्णायक धर्म को स्थापित किया। वेवर का विश्व के धर्मों का तुलनात्मक अध्ययन धर्म के समाजशास्त्र में विशिष्ट महत्व रखता है।

## आलोचना

(Criticism)

टानी ने वेवर के सिद्धान्त की निम्न आलोचनाएँ की हैं—

- (1) वेवर ने आर्थिक सभ्यता के विकास में मात्र धार्मिक आन्दोलनों के योगदान तक स्वयं को सीमित रखा है। परन्तु यह एक कठिन प्रश्न है कि पूँजीवादी आर्थिक आविष्कार पर कितना कालिवन का प्रभाव रहा और कितना अन्य शक्तियों का। तर्क के आधार पर यह भी कहा जा सकता है कि कालिवनवाद द्वारा पूँजीवादी आत्मा को उत्पन्न किए जाने के कालिवनवाद और पूँजीवाद दोनों ही आर्थिक संगठन और सामाजिक संरचनाओं में परिवर्तन के भिन्न-भिन्न प्रभाव हैं।
- (2) बैन्टानो ने लिखा है पुनर्जीवन काल का राजनीतिक विनार परम्परात्मक अवरोधों को हटाने में उतना ही प्रभावों सहाय था जितनी कालिवन की शिक्षा रही।
- (3) क्या यह तर्क डाना ही सत्य और एक-पक्षीय नहों होगा कि धार्मिक आन्दोलन स्वयं आर्थिक आन्दोलन का परिणाम है?
- (4) वेवर के लेख से कभी-कभी यह झलकता है कि उन्होंने वैचारिक एवं नैतिक प्रभावों को उन घटनाओं की उत्पत्ति में सहायक माना है जो शक्तियों के परिणाम रहे हैं।
- (5) वेवर विश्व के धर्मों के तुलनात्मक अध्ययन में अनेक स्थलों यर यूरोपिय से ग्रासित दृष्टिकोर्त होते हैं। आप भारतीय समाज का विवेचन यूरोपीय समाज की यथार्थ की दृष्टि से करते हैं और इग्नी प्रकार भारतीय और चीनी समाज में यूरोप की सभ्यता के विवेकीकरण और अधिकारी तन्त्र की खोज करते हैं। आपको रुनि के वल यूरोप की सभ्यता और धर्म में थी और भारत तथा चीन के धर्मों में आपने यूरोप में स्थापित सिद्धान्तों को जाँच करना चाहा था। इससे पूर्वाग्रह आ गए जिससे आपका अध्ययन पूर्ण वैज्ञानिक नहीं कहा जा सकता है।

- (6) वेबर द्वारा दिए गए निष्कर्ष कि भारतीय हिन्दू धर्म की नीति आधुनिक पूँजीवाद के अनुकूल नहीं थी-को भारतीय समाजशास्त्रियों द्वारा तुष्टिपूर्ण, अवैज्ञानिक तथा गलत बताया गया है। ऐसा 1960 में भारतीय समाजशास्त्रियों के सम्मेलन में सर्वसमति से कहा गया था तथा निष्कर्ष दिया गया था कि हिन्दू धर्म के परम्परागत सांस्कृतिक मूल्य भारत के आर्थिक विकास में कभी भी बाधक नहीं रहे।
- (7) वेबर ने हिन्दू धर्म को उसकी सम्पूर्णता में कभी भी नहीं देखा। भाइरन की मान्यता है कि हिन्दू धर्म ने सौंकिक और पारलौकिक दोनों क्रियाओं एवं व्यवहारों को समान रूप से महत्व दिया था। इस हिन्दू धर्म में कई सम्प्रदाय हैं जिनका वेबर ने पूर्ण अध्ययन नहीं किया। आपने तो केवल कुछ सम्प्रदायों के आधार पर सामाजीकरण स्थापित किए जो उनकी कभी थी। आपने वैष्णव धर्म जो कि पूँजीवाद के विकास में सर्वदा अग्रणी रहा है—का कहीं भी वर्णन नहीं किया है। मनु ने वैरंग्य जाति को आर्थिक समृद्धि के लिए सब कुछ करने के अधिकार को बात लिखी है। इन्होंने यह भी लिखा है कि पूँजीवाद के विकास के लिए व्यापारियों को राजा को सलाह भी देनी चाहिए।
- (8) सुरेन्द्र मुंशी वेबर की आलोचना करते हुए लिखते हैं कि गुजरात और पश्चिमी बंगाल में वैष्णव अनुयायियों ने व्यवसाय का विकास किया। मूत्री कपड़ा मिले लगाई। उद्योगों का विकास किया। यह सब पूँजीवादी विकास भारतीय समाज में धर्म की आन्तरिक प्रक्रियाओं तथा नीतियों के द्वारा हुआ था जिसका नेबर ने अध्ययन नहीं किया।
- (9) हेलेन लेप्प तथा सुरेन्द्र मुंशी ने आर्यों के युग के बड़े-बड़े शहरों तथा व्यापारियों का वर्णन किया है। जैन और बौद्ध काल में बड़े-बड़े धनी व्यापारी थे उनके पास अपार धन था। वेबर ने मात्र गीता के कर्म की व्याख्या की परन्तु अन्य कारणों, धर्मों तथा नीतियों का अध्ययन एवं वर्णन नहीं किया जो उनके सिद्धान्त की बड़ी कमी रही है।
- (10) हेलेन लेप्प लिखते हैं कि भारत ने शून्य का आविष्कार किया। व्यापार, कर, व्याज, ऋण आदि की गणना के सम्बन्ध में भारत में पर्याप्त साहित्य प्राचीन कृतियों में मिलता है, गणना के अनेक सूत्र मिलते हैं। इसके उपरान्त भी यह निष्कर्ष देना कि भारत में पूँजीवाद के विकास की परिस्थितियां नहीं थीं, गलत है।
- (11) वेबर के कथन कि हिन्दू धर्म में गुप्तोपासना और जादू का बहुत अधिक महत्व है को रोजेल (Rosel) ने स्वीकार नहीं किया है। वेबर ने अपने कथन के समर्थन में न तो प्रमाण ही दिए हैं और न ही यह स्पष्ट किया कि हिन्दू अनुयायी मोक्ष प्राप्ति या कर्मकाण्ड में जादू को काम में लेते थे। ब्रह्मोनाथ ने लिखा है कि वेबर ने कभी भी हिन्दू धर्म का गहन अध्ययन नहीं किया।
- (12) श्यामाचारण चरण दुबे ने लिखा है कि हिन्दू धर्म को एकीकृत रूप में रखना कठिन है तथा सांस्कृतिक अर्थों में हिन्दू धर्म कभी भी आर्थिक विकास के प्रतिकूल नहीं रहा। अन्य सामाजिक वैज्ञानिकों ने भी दुबे के निष्कर्ष का समर्थन किया है। इस प्रकार वेबर का निष्कर्ष तर्कहीन, प्रमाणरहित एवं अवैज्ञानिक है।

- ( 13) मिल्टन सिंगर ने अपने अध्ययन के आधार पर लिखा है कि मद्रास शहर में कभी भी जाति, संयुक्त गरिवार, धार्मिक सम्प्रदाय, परमपरागत व्यवसाय आदि उद्यमरीतता में बाधक नहीं रहे हैं। इस आधार पर वेवर का निष्कर्ष गलत है।
- ( 14) योगेन्द्र सिंह के अनुसार वेवर का निष्कर्ष केवल एक आदर्श प्रारूप हो सकता है। अनुभविक स्तर पर उसे अवलोकित करना कठिन है। योगेन्द्र सिंह के अनुसार धार्मिक आचार सहित आधुनिक आर्थिक विकास के प्रतिकूल नहीं रही। इस आचार सहित ने आधुनिक तकनीकी का विरोध कभी नहीं किया। भारत के लोगों ने विशेष रूप से हिन्दू अनुयायियों ने योगेन्द्र सिंह के अनुसार, तकनापरक्तापूर्ण गढ़तिया का स्वयं स्वागत किया है। निष्कर्षतः भारतीय समाजशास्त्रियों को मान्यता है कि वेवर का भारतीय समाज और धर्म का अध्ययन गहन नहीं था।



## अध्याय-10

# मार्क्स : दार्शनिक और आर्थिक पाण्डुलिपि और वर्ग-संघर्ष

(Marx : Philosophical and Economic Manuscript and Class-Struggle)

कार्ल मार्क्स सामाजिक-विचारक और दार्शनिक होने के साथ-साथ वैज्ञानिक समाजवाद के जनक तथा क्रान्तिकारी विचारधारा चाले थे। आपने समाजवादी साहित्य की रचना के साथ-साथ विश्व को ऐसी क्रान्तिकारी विचारधारा प्रदान की जिसने विश्व के इतिहास की दशा को हो परिवर्तित कर दिया। आप एक महान् समाजशास्त्री, इतिहासकार, अर्थशास्त्री, राजनीतिशास्त्री अर्थात् आप एक महान् सामाजिक वैज्ञानिक हैं। आपके द्वारा विभिन्न उपलब्धियों का आधार ऐतिहासिक उपार्गम, ऐतिहासिक अध्ययन पढ़ति और ऐतिहासिक सिद्धान्तों का निर्माण है। मार्क्स के पूर्व अनेक विद्वानों—प्लैटो, सेन्ट साइमन, लुई ब्लॉक, फोरियर रॉबर्ट, आवेन, विलियम थाप्पसन, नायल बावेफ आदि ने समाजवादी विचार व्यक्त करते हुए समाज के लिए नवीन व्यवस्था योजना प्रस्तुत की थी, किन्तु इनके विचार प्रभुत्वः राजनीतिक एवं भार्मिकता पर आधारित थे। ये वैज्ञानिक आर्थिक विषयमता के स्थान पर समाज में धन के न्यायोचित वितरण तथा विभिन्न वर्गों में सहयोगी सम्बन्धों पर अधिक ध्यान देते थे तथा पूँजीवादी व्यवस्था में उपस्थित धन की विषयमता के साथ-साथ स्वतंत्र प्रतियोगिता और आर्थिक क्षेत्र में राज्य के हस्तशेष की आलोचना भी करते थे। फिर भी ये विद्वान यह न बता सके कि इस विषयमता का कारण क्या है? और उत्पादन की विधियों के साथ इसका क्या सम्बन्ध है? इन्होंने समाज की प्रगति और विकास को भी समझने का प्रयास नहीं किया। इसलिए इन समाजवादियों को “स्वप्नलोकीय समाजवादी” कहा जाता है। इन विद्वानों द्वारा अनुत्तरित पहुँचओं, पक्षों और समाधानों का उत्तर कार्ल मार्क्स ने विभिन्न समाजों का गहन अध्ययन करके दिया। इन्होंने सुदृढ़ आधार प्रस्तुत किए हैं, जिसे सम्पूर्ण विश्व ने स्वीकारा है।

कार्ल मार्क्स के मूल समाजशास्त्रीय विचार  
(Original Sociological thoughts of Karl Marx)

कार्ल मार्क्स के समाजशास्त्रीय योगदान की विवेचना करने में पूर्व यह श्रेयस्कर होगा कि हम मार्क्स की महत्वपूर्ण कृतियों के कुछ प्रमुख अंशों का अध्ययन करे जिसमें उनके उद्देश्यों

अभिग्रहों, अध्ययन प्रणाली, प्रारूप, अवधारणाओं, मिदान्तों और सामान्यीकरणों आदि के सम्बन्ध में महत्वपूर्ण जानकारी विद्यमान है। सोरोकिन के अनुसार मार्क्स के समाजशास्त्रीय मामान्यीकरणों और सिदान्तों आदि का सार मार्क्स द्वारा लिखित “क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनोमी की भूमिका”, 1859, एवं “कम्यूनिस्ट पार्टी के घोषणा पत्र”, 1848, के कुछ अशों में देख गकते हैं। सोरोकिन के कथनातुसार इन निम्न उद्दरित अशों के अध्ययनों में मार्क्स के समाजशास्त्रीय सिदान्तों की प्रमुख एवं आवश्यक विशेषताएँ स्पष्ट हो जाती हैं। ये हिन्दी में अक्षरण: अनुवादित एवं रूपान्तरित मृल अशो निम्नलिखित हैं—

### I. 'क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनोमी' की भूमिका, 1859 (Preface of the 'Critique of Political Economy', 1859)

“जिन सामान्य निकर्यों पर मैं पहुंचा हूँ और जो मेरे अध्ययनों की एक सतत शृंखला के निरन्तर आधार रहे हैं वे सार रूप में निम्न हैं—सामाजिक उत्पादन जिन्हे मानव करता है उनमें वह निश्चित प्रकार के सम्बन्धों में प्रवेश करता है वे अपरिहार्य होते हैं तथा उसकी इच्छा से स्वतंत्र होते हैं, ये उत्पादन के सम्बन्ध निश्चित उत्पादन की वस्तुओं की शक्ति के विकास की अवस्था से सम्बन्धित होते हैं। ये उत्पादन के सम्बन्धों के योग समाज की आर्थिक संरचना को निर्धारित करते हैं—यह वास्तविक आधारशिला है, जिस पर कानूनी और राजनीतिक अधिसंरचना निर्मित होती है और इसके अनुरूप निश्चित सामाजिक चेतना का विकास होता है। भौतिक जीवन में उत्पादन वीं विधि सामाजिक, राजनीतिक और आध्यात्मिक जीवन की प्रक्रियाओं का निर्माण करती है। यह मानव की चेतना नहीं है जो उनके अस्तित्व का निर्णय करती है, वल्कि इसके विपरीत सामाजिक अस्तित्व उनकी चेतना का निर्णय करता है।

उनके विकास की एक निश्चित अवस्था में, समाज में उत्पादन की भौतिक शक्तियों विद्यमान उत्पादन के सम्बन्धों के साथ संबंधित करती है..... सम्भृति के साथ संबंधित करती है जिनमें वो पहिले कार्य कर रही थी। उत्पादन की शक्तियों के स्वरूपों के विकास से ये सम्बन्ध उनकी बोड़ियों में बदल जाते हैं। तब सामाजिक क्रान्ति का काल आता है। आर्थिक आधार के परिवर्तन के साथ-साथ सम्पूर्ण बड़ी अधिसंरचना कम-या-अधिक रूप में तेजी से रूपान्तरित हो जाती है। इस प्रकार के रूपान्तरण में इस बात का सर्वधा अन्तर रखना होगा कि उत्पादन की आर्थिक परिस्थितियों के भौतिक रूपान्तरण का निर्णय प्राकृतिक विज्ञान की यथार्थता करती है तथा कानूनी, राजनीतिक, धार्मिक, सौन्दर्यशास्त्रीय या दार्शनिक—संक्षिप्त में आदर्शात्मक स्वरूप जिससे संघर्षों के प्रति मानव संचेत होता है तथा इनसे वह युद्ध करता है। जिस प्रकार से हमारा यह एक व्यक्ति के सम्बन्ध में इस पर आधारित नहीं होता है कि वह स्वयं के बारे में क्या सोचता है उसी प्रकार से हम किसी काल के रूपान्तरण के सम्बन्ध में उसकी चेतना के आधार पर निर्णय नहीं कर सकते हैं; इसके विपरीत, इस चेतना की व्याख्या भौतिक जीवन के विरोधों, उत्पादन की सामाजिक शक्तियों तथा उत्पादन के सम्बन्धों के आधार पर करनी चाहिए। कोई भी सामाजिक व्यवस्था तब तक लुप्त नहीं होती है जब तक कि सभी उत्पादन की शक्तियाँ जिनके विकास की सम्भावना होती हैं विकसित नहीं हो जाती हैं, और नवीन उच्चतर उत्पादन के सम्बन्ध कभी भी तब तक

उत्पन्न नहीं होते हैं, जब तक कि उनके अस्तित्व के लिए आवश्यक भौतिक परिस्थितियाँ पुराने समाज के गर्भ में परिपक्व नहीं हो जाती हैं। इसोलिए मानव जाति सर्वदा केवल उन्हीं समस्याओं को लेती है जिन्हे हल कर सकती है, विषय को अधिक निकटता से देखने से हम हमेशा पाते हैं कि समस्या तभी उत्पन्न होती है जब उसे हल करने की भौतिक परिस्थितियाँ पहिले से ही विद्यमान होती हैं अथवा विद्यमान होने की प्रक्रिया में होती है। हम प्रमुख रूपरेखा (विन्दुओं) के रूप में समाज के आर्थिक विकास के रूपान्तरणों के अनेक कालों में, जैसे—एशियाई, प्राचीन सामन्ती और आधुनिक चुर्जुवा उत्पादन की पद्धतियों में ऐसा पाते हैं। चुर्जुवा उत्पादन के सम्बन्ध उत्पादन की सामाजिक प्रक्रिया के अन्तिम विरोध (संघर्ष) हैं—यह संघर्ष व्यक्तिगत संघर्षवाद के अर्थ में नहीं है बल्कि यह उन परिस्थितियों में से उत्पन्न होता है जो समाज में व्यक्तियों के जीवन को चारों ओर से घेरे रहता है। इसी के साथ-सीथ इस संघर्ष का समाधान उन उत्पादन की शक्तियों के द्वारा होता है जो चुर्जुवा समाज की भौतिक परिस्थितियों के गर्भ से विकसित होती हैं। यह सामाजिक रूपान्तरण मानव समाज के पूर्व ऐतिहासिक अवस्था के अन्तिम अध्याय को बनाता है।

## II. कम्युनिष्ट पार्टी का घोषणा-पत्र 1848

(Manifesto of Communist Party 1848)

मार्क्स ने कम्युनिस्ट पार्टी के घोषणा पत्र, 1848 में वर्ग-संघर्ष के सिद्धान्त की जो विवेचना की है, वह इस प्रकार है—

“आज तक अस्तित्व में जो समस्त समाज है उनका इतिहास वर्ग-संघर्ष का इतिहास है।”

“स्वतन्त्र मनुष्य और दास, पेट्रोशियन और प्लॉविपन, सामन्ती प्रभु और भूदास, शिल्प-संघ का उस्ताद-कारीगर और मजदूर-कारीगर—संक्षेप में उत्पीड़क और उत्पीड़ित (शोषक और शोषित) चराचर एक-दूसरे का विरोध करते आए हैं। वे कभी छिपे, कभी प्रकट रूप से लगातार एक-दूसरे से लड़ते रहे हैं, जिस लड़ाई का अन्त हर बार या तो पूरे समाज के क्रान्तिकारी पुनर्गठन में या संघर्षत वर्गों की बद्दली में हुआ है।”

## मार्क्स के उद्देश्य, अभिग्रह, पद्धतिशास्त्र और प्रारूप

(Aims, Assumptions, Methodology and Typology of Marx)

कार्ल मार्क्स के समाजशास्त्रीय योगदान का अध्ययन करने से पूर्व मार्क्स के उद्देश्य, अभिग्रह, पद्धतिशास्त्र और प्रारूप को समझना ब्रेयस्कर होगा जो निम्न प्रकार से हैं—

### 1. उद्देश्य

(Aims)

मार्क्स का प्रमुख सक्षय जीवन की परिस्थितियों और वचारों के पारस्परिक सम्बन्धों का विश्लेषण करना था। आप समाज की आर्थिक उप-संरचना का समाज के मानव अधिसंरचना के साथ परस्पर सम्बन्ध का विश्लेषण एक निरन्तर परिवर्तित समाज के ऐतिहासिक विकास के

आधार पर करना चाहत था। उस प्रकार का पारम्परिक प्रतिक्रियात्मक मार्गर्म के विचारों का भौतिक आधार था। उन्होंने इसी दृष्टिकोण से 'स्थाभाविक मानव' का 'अलगाव मानव' के रूप में परिवर्तन का अध्ययन किया था। आपका भत है कि यह परिवर्तन औद्योगिकोकरण और पैर्जीवाद के शोषण के द्वारा होता है। समाज के पुनर्वर्तन के सिद्धान्त के पीछे उनका एक वैचारिक लक्ष्य था। आपने अनुमान लगाया था कि 'अलगाव मानव' पुनः परिवर्तित होगा और एसे स्थाभाविक मानव के रूप में बदलेगा जो आपने प्राकृतिक और सामाजिक पर्यावरण से सापेक्ष करेगा। आपने भौतिक दृढ़तात्मकवाद के सन्दर्भ में राजनीतिक अर्थशास्त्र के विस्तृत ऐतिहासिक अध्ययन को योजना बनाई। मार्गर्म इस प्रकार से एक व्यावहारिक सिद्धान्त बनाया थे। आपने अमन हीगल परम्परा का उपयोग किया। हीगलवाद के द्वारा आपने जीवनकाल में विद्यमान राजनीतिक और अर्थिक अत्याचार और उत्पीड़न के विरुद्ध प्रतिक्रिया व्यक्त की थी। मार्गर्म ने समाज के एक दृढ़तात्मक परिवर्तन के सिद्धान्त का विकास किया। इस सिद्धान्त में प्रमुख जोर आर्थिक उपसरचना पर था।

## 2. अभिग्रह (Assumption)

प्रत्येक सिद्धान्त अथवा वैज्ञानिक के विचार के कुछ महत्वपूर्ण आधार होते हैं। इनको समझें दिना सिद्धान्तों अथवा विचारों को समझना कठिन है। मार्गर्म के भी दृढ़तात्मक, भौतिकवाद, वर्ग-संघर्ष व समाज की ऐतिहासिक व्याख्या आदि के कुछ मौलिक आधार हैं। मार्गर्म कुछ बातों को भानकर चलते हैं जिस पर आपके सिद्धान्त तथा व्याख्याएँ आधारित हैं। निष्ठांकित कुछ महत्वपूर्ण आधार या अभिग्रह हैं जिन पर मार्गर्म के विचार तथा व्याख्याएँ आधारित हैं।

1. चेतना का निर्णायक अस्तित्व (Existence Determines Consciousness)—मार्गर्म का सबसे महत्वपूर्ण और मौलिक अभिग्रह है, "अस्तित्व घेतना का निर्णायक है।" इससे आपका तात्पर्य है कि जोवन की भौतिक परिस्थितियाँ सामाजिक या मानकात्मक चेतना को नियन्त्रित, निर्देशित और संचालित करती हैं। भौतिक परिस्थितियाँ सामाजिक अन्तर्विवेक को परिभाषित करती हैं।

2. भौतिक अभौतिक का निर्णायक (Material Determines the Non-material)—मार्गर्म के सिद्धान्त का दूसरा महत्वपूर्ण अभिग्रह है, "भौतिक अभौतिक का निर्णायक है।" आपका भत है, "उत्पादन के प्रकार सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक जीवन को प्रक्रिया के सामान्य लक्षणों का निर्धारण करते हैं।" भौतिक विचारों का निर्धारण करते हैं। भौतिक परिवर्तन के द्वारा सामाजिक परिवर्तन होता है। सामाजिक चेतना तथा आदर्शों में परिवर्तन का कारण भौतिक कारक है।

3. भौतिक परिस्थितियों में समाज का उद्गम (Society is rooted in material conditions)—मार्गर्म ने इसी प्रकार आगे स्पष्ट किया, "समाज का उद्गम भी जीवन की भौतिक परिस्थितियाँ हैं।" मानव अपनी प्राथमिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो प्रयास

करता है उसके परिणामस्वरूप आर्थिक उप-सरचना का विकास होता है। यही आर्थिक उप-सरचना समाज की राजनैतिक तथा कानूनी उप-सरचनाओं को निर्धारित तथा परिभाषित करती है। मार्क्स के अनुसार समाज, इस प्रकार से, उद्विकास के सन्तुलन को प्रदर्शित करता है जिसमें सामाजिक चेतना तथा सम्बन्धों को उत्पादन के प्राथमिक तरीके (आर्थिक अवस्था) निश्चित करते हैं। यह काले मार्क्स के सिद्धान्त का तीसरा महत्वपूर्ण अभ्युपगम है।

**4. द्वन्द्वात्मक उद्विकास (Dialectic Evolution)**—मार्क्स का दौधा और अन्तिम महत्वपूर्ण अभ्युपगम है आर्थिक उप-सरचना और मानकात्मक अधिक-सरचना में परस्पर द्वन्द्वात्मक अन्तर्क्रिया होती है जिसके फलस्वरूप समाज अनेक उद्विकासीय घरणों से गुजरता हुआ आगे बढ़ता है। आपका मानना था कि जनसत्त्वा और आवश्यकताओं में वृद्धि के परिणामस्वरूप श्रम-विभाजन में भी वृद्धि होती है तथा भूमिकाओं में भी वृद्धि होती है। इस विकास के कारण निजी सम्पत्ति में वृद्धि होती है। औद्योगिकोकारण के प्रभाव के फलस्वरूप निजी सम्पत्ति से पूँजीपति अवस्था का विकास होता है। मार्क्स का यह भी मानना था कि आर्थिक प्रभुत्व तथा पूँजीवाद से सर्वहारा-वर्ग (श्रमजीवी वर्ग) का प्रकृति तथा उत्पादन के साधनों से अलगाव होगा। उत्पादन के साधनों, उत्पादन के तरीकों तथा सम्बन्धों पर शोधक-वर्ग या पूँजीपति-वर्ग का पूर्ण जियन्न आया होगा तथा सर्वहारा-वर्ग का शोषण होगा।

सारांश में यह कह सकते हैं कि मार्क्स ने हीगल के द्वन्द्वात्मकता को अपनाया जिसमें भौतिकवाद को कारण मानकर समाज के इतिहास का अध्ययन किया। मार्क्स का सिद्धान्त भौतिक निर्णायकवाद का सिद्धान्त है।

समाज में श्रम-विभाजन और निजी सम्पत्ति के अधिकारों में वृद्धि के कारण पूँजीवाद का विस्तार होता है। आगे चलकर, मार्क्स के अनुसार पूँजीवाद में द्वन्द्व होगा जो समाजवाद के लिए एक आन्दोलन के रूप में शुरू होगा जो अन्त में एक ऐसे समाज का निर्माण करेगा जिसमें मानव प्रकृति और सामाजिक वातावरण के साथ पुनः जुड़ जायेगा तथा एक 'स्वाभाविक मानव' का उदय होगा।

### 3. पद्धतिशास्त्र (Methodology)

मार्क्स अपने द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद के लिए विख्यात हैं। आपने समाज के इतिहास का द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद के आधार पर अध्ययन किया है। द्वन्द्वात्मक जर्मनी के दर्शन की देन है। विशेष रूप से फ्रेडरिक हीगल की रचनाओं में द्वन्द्वात्मक को देखा जा सकता है। आपने लिखा है कि घटना में परिवर्तन के कारण स्वयं घटना में ही विद्यमान होते हैं। आप परिवर्तन को वाद (मूल अवस्था) और प्रतिवाद (विरोधी अवस्था) से समवाद (प्रथम दोनों अवस्थाओं का सम्बन्ध) के रूप में मानते हैं, जो कि एक नूतनवाद (नई अवस्था) के रूप में पनपता है, मानते हैं। यह द्वन्द्वात्मक उद्विकास घटना के गत्यात्मक उद्विकास और परिवर्तन की व्याख्या करता है। इसको हम प्रकार से भी समझ सकते हैं। मार्क्स का कहना है कि प्रत्येक वस्तु गतिशील होती है, कोई भी वस्तु स्थिर नहीं होती है। वस्तुओं में परिवर्तन अवश्यभावी है। आपने कहा कि

दृढ़ात्मक भौतिकवाद के अनुसार प्रत्येक पदार्थ सक्रिय होते हैं। आपने विकास की प्रक्रिया का आधार भौतिक यस्तुओं में विद्यमान आन्तरिक विरोध को बताया है। यस्तुओं में विरोध के कारण पारस्परिक संघर्ष होता है और उसके अनुसार विकास होता है। संघर्ष के द्वारा विश्व का विकास होता है, यह संघर्ष आन्तरिक और बाह्य दोनों ही प्रकार से होता है। इस प्रकार से मार्क्स का यह मान्यता रही है कि भौतिक समाज की भौतिक संगतियों में परिवर्तन होता है जो उद्दिध्वकास व विकास के रूप में सामने आता है। इसी के आधार पर मार्क्स ने इतिहास की व्याख्या की। आपका कहना है कि प्रारम्भ में समाज आदिम साम्यवाद की अवस्था में होता है। संघर्ष के फलस्वरूप यह दासता की अवस्था में विकसित होता है। विकास का क्रम सामन्तवाद से पूँजीवाद और अन्त में साम्यवाद की अवस्था में पहुँच जाता है। मार्क्स के अनुसार दृढ़ात्मक भौतिकवाद एक समाजशास्त्रीय उपकरण है जिसके द्वारा समाज के विकास का ऐतिहासिक विरलेपण करने में उपयोग किया जा सकता है। दृढ़ात्मक भौतिकवाद के अनुसार भौतिक शक्तियाँ परम्पर विरोधी और प्रतिविरोधी शक्तियों के रूप में संघर्ष करती हैं जिससे समाज की आर्थिक और सामाजिक संरचना में परिवर्तन आता है।

इस पद्धति के अनुसार मार्क्स ने ऐतिहासिक समाजशास्त्र को प्रतिपादित करने का प्रयास किया। मार्क्स ने समाज के उत्पादन के तरीकों और सामाजिक संरचनाओं के परस्पर सम्बन्धों के परिवर्तन पर अपना ध्यान केन्द्रित किया है। आपने सामाजिक संस्थाओं के इतिहास का विकास किया। मार्क्स ने सामाजिक विरलेपण में सामाजिक परिवर्तन की व्याख्या करने का लक्ष्य रखा।

#### 4. प्रारूप (Typology)

**4.1. जनजातिवाद (Tribalism)**—टी. घोटोमोर की सम्मादित पुस्तक 'काल मार्क्स' : सलेक्टेड ग्राइटिंग्स इन सोशियोलॉजी एण्ड सोशियल फिलासॉफी' में मार्क्स के दृढ़ात्मक भौतिकवाद के प्रारूप का विस्तृत वर्णन दिया गया है। मार्क्स ने सामाजिक विकास के चरण एक प्रारूप के रूप में दिये हैं, जो निम्न प्रकार से है—आपने इस उद्दिध्वकासी प्रारूप में सर्वप्रथम अवस्था जनजाति की बताई है। इस अवस्था में शिकार, मछली पकड़ना और कृषि प्रथान होता है। मुख्य रूप से समाज पिरूसत्तमक होता है। श्रम-विभाजन एक विस्तृत परिवार अवस्था के रूप में मिलता है। मार्क्स का कहना है कि इस प्रकार इन जनजाति समाजों में निजी सम्पत्ति और श्रम का विभाजन न्यून होता है।

**4.2. सामन्तवाद (Feudalism)**—जब कुछ जनजातियों परस्पर मिल जाती हैं और उनका आकार बढ़ा हो जाता है तो इसके साथ समुदायवाद विकसित हो जाता है। इस अवस्था में दासता, निजी सम्पत्ति और श्रम-विभाजन अवस्था प्रारम्भ हो जाती है। कृषि में कुछ कमी आती है। सामन्तवाद आ जाता है। भूमि पर आधारित अर्थव्यवस्था विकसित हो जाती है। धनों कृषि का नियन्त्रण करते हैं। मार्क्स के अनुसार यह संरचना भी अपूर्ण होती है और नगरीकरण का विकास होता है। आवश्यकताएँ बढ़ जाती हैं जिसके फलस्वरूप उत्पादन आर्थिकी की आवश्यकता पड़ती है जो विकसित हो कर विश्व में उगानिवेशवाद को बढ़ावा देती है।

**4.3. पूँजीवाद (Capitalism)**—इस उपर्युक्त विकास के फलस्वरूप पूँजीवाद का विकास होता है जिसमें निम्नलिखित तत्वों का उदय होता है। मार्क्स का कहना है कि पूँजीवाद ऐसी अवस्था है जिसके स्रोतों का एकाधिपत्य हो जाता है। यह एकाधिपत्य उत्पादन के साधनों पर पूँजी के रूप में स्वामित्व के कारण होता है। श्रमिक का श्रम महत्वपूर्ण बस्तु बन जाता है। समाज—दो वर्गों में मालिक और श्रमिक में बँट जाता है। जिस प्रकार से जनजातिवाद से सामन्तवाद और सामन्तवाद से पूँजीवाद में परिवर्तन हुआ उसी प्रकार से पूँजीवाद की अवस्था भी स्थिर नहीं रहती है। मार्क्स का मत है कि अधिक उत्पादन और अलगाव के बढ़ने की समस्याओं के फलस्वरूप पूँजीवाद में परिवर्तन आता है। अलगाव के बढ़ने से श्रमिक सर्वहारा वर्ग समर्पित हो जाते हैं और पूँजीपतियों के विरुद्ध झान्ति करते हैं।

**4.4. कल्पनालोकीय समाजवाद (Utopian Socialism)**—पूँजीवाद अपने समाजिक को प्रक्रिया स्वयं प्रारम्भ करता है और समाज अनुत्तोगत्वा विकास की चरण सीमा कल्पनालोकीय समाजवाद की अवस्था में पहुँच जाता है, ऐसा मार्क्स का मत है। आपका कहना है कि कल्पनालोकीय समाजवाद की अवस्था में श्रमिक-वर्ग या सर्वहारा-वर्ग की क्रान्तिकारी तानाशाही स्थापित हो जाती है जो निजी सम्पत्ति के अधिकारों को समाप्त कर देते हैं। समाज को इस अवस्था में वर्ग समाप्त हो जाते हैं, व्यक्ति पूर्ण रूप से समाजवादी हो जाता है। समाज एवं प्रकृति पुनः संगठित हो जाते हैं। इस प्रकार से समाजवाद एक प्रकार से समाज को जनजातिवाद की प्रारम्भिक अवस्था में होटा लाता है, जहाँ व्यक्ति अपने भौतिक एवं सामाजिक पर्यावरणों से घनिष्ठ रूप से सम्बन्धित हो जाता है।

### वर्ग-संघर्ष (Class-Conflict)

कार्ल मार्क्स के समाजशास्त्र में अनेक योगदानों में से एक महत्वपूर्ण योगदान वर्ग एवं वर्ग-संघर्ष है। आपने वर्ग एवं वर्ग-संघर्ष के विभिन्न पहलुओं पर अपने क्रान्तिकारी विचार प्रस्तुत करके विश्व में एक नई विचारधारा पैदा की। समाजशास्त्र में वर्ग एवं वर्ग-संघर्ष का अध्ययन सामाजिक सरचना एवं परिवर्तन को समझने के लिए आवश्यक है। कार्ल मार्क्स के वर्ग एवं वर्ग-संघर्ष में सम्बन्धित विचारों के अध्ययन के पूर्व वर्ग की परिभाषा, वर्ग की विशेषताएँ, वर्ग-विभाजन के आधार तथा वर्ग-निर्धारण के आधारों का अध्ययन किया जायेगा। तत्पश्चात् मार्क्स के वर्ग के सम्बन्ध में विचारों की विवेचना की जाएगी।

**वर्ग का अर्थ एवं परिभाषा (Meaning and Definition of Class)**—वर्ग की परिभाषा अनेक विद्वानों ने दी है। इन विद्वानों की परिभाषाओं का अध्ययन करके वर्ग का अर्थ समझने का प्रयास किया जायेगा, जो निम्न प्रकार है—

ऑग्बर्न और निम्कांफ ने सामाजिक वर्गों को इस प्रकार परिभाषित किया है—“एक सामाजिक वर्ग ऐसे व्यक्तियों का सम्ग्रह है जिनकी दिए हुए समाज में आवश्यक रूप से समान सामाजिक प्रस्थिति है।”

जिन्सवर्ग के मत में, “वर्ग ऐसे व्यक्तियों का समूह है जो व्यवसाय, धन, शिक्षा, जीवन-यापन की विधियों, विचारों, मनोभावों, प्रवृत्तियों और व्यवहारों में एक-दूसरे के समान होते हैं अथवा कुछ आधारों पर समानता की भावना से मिलते हैं और इस प्रकार अपने को एक समूह का सदस्य समझते हैं।”

गिसर्ट के मतानुसार, “सामाजिक वर्ग व्यक्तियों का समूह अथवा क्लेशी (Category) है जिसका समाज में एक निश्चित ‘पद’ होता है और यह ‘पद’ ही अन्य ममुहों में उनके गम्भय को स्थाई रूप से निर्धारित करता है।

मैकाइवर तथा पेज के अनुसार, “एक सामाजिक वर्ग समुदाय का वह भाग है जो सामाजिक प्रस्तिति के आधार पर शोषण से अलग कर दिया गया है।”

उपर्युक्त परिभाषाओं के आधार पर यह निष्कर्ष निकलता है कि एक सामाजिक वर्ग के व्यक्तियों की एक-सी संस्कृति, एक-सी सामाजिक परिस्थिति तथा एक-सी परम्पराएँ अथवा रीति-रिवाज होते हैं। माकम्बे ने वर्ग व्यवस्था को दो भागों में बँटा है—एक युर्जुआ और दूसरा मजदूर। इसका कारण आर्थिक विपर्यय है। जिन लोगों के पास साधन-सम्भन्नता है ये शोषक या पूँजीवादी वर्ग के सदस्य हैं और वे लोग जो मजदूर हैं, श्रमिक हैं, ये शोषित या मजदूर वर्ग के सदस्य हैं। इस प्रकार से प्रत्येक समाज में दो वर्ग शोषक और शोषित होते हैं।

**वर्ग-विभाजन के आधार (Bases of Class-division)**—कालै मार्क्स ने वर्ग-विभाजन के दो आधार घोषये हैं—एक शोषक या पूँजीवादी वर्ग और दूसरा शोषित या मजदूर-वर्ग।

वर्ग का आधार धन, आय का साधन, व्यवसाय की प्रकृति, निवास-स्थान आदि हो सकते हैं क्योंकि समाज में प्रायः उच्च वर्ग, शासक वर्ग, व्यावसायिक वर्ग, भाष्यम वर्ग एवं निम्न वर्ग के व्यक्ति हो सकते हैं।

**वर्ग-निर्धारण के आधार (Bases of Class-determination)**—रॉबर्ट थीरस्टीड ने वर्ग-विभाजन के मात्र आधार घोषये हैं, जो निम्नलिखित हैं—ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण आधार हो सकते हैं क्योंकि इन आधारों में धन, धर्म, व्यवसाय, परिवार आदि सभी को सम्मिलित किया गया है। ये इस ग्रन्थ में वर्णित हैं—

( 1 ) सम्पत्ति, धन और आय (Property, Wealth and Income)—मदमेस महत्वपूर्ण आधार धन, सम्पत्ति व आय को माना गया है। धन-सम्पत्ति आय पर ही निर्भर करती है क्योंकि जैसा कि मार्क्स की मान्यता है कि भीतिक वर्गतुर्ए—पूँजी, भूमि आदि निम्न व उच्च वर्ग के विभाजन का आधार हैं। जिसके पास आय के द्वारा जितने अधिक व उच्च-स्तर के होते हैं वह व्यक्ति उतने ही उच्च वर्ग का माना जाता है। किन्तु केवल धन-सम्पत्ति ही एक आधार नहीं है अपितु अन्य आधार भी महत्वपूर्ण हैं।

( 2 ) परिवार और नातेदारी (Family and kinship)—परिवार व नातेदारी वर्ग-निर्धारण का महत्वपूर्ण आधार है। विवाह सम्बन्धों में परिवार व नातेदारी प्रमुख मानी जाती है, जैसे—उच्च स्तर वाले व्यक्तियों की रितेदारी उच्च लोगों से ही होती है। अतः परिवार वालों को भी उसी दृष्टि से देखा जाता है।

( 3 ) निवास की स्थिति (Location of residence)—कोई व्यक्ति किस स्थान पर रह रहा है, उसके पड़ोसी किस स्तर के हैं—ये बातें भी व्यक्ति के वर्ग का निर्धारण करती हैं। जैसे विकसित कॉलोनी में रहने वाले लोग कच्ची बस्ती में रहने वाले लोगों से उच्च-स्तर के भाने जाते हैं।

( 4 ) निवास स्थान की अवधि (Duration of residence)—कोई व्यक्ति कितने समय से किस स्थान पर रह रहा है? उसका अतीत क्या है? पूर्वज किस स्थान के निवासी थे? आदि आदि तथ्य भी वर्ग का निर्धारण करते हैं। जैसे कोई व्यक्ति अपने पूर्वजों के निवास-स्थान पर रहता है तो समाज में उसकी प्रतिष्ठा अधिक है, उनकी तुलना में जो नोकरी के लिए नवीन स्थान पर जाकर रहते हैं जिनका कोई स्वयं का निवास-स्थान नहीं होता।

( 5 ) व्यवसाय की प्रकृति (Nature of occupation)—व्यवसाय की प्रकृति भी वर्ग-निर्धारण का आधार है, जैसे—प्रशासक, इन्जीनियर, डॉक्टर, राजनीतिज्ञ, प्रोफेसर आदि को समाज प्रतिष्ठा की दृष्टि से देखता है। उनकी तुलना में टेकेदार, दुकानदार आदि के पास धन होने पर भी सामाजिक-वर्ग में इनकी उतनी प्रतिष्ठा नहीं। इस प्रकार व्यवसाय की प्रकृति वर्ग का निर्धारक हो सकती है।

( 6 ) शिक्षा (Education)—शिक्षा, तकनीकी-ज्ञान वर्ग का निर्धारण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कहा भी है, “स्वदेशो पून्यते राजा, विद्वान् सर्वत्र पून्यते।” शिक्षित व्यक्ति को सामाजिक प्रतिष्ठा अशिक्षित की तुलना में अधिक होती है।

( 7 ) धर्म (Religion)—धर्म भी वर्ग निर्धारण में अहम् भूमिका निभाता है। ऋषि-मुनि आज भी सम्मान की दृष्टि से देखे जाते हैं। विशेष रूप से भारतवर्ष में धार्मिक स्थिति को विशेष महत्वपूर्ण माना जाता है।

वर्ग-निर्धारण के आधारों के उपरान्त यह निष्कर्ष निकलता है कि वर्ग का आधार धन-सम्पत्ति, आय, व्यवसाय, शिक्षा, जीवन-स्तर, संस्कृति आदि हैं और एक समान सामाजिक स्थिति वाले व्यक्ति एक वर्ग में आते हैं।

### कार्ल मार्क्स : वर्ग के सम्बन्ध में विचार (Karl Marx · Views About Class)

कार्ल मार्क्स ने वर्ग से सम्बन्धित अनेक पक्षों पर अपने विवार व्यक्त किये। इनके विचारों का सामाजिक विज्ञानों में विशेष महत्व है। मार्क्स ने सामाजिक वर्ग के आधार पर मानव

ममाज के इतिहास व मापाजिक परिवर्तन आदि की व्याख्या की है। इसीलिए यह आवश्यक हो जाता है कि हम मात्रमें के वर्ग से मन्दिरित विभिन्न पथों, वर्ग का अर्थ, इसकी विशेषताओं, प्रकार व वर्ग के ग्रात उपकी दृष्टि और वर्ग संघर्ष आदि का अध्ययन करें, जो निम्न प्रकार हैं—

**वर्ग का अर्थ एवं परिभाषा (Meaning and Definition of Class)—** माकर्म ने वर्ग एवं वर्ग का अध्ययन युर्जुप्रा इतिहासकारों, विशेष स्पृष्टि से प्राप्तीसी इतिहासकारों में ली है। कार्ल माकर्म ने वर्ग से मन्दिरित अपने विचार विशेष स्पृष्टि में विवरित कृति "दासकैपिटल" के तीणों घटां के अन्तिम अध्याय "सामाजिक वर्ग" (Social Classes) में लिखा किये हैं। इस अध्याय में आपने वर्ग को व्याख्या की है नेक्सिन रेमण्ड एरन (Raymond Aron) का कहना है कि माकर्म ने वर्ग की परिभाषा तो कहीं नहीं दी है, किन्तु इन्होंने अपनी रचनाओं में अनेक व्यापों पर इम्रका वर्णन किया है। आपने "सामाजिक वर्ग" अध्याय में आय के विभिन्न स्रोतों के आधार पर तीन वर्गों का वर्णन किया है जो निम्न प्रकार हैं—

**1. घेतन भोगी श्रमिक (Wage earner Labourers)—** घेतन भोगी श्रमिकों के आय के साधन विभिन्न प्रकार की मजदूरी होती है। इस वर्ग के सदस्य साधारण श्रम-शक्ति के स्वामी होते हैं।

**2. पूँजीपति वर्ग (Capitalistic Class)—** पूँजीपति वर्ग समाज के वे वर्ग होते हैं जिनके पास बहुत अधिक पूँजी होती है। ये पूँजी के स्वामी होते हैं। इनकी आय का साधन अतिरिक्त गूल्य के द्वारा लाभ कमाना है।

**3. भू-स्वामी वर्ग (Land-Owner Class)—** भू-स्वामी वर्ग के सदस्य भू-स्वामी होते हैं। इनकी आय का साधन भूमि-कर होता है। यह वर्ग कृषि-प्रधान समाज में पाया जाता है।

माकर्म ने वर्गों की व्याख्या आर्थिक परिषेष्य के अनुसार भी है। आपने अपने वैज्ञानिक ठहरेय के अनुसार उपर्युक्त तीनों वर्गों का वर्गीकरण आर्थिक संरचना के आधार पर किया है। माकर्म ने लिखा है कि मानव समाज का इतिहास वर्ग-संघर्ष का इतिहास है। मानव इतिहास में मानव समूह हमेशा आपमें एक-दूसरे में संघर्ष करते रहते हैं। माकर्म ने इन्हीं संघर्षों के मानव समूहों को वर्ग कहा है। माकर्म ने वर्ग को विशेषताओं का वर्णन किया है। आपका कहना है कि वर्ग मुख्य स्पृष्टि से दो प्रकार के होते हैं—(1) शोषक वर्ग, एवं (2) शोषित वर्ग। ये दोनों वर्ग परस्पर विरोधी होते हैं। रेमण्ड एरन ने अपनी पुस्तक 'मैन करण्डम इन सोशियोलॉजिकल थर्ट' में लिखा है कि माकर्म ने वर्गों की विशेषता 'दो श्रुतियों में वेन्ट्रीयकरण की प्रवृत्ति' (Tendency towards a polarization into two blocks and only two) याई है। कार्ल माकर्म ने मानव इतिहास के संघर्ष में विभिन्न कालों को ध्यान में रखते हुए कहा है कि सभी ममाजों में हमेशा दो वर्ग रहे हैं जिनमें परस्पर मंदिरित होता रहता है। आपका मत है कि शोषक वर्ग वह है जिसका उत्पादन के साथों, उत्पादन के तीरोंकी तथा उत्पादन के मध्यमों पर वियवरण होता है। शोषित वर्ग वह है जो इन उपर्युक्त विशेषताओं में वंचित होता है। वर्गों के स्पृष्टि-भिन्न कालों में भिन्न-भिन्न रहे हैं। आज वर्तमान युग में भी माकर्म के अनुसार दो वर्ग हैं—एक चुनुका

(Bourgeois) अर्थात् शोषक वर्ग और दूसरा सर्वहारा अर्थात् शोषित वर्ग। इन्होंने इनके उत्पन्न होने का कारण आर्थिक माना है।

मार्क्स ने वर्ग की अवधारणा को आर्थिक ऐतिहासिक एवं मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा है, जो इस प्रकार है—

**1. आर्थिक परिप्रेक्ष्य (Economic Perspective)**—मार्क्स ने वर्ग की अवधारणा को आर्थिक परिप्रेक्ष्य के अनुसार व्याख्या करते हुए लिखा है कि वर्ग का निर्माण आर्थिक स्रोतों के आधार पर होता है। एक वर्ग वह है जिसका आय के साधनों पर नियन्त्रण होता है, दूसरा वह जो उसके अधीन होता है। इस आर्थिक विशेषता, आय के स्रोत के कारण ही प्रत्येक समाज में दो वर्ग पाये जाते हैं जिनमें निरन्तर सधर्ष होता रहता है।

**2. ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य (Historical Perspective)**—मार्क्स ने ऐतिहासिक दृष्टिकोण से वर्गों को व्याख्या करते हुए कम्यूनिस्ट पार्टी के धोषणा-पत्र में लिखा है—“अभी तक आविर्भूत समस्त समाज का इतिहास वर्ग-संघर्षों का इतिहास रहा है।” आपने वर्गों का ऐतिहासिक दृष्टिकोण से इनके विभिन्न प्रकार व प्रकृति आदि का वर्णन भी किया है। इन्होंने वर्ग पर नियंत्रण में प्रकाश डाला है—“स्वतन्त्र मनुष्य और दास, पेट्रीशियन और एलेवियन, सामनी प्रभु और भूदास, शिल्प संघ का उस्ताद कारीगर और मजदूर कारीगर—सक्षेप में उत्पीड़िक (Exploiter) और उत्पीड़ित (Expoitee) बाबर एक-दूसरे का विशेष करते आये हैं।”

**3. मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य (Psychological Perspective)**—कार्ल मार्क्स ने वर्गों का अर्थ मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखकर भी स्पष्ट किया है। आपको मान्यता है कि वर्गों में एकता और चेतना का गुण विद्यमान होता है। मार्क्स ने यह भी स्पष्ट किया है कि सर्वहारा वर्ग एक क्रान्तिकारी-वर्ग है। यह सर्वहारा-वर्ग क्रान्ति के द्वारा पूँजीवाद वो समाप्त कर देगा तथा ऐसे साम्यवादी समाज की स्थापना करेगा जिसमें समाज के सदस्यों में समानता होगी, किसी का शोषण नहीं होगा, उत्पीड़ित नहीं होगा। धीरे-धीरे राज्य भी लुप्त हो जायेगा।

लेनिन ने 'सलेक्टेड वर्क्स' के दृतीय खण्ड में मार्क्स और एजल्स के विचारों के अनुसार वर्ग की निम्नलिखित परिभाषा दी है—

“वर्ग जनता के ऐसे बड़े समूह हैं, जो सामाजिक उत्पादन के इतिहास द्वारा निर्दिष्ट किसी अवस्था में अपने विशिष्ट स्थान द्वारा, उत्पादन के साधनों के प्रति अपने सम्बन्ध द्वारा, (जो प्रायः कानून द्वारा) स्थिर और निरूपित होते हैं। त्रिम के सामाजिक संगठन में अपनी भूमिका द्वारा और परिणामस्वरूप इस तथ्य द्वारा कि वे सामाजिक सम्पदा का कितना बड़ा भाग किस तरीके से अर्जित करते हैं, एक-दूसरे से भिन्न होते हैं।”

इस परिभाषा से स्पष्ट हो जाता है कि मार्क्स वर्ग की मुख्य विशेषता उत्पादन के साधन मानते हैं। मैकी (McKee) ने 'इन्ड्रोडक्शन टु सोशियोलोजी' में लिखा है कि मार्क्स वर्गों का आधार आर्थिक मानते हैं। आपने कहा है, “सामाजिक वर्ग—ऐतिहासिक परिवर्तन की इकड़ी तथा आर्थिक व्यवस्था द्वारा समाज में निर्मित श्रेणियाँ दोनों ही हैं।

रेमण्ड एरेन का निष्कर्ष (Conclusion of Raymond Aron)—रेमण्ड एरेन ने अपनी पुस्तक "मैन करण्ट्‌स इन सोशियोलोजिकल थॉट्स" (Main Currents in Sociological Thought) में मार्क्स के वर्ग से मन्दनित विचारों के आधार पर निम्नलिखित दो निष्कर्ष प्रस्तुत किये हैं।

( १ ) निश्चित स्थान (Fixed Place)—मार्क्स के अनुमार एक सामाजिक वर्ग वह है जो उत्पादन की प्रक्रिया में एक निश्चित स्थान रखता है। उत्पादन की प्रक्रिया के दो अर्थ मामने आते हैं—

( ११ ) उत्पादन की तकनीकी प्रक्रिया में स्थान आर ( १२ ) वैधानिक प्रक्रिया में स्थान। वैधानिक प्रक्रिया—तकनीकी प्रक्रिया पा थाएँ गढ़ होती है। पैंजीपति उत्पादन के माध्यन्कों का स्वामी होता है। वह श्रामिकों का सगड़नकर्ता एवं तकनीकी प्रक्रिया का म्नामी होता है।

पैंजीपति वैधानिक मिथ्यति के कारण उत्पादकों भ अतिरिक्त मूल्य को प्राप्त करता है।

( २ ) अतिरिक्त मूल्य (Surplus Value)—पैंजीपति श्रमिकों का शोषण करते हैं। पैंजीपति श्रम-शक्ति के स्वामी होने के कारण अतिरिक्त मूल्य को हड्डपते हैं। मार्क्स की मान्यता है कि पैंजीचाहे के विकास के माथ साथ वर्ग-मन्दन्य मरल होते जाते हैं और आय के स्रोत श्रम और लाभ—दो ही रह जाते हैं। श्रम का मालिक श्रमिक वर्ग होता है एवं साम्र (अतिरिक्त मूल्य) का भालिक पैंजीपति होता है। भू स्वामी वर्ग धीरे-धीरे समाप्त हो जाता है और उसका स्थान पैंजीपति वर्ग ले लेता है।

वर्ग के लक्षण (Characteristics of Class)—कार्ल मार्क्स ने अपनी कृति 'दा एटीन्य ब्रुमेर' (The Eighteenth Brumaire) में वर्ग की कुछ प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख किया है। आपका वहना है कि वर्ग के लिए बहुत बड़ा मनव समूह या समाज होना चाहिये। इस मनव समूह में समान आर्थिक गतिविधियों का होना आवश्यक है। मार्क्स की मान्यता है कि समाज में वर्ग तभी होगा जब समाज के मदम्यों को जीवन शैली समाज होंगी। उनकी मस्तृति और हित समान होने चाहिए। इतना ही नहीं एक वर्ग के लिए एकता को चेतना का होना अत्यावश्यक है। एक वर्ग की दूसरे वर्ग से पृथक होने को भानना का होना भी उतना ही आवश्यक है जितना कि वर्गों में एक-दूसरे के प्रति विट्रोप की भावना। इन उपर्युक्त विशेषताओं के होने पर ही समाज में वर्गों का निर्माण होता है। आपका यह भी वहना है कि शोषक वर्ग एवं शोषित वर्ग में अपने-अपने स्वायों को लेकर संघर्ष एवं टकराव पाया जाता है। शोषक-वर्ग और शोषित-वर्ग में भासुदायिक चेतना और मामान्य क्रिया की इच्छा भी पाई जाती है। मार्क्स ने वर्ग की आर्थिक विशेषता बताते हुए लिया है, "वर्ग समाज के मदम्यों का ऐसा समूह होता है जो अपनी जीविता एक विशेष प्रकार से अर्जित करता है।" इसी आर्थिक आधार वो भिन्नता के आधार पर आपने वर्गों के प्रस्ताव दा उल्लेख भी किया है।

## कार्ल मार्क्स : वर्गों के प्रकार (Karl Marx Types of Classes)

कार्ल मार्क्स ने वर्गों के प्रकारों का उल्लेख अपनी विभिन्न कृतियों में किया है। आपने वर्गों के प्रकार उस समय बताये हैं जब आपने इनका ऐतिहासिक अध्ययन प्रस्तुत किया है। इन्होंने अपनी पुस्तक 'जर्मनी में क्रान्ति और प्रतिक्रान्ति' (Revolution and Counter Revolution in Germany) में निम्नलिखित आठ वर्गों का उल्लेख किया है जो जर्मनी से 1848 की क्रान्ति के अध्ययन से सम्बन्धित हैं—

- (1) सामन्ती अधिगत (The Feudal Nobility)
- (2) युर्जुआ (The Bourgeoisie)
- (3) पेटीट युर्जुआ (The Petite Bourgeoisie)
- (4) ऊच एवं मध्यम कृषक (The Upper and Middle Peasantry)
- (5) स्वतंत्र निम्न कृषक (The Free Lower Peasantry)
- (6) दास कृषक (The Slave Peasantry)
- (7) कृषि-श्रमिक (The Agricultural Labourers)
- (8) औद्योगिक श्रमिक (The Industrial Workers)

इसी प्रकार मार्क्स ने अपनी कृति 'फ्रांस में वर्ग संघर्ष' (Class-Struggle in France) में निम्नलिखित वर्ग बताये हैं—

- (1) वित्तीय युर्जुआ (Financial Bourgeoisie)
- (2) औद्योगिक युर्जुआ (Industrial Bourgeoisie)
- (3) पेटीट युर्जुआ (Petite Bourgeoisie)
- (4) कृषक वर्ग (Peasant Class)
- (5) सर्वहारा वर्ग (Proletarian Class)
- (6) उपसर्वहारा वर्ग (Lumpenproletariat)

कार्ल मार्क्स ने उपर्युक्त दोनों ही वर्गों करण इस तथ्य को ध्यान में रखकर किये हैं कि कौन-कौनसे सामाजिक समूह (वर्ग) ये जिन्होंने ऐतिहासिक परिस्थितियों में राजनीतिक घटनाओं को प्रभावित किया था। मार्क्स ने 'दास कैपिटल' में बड़े समूहों के केन्द्रीयकरण के रूप में दो वर्गों का वर्णन किया है—एक शोषक वर्ग और दूसरा शोषित वर्ग।

पूँजीवादी व्यवस्था में ये दो वर्ग हैं—पूँजीपति वर्ग और क्रमिक वर्ग। इन वर्गों के वर्गों करण का आधार श्रम एवं लाभ है। जबकि जर्मन में क्रान्ति और प्रतिक्रान्ति और फ्रांस में वर्ग-संघर्ष में वर्गों के वर्गों करण के आधार ऐतिहासिक परिस्थितियों में राजनीतिक घटनाओं को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण समूह रहे हैं।

मार्क्स ने 'कम्युनिस्ट पार्टी का घोषणा-पत्र' में शोषक और शोषित आधारों को सेकर तथा मानव समाज के इतिहास के सन्दर्भ में वर्गों के दो प्रमुख प्रकारी—शोषक वर्ग और शोषित

वर्ग—के विभिन्न रूपों का वर्णन किया है। ये दोनों वर्ग आपके अनुसार परम्पर संघर्ष करते रहते हैं। आपने निम्न शब्दों में इनका उल्लेख किया है।

“अब तक के सभी समाजों का इतिहास वर्ग—संघर्ष का इतिहास है। स्वतंत्र मनुष्य और दास, कुलीन तथा साधारण जनता, सामन्ती प्रभु तथा भूदास, शित्य-संघ का उत्पाद-कारीगर और भजदूर-कारीगर, संक्षेप में उत्पीड़क (शोषक) और उत्पीड़ित (शोषित) बाधा एक-दूसरे का विरोध करते आये हैं।”

मार्क्स की मान्यता है कि मानव एक वर्ग-प्राणी (Class Animal) है। आपको मान्यता है कि प्रत्येक युग में जीविकांपार्जन के जैसे साधन होते हैं उन्हीं के अनुसार वर्गों का निर्माण होता है। आपका मत है कि वर्ग के प्रकार, स्वरूप व विशेषताएँ आदि उत्पादन के साधनों और उत्पादन की विभिन्नों पर आधारित होते हैं। भिन्न-भिन्न युगों में उत्पादन के साधनों में परिवर्तन हुआ है, उसी के अनुसार नये नये वर्ग विकसित हुए हैं। उन्हीं जट्ठों के आधार पर आपने उपर्युक्त वर्गों के प्रकार बताये हैं। आपने मानव इतिहास में युगों को ध्यान में रखकर निम्न चार युगों में वर्गों के प्रकारों का उल्लेख किया है।

- (1) आदिम साम्यवादी वर्ग—विहोन समाज (Primitive Communal Classless Society)
- (2) दासत्व समाज में वर्ग (Class in Slave Society)
- (3) सामन्ती समाज में वर्ग (Class in Feudal Society)
- (4) पूँजीवादी समाज में वर्ग (Class in Capitalistic Society)

### वर्ग की उत्पत्ति (Origin of Class)

काल मार्क्स ने लिखा है कि अगर हम समाज का इतिहास देखें तो यार्देंगे कि प्रारम्भ में मानव-समाज में कोई वर्ग-व्यवस्था नहीं थी। आपके अनुसार अति-प्राचीनकाल में व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति सरलता से कर लेता था। मानव की आवश्यकता से सम्बन्धित सभी जन्मुएँ प्रकृति में उपलब्ध थों। इस काल में जीवित रहने के साधनों की बहुलता थी तथा समाज छोटे-छोटे कबीलों या बन्धुत्व समूहों के रूप में रहते थे। कोई भी किसी का शोषण नहीं करता था। मार्क्स के अनुसार प्रारम्भ में यान्त्र-सम्पद, वर्ग-विहीन, अवस्था, ये था। उन्होंने शोषक था, न ही कोई शोषित। आवश्यकताओं की पूर्ति सरलता से होती थी। अतिरिक्त उत्पादन तथा वितरण की असमानता को कोई जानता भी न था। प्रारम्भ में निजी सम्पत्ति जैसी कोई चीज भी नहीं थी। मार्क्स का कथन है कि समाज में मर्वप्रथम वर्गों की उत्पत्ति आदिम साम्यवादी युग के अन्तिम चरण में तब हुई जब जनसंख्या बढ़ गई, अतिरिक्त उत्पादन का विकास हुआ, वितरण में असमानता आ गई, निजी सम्पत्ति की अवधारणा ने जम्म ले लिया, व्यक्तियों को कैदियों की तरह रखा जाने लगा और उनसे गुलामों की तरह काम ले लिया जाने लगा। इस प्रकार प्राचीन साम्यवादी युग धीरे-धीरे दासत्व-युग में परिवर्तित हो गया। समाज में जैसे-जैसे नये उत्पादन के साधन खोजे

जाने लगे, वेसे वैसे वर्गों के रूप एक युग से दूसरे युग मे—दास स्वामी, सामन्त किसान, पूँजीपति श्रमिक के रूप मे बदलते गये। मार्क्स की मान्यता है कि समाज प्राचीन साम्यवादी वर्ग विहीन व्यवस्था से विभिन्न वर्गों के रूपों मे से गुजरता हुआ अन्त मे राज्य विहीन, वर्ग विहीन कल्पनालोकीय समाजवादी समाज व्यवस्था के रूप मे विकसित होगा।

आपने वर्ग-व्यवस्था के इतिहास को भी प्रस्तुत किया है—

**विभिन्न समाजों में वर्ग (Classes in Various Societies)**—कार्ल मार्क्स ने लिखा है कि सभी समाजों मे हमेशा वर्ग रहे हैं। आपने तो यहाँ तक लिखा है कि मानव समाजों का इतिहास वर्ग-सघर्षों का इतिहास है। अर्थात् एक काल मे जो वर्ग होते हैं उनमे सघर्ष के फलस्वरूप नये वर्ग का जन्म होता है और यह क्रम तब तक चलता रहता है, जब तक वर्ग विहीन समाज की स्थापना नहीं हो जाती। मार्क्स ने विभिन्न समाजों मे ऐतिहासिक दृष्टिकोण से वर्ग व्यवस्था के स्वरूपों की विवेचना निम्न प्रकार से प्रस्तुत की है।

**1. आदिम साम्यवादी वर्ग-विहीन समाज (Primitive Communal Class-less Society)**—मार्क्स ने मानव इतिहास का गहन अध्ययन करके निष्कर्ष प्रस्तुत किया कि प्रारम्भ मे मानव नातेदारी या बन्धुत्व पर आधारित समूहों के रूप मे रहता था। इसे मार्क्स ने मानव इतिहास का प्रथम युग कहा है। मानव-समूह का आधार गोत्र-सम्बन्ध होते थे। ये छोटे-छोटे समुदायों या कबीलों के रूप मे रहते थे। इन गोत्र-समूहों या कबीलों की एक भाषा और निश्चित लघु भू क्षेत्र होता था। जीविकोपार्जन के साधनो पर या उत्पादन के साधनो पर सम्पूर्ण गोत्र या कबीले के सभी सदस्यों का अधिकार होता था। सम्पत्ति सामूहिक होती थी। उत्पादन, उपभोग और वितरण सम्पुदायिक होता था। इनकी आर्थिकी संभरणात्मक होती थी। उत्पादन के साधनो और उत्पादित वस्तुओं पर समुदाय के सभी लोगों का सामूहिक अधिकार होता था। इनकी आर्थिकी बदत की आदत नहीं होती थी, इसलिए उत्पादन के साधनो और उत्पादित वस्तुओं पर व्यक्ति विशेष का अधिकार नहीं होता था। इस युग मे श्रम-विभाजन लिंग-भेद के आधार पर होता था। स्त्री-पुरुष, आपु-भेद और शारीरिक-क्षमता के आधार पर विभिन्न कार्यों को करते थे। मार्क्स ने कहा कि इन सब विशेषताओं के फलस्वरूप मानव इतिहास के प्रथम युग मे आदिम साम्यवादी वर्ग विहीन समाज थे। इस काल मे वर्ग-भेद नहीं पाया जाता था।

**( 2 ) दासत्व युग में वर्ग (Classes in Slave Society)**—मार्क्स की मान्यता है कि सर्वप्रथम दासत्व समाज या दासत्व युग मे वर्गों का उदय हुआ था। आपने वर्गों की उत्पत्ति की प्रक्रिया का निम्न प्रकार से डल्लेख किया—आपका कहना है कि मानव इतिहास मे धीरे-धीरे भौतिक भरिस्थितियों, उत्पादन के साधनो व व्यवसाय आदि मे परिवर्तन हुआ। मानव पशु-पालन, कृषि तथा दस्तकारी के कार्य करने लगा। इस काल मे धीरे-धीरे श्रम-विभाजन का भी विकास हुआ। व्यक्तिगत सम्पत्ति भी धीरे-धीरे पर्याप्त लगी। सामाजिक उत्पादन के साधनो पर व सामूहिक स्वामित्व के स्थान पर व्यक्तिगत स्वामित्व का उदय हुआ। समाज मे कुछ लोगों के हाथ मे उत्पादन के साधन, जैसे—भूमि, औजार, बीज व पशु आदि आ गये। वे समाज मे स्वामी कहताने लगे।

दूसरी ओर समाज में अधिकतर वे लोग थे जो उपर्युक्त वर्णित उत्पादन के साधनों से बचते थे। इनके गास के बल श्रम था। इनको साधनसम्पन्न लोगों (स्वामी) ने दास बना लिया और इनमें बलपूर्वक काम लेने लगे। मार्क्स का कथन है कि अदिम सामवादी वर्ग-विहीन समाज परे और स्वामी दास वर्ग व्यवस्था वाले दासत्व समाज में विकसित हो गया।

दासत्व युग में साधन-सम्पन्न वर्ग दासों को खोरीदता था। स्वामी वर्ग एक प्रकार में परजायी वर्ग था जो दासों का शोषण करता था। यहो शोषक वर्ग उत्पादन प्रणाली को नियन्त्रित, निर्देशित और मंचालित करता था। स्वामी वर्ग की आय का मुख्य स्रोत दामों द्वारा उत्पादित अतिरिक्त वस्तुएँ थीं। इस युग में स्वामी वर्ग दामों की पशुओं को ताह खोरीदते थे, बेचते थे और मारते थे। दास परतंत्र और अपने मालिक पर आधित थे। मार्क्स ने ऐतिहासिक प्रमाणों के आधार पर कहा है कि दासत्व युग में धीरे-धीरे स्पष्ट रूप से दो वर्ग बन गए। मालिक या स्वामी दामों का शोषण करते थे। इनके पास समाज की आर्थिक और राजनीतिक शक्ति होती थी। ये संघर्षों में कम होते थे। दूसरी ओर दास मंख्या में अधिक होते थे। आदिम समाजों की तुलना में इम युग में अधिक आर्थिक उन्नति देखने की मिलती है। उंसे—नये-नये नगरों का निर्माण, कृषि और अन्य उत्पादन में धातुओं के उपकरणों का विकास, वाणिज्य एवं व्यापार का विकास, युद्ध के लिए वड़ी-वड़ी सेनाओं का संगठन आदि। इस युग में हस्तशिल्प तथा विलासित की वस्तुओं का निर्माण भी होने लगा जिसका उपभोग मालिक वर्ग करता था। इस प्रकार मानव-समाज के इतिहास में शोषित और शोषक वर्ग (दास और मालिक) का जो उदय हुआ, उसका मार्क्स ने बर्णन किया।

(3) सामन्ती समाज में वर्ग (Class in Feudal Society)—कार्ल मार्क्स ने वर्ग के विकास के इतिहास में दूसरी अवस्था सामन्ती समाज में दो वर्गों का उल्लेख किया। आपके अनुसार सामाजिक समाज में एक सामन्त वर्ग (Feudal Class) होता था और दूसरा अर्पदास किसान वर्ग (Serf-class) होता था। सामन्त वर्ग साधनसम्पन्न होता था। इस वर्ग के उत्पादन के साधन (भूमि) पर स्वामित्व होता था। एक प्रकार से यह शोषक वर्ग होता था और सत्ताधारी भी होता था। दूसरी ओर अर्पदास किसान इस समाज के शोषित वर्ग होते थे। यह किसान सामन्तों के अधीन होते थे। सामन्त अर्पदास किसानों से अपनी भूमि पर खेती करता थे। सामन्त वर्ग अर्पदास किसानों के श्रम का शोषण करते थे। भू स्वामी सामन्त किसानों के द्वारा उत्पादित अतिरिक्त वस्तुओं को हड्डप जाते थे। अर्पदास किसान दासत्व युग में दामों की तुलना में कुछ अच्छी स्थिति में थे। यह किसान भी सामन्तों की भूमि पर खेती करते थे और उनके घरों का कार्य करते थे। अवमर आने पर किसान सामन्तों के लिए युद्ध में लड़ते भी थे। सामन्ती युग में निजी सम्पत्ति का स्वरूप और अधिक उन्नत, प्रवल और स्पष्ट हो गया था। मार्क्स के अनुमार सामन्तों और किसान शोषक और शोषित दो वर्गों में संघर्ष दासत्व युग की तुलना में अधिक स्पष्ट ने स्पष्ट देखने की मिलता था। मार्क्स ने सामन्ती समाज में इन दो वर्गों में संघर्ष के परिणामस्थर पूँजीपति वर्ग की उत्पत्ति का उल्लेख भी किया।

(4) पूँजीपति समाज में वर्ग (Class in Capitalistic Society)—मार्क्स की मान्यता है कि आधुनिक पूँजीवादी समाज की उत्पत्ति गामनी समाज में गामनी और विटानी में वर्ग-

संघर्ष के परिणामस्वरूप हुई है। शुरू में पूँजीपति वर्ग एक प्रगतिशील वर्ग था। उसका उद्देश्य समाज का विकास करना था, लेकिन धीरे-धीरे वह वर्ग शक्तिशाली होता गया। उत्पादन के साधनों और शक्तियों पर उसका आधिपत्य स्थापित हो गया। पूँजीपति वर्ग की उत्पत्ति मशीनों के अधिकार तथा बड़े-बड़े उद्योग-धन्दों की स्थापना के फलस्वरूप हुई है। मार्क्स की मान्यता है कि जब समाज में औद्योगिकीकरण हुआ इससे समाज में पूँजीपति वर्ग एक शोषक वर्ग बन गया। पूँजीपतियों ने श्रमिक से अपने कारखानों में काप करवाया और अतिरिक्त मूल्य को हड्डप लिया। मार्क्स ने पूँजीपति समाज के दो वर्गों-शोषक (पूँजीपति) और शोषित (श्रमिक) को विशिष्ट नाम दिए हैं। आपने श्रमिक वर्ग को सर्वहारा-वर्ग की सज्जा दी है।

पूँजीपति वर्ग उत्पादन के साधनों व शक्तियों तथा उत्पादन के सम्बन्धों को नियन्त्रित, निर्देशित व सचालित करता है। मार्क्स के अनुसार सर्वहारा-वर्ग के पास उत्पादन के साधन नहीं होते हैं। यह वर्ग अपने श्रम को बेचकर जीविकोपार्जन करता है। इन दोनों वर्गों के निर्माण का आधार अन्य वर्गों की तरह लाभ व आय है। पूँजीपति वर्ग श्रमिकों का शोषण करता है।

मार्क्स ने अपना भत्ता व्यक्त किया है कि मानव समाज के विकास के प्रत्येक स्तर में हमेशा दो वर्ग—शोषक वर्ग व शोषित वर्ग रहे हैं। दासत्व युग में शोषक मालिक थे तथा शोषित दास थे। सामन्तीय युग में शोषक सामन्त थे और शोषित किसान थे। बर्तीमान पूँजीवादी युग में शोषक पूँजीपति (बुर्जुआ) और शोषित सर्वहारा-वर्ग हैं। इन वर्गों में सदैव संघर्ष रहा।

### कार्ल मार्क्स : वर्ग संघर्ष (Karl Marx · Class Struggle)

समाजशास्त्र में कोर्ट मार्क्स ने अनेक अवधारणाओं तथा सिद्धान्तों को प्रतिपादित किया है। इसमें सध्ये अधिक उल्लेखनीय अवधारणा वर्ग-संघर्ष की है। आपके इस योगदान के फलस्वरूप समाजशास्त्र में समाज को समझने के लिए एक विशेष संघर्ष सम्प्रदाय (Conflict School) का विकास हुआ जो वर्तमान में उग्र उन्मूलनवादी समाजशास्त्र (Radical Sociology) के रूप में विकसित हो गया है। इसीलिए कार्ल मार्क्स की वर्ग-संघर्ष की अवधारणा को समझना आवश्यक है।

मार्क्स पर इंग्लैण्ड की सामाजिक एवं आर्थिक परिस्थितियों का गहरा प्रभाव पड़ा। जिस समय मार्क्स इंग्लैण्ड में थे उस समय यहाँ के कारखानों में बहुत अधिक उत्पादन हो रहा था। पूँजीपति इन कारखानों के द्वारा खूब धन कमा रहे थे। पूँजीपतियों का वहाँ वौ सरकार और राजनीतिक क्षेत्र में विशेष प्रभाव था। ये पूँजीपति सभी प्रकार से श्रमिकों पर यूद्ध शोषण कर रहे थे। पूँजीपति विशेष प्रभावशाली होने के कारण अपने उद्देश्यों को सभी प्रकार से पूर्ण करने के लिए कानूनी और गैर-कानूनी सभी रास्ते अपना रहे थे। अपने हितों की रक्षा के लिए सरकार से कानून बनवा रहे थे। सरकार उनके इशारों पर चल रही थी। मार्क्स ने इन परिस्थितियों का अवलोकन किया और अध्ययन करके पाया कि पूँजीपति सर्वहारा-वर्ग (श्रमिक वर्ग) का यूद्ध शोषण कर रहे थे। मार्क्स ने यह भी देखा कि पूँजीपति अधिक धनी होते जा रहे थे और निर्भर

लोग अधिक गरीब होते जा रहे थे। कार्ल मार्क्स इन सामाजिक परिस्थितियों से बहुत प्रभावित हुए और इसीलिए वे पूँजीवादी व्यवस्था के कट्टर विरोधी और शत्रु बन गए। आपने सम्बन्धित साहित्य का अध्ययन किया और श्रमिकों अथवा शोषित वर्ग के समर्थक बन गए। आपने शोषक और शोषित वर्ग के विभिन्न रूपों का साहित्य में अध्ययन किया और पाया कि इनमें वर्ग संघर्ष होता है। इतना ही नहीं आप सर्वहारा-वर्ग और साम्बाद के एक महान् समर्थक के रूप में सामने आए।

काले मार्क्स ने वर्ग-संघर्ष की अवधारणा ऑगस्टिन थोरे से तो है। विद्वानों का मत है कि मार्क्स ने वर्ग-संघर्ष की विवेचना प्रभावशाली रूप में प्रस्तुत की, जिसका विरव जगत में विशेष प्रभाव पड़ा। कार्ल मार्क्स के वर्ग-संघर्ष के सम्बन्ध में जो विचार हैं वे भिन्न-भिन्न रूपों में देखे जा चुके हैं। यहाँ काले मार्क्स के उन्हीं विचारों और दृष्टिकोणों का वर्ग-संघर्ष के सम्बन्ध में क्रमवद्ध और व्यवस्थित रूप से अध्ययन किया जायेगा। मार्क्स की भावनता रही है कि 'वर्ग-संघर्ष' इतिहास को समझने की कुंजी है। आपने 'कम्यूनिस्ट पार्टी का भोगणा पत्र' के अध्याय प्रथम 'पूँजीपति और सर्वहारा' में पहली पंक्ति लिखते हुए इस बात को स्पष्ट किया है, जो निम्न प्रकार है—“‘अभी तक आविर्भूत समस्त समाज का इतिहास वर्ग-संघर्षों का इतिहास रहा है।’” इस पंक्ति के बाद आपने वर्गों के विभिन्न प्रकार एवं संघर्ष की प्रक्रिया पर निम्न शब्दों में प्रकाश ढाला है।

“स्वतन्त्र मनुष्य और दास, पेट्रोशियन और प्लेविपन, सामनी प्रभु और भूदास, शिल्प-संघ का उस्ताद-कारोगर और घजदूर-कारोगर—संक्षेप में उत्पीड़क और उत्पीड़ित (शोषक और शोषित) बहाबर एक-दूसरे का विरोध करते आए हैं। वे कभी हिंपे, कभी प्रकट रूप में लगातार एक-दूसरे से लड़ते रहे हैं, जिस लड़ाई का अन्त हर बार या तो पूरे समाज के क्रान्तिकारी पुनर्गठन में या संघर्षरत वर्गों की बदादी में हुआ है।”

काले मार्क्स के वर्ग-संघर्ष के सम्बन्ध जो विचार 1848 में रहे वे जीवनपर्यन्त बने रहे। आपने वर्ग-संघर्ष को स्पष्ट करते हुए आलोच्य घोषणा-पत्र में निम्न शब्दों में उसे स्पष्ट किया है जिसको यहाँ प्रस्तुत करना आवश्यक है।

“आधुनिक पूँजीवादी समाज में, जो सामनी समाज के ध्वंस से पैदा हुआ है, वर्ग-विरोधों को समाज नहीं किया। उसने केवल पुराने वे स्थान पर नए वर्ग, उत्पादन की पुरानी अवस्थाओं के स्थान पर नई अवस्थाएँ और संघर्ष के पुराने रूपों की जगह नये रूप छढ़े कर दिए हैं।”

### महत्त्वपूर्ण अवधारणाएँ (Major Concepts)

मार्क्स के वर्ग-संघर्ष को समझने के लिए आवश्यक है कि हम कुछ महत्त्वपूर्ण अवधारणाओं के अर्थों का अध्ययन करें। निम्नलिखित तीन अवधारणाओं—शोषक वर्ग, शोषित वर्ग और संघर्ष को समझने का प्रयास करें।

**1. शोषक वर्ग (Exploiter-Class)**—मार्क्स के अनुसार शोषक वह व्यक्ति हैं, जिसका उत्पादन के साधनों पर स्वामित्व होता है। भिन्न-भिन्न कालों में उत्पादन के साधन भिन्न भिन्न होते हैं, उर्ही के अनुसार उन साधनों से सम्बन्धित शोषक के भिन्न-भिन्न रूप होते हैं। दासत्व युग में शोषक-स्वामी या मालिक था। वह पशुओं, जोंजों औजारों और भूमि आदि—उत्पादन के साधनों का स्वामी था। सामन्ती युग में शोषक-सम्पत्ति था। उसका भूमि (खेती की जमीन) पर स्वामित्व था एवं वह सत्ताधारी था। पूँजीवादी समाज में यह शोषक—पूँजीपति है, जिसका कारणान्, उद्योग धन्धो आदि पर स्वामित्व होता है। शोषक का स्वामित्व कर्जे माल, पूँजी, भूमि, कल-कारणान् आर कार्ये आदि पर होता है। सभी शोषक मिलकर शोषक-वर्ग बनते हैं, जो साधन सम्पन्न, शक्तिशाली, सत्ताधारी एवं ऐश्वर्य सम्पन्न होते हैं। मार्क्स के अनुसार शोषक वर्ग का एक प्रकार से उत्पादन के साधनों, उत्पादन की शक्तियों तथा उत्पादन के सम्बन्धों पर आधिपत्य होता है। शोषकों का उद्देश्य अधिक से अधिक लाभ कमाना होता है, अतिरिक्त मूल्य की मात्रा को अधिक-से अधिक बढ़ाना एवं शोषित का अधिकतम शोषण करना होता है। इस प्रकार से शोषक परजीवी होता है जो शोषित का शोषण करने के लिए व अधिक लाभ कमाने आदि के लिए उत्पादन करता है।

**2. शोषित वर्ग (Exploited Class)**—मार्क्स का कथन है कि शोषित वह व्यक्ति है, जिसका उत्पादन के साधनों पर स्वामित्व नहीं होता है। वह हमेशा अभावग्रस्त होता है। शोषित अपना श्रम शोषक को बेचता है। जिस प्रकार के उत्पादन के साधन होते हैं, उसी के अनुरूप श्रम का रूप एवं प्रकार होता है। शोषित मानव समाज के इतिहास में हर काल में रहे हैं। जिस काल में जैसा उत्पादन का साधन था, उसके अनुसार श्रम बेचने वाले शोषित का भी रूप रहा है। दासत्व युग में शोषित का रूप दास था, सामन्त युग में शोषित का रूप भूमिहीन कृषक था और वर्तमान में पूँजीपति युग में शोषित श्रमिक है। इस श्रमिक को कार्ल मार्क्स ने सर्वहारा-वर्ग की सज्जा दी है। अनेक शोषित मिलकर जिस बड़े समूह का निर्माण करते हैं, वह शोषित-वर्ग कहलाता है। पूँजीपति व्यवस्था में अनेक श्रमिक या सर्वहारा मिलकर शोषित-वर्ग या सर्वहारा-वर्ग का निर्माण करते हैं। भिन्न-भिन्न कालों में शोषित-वर्ग—शोषक-वर्ग को अपना श्रम जीविकोपार्जन के लिए बेचता रहा। शोषित की मजदूरी का निर्धारण हमेशा शोषक वर्ग ने किया है। शोषक-वर्ग का हमेशा यह प्रयास रहा है कि उसने शोषितों की कम-से-कम मजदूरी निश्चित की है और अधिक-से-अधिक अतिरिक्त मूल्य को हड्डपने का प्रयास किया है। मजदूरी का निर्धारण शोषक की माँग और शोषितों की पूर्ति पर निर्भर करता है। शोषित का जीवन हमेशा दयनीय रहा है इसलिए मार्क्स ने उसे उत्पीड़ित भी कहा है। यहाँ शोषित के विभिन्न रूप—उत्पीड़ित, दास, कृषक, श्रमिक, मजदूर व गुलाम आदि अपने-अपने कालों में बड़े समूहों के रूप में रहे हैं जिनको मार्क्स ने दास-वर्ग, गुलाम-वर्ग, किसान वर्ग, श्रमिक-वर्ग तथा सर्वहारा-वर्ग आदि की सज्जा दी है।

**3. संघर्ष (Struggle)**—जैसा कि कार्ल मार्क्स ने अपनी विभिन्न कृतियों में संघर्ष की अवधारणा का प्रयोग किया है, उसके अनुसार संघर्ष से आपका तात्पर्य दो वार्गों के परस्पर विरोध से है। यह विरोध कभी हिते रूप में होता है तो कभी स्पष्ट और कभी प्रकट रूप में होता है। यह

लड़ाई लगातार हो सकती है और रक-रक कर भी हो सकती है, लेकिन इस लड़ाई अथवा संघर्ष का अन्त प्रत्येक धारा या तो पूरे समाज के क्रान्तिकारी पुनर्गठन के रूप में सापने आता है अथवा जिन वर्गों में भूमिका होती है, वे वर्वाद हो जाते हैं। मार्क्स की मान्यता है कि समाज में एक वर्ग आवश्यकता की पूर्ति के साधनों पर नियन्त्रण रखता है। लेकिन दूसरा वर्ग समाज में ऐसा होता है जिसकी आवश्यक आवश्यकताएँ भी पूरी नहीं हो पाते। यह अमन्त्राएँ वर्ग अपने अमन्त्राय और विरोध को तरह-तरह से व्यक्त करता है। सापन-मम्पन शोपक वर्ग अपने हितों की सुरक्षा के लिए संघर्ष करता है और साथनहीन शोपित-वर्ग उन साधनों को प्राप्त करने के लिए संघर्ष करता है। जब शोपित-वर्ग की पीड़ा बढ़ जाती है, अमन्त्राय हो जाती है तो यह अमन्त्राय क्रान्ति का रूप ले लेता है। शोपक-वर्ग की हार होती है और समाज में क्रान्तिकारी पुनर्गठन स्थापित हो जाता है।

कभी कभी भूमिकाएँ वर्गों की वर्वादी भी हो जाती हैं। मार्क्स ने संघर्ष को द्वन्द्ववाद के द्वारा भी समझाया है। आपका कहना है—शोपक-वर्ग का एकवाद है, शोपित वर्ग प्रतिवाद के रूप में उभरकर सापने आता है। शोपक वर्ग और शोपित-वर्ग या बाद और प्रतिवाद में भूमिका होता है और इसका परिणाम समवाद के रूप में सापने आता है। कुछ समय बाद भी-भीर यह समवाद पुनः एक बाद में विस्तृत हो जाता है। इस बाद के विरोध में एक नया प्रतिवाद उभरकर सापने आता है, इनमें संघर्ष होता है और एक नया समवाद परिणामस्थल समाज में स्थापित हो जाता है। मार्क्स के अनुसार यह भूमिकाएँ की प्रक्रिया 'बाद, प्रतिवाद और समवाद' के सूप में तय राह चलती रहती हैं, जब तक समाज सम्बन्धवादी समाज के रूप में स्थापित नहीं हो जाता।

### पूँजीवाद एवं वर्ग-संघर्ष

(Capitalism and Class-Struggle)

कार्ल मार्क्स ने लिखा है कि सामन्तवाद में सापनों एवं भूदामों के संघर्ष के फलस्वरूप आधुनिक पूँजीवाद की डालति हुई है। इस प्रकार से आधुनिक पूँजीवाद माननवादी समाज के विनाश का परिणाम है। मार्क्स की मान्यता है कि बुर्जुआ वर्ग ने सामन्तवाद का अन्त किया है। आपने यह भी लिखा है कि पूर्य के कालों में वर्ग-संघर्ष इतना तीव्र और स्पष्ट नहीं था जितना कि पूँजीवादी समाज में है। अन्य युगों की तुलना में पूँजीवादी व्यवस्था में श्रम का विभाजन काफी उन्नत अवस्था में होता है। बड़ी मात्रा में उत्पादन फैक्ट्री, कल-फारखानों और बड़े-बड़े ऑटोमेटिक केन्द्रों पर होता है। उत्पादन के साधनों, यन्त्रों व उपकरणों आदि पर पूँजीपति का आधिपत्य होता है। मार्क्स ने पूँजीवादी समाज के शोपकों या पूँजीपतियों को बुर्जुआ की संज्ञा दी है। ये बुर्जुआ वर्ग श्रम जीवियों पर कार्य की शर्तें लगाता है। इनके उत्पादन का लक्ष्य अधिक लाभ कमाना है, श्रमिकों के कार्य के मण्टों को घटाना है—कम-से-कम मजदूरी देना है और सभी प्रकार से आधिक से अधिक अतिरिक्त भूल्य को हड्डपना है। मार्क्स के द्वन्द्ववाद एवं वर्ग-संघर्ष के मिलानों के अनुसार पूँजीपति समाज-व्यवस्था में पूँजीपति या बुर्जुआ-वर्ग के विरुद्ध दृसरा वर्ग घातः उत्पन्न होता है। ये दूसरा शोपित-वर्ग श्रमिक-वर्ग है जिसे मार्क्स ने विशिष्ट नाम—सर्वहारा-वर्ग दिया है। आपका मत है कि यह मर्हारा-वर्ग पूँजीपति-वर्ग पर आश्रित रहता है। इन श्रमिकों या गवर्हारा-

वर्गों को सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक स्थिति बहुत दयनीय होती है। ये अपना क्रम पूँजीपतियों द्वारा बेचते हैं। पूँजीवादी व्यवस्था में चुर्जुआ-वर्ग और सर्वहारा-वर्ग एक-दूसरे से सम्बन्धित और अन्योन्यात्रित होते हैं। इन दोनों वर्गों को एक-दूसरे की आवश्यकता होती है।

पूँजीपति अपने कारखाने व फैक्ट्रियाँ आदि श्रमिकों के द्वारा चलाते हैं। अगर श्रमिक कारखानों में काम नहीं करे तो कारखाने बन्द हो जाएँ। पूँजीपति यदि श्रमिकों को कारखानों में काम न दे तो श्रमिक भूखे भर जायेंगे। मार्क्स का कहना है कि ये दोनों वर्ग एक दूसरे के प्रत्यक्ष एवं आवश्यक होते हुए भी अपने अपने उद्देश्यों व हितों के लिए परायर सघर्ष करते हैं। श्रमिक वर्ग अपना वेतन अदाने के लिए, अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए, काम के घटे कम करने के लिए पूँजीपति-वर्ग से सघर्ष करता है। दूसरी ओर पूँजीपति अपना नाम बदाने के लिए, अपने हितों की रक्षा करने के लिए श्रमिकों को कुचलता है व उनकी माँगों का विरोध करता है। मार्क्स लिखते हैं कि यह विरोध कभी छिपे रूप में व कभी प्रकट रूप में अधिकाकभी रक्कर कर या लगातार एक-दूसरे के विरुद्ध सघर्ष के रूप में होता रहता है। श्रमिक वर्ग पूँजीपतियों के विरुद्ध क्रान्ति की गर्वना करेग। मार्क्स यह भविष्यवाणी भी करते हैं कि इन दोनों वर्गों का परिणाम पूँजीवाद का विनाश होगा। पूँजीपति वर्ग का विनाश अवश्यप्पावी है। आपने हृद्गत्यम् सिद्धान्त के आधार पर यह भविष्यवाणी भी की है कि पूँजीपति वर्ग के विनाश के बीज स्वयं पूँजीपति वर्ग का विनाश उसी प्रकार से करेंगे जिस प्रकार से चुर्जुआओं (पूँजीपतियों) ने सामन्तवाद का विनाश किया था।

मार्क्स ने यह भी भविष्यवाणी की है कि जिन शास्त्रों से चुर्जुआओं ने सामन्तवाद का अन्त किया है उन्हीं शास्त्रों से सर्वहारा-वर्ग चुर्जुआ-वर्ग का नाश करेगा। मार्क्स की मान्यता है कि पूँजीवाद की प्रकृति ही ऐसी है कि वह अपनी कब्र स्वयं खोदता है (Capitalism digs its own grave)। मार्क्स ने यह भी कहा है कि वर्ग-सघर्ष की गति इस बात पर निर्भर करती है कि शोषक वर्ग—शोषित-वर्ग का किस तीव्रता से शोषण करता है। आपने सूत्र दिया है कि “शोषण की गति जितनी तीव्र होगी वर्ग-संघर्ष की गति भी उतनी ही तीव्र होगी।” मार्क्स ने भविष्यवाणी की है कि चुर्जुआ-वर्ग की समाप्ति के बाद साम्यवादी समाज की स्थापना होगी। यह समाज वर्ग-विहीन होगा व इस समाज में वर्ग-सघर्ष भी नहीं होगा। आपने यह भी लिखा कि वर्ग संघर्ष की जो प्रक्रिया दासत्व युग से चली आ रही है, उसके पुराने रूपों के स्थान पर नए रूप, उत्तरीड़न की पुरानी अवस्थाओं के स्थान पर नई अवस्थाएँ और सघर्ष के पुराने रूपों की जगह जो नए रूप खड़े होते रहे हैं, वह क्रम साम्यवादी समाज की स्थापना के साथ समाप्त हो जायेगे।

### समाजवाद की स्थापना के तरीके (Ways of Establishing Socialism)

कार्ल मार्क्स ने “कम्युनिस्ट पार्टी का धोषणा-पत्र” के पृष्ठ 62 पर लिखा है कि सर्वहारा-वर्ग अपना राजनीतिक प्रभुत्व पूँजीपति-वर्ग से धीरे-धीरे सारी पूँजी छोनने के लिए उत्पादन के सारे औजारों को राज्य अर्थात् शासक-वर्ग के रूप में सर्वहारा-वर्ग के हाथों में केन्द्रित

करने के लिए तथा समग्र उत्पादन शक्तियों में यथाशीघ्र वृद्धि के लिए इस्तेमाल करेगा। पूँजीवाद को समाप्त करके आपने समाजवाद को स्थापित करने के लिए निम्नलिखित तरोंके मुझाए हैं—

(1) भू-स्वामित्व का उन्मूलन और समस्त लगान का सार्वजनिक प्रयोजन के लिए उपयोग।

(2) भागी बद्धमान या आरोही आय कर।

(3) उत्तराधिकार का उन्मूलन।

(4) सभी उत्प्रवासियों और विद्रोहियों की सम्पत्ति को जब्ती।

(5) सरकारी पूँजी और पूर्ण एकाधिकार से समन्वय येक द्वारा राज्य के हाथ में उधार का केन्द्रीयकरण।

(6) संचार और यातायात के साधनों का राज्य के हाथों में केन्द्रीयकरण।

(7) राजकीय बारखानों और उत्पादन के औजारों का विस्तार करना, एक आय योजना बनाकर परती जमीन को जोतना और खेत की मिट्टी का सामान्यतः सुधार करना।

(8) हर एक के लिए काम करना समान रूप से अनिवार्य किया जाना। विशेषकर कृषि के लिए औद्योगिक सेनाएँ कायम करना।

(9) उद्योग और कृषि को मिलाना : धोरे-धोरे देहातों और शहरों का अन्तर मिटा देना।

(10) सार्वजनिक पाठशालाओं में तमाम बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा व्यवस्था। वर्तमान रूप में बच्चों से कारखानों में काम लेना खत्म कर देना, शिक्षा और औद्योगिक उत्पादन को मिलाना आदि।

कार्ल मार्क्स ने कहा है कि इन उपर्युक्त वर्णित तरीकों के द्वारा उन्नतिशील पूँजीपति देशों में समाजवाद को जल्दी लाया जा सकता है। आपने पूँजीवाद समाप्त करने की विधि का उल्लेख भी किया।

### समाजवाद की स्थापना की विधि

(Method of Establishing Socialism)

कार्ल मार्क्स ने समाजवाद के उपर्युक्त वर्णित तरीकों को सफलतापूर्वक कार्यान्वयन करने के लिए एवं योजनाबद्ध क्रान्ति की तैयारी के लिए निम्नलिखित विधि का सुझाव दिया—

(1) संगठन की स्थापना (Establishment of Organisation)—मार्क्स ने कहा है कि समाजवाद को लाने के लिए शोषित और निर्धन व्यक्तियों का संगठन बनाना चाहिए। इसका नेतृत्व श्रमिकों के हाथ में होना चाहिए। आपके अनुसार श्रमिक वर्ग ही ब्रान्तिकारी आन्दोलन का नेतृत्व कर सकता है। सम्पत्ति व साधनहीन व्यक्ति को बुर्जुआ की पूँजीपति-व्यवस्था को बनाए रखने में भी कोई रुचि नहीं होगी।

(2) साम्यवादी सिद्धान्तों का प्रचार (Propagating Principles of Socialism)—मार्क्स ने कार्य-पद्धति की सफलता के लिए दूसरा सुझाव छात्रों में साम्यवादी सिद्धान्तों का प्रचार करने का दिया। आपका कहना है कि छात्र उत्ताही होते हैं इमालिए वे प्रान्ति में गहरी रुचि रखते हैं। छात्रों को प्रचार द्वारा साम्यवाद के आन्दोलन का अनुयायी भी बनाना चाहिए।

( ३ ) निरन्तर अन्दोलन (Continuous Movement) — मार्क्स ने कहा कि साम्यवाद की स्थापना के लिए जो अन्दोलन चलाया जाए उसे किसी प्रकार से बद्द नहीं करना चाहिए। अन्दोलन को निरन्तर जारी रखना चाहिए, जनता का विश्वास प्राप्त करना चाहिए और पूँजीपति समर्थक व सरकार के विरुद्ध जनता की क्रान्ति करने के लिए तेयार करना चाहिए।

( ४ ) साम्यवादी कार्यक्रम (Socialistic Programme) — मार्क्स ने कहा कि विश्व में विभिन्न देशों की परिस्थितियाँ भिन्न-भिन्न हैं। कोई देश स्वतन्त्र है तो कोई देश परतन्त्र है। इसलिए जिस देश की जैसी परिस्थिति है, उसके अनुसार साम्यवादी कार्यक्रम बनाना चाहिए। जैसे—यदि कोई देश स्वतन्त्र है तो चुनाव के घोषणा-पत्र के द्वारा चुनाव में बहुमत प्राप्त करके सत्ता प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए। जो देश परतन्त्र है वहाँ पर अन्य दलों के साथ मिलकर स्वतन्त्रता के लिए सघर्ष करना चाहिए। मार्क्स ने लिखा है कि साम्यवादियों का कार्यक्रम और उसका उद्देश्य किसी भी प्रकार से पूँजीवाद का विनाश करना होना चाहिए तथा सर्वहारा-वर्ग की सत्ता को स्थापित करना होना चाहिए।

( ५ ) शक्ति और हिंसा का प्रयोग (Use of Force and Violence) — मार्क्स शक्ति और हिंसा का प्रयोग करने के समर्थक थे। आपकी मान्यता थी कि पूँजीपति शासक वर्ग कभी भी शान्ति और स्वेच्छा से सत्ता नहीं छोड़ेगे। इसलिए उन्होंने कहा कि मजबूत वर्ग को सत्ता में आने के लिए तथा पूँजीपतियों को हटाने के लिए शक्ति, हत्या व हिंसा आदि का प्रयोग करना चाहिए। आपने बल-प्रयोग के द्वारा गृह-युद्ध को मान्य माना जिसके द्वारा सर्वहारा वर्ग बुर्जुआ-वर्ग को हटाए तथा उनके उत्पादन के साधनों को छीन ले।

मार्क्स की मान्यता है कि सामाजिक परिवर्तन का एक प्रमुख साधन क्रान्ति है। समाज में परिवर्तन योजनाबद्द तरीकों से जल्दी लाया जा सकता है। आपने कहा है कि जिन समाजों में पूँजीवाद के विनाश के लिए योजनाबद्द तरीके से प्रयास नहीं किए जायेंगे उनमें भी अन्तर्रोगत्वा निम्नलिखित कारणों से स्वतः ही पूँजीवाद का विनाश अवश्यम्भावी है।

### पूँजीवाद के विनाश के कारण (Causes of Decline of Capitalism)

कार्ल मार्क्स ने 'काम्यनिस्ट पार्टी' का घोषणा-पत्र, 'पूँजी', 'क्रिटिक ऑफ पोलिटिकल इकोनोमी' आदि कृतियों में पूँजीवादी-व्यवस्था के विनाश के कारणों का उल्लेख किया है। आपने विचार व्यक्त किये हैं कि पूँजीवाद स्वयं सर्वहारा-वर्ग को लड़ने के लिए यत्र प्रदान करता है। श्रमजीवी-वर्ग क्रान्ति करके अपना शासन स्थापित करेगा और धोरे-धोरे पूँजीवाद के सभी लक्षण समाप्त हो जायेगे। आपने पूँजीवाद के विनाश के निम्नलिखित कारणों का उल्लेख किया।

( १ ) अतिरिक्त मूल्य (Surplus Value) — कार्ल मार्क्स ने कहा कि पूँजीपति श्रमिकों के श्रम के द्वारा अधिक-से-अधिक अतिरिक्त मूल्य को प्राप्त करने का प्रयास करता है। अतिरिक्त मूल्य वह लाभ है जो श्रमिक द्वारा उत्पादित माल को वास्तविक मूल्य और उस माल

के बाजार के माल के अन्ता के स्थ में होता है। पूँजीपति इम अन्तर (अतिरिक्त मूल्य) को हटा लेता है। कार्ल मार्क्स की मान्यता है कि इस अतिरिक्त मूल्य में श्रमिक का हिस्सा है जो उसे नहीं मिलता है एवं पूँजीपति इस मूल्य के द्वारा श्रमिक का जोगण करता है। पूँजीपति जितना अधिक अतिरिक्त मूल्य को हड़पता है, श्रमिक का ढाना ही अधिक शोगण होता है जो उसी अनुपात में श्रमिकों में असन्तोष पैदा करता है। आगे चलकर यही अमन्तोष पूँजीपति वर्ग व्यवस्था का विनाश का कारण बन जाता है।

(2) व्यक्तिगत साध के लिए उत्पादन (Production for Individual Profit)—मार्क्स का मत है कि पूँजीवादी व्यवस्था में पूँजीपति यमुआ का उत्पादन अधिक-में अधिक व्यक्तिगत साध प्राप्त करने के लिए करता है। उसके सामन समाज के हित एवं उपभोग का आधार नहीं होता है। इसमें यमाज की माँग और उत्पादन में अग्रनुलन पैदा हो जाता है। यह अस्थाई अर्थिक रूपकट पैदा कर देता है जिसमें श्रमिकों को हानि होती है। श्रमिकों में निर्भनता बढ़ जाती है जो आगे चलकर पूँजीवाद के विश्वदृग्यां पैदा करती है।

(3) विशाल उत्पादन, एकाधिकार एवं पूँजी का संचय (Large Production, Monopoly Cumulation of Capital)—मार्क्स ने कहा कि पूँजीवाद के विनाश के अनेक यात्रा हैं, जिसमें पूँजीपतियों का एकाधिकार और पूँजी गंचय के साथ-साथ विशाल उत्पादन प्रस्तुत करण हैं। पूँजीवाद कैफ्ट्री प्रणाली पर आधारित है। कैफ्ट्री प्रणाली में उत्पादन की गति-तीव्र होने के कारण उत्पादन भी जितनी अधिक मात्रा में चाहे किए जा सकते हैं। यद्युपूँजीपति अधिक उत्पादन करके अधिक-से-अधिक लाप प्राप्त करते हैं। बाजार में प्रतिष्पद्धा के कारण छोटे एवं मध्यम पूँजीपति टिक नहीं पाते। ये अपनी फैक्ट्री बड़े पूँजीपतियों की घेच देते हैं, इसमें बड़े-बड़े पूँजीपतियों के हाथ में फैक्ट्रीयाँ, औद्योगिक केन्द्रों आदि का केन्द्रीयकरण हो जाता है। मार्क्स ने स्पष्ट किया है कि इस प्रक्रिया के फलस्वरूप पूँजीपतियों की संख्या कम हो जाती है और जो पूँजीपति प्रतिष्पद्धा में जीत जाने हैं, वे अधिक पूँजीपति हो जाते हैं। दूसरी ओर श्रमिक अधिक निर्धन हो जाते हैं और उनकी संख्या भी बढ़ जाती है। छोटे और मध्यम वर्गों पूँजीपति प्रतिष्पद्धा में हारकर निर्धन हो जाते हैं और श्रमिक वर्ग में मिल जाते हैं। मार्क्स का यह भी कहना है कि श्रमिकों की संख्या बढ़ने और अधिक निर्धन होने में उनमें एकता और मगदन बढ़ जाता है। सर्वहाउ-वर्ग की एकता एवं संगठन को पूँजीपति वर्ग बढ़ाता है और यही आगे चलकर पूँजीपति-वर्ग का विनाश करता है।

(4) आर्थिक संकट (Economic Crisis)—मार्क्स ने लिखा है कि पूँजीपति अतिरिक्त मूल्य, व्यक्तिगत साध, उत्पादन य बाजार को प्रतिष्पद्धा आदि के द्वारा समय-समय पर अनेक आर्थिक रूपकट पैदा करते हैं। पूँजीपति धन का अधिक-गे-अधिक गंचय करते हैं जो श्रमिकों में गरोबी बढ़ाता है। श्रमिकों में बेरोजगारी में बढ़ि होती है, बाप के घण्टे बढ़ जाते हैं, उनको श्रम के घटनाएं में वर्ष बेनन मिलता है, यह मध्य समाज के बड़े वर्ग श्रमिकों में अनेक आर्थिक संकट पैदा करता है। अधिक उत्पादन होने में बाजार में उत्पादित यन्त्रों की माँग कम हो जाती है। पूँजीपति एंगी विश्व में आगनी फैक्ट्रीयाँ, कल-कारखाने, औद्योगिक केन्द्र आदि बढ़ कर

देते हैं—इससे श्रमिक बेरोजगार हो जाते हैं, घोर आर्थिक सकट पैदा हो जाता है, उनमें पूँजीपतियों के विरुद्ध असन्तोष बढ़ जाता है। मार्क्स के अनुसार आर्थिक सकट, बेरोजगारी, निर्धनता व तालाबन्दी आदि के कारण सबैहाथ वार्ग युजुआ वार्ग के विरुद्ध संघर्ष एवं क्रान्ति को आर अग्रसर होता है।

(5) श्रमिक-यन्त्रों का दास (Labour Creature of Tools)—मार्क्स का कथन है कि फैक्ट्री प्रणाली में जो उत्पादन-व्यवस्था होती है उसमें श्रमिक बेबल यन्त्रों का दास रह जाता है। उत्पादन की प्रक्रिया में श्रम-विभाजन अनेक व्यक्तियों में बंट होने के कारण श्रमिक की वैयक्तिक महत्त्व एवं स्वाभिमान समाप्त हो जाता है। श्रमिक की उत्पादन की प्रक्रिया में सृजनात्मक शक्ति भी समाप्त हो जाती है। इस असन्तोष के कारण श्रमिकों में पूँजीवाद के विनाश के लिए चेतना जागृत हो जाती है और वह संगठित होकर पूँजीपति व्यवस्था के विरुद्ध संघर्ष करता है।

(6) श्रमिकों में एकता (Unity in Labourer)—पूँजीपति व्यवस्था में उत्पादन बृहद् स्तर पर होता है। बड़े-बड़े औद्योगिक केन्द्रों की स्थापना और विकास होता है। औद्योगीकरण और केन्द्रीयकरण के कारण श्रमिक भी एक स्थान पर बड़ी संख्या में साथ-साथ कल कारणों में काम करते हैं। वे लोग परस्पर पिलते-जुलते हैं, अपने सुख-दुःख की चर्चा करते हैं, उनकी समस्याएँ, आर्थिक स्थिति, कष्ट व उद्देश्य आदि सभान होने के कारण उनमें एकता पैदा हो जाती है व सहयोग को भावना का उदय होता है। यह सहयोग और एकता व्यक्तिगत संघर्ष को सामृहिक एवं संगठित संघर्ष में विकसित कर देती है। श्रमिक संगठित होकर अपने कल-कांखणी में पूँजीपतियों से अपनी मौंगे मनवाने के लिए संगठित रूप से बातचीत करते हैं व हड्डताल करते हैं। यही आगे चलकर क्रान्ति का रूप धारण कर लेता है और पूँजीवाद को उखाड़ फेकता है।

(7) अन्तर्राष्ट्रीय श्रमिक आन्दोलन (International Labour Movement)—मार्क्स ने ठीक ही लिखा है कि जो वर्ग शोषण करता है वह अपने विनाश के कारण को स्वयं उत्पन्न एवं पोषित करता है। पूँजीपति वर्ग व्यवस्था में भी यह बात निम्न प्रकार से मार्क्स ने स्पष्ट की है। आपका मत है कि पूँजीवादी व्यवस्था में उत्पादन बहुत अधिक मात्रा में होता है। इन उत्पादित वस्तुओं को बेचने के लिए राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय बाजारों की व्यवस्था की जाती है। विश्व के विभिन्न क्षेत्रों से उत्पादन के लिए कच्चा माल प्राप्त करने तथा उत्पादित वस्तुओं को अन्तर्राष्ट्रीय बाजारों में पहुँचाने के लिए पूँजीवादी व्यवस्था ने सचार एवं यातायात के साधनों का तीव्र गति से विकास किया। इन संचार और यातायात के साधनों के विकास के फलस्वरूप विश्व के सभी श्रमिक राष्ट्रों एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर पूँजीपति वर्ग को समाप्त करने के लिये संगठित कर दिया है। पूँजीपतियों द्वारा लाभ कमाने के लिये यातायात और सचार के साधनों का विकास करना उन्हीं के विनाश का कारण बन गया है। अन्तर्राष्ट्रीय स्तर संगठित हो सके हैं। इन सचार और यातायात के साधनों ने विभिन्न राष्ट्रों के श्रमिकों को संगठित कर दिया है। पहले जहाँ श्रमिकों का विरोध स्थानीय स्तर तक ही संगठित था, उसको इन नए साधनों ने श्रमिकों को राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर श्रमिकों का नामा—“दुनिया के मजदूरों एक हो!” बुलन्द हो गया है। कालं

मार्क्स ने लिखा है कि विश्व के सभी श्रमिक सागरित होंगे और क्रान्ति के द्वारा पूँजीवादी व्यवस्था को समाप्त कर देंगे।

मारांश में ये कार्ल मार्क्स के क्रान्तिकारी विचार, वर्ग-संघर्ष, शोषक वर्ग, शोषित वर्ग, अतिरिक्त मूल्य, समाजवादी व्यवस्था के स्थापना के तरीके, पूँजीवाद के विनाश के कारण ये पूँजीवाद और वर्ग-संघर्ष आदि से मध्यमित हैं। सामाजिक विज्ञान और विशेष रूप से समाजशास्त्र में मार्क्स के अनेक ममर्थक होने के गाय-साथ अनेक कटु आलोचक भी हैं जिन्होंने इनकी निम्नलिखित आलोचना की हैं।

### वर्ग-संघर्ष की आलोचना

#### (Criticism of Class-Struggle)

कार्ल मार्क्स के वर्ग एवं वर्ग-संघर्ष से सम्बन्धित विचारों की समाजशास्त्र में अनेक विद्वानों ने कटु आलोचना की है। मार्क्स के विचारों में मध्यमित निम्नलिखित सुख प्रमुख आपत्तियाँ उत्पाइ गई हैं—

( 1 ) समस्त समाजों का इतिहास वर्ग-संघर्षों का इतिहास है (History of All Societies is the History of Class-Struggle)—डैलियस्की (J. Delevsky) ने अपनी कृति 'सोशियल एन्टागोनिज्म' (Social Antagonism) में लिखा है कि कार्ल मार्क्स का यह कथन कि "अभी तक आविभृत समस्त समाजों का इतिहास वर्ग-संघर्ष का इतिहास रहा" गलत एवं अवैज्ञानिक है। आपका कहना है कि समाज में भेषणों के अनेक स्वरूप होते हैं, केवल वर्ग-संघर्ष ही नहों होता है प्रजातीय संघर्ष, धार्मिक संघर्ष व राज्य समूहों में संघर्ष आदि ठदाहरण हैं जो आर्थिक वर्ग के संघर्षों से भिन्न हैं। इसके अतिरिक्त ये संघर्ष कभी-कभी आर्थिक मंधर्ष से अधिक महत्वपूर्ण हो जाते हैं। समाजशास्त्र में यदि हम देखें तो जातीय संघर्ष, सांस्कृतिक मंधर्ष व भाषा के आधार पर संघर्ष आदि अनेक प्रकार के संघर्ष देखने को मिलते हैं। इन तथ्यों के आधार गर यह निष्कर्ष निकलता है कि समस्त मानव समाज का इतिहास मात्र वर्ग-संघर्ष का इतिहास नहीं है।

( 2 ) संघर्ष की अवधारणा (Concept of Struggle)—कार्ल मार्क्स का वर्ग-संघर्ष का सिद्धान्त मूल रूप से शोषक एवं शोषित वर्गों के परस्पर संघर्ष के आधार पर सामाजिक व्यवस्था, सामाजिक परिवर्तन एवं विकास की व्याख्या करता है। भ्रमाजारास्त्रियों का कहना है कि सामाजिक व्यवस्था, सन्तुलन व संगठन समाज के विभिन्न समूहों (वर्गों) के परस्पर संघर्ष पर आधारित नहीं होता है यद्कि समूहों में पारस्परिक सहयोग एवं एकता पर आधारित होता है। मार्क्स का यह कथन कि केवल वर्ग-संघर्ष ही एक गत्यात्मक कारक है और वह मानव समाज का विकास करता है, त्रुटिपूर्ण कथन है।

क्रोपटकिन (Kropotkin) की कृति 'म्यूच्युअल एड' (Mutual Aid) एक विश्वविद्यालय कृति है जिसमें आपने अनेक अन्यणों के आधार पर निष्कर्ष निकाला है कि मानवता की प्रगति सहयोग और एकता के कारण हुई है न कि वर्ग-संघर्ष, धृष्णा या ह्रेप के कारण।

टार्डे (Tarde) ने कहा कि "इतिहास के प्रारम्भ से वर्ग एवं सेनाएँ परस्पर लड़ती रही हैं, लेकिन इन्होंने रेखांगणि, रसायन शास्त्र व यात्रिको विज्ञान आदि का निर्माण नहीं किया है। इनके बिना मानव के लिए उद्योग एवं युद्ध कला का विकास नहीं होता। यह सब इसलिए सम्भव हुआ कि कुछ विचारक एवं सत्य के खोजी शान्तिपूर्वक अपनी प्रयोगशाला में काम करते रहे एवं अध्ययन करते रहे।"

मार्क्स का यह कथन कि केवल संघर्ष (आर्थिक वर्गों में) विशेष महत्वपूर्ण है, समाजशास्त्रियों के अनुसार आधारहीन कथन एवं निष्कर्ष है।

मैकाइवर और पेज (MacIver and Page) ने अपनी कृति 'समाज' में लिखा है कि मानव समाज में कोई भी क्रिया सहयोग के बिना नहीं हो सकती। दो पहलवान जब तक सहयोग नहीं करेंगे, उनमें मल्लयुद्ध नहीं हो सकता। इसी प्रकार शोषण एवं शोषित वर्ग जब तक सहयोग नहीं करेंगे, उत्पादन भी सम्भव नहीं होगा। मैकाइवर व पेज ने कहा है कि 'समाज सहयोग है जो संघर्ष को पार करता है', (Society is Co operate Crowed by Conflict)।

(3) केवल दो वर्ग (Only Two Classes)—मार्क्स ने अपनी कृतियों, विचारों, लेखों एवं पत्रों में हमेशा दो वर्गों—शोषक एवं शोषित का ही विवेचन किया है। लेकिन कुछ विद्वान मार्क्स के इन वर्गों को कल्पित मानते हैं। फ्रांसीसी श्रमिक संघवादी सोरल (Sorel) ने कहा है कि मार्क्स द्वारा वर्णित वर्गों की अवधारणा एक अमूर्त कल्पना है। मार्क्स की यह धारणा कि समाज में केवल दो ही वर्ग हैं, प्रमाणों के आधार पर असत्य सिद्ध होती है। डेविलोस्की ने कई प्रकार के सामाजिक वर्गों का उल्लेख किया है। जन साधारण भी जानते हैं कि समाज में अनेक वर्ग हैं। इन वर्गों की भिन्नता के कारण ही अमेरिका के विश्वविद्यालयों के परिसर में शोषण से सम्बन्धित अनेक प्रकार के वर्गों का अध्ययन उग्र उन्मूलनवादी समाजशास्त्र (Radical Sociology) के अन्तर्गत किया जाता है। यह सम्प्रदाय संघर्ष उपरागम के अन्तर्गत आर्थिक वर्ग को महत्व न देकर सामाजिक स्तर, राज-भैद तथा अनेक प्रकार के वर्गों एवं शोषण के विरोध में अभियान चला रहा है।

(4) सामाजिक और आर्थिक वर्ग (Social and Economic Classes)—कार्ल मार्क्स ने अपने वर्ग-संघर्ष के सिद्धान्त में सामाजिक और आर्थिक वर्गों को एक माना है। समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से आपका ऐसा मानना अवैज्ञानिक है। समाजशास्त्र में वर्ग निर्धारण के आधार पार्सन्स एवं अन्य विद्वानों ने नातेलारी समूह की सदस्यता, व्यक्तिगत विशेषताएँ, अर्जित उपलब्धियाँ, द्रव्यजात, सत्ता, शक्ति, धर्म, शिक्षा व योग्यता आदि को माना है। इस प्रकार से समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से कार्ल मार्क्स की वर्ग की धारणा के आधार—सामाजिक और आर्थिक को एक मानना—पार्सन्स, किंग्स्ले डेविस व मैकाइवर और पेज आदि के अनुसार अपूर्ण है। ऐसा लगता है कि मार्क्स ने अपने राजनैतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए उनको एक माना है और केवल दो ही वर्गों की वकालत की है।

(5) सर्वहारा वर्ग द्वारा क्रान्ति (Revolution by Proletariate Class)—मार्क्स की यह कल्पना है कि सर्वहारा-वर्ग क्रान्ति करके समाज में साम्यवाद स्थापित करेगा। आपने यह भी कहा है कि सर्वहारा वर्ग युर्जुआ-वर्ग को उखाड़ के करेगा, शोषित वर्ग क्रान्ति द्वारा समाज को

बदलता है। अगर हम मार्क्स के माहित्य का अध्ययन करें तो, उम्मे यह माप्ट हो जाता है कि क्रान्ति के मूलभार युद्धजीवी लोग होते हैं। 19वीं शताब्दी में म्यव मार्क्स ने अपनी कृतियों के द्वारा श्रमिकों में जागृति पैदा की। आपने 'कम्युनिस्ट पार्टी का घोषणा पत्र' में बुर्जुआ वर्ग को उखाड़ फेंकने के योजनावद तरीकों को क्रमवद और व्यवस्थित स्पष्ट में प्रस्तुत किया है। इस चात के अनेक माध्यम हैं कि विश्व में जितनी भी क्रान्ति हुई है, उसके मूलभार युद्धजीवी रहे हैं। अतः मार्क्स को यह मान्यता कि 'क्रान्ति श्रमिक वर्ग करेगा' अवैज्ञानिक है।

( 6 ) अवधारणासम्बन्धी आपत्ति (Objections Against Concepts) — कार्ल मार्क्स के सम्बन्ध में वैज्ञानिकों की एक प्रमुख आपत्ति यह होती है कि मार्क्स ने अनेक ऐसी अवधारणाओं एवं शब्दों का प्रयोग किया है, जो वैज्ञानिक अध्ययनों, निष्कर्षों तथा मिदानों में आपत्तिजनक हैं। मार्क्स ने लिखा कि साम्यवाद की स्थापना अवश्यम्भावी है, श्रमिक संघर्ष तथा क्रान्ति करके बुर्जुआ वर्ग को उखाड़ फेंकें व समाज के विकास के क्रम में अन्त में वर्ग-विहीन एवं राज्य विहीन समाज की स्थापना होगी, आदि मार्क्स की अवधारणाएँ एवं कथन अवैज्ञानिक हैं। विज्ञान के बहल 'क्या है', 'क्या है', 'कैसे है' व 'क्या होगा' आदि का अध्ययन करता है। मार्क्स के अध्ययन में इन लक्षणों का अभाव है इमलिए वैज्ञानिकों के अनुग्राम मार्क्स की शब्दावली एवं निष्कर्ष अवैज्ञानिक हैं।

( 7 ) वर्ग-संघर्षके परिणाम असत्य (False Results of Class-Struggle) — कार्ल मार्क्स ने भविष्यवाणी की थी कि वर्ग-संघर्ष के द्वारा पूँजीवाद समाप्त हो जायेगा और माम्यवाद की स्थापना होगी। आपने पूँजीवाद के सुधार की कल्पना नहीं की। वर्तमान परिस्थितियों मार्क्स की इस भविष्यवाणी को प्रमाणित नहीं करती है। विश्व के अनेक देशों में श्रमिकों की स्थिति में अनेक सुधार किये गये हैं। पश्चिम राष्ट्रों—इंग्लैण्ड व अमेरिका आदि में कानून द्वारा श्रमिकों को अनेक सुविधाएँ प्रदान की गई हैं। श्रमिकों की आर्थिक स्थिति में काफी सुधार किये गये हैं। इसमें सर्वहारा वर्ग में अमन्तोष दूर हो गया है और सर्वहारा-वर्ग तथा बुर्जुआ-वर्ग में संघर्ष कम हो गया है व श्रमिक पूँजीपतियों से महयोग कर रहे हैं। ये तथ्य मार्क्स के वर्ग-संघर्ष से माध्यमित परिणामों को अप्रमाणित एवं असत्य मिदू कर रहे हैं।

( 8 ) वर्ग-संघर्षकी प्रक्रिया असत्य (False Process of Class-Struggle) — कार्ल मार्क्स ने भविष्यवाणी की थी कि वर्ग-संघर्ष की प्रक्रिया दासत्व युग, सामनी युग व पूँजीपति युग से होती हुई साम्यवादी अवस्था में पहुँचेगी। आपका कहना था कि औद्योगिकरण और पूँजीवाद के बाद क्रान्ति द्वारा साम्यवाद स्थापित होगा लेकिन इस और चीन में गामतावाद के बाद ही साम्यवाद की स्थापना हो गई। ये देश पूँजीपति अवस्था में नहीं गुजरे हैं। मार्क्स के अनुग्राम पूँजीपति देशों में श्रमिक क्रान्ति होनी चाहिए थी लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इस प्रकार में अनेक प्रमाण एवं तथ्य मार्क्स द्वारा प्रतिपादित वर्ग-संघर्ष के क्रमिक चरणों को अमन्य मिदू करते हैं। इसके उपरान्त भी निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि मार्क्स के वर्ग-संघर्ष के मिदान का समाजशास्त्र में एक विशिष्ट स्थान है। इसके मिदान ने अन्य समाजशास्त्रियों को प्रभावित किया है, जिसमें समाजशास्त्र के महात्म्य में विकास हुआ है।

## सामान्य निष्कर्ष

(General Conclusion)

कुछ समाजशास्त्रियों ने मार्क्स के समाजशास्त्रीय सिद्धान्त पर टिप्पणी करते हुए लिखा है कि— (1) मार्क्स ने जो कुछ शुद्ध वैज्ञानिक टूटिकोण से कहा है वह नदा नहीं है। मार्क्स से पहले भी अनेक लेखकों और विचारकों ने इस प्रकार के सिद्धान्त एवं अवधारणाएँ प्रस्तुत की हैं। (2) मार्क्स ने जो कुछ भौतिक विचार व्यक्त किये हैं, वे वैज्ञानिकता से अद्भुत परे हैं। (3) मार्क्स के विचारों का केवल एक गुण यह है कि इन्होंने जो कुछ लिखा है उसे ये बहुत प्रभावशाली तरीके से प्रस्तुत किया है। इतने प्रभावशाली तरीके से पहले किसी ने विचार प्रस्तुत नहीं किये।



## अध्याय-11

# प्रकार्यवाद : मर्टन (Functionalism : Merton)

प्रकार्यवाद समाजशास्त्र में रसायनिक महत्वपूर्ण एवं प्रचलित सिद्धान्त रहा है। किंग्स्ले डेविस के अनुसार आज समाजशास्त्र में तीन-चाँथाई भाग में यह बाद छाया हुआ है। समाजशास्त्र में इसे अनेक नामों से जाना जाता है, जैसे—सरचनात्मक-प्रकार्यात्मक उपागम (Structural-Functional Approach), प्रकार्यात्मक-उपागम (Functional Approach), प्रकार्यात्मक विश्लेषण (Functional Analysis), प्रकार्यात्मक सिद्धान्त (Functional Theory), प्रकार्यात्मक अभिविन्यास (Functional Orientation) और आजकल सबसे अधिक प्रचलित एवं संधिष्ठित नाम है—प्रकार्यवाद (Functionalism)।

यह एक अध्ययन की पद्धति, अध्ययन का उपागम एवं सिद्धान्त—तीनों ही हैं। समाजशास्त्र में विद्वानों ने इसको विवेचना तीनों रूपों को ध्यान में रखकर की है। किंग्स्ले डेविस का तो यहाँ तक कहना है कि समाजशास्त्र और प्रकार्यात्मक विश्लेषण—दोनों के परिप्रेक्ष्य, उपागम, अध्ययन की पद्धतियाँ, मान्यताएँ, समस्याएँ और सीमाएँ आदि समान हो हैं, इनमें कोई अन्तर नहीं है। प्रकार्यात्मक विश्लेषण अथवा प्रकार्यवाद समाजशास्त्र का पर्याय ही है, इसलिए समाजशास्त्र में इसको अलग नाम देना अनावश्यक है। प्रकार्यवाद के अनेक समर्थक हुए हैं जिनमें ऑगस्ट, कॉम्ट, हर्वर्ट स्पेन्सर, दुर्खाम, मैलिनोव्स्की, रेडकिलफ-याडन, मर्टन आदि अनेक विद्वानों के नाम गिनाए जा सकते हैं—

इन विद्वानों ने जो अपने विचार प्रकार्यवाद के सम्बन्ध में प्रकट किए हैं, उनको समझने के लिए सर्वप्रथम प्रकार्य की अवधारणाओं का अध्ययन करना अत्यावश्यक है। इन अवधारणाओं को समझने के बाद प्रकार्यात्मक उपागम का इतिहास, मान्यताएँ, विशेषताएँ, महत्वपूर्ण सीमाएँ एवं आलोचनात्मक मूल्यांकन आदि की विवेचना मर्टन के विशेष संदर्भ में प्रस्तुत की जाएगी।

**प्रकार्य का अर्थ और परिभाषा (Meaning and Definition of Function)—** प्रकार्य समाजशास्त्र में एक महत्वपूर्ण अवधारणा है। सामान्यतया प्रकार्य का अर्थ समाजशास्त्र में अनेक रूपों में किया जाता है। मर्टन ने अपनी कृति 'सोशियल श्योरी एण्ट सोशियल स्ट्रक्चर' में प्रकार्य सब्द के सम्बन्ध में बताया है कि इस अवधारणा का समाजशास्त्र में निम्नलिखित रूपों में अर्थ लगाया जाता है—

(1) सामान्य रूप में, जैसे श्रीवाली, दशहरा के उत्सव, जलसे आदि के रूप में। (2) सामाजिक-आर्थिक विश्लेषण म प्रकार्य का अर्थ व्यावसायिक घटनाओं के सन्दर्भ म लगाया जाता है। (3) पदेन कार्य समादान के रूप में लिया जाता है। (4) गणितशास्त्र के अर्थ म प्रकार्य का जो अर्थ है वह भी समाजशास्त्र में लगाया जाता है, जैसे—घटना 'क' (विवाह-विच्छेद की दर) कार्य है, घटना 'ख' (आर्थिक स्थिति), अर्थात् विवाह विच्छेद की दर का घटना या बढ़ना आर्थिक स्थिति का परिणाम है। (5) मानवशास्त्र म प्रकार्य को इसी रूप मे प्रयुक्त किया जाता है जिस रूप मे जीव विज्ञा मे किया जाता है, जैसे—कोई अभ्यास अथवा विश्वास का समाज के बने रहने मे क्या योगदान है?

यहाँ हम 'प्रकार्य' शब्द के उस अर्थ को जानने का प्रयास करेंग जो समाजशास्त्री सरचना की अवधारणा के सन्दर्भ मे साप्तांश मे हम तीन विद्वानों की परिभाषाएँ देखेंगे। ये परिभाषाएँ जॉनसन, क्लूखौन और मर्टन की हैं।

जॉनसन के अनुसार, "अगर कोई आशिक दौँचा—कोई उप समृह, भूमिमा, सामाजिक सामान्यक अथवा सास्कृतिक मूल्य सामाजिक प्रणाली या उप-प्रणाली की एक या अभिक सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति मे योग दे तो यह वहा जाता है कि वह प्रकार्यात्मक है।" इस परिभाषा मे जॉनसन ने स्पष्ट किया है कि सामाजिक सरचना की इकाइयाँ व्यवस्था और संगठन बनाए रखने मे योगदान करती हैं।

क्लूखौन के अनुसार, "सस्कृति का कोई भी अंग तभी प्रकार्यात्मक होता है जब वह इस प्रकार की अनुक्रिया करे कि उसे सामाजिक रूप से ग्रहण किया जा सके और व्यक्ति समाज से अपना अनुकूलन करने के लिए उसे सुविधापूर्ण समझे।" इस परिभाषा मे अनुकूलन पर विशेष जोर दिया गया है। अगर व्यक्ति सास्कृतिक इकाई की सहायता से अनुकूलन कर सकता है तो वह इकाई प्रकार्यात्मक है।

मर्टन ने प्रकार्य की वहुत छोटी परन्तु सारांधित परिभाषा दी है जो निम्नलिखित है, "प्रकार्य वह अवलोकित परिणाम है जो सामाजिक व्यवस्था मे अनुकूलन अथवा सामन्त्रय करता है।" मर्टन ने स्पष्ट लिखा है कि वास्तव मे कोई तत्त्व सामाजिक व्यवस्था का अनुकूलन करने मे अथवा व्यवस्थापन मे मदद करता है तो वह इकाई प्रकार्यात्मक है।

जॉनसन, क्लूखौन और मर्टन की परिभाषाओं का सार यही है कि प्रकार्य सस्कृति, समाज तथा इनकी इकाइयों का वह कार्य है जो सामाजिक व्यवस्था के सनुतन, निन्तरता, सामाजिस्य, व्यवस्थापन मे सहायक हो तथा सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति करता हो।

### प्रकार्य की विशेषताएँ

(Characteristics of Function)

अनेक विद्वानों ने प्रकार्य की विशेषताएँ बताई हैं। इनमे प्रमुख रडमिक ग्राउन, मैलिनोव्स्की, दुखोम, क्लूखौन, किंगसले डेविस, मर्टन, पारसन्स आदि हैं। इन विद्वानों ने अपने-अपने दृष्टिकोण से प्रकार्य को विशेषताएँ तथा संक्षण बताए हैं। मर्टन ने प्रकार्य की विशेषताओं

का आलोचनात्मक मूल्यांकन अपनी पुस्तक 'सोशियल थ्योरी एण्ड भोशियल स्टॉटर' में किया है। इहोंने प्रकार्य की निम्नलिखित विशेषताएँ रेडविलफ-ब्राउन, मैलिनोव्स्की, दुर्खाम, किम्सले, डेविस आदि के अध्ययनों में से सर्वेक्षण करके बताई हैं, जो आंशिक रूप से सत्य हैं—

### प्रकार्य की विशेषताएँ

प्रकार्यात्मक सार्वभौमिकता	प्रकार्य, अकार्य और दुष्कार्य	अनुकूलता व सामजिक्यता	आवश्यकता और पूर्ति
एकता	प्रकार्यात्मक अपरिहार्यता	प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कार्य	समाज द्वारा स्वीकृत प्रकार्यात्मक विकल्प

अन्य विशेषताएँ

(1) प्रकार्यात्मक एकता (Functional Unity)—रेडविलफ-ब्राउन और मैलिनोव्स्की सामाजिक संरचना की विभिन्न इकाइयों के सम्बन्ध में कहते हैं कि ये समाज में एकता यनाए रखती है। जिस प्रकार से जीव के विभिन्न अंग परस्पर एकता के रूप में सम्बन्धित होते हैं, उसी प्रकार सामाजिक संरचना की प्रत्येक इकाई परस्पर एक-दूसरे से संगठनात्मक कार्य करते हुए सम्बन्धित रहती है।

मर्टन ने धर्म का उदाहरण देकर इस विशेषता का मूल्यांकन किया। आपका कहना है कि एक समाज में एक से अधिक धर्म को मानने वाले रहते हैं तो धर्म के कारण उनमें साम्प्रदायिक झगड़े होती हैं। इसलिए दुर्खाम, रेडविलफ-ब्राउन, मैलिनोव्स्की आदि का मानना आंशिक रूप में सत्य है। इकाइयाँ प्रकार्यात्मक होती हैं परन्तु वे दुष्कार्यात्मक या विपर्यकरणी कार्य भी करती हैं।

(2) प्रकार्यात्मक सार्वभौमिकता (Functional Universality)—मर्टन से पहिले के समाजशास्त्रियों और सामाजिक मानवशास्त्रियों का मानना था कि जहाँ-जहाँ मानव समाज है वहाँ-वहाँ सामाजिक इकाइयों कोई-न-कोई आवश्यकता नहीं पूर्ति करती है। मैलिनोव्स्की जो कि कट्टर प्रकार्यवादी रहे हैं, उनका कहना है कि "प्रत्येक इकाई, प्रत्येक स्थान पर, कोई-न-कोई महत्वपूर्ण कार्य पूर्ण करती है।" इनका तो यह भी कहना है कि सामाजिक संरचना में केवल वे ही इकाइयाँ विद्यमान होती हैं जो सामाजिक व्यवस्था में किसी आवश्यकता की पूर्ति करती हैं।

मर्टन ने इस विशेषता का मूल्यांकन धर्म का उदाहरण देकर किया। मर्टन ने यताया कि धर्म अनेक दुष्कार्य करता है फिर भी वह सामाजिक संरचना में इकाई के रूप में विद्यमान है। हिन्दू समाज में जाति-प्रथा, बाल-विवाह, सती-प्रथा, अस्मृश्यता, वैधव्य, स्त्री-अशिक्षा आदि धर्म के कारण थे। पश्चिम के कई समाजों में धर्म परिवार-नियोजन के कई तरीकों तथा गर्भपात के विद्वद् एक बधा है।

(3) प्रकार्यात्मक अपरिहार्यता (Functional Indispensability)—विभिन्न विद्वानों का यह मानना है कि सामाजिक संरचना में इकाइयाँ या उनके कार्य अपरिहार्य हैं तथा प्रकार्यों को संरचना से अलग नहीं किया जा सकता। परन्तु मर्टन ने विभिन्न विद्वानों के विचारों तथा लेखों

का अध्ययन किया तथा उसमें स्पष्ट रूप से यह नहीं पाया कि—(1) कार्य अपरिहार्य है, अथवा (2) इकाई अपरिहार्य है, अथवा (3) कार्य और इकाई दोनों अपरिहार्य हैं। किसले डेविस और मूर ने धर्म को अपरिहार्य बताया, क्योंकि धर्म समाज में सामाजिक नियन्त्रण का कार्य करता है। मर्टन का कहना है कि आधुनिक समाजों में सामाजिक नियन्त्रण धर्म के विना भी होता है।

मर्टन ने उपर्युक्त प्रकार्य की विशेषताओं का मूल्यांकन करने के बाद प्रकार्य के निम्नलिखित लक्षण और विशेषताएँ बताई हैं—

(4) प्रकार्य, अकार्य और दुष्कार्य (Function, Non Function and Dysfunction)—मर्टन का कहना है कि सामाजिक सरचना की इकाइयों के कार्यों को तीन प्रमुख भागों में बांट सकते हैं—(1) प्रकार्य, (2) अकार्य और (3) दुष्कार्य। सरचना की अधिकतर इकाइयाँ जब वे कार्य करती हैं जिससे सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने तथा समायोजन लाने में सहायता मिलती है तो ये इकाइयाँ प्रकार्यात्मक कहलाती हैं। कुछ इकाइयाँ ऐसी होती हैं जो अध्ययन के अन्तर्गत सामाजिक व्यवस्था से किसी भी प्रकार से सम्बन्धित नहीं होती हैं। वे व्यवस्था को बनाए रखने में या अव्यवस्था करने में किसी प्रकार की भूमिका का निर्बाह नहीं करती हैं। यह उनका अकार्य कहलाता है। संरचना की कुछ इकाइयाँ सामाजिक व्यवस्था में अव्यवस्था बढ़ाने या अनुकूलन एवं समायोजन कम करने की भूमिका करती हैं। उनका विघटनकारी प्रभाव होता है, यह उनका दुष्कार्य कहलाता है।

(5) प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कार्य (Manifest and Latent Functions)—मर्टन ने सामाजिक सरचना की इकाइयों के प्रमुख कार्यों को दो उपकार्यों में बांटा है—प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष कार्य वे वस्तुभिष्ठ परिणाम हैं जो व्यवस्था में समायोजन और अनुकूलन में योगदान करते हैं तथा व्यवस्था में भाग लेने वालों द्वारा चाहे जाते हैं तथा मान्यता-प्राप्त हैं। ये प्रत्यक्ष कार्य संगठनात्मक या प्रकार्य तथा विघटनात्मक या दुष्कार्य के अन्तर्गत देखे जा सकते हैं।

अप्रत्यक्ष कार्य सामाजिक सरचना की इकाइयों के वे कार्य हैं जो न तो चाहे जाते हैं न ही मान्यता प्राप्त होते हैं। ये अप्रत्यक्ष कार्य संगठनात्मक या प्रकार्य तथा विघटनात्मक या दुष्कार्य के रूप में होते हैं। इन कार्यों को अग्रलिखित चार्ट द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है।

(6) अनुकूलनता तथा सामजिक स्थिता (Adaptability and Adjustment)—प्रकार्य समाज में अनुकूलनता तथा सामजिक स्थिता को बढ़ाते हैं। सामाजिक व्यवस्था की निरन्तरता तथा सनुलन के लिए आवश्यक है कि सामाजिक सरचना की इकाइयों में अनुकूलनता तथा सामजिक स्थिता का गुण हो। इस गुण के अभाव में इकाइयाँ अव्यवस्थित तथा असतुलित हो जाती हैं। इकाइयों, संस्थाओं, एजेन्सियों आदि में यह गुण जब तक थेना रहता है वे सरचना का अधिक अंग बनो रहती हैं।

(7) समाज द्वारा स्वीकृत (Accepted By the Society)—सामाजिक सरचना के तत्त्वों, इकाइयों, संस्थाओं, एजेन्सियों आदि के कार्य समाज द्वारा स्वीकृत होते हैं। भिन्न-भिन्न समाजों में इकाइयाँ अलग अलग होती हैं तथा उनके कार्य समाज की आवश्यकता के अनुसार

तथ किये जाते हैं। ये परिवर्तनशोल भी होते हैं। जो कार्य समाज द्वारा स्वीकृत नहीं होते हैं उनको मर्टन ने अव्यक्त कार्य अथवा अप्रत्यक्ष कार्य कहा है।

(8) आवश्यकताओं की पूर्ति (Fulfil Needs)—मैलिनोब्की प्रकार्यों की इस विशेषता पर विशेष वल देते हैं। आपका कहना है कि प्रत्येक इकाई, हर स्थान पर, कोई-न-कोई महत्वपूर्ण कार्य करती है। आपने यह भी लिखा है कि जो इकाई आवश्यकता की पूर्ति के लिए कार्य नहीं करती है, वह संरचना में बनी नहीं रह सकती। मैलिनोब्की, रेडकिलफ-ब्राउन तथा क्लूडॉन ने तो उद्धिकासियों की इमी आधार पर कटु आलोचना की है कि समाज में कोई भी तत्त्व या अग अवशेष नहीं होते हैं। उद्धिकास सिद्धान्त में अवशेष एक प्रभाण के रूप में काम में लिए जाते हैं, प्रकार्यवादी ऐसा नहीं मानते हैं।

. (9) प्रकार्यात्मक विकल्प (Functional Substitutes)—मर्टन का कहना है कि सामाजिक संरचना में अनेक इकाइयाँ होती हैं, उनके अनेक कार्य होते हैं, इससे सम्बन्धित हम दो प्रकार की विशेषताएँ और प्रकार्य पाते हैं। पहिला, तत्त्व एक और उसके कार्य अनेक तथा दूसरा, प्रकार्य एक और उसको पूर्ण करने वाले तत्त्व अनेक होते हैं। समाज की निश्चित आवश्यकता से सम्बन्धित प्रकार्य के अनेक विकल्प अथवा समकक्ष होते हैं। आदिम समाज में सामाजिक नियन्त्रण का प्रकार्य धर्म करता है। नगरीय या महानगरीय समाज में सामाजिक नियन्त्रण का प्रकार्य सरकार पुलिस, भेना, न्यायालय आदि के द्वारा सम्पन्न होता है, अर्थात् प्रकार्यों के अनेक विकल्प या समकक्ष होते हैं।

(10) अन्य विशेषताएँ (Other Characteristics)—प्रकार्य की कुछ और भी विशेषताएँ हैं, जैसे—सामाजिक संरचना में इकाइयाँ अनेक होती हैं, उनकी गणना करना बहिर्भूत है। इकाइयों के प्रकार्यों की गणना करना तो और भी असम्भव है। प्रकार्य एक समूह के लिए अधिक लाभदायक, कुछ के लिए कम लाभदायक तथा कुछ समूहों के लिए हानिकारक भी हो सकते हैं। प्रकार्य सामाजिक संरचना का निर्माण करने वाली इकाइयों से सम्बन्धित होते हैं। प्रकार्य समाज में ध्रम के विभाजन को भी स्पष्ट तथा निश्चित करते हैं। प्रत्येक इकाई समाज के लिए निश्चित कार्य करती है। प्रकार्य प्रकट-अप्रकट, प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष, स्पष्ट-अस्पष्ट, ज्ञात और अज्ञात आदि रूपों में विद्यमान होते हैं। समाज की व्यवस्था, संगठन, निरन्तरता, सन्तुतता, विकास आदि संरचना की इकाइयों के प्रकार्यों पर निर्भर करते हैं। अगर इकाइयाँ प्रकार्य सम्पन्न नहीं करे तो समाज असंतुलित तथा अव्यवस्थित होकर नष्ट हो सकता है। इस प्रकार प्रकार्य सामाजिक व्यवस्था तथा संगठन के लिए महत्वपूर्ण होते हैं।

### प्रकार्यवाद का इतिहास (History of Functionalism)

पी. एम कोहन ने प्रकार्यवाद के इतिहास पर प्रकाश ढातां हुए लिखा है कि समाज के अध्ययन की प्रकार्यात्मक पढ़ाति का इतिहास उतना ही पुराना है, जितना कि सामाजिक सिद्धान्त। कुछ इतिहासकार प्रकार्यवाद के आधुनिक सिद्धान्त का शुभारम्भ मोण्टेस्क्यू से मानते हैं, लेकिन आज इस सिद्धान्त का जो प्रभाव देखा जा रहा है उसका श्रेय सम्भवतः ऑगस्ट कॉम्प्ट को जाता है जिन्होंने समाजशास्त्रीय अन्वेषण के एक भाग—सामाजिक स्थैतिक—का अध्ययन निश्चित किया।

ऑगस्ट कॉम्प (Auguste Comte) का सामाजिक स्थैतिक से तात्पर्य सामाजिक घटनाओं के सह-अस्तित्व का अध्ययन करना है। आपके अनुसार इसके अनर्गत समाज की उन वृहद् संस्थाओं तथा संस्थात्मक जटिलताओं का अध्ययन किया जाता है जिनको सामाजिक विश्लेषण की वृहद् इकाई माना जाता है। कॉम्प के शब्दों में, "स्थैतिक समाज में विभिन्न भागों की परस्पर क्रिया तथा प्रतिक्रिया की खोज से सम्बन्धित है।" आपने ही समाजशास्त्र में 'सरचनात्मक प्रकार्यात्मक' उपागम की ओर ध्यान आकर्षित किया तथा एक नई दिशा प्रदान की। आपका कहना है कि समाज की सभी संस्थाएँ—विश्वास और नैतिकता पूर्ण रूप में परस्पर सम्बन्धित हैं। किसी भी एक भाग का पूर्ण समाज में बने रहने की व्याख्या करना इस पद्धति का उद्देश्य है। इस पद्धति के द्वारा ऐसे सिद्धान्त अथवा नियम की खोज करना है जो यह स्पष्ट करे कि सरचना की एक इकाई तथा अन्य सभी इकाइयाँ किसी एक विशिष्ट इकाई को कैसे प्रभावित करती हैं और प्रभावित होती हैं तथा समाज का अस्तित्व किस प्रकार से बना रहता है। प्रकार्यात्मक पद्धति में इकाई का पूर्ण से, पूर्ण का इकाई से तथा इकाइयों के परस्पर अन्तःसम्बन्धों का अध्ययन किया जाता है।

**हर्बर्ट स्पेन्सर (Herbert Spencer)**—ऑगस्ट कॉम्प के बाद स्पेन्सर ने समाज के अध्ययन के प्रकार्यवाद में कुछ और नया जोड़ा। आपने समाज तथा जीव की प्रक्रियाओं में प्रकार्यात्मक समरूपता एवं समानताओं पर प्रकाश डाला। स्पेन्सर ने पहले जीव की मौलिक विशेषताओं—शरीर संरचना, निर्माण, आगे की परस्पर निर्भरता, कार्य आदि का वर्णन किया तथा उन्हीं आधारों पर समाज का विश्लेषण किया जो प्रकार्यवाद के विकास में सहायक सिद्ध हुआ। शरीर सरचना का निर्माण कई आगे के परस्पर भिन्नने से होता है। प्रत्येक अग शरीर में विशिष्ट कार्य करता है। इनके कार्य परस्पर अव्यवस्थित और असंगठित होते हैं जो शरीर को व्यवस्थित, सन्तुलित एवं संगठित रखते हैं। स्पेन्सर की मान्यता है कि जिस प्रकार से जीव-जगत में शरीर सरचना और उसके विभिन्न अग सरल से जटिल रूप में, समानता से भिन्नता तथा निम्न विभेदीकरण से जटिल-विभेदीकरण के क्रम में विकसित हुए हैं उसी प्रकार से सामाजिक व्यवस्था में भी हुआ है। आप समाज को भी जीव की तरह से एक अण्ड व्यवस्था मानते हैं। आपका कहना है कि समाज का निर्माण जीवों को "प्रति विभिन्न इकाइयों से हुआ है।" ये विभिन्न इकाइयाँ सामाजिक सरचना में परस्पर एक-दूसरे से रागठनात्मक रूप से सम्बन्धित होती हैं। प्रत्येक इकाई समाज में एक विशिष्ट कार्य करती है। विभिन्न इकाइयों द्वारा किए गए कार्यों से ही समाज सुचारू रूप से व्यवस्थित रहता है। आपकी मान्यता है कि जिस सरचना में एक प्रकार के अथवा समरूप तत्त्व होते हैं उसमें सभी तत्त्व प्रायः आपनिर्भर होते हैं। लेकिन जहाँ पर तत्त्व भिन्न-भिन्न सरचना घाले होते हैं या सरचना में आन्तरिक विभेदीकरण अधिक होता है वहाँ पर तत्त्वों में अधिक मात्रा में पारस्परिक निर्भरता होती है। स्पेन्सर ने तर्क दिया कि सरचना में अधिक मात्रा में विभेदीकरण का उद्देश्य पूर्ण में अधिक मात्रा में एकीकरण पैदा करना होता है तथा उसमें आन्तरिक असन्तुलन कम होता है और वह अपने अस्तित्व को बनाए रखने में अधिक सक्षम होता है क्योंकि ऐसी सरचना में अनुकूलन करने का गुण भी अधिक होता है। आपके इन प्रकार्यात्मक उपागम, सिद्धान्त और पद्धति से सम्बन्धित विचारों का प्रभाव दुर्खीम पर पड़ा।

इमाइल दुखोम (Emile Durkheim) — अत्यधुनिक प्रकार्यवाद स्पेन्सर की तुलना में दुखोम का अधिक ज्ञानी है। स्पेन्सर की भौति दुखोम भी अपने प्रारम्भिक लेखों में जैविकीय विचारधारा से बहुत अधिक प्रभावित रहे। आपके प्रारम्भिक विचार स्पेन्सर से सीधे प्रभावित हुए थे। दुखोम ने अपनी वैज्ञानिक अध्ययन पढ़ति 'द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजी मेंडेस' और लेखों में प्रस्तुत की है। आपने इस सिद्धान्त को समाजशास्त्रियों और सामाजिक मानवशास्त्रियों के लिए आकर्षक बनाने में सहयोग किया था। दुखोमने अपनी श्रम-विभाजन की पुस्तक के ट्रितीय अध्याय में श्रम के विभाजन के प्रकार्य और उसके कारणों में रपट अन्तर किया है। श्रम के विभाजन का प्रकार्य समाज का एकोकरण अथवा पुनः एकोकरण करना है। श्रम के विभाजन का कारण नैतिक समन्वय का बढ़ना है। नैतिक समन्वय जनसंख्या के दबाव के पत्तरवरूप बढ़ती है। आपने इस सम्बन्ध में निम्न तर्क प्रस्तुत किए हैं—

(1) जहाँ पर जनसंख्या का दबाव बढ़ेगा और सामाजिक अनाफ्रिक्या बढ़ेगो वहाँ पर भरत खण्डात्मक समाज द्वारा निर्भीत नियन्त्रण टूट जाएँगे तथा प्रतिस्पर्धा में वृद्धि होगी जो सामाजिक व्यवस्था के लिए खतरा बन जाएगी।

(2) इस बढ़ी हुई प्रतिस्पर्धा और विरोध को घटाने अथवा नियन्त्रित करने के लिए विरोपोकृत प्रकार्यों को अपनाया जाता है जो व्यक्तियों को एक-दूसरे पर अधिक आश्रित बना देता है। इस प्रकार से पारस्परिक उत्तरदायित्व की नैतिकता को अपनाने की स्थिति आ जाती है। आपने जो प्रकार्य बताया वह यह है कि जनसंख्या के दबाव के बढ़ने से श्रम का विभाजन बढ़ता है जो विरोपोकरण में वृद्धि करता है और अन्तःपारस्परिक अन्योन्याश्रितता बढ़ती है जिसके कारण समाज के सदस्यों को सहयोग करना पड़ता है और इससे विरोध और प्रतिस्पर्धा घटती है तथा समाज में व्यवस्था स्थापित हो जाती है। आपने पर्म के अध्ययन में भी यही स्थापित किया है कि पर्म का प्रकार्य समाज में एकता स्थापित करना है।

दुखोम के समय तक सामाजिक विज्ञानों—विशेष रूप से समाजशास्त्र और सामाजिक मानवशास्त्र—में प्रकार्यवाद स्थापित नहीं हुआ था परन्तु इसके विकास पर आपके विचारों का उल्लेखनीय प्रभाव पड़ा था।

### प्रकार्यवाद की स्थापना (Establishment of Functionalism)

आधुनिक प्रकार्यवाद के नाम से किसी भी अद्वज ने अपने को सम्बोधित नहीं किया। प्रकार्यात्मक पढ़ति या प्रकार्यवाद को स्थापना एवं स्पष्ट सिद्धान्त का निर्माण ब्रोनिस्ता मैलिनोव्स्की और रेडक्टिफ-ब्राउन ने किया है। कोहन के अनुसार मैतिनोव्स्की का प्रभाव रेडक्टिफ-ब्राउन की तुलना में कुछ अर्थों में कम रहा। प्रकार्यात्मक अध्ययन पढ़ति वा विकास सामाजिक मानवशास्त्र में मैलिनोव्स्की और रेडक्टिफ-ब्राउन ने आदिम समाजों के अध्ययन के सन्दर्भ में किया। यह पढ़ति सामाजिक मानवशास्त्र में ऐतिहासिक, तुलनात्मक और प्रसारवादी पढ़ति की आलोचना के फलस्वरूप विकसित होकर पुनः समाजशास्त्र में आई। समाजशास्त्र में इम पढ़ति को मर्टन ने पुनः परिवर्त किया। इस पढ़ति को समझने के लिए आवश्यक है कि इन विद्वानों के योगदान का अध्ययन किया जाए, जो निम्न प्रकार से है—

### मैलिनोव्स्की का योगदान (Contribution of Malinowski)

मैलिनोव्स्की ने प्रकार्यात्मक पद्धति का विकास 1914 में मलेनेशिया जनजातियों का अध्ययन करके किया। आपने इस पद्धति एवं सिद्धान्त की रचना 'आग्रोनाउट्स ऑफ दा वेस्टर्न पैसिफिक' (Agronauts of the Western Pacific), 'दा फैमिलो ऑफ दा अस्ट्रियन एबोरिजिन्स' (The Family of the Australian Aborigines) एवं 'ए साइन्टिफिक थ्योरी ऑफ कल्चर' (A Scientific Theory of Culture) आदि में बी है। आपने सास्कृतिक व्यवस्था के उद्भिकासीय एवं तुलनात्मक अध्ययन पद्धतियों की आलोचना की तथा प्रकार्यात्मक पद्धति के द्वारा इसका अध्ययन एवं व्याख्या की। आपको मान्यता है कि मानव ने अपनी सात आधारभूत आवश्यकताओं—शरीर धोषण, प्रजनन, शारीरिक आराम, सुरक्षा, गति, बृद्धि तथा स्वास्थ्य की पूर्ति के लिए सस्कृति के विभिन्न तत्त्वों का निर्माण किया। आपने सस्कृति के तत्त्वों के प्रकार्यों पर विशेष जोर दिया है। इसीलिए आप प्रकार्यवादी पद्धति के पर्याय रूप में जाने जाते हैं। आपना कहना है कि सस्कृति के सभी तत्त्व मानव की किसी-न-किसी आवश्यकता की पूर्ति करते हैं और इसीलिए वो सस्कृति में विद्यमान हैं। आपके ही शब्दों में, "प्रत्येक प्रश्न को सभ्यता में प्रत्येक प्रथा, भौतिक वस्तु, विचार एवं विश्वास कोई न कोई महत्वपूर्ण कार्य पूर्ण करते हैं।" आपके अनुसार संस्कृति की विभिन्न इकाइयों में सांगठन तथा प्रकार्यात्मक एकता होती है। इसका कारण इन इकाइयों के द्वारा मानव के शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक अस्तित्व को बनाये रखना है। ऐसा विभिन्न इकाइयों अवश्यकताओं की पूर्ति करके करती हैं। मैलिनोव्स्की की मान्यता है कि संस्कृति के तत्त्वों की प्रकार्यात्मक एकता और अपरिहार्यता का गुण सार्वभौमिक होता है। प्रत्येक इकाई या तत्त्व को संस्कृति की सरचना अथवा प्रतिमान से अलग नहीं किया जा सकता है क्योंकि वह कोई-न-कोई महत्वपूर्ण कार्य करता है। अतः पूर्ण का अविभाज्य अंग होता है। संस्कृति की ये इकाइयाँ या तत्त्व—धर्म, विवाह, परिवार, नातेदारी, आर्थिक एवं राजनैतिक संस्थाएँ, प्रथाएँ, विश्वास, विचार, धर्म आदि होती हैं। संस्कृति के तत्त्व या विभिन्न इकाइयों की प्रकार्यात्मक एकता, सार्वभौमिक प्रकार्यवाद और अपरिहार्यता संस्कृति का निर्माण करती है, जिसका अध्ययन प्रकार्यात्मक पद्धति के द्वारा ही किया जा सकता है।

रेडक्लिफ-ब्राउन का योगदान (Contribution of Radcliffe-Brown)—रेडक्लिफ-ब्राउन ने प्रकार्यात्मक पद्धति के विकास में अपना योगदान 1906 में अण्डमान हौपवासियों के अध्ययन, विभिन्न लोहों और अध्ययनों के द्वारा किया जो 'स्ट्रक्चर एण्ड फ़क्शन इन प्रिमिटिव सोसायटी' आदि में प्रकाशित हुए हैं। आपने प्रकार्यात्मक पद्धति के अनेक सप्रत्ययों को व्याख्या की है, इसके अध्युपागम निश्चित किए हैं। आपने समाज को जीव तुल्य माना है। सामाजिक जीवन, व्यवस्था और संरचना की जीव से तुलना की है। आपको मान्यता है कि जिस प्रकार से जीव के विभिन्न अंगों में एकता होती है उसी प्रकार से सामाजिक सरचना की प्रत्येक इकाई तथा तत्त्व में भी एकता होती है। आपने कहा है, "अगर प्रकार्यवाद का कोई भी अर्थ है, तो वह यह अवश्य है कि यह व्यक्तियों के सामाजिक जीवन को एक पूर्णता के रूप में और प्रकार्यात्मक एकता के रूप में देखने का प्रयास करता है।" आपने प्रकार्य की निम्न परिभाषा दी है, "प्रकार्य विशिष्ट

क्रिया का वह योगदान है जो कि वह उम सम्पूर्ण क्रिया में करती है जिसका वह एक अंग है। “आपने आगे लिखा—“कार्य किमी भी सामाजिक-प्रथा का वह योग है, जो अपनी क्रिया द्वारा सम्पूर्ण सामाजिक जीवन को देता है।” अर्थात् संरचनात्मक निरन्तरता को बनाये रखने में योग देना ही इसका कार्य है।

रेडक्टिव-ग्राउन ने समाज को एक ‘कार्यात्मक एकता’ माना है जिसके प्रत्येक भाग का दृमर भाग से सम्बन्ध है और उनमें परस्पर आश्रितता है, इसलिए प्रत्येक अंग का विश्लेषण सम्पूर्ण समाज को कार्यात्मक एकता के ही मन्दर्भ में किया जा सकता है, ऐसा रेडक्टिव-ग्राउन का मानना है।

रेडक्टिव-ग्राउन के अनुमार प्रकार्यात्मक पद्धति का अर्थ एक संस्कृति अथवा समाज की पूर्णता है जिसके विभिन्न भाग एक प्रकार्यात्मक एकता में एक-दृमर भे, और पूर्णता में परस्पर सम्बन्धित होते हैं।

रेडक्टिव-ग्राउन ने इम पूर्णता को समाज और जीवन की तुलना करके और स्पष्ट किया है। जिस प्रकार किमी जीव के शरीर के भागों में परस्पर प्रकार्यात्मक एकता होती है उसी प्रकार समाज अथवा संस्कृति में भी एक संगठित व्यवस्था होती है और सभी समाजों या संस्कृतियों के कुछ सामान्य प्रकार्यों के नियम होते हैं जो उनको नियन्त्रित व्यवस्थित रखते हैं। इन्हीं प्रकार्यों के नियमों को ज्ञात करना—प्रकार्यात्मक पद्धति का मुख्य उद्देश्य है, जिससे कि समाज या संस्कृति के किसी भी तत्त्व का विश्लेषण किया जा सके।

रेडक्टिव-ग्राउन ने प्रकार्यात्मक पद्धति की तुलना प्राकृतिक विज्ञानों से की है और इस तथ्य पर जोर दिया है कि जिस प्रकार प्राकृतिक विज्ञानों में तार्किक और वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग किया जाता है, उसी प्रकार प्रकार्यात्मक पद्धति भी तार्किक-पद्धति का प्रयोग करती है और उन्हीं के आधार पर सामान्य नियमों को ज्ञात करती है और उनका परीक्षण करती है।

रेडक्टिव-ग्राउन ने जीवशास्त्र और मानवशास्त्र की तुलना करते हुए कहा है— मानव समाज, सामाजिक जीवन अथवा संस्कृति की प्रकृति का अनुसन्धान करते समय हमारे समक्ष तीन प्रकार की समस्याएँ—जीव शास्त्र के समान ही उपस्थित होती हैं—

( 1 ) सामाजिक संरचनाशास्त्र (Social Morphology)—समाज व संस्कृति में किस प्रकार की सामाजिक संरचनाएँ पाई जाती हैं, उनमें क्या समानताएँ हैं व भिन्नताएँ हैं, उन्हें किस प्रकार वर्गीकृत किया जा सकता है?

( 2 ) सामाजिक दैहिकी (Social Physiology)—सामाजिक संरचनाएँ किस प्रकार कार्य करती हैं?, और

( 3 ) सामाजिक विकास की समस्याएँ (Problems of Social Development)—सामाजिक संरचना नये स्वरूपों में किस प्रकार से अस्तित्व में आती हैं?

अर्थात् यह कहा जा सकता है कि समाज या संस्कृति के तत्त्वों का अध्ययन वेद्यत उनके प्रकारों और प्रकार्यात्मक एकता के मन्दर्भ में ही किया जा सकता है।

और आर्थिक कुशलता को सखूति के लिए कार्य करते हैं। अप्रत्यक्ष रूप से ये प्रत्येक व्यक्ति को जैविक और मानसिक कल्याण को पूर्ण करते हैं। इस प्रकार से मैलिनोव्यक्ति के लिए सामृतिक इकाइया को महत्त्वपूर्ण मानते हैं।

मर्टन ने कलूखाँन के विचारों को उद्दरित करते हुए लिखा है कि कलूखाँन भी इम विनार के ह कि सास्कृतिक स्वरूप समाज के सदस्यों का व्यवस्थान और अनुकूलन का कार्य करते हैं।

मर्टन लिखते हैं कि प्रकार्यात्मक एकता की अवधारणा का जानुभविक परीक्षण किया जा सकता है। एकोकरण की मात्रा अनुभाविक चर है, जो एक ही समाज में समय-समय पर परिवर्तित होती रहती है। सभी समाजों में कुछ मात्रा में एकोकरण होना आवश्यक है, लेकिन सभी समाजों में उच्चतम मात्रा में एकोकरण नहीं होता है, चाहे उनमें सभी मासृतिक मानक क्रियाएँ या विश्वास समाज के लिए प्रकार्यात्मक हों और पूर्ण रूप से उसके सदस्यों के लिए भी प्रकार्यात्मक हों। मर्टन ने स्पष्ट किया है कि रेड्किलफ-ब्राउन ने मानव समाज और जीवों में प्रकार्यात्मक एकता को उपमा के रूप में माना और इसकी सत्यता की आगे खोज भी नहीं की जबकि जीवों में एकोकरण की मात्रा में बहुत जटिक भिन्नता देखी जा सकती है। मर्टन ने सितारा मलती का उदाहरण दिया कि उसे अगर डल्टा रख दे तो उसके विभिन्न ओंग भिन्न दिशाओं में कार्य करते हैं और वह सार्थी अवस्था में नहीं आ पाती है। समुद्री एनीमोन अपने शिथिल एवं न्यून एकोकरण के कारण चट्टान से जीव से चिपके हुए अपने पैर का हिस्सा छोड़कर आगे बढ़ जाता है और इससे जीव के गहरा धाव घन जाता है। मर्टन का कहना है कि अगर जीवों के अंगों में एकोकरण नहीं है (जहाँ मेरेड्किलफ-ब्राउन ने एकोकरण को उपमा के रूप में लिया है) तो जटिल सामाजिक व्यवस्था में इकाइयों की प्रकार्यात्मक एकता की कल्पना करना अवैज्ञानिक है।

मर्टन ने लिखा है कि मानव समाज में पूर्ण प्रकार्यात्मक एकता को मान्यता तथ्यों से विपरीत है। एक ही समाज में सामाजिक लोकाचार या भानोवृत्ति कुछ समूहों के लिए प्रकार्यात्मक हो सकती है और अन्यों के लिए दुष्कार्यात्मक। वेटरन ने लिखा है कि कुछ परिवारों में स्वापिमान की वृद्धि से छोटे स्थानीय समुदायों की सुदृढ़ता विगड़ जाती है। तथ्यों के आधार पर प्रकार्यात्मक एकता का अनुपागम अक्षम विरोधी होता है तथा दिये हुए सामाजिक और सांस्कृतिक भद्र (लोकाचार, विश्वास, व्यवहार के प्रतिमान और सम्प्रदाय) के प्रभाव विभिन्न सामाजिक समूहों और समूहों के अलग-अलग सदस्यों के लिए प्रकार्यात्मक और दुष्कार्यात्मक होते हैं।

धर्म की प्रकार्यात्मक व्याख्या (The Functional Interpretation of Religion)—मर्टन ने लिखा है कि किंस्टे डेविस, पिस्वर्ट मूर, दुर्खाम आदि ने धर्म के कार्य संगठनात्मक व्याख्याएँ हैं। इन विद्वानों का ये निष्कर्ष है कि धर्म समाज में एकोकरण का कार्य करता है—निक्षेत्र समाजों के अवलोकन और अध्ययन पर आधारित है।

मर्टन ने लिखा है कि दुर्खाम का अध्ययन और निष्कर्ष भी अनपढ़ समाजों के अध्ययन पर आधारित है। इन लेखकों का जोर धर्म के मात्र एक कार्य मंगठनात्मक परिणाम पर रहा है और इन्होंने इसके सम्भावित विघटनकारी परिणामों जो फि कुछ सामाजिक संरचनाओं में मिलते हैं, की इन्होंने उपेक्षा की। मर्टन ने लिखा है कि एक ही समाज में विभिन्न धर्म वाले होते हैं तो उनमें अक्षम धोर संघर्ष होता है। अतः हम यह कैसे कह सकते हैं कि बहुधार्मिक समाजों में धर्म एकोकरण पैदा करता है। इतिहास में धार्मिक युद्धों का वर्णन देखा जा सकता है। निष्कर्ष यह

निकलता है कि समाज की इकाइयों आर मदों के यहुआयामी परिणाम प्रकार्यात्मक आर दुष्कार्यात्मक व्यक्तियों, उपसमूहों सामाजिक सरचना आर सम्झौति से सम्बन्धित होते हैं।

(2) सार्वभौमिक प्रकार्यवाद का अध्युपगम (Postulate of Universalism)—इस अध्युपगम की यह मान्यता है कि सभी स्वीकृत सामाजिक या सास्कृतिक स्थिति सेक्षणात्मक एवं मणिनात्मक कार्य करते हैं। मैतिनोव्स्की ने इम निम शब्दों में स्पष्ट किया है—

“सम्झौति का प्रकार्यात्मक दृष्टिकोण इम सिद्धान्त पर जार दता है कि प्रत्येक प्रकार की सम्भाल प्रक्रिया, भौतिक वन्न, विचार एवं विश्वास कुछ महत्वपूर्ण कार्य पूर्ण करते हैं ।”

कल्यूडीन ने लिखा है, “मरा मॉलिफ अध्युपगम यह है कि कोई भी सम्झौति का स्वरूप तभी यहा रहता है जब वा ऐसे प्रभाव निर्मित करता है जो कियो न किसी रूप म व्यवस्थान या अनुकूलन याले होते हैं ।”

मर्टन ने लिखा है कि ये सार्वभौमिक प्रकार्यवाद मितना प्रमाणित है यह एक बार जाँच करने योग्य यात है। कल्यूडीन ने तो अप्रकार्यात्मक मदा को भी प्रकार्यात्मक वर्णित कर दिया है, जो सही नहीं है। इसे कल्यूडीन के निम उदाहरण प देख सकते हैं। कल्यूडीन न लिखा है कि “यूरोपियासियों के कोट की याहो मे लगे बटन कभी लोहे के दस्ताने पहनने के काम आते थे। जब तलवारों से युद्ध हुआ करते थे, लेकिन आज वो सामान्य रूप से इन बटनों के परम्परा और रुदियों को अनुकरण करते हुए आज भी इन बटनों को लगवाते हैं और व्यवहार की नियन्त्रता मे सुख का अनुभव करते हैं।”

मर्टन ने कल्यूडीन को इस व्याख्या को आलोचना करते हुए लिखा है कि यह सार्वभौमिक प्रकार्यवाद का अध्युपगम अवशेषों के भयकर, व्यर्थ और विलम्बित वाद विवाद का ऐतिहासिक परिणाम है, जो योमवीं शताब्दी के ग्राम्य के मानवशास्त्रियों की प्रतिक्रिया और क्रोध का परिणाम है। मानवशास्त्रियों ने उद्धिकासीय सिद्धान्त के अध्युपगम “अवशेष” के प्रति धोर प्रतिक्रिया एवं क्रोध का पुरिणाम है जिसके आधार पर इन्होने “सभी प्रथाओं (सभी स्थानों पर) कोई न-कोई महत्वपूर्ण कार्य पूर्ण करते हैं” धारणा व्यक्त की। मर्टन ने मत व्यक्त किया कि साथर समाजों के समाजशास्त्री अवशेषों के अध्ययन को बिना किसी हानि के छोड सकते हैं। लेकिन यह अध्ययन करना आवश्यक है और यह एक अध्ययन की समस्या भी है कि क्या सभी सास्कृतिक मद महत्वपूर्ण कार्य पूर्ण करते हैं? मर्टन ने स्पष्ट किया कि सामाजिक और सास्कृतिक मद प्रकार्यात्मक, अप्रकार्यात्मक और दुष्कार्यात्मक प्रभाव वाली प्रकृति के हो सकते हैं, जिसका अन्वेषण किया जाना चाहिए।

(3) अपरिहार्यताका अध्युपगम (Postulate of Indispensability)—प्रकार्यात्मक सामाजिक वैज्ञानिकों मे इन तीन मे से अन्तिम अध्युपगम जो कि बहुत प्रचलित है, कुछ बातों मे बहुत ही अस्पष्ट है। जैसा कि मद अपरिहार्यता का अध्युपगम मैतिनोव्स्की ने निष्प कथन मे वर्णित किया है, उससे कुछ प्रश्न उठते हैं। आपका कहना है कि सभी प्रकार की सम्भवाओं मे सभी प्रथाएं, सभी वस्तुएं, विचार और विश्वास कुछ महत्वपूर्ण कार्य पूर्ण करते हैं कुछ कामों को पूर्ण करता है, प्रकार्यात्मक पूर्ण मे घह अपरिहार्य अग का प्रतिनिधित्व करता है।

इस कथन से यह विल्कुल म्पट नहीं होता है कि मैलिनोव्स्की का तात्पर्य प्रकार्य को अपरिहार्यता से है अथवा मद (प्रधा, वस्तु, विचार, विश्वास) के कार्यों की पूर्णता से है अथवा दोनों ही अर्थों से आपका तात्पर्य है।


मर्टन ने टिप्पणी लिखी है कि साहित्य में अस्पष्टता बहुत ही सामान्य है। किंग्स्ले डेविस और मूर के कथनों में भी यह तथ्य स्पष्ट नहीं होता है कि इनका धर्म से तात्पर्य धर्म के समाज में सम्पन्न किये गए प्रकार्यों को अपरिहार्यता में है अथवा धर्म समाज के लिए अपरिहार्य हैं एवं पर्म के कार्य और धर्म दोनों ही अपरिहार्य हैं।

मर्टन ने संक्षिप्त में अपरिहार्यता के अभ्युपगम की दो सामान्य प्रचलित व्याख्याएँ म्पट की हैं—(1) कुछ कार्य ऐसे होते हैं, जो मवों के लिए आवश्यक होते हैं, उनके पूर्ण नहीं होने पर समाज, समृह या व्यक्ति का अस्तित्व बना नहीं रहता है। इस अर्थ का तात्पर्य यह हुआ कि समाज, समृह या व्यक्ति के बने रहने के लिए कुछ प्रकार्यात्मक पूर्व आवश्यकताएँ आवश्यक होती हैं। (2) कुछ सारकृतिक या सामाजिक स्वरूप निश्चित कार्यों को पूर्ण करते हैं और इनके संस्कृति या सामाजिक स्वरूप अपरिहार्य हैं। लेकिन मर्टन का कहना है कि इस अपरिहार्यता का अभ्युपगम भी अगर हम जाँच करें तो निम्नलिखित परिस्थितियाँ पाते हैं—(1) समाज के बने रहने के लिए अनेक कार्य होते हैं। (2) समाज में अनेक मद होते हैं। जो अनेक कार्य करते हैं। (3) समाज के निश्चित कार्य के लिए अनेक मदों के विकल्प होते हैं और एक मद अनेक कार्य सम्पन्न करने वाला होता है। निष्कर्षतः एक कार्य के लिए अनेक वैकल्पिक मद और एक मद के लिए अनेक वैकल्पिक कार्य होते हैं। मर्टन ने निष्कर्ष में कहा है कि प्रकार्यवादियों का अपरिहार्यता का अभ्युपगम या मान्यता अस्पष्ट, अपूर्ण और अवैज्ञानिक है। आपने इस अभ्युपगम को अपूर्णता का सुधार संस्थाओं, धर्मों या सामाजिक एवं सांस्कृतिक मर्दों के प्रकार्यों को निम्न में बगोकृत करके पूर्णता प्रदान की है—(1) प्रकार्य, (2) अकार्य, (3) दुष्कार्य। इन तीनों को आपने आगे उपवर्गीकरण प्रकट और अप्रकट कार्यों के रूप में किया है जिनका विवेचना पूर्व में प्रकार्य की अवधारणा की विशेषताओं के शोर्पक के अन्तर्गत इसी अध्ययन में की गई है तथा मर्टन द्वारा “समाजशास्त्र में प्रकार्यात्मक विश्लेषण के लिए एक रूपावली” के चरण तीन, चार, पाँच और सात में विस्तार से की गई है, जो निम्नलिखित है—

**मर्टन : समाजशास्त्र में प्रकार्यात्मक विश्लेषण के लिए एक रूपावली**  
**(Merton : A Paradigm for Functional Analysis in Sociology)**

मर्टन ने समाजशास्त्र में प्रकार्यात्मक विश्लेषण के लिए एक रूपावली या पेराडिम (Paradigm) दिया है। प्रकार्यात्मक उपायमें जो केन्द्रीय अवधारणाएँ और सम्पत्तिएँ हैं उनको शाम भें रखकर इम रूपावली का निर्माण किया गया है। यह रूपावली प्रकार्यात्मक विश्लेषण की प्रारुद्ध आवश्यकताओं को पूर्ण करती है तथा प्रकार्यात्मक विश्लेषण की अवधारणाओं, कार्य-विधि और निष्कर्षों का प्रतिनिधित्व करती है। आपने इस रूपावली के निम्न 11 मद दिये हैं, जिनकी सहायता से समाजशास्त्र में किसी भी समस्या या अन्येषण का कार्य क्रमबद्ध और व्यवस्थित रूप से सम्पन्न किया जा सकता है—

**मर्टन : समाजशास्त्र में प्रकार्यात्मक विश्लेषण के लिए एक खूप बढ़ती**



(1) वे मद जिन पर प्रकार्य आश्रित हैं (The Items to which Functions are Imputed)—सम्पूर्ण समाजशास्त्रीय सामग्री एवं ऑकडे प्रकार्यात्मक विश्लेषण के योग्य हैं। आपारभूत शर्त ये हैं कि विश्लेषण की वस्तु मान्य मदों का प्रतिनिधित्व करती हो जैसे सामाजिक भूमिका, संस्थागत प्रतिमान, सामाजिक प्रक्रियाएँ, सास्कृतिक संवेगों के प्रतिमान सास्कृतिक प्रतिमान, सामाजिक मानक, समूह संगठन, सामाजिक सरचना, सामाजिक नियंत्रण के उपकरण आदि।

**पौलिक वाद-विषय (Basic Query)**—अगर मद व्यवस्थित प्रकार्यात्मक विश्लेषण के योग्य है तो उसके कौनसे अर्थ अवलोकन के प्रारूप में लिए जाएंगे।

(2) व्यक्तिपरक, प्रवृत्तियों की अवधारणाएँ (प्रेरणा, उद्देश्य) [Concepts of Subjective Dispositions (Motives, Purposes)]—सामान्यतया प्रकार्यात्मक विश्लेषण

एक निश्चित भोग पर सामाजिक व्यवस्था के व्यक्तियों की प्रेरणा आ की अवधारणा आ की मानकर चलता है या त्रिसांखी रहता है। ये विषयपरक प्रवृत्तियाँ अवगत और गलत तरीके से सम्बन्धित लेकिन भिन बस्तुपरक प्रवृत्ति, विश्वास और व्यवहारों की अवधारणा जो के परिणाम में विलोन हो जाती है। इस प्रकार के विलय की विद्यना मर्टन ने जागे के विन्दुओं में को है।

**मौलिक समस्या (Basic Problem)**—किस प्रकार के विज्ञापण में यह सन्तोषजनक रहेगा कि अवलोकित प्रेरणाओं को गामियों के स्वयं में निया जाए और किस मिशन में उन्हें समाप्तात्मक गाना जाए?

(3) यस्तुनिष्ठ परिणामों की अवधारणाएँ (प्रकार्य, दुष्कार्य) | Concepts of Objective Consequences (Functions, Dysfunctions)|—उमने दो प्रकार के प्रचलित भ्रम का देखा है जिसमें “प्रकार्य” की अनु समर्पित अवधारणाएँ विद्यमान हैं—

1 समाजशास्त्रीय मद जिस सामाजिक या सामृतिक व्यवस्था में विद्यमान होते हैं, उनमें भाव अकारात्मक योगदान देते हैं, उनमा ही समाजशास्त्रीय अवलोकन करने की प्रवृत्ति या शुभाव की समितिता का होना, आर

यह प्रवृत्ति जिस सामाजिक या सामृतिक व्यवस्था में विद्यमान होती है, उम्मे सभारात्मक योगदान देते हैं, उनका ही भाव समाजशास्त्रीय अवलोकन करना, और

2 प्रेरणा के व्यक्तिपरक वारों और कारों के बस्तुपरक वारों के मध्य भान्ति की प्रवृत्ति का होना।

इन उपरोक्त भान्तियों को दूर करने के लिए मर्टन ने निम्न अवधारणाओं के हासा अन्तर स्पष्ट किया है।

(i) प्रथम समस्या (First Problem)—प्रथम समस्या में वह—परिणाम और परिणामों के योग के सुनिश्चित फल आते हैं।

**प्रकार्य (Function)**—प्रकार्य वे अवलोकित परिणाम हैं जो दो हुई व्यवस्था में अनुकूलन और व्यवस्थापन को कम करते हैं।

**दुष्कार्य (Dysfunctions)**—दुष्कार्य वे अवलोकित परिणाम हैं जो दो हुई व्यवस्था में अनुकूलन और व्यवस्थापन को कम करते हैं।

**अकार्यात्मक (Non-Functional)**—अकार्यात्मक की भी अनुभाविक सम्भावना हो सकती है जो कि अध्ययन की जा रही व्यवस्था से असम्बन्धित होते हैं।

विसी भी व्यवस्था के उदाहरण में मद के प्रकार्यात्मक और दुष्कार्यात्मक दोनों ही प्रकार के परिणाम देखे जा सकते हैं जो एक कठिन परिस्थिति पैदा कर देते हैं कि उनके अध्ययन और मूल्यांकन के लिए नियम बनाए जाएँ।

(ii) द्वितीय समस्या (Second Problem)—द्वितीय समस्या का उदय का कारण प्रेरणा और कारों के बीच भान्ति का होना है जिसमें लिए आवश्यक है मिहम ऐसी अवधारणाएँ यारों जो व्यक्तिपरक के उद्देश्य का बस्तुपरक परिणाम के मध्यांग को तथा उन स्थितियों को जहाँ उनमें

अपसरण होता है का उचित मूल्यांकन करने में सहायक हो। मर्टन ने निम्न अवधारणाओं के द्वारा इस समस्या का इतन प्रदान किया है।

**प्रकट प्रकार्य (Manifest Functions)**—प्रकट प्रकार्य व वस्तुनिष्ठ परिणाम हैं जो व्यवस्था में भनुकूलन और व्यवस्थामें योगदान देते हैं और वे व्यवस्था के सहभागियों द्वारा चाहे जाते हैं तथा मान्य होते हैं।

**अप्रकट प्रकार्य (Unseen Functions)**—अप्रकट प्रकार्य सहमत्यभी रूप से वे प्रकार्य होते हैं जो न तो इच्छित होते हैं आर न ही मान्य।

**क्रिया के अनचाहे परिणाम (Unintended Consequences of Action)**—क्रिया के अनचाहे परिणाम निम्न तीन प्रकार के होते हैं—

- (1) वे प्रकार्य जो निर्दिष्ट व्यवस्था के लिए प्रकार्यात्मक हैं और वे अप्रकट की श्रेणी के होते हैं
- (2) वे कार्य जो निर्दिष्ट व्यवस्था के लिए दुष्कार्यात्मक होते हैं और वे अप्रकट दुष्कार्य की श्रेणी के होते हैं, तथा
- (3) वे कार्य जो निर्दिष्ट व्यवस्था से सम्बन्धित नहीं होते हैं। न तो वे प्रकार्यात्मक होते हैं और न ही दुष्कार्यात्मक, जैसे सर्दी के मौसम में खात्र चिजली का पर्याप्त।

**मौलिक प्रश्न (Basic Query)**--पूर्व में अप्रकट प्रकार्य के प्रकट प्रकार्य में परिवर्तित होने के क्या प्रभाव हैं?

(4) इकाइ की अवधारणाएँ जिनके लिए प्रकार्य किया जाता है (Concepts of the Unit Sub-served by the Function)—मर्टन ने लिखा है कि मद जहाँ समाज में कुछ लोगों और उपसमूहों के लिए प्रकार्यात्मक हो सकता है वहीं दूसरे के लिए दुष्कार्यात्मक हो सकते हैं, इसलिए यह आवश्यक है कि हम मद को देखें कि वह किस सीमा तक इकाइयों के लिए किस प्रकार के परिणाम देता है। इकाइयों की सीमा में भिन्न-भिन्न परिस्थितियों के व्यक्ति, उपसमूह, विस्तृत सामाजिक व्यवस्था और सास्कृतिक व्यवस्थाएँ होती हैं। इनके अन्तर्गत शब्दावली के अनुसार मनोवैज्ञानिक कार्य, समूह सम्बन्धी कार्य, सामाजिक कार्य, सास्कृतिक कार्य आदि की अवधारणाएँ आती हैं, जिनसे सम्बन्धित मदों के कार्यों का विश्लेषण करना चाहिए।

(5) प्रकार्यात्मक आवश्यकताओं की अवधारणाएँ (आवश्यकताएँ, पूर्व आवश्यक यस्तुएँ) (Concepts of Functional Requirements (Needs, Pre-requisites))—सभी समाजों की मौलिक प्रकार्यात्मक आवश्यकताएँ होती हैं। इन आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए समाज में अनेक इकाइयाँ होती हैं जो आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखती हैं। मौलिकों के अनुसार ये आवश्यकताएँ जैविक और सामाजिक होती हैं। इन आवश्यकताओं को सार्वभौमिक धरान विशिष्ट में वर्गीकृत करके प्रकार्यात्मक विश्लेषण करते हैं तथा आवश्यकताओं की मान्यताओं की प्रमाणिकता का भी अध्ययन किया जाता है।

**मौलिक समस्या (Basic Query)**—परिस्थितियों जिनमें गहन परीक्षण अव्यवहारिक हैं, उनमें विभिन्न मदों या धरों की प्रकार्यात्मक आवश्यकता की प्रमाणिकता को स्थापित करने के लिए क्या अपेक्षित होगा?

(6) उन यांत्रिकियों की अवधारणाएँ जिनके द्वारा प्रकार्य सम्पादित होते हैं (Concepts of the Mechanisms Through which Functions are Fulfilled)—शरीर क्रिया-विज्ञान और मनोविज्ञान को तरह समाजशास्त्र में भी प्रकार्यात्मक विश्लेषण करने के लिए एक ठोस और विस्तृत कार्य-विधि की आवश्यकता पड़ती है, जिनके द्वारा समाज में निहित कार्य सम्पन्न किए जाते हैं। इसमें सामाजिक यांत्रिकियों, जैसे—सामाजिक श्रम का विभाजन, भूमिका-खण्डोंकरण, मूल्यों की विस्तृत व्यवस्था, कर्मज्ञान आदि होती हैं जो समाज की आवश्यकताओं को पूर्ण करती हैं।

**मौलिक समस्या (Basic Query)**—वर्तमान में कौनसी सामाजिक यांत्रिकी की वस्तुसूची (Inventory) उपलब्ध है? कौनसी वैज्ञानिक अध्ययन-विधि की समस्याएँ हैं, जो सामाजिक कार्य-विधि में आती हैं?

(7) प्रकार्यात्मक विकल्पों की अवधारणाएँ (प्रकार्यात्मक समकक्ष या विकल्प) [Concepts of Functional Alternatives (Functional Equivalents or Substitutes)]—जैसा कि हमने देखा है कि एक बार जब हम किसी विशिष्ट सामाजिक संरचना की अनुरागिक, अपरिहार्य प्रकार्यात्मक मान्यता को त्याग देते हैं, तब हमें तुरन्त प्रकार्यात्मक विकल्प समकक्ष की अवधारणा की आवश्यकता पड़ती है। संरचना में कोई एक मद कार्य पूरा करता है तो उस कार्य को पूरा करने के और भी अनेक मद के विकल्प भिन्नता के साथ उपलब्ध होते हैं, जो प्रकार्यात्मक आवश्यकता की पूर्ति कर सकते हैं। इन पर भी ध्यान देना चाहिए। हमें मदों के विभिन्न विकल्पों और समकक्षों को खोज निकालना चाहिए।

**मौलिक समस्या (Basic Query)**—क्योंकि कथित प्रकार्यात्मक विकल्प की वैज्ञानिक जाँच आदर्श रूप में कठोर परीक्षणों के द्वारा करना होता है और क्योंकि ऐसा करना बड़े स्तर की समाजशास्त्रीय परिस्थितियों में अक्सर व्यवहारिक नहीं होता है इसलिए वो कौनसी प्रायोगिक जाँच की विधियाँ हैं जो तार्किकता परीक्षण जैसी होंगी?

(8) संरचनात्मक संदर्भ की अवधारणाएँ (या संरचनात्मक व्याप्ति) (Concepts of Structural Context (or Structural Constraint))—सामाजिक संरचना में जो मद दिये हुए कार्यों को पूर्ण करते हैं, उनका विस्तार और भिन्नता असीमित नहीं होती है। सामाजिक संरचना के तत्वों की अन्योन्याग्रितता प्रकार्यात्मक विकल्पों की सीमा निश्चित करती है।

**मौलिक समस्या (Basic Query)**—किस संकीर्णता से संरचनात्मक संदर्भ मद की विभिन्नता की सीमा को सीमित करता है, जो प्रभावपूर्ण रूप से प्रकार्यात्मक आवश्यकताओं को पूर्ण करता है? क्या हम निश्चित की जाने वाली परिस्थितियों में से निरपेक्ष क्षेत्र को खोज सकते हैं, और क्या अनेक विकल्पों में से कोई भी एक विकल्प प्रकार्यों को पूर्ण कर सकता है?

( 9 ) गतिकी और परिवर्तन की अवधारणाएँ (Concepts of Dynamics and Change) — मर्टन ने लिखा है, “हमने यह देखा है कि प्रकार्यात्मक विश्लेषकों का केन्द्रीय सुन्दर सामाजिक सरचना की स्थैतिकी पर होता है और वो सरचनात्मक परिवर्तन के अध्ययन को उपेक्षा करते हैं।” यद्यपि स्थैतिकी पर जोर देना प्रकार्यात्मक विश्लेषण के सिद्धान्त में अन्तर्निहित नहीं है। इसका प्रादुर्भाव प्रारम्भिक प्रकार्यात्मक मानवशास्त्रियों के अध्ययन से हुआ है। प्रारम्भ के मानवशास्त्री-प्रकार्यवादियों ने निरक्षर समाजों का अनुमान पर आधारित इतिहास लिखने वालों का योर विरोध किया। अनुमान पर आधारित इतिहास में अनेक कमियाँ थीं, जिसके प्रति विरोध प्रारम्भ में तो लाभकारी रहा लेकिन बाद में यह विरोध चलता रहा जो कुछ प्रकार्यात्मक समाजशास्त्रियों के कार्यों में हानिकारक रूप में घना रहा। कोहन ने लिखा है—कि लोगों में यह भ्रान्ति है कि रेडविलफ-ब्राउन और मैलिनोव्स्की कटु प्रकार्यवादी गत्यात्मक या ऐतिहासिक अध्ययन के विरोधी हैं। ये दोनों मानवशास्त्री ऐतिहासिक गत्यात्मक परिवर्तन के अध्ययन के विरोधी नहीं हैं, इनका विरोध तो मात्र निरक्षर समाजों—(आदिम समाजों, आखेटक समाजों, जनजातियों) के सम्बन्ध में जो विकासवादियों ने अप्रमाणित तथ्यों के आधार पर अवैज्ञानिक इतिहास लिखा था, उसके विरोधी थे।

/ / 8369

मर्टन ने स्पष्ट किया है कि प्रकार्यवाद सामाजिक परिवर्तन का अध्ययन करने में सक्षम है। आपने लिखा कि दुष्कार्य की अवधारणा में तनाव, खिचाव, दबाव, असन्तोष, क्षुब्धता, मजबूरी, ये वसी आदि सरचनात्मक स्तर पर अन्तर्निहित हैं जिनकी सहायता से परिवर्तन और गतिकी का अध्ययन किया जा सकता है। एक प्रकार से दुष्कार्य परिवर्तन के अध्ययन के लिए विश्लेषणात्मक उपाय प्रदान करता है। अवलोकित किये गए दुष्कार्य विशिष्ट सरचना की असनुलन को स्थिति को स्पष्ट करते हैं। अवलोकित किए गए विभिन्न तनाव, दबाव और खिचाव सरचना में परिवर्तन के लिए वाधता उत्पन्न करते हैं, जो तनाव और खिचाव को कम करने के लिए दिशा प्रदान करते हैं। निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि दुष्कार्य के अध्ययन के द्वारा प्रकार्यात्मक उपाय सामाजिक परिवर्तन का आध्ययन करने में सक्षम है।

**मौलिक तर्क-विषय (Basic Query)** — क्या प्रकार्यात्मक विश्लेषकों का सामाजिक सनुलन की अवधारणा से सम्बन्ध जो होता है वह सामाजिक असनुलन की ओर ध्यान आकर्षित करता है? कौनसी उपलब्ध पद्धति सामाजिक व्यवस्था के तनाव और दबावों के सनुलन को नापने के लिए सन्तोषजनक है? किस सीमा तक सरचनात्मक सदर्भ का ज्ञान समाजशास्त्री को सामाजिक परिवर्तन की सम्भावित दिशा का अनुमान लगाने में सहायक है?

( 10 ) प्रकार्यात्मक विश्लेषण के प्रमाणीकरण की समस्याएँ (Problems of Validation of Functional Analysis) — मर्टन ने निरन्तर रूपावली में बार बार इस ओर ध्यान आकर्षित किया है कि किस प्रकार से रूपावली की मान्यताएँ तत्व और अवलोकन प्रमाणित हो। आपने लिखा है कि समाजशास्त्री विश्लेषण की पद्धति में परीक्षण के तर्कों जैसों अनुशासित व्यवस्था होनी चाहिए। इसमें तुलनात्मक (अतःसाकृतिक और अतःसमूह) विश्लेषण की सम्भावनाओं और सीमाओं की व्यवस्थित समीक्षा को आवश्यकता पड़ती है।

**मौलिक विद्यार्थीयविषय (Basic Query) —** किस सोमा तक मनोविज्ञानक मार्गांशुर अवधारणा के निर्णयन की पहचान की समस्या प्रकार्यालयक विश्लेषण की सोमा निश्चिन करना है? जिसके द्वारा तुलनात्मक अध्ययन (अद्वं पर्याप्ति) किया जा सकता है?

( 1 ) प्रकार्यालयक विश्लेषण के वैचारिक निहिताओं की समस्याएँ (Problems of the Ideological Implications of Functional Analysis) — पृष्ठ में यह यह वार मध्य किया गया है कि प्रकार्यालयक विश्लेषण का किसी भी वैचारिक गणितात्मक मध्यात्मक नहीं है। नईन उम नक्ष में भी इनका नहीं किया जा सकता है कि विशिष्ट प्रकार्यालयक विश्लेषण की विशिष्ट प्राकृतिकता जो प्रकार्यवादी निर्मित करते हैं उनमें वैचारिक भूमिका नहीं होती है। उम प्रकार में यह समाजशास्त्र के ज्ञान में एक विशिष्ट समस्या यह ज्ञानी है। किस सोमा तक समाजशास्त्रीय प्रकार्यवादी की सामाजिक स्थिति गहन कि दृगों का समस्या के निश्चान, उमसी मानवता और और अवधारणा जो एवं उमकी सामग्री में से निश्चाने एवं निष्कर्षों के विस्तार की सोमा की प्राप्त्यादित करते हैं?

**मौलिक विद्यार्थीय विषय (Basic Query) —** कोड भी किस प्रकार में प्रकार्यालयक विश्लेषण में वैचारिक प्रभाव को ज्ञान करना एवं किस मात्रा तक कोड विशिष्ट विचाराधारा समाजशास्त्रीय के द्वारा अपनाये गये आधारभूत मानवताओं से प्राप्तुद्दित होते हैं? कसा उम मानवताओं के ग्राहक समाजशास्त्री की प्राप्तिनि और जांध वी भूमिका में मध्यविधि है?

### स्वाधीनी के प्रयोजन

#### (Purposes of the Paradigm)

मर्टन ने स्वाधीनी के निष्पत्तिगत तान महत्वपूर्ण प्रयोजनों का वर्णन किया है।

#### मर्टन : स्वाधीनी के प्रयोजन

(1)

सोडीटीकृत पथ-प्रदानिका प्रदान करना

(2)

प्रकार्यालयक विश्लेषण में निर्दित अभ्युपागमों एवं मानवताओं तक जांध प्राप्तदर्शन करना

(3)

समाजशास्त्री को मंदेनशोल बनाना

( 1 ) मंकेताकृत पथ-प्रदानिका प्रदान करना (To Supply Codified Guide) — स्वाधीनी का प्रथम और मर्तीपरि प्रयोजन उपर्योगी एवं पूर्ण प्रकार्यालयक विश्लेषणों के लिए कामबद्धाऊ भेकेताकृत (कोडीकृत) पथ-प्रदानिका प्रदान करना है। उम प्रयोजन में तान्त्रिक है कि स्वाधीनी में नूतनम अवधारणाओं के गेट होंगे जिसके द्वारा समाजशास्त्री की

विद्यमान विश्लेषणों के आलोचनात्मक अध्ययन के लिए भी पथ प्रदर्शका के रूप में प्रयुक्त कर सकता है। इस रूपावली का प्रकार्यात्मक विश्लेषण के लिए अनुसन्धान को शोधना तथा पूर्व के अनुसन्धानों के विशिष्ट योगदान एवं क्रमिया को ज्ञात करने के लिए भी इसे एक पथ प्रदर्शका के रूप में प्रयुक्त कर सकते हैं। मर्टन ने यह भी लिखा है कि सीमा को सीमितता को स्थिति में इस रूपावली के समित खण्डों का उपयोग करके चुने हुए विषयों का भी अध्ययन कर सकते हैं।

(2) प्रकार्यात्मक विश्लेषण में निहित अभ्युपगमों एवं मान्यताओं तक संबंध मार्गदर्शन करना (To Lead Directly to the Postulates and Assumptions Underlying Functional Analysis) — मर्टन ने लिखा है कि रूपावली का दूसरा प्रयोजन प्रकार्यात्मक विश्लेषण में निहित मान्यताओं और अभ्युपगमों का स्पष्ट करना है एवं उनकी ज्ञात करने के लिए पथ-प्रदर्शन करना है। आपने आगे लिखा जैसा कि हमने इस अध्याय के प्रारंभ में पाया था कि कुछ मान्यताएँ केन्द्रीय महत्व की हैं अन्य अहमत्वपूर्ण उपेक्षणीय एवं परिदृष्टि हैं तथा कुछ अन्य अविश्वसनीय तथा गुप्तार करने थाले हैं।

(3) समाजशास्त्री को सबैदनशील बनाना (To Sanctify the Sociologist) — मर्टन के अनुसार रूपावली का तीसरा प्रयोजन समाजशास्त्री को अनेक प्रकार के प्रकार्यात्मक विश्लेषणों के सकीर्ण वैज्ञानिक निहितार्थों के प्रति सबैदनशील बनाना है। इसके अनिवार्य यह रूपावली उनके राजनीतिक और कभी कभी वैचारिक निहितार्थों के प्रति भी सबैदनशील बनाता है। आपके अनुसार यह रूपावली सामाजिक अभियांत्रिकी से सम्बन्धित भी है।

निष्कर्ष में आपने लिखा है कि रूपावली में निहित समस्याओं को विस्तार से विवेचन करना यहाँ सम्भव नहीं है। इसके लिए तो एक सम्पूर्ण खण्ड चाहिए। यहाँ पर हम रूपावली के प्रथम भाग से ही सम्बन्धित हैं कि रूपावली का उपयोग समाजशास्त्र में यहुत ही समित सद्या में विषयों का प्रकार्यात्मक विश्लेषण में उपयोग कर सकते हैं एवं समय समय पर इन कुछ विषयों का प्रयोग विशिष्ट समस्याओं (अपूर्ण रूप से वर्णित) के विवेचन में आपार रूप में प्रयुक्त किये जा सकें।

### मर्टन के प्रकार्यात्मक विश्लेषण एवं रूपावली की आलोचना (Criticism of Functional Analysis and Paradigm)

सोरोकिन एवं किंग्स्टे डेविस एवं अन्य वैज्ञानिकों ने मर्टन के प्रकार्यात्मक विश्लेषण से सम्बन्धित विचारों एवं रूपावली का आलोचनात्मक मूल्यांकन किया है, जो निनलियिन है—

(1) किंग्स्टे डेविस ने 1959 में कहा कि तीस वर्षों से अधिक समय से प्रकार्यात्मक विश्लेषण पर वाद-विवाद समाजशास्त्रियों और सामाजिक मानवशास्त्रियों के बीच होता रहा है। अब समय आ गया है कि इस वाद-विवाद “प्रकार्यात्मक विश्लेषण समाजशास्त्र में एक

विशिष्ट उपागम है अथवा यह समाजशास्त्रीय परिवेश का पर्यायवाची है।" पर कोई मपश्नौता कर लिया जाए अथवा इम विवाद को करना बन्द बर दिया जाये। किंग्स्ले डेविस ने कहा कि मर्टन ने प्रकार्यात्मक विश्लेषण की रूपावली में "प्रकार्य, अकार्य, दुष्कार्य, प्रकट कार्य और अप्रकट कार्य के आधार पर अध्ययन करने का भुजाव दिया है जो उन्नित है जिसे डेविस ने प्रकार्यात्मक विश्लेषण का चौथे अभ्युपागम के रूप में मान्यता प्रदान करने का मुजाव दिया है और लिखा कि समाजशास्त्र में प्रकार्यात्मक विश्लेषण को एक विशिष्ट उपागम न माना जाये, वयोंकि यह उपागम समाजशास्त्रीय उपागम का पर्याय है। अतः डेविप के अनुसार मर्टन हारा प्रकार्यात्मक विश्लेषण के सम्बन्ध में निकाले गये सभी निष्कर्ष, मर्शोधन, मुजाव, रूपावली का निर्माण आदि का प्रकार्यात्मक विश्लेषण के उपागम के रूप में विशिष्ट अस्तित्व नहीं है।

(2) सोरोकिन ने भी किंग्स्ले डेविस को उद्दरित करते हुए लिखा है कि प्रकार्यात्मक विश्लेषण असत्य भान्यताओं पर आधारित है। इसलिए इम उपागम को त्याग देना चाहिए। प्रकार्यात्मक विश्लेषण विशिष्ट विधि या मिट्टान नहीं है जिसे समाजशास्त्र और सामाजिक मानवशास्त्र में विद्यमान अन्य विधियों और सिद्धान्तों से भिन्न किया जा सके।

(3) सोरोकिन के अनुसार मर्टन हारा वर्णित प्रकार्यवाद की विशिष्ट विशेषताएँ, अभ्युपागम, मान्यताएँ और तथ्य कुछ भी प्रकार्यवाद से सम्बन्धित नहीं हैं। जो भी कुछ इसकी नवीन लक्षण हैं वो इसका अवस्थित, केन्द्रित, सावधानी एवं एक शताव्दी पूर्व के सामाजिक विचारों का ही नवीन नाम एवं पुनर्निर्णय है, के रूप में प्रस्तुतिकरण है। सोरोकिन ने लिखा है कि मर्टन के प्रकार्यवाद का सिद्धान्त का सबसे मशक्त विन्दु बर्तमान के रामाजनास्त्रियों और सामाजिक मानवशास्त्रियों के प्रमुख प्रकार्यात्मक विचारों का आत्मचनात्मक योग्यता है। इनकी सभी आलोचनाएँ सारगर्भित हैं। सोरोकिन के अनुसार मर्टन की प्रकार्यवाद को अवधारणा का प्रमुख दोष कुछ अवश्यक लक्षणों का विरोधी होना है तथा स्वयं के द्वारा निश्चित, वैज्ञानिक प्रकार्यात्मक सिद्धान्त के नियमों का बार-बार उल्लंघन करना है। स्वयं के प्रकार्यवाद का स्वप्रयोग एवं अकिप्त प्रकार्यवाद के लक्षणों का मूल्यांकन करना; रूपावली और संकेतोकरण का शंकायुक्त अन्वेषणात्मक प्रकृति का होना तथा यिसी-पिटी पुरानी थोथी बातों को वैज्ञानिक प्रस्ताविकी के रूप में प्रस्तुत करना है।

(4) मर्टन के प्रकार्यवाद को उभयवादिता (विरोधी मूल्यों एवं गुणों) के दर्शन या उपस्थिति आपके हारा प्रकार्यात्मक सिद्धान्त के सम्बन्ध में दिये गये विरोधी कथनों में देख सकते हैं। ऐसे एक और तो ये तिष्ठते हैं कि, "प्रकार्यात्मक विश्लेषण न तो नवीन है और न ही रामाजिक विज्ञानों तक सीमित है" और दूसरी ओर लिखते हैं कि आज वैज्ञानिक समाजशास्त्र में यह एक उच्च प्रकार का नवीन उपागम है जिसके सम्बन्ध में कौट और संस्कर ने जो कुछ थोड़ा-बहुत लिया वह तकेसंगत है।

मर्टन के इस उपरोक्त कथन पर सोरोकिन ने टिप्पणी करते हुए लिखा कि अगर प्रकार्यवाद न तो नवीन है और न ही सामाजिक विज्ञान तक सीमित है तब हम यह प्रश्न पूछ सकते हैं

कि इस अ नवीन सिद्धान्त को नवीन नाम "प्रकार्यवाद" दिया गया है तथा इसे समाजशास्त्र में एक नवीन उपागम के रूप में क्या देखा जाता है। अगर समाजशास्त्रीय विचारधारा प यह एक नवीन धारा है तब मर्टन इसे क्यों पुरातन सिद्धान्त कहते हैं। इस प्रकार के विरोधी कथन, विचार, निष्कर्ष आदि मर्टन के प्रकार्यवाद के अन्य लक्षणों और विन्दुओं में भी मिलते हैं।

(5) सोरोकिन ने मर्टन के प्रकार्यवाद की एक कमी यह चताई कि ये इस अवधारणा को और इसके व्युत्पन्न शब्दों को अनेक भिन्न अर्थ प्रदान करते हैं जिनमें वे अर्थ भी हैं जिनकी मर्टन ने प्रकार्यवाद के अन्य अवधारणाओं को स्थिति में आलोचना की है। मर्टन के प्रकार्यवाद में यह कठिनाई है कि आपने इसे और इससे व्युत्पन्न शब्दों को अनेक अर्थों में उपयोग किया है। आपकी लिखित सामग्री में प्रकार्यात्मक अवधारणा पर्यायपद या पुनरुत्थान के रूप में बार-बार सामने आती है। कहीं पर आपने इसे दो हुई व्यवस्था का अवशेष बताया है तो कहीं आपने यह माना है कि यह स्पष्ट रूप से उपयोगी है तो कहीं इसे अनुपयोगी बताया है जो आपकी सामग्री में प्रकार्यात्मक और दुष्कार्यात्मक के रूप में देखा जा सकता है। इस प्रकार से मर्टन ने प्रकार्यात्मक अवधारणा को अस्पष्ट और अनिर्णायिक ही नहीं बता दिया, बल्कि स्वयं द्वारा प्रकार्यात्मक व्याख्याओं के प्रकारों की आलोचनाओं में विरोधाभास पैदा कर दिया है।

(6) स्वयं के द्वारा प्रकार्यात्मक सिद्धान्तों में विपर्यक्त मूल्यांकन के विरुद्ध दो गई चेतना के भावजूद स्वयं ने प्रकार्य और दुष्कार्य की अवधारणाएँ देकर स्वयं की प्रकार्यवाद की व्यवस्था व्यक्तिपरक मूल्यांकन, स्वेच्छात्मक आदर्शवादिता एवं फलमापेश बना दी है। मर्टन ने लिखा है, "प्रकार्य वे अवलोकित परिणाम हैं जो दो हुई व्यवस्था में अनुकूलन और व्यवस्थान करते हैं, एवं दुष्कार्य वे अवलोकित परिणाम हैं, जो दो हुई व्यवस्था में अनुकूलन और व्यवस्थान को कम करते हैं।" ये परिभाषाएँ मूल्यांकनात्मक, वस्तुपरक और अनेकार्थक हैं। मर्टन द्वारा प्रकार्यवाद की अवधारणा का व्यक्तिपरक मूल्यांकनात्मक लक्षण इसे पुनर्वित्तपूर्ण बना देता है।

(7) सोरोकिन ने लिखा है कि मर्टन भावुक हो गए और उन्होंने प्रकार्यात्मक विश्लेषण के संकेतीकरण के लिए रूपावली का निर्माण किया तथा इसे आपने प्रकार्यात्मक उपागम का आधार बताया। मध्यमवृत्तीय सिद्धान्त भी कहा, लेकिन अगर आपकी रूपावली के यहले चरण को देखे जिसमें लिखा है, "वे मद जिन पर प्रकार्य आश्रित हैं : सम्पूर्ण समाजशास्त्रीय सामग्री एवं आँकड़े प्रकार्यात्मक विश्लेषण के योग्य हैं। आधारभूत शर्त ये हैं कि विश्लेषण की वस्तु मान्य मटो का प्रतिनिधित्व करती है, जैसे—सामाजिक भूमिका, सम्योगत प्रतिमान, सामाजिक प्रक्रियाएँ, सांस्कृतिक संवेदों के प्रतिमान, सांस्कृतिक प्रतिमान, सामाजिक मानक, समूह, सगरुन, सामाजिक सरचना, सामाजिक नियंत्रण के उपकरण आदि।"

सोरोकिन ने लिखा है कि इस प्रकार की रूपावली की प्रथम आवश्यकता की पूर्ति मात्र वही समाजशास्त्री पूर्ण कर सकता है जो विश्व कोष का पण्डित या शास्त्रज्ञ हो, इसके अतिरिक्त निपुण मनोवैज्ञानिक, सांस्कृतिकवेदा, इतिहासकार, विधिशास्त्री, राजनीतिक वैज्ञानिक और वैज्ञानिक अध्ययन पढ़तिवेदा होना चाहिए। केवल सभी विज्ञानों का सर्वेन्द्र प्रकाण्ड विद्वान

(शास्त्रज्ञ) ही सफलतापूर्वक ऐसी रूपावली की सभी अवधारणाओं को पूर्ण कर सकता है। इसका अर्थ पूर्ण रूप में यह हुआ कि मर्टन की रूपावली सामाज्य और विशिष्ट समाजशास्त्र की सार मग्रह की विषय वस्तु की मृच्छी है। इस प्रकार से यह प्लेटो या अरस्ट, गंत थॉमस एक्वीनाम या कोखाम येरून या लॉक, बान्त या हीगल, डेमकोर्टिस या लेवनिम, बांट या स्पेगलर, माकर्म या दुर्युम के महत्त्वपूर्ण वेज़निक अध्ययन पद्धतियों में कोई समानता नहीं रहता है। मर्टन की रूपावली न तो कोई समाजशास्त्रीय विश्लेषण की विशिष्ट पद्धति प्रदान करती है और न ही यह समाजशास्त्र की महत्त्वपूर्ण भौम्याओं के विश्लेषण के महत्त्वपूर्ण परिणामों का ग्रन्तुत करती है। मार रूप में ये ही मर्टन के प्रकार्यवाद एवं रूपावली को प्रमुख सौमारे एवं कमियों हैं।



## अध्याय-12

### संघर्ष : मार्क्स (Conflict . Marx)

संघर्ष सिद्धान्त की मान्यता है कि सामाजिक जीवा या प्रमुख आधार असांगति व ये विभिन्न आयाम हैं जो कि विभिन्न सभूहों के बीच परिचोगों, जैसे— सम्पत्ति राता, शक्ति और प्रतिष्ठा तथा उत्पादन के साधन और उत्पादन की शक्तियों को खाने की प्रतिरक्षणीयता के फलस्वरूप प्रकट होते हैं । संघर्ष सिद्धान्त के प्रवर्तकों एवं अनुयायियों की मान्यता है कि समाज स्वार्थों के संघर्ष से आकृष्ट होता है । काली मार्क्स ने अपने लोगों और पाण्डुलिपियों आदि में तो यहीं तक लिखा है कि, “आज तक अस्तित्व में जो समाज है, उनका इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है । ” वर्ग संघर्ष और संघर्ष सिद्धान्त उत्तना ही प्राचीन है जितना कि उद्विकासीय और सरचनात्मक प्रकार्यात्मक सिद्धान्त हैं । समाजशास्त्र में संघर्ष सिद्धान्त का इतिहास काली मार्क्स की वृत्तियों से देखा जा सकता है ।

समाजशास्त्रीय संघर्ष सिद्धान्त में पुरस्कार के असामाजिक वितरण पर विशेष जोर दिया जाता है । इस सिद्धान्त के प्रवर्तक मार्क्स भी हैं । संघर्ष के अनेक कारण हैं । इसी सन्दर्भ में एम् प्रान्सिस अब्राहम ने लिखा है, “समाजशास्त्र में कोई एक संघर्ष सिद्धान्त नहीं है बल्कि अनेक सार्व सिद्धान्त हैं जो सामाजिक घटनाओं के विशिष्ट पक्षों वा विश्लेषण करते हैं ।” समाज की प्रमुख प्रक्रियाएँ विभिन्न प्रकार के उन साधों के द्वारा प्रकट होती हैं जिनके अन्तर्गत वे सभी व्यक्ति आते हैं जो अभावप्रस्त हैं, तथा जीवन में ये सुविधाएँ प्राप्त करना चाहते हैं जो दूसरों के पास हैं । जिनके पास सुविधाएँ हैं, वे और अधिक सुविधाएँ प्राप्त करना चाहते हैं तथा सुविधाएँ लोगों वो अधिक सुविधाएँ प्राप्त करने में वाधक बनते हैं ।

संघर्ष सम्प्रदाय के प्रवर्तकों, अनुयायियों एवं समर्थकों के अनुसार, समाज के अभ्यास के उपाय, अध्ययन की पद्धतियों, चरों का चयन, तथा सकला, विश्लेषण एवं सिद्धान्तों का निर्माण संघर्ष की प्रक्रिया को केन्द्र बनाकर किया जाता चाहिए ।

इस अध्याय में संघर्ष सिद्धान्त की परिभाषा, उत्पत्ति और विभाग, संघर्ष के प्रभाव, संघर्ष के प्रमुख अभ्युपाय, संघर्ष सिद्धान्त के प्रमुख सिद्धान्तवेत्ताओं, इसकी विभिन्नताओं, महत्त्व और सीमाओं की सविस्तार विवेचना की जाएगी जो निम्नलिखित हैं—

## संघर्ष सिद्धान्त की परिभाषा एवं अर्थ (Definition and Meaning Conflict Theory)

थियोडोरसन एवं थियोडोरसन ने संघर्ष सिद्धान्त की परिभाषा एवं व्याख्या निम्न रूप में की है, "समाज के अनेक सिद्धान्तों में से कोई भी सिद्धान्त जो सामाजिक घटनाओं का भूत, वर्तमान और भवित्व संघर्ष के परिणाम के रूप में देखता है संघर्ष सिद्धान्त कहलाता है। सामाजिक प्रक्रिया को मौलिक रूप से सामाजिक समूह के सहयोग के रूप में नहीं देखता है बल्कि मानव की आक्रामकता की दृष्टि से देखता है। संघर्ष पर इस रूप में जोर दिया जाता है कि यह एक सामाजिक जीवन का निर्माणक अथवा अवश्यभावी तथ्य है न कि एक संहारक एवं टाले जाने वाला विचलन है। सम्पूर्ण इतिहास में अनेक संघर्ष मिद्दान्त हैं, जैसे—हिंस्किल्ट्स, पोलिवियस, थॉमस, हॉव्य, डेविड हुग, जॉर्ज हीगल, कार्ल मार्क्स सामाजिक डार्किनवादी आदि-आदि।

रॉल्फ डेहरेन्टोफ़ संघर्ष मॉडल को ऐसा मानते हैं जिसमें परिवर्तन संघर्ष और दबाव के सन्तुलन पर जोर दिया जाता है न कि हाल ही में समाजशास्त्र में सन्तुलन अथवा यूटोपिया मॉडल पर देते हैं। जिसमें समाजों के विश्लेषण में स्थिरता, समरसता और चेतना पर यत्न दिया जाता है।

व्यक्तियों या समूहों के बीच एक ही लक्ष्य के लिए सोभे और सनेत ढूँढ़, विरोध, टकराव आदि को संघर्ष कहते हैं। लक्ष्य की प्राप्ति के लिए विरोधी की हार आवश्यक मानी जाती है। संघर्ष में (प्रतिस्पर्धा के विपरीत) विरोधी मुख्य रूप से एक-दूसरे के प्रति उम्मुख होते हैं न कि लक्ष्य की प्राप्ति के लिए। सत्य तो यह है कि ईर्ष्या की भावना के प्रबल होने के कारण अक्षर लक्ष्य की प्राप्ति विरोधी को हराने की गुतना में गौण हो जाती है। इसके अतिरिक्त संघर्ष एक सविराम (रुक-रुककर) प्रक्रिया है न कि अविराम (निरन्तर) प्रक्रिया है।

**निष्कर्षतः:** यह कहा जा सकता है कि समाजशास्त्रीय संघर्ष सिद्धान्त यह है, जो सामाजिक घटनाओं का सामान्यीकरण संघर्ष के दृष्टिकोण के आधार पर करता है। वह सिद्धान्त को सामाजिक घटनाओं के पारस्परिक कारण-प्रभाव सम्बन्धों की व्याख्या ऐसे चरों के आधार पर करता है, जिसको प्रकृति संघर्ष, शोषण, पारितोंको पाने को प्रतिस्पर्धा आदि से सम्बन्धित होती है।

## संघर्ष-सिद्धान्त की उत्पत्ति और विकास

### (Origin and Development of Conflict Theory)

किनलॉच ने संघर्ष-सिद्धान्त का ऐतिहासिक परिचय देते हुए लिखा है, "जिन संघर्ष सिद्धान्तवेत्ताओं से हम सम्बन्धित हैं, उनका एक बड़ा कार्यकाल (1818-1944) रहा है, जिसमें ऐसे विचारक हुए हैं, जो एकल्पना से बहुत दूर हैं। फिर भी इन सिद्धान्तवेत्ताओं में कुछ निश्चित समानताएँ हैं: इनको सामाजिक डार्किनति निम्न रही है न कि मध्यम या उच्च वर्ग को। इनको साम्नीय, दार्शनिक, इतिहास, कानून और अर्थशास्त्र जैसे विषयों में प्रबोध प्रकार की शिक्षा प्राप्त हुई; ये लोग राजनीति और सक्रियतावाद में क्रियाशील थे। इन लोगों ने अपने समाजों में राजनीति, दमन, संघर्ष और धुखीकरण का अनुकरण किया; और इनका सामाजिकरण प्रकृतिवाद के प्रबुद्ध विचारों, आदर्शवाद, उद्विकास, विवेक, अर्थक्रियावाद (व्यवहारिकतावाद) और समाजवाद में हुआ।

हॉन मार्टिन डेल ने सारे रूप में संघर्ष सिद्धान्त के आधार तथा इसके विकास को निम्न रूप में प्रस्तुत किया है—

“एक बार जब संघर्ष को समाज के केन्द्रीय तत्त्व के रूप में स्वीकार कर लिया गया, उसके बाद एक समृद्ध औंडिक परम्परा इसकी व्याख्या के लिए प्रारम्भ हुई। प्रत्येक समाज के अपने संघर्ष होते हैं, प्रत्येक समाज के लोगों का इसमें सम्मत होता है। शास्त्रीय प्राचीन ग्रोक में हीरोकिनट्स से लेकर सूफियों तक, अनेक विचारकों ने संघर्ष को एक प्रार्थापिक तथ्य माना। पुरातन संघर्ष का सर्वोत्तम विकास पोलीवियस ने किया, जिसने राजनीतिक संस्थाओं के विकास में संघर्ष को एक आधार भूत तत्त्व माना।) सत्यता यह है कि इन्होंने राज्य को एक प्रिया सत्ता की व्यवस्था के रूप में देखा। मध्यकालीन अरब जगत में इन्वाखालहून ने समाज के लिए एक संघर्ष सिद्धान्त विकसित किया जो इस मान्यता पर आधारित है कि स्वानायदीश एवं खेतिहार के मध्य संघर्ष सभ्यताओं के विकास का आधार था।

हालाँकि इन खालहून के विचारों ने पश्चिमी विचारों को उन्नीसवें शताब्दी तक प्रभावित नहीं किया था। पोलिवियस के विचारों से सीधे ही निकोलो पैकियावैली प्रभावित हुआ जिसने राज्य की उत्पत्ति तथा इसकी महत्वपूर्ण संस्थाओं को एक ही परिणामस्वरूप पाया। इन विचारों को जोन बोडिन ने विकसित किया और उसने प्रभुसत्ता के आधुनिक सिद्धान्तों को प्रतिपादित किया। इनका प्रभाव थोंमस, हॉम्स पर भी पड़ा। जिन्होंने इनको भौतिकवादी विवेकवाद में विकसित किया।

डेविड ह्याम और एडम फार्यूसन ने आधुनिक संघर्ष सिद्धान्त को विवेकवाद के सदर्भ में अलग किया और इसे अनुभाविक विश्लेषण में विकसित किया। ह्याम ने संघर्ष को आनुभाविक तथ्य मानकर राजनीतिक दल के समकालीन सिद्धान्त की आधारशिला रखी। फार्यूसन ने इन विचारों को राजनीतिक सत्ताओं और सरकार के सामान्य तथ्यों के रूप में परिवर्तित किया एवं इनको संघर्ष के द्वारा उत्पन्न होना बताया। इसी के समानान्तर अनेक सिद्धान्त प्राप्ति में टर्गेट के विचारों में प्रकट हुए।

आधुनिक संघर्ष सिद्धान्त से लिया गया सार्वभौमिक प्रतिस्पर्धा का विचार शास्त्रीय अर्थशास्त्र का केन्द्रीय विषय बन गया है। बाद में थोंमस, मार्ट्स के द्वारा प्रतिस्पर्धा आर्थिक व्यवहार के केन्द्रीय नियम से अस्तित्व के लिए सामान्य प्रतिस्पर्धा में विकसित कर दिया गया। यह इनके जनसंघ के सिद्धान्त का आधार बन गया। अब संघर्ष सिद्धान्त जीव विज्ञान में प्रवेश करने के लिए पूर्ण रूप से विकसित हो गया जहाँ डार्विन के कार्यों में यह जीव विज्ञान में पुनर्निर्माण का आधार बन गया।

सामाजिक संघर्ष का सिद्धान्त पश्चिम में बहुत समृद्ध रहा। एक समय तो यह सामाजिक घटनाओं के बहुत ही विशिष्ट व्याख्या करने लगा और बाद में यह मानवीय गतिविधियों का सामान्य परीक्षण करने वाला बन गया। इस नवीन सम्प्रदाय के सिद्धान्त को अनुभवी और अन्तर्दृष्टि का खुजाना उपलब्ध हुआ।

शास्त्रीय माहित्य में संघर्ष मिदान्त की निम्न दो परम्पराएँ मिलती हैं—

(1) राजनीतिक दर्शन में शक्ति-सम्बन्ध परम्परा। मैकियावली, चॉर्डन, हॉव्म और मोस्को ने राज्य व्यवस्था में संघर्ष का विश्लेषण शक्ति सम्बन्धों के आधार पर किया है एवं राज्य को विश्लेषण की केन्द्रीय वस्तु भाना है।

(2) शास्त्रीय अर्थशास्त्र में प्रतिम्पर्धां के मध्यर्थ की परम्परा—एडम स्मिथ, रॉबर्ट माल्ट्यस एवं डनका अनुकरण करने वाली अर्थशास्त्रियों की पादियों की आर्थिक प्रतिम्पर्धा अन्वेषण का केन्द्रीय विषय था।

समाजशास्त्रीय मंधर्ष मिदान्त मुख्य स्पष्ट में डन उपरोक्त दो परम्पराओं का समन्वय है, जिसमें समाज में पारितों का अभाव वितरण मुख्य केन्द्रीय विषय है। कार्ल मार्क्स इसके अग्रणी निषाणेक हैं। सौ. राइट मिल्य, रॉन्फ. ड्वारेन्डॉफ़िक, इर्विंग लुडम होरोविच, लेविम कोजार, इवर्ट मारक्यूम, रेण्डल कॉलिन्स, एन्ड्रे गुन्टर फ्रेंक गमकालीन समाजशास्त्र के प्रवृद्ध संघर्ष मिदान्तवत्ताओं में से हैं।

सामान्य दोलचाल में संघर्ष मिदान्त समाज की दो या अधिक इकाइयों के बीच अन्तसंघर्षों तक मुनिश्चित एवं मीमित होते हैं। प्रजातीय तनाव, वर्ग युद्ध, धार्मिक संघर्ष, हड्डाल, प्रतिरोध, द्याव शक्ति, आन्दोलन, क्रान्ति, किसान सुधार और इसी तरह के अक्षर भंधर्ष विश्लेषण के विषय हैं। अग्राहम के अनुसार कार्ल मार्क्स और राल्फ ड्वारेन्डॉफ़ वृहदस्तरों संघर्ष मिदान्तों का प्रतिनिधित्व करते हैं तथा सौ. राइट मिल्य का संभान्त शक्ति का मिदान्त भी एक सामान्य सिदान्त है लेकिन इसका संदर्भ का ट्रूटिकोण अमेरिका के समाज तक ही सीमित है। निःसन्देह मार्क्स संघर्ष समाजशास्त्र का प्रमुख मिदान्तवत्ता है। इनके अनुमार विभिन्न सामाजिक वर्गों का अस्तित्व निरन्तर अवश्यं भावी संघर्ष का स्रोत है एवं सामाजिक संरचना में परिवर्तन उत्पत्ति के कारण होता है जो वर्ग संघर्ष को प्रभावित करता है। वेवर, भिमेल, मोस्का और मिचेल संघर्ष परम्परा के अन्य महत्वपूर्ण अग्रज हैं। वेवर के राजनीतिक लेखन विशेष स्पष्ट में शक्ति, सत्ता और सामाजिक परिवर्तन पर दिये गए जोर ने समाज के संघर्ष सिदान्त में विशेष योगदान दिया है। भोग्का का संघर्ष मिदान्त राज्य-व्यवस्थाएं शक्ति संघर्ष पर केन्द्रित रहा है। ये तर्फ़ देते हैं कि सभी समाजों में शासक वर्ग होता है जो राजनीतिक सत्ता पर निम्न वर्ग के आधार पर निरन्तर एकाधिकार रखने का प्रयास करता है।


### समाज में संघर्षों के प्रकार

(Types of Conflict in the Society)

हालांकि वर्ग संघर्ष समाज में संघर्ष के अनेक क्षेत्रों में से एक है। सामाजिक डार्विनियादी 'अस्तित्व के लिए संघर्ष' और 'योग्यतम की उत्तराधीनिता' का विवेचन करते हैं जबकि प्रकृति तंत्रवादी जीवन की आवश्यकताओं के लिए प्रतियोगिताओं पर ध्यान केन्द्रित करते हैं। राजनीतिक दार्शनिक सत्ता और शक्ति के प्रश्नों का अध्ययन करते हैं। मनोवैज्ञानिक आन्तरिक संघर्ष और मनोवृत्ति के परिवर्तन वर्ती गतिशीलता से सम्बन्धित है। मानवशास्त्री आदिम प्रथाओं जो एकीकरण का कार्य करते हैं—में विद्युतान्वयन संघर्ष का अध्ययन करते हैं। समाज के उपरोक्त वर्णित संघर्षों में से समाजशास्त्रियों ने निम्नलिखित संघर्षों के दो प्रमुख प्रकारों और उनके विभिन्न उपभ्रमारों को निश्चित किया है।

**अन्तर्जात संघर्ष (Endogenous Conflict)**—ये समाज के अन्दर विद्यमान परिवर्तन के स्रोत होते हैं और संघर्ष के बहुत ही सामान्य क्षेत्रों में इंगित करते हैं, जिनको निम्न प्रकार से विवरणित करके प्रस्तुत किया जा सकता है:

### समाज में संघर्षों के प्रकार



( 1.1 ) परिवर्तन सम्बन्धी अन्तर्निहित पूर्वाभिरुचि (Intergent Predilections to Change)—कॉन्ट की सामाजिक गतिशीलता की अवधारणा, सोरोकिन का अन्तर्वर्ती स्वतः निर्देशित परिवर्तन का सिद्धान्त या प्रकार्यवादियों की सरचनात्मक तनाव की अवधारणा आदि अन्तर्निहित परिवर्तन की सम्भावना को सम्बोधित करते हैं। हालाँकि प्रकार्यवादियों के लिए परिवर्तन अक्सर से विचलन है जबकि संघर्ष सिद्धान्तवेता सभी कालों में सामाजिक परिवर्तन को आवश्यक परिस्थिति मानते हैं।

( 1.2 ) वाढ़नीय के वितरण पर संघर्ष (Conflict Over the Distribution of Desirables)—सामाजिक संघर्ष का एक प्रमुख स्रोत पारितोषों का असाधारण वितरण है, जैसे—समाज में विद्यमान सम्पत्ति, शक्ति और प्रतिष्ठा। अनेक संघर्ष सिद्धान्तवेता जैसे मार्क्स, मोस्का एवं गिल्स ने अपने सैद्धान्तिक विवेचन में इनको केन्द्रीय कारक माना है।

( 1.3 ) मूल्यों का संघर्ष (Conflict of Values)—नवाचार प्रौद्योगिकीय क्रान्ति, पर्यावरणात्मक संघर्ष पीढ़ी अन्तराल, स्वचालन, लैंगिक क्रान्ति, नूतन मूल्य-दृष्टिकोण तथा मानकात्मक संरचना का टूटन के संबंधी प्रभाव संघर्षों की शृंखला रही है, जो विभिन्न प्रकार के सामाजिक आन्दोलन एवं व्यक्तिगत पहचान के सकट में अभिव्यक्त होते हैं।

( 1.4 ) सत्ता का संघर्ष (Conflict of Authority)—कुछ समाजशास्त्रियों, विशेष रूप से डोरेन्डोफ के लिए सत्ता संरचना संघर्ष या प्राथमिक स्रोत है। कोई भी संगठन सत्ता की संरचना के अभाव में बना नहीं रह सकता एवं सत्ता की व्यवस्था में आवश्यक रूप से उन लोगों के बीच में जो आदेश देते हैं और जो आदेश स्वीकार करते हैं, उसके मध्य संघर्ष आवश्यक रूप से विद्यमान होता है।

( 1.5 ) व्यक्ति और समाज के मध्य संघर्ष (Conflict Between the Individual and Society)—जो समाज के लिए अच्छा है, आवश्यक नहीं कि वह व्यक्ति के लिए भी अच्छा हो। अक्सर इन दोनों की स्वियों के मध्य आधारभूत संघर्ष होता है। व्यक्तियों की कीमत पर समाज

आर समाज का मापत पर व्यक्ति फलते फूलते हैं। डब्ल्यू, आई धांपत ने तर्क दिया है कि व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकाम व्यक्ति और समाज के मध्य मध्यर्थ वा परिणाम होता है, व्यक्ति स्वच्छन्द अभिव्यक्ति के लिए सार्वपं करता है, जर्याक रसाज उसे दर्शाने का प्रयत्न करता है तथा उसे परम्परागत परिस्थिति भूमिका के अनुसार ढालने का प्रयास करता है।

( 2 ) व्यहिर्जात संघर्ष (Loyenous Conflict) — व्यहिर्जात मध्यर्थ वे संघर्ष होते हैं जो बाहर मे या दो व्यवस्थाओं के बीच होते हैं, विरोध या विग्रह को इगत करते हैं। मान्यता : ये तीन प्रकार के होते हैं—

( 2.1 ) युद्ध (War) — आजकल के दो व्यवस्थाओं के बीच युद्ध इसके उदाहरण हैं। पहले प्राचीन काल मे इस प्रकार के संघर्ष लूटभार या विजय प्राप्त करने के लिए होते थे। नार्जीवाद, हारी, विष्वनाम, घनाना गणतत्र और बालादेश आदि ने अनेक राजनीतिक या वीदिक संघियों प्रस्तुत की है, जिनमे सदर्भ मध्यर्थ का दृष्टिकोण रहा है। हालांकि एक अच्छे मध्यर्थ भिन्नान का एक उपकरण के रूप मे निर्माण करना अपी चाही है जिसके द्वारा युद्ध का एक सामाजिक घटना के रूप मे विश्लेषण किया जा सके।

( 2.2 ) सांस्कृतिक अतिक्रमण (Cultural Invasion) — अर्नसास्त्र तिक संवालन सामाजिक व्यवस्थाओं के बीच मध्यर्थ का शास्वत स्रोत है। पश्चिमीकारण, आपूर्विकीकरण, सांस्कृतिक अतिक्रमण आदि अनेक प्रकार मे सांस्कृतिक संघर्ष के रूप मे देखे गए हैं। इसी प्रकार से तकनीकी नवाचार, परम्पराओं मे विश्व, नवीन राजनीतिक आन्दोलनों ने भी सांस्कृतिक मध्यर्थ उत्पन्न किये। विकामशोल समाजों मे सामाजिक परिवर्तन का विश्लेषण अनेक समाजशास्त्रियों ने संघर्ष परिप्रेक्ष्य के द्वारा किया है।

( 2.3 ) विचारिक संघर्ष (Conflict of Ideology) — विचारिक मध्यर्थ वे प्रतिधात राष्ट्र, राज्य या समाज को सोमाओं के बाहर निकल जाते हैं। धूंजीवाद साम्यवाद, प्रजातत्र, मूलप्रमाणवाद, समतावाद, प्रजातीय निर्णायकवाद और इसी प्रकार के अन्य प्रचोभन अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर समय-समय पर संघर्ष उत्पन्न करते रहे हैं। मानव के सम्पूर्ण इतिहास मे क्रान्ति, युद्ध, अन्तर्राष्ट्रीय मध्यर्थ और झगड़ों का मूल कारण वैचारिक मध्यर्थ रहे हैं।

### संघर्ष सिद्धान्त के प्रमुख अभ्युपगम

#### (Major Postulates of Conflict Theory)

विभिन्न संघर्ष मिद्दान्तवेत्ताओं, जैसे— मार्क्स, सी. राइट भिल्स, डेरेन डॉर्फ, मिर्फेल रैबम और कोजर आदि ने जो अपने विचार व्यक्त किये हैं, सत्र रूप मे संघर्ष मिद्दान्त से सम्बन्धित प्रमुख अभ्युपगमों, मान्यताओं और प्रमाणवना आदि को निम्न रूप मे प्रस्तुत किया जा सकता है।

1. संघर्षवेत्ताओं के अनुसार, समाज को व्यवस्था मन्तुलन को मिथ्यि मे नहीं होती है, बल्कि यह एक अस्पष्ट एवं पुंधरों सरगना होती है। इस अस्पष्ट मंत्रवना के तत्त्व मान्यता एवं एकोकृत नहीं होते हैं, बल्कि बत प्रयोग जैसे तत्त्वों के द्वारा एक माथ विद्यमान होते हैं तथा दूसरों के अपीन होते हैं।

2 समाज और उसके तत्त्व अविदाम या निम्नतर परिवर्तन की प्रक्रिया को स्थिति में होते हैं। हालांकि भिन्न भिन्न मात्रा में परिवर्तन और संघर्ष मानव समाज के स्थायी और सामाज्य लक्षण होते हैं।

3 समाज एक स्थिति है, जिसमें मानव जनसंघर्ष विद्यमान होता है जो प्रतिस्पर्धा और संघर्ष करते रहते हैं। सामाजिक जगत् ऐसा होता है जिसमें जोबन के लिए संघर्ष चलता रहता है।

4 सामाजिक संघर्ष, सामाजिक सरचना की प्रकृति में अननिहित होता है। अनदरजात और वहिर्जात संघर्षों की भिन्नता विश्लेषणात्मक अर्थ में ही सार्थक होती है।

5 समाज में परिवर्तन का अननिहित अङ्गाव का थार प्रकृति गति की मात्रा और गहनता भिन्न होती है। ये परिवर्तन प्रकट या अप्रकट थीं और थीं या तीव्र एवं विनाशक होते हैं।

6 अन्तर्जात संघर्षों का उदय एकीकरण के अभाव स्मृति और व्यक्तियों की इच्छों में भिन्नता और विरोध, परितोषों का अमाल वितरण उच्चाता निम्नता के दृष्टिकोण तथा मूल्य-चेतना के अभाव के कारण होता है।

7 डॉहेरेन्डॉर्फ ने विशेष रूप से संघर्ष सिद्धान्त के महत्वपूर्ण तथ्यों को संक्षिप्त रूप में निम्नलिखित बताया है—

7 1 प्रत्येक समाज में आवश्यक रूप से परिवर्तन होता है। आपके अनुसार सामाजिक परिवर्तन सर्वव्यापी है।

7 2 प्रत्येक समाज प्रत्येक पल सामाजिक संघर्ष का अनुभव करता है। आपके अनुसार सामाजिक संघर्ष सर्वव्यापी है।

7 3 समाज का प्रत्येक तत्त्व परिवर्तन में योगदान देता है।

7 4 प्रत्येक समाज अपने कुछ सदस्यों पर दूसरे सदस्यों के तनाव पर आधारित होता है।

8 परिवर्तन क्रान्तिकारी हो सकता है, जो आकस्मिक और गम्भीर दोनों होता है।

9 सामाजिक सरचना स्वयं आन्तरिक संघर्ष और विरोधी के कारण उत्पन्न होती है।

### प्रमुख संघर्ष सिद्धान्तवेत्ता

#### (Eminent Theorists of Conflict Theory)

समाजशास्त्र में संघर्ष सिद्धान्त के सम्बन्ध में अनेक विद्वानों ने खूब लिखा है। यहाँ पर उन सभी के विचारों और योगदान का विवेचन करता व्यावहारिक और सम्भव नहीं है। इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए हम कुछ प्रमुख समाजशास्त्रीय संघर्षवेत्ताओं के उद्देश्यों प्रस्तावनाओं, तथ्यों, अध्युपागमों, मान्यताओं, विचारों, संगर्ष के आधारों और रिद्दानों का आलोचनात्मक मूल्यांकन प्रस्तुत करने का प्रयत्न करेंगे। सामाज्य रूप से सामाजिक विज्ञानों में और विशेष रूप से समाजशास्त्र में कालं मार्क्स का संघर्ष का सिद्धान्त प्रमुख है। इनके बाद समाजशास्त्रीय संघर्ष सिद्धान्तवेत्ता सी राइट बिल्स, रात्फ डेहरेन्डॉर्फ का योगदान उल्लेखनीय है। इन विद्वानों के सिद्धान्तों के अतिरिक्त समाजशास्त्र में निम्नलिखित विविध संघर्ष सिद्धान्तों—प्रैकर्फर्ट संप्रदाय, नयोन या

उन्मूलनवादी ममाजशास्त्र, द्वन्द्वात्मक समाजशास्त्र, संघर्ष प्रकार्यवाद, विश्लेषणात्मक संघर्ष सिद्धान्त एवं औपचारिक संघर्ष सिद्धान्त महत्वपूर्ण हैं।

### प्रमुख संघर्ष सिद्धान्त एवं सिद्धान्तवेत्ता

कार्ल मार्क्स : द्वन्द्वात्मक जार्ज सिमेल :	सो राइट मिल्स :	राल्फ डेहर्न्डार्फ :
संघर्ष सिद्धान्त	संघर्ष सिद्धान्त	शक्ति अभिजन सिद्धान्त

यहाँ पर हम मार्क्स के संघर्ष सिद्धान्त का वर्णन कर रहे हैं।

#### कार्ल मार्क्स : द्वन्द्वात्मक संघर्ष सिद्धान्त

(Karl Marx : Dialectical Conflict Theory)

कार्ल मार्क्स के संघर्ष सिद्धान्त में सम्बन्धित महत्वपूर्ण जानकारी के लिए इम पुस्तक का अध्याय-10 देखें।

**मार्क्स का वर्ग-संघर्ष (Class-Struggle of Marx)**—कार्ल मार्क्स का समाजशास्त्र में एक महत्वपूर्ण योगदान वर्ग एवं वर्ग-संघर्ष की अवधारणा को प्रदान करता है। मार्क्स वा मत है कि समाज में हमेशा दो वर्ग होते हैं। इन वर्गों का आधार आर्थिक होता है। आर्थिक असमानता ही समाज में दो वर्गों को जन्म देती है। ये दो वर्ग हैं—शोषक वर्ग और शोषित वर्ग। मार्क्स का कहना है कि व्यक्ति एक वर्ग का प्राणी है। मार्क्स के अनुसार, प्रत्येक युग में हमेशा शोषक एवं शोषित वर्ग रहते हैं। शोषक वर्ग वह वर्ग है जिसका उत्पादन के साधनों, उत्पादन की शक्तियों और उत्पादन के सम्बन्धों पर स्वामित्व रहता है। विभिन्न कालों में शोषक के रूप में यालिक, स्वामी, जर्मीदार, बुर्जुआ, पूँजीपति आदि किसी-न-किसी रूप में होते हैं। इसी क्रम में शोषित वर्ग के विभिन्न रूप—दास, गुलाम, किसान, श्रमिक, भजदूर आदि होते हैं। कार्ल मार्क्स ने 'कम्युनिस्ट पार्टी के धोणणा-पत्र' में लिखा है, "आज तक अस्तित्व में जो समाज है, उनका इतिहास वर्ग-संघर्ष का इतिहास है। स्वतन्त्र मनुष्य और दास, कुलीन और जन-सामान्य, सामन्ती प्रभु और भूदारा, शिल्प संघ का उस्तगाद—कारोगर और भजदूर-कारोगर—संक्षेप में उत्तीर्णक और उत्तीर्णित वरावर एक-दूसरे का विरोध करते आये हैं।" मार्क्स ने आगे लिखा है कि ये दोनों शोषक व शोषित वर्ग अपनी-अपनी समस्याओं, हितों, लक्षणों, परिस्थितियों आदि के लिये एक-दूसरे से संघर्ष करते रहते हैं। मार्क्स का मत है कि भानव इतिहास के आदिम, साम्यवादी युग, दामत्य-युग एवं सामन्ती-युग में इनमें संघर्ष धीरे होता है और पूँजीपति युग में वर्ग-संघर्ष तीव्र हो जाता है। मार्क्स ने भविष्यवाणी की है कि वर्ग-संघर्ष के इतिहास में एक समय ऐसा आयेगा जब सर्वहारा-वर्ग (श्रमिक-वर्ग) पूँजीपति वर्ग व्यवस्था को समाप्त कर देगा। पूँजीपति व्यवस्था के स्थान पर साम्यवादी व्यवस्था स्थापित हो जायेगी, जिसमें शोषक वर्ग का अन्त हो जायेगा। इसके साथ-साथ समाज में असमानता का भी अन्त हो जायेगा। मार्क्स का यह भी कथन है कि धीरे-धीरे कल्पनालोकीय समाज की स्थापना हो जायेगी। वर्ग भेद नहीं रहेगा, पूँजीवादी दुःखों से श्रमिक को छुटकारा मिल जायेगा। आपने निम्न नाम दिया है—

"दुनिया के मजदूरों एक हो, तुम्हें तुम्हारी बेड़ियों के अतिरिक्त कुछ नहीं खोना है और पाने के लिये तुम्हारे पास सारा सासार पड़ा है।"

कालं मार्क्स ने वर्ग-एवं वर्ग-संघर्ष की अवधारणा प्रतिपादित करके समाजशास्त्र में एक विशिष्ट सम्प्रदाय—संघर्ष-सम्प्रदाय के महत्व को और महत्वपूर्ण बना दिया है। वर्तमान में जिसका रूप संघर्ष उपगम से उग्र उन्मूलनवादी समाजशास्त्र "रेडीकल सोशियोलॉजी" विचारधारा के रूप में विकसित हो गया।

**वर्ग-संघर्ष का इतिहास (History of Class-Struggle)**—आज तक अस्तित्व में जो समस्त समाज है, उनका इतिहास वर्ग-संघर्ष का इतिहास है। स्वतंत्र मनुष्य और दास, कुलीन और सामान्यजन, सामनी प्रभु और भूदास, शिल्प सम्बन्ध का उस्ताद-कारीगर और मजदूर-कारीगर—संक्षेप में उत्पीड़क और उत्पीड़ित (शोषक और शोषित) बाबर एक-दूसरे का विरोध करते आये हैं। वे कभी हिते, कभी प्रकट रूप से लगातार एक-दूसरे से लड़ते रहे हैं, जिस लडाई का अन्त हर बार या तो पूरे समाज के क्रान्तिकारी पुनर्गठन से या संघर्षत वर्गों की बर्बादी से हुआ है।

**द्वन्द्वात्मक उद्घिकास एवं संघर्ष (Dialectic Evolution and Conflict)**—मार्क्स की मान्यता है आर्थिकउप-संरचना और मानवात्मक अधिसाचना में परस्पर संघर्ष होता है जिसके फलस्वरूप समाज अनेक उद्घिकासीय चरणों से गुजरता हुआ परिवर्तित होता रहता है। आपका मानना था कि जनसत्त्वा और आवश्यकताओं से वृद्धि के परिणामस्वरूप श्रम-विभाजन में भी वृद्धि होती है तथा भूमिकाओं में भी वृद्धि होती है। इस विकास के कारण निजी सम्पत्ति में वृद्धि होती है। औद्योगिकीकरण के प्रभाव के फलस्वरूप निजी सम्पत्ति से पौँजीपति व्यवस्था का विकास होता है। मार्क्स का यह भी मानना था कि आर्थिक प्रभुत्व तथा पौँजीवाद से सर्वहारा-वर्ग (श्रमजीवी वर्ग) का प्रकृति तथा उत्पादन के साधनों से अलगाव होगा जो संघर्ष को पैदा करेगा। उत्पादन के साधनों, उत्पादन के तरीकों तथा सम्बन्धों पर शोषक-वर्ग या पौँजीपति-वर्ग का पूर्ण नियन्त्रण होगा तथा सर्वहारा-वर्ग का शोषण होगा।

समाज में श्रम-विभाजन और निजी सम्पत्ति के अधिकारों में वृद्धि के कारण पौँजीवाद का विस्तार होता है। आगे चलकर, मार्क्स के अनुसार पौँजीवाद में द्वन्द्व एवं संघर्ष होगा जो समाजवाद के लिये एक आन्दोलन के रूप में शुरू होगा, जो अन्त में एक ऐसे समाज का निर्माण करेगा जिसमें मानव प्रकृति और सामाजिक वातावरण के साथ युनिटुड जायेगा तथा एक 'स्वाभाविक मानव' का उदय होगा।

### सामाजिक परिवर्तन के प्रारूप (Typology of Social Change)

मार्क्स ने सामाजिक परिवर्तन एवं विकास के बीच एक प्रारूप के रूप में दिये हैं, उन्हे निम्न रूप में देख सकते हैं—

**13.1 जनजातिवाद (Tribalism)**—मार्क्स ने सामाजिक परिवर्तन के विकास के क्रम में सर्वप्रथम अवस्था जनजाति बताई है। इस जनजातिवाद में समाज शिकार, मछली पकड़ना और

कृषि प्रधान होता है। मुख्य स्वयं गे समाज पितृसत्त्वक होता है। श्रम-विभाजन एक विस्तृत परिवार व्यवस्था के स्वयं में मिलता है। मार्क्स का कहना है कि इस प्रकार इन जनजाति समाजों में निजी सम्पत्ति और श्रम का विभाजन न्यून होता है।

**13.2 सामन्तवाद (Feudalism)**—जब कुछ जनजातियाँ पास्पर मिल जाती हैं और उनका आकार बड़ा हो जाता है तो इसके साथ समुदायवाद विकसित हो जाता है। इस अवस्था में दामता, निजी सम्पत्ति और श्रम-विभाजन व्यवस्था प्रारम्भ हो जाती है। कृषि में कुछ कमों आती है। सामन्तवाद आ जाता है। भूमि पर आधारित अर्थव्यवस्था विकसित हो जाती है। थोने कृषि का नियन्त्रण करते हैं। मार्क्स के अनुसार, यह संरचना भी अमूर्ण होती है और नगरीकरण का विकास होता है। अवश्यकतायें यह जाती हैं, जिसके फलस्वरूप उत्पादन अर्थिकी की आवरणकता पड़ती है जो विकसित हो। कर विश्व में उपनिवेशवाद को बढ़ावा देती है। इस अवस्था में सामन्तों (शोपक) और भूमिहोन कृषकों (शोभितों) में संघर्ष होता है जो आगे चलकर पूँजीवाद को जन्म देता है।

**पूँजीवाद (Capitalism)**—इस उपर्युक्त विकास के फलस्वरूप पूँजीवाद का विकाय होता है जिसमें निम्नलिखित तत्वों का उदय होता है। मार्क्स का कहना है कि पूँजीवाद ऐसी व्यवस्था है जिसका स्रोतों पर एकाधिकत्य हो जाता है। यह एकाधिकत्य उत्पादन के साधनों पर पूँजी के रूप में स्वामित्व के कारण होता है। श्रमिक का श्रम महत्वपूर्ण दस्तु बन जाता है। समाज दो बड़ों में—मालिक और श्रमिकों में संघर्ष होता है। जिस प्रकार से जनजातिवाद से सामन्तवाद और सामन्तवाद से पूँजीवाद में परिवर्तन हुआ, उसी प्रकार भी पूँजीवाद की अवस्था भी स्थिर भहों रहती है। मार्क्स वा मत है कि अधिक उत्पादन और अलगाव के बढ़ने की भवस्था ओं के फलस्वरूप संघर्ष के कारण पूँजीवाद में परिवर्तन आता है। अलगाव के बढ़ने से श्रमिक सर्वहारा वर्ग संगठित हो जाते हैं और पूँजीपतियों के विश्व क्रान्ति (संघर्ष) करते हैं।

**कल्पनालोकीय समाजवाद (Utopian Socialism)**—पूँजीवाद अपने ममादि की प्रक्रिया स्वयं प्रारम्भ करता है और समाज अनन्तोगत्वा विकाय की चरम भीमा ममाजवाद की अवस्था में पहुँच जाता है, ऐसा मार्क्स का मत है। आपका कहना है कि कल्पनालोकीय ममाजवाद की अवस्था में श्रमिक-वर्ग या सर्वहारा-वर्ग की क्रान्तिकारी तानाशाही स्थापित हो जाती है, जो निजी सम्पत्ति के अधिकारों को समाप्त कर देते हैं। समाज की इस अवस्था में वर्ग एवं वर्ग रांथर्य समाप्त हो जाते हैं, व्यक्ति पूर्ण रूप से समाजवादी हो जाता है। समाज एवं प्रकृति पुनः संगठित हो जाते हैं। इस प्रकार से ममाजवाद एक प्रकार में ममाज को जनजातिवाद की प्रारम्भिक अवस्था में लौटा लाता है, जहाँ व्यक्ति अपने भौतिक एवं सामाजिक पर्यावरणों से धनिष्ठ रूप से सम्बन्धित हो जाता है।

कार्ल मार्क्स द्वारा प्रतिपादित मंत्रांश पर आधारित सामाजिक परिवर्तन के विकाय के प्रारूप के चरणों को निम्न चित्र द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है—

### कार्ल मार्क्स : समाज के विकास के प्रारूप

जनजातिवाद	सामनवाद	पूँजीवाद	कल्पनालोकीय साम्पवाद
1 शिकार, मछली पकड़ना, कृषि।	1 देहाती आधार।	1 श्रम मुख्य वस्तु	1 वर्गहीन।
2 श्रम का विभाजन - परिवार का विस्तार	2 भू आधार।	2 सरचना ; सालिक व श्रमिक।	2 निजी सम्पत्ति का लोप।
3 पिलुसतात्मक सरचना।	3 अभिजात शक्ति।	3 उपयोगितावादी विचारधारा।	3 पूर्ण समाजीकृत व्यक्ति।
		4 अप्राकृतिक भौतिकवाद।	4 पुनर्गठन : व्यक्ति एवं प्रकृति।
		5 अलगाव एव भोगाधिकार।	
		6 अल्पत्वादन का विकास।	

### मार्क्स के संघर्ष सिद्धान्त का आलोचनात्मक मूल्यांकन

#### (Critical Evaluation Conflict Theory of Marx)

मार्क्स की शब्द-योजना की अस्पष्टता तथा अनेकार्थता के कारण इनके तथा एजेंट्स के संघर्ष सिद्धान्त की भिन्न-भिन्न व्याख्याएँ विभिन्न लेखकों, मार्क्सवादियों तथा अ-मार्क्सवादियों ने की हैं। अब हम यहाँ पर मार्क्सवाद की विभिन्न व्याख्याओं में से कुछ महत्वपूर्ण व्याख्याओं तथा अध्युपामों का आलोचनात्मक मूल्यांकन—

( 1 ) इसकी पहली कमी है—कारण-सम्बन्ध और निर्णायकवाद की अवधारणा (Its first shortcoming is its Conception of Causal relation and Determinism)—मार्क्स को मान्यता है, “सामाजिक, राजनीतिक और आधात्मिक जीवन की प्रक्रियाओं के सामन्य लक्षणों का निर्धारण उत्पादन की विधियाँ करती हैं।” आप एकतरफा कारण सम्बन्ध अवधारणा की पूर्व-कल्पना करते हैं। इस मान्यता को निकट से देखने से स्पष्ट होता है कि मार्क्स के सिद्धान्त का प्रथम विचार ये है कि संघर्ष का आर्थिक कारक मुख्य अथवा सबसे महत्वपूर्ण कारक है जो अन्य सभी का निर्धारण करता है। मुख्य कारक के दो अर्थ हो सकते हैं—

कार्य-कारण शुंखला में संघर्ष उत्पन्न करने में आर्थिक कारक प्रथम कारक है जो अन्य सभी सामाजिक घटनाओं का निर्धारण करता है, अथवा संघर्ष उत्पन्न करने में इस आर्थिक कारक की क्षमता बहुत अधिक है (मानलो इसका प्रभाव 90 प्रतिशत है और अन्य सभी कारकों की तुलना में उनका सम्पूर्ण प्रभाव 10 प्रतिशत है)।

मार्क्स, एंजल्स तथा इनके अनुयायियों में से किसी ने भी विभिन्न कारकों के संघर्ष उत्पन्न करने में तुलनात्मक प्रभावों को मापने के तरीकों को बताने का प्रयास नहीं किया। इस सिद्धान्त के साहित्यिक तथा तार्किक अर्थ के अनुसार, आर्थिक कारक संघर्ष का प्रमुख तथा सबसे आरभिक महत्त्वपूर्ण कारक हैं जो अन्य सभी सामाजिक घटनाओं की कारणीय शुरुआत का निर्धारण करता है, क्योंकि यह 'चालक' है तो अन्य सभी 'चालित' हैं। ऐसी मान्यता वो अनेक प्रमाणों के आधार पर स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

अनेक अन्येषकों—एस्टीनाम, दुखीम, पी हूयेलिन, थर्मवाल्ड, मेलीनोव्स्की, हवर्ट तथा गाउस ने स्पष्ट किया है कि आदिम अवस्था तक में उत्पादन की प्रविधि तथा सम्पूर्ण आर्थिक जीवन समकालीन धर्म, जादू, विज्ञान तथा अन्य वॉल्डिक घटनाओं से विलकृत अलग नहीं होता है। मैक्स वेवर ने सिद्ध किया है कि आर्थिक व्यवस्था का निर्धारण धर्म, जादू, ताकिंकता और परम्परावाद करते हैं। आधुनिक पौजीवाद की उत्पत्ति प्रॉटेस्टेन्ट धर्म के द्वारा हुई है।

अतः यह निष्कर्ष निकलता है कि आर्थिक कारक अन्य कारकों जितना प्राचीन नहीं है। इसका अर्थ यह भी है कि सामाजिक घटनायें पारस्परिक अन्योन्याश्रित थीं, हैं और रहेंगी। न तो कभी एकतरफा थीं और न ही कभी एकतरफा रहेंगी।

(2) सिद्धान्त की दूसरी आधारभूत कमी अनेकार्थ तथा अनिश्चित अभिव्यक्ति है। आर्थिक कारक संघर्ष का सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण एवं अनिम कारक है (The second fundamental shortcoming of the theory is an ambiguity and indefiniteness of the expression. the economic factor is the last, the final and the most important factor of Conflict)—मार्क्स के इस कथन की दो व्याख्यायें की गई हैं, जो निम्न हैं—

2.1 मार्क्सवादियों तथा अ-मार्क्सवादियों (पिछानों तथा इलयूड) ने इस दावे की यह व्याख्या की है कि आर्थिक कारक सम्पूर्ण ऐतिहासिक तथा सामाजिक संघर्षों की व्याख्या करने में पूर्ण रूप से सक्षम है। मार्क्स का भी यही विश्वास था। यह व्याख्या एक प्रकार से एकात्मक अवधारणा है, अगर सम्पूर्ण सामाजिक जीवन, युद्ध एवं शान्ति, दुर्दशा एवं खुशहाली, दासता तथा मुक्ति, क्रान्ति एवं प्रतिक्रिया एक ही कारक के परिणाम हैं तो इसके आधार पर निम्न समीकरण बनता है—

$A \text{ और } non - A = (E)$ , अर्थात् पूर्णतया विरोधी घटनाएँ एक ही कारण का परिणाम है।

इस यूत्र में शान्ति, खुशहाली मुक्ति आदि को तथा  $non - A$  संघर्ष, युद्ध, दुर्दशा, दासता आदि को प्रदर्शित कर रहे हैं। (E) आर्थिक कारक को प्रदर्शित कर रहे हैं। मार्क्स के सिद्धान्त के अनुसार, A तथा  $non - A$  एक ही कारक 'आर्थिक' के परिणाम हैं। दूसरे शब्दों में इस प्रकार का एकतत्त्वपरक (एक कारणीय) अवधारणा से निम्न समीकरण निर्धित होता है—

सहयोग और संघर्ष

विकास और हास

अर्थात् सभी प्रकार के व्यवहार

अ (आर्थिक कारक) कारण है

मुक्ति और दासता

सामाजिक प्रक्रियाएँ और

शान्ति और युद्ध

ऐतिहासिक घटनाएँ आर्थिक

दुर्दशा और खुशहाली

कारक का परिणाम है।

:::::

आदि-आदि

कोई भी गणितवेत्ता, तर्कशास्त्री या वैज्ञानिक ऐसी आधारशिला पर वैज्ञानिक वारण-सम्बन्ध नियम या नियमितता का सूत्र नहीं बनायेगा।

(3) मार्क्सवादी संघर्ष सिद्धान्त की अन्य विशेषताओं में इसकी भ्रामक एवं विरोधात्मक ऐतिहासिक निर्णायकवाद की अवधारणा का घर्षन करना चाहिए। यह संकल्प-स्वातंत्र्य के साथ भाग्यवाद के असंगत समाधान का प्रतिनिधित्व करता है (Of the other characteristics of the Marxian Conflict theory, its fallacious and contradictory conception of historical determinism should be mentioned. It represents an incongruous reconciliation of fatalism with free will)—मार्क्स के मूल कथन को पुनः ध्यान से अध्ययन करने से स्पष्ट होता है कि जिन उत्पादन के सम्बन्धों में व्यक्ति प्रवेश करता है वे सम्बन्ध “अपरिहार्य तथा इच्छा शक्ति से स्वतन्त्र” होते हैं। उत्पादन की शक्तियों को स्वतः विकरित होने वाली तथा मानव एवं अन्य सामाजिक कारकों से स्वतन्त्र रूप में व्यक्त किया गया है। आप का कथन है कि मानव आर्थिक कारकों के कारण उत्पादनपूर्ण व्यवहार एवं संघर्ष करता है। समाजवाद की जीत की आशा आर्थिक कारक के सर्वशक्तिमान, भाग्यवादी और अनिवार्य भूमिका के विचार पर आधारित है जो पूँजीवाद को नष्ट करेगा तथा समाजवाद को विजयी बनाएगा।

यह निर्णायकवाद की भाग्यवादी व्याख्या वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बहुत ही आपत्तिजनक है क्योंकि वैज्ञानिक निर्णायकवाद और भाग्यवाद में कोई भी समानता नहीं है। “अवश्यम्भावी”, “आवश्यक” आदि शब्द विज्ञान अथवा विज्ञान की निर्णायकवादी अवधारणा के अंग नहीं हैं।

(4) मार्क्स-एंजल्स के वर्ग-संघर्ष का सिद्धान्त बहुत पुराना है तथा अनेक कमियों से परिपूर्ण है (The Marx-Engel's theory of class-struggle being very old, has a series of defects)—प्रमाणों के अनुसार यह कहना भ्रान्तिपूर्ण है कि, “अब तक के अस्तित्व में रहे सभी समाजों का इतिहास, वर्ग-संघर्ष का इतिहास है।” इसकी अर्थ यह हुआ कि सामाजिक वर्गों में सहयोग कभी नहीं रहा। यह भी भ्रमपूर्ण है क्योंकि वर्ग-सहयोग वर्ग-विरोध से अधिक सर्वभौमिक घटना है। वर्ग-संघर्ष ही एकमात्र ऐसा गत्यात्मक कारक है जिसके द्वारा मानवजाति की प्रगति हुई है। यह कथन भी गलत है। अनेक अन्येषणों, जैसे—क्रॉपटकिन के अनुसार मानवजाति की प्रगति सहयोग और एकता के कारण हुई है, न कि वर्ग-संघर्ष, विरोध तथा द्वेष के कारण हुई है। मार्क्स के वर्ग-सिद्धान्त का अर्थ है कि केवल आर्थिक-वर्ग का विरोध ही होता है तथा यह सबसे महत्वपूर्ण होता है। समाज में वर्ग के अतिरिक्त अनेक प्रकार के विरोध तथा शत्रुता होती है, जैसे—प्रजाति, राष्ट्र, धर्म तथा राज्य के संघर्ष हैं। विद्वानों का कहना है कि जब युद्ध, झगड़े आदि होते रहते हैं उस समय अनेक वैज्ञानिक शान्तिपूर्वक खोज करते हैं, आविष्कार करते हैं जिससे समाज का विकास होता है। समाज की निरन्तरता, स्थायित्व के लिए संघर्ष से अधिक सहयोग आवश्यक होता है। क्रॉपटकिन ने सिद्ध किया है कि समाज में भययोग आवश्यक होता है। सामाजिक संगठन और संचरन सहयोग के द्वारा नियन्त्रित और संचालित होती है। अनेक अन्येषणों के अनुसार यह सिद्ध हो गया है कि मानवजाति का विकास सहयोग और एकता के द्वारा हुआ है, न कि संघर्ष के द्वारा।

कोहन ने लिखा है कि समाजशास्त्र में एक संरचनात्मक-प्रकार्यात्मक सम्प्रदाय ने सिद्ध किया कि समाज के स्थायित्व और निरन्तरता के लिए प्रकार्यात्मक एकता, समाज के विभिन्न तत्वों की अपरिहार्यता और अन्योन्याश्रितता अत्यधिक है। इस सम्प्रदाय के अनुसार मार्क्स को समार्ग की अवधारणा बुटिपूर्ण है।

(5) अतांकिक अवधारणा (Illogical Concept)—समाजशास्त्रियों का मत है कि मार्क्स की द्वन्द्वात्मक अवधारणा अतांकिक एवं अवैज्ञानिक है। मार्क्स एक स्थान पर कुछ लिखते हैं तथा दूसरे स्थान पर कुछ और। मार्क्स कहते हैं कि भौतिक पदार्थ विचारों के निराशक हैं। अन्यत्र उन्होंने लिखा है कि समाज के विकास के लिये भजदूरों को जाग्रत करना होगा, उनमें अपने विकास के लिये और अधिकारों को प्राप्त करने के लिये चेतना पैदा करनी होगी। मार्क्स के इन कथनों से स्पष्ट हो जाता है कि वे मानवीय चेतना और विचारों को महत्व देते हैं, जबकि उनका संघर्ष और द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद भौतिक पदार्थ के द्वारा मानवीय चेतना को परिवर्तित करने का दावा करता है। इस प्रकार से मार्क्स के साहित्य में विरोधी कथन जगह-जगह पर मिलते हैं, जो कि उनके सिद्धान्त की बड़ी कमी है।

(6) आत्मा की उपेक्षा (Negligence of Spiritualism)—कार्ल मार्क्स के संघर्ष सिद्धान्त की सबसे बड़ी कमी आत्मा की उपेक्षा रही है। विश्व और समाज के विकास में जितना महत्व पदार्थ का है, उतना ही महत्व आत्मा और विचारों का है। पदार्थ भौतिक होते हैं, उनका अवलोकन किया जा सकता है। इसलिए मार्क्स ने भौतिक पदार्थों को तो महत्व दिया है लेकिन आत्मा और विचारों को अमृतीता के कारण कोई महत्व नहीं दिया है। व्यक्ति पर आत्मा और विचारों का प्रभाव पड़ता है। विचार भी समाज और व्यक्ति के विकास में महत्वपूर्ण होते हैं जिसकी मार्क्स ने उपेक्षा की है। यह उनके भौतिक द्वन्द्वात्मक की बड़ी कमी है।

(7) दोषपूर्ण विकास के चरण (Defective Stages of Development)—मार्क्स ने मानव समाज के विकास की अवस्थाएँ संघर्ष एवं द्वन्द्व पर आधारित—'वाद, प्रतिवाद और सम्प्रवाद' के क्रम में बताई है। आपका मत है कि यह क्रम तब तक चलता रहेगा जब तक समाज पूर्ण साम्यवाद की अवस्था में नहीं पहुँच जाता। विद्वानों की आपत्ति है कि मार्क्स द्वारा प्रतिपादित विवास की ये अवस्थाएँ काल्पनिक और दोषपूर्ण हैं। सामाजिक विकास एक निरन्तर प्रक्रिया है, जिसकी अन्तिम अवस्था की कल्पना करना सम्भव नहीं है। समाज की अन्तिम अवस्था साम्यवाद की भविष्यवाणी करना मार्क्स का एक अवैज्ञानिक तथा दोषपूर्ण कार्य है।

(8) उन्नति की अवधारणा दोषपूर्ण (Faulty Developmental Concept)—मार्क्स ने मानवीय इतिहास की व्याख्या करते हुए उसे केवल उन्नति की ओर अग्रसर होने वाला कहा है जबकि अनेक समाजशास्त्रियों ने अपने अध्ययन में पाया है कि मानव समाज का इतिहास उत्थान और पतन, विकास और हास के क्रम में होता है। अनेक समाजों का इतिहास इस घात का साक्षी है कि समाज का विकास और हास दोनों ही होते हैं।

उपर्युक्त सीमाओं के होते हुए भी मार्क्स के संघर्ष की अवधारणा का समाजशास्त्र में महत्वपूर्ण स्थान है। अनेक विद्वानों ने मार्क्स के सिद्धान्त का मूल्यांकन किया, जिसके परिणामस्वरूप समाज के क्षेत्र में आशानीत प्रगति हुई।

**सामान्य निष्कर्ष (General Conclusion) —** मार्क्स तथा एजल्स के पदर्थ की अवधारणा के सम्बन्ध में निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि —

( 1 ) पूर्ण वैज्ञानिक दृष्टिकोण के अनुसार जो कुछ मार्क्स के संघर्ष के संबंध में सत्य प्रमाणित तथा विश्वसनीय तथ्य दिये गये हैं वे कोई नवीन नहीं हैं। इनसे पहिले अनेक विद्वानों ने इनका वर्णन और व्याख्या की है।

( 2 ) जो कुछ मार्क्स के वास्तव में संघर्ष के संबंध में मूल विचार तथा कथन हैं वे वैज्ञानिकता से कोसो दूर हैं।

( 3 ) तीसरी तथा महत्वपूर्ण यात मार्क्स के सिद्धान्त के सम्बन्ध में यह है कि इन्होंने जग्गों की तुलना में अपने संघर्ष सम्बन्धी विचारों को बहुत ही प्रभावपूर्ण रूप से प्रस्तुत किया है।

( 4 ) पूर्ण रूप से वैज्ञानिक दृष्टिकोण के अनुसार मार्क्स तथा एजल्स को सामाजिक विज्ञानों का डार्विन या गोलिलियो नहीं मानना चाहिए।

( 5 ) इनके वैज्ञानिक योगदान को किसी भी आधार पर औसत से अधिक नहीं समझना चाहिए।

मार्क्स के संघर्ष की अवधारणा के सम्बन्ध में अन्य विचारों के लिए इस पुस्तक के अध्याय 10 को देखिए।



## अध्याय-13

# सामाजिक क्रिया : पारसन्स् (Social Action : Parsons)

सभी विज्ञान अपना अध्ययन विषय-सामग्री को लघुतम इकाई से प्राप्ति करते हैं। समाजशास्त्र के अध्ययन की लघुतम इकाई 'सामाजिक क्रिया' है। शेलडॉन ने तो क्रिया के सम्बन्ध में यहाँ तक लिखा है कि, "यह मौलिक इकाई है जिसका सामाजिक विज्ञान अध्ययन करते हैं।" सभी सामाजिक विज्ञान क्रिया का अध्ययन करते हैं परन्तु उनके अध्ययन के दृष्टिकोण भिन्न-भिन्न होते हैं। पारसन्स्, शील्म एवं स्थाधियों ने समाजशास्त्र को लघुतम अध्यापन को इकाई 'सामाजिक क्रिया' पर विशेष जोर दिया है तथा इसके अध्ययन के आधार पर समाजशास्त्रीय सिद्धान्त 'क्रिया सामान्य सिद्धान्त' (General Theory of Action) प्रतिपादित किया है। इन उपर्युक्त कथनों से स्पष्ट हो जाता है कि समाजशास्त्र में 'सामाजिक क्रिया' की अवधारणा अत्यन्त महत्वपूर्ण है। इस अवधारणा के पूर्ण ज्ञान के बिना राग्नाजशास्त्र विषय को नहीं समझा जा सकता है। सामाजिक क्रिया के महत्व, प्रकार, विशेषताएँ एवं सिद्धान्त आदि में मैत्री वेवर, दुर्खीम, पेरोटो, पारसन्स् आदि का विशेष योगदान रहा है। सामाजिक क्रिया के अर्थ, परिभाषा, तत्त्व, प्रकार आदि को समझने के लिए इनकी व्याख्याएँ प्रस्तुत हैं।

### क्रिया की परिभाषा एवं अर्थ (Definitions and Meaning of Action)

क्रिया शब्द का प्रयोग अनेक अर्थों में किया जाता है। इसकी विद्वानों ने अनेक दृष्टिकोणों से परिभाषाएँ दी हैं। क्रिया का शास्त्रिक अर्थ 'कर्म' या 'कार्य' है। 'कर्म' शब्द संस्कृत भाषा के 'कृ' धातु से यना है। 'कृ' का अर्थ है 'करना', 'हलचल' अथवा 'व्यापार'। कर्म शब्द का प्रयोग व्यापक अर्थों में हिन्दू धर्मशास्त्रों, भारतीय दर्शन आदि में भी देखा जा सकता है। भारतीय दर्शन में सम्पूर्ण जीवन को कर्म चतुर्ते हुए लिया गया है, "जीवन ही कर्म है।" अर्थात् व्यक्ति द्वारा कर्म करके अपने कर्तव्यों को पूर्ण करना ही जीवन है। इसमें कर्म को जीवन से और जीवन को कर्म से परस्पर सम्बन्धित घटाया गया है। अगर हम जीवन को समझना चाहते हैं तो उसको कर्म के आधार पर ही समझना होगा। इसी प्रकार से कर्म को भी जीवन के आधार पर ही समझा जा सकता है। जीवन सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक किसी भी प्रकार का हो सकता है। उनको समझने के लिए आवश्यक है कि हम उनसे सम्बन्धित क्रियाओं का अध्ययन करें। जैसे धार्मिक जीवन को समझने के लिए व्यक्ति की धार्मिक क्रियाओं का अध्ययन करना होगा। राजनीति

वैज्ञानिक व्यक्ति को राजनीतिक क्रियाओं का और अर्थशास्त्री व्यक्ति को आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करते हैं।

मनोवैज्ञानिक व्यक्ति द्वारा पर्यावरण से अनुकूलन करने के लिए उत्तेजना के बशोभूत होकर की जाने वाली प्रतिक्रियाओं को ही क्रिया मानते हैं। क्रिया का परम्परागत दृष्टि से अर्थ शारीरिक मानसिक एवं व्यवहार सम्बन्धी व्यवहार हैं। समाजशास्त्र में क्रिया का अर्थ विशेष महत्वपूर्ण है। डेविस ने लिखा है, “अन्य समाजविज्ञानों की अपेक्षा समाजशास्त्री को व्यक्तियों के व्यवहार की ओर निश्चय ही अवश्य ध्यान देना चाहिए, क्योंकि उसकी रचना विशेष रूप से सामाजिक क्रिया की प्रकृति को जानने में है।” समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए क्रिया जाने वाला व्यवहार क्रिया कहलाता है।

### सामाजिक क्रिया की परिभाषा एवं अर्थ

(Definitions and Meaning of Social Action)

समाजशास्त्र में सामाजिक क्रिया की अवधारणा को सर्वप्रथम अल्फ्रेड मार्शल के विचारों में देखा जा सकता है। क्रिया की अवधारणा को विकसित करने का श्रेय आपको जाता है। मार्शल ने क्रिया की अवधारणा का अध्ययन उपर्योगितावादी परम्परा (Utilitarian Tradition) में किया। इसमें संशोधन करके आपने क्रिया को आवश्यकताओं से अलग किया। आपके अनुसार क्रिया मूल्यों की एक अवशिष्ट श्रेणी है। क्रिया की परिभाषा वेबर, पारसन्स, थियोडोरसन एवं थियोडोरसन आदि ने दी है जो निम्नलिखित है—

वेबर के अनुसार, “क्रिया में वे सभी मानवीय व्यवहार सम्मिलित होते हैं, जिनके साथ क्रिया करने वाला व्यक्तिनिष्ठ अर्थ जोड़ता है।” आपने सामाजिक क्रिया के अर्थ को और अधिक स्पष्ट करते हुए इसकी निम्न परिभाषा दी है, “किसी क्रिया को तब सामाजिक क्रिया कहा जा सकता है, जब व्यक्तिया व्यक्तियों द्वारा लगाए गए व्यक्तिनिष्ठ अर्थ के कारण वह (क्रिया) दूसरे व्यक्तियों के व्यवहार से प्रभावित हो और उसके द्वारा उसकी मतिविधियाँ निर्धारित हो। वेबर के अनुसार कोई भी क्रिया जब अन्य व्यक्तियों की क्रिया से प्रभावित होती है, तब वह सामाजिक क्रिया कहलाती है। वेबर के मत में सामाजिक क्रिया और वैयक्तिक क्रिया अलग-अलग है, दोनों में काफी अन्तर है अर्थात् सामाजिक क्रिया वैयक्तिक क्रिया नहीं है। वेबर उद्देश्यपूर्ण मानव व्यवहार को ही सामाजिक क्रिया कहते हैं और जिस मानव-व्यवहार का कोई उद्देश्यपूर्ण अर्थ न निकले वह सामाजिक क्रिया की परिधि में नहीं आता है। वेबर उद्देश्यपूर्ण अर्थ से यह तात्पर्य लगाते हैं कि जो अर्थ स्वयं कर्ता अपनी क्रिया के विषय में लगाता है साथ ही दूसरों को भी उसी प्रकार की क्रिया के उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिये प्रेरित करता है।


थियोडोरसन एवं थियोडोरसन के अनुसार, “क्रिया वह व्यवहार है जिसका व्यक्ति के लिए कुछ अर्थ होता है अर्थात् उसका व्यवहार उद्देश्य निर्देशित होता है।” आपने आगे लिखा है, “सामाजिक समस्या के समाधान के लिए नियोजित प्रयास सामाजिक क्रिया कहलाती है।” आपने यह भी लिखा है कि क्रिया व्यक्तिया व्यक्तियों को प्रभावित करे या प्रभावित हो तो वह सामाजिक क्रिया है।

पारसन्स के अनुसार, "सामाजिक क्रिया कर्ता को परिस्थिति व्यवस्था में यह प्रक्रिया है जिसका अकेले कर्ता के लिए या सामृद्धिक रूप में उस समूह के व्यक्तियों के लिए प्रेरणात्मक महत्व होता है।" पारसन्स ने मामाजिक क्रिया के तीन महत्वपूर्ण तत्त्वों पर प्रकाश डाला है। ये हैं—(1) कर्ता, (2) परिस्थिति, और (3) प्रेरणा। आपके अनुसार मामाजिक क्रिया तभी हो सकती है जब कर्ता या कर्ताओं की उपस्थिति हो। ये कर्ता किसी-न-किसी उद्देश्य या प्रेरणा से प्रेरित हों, और किसी-न-किसी परिस्थिति में ही क्रिया करें। आवश्यक नहीं है कि परिस्थिति अनुकूल हो। प्रतिकूल परिस्थिति में भी क्रिया घट सकती है। मामाजिक क्रिया का लक्ष्य आवश्यकता की पूर्ति करना अवश्य होना चाहिए। अर्थहीन क्रिया मामाजिक क्रिया नहीं हो सकती है। विद्वानों ने मामाजिक क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए इसके तत्त्वों पर प्रकाश डाला है जो निम्न है—

### सामाजिक क्रिया के तत्त्व

#### (Elements of Social Action)

किंगमले डेविस ने अपनी कृति मानव समाज में 'सामाजिक क्रिया के तत्त्व' शीर्षक अध्याय में इसके चार प्रमुख तत्त्वों : (1) कर्ता, (2) लक्ष्य, (3) स्थितियाँ, और (4) साधन का उल्लेख विद्या है। पारसन्स ने भी इन चार तत्त्वों का वर्णन किया है। इनकी विवेदन प्रत्यक्ष है।



1. कर्ता (Actor)—डेविस को मान्यता है कि किसी भी सामाजिक क्रिया के लिए कर्ता का होना अत्यावश्यक है। आप लिखते हैं, "जब हम किसी क्रिया के कर्ता के सम्बन्ध में कहते हैं तो हमारा तात्पर्य कर्ता की शारीरिक रचना में नहीं होता है बल्कि उसके 'अहम्' या 'स्व' से होता है। यह 'मैं' या 'मुझे' का बोध करता है न कि वस्तुओं का। इस प्रकार अहम् विषयिक सत्ता है। इसमें जागम्भक्ता और अनुभव होता है। यह निर्णय लेता है और भूतकाल में लिए गए निर्णयों पर प्रकाश डालता है एवं भविष्य को घटनाओं की कल्पना करता है। अन्य जीवों में मानसिक जागम्भक्ता नहीं होती है। मानव में यह गुण होता है। इसलिए इसमें अपने कारों के राष्ट्रबन्ध में

निर्णय देने की बैसी ही शक्ति विद्यमान है जैसी शक्ति दूसरों में उसके कार्यों के सम्बन्ध में निर्णय देने की है। 'स्व' के लिए शरीर परिस्थिति का एक आग मात्र है। शरीर लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक साधन है या एक स्थिति मात्र है। क्रिया करना तो अहम् का हो कार्य है। इसलिए कर्ता के अभाव में क्रिया सम्भव नहीं है।

**2. लक्ष्य (End)**—कर्ता के अनेक लक्ष्य होते हैं। उनमें से वह किसी-न-किसी लक्ष्य का चयन करके उसकी प्राप्ति के लिए क्रिया करता है। डेविस लिखते हैं कि जब लक्ष्य प्राप्त हो जाता है तो क्रिया भी समाप्त हो जाती है। क्रिया लक्ष्य के चारों ओर चलती है। जब एक लक्ष्य प्राप्त हो जाता है तो उसके बाद कर्ता दूसरा लक्ष्य निश्चित करता है। इस नवीन लक्ष्य के लिए क्रिया प्रारम्भ कर देता है। लक्ष्य व्यक्तिप्रक होते हैं। लक्ष्य चेतन या अचेतन दोनों प्रकार के हो सकते हैं। लक्ष्यों का चयन सामाजिक मूल्यों के आधार पर होता है। अगर कोई घटना कर्ता के प्रयास किए विना घट जाती है तो उसे लक्ष्य नहीं कहेगे। डेविस ने इसे निम्न उदाहरण द्वारा समझाया है। "एक किसान चाहता है कि आगले सप्ताह में वर्षा हो लेकिन आगले सप्ताह में वर्षा होगी या नहीं, इस पर उसका कोई नियंत्रण नहीं है। इसलिए आगले सप्ताह की वर्षा की घटना किसान का लक्ष्य नहीं कहलाएगी। लेकिन आगर वह इस आशा में बीज बो दे कि यदि आगले सप्ताह वर्षा हुई तो अंकुर निकल आएंगे, तो अंकुरों का निकलना उसके लिए लक्ष्य की प्राप्ति कही जाएगी, क्योंकि किसान ने अपने लक्ष्य की पूर्ति के लिए बीज बोकर योजनाबदू तरीके से प्रयास किया है।"

**3. स्थितियाँ (Conditions)**—डेविस ने सामाजिक क्रिया का तीसरा महत्वपूर्ण तत्व वह परिस्थिति या स्थिति बताई है जिसमें क्रिया की जाती है। आपने लिखा है कि क्रिया के समय स्थितियों में बाधाएँ और सुविधाएँ ही विद्यमान होती हैं। अगर बाधाएँ नहीं होगी तो कर्ता लक्ष्य को बिना प्रयत्न के ही प्राप्त कर लेगा और कर्ता को क्रिया करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। डेविस बाधाओं को ही स्थितियों कहते हैं। इन स्थितियों में ही क्रियाएँ की जाती हैं। आपने निम्न उदाहरण देकर इसे समझाया है। मान लोजिए कोई यात्री किसी दूसरे शहर में पहुँचना चाहता है तो वह अपना हाथ हिलाकर दूरी को कम नहीं कर सकता है। उसे दूरी को एक विद्यमान स्थिति समझकर मानना पड़ेगा और अनेक साधनों से उसे दूरी को तय करने की कोशिश करनी होगी।

डेविस के अनुसार स्थितियाँ हमेशा बाह्य नहीं होती हैं। कुछ स्थितियाँ स्वयं कर्ता में विद्यमान होती हैं। यहुत से व्यक्ति उच्च कोटि के सितारवादक बनना चाहते हैं परन्तु सगीत सम्बन्धी आवश्यक प्राप्ति का अपाप होने के कारण वे असफल रहते हैं। अनेक स्थितियाँ सामाजिक होती हैं और बाह्य होती हैं जैसे कानूनी—जिसका पालन कर्ता दण्ड के भय के कारण करता है। डेविस ने सामाजिक क्रिया से सम्बन्धित स्थितियाँ जो लक्ष्य-प्राप्ति को सीमित करती हैं उनकी उत्पत्ति के निम्न तीन रूपों वाली हैं—(1) भौतिक पर्यावरण, (2) आन्तरिक योग्यता, और (3) समाज। मानव उन लक्ष्यों की ओर नहीं दौड़ते हैं जिनकी प्राप्ति उनके लिए सम्भव नहीं है। मात्र उन्होंने लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं जिनको वे सम्भव समझते हैं। मानव-प्राणी को इसीलिए हमेशा समझीता करने की आवश्यकता पड़ती है। सामान्यतया वे ऊँची कामना करने का साहस नहीं करते हैं और साथ ही उनकी इच्छा बहुत निम्न स्तर की कामना करने की भी नहीं होनी चाहिए।

**4. साधन (Means)**—मानव के लक्ष्य (आवश्यकताएँ) अनन्त हैं। उन्हें पूर्ण करने के लिए साधनों का होना आवश्यक है। साधन मीमित होते हैं। एक लक्ष्य को प्राप्ति सरल या जटिल साधनों द्वारा की जा सकती है। परं लिखने के लिए पेन, पेंसिल, टाइप राइटर किसी भी साधन का चयन किया जा सकता है। एक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अनेक साधन होते हैं। साधनों का चयन कर्ता की क्षमता और युद्धिमत्ता पर निर्भर करता है। भीषण भय पर दी हुई परिस्थिति में उपयुक्त साधन के चयन से सफलता मिल जाती है और त्रुटिपूर्ण साधन के चयन में असफलता मिलती है। माध्यन और लक्ष्य में चयन और पूर्ति का ऋग्र भी होता है। डॉविम ने उदाहरण देकर इसे स्पष्ट किया है। आपने लिखा है कि परिस्थिति में जो माध्यन है वह दूसरी परिस्थिति में लक्ष्य बन जाता है। यदि कोई व्यक्ति पकान खरोदना चाहता है तो वह अपनी आय का कुछ भाग बचाने का साधन लेना चाहेगा। इसमें आय का कुछ भाग बचा लेना उसका तात्कालिक लक्ष्य होगा। इस लक्ष्य के लिए आय-व्यय का बजट बनाना या कोई अन्य उपाय करना साधन कहलाएगा। पकान खरोदने के घाद उमे किराए पर देना, कारखाना खोलना या दूकान लगाना आय में वृद्धि करने का साधन बन सकता है। पकान पहिले लक्ष्य या बाद में वह साधन बन जाता है। इस प्रकार से मामाजिक क्रिया में हम देखते हैं कि कर्ता लक्ष्य एवं साधनों में तार्किक स्पर्श से मामाजस्य स्थापित करने के लिए नितनर प्रयासरत रहता है। अनुकूलन परिस्थितियों एवं उपयुक्त साधनों के चयन से उसे असफलता मिलती है।

### पारसन्स : सामाजिक क्रिया

(Parsons : Social Action)


आधुनिक समाजशास्त्रियों में पारसन्स के सामाजिक क्रिया सम्बन्धी विचार और सिद्धान्त विशिष्ट रूपान रखते हैं। आपके सामाजिक क्रिया सम्बन्धी विचारों का प्रमुखतिकरण, शब्दों का चयन एवं इसकी विशद व्याख्या भगाजशास्त्रीय जगत में अनोखी मानी जाती है। पारसन्स ने सामाजिक क्रिया की विवेचना सर्वप्रथम 1937 में अपनी विश्वविद्यालय पुस्तक 'दा स्ट्रक्चर ऑफ सोशियल एक्शन' में की है। आप समय-समय पर क्रिया के सिद्धान्त पर लिखते रहे हैं। 1951 में आपने सामाजिक क्रिया से सम्बन्धित दो पुस्तकें 'दा सोशियल सिस्टम' (सामाजिक व्यवस्था) और शाल्स के साथ सम्पादित पुस्तक 'ट्रॉवर्ड ए जनरल थ्योरी ऑफ एक्शन' (क्रिया के सामान्य सिद्धान्त की ओर) लिखी। पारसन्स ने सामाजिक क्रिया की परिभाषा करने के साथ-साथ इसके अनेक पक्षों पर प्रकाश डाला है। अब आपके द्वारा लिखी कृतियों में सामाजिक क्रिया से सम्बन्धित व्यक्त विचारों, उनके लक्षण, प्रकारों एवं मिदानों आदि की मधिस्तार विवेचना की जायेगी।

**पारसन्स : सामाजिक क्रिया की परिभाषा (Parsons : Definition of Social Action)**—पारसन्स ने सामाजिक क्रिया को परिभाषा निम्न शब्दों में दी है, "सामाजिक क्रिया कर्ता की परिस्थिति व्यवस्था में वह प्रक्रिया है जिसका अकेले कर्ता के लिए या सामूहिक स्पर्श में उस समूह के व्यक्तियों के लिए प्रेरणात्मक महत्व होता है।" इस परिभाषा में आपने स्पष्ट

किया है कि सामाजिक क्रिया में कर्ता एक व्यक्ति या एक समूह हो सकता है। आपने इसे ऐसी प्रक्रिया बताया है जो कर्ता, परिस्थिति और सामाजिक व्यवस्था के मध्य होती है। यह प्रक्रिया कर्ता के लिए प्रेरणा के रूप में महत्वपूर्ण होती है। आपने सामाजिक क्रिया को व्यवहार के रूप में समझाया है। कर्ता समाज में दूसरे व्यक्तियों के साथ अन्तःक्रिया करने में संलग्न रहता है। मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति समाज में रहकर पूर्ण करता है। इसलिए मानव समाज में जो कुछ भी क्रिया करता है उस क्रिया के पीछे कर्ता का कोई-न-कोई लक्ष्य होता है। आपके अनुसार क्रिया सम्बन्धों पर आधारित होती है। क्रिया का अर्थ तभी है जब वह किसी सम्बन्धमूलक व्यवस्था को जन्म देती है। कर्ता (ओ) का व्यवहार परिस्थिति में ही हो सकता है। पारसन्स के अनुसार कर्ता (ओ) को परिस्थिति के प्रति अभिमुख होना आवश्यक है। आपने सामाजिक क्रिया को समझने के लिए परिस्थिति की व्याख्या की है क्योंकि क्रिया और परिस्थिति परस्पर धनिष्ठतया सम्बन्धित होती हैं।

**परिस्थिति का अर्थ (Meaning of Situation)**—पारसन्स ने लिखा है कि परिस्थिति को तभी समझा जा सकता है जब इसका निर्माण करने वाली वस्तुओं का अध्ययन किया जाए। परिस्थिति में आपने उन्हीं वस्तुओं को सम्मिलित किया है जिनके प्रति कर्ता अभिमुखी होता है। कर्ता की अभिमुखता आवश्यकता की पूर्ति से सम्बन्धित विभिन्न वस्तुओं के प्रति भिन्न-भिन्न होती है। पारसन्स ने परिस्थिति के अन्तर्गत अभिमुखता योग्य वस्तुओं को तीन वर्गों में बांटा है जो निमानुसार है—

### परिस्थिति की वस्तुएँ



1. **सामाजिक वस्तुएँ (Social Object)**—पारसन्स ने सामाजिक वस्तुओं के अन्तर्गत कर्ता या कर्ताओं एवं प्रतिक्रिया करने वाले दूसरे व्यक्ति या व्यक्तियों को रखा है। अर्थात् जिन व्यक्तियों के मध्य क्रिया और प्रतिक्रिया अर्थात् अन्तःक्रिया होती है उन्हे पारसन्स ने सामाजिक वस्तुएँ कहा है। सामाजिक क्रिया की परिस्थिति में वे सभी सदस्य आ जाते हैं जो एक-दूसरे के प्रति आवश्यकता की पूर्ति के लिए अभिमुखी होते हैं।

2. **भौतिक वस्तुएँ (Physical Object)**—भौतिक वस्तुओं के अन्तर्गत सामाजिक क्रिया से सम्बन्धित साधन और दशाएँ आती हैं। पारसन्स के अनुसार इनका अनुभविक अस्तित्व होता है। ये कर्ता से अन्तःक्रिया नहीं करते हैं। बल्कि कर्ता इनका उपयोग अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आपने अनुभव के आधार पर करता है।

3. **सास्कृतिक वस्तुएँ (Cultural Object)**—सास्कृतिक वस्तुओं का अस्तित्व कर्ता के व्यक्तित्व से अलग होता है। इनका परस्पर सम्बन्ध भी साक्षात्कारी नहीं होता है। ये एक-दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। लेकिन जब कर्ता कोई सामाजिक क्रिया करता है तथा वह सास्कृतिक वस्तुओं के मन्दर्भ में साधन और लक्ष्यों का चयन करता है। सास्कृतिक वस्तुएँ समाज की सांस्कृतिक

परम्परा और प्रतीकात्मक तथ्य होते हैं। पारसन्स के अनुमार व्यक्तित्व के निर्माण में इन सांस्कृतिक वस्तुओं को कर्ता मीणकर आतंरिकण करता है।

### पारसन्स : क्रिया के मिद्दान्त के सन्दर्भ विवास के घटक (Parsons Components of The Frame of Reference of the Theory of Action)

1. पारसन्स के अनुमार क्रिया के मिद्दान्त के सन्दर्भ विवास में कर्ताओं, क्रिया की परिस्थिति और कर्ता का परिस्थिति के प्रति अभिमुखन अंतर्निहित होता है।

(अ) एक या अधिक कर्ता (One or More Action)—इसमें एक या अधिक कर्ता होते हैं। कर्ता क्रिया की आनुभविक व्यवस्था है। कर्ता एक व्यक्ति या एक समूह हो सकता है जिसे सन्दर्भ विन्दु के रूप में लेकर वस्तु के सम्बन्ध में क्रिया की प्रक्रिया के प्रति अभिमुखन व प्रकारों का विश्लेषण वर सकते हैं। इस प्रकार की आनुभविक क्रिया की व्यवस्था में क्रिया स्वयं एक परिवर्तन की प्रक्रिया की दशा है।

(ब) क्रिया की परिस्थिति (Situation of Action)—इसमें क्रिया की परिस्थिति अंतर्निहित होती है। यह वाह्य संसार का वह भाग है जिसका कोई अर्थ कर्ता के लिए होता है जिसके व्यवहार का विश्लेषण किया जा रहा है। यह पूर्ण का वह भाग है जिसे देखा जा सकता है। विशेष रूप से यह वह भाग है जिसमें कर्ता क्रिया परता है और उसके प्रति वह अभिमुख है। अतः परिस्थिति में अभिमुख की वस्तु होती है।

(स) कर्ता का परिस्थिति के प्रति अभिमुखन (Orientation of the Actor to the Situation)—यह कर्ता को परिस्थिति से सम्बन्धित घटने वाले भवेंगों, ज्ञान, योजना और सम्बन्धित मानदण्डों का सैट होता है।

2. कर्ता-क्रिया की व्यवस्था और सन्दर्भ विन्दु दोनों होता है (Actor or both a System of Action and a point of Reference)—क्रिया की व्यवस्था में कर्ता एक व्यक्ति या सामूहिकता के रूप में हो सकता है। एक सन्दर्भ विन्दु के रूप में कर्ता या तो कर्ता-विषय (कभी-कभी मात्र कर्ता कहलाता है) या एक सामाजिक वस्तु हो सकता है।

(अ) व्यक्तिया सामूहिकतामें अन्तर (Individual Collectivity Distinction)—यह अन्तर इस आपार पर क्रिया जाता है कि क्या कर्ता एक व्यक्तित्व व्यवस्था है या सामाजिक व्यवस्था है।

(ब) विषय-वस्तु में विभेद (Subject-Object Distinction)—यह भेद इस आपार पर क्रिया जाता है कि क्या सन्दर्भ परिधि में कर्ता केन्द्र-विन्दु है या परिधोय स्थिति में है। जब कर्ता को सन्दर्भ का केन्द्र-विन्दु माना जाता है तब कर्ता एक विषय है। अन्तःक्रिया की परिस्थिति में यह कर्ता अहम् कहलाता है। जब उसे अभिमुख की वस्तु के रूप में देखा जाता है तब वह एक सामाजिक वस्तु है। इस प्रकार से दिए हुए विश्लेषण में व्यक्ति या सामूहिकता या तो कर्ता-विषय है या सामाजिक वस्तु है।

३ क्रिया की परिस्थिति (Situation of Action)—क्रिया की परिस्थिति को या तो सामाजिक वस्तुओं (व्यक्तियों या सामूहिकताओं) के बार्ग या असामाजिक (भौतिक और सांस्कृतिक) वस्तुओं के बार्ग में विभाजित किया जा सकता है।

(अ) सामाजिक वस्तुएँ (Social Objects)—सामाजिक वस्तुओं में कर्ता या तो व्यक्ति या सामूहिकताओं के रूप में होता है। कर्ता का अभिमुख्य स्वयं के प्रति स्वयं को वस्तु मानकर और दूसरी सामाजिक वस्तुओं के प्रति होता है। सामाजिक वस्तुआ को पारसन्स ने दो भागों में बांटा है। यह कर्ता का विभाजन 'गुण' या 'कार्य सम्पादन' के संकुलों के आधार पर किया जाता है।

(i) गुण-कार्य सम्पादन विभेद (Quality Performance Distinction)—कर्ता के लिए सामाजिक वस्तु एक गुणों का संकुल हो सकता है। जब कर्ता दूसरे कर्ता को 'वह क्या है' के रूप में देखता है न कि 'वह क्या करता है' के रूप में तब कर्ता वस्तु गुण प्रधान होता है। ऐसा जाति व्यवस्था में होता है। कर्ता और प्रतिकर्ता जन्म के आधार निश्चित प्रस्थिति के आधार पर एक-दूसरे से क्रियाएँ करते हैं। पारसन्स ने प्रदृष्ट प्रस्थिति को गुण प्रस्थिति कहा है।

दूसरा प्रकार कर्ता और प्रतिकर्ता के कार्य सम्पादन की क्षमता के अनुसार निश्चित किया जाता है। अर्थात् व्यक्ति कितना बुद्धिमान, ईमानदार, परिश्रमी है। सामाजिक वस्तु (कर्ता और प्रतिकर्ता) के कार्य करने की कितनी क्षमता है के आधार पर क्रिया निश्चित की जाती है तो यह दूसरा प्रकार अर्जित प्रस्थिति या कार्य सम्पादन का प्रकार बहलाता है। इस प्रकार की सामाजिक क्रिया का आधार वर्ग एवं वर्ग व्यवस्था चाले समाजों में मिलता है।

(ii) अभिप्राय के क्षेत्र का विभेद (Scope of Significance Distinction)—पारसन्स का एक तात्पर्य है कि सामाजिक वस्तु से सम्बन्धित कर्ता असीमित एवं अपरिभाषित उत्तरदायित्व को पूर्ण करने के लिए तैयार रहता है। सामाजिक वस्तु अर्थात् प्रतिकर्ता जो कुछ भी उत्तरदायित्व पूर्ण करने के लिए कर्ता से अपेक्षा रखते हैं कर्ता उन्हे पूर्ण करता है। इसे पारसन्स ने विसरित अभिप्राय कहा है।

दूसरा, कर्ता समाजिक वस्तु से सम्बन्धित अभिप्राय का क्षेत्र सीमित रखता है। जो कुछ उत्तरदायित्व निश्चित और परिभाषित हैं मात्र उन्हों को कर्ता अपना कर्तव्य समझकर सामाजिक वस्तुओं के लिए पूर्ण करने की अनुमति प्रदान करता है। इसे पारसन्स ने विशिष्ट अभिप्राय कहा है।

(ब) असामाजिक वस्तुएँ (Non Social Object)—असामाजिक वस्तुएँ कर्ता नहीं हैं। कर्ता के अतिरिक्त सभी वस्तुएँ असामाजिक वस्तुएँ हैं। असामाजिक वस्तुओं को पारसन्स ने भौतिक वस्तुओं और सांस्कृतिक वस्तुओं के आधार पर वर्गीकृत किया है, जो निम्न हैं—

(i) भौतिक वस्तुएँ वे वस्तुएँ हैं जिनको स्थान और समय के आधार पर देखा जा सकता है, जो अन्तःक्रिया नहीं करती है, जैसे—कर्ता करते हैं, और जो मात्र वस्तुएँ हैं न कि संवेदनात्मक, जनात्मक और मूल्याकनात्मक अभिमुखी हैं। अन्तः ये साधनों, परिस्थितियों, लक्ष्य वस्तुओं, बाधाओं या महत्वपूर्ण प्रतीकों को निर्मित करते हैं।

(iii) सांकृतिक वस्तुएँ रांस्कृतिक परामर्श या विरागत (जैसे—कानून, विचार) के तत्त्व हैं जब इनको अभिमुखन के तत्त्व के रूप में लिया जाता है। ये भी संवेग, ज्ञान एवं मूल्यांकन अभिमुखन के तत्त्व होते हैं। इनके द्वारा कोई भी कानून के अर्थ को समझ सकता है। ये मानकात्मक नियम का कार्य भी करते हैं।

4. कर्ता का परिस्थिति के प्रति अभिमुखन (The Orientation of the Actor to the Situation)—इस अभिमुखन के दो प्रकार बताए हैं : (अ) अभिप्रेरणात्मक अभिमुखन और (ब) मूल्य-अभिमुखन।

(अ) अभिप्रेरणात्मक अभिमुखन (Motivational Orientation) से वात्यर्थ कर्ता के परिस्थिति के अभिमुखन के उस पक्ष से सम्बन्धित है जो कर्ता की आवश्यकता पूर्ति की वाम्तविक या क्षमता द्वारा पूर्ण या अपूर्णता से सम्बन्धित है। पारमन्त्र ने अभिप्रेरणात्मक अभिमुखन के तीन प्रकार बताए हैं—

(i) ज्ञानात्मक रीति (Cognitive Mode)—ज्ञानात्मक रीति में अनेक प्रक्रियाएँ अन्तर्भिरहित होती हैं। इसके द्वारा कर्ता घरनु को आवश्यकता-पूर्ति से मायनित करके देखता है। कर्ता अपने सम्पूर्ण वस्तुओं की जानकारी की दुनिया में यस्तु की स्थिति को देखता है। उसके लक्षणों और कार्यों को देखता है। दूसरी यस्तुओं से अन्तर करता है।


(ii) संवेगात्मक रीति (Cathetic Mode)—इसमें ये मव प्रतिक्रियाएँ अन्तर्भिरहित होती हैं जिनके द्वारा कर्ता वस्तु का उपयोग प्रभावशाली रूप में करता है। इसमें कर्ता द्वारा आवश्यकता पूर्ति या वंचना से सम्बन्धित वस्तुओं का उपयोग सकारात्मक या नकारात्मक रूप में तृप्ति या वंचना के सदर्भ में किया जाता है।

(iii) मूल्य-अभिमुखन (Value-Orientation)—यह उन सब पक्षों को स्पष्ट करता है जिनमें कर्ता का अभिमुखन निश्चित मानक, पापदण्ड, नयन के आधार, का ध्यान परिस्थिति में चुनाव के समय रखता है। मूल्य-अभिमुखन कर्ता को लक्षणों के नयन करते समय दबाव ढालता है कि उसे किन-किन लक्षणों का चयन करना चाहिए और किन-किन का नहीं करना चाहिए। उसे यह भी ध्यान रखना पड़ता है कि वह कौन-कौन-से साधन काम में ले सकता है और कौन-कौन-से साधन काम में नहीं ले सकता है। मूल्य-अभिमुखन कर्ता का मार्गदर्शन करते हैं कि उपलब्ध विकल्पों में से वह किन-किन का चुनाव कर सकता है। साधन और लक्षणों का चयन आकस्मिक नहीं होता है। बल्कि मूल्य-अभिमुखन की व्यवस्था के अन्तर्गत व्यवस्थित रूप में होता है।

### मूल्य-अभिमुखन की रीतियाँ (Mode of Value-Orientation)

पारमन्त्र के मूल्य-अभिमुखन की निम्न तीन रीतियों का वर्णन किया है—

#### मूल्य-अभिमुखन की रीतियाँ



(i) ज्ञानात्मक रीति (Cognition Mode)—मूल्य-अभिमुखन की ज्ञानात्मक रीति में मानकों से सम्बन्धित वे विभिन्न वचन-बद्धताएँ अन्तर्निहित होती हैं जिनके द्वारा ज्ञानात्मक निर्णयों की सत्यता, निश्चितता की जाती हैं। ये मानक विभिन्न समस्याओं के महत्व से सम्बन्धित होते हैं। इनमें वे श्रेणियों में अन्तर्निहित होती हैं जिनके द्वारा अवलोकन एवं समस्याओं को अचेतन रूप से भूल्याकन करके प्रमाणित बताया जाता है।

(ii) प्रशंसात्मक रीतियाँ (Appreciative Mode)—मूल्य-अभिमुखन की प्रशंसात्मक रीति में मानकों से सम्बन्धित वे विभिन्न वचन बद्धताएँ अन्तर्निहित होती हैं जिनके द्वारा सर्वेगात्मक निर्णयों की सत्यता निश्चित की जाती है। कभी-कभी ये मानक आवश्यकता पूर्ति के विशिष्ट प्रकार के प्रतिमान का निर्माण करते हैं जैसे सगीत में रुचि का मानक।

(iii) नैतिक रीति (Moral Mode)—मूल्य-अभिमुखन की नैतिक रीति में मानकों से सम्बन्धित वे विभिन्न वचनबद्धताएँ अन्तर्निहित होती हैं जिनके द्वारा विशिष्ट क्रियाओं के निश्चित परिणाम और क्रिया के प्रकार का भूल्यांकन किया जाता है। यह भी देखा जाता है कि क्रिया की व्यवस्था पर इनका क्या प्रभाव पड़ता है। ये मानक कर्ता की परिणामों के प्रति जिम्मेदारी को परिभाषित करते हैं। विशेष रूप से ये कर्ता की रुचियों का पथ-प्रदर्शन भी करते हैं। वे कर्ता की व्यक्तित्व व्यवस्था एवं सामाजिक व्यवस्था के एकीकरण पर पड़ने वाले प्रभाव भी स्पष्ट करते हैं।

पारसन्स में निम्न चित्र-1 में उपर्युक्त विवेचन का सक्षिप्तिकरण प्रस्तुत किया है। यह चित्र दर्शाता है कि क्रिया के सिद्धान्त के सन्दर्भ विन्यास में विषय और वस्तु सम्बलित होते हैं। मात्र कर्ता विषय होते हैं, वस्तु में कर्ता और असामाजिक वस्तुएँ आती हैं। केन्द्र का वक्ता यह प्रदर्शित करता है कि किस प्रकार से सामाजिक व्यवस्थाएँ और व्यक्तित्व व्यवस्थाएँ एक-दूसरे में प्रवेश करती हैं। यहाँ ये वस्तु हो, अथवा विषय हो। व्यक्तित्व की क्रिया (या अभिमुखन) का छण्ड भूमिका होती है जो किसी संपूर्ण का निर्माण करती है। चित्र की तह में एक छण्ड है जो यह स्पष्ट करता है कि किस प्रकार से क्रिया के सन्दर्भ में विन्यास से सास्कृतिक व्यवस्था उभरती है।

### क्रिया के सन्दर्भ में विन्यास के घटक

विषय	वस्तु
1 कर्ता-विषय : कर्ता जिसका क्रिया के प्रति अभिमुखन का विश्लेषण किया जाता है। (अन्तःक्रिया की परिस्थिति में यह कर्ता 'अहम्' (Ego) कहलाता है।)	2. वस्तुएँ : ये वस्तुएँ जिनके प्रति कर्ता-विषय का अभिमुखन होता है। ये हैं : (1) सामाजिक वस्तुएँ और (2) असामाजिक वस्तुएँ।
कर्ता-विषय कभी-कभी मात्र 'कर्ता' कहलाता है और वह हमेशा 'क्रिया' व्यवस्था होती है। अतः कर्ता-विषय होता है :	(1) सामाजिक वस्तुएँ कर्ता होती हैं (उदाहरण क्रिया व्यवस्था) दिए हुए विश्लेषण में लेकिन यहाँ पर ये वस्तुएँ होती हैं न कि विषय (एक अन्तःक्रिया की परिस्थिति में ये कर्ता कहलाते हैं 'प्रतिकर्ता' सामाजिक वस्तुएँ
अ व्यक्तित्व या ब सामाजिक व्यवस्था	अ अनेक व्यक्तित्व ब. सामाजिक व्यवस्थाएँ

व्यक्तित्व और सामाजिक व्यवस्थाएँ एक-दूसरे से निम्न प्रकार से सम्बन्धित होती हैं, चाहे वे विषय हो अथवा वर्तुएँ।

	व्यक्तित्व अ	व्यक्तित्व य	व्यक्तित्व स
सामाजिक व्यवस्था 1	भूमिका 1-अ	भूमिका 1-ब	भूमिका 1-स
	अभियुखन पक्ष	अभियुखन पक्ष	अभियुखन पक्ष
	मूल्य पक्ष	मूल्य पक्ष	मूल्य पक्ष
सामाजिक व्यवस्था 2	भूमिका 2-अ	भूमिका 2-ब	भूमिका 2-स
	अभियुखन पक्ष	अभियुखन पक्ष	अभियुखन पक्ष
	मूल्य पक्ष	मूल्य पक्ष	मूल्य पक्ष
सामाजिक व्यवस्था 3	भूमिका 3-अ	भूमिका 3-ब	भूमिका 3-स
	अभियुखन पक्ष	अभियुखन पक्ष	अभियुखन पक्ष
	मूल्य पक्ष	मूल्य पक्ष	मूल्य पक्ष

(ii) असामाजिक वस्तुएँ हो सकती हैं :

अ भौतिक वस्तुएँ

ब. सांस्कृतिक वस्तुएँ (उदाहरण : प्रतीक या प्रतीक की व्यवस्थाएँ)

### सांस्कृतिक व्यवस्था

सांस्कृतिक व्यवस्थाएँ कर्ता (विषय या वस्तु के रूप में) की सामान्य मूल्य, विश्वास और रचियाँ हैं जो प्रतीक व्यवस्थाओं (वस्तु के रूप में) के साथ अन्तःक्रिया करते हैं। अतः उपर्युक्त ऐतिहासिक घटक सांस्कृतिक व्यवस्थाओं के रूप हैं जो क्रिया के सन्दर्भ विन्यास से निष्कर्षण किए गए हैं।

### पारसन्स : क्रिया के सिद्धान्तों का मूल्यांकन

(Parsons : Evaluation of Theories of action)

पारसन्स ने कुछ क्रिया के सिद्धान्तों का मूल्यांकन किया है उनमें वे कुछ निम्नलिखित हैं—

1. क्रिया का प्रत्यक्षवादी सिद्धान्त
2. क्रिया का मानकात्मक सिद्धान्त
3. क्रिया का स्वेच्छाचालित सिद्धान्त

**1 क्रिया का प्रत्यक्षवादी सिद्धान्त (Positivistic Theory of Action)**— पारसन्स ने अपने अग्रज सामाजिक वैज्ञानिकों के क्रिया के सिद्धान्त का मूल्याकान किया है। आपने सामाजिक क्रिया के सिद्धान्त का एक सम्प्रदाय प्रत्यक्षवादी बताया है। इस सिद्धान्त को मानने वाले विद्वानों की मान्यता है कि व्यक्ति क्रिया करने से पूर्व लक्ष्य एवं साधनों का चयन तर्क के आधार पर करता है। यह सम्प्रदाय क्रिया से सम्बन्धित तीन तत्त्वों : (1) लक्ष्य (2) साधन, और (3) तार्किकता को मानता है। यह सम्प्रदाय मानकात्मक तत्त्व का उल्लेख अलग से नहीं करता है। इसका मानना है कि मानकात्मक लक्षण तार्किकता में अन्तर्निहित है। उनका अलग से वर्णन करने का कोई औचित्य नहीं है। पारसन्स के अनुसार इस सिद्धान्त को मानने वाले दुखांम और माझां हैं। सेकिन पारसन्स ने लिखा है कि इन दोनों समाजशास्त्रियों ने अपने अन्तिम विद्यारो में मानकों को भी सामाजिक क्रिया का प्रमुख तत्त्व माना है।

**2 क्रिया का मानकात्मक सिद्धान्त (Normative Theory of Action)**— पारसन्स ने लिखा कि मैक्स वेबर एवं उनके जर्जन विचारकों ने सामाजिक क्रिया का मानकात्मक सिद्धान्त प्रतिपादित किया है, जिसके अनुसार कर्ता क्रिया करने से पूर्व लक्ष्य एवं साधनों का चयन समाज के प्रचलित मानकों के अनुसार करता है। इन विद्वानों की मान्यता रही है कि तार्किकता का लक्षण मानकात्मक निर्णय की प्रक्रिया में अन्तर्निहित है। उनकी अलग से वर्चा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपने स्पष्ट किया है कि मैक्स वेबर ने अपने जीवन के अन्तिम वर्षों में सामाजिक क्रिया को महत्वपूर्ण तत्त्व तार्किकता पर भी अलग से प्रकाश डाला है जब आपने नौकरशाही अवधारणा की विवेचना की है।

**3 पारसन्स का क्रिया का स्वेच्छाचालित सिद्धान्त (Parsons' Voluntaristic Theory of Action)**— पारसन्स ने क्रिया के प्रत्यक्षवादी और मानकात्मक सिद्धान्तों को मूल्याकान करने के बाद पाया कि ये दोनों सिद्धान्त एक-दूसरे के विरोधी नहीं हैं। बल्कि एक-दूसरे के पूरक हैं। आपने प्रत्यक्षवादी सिद्धान्त में मानकों को तार्किकता में तथा मानकात्मक सिद्धान्त में तार्किकता को मानकों में अन्तर्निहित माना है। अगर प्रत्यक्षवादी सिद्धान्त में मानकों को तथा मानकात्मक सिद्धान्त में तार्किकता को स्पष्ट रूप से जोड़ दे तो सामाजिक क्रिया का एक पूर्ण वैज्ञानिक सिद्धान्त बन जाता है। आपने इसी सिद्धान्त को स्वेच्छाचालित सिद्धान्त कहा है। आपके इस सिद्धान्त के चार तत्त्व हैं—(1) लक्ष्य, (2) साधन, (3) तार्किकता, और (4) मानक। इस सिद्धान्त को पारसन्स ने क्रिया का विश्लेषणात्मक सिद्धान्तभी कहा है। इस सिद्धान्त को पारसन्स ने अपनी प्रथम कृति 'दा स्ट्रक्चर ऑफ सोशियल एक्शन' में प्रतिपादित किया है।

**सामाजिक क्रिया के तीन पक्ष (Three Aspects of Social Action)**— पारसन्स, शॉल्स एवं ओल्ड्स ने सामाजिक क्रिया के निम्न तीन पक्ष बताए हैं—(1) सास्कृतिक पक्ष, (2) व्यक्तित्व पक्ष, और (3) सामाजिक पक्ष। इन तीनों पक्षों के साथ अपने निम्न तीन व्यवस्थाओं का सविस्तार वर्णन किया है—(1) सास्कृतिक व्यवस्था, (2) व्यक्तित्व व्यवस्था और (3) सामाजिक व्यवस्था। इन तीनों पक्षों एवं व्यवस्थाओं का अध्ययन क्रमशः मानवशास्त्र, मनोविज्ञान और समाजशास्त्र करते हैं। जब ये तीनों विज्ञान सामाजिक क्रिया का अध्ययन करते हैं तो इन

विज्ञानों के परिप्रेक्ष्य एवं अध्ययन के आधार एवं चर विशिष्ट होते हैं। पारसन्स, शील्ग एवं साधियों ने सम्पादित पुस्तक टूबर्ड ए जनरल थोरी ऑफ एक्शन में इन विज्ञानों के द्वारा सामाजिक क्रिया के अध्ययन के आधार इस प्रकार बताए हैं।

**1. मानवशास्त्र एवं सामाजिक क्रिया (Anthropology and Social Action)**—  
मानवशास्त्र सामाजिक क्रिया के सांस्कृतिक पक्ष का अध्ययन करके सांस्कृतिक व्यवस्था की व्याख्या करते एवं सिद्धान्त प्रतिपादित करने का प्रयास करता है। मानवशास्त्र सामाजिक क्रिया का छँगबद्ध अध्ययन एवं विश्लेषण मानकात्मक प्रतिमान (Normative Pattern) के आधार पर करता है। इस विज्ञान का यह ज्ञात करने का प्रयास रहता है कि क्रिया किन सामाजिक मानकों, मूल्यों, आदर्शों, प्रथाओं, संस्थाओं आदि के द्वारा निर्धारित, निर्देशित और संचालित होती है। मानकात्मक प्रतिमान समाज सम्पत्ति क्रियाओं को करने की अनुमति प्रदान करता है और समाज विरोधी क्रियाओं को रोकने का कार्य करता है। सांस्कृतिक प्रतिमान के अन्तर्गत निम्न तीन प्रमुख व्यवस्थाएँ होती हैं—(द्व) विचार या विश्वास व्यवस्था, (2) अभिव्यक्ति योग्य प्रतीक व्यवस्था और मूल्य अभिमुखता व्यवस्था।

**2. मनोविज्ञान एवं सामाजिक क्रिया (Psychology and Social Action)**—  
मनोविज्ञान क्रिया का अध्ययन आवश्यकता पूर्ति के दृष्टिकोण से करके व्यक्तित्व व्यवस्था को समझने एवं उससे सम्बन्धित सामान्यीकरण करने का प्रयास करता है। पारसन्स एवं साधियों की मान्यता है कि व्यक्तित्व का विकास सामाजिक अन्तःक्रिया के द्वारा होता है। व्यक्ति अपनी भोजन, वस्त्र, आवास आदि आवश्यकताओं की पूर्ति समाज में रहकर ही कर सकता है। पारसन्स आदि ने आवश्यकता पूर्ति को समाज द्वारा विकल्पों के चुनाव की एक प्रक्रिया माना है। व्यक्ति समाज में समाजीकरण के द्वारा एक व्यक्तित्व व्यवस्था के रूप में विकसित हो जाता है जिसमें निम्न चार प्रकार के चर कार्य करते हैं—(1) प्रेरणा, (2) विनिधान या बैंटवारा की प्रक्रिया, (3) सुरक्षा व समायोजन की यांत्रिकता (क्रियाविधि), और (4) एक गत्यात्मक व्यक्तित्व के रूप में विभिन्न आवश्यकता पूर्तियों का एकीकरण। गारसन्स एवं साधियों ने लिखा है कि व्यक्तित्व एक स्वत्र पक्ष होते हुए भी वह अन्य पक्षों से जुड़ा होता है जिसे पूरक भूमिकाओं के अन्तर्गत देखा जा सकता है। इन विद्वानों के अनुसार मनोविज्ञान सामाजिक क्रिया के अध्ययन के द्वारा व्यक्तित्व व्यवस्था को समझने का प्रयास करता है। आपने यह भी लिखा है कि व्यक्ति में संस्कृति का आनंदरिकरण ही व्यक्तित्व व्यवस्था है।

**3. समाजशास्त्र और सामाजिक क्रिया (Sociology and Social Action)**—पारसन्स एवं साधियों ने लिखा है कि जिस प्रकार से क्रिया का अध्ययन मानवशास्त्र मानकात्मक प्रतिमान तथा मनोविज्ञान आवश्यकता पूर्ति के आधार पर करता है उसी प्रकार से समाजशास्त्र क्रिया का अध्ययन भूमिका सम्बन्ध (सेट) के आधार पर करता है। आपने लिखा है कि जिस प्रकार मानवशास्त्र सांस्कृतिक व्यवस्था को तथा मनोविज्ञान व्यक्तित्व व्यवस्था को क्रिया के अध्ययन के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं उसी प्रकार से समाजशास्त्री क्रिया के अध्ययन के द्वारा सामाजिक व्यवस्था को समझने का प्रयास करते हैं। पारसन्स एवं साधियों ने सामाजिक व्यवस्था की प्रथम

इकाई सामाजिक भूमिका को बताया है जिसे समष्ट करते हुए इन्होंने इसे भूमिकाओं की अन्त क्रिया कहा है।

भूमिकाओं के समुच्चय में जो पात्र होते हैं उनके कुछ उद्देश्य होते हैं। इन उद्देश्यों की पूर्ति क्रिया में भाग लेने वाले पात्र समाज सम्मत नियमों, मूल्यों आदि के आधार पर करते हैं। इससे जो सम्पन्नों का स्वरूप निर्भित होता है उस पारसन्स एवं साधी सामाजिक व्यवस्था कहते हैं। आपके अनुसार सामाजिक व्यवस्था का निर्माण प्रतिमानों के आधार पर होता है। आपने स्पष्टतः लिखा भी है कि संस्कृति वा मस्थाकरण (Institutionalization) ही सामाजिक व्यवस्था है। समाज का निर्माण कुछ सामान्य मूल्यों के आधार पर होता है। सामाजिक व्यवस्था की एक विशेषता यह है कि इसमें सभी व्यवहार एवं सामूहिक अन्त क्रियाएँ सम्पन्नोंमुख्य होती हैं। सामाजिक व्यवस्था में सहयोग, प्रतिस्पर्श, प्रतियोगिता, सघर्ष आदि को व्यवस्थित एवं नियंत्रित करने के अनेक साधन होते हैं। निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि समाज स्वयं में एक व्यवस्था है। पारसन्स एवं साधियों ने लिखा है कि सामाजिक क्रिया करने से पूर्व कर्ता के सामने कुछ दुष्प्रियता आती है। उनको हल करने एवं विकल्प का चयन करने के बाद ही कर्ता क्रिया करता है। ये दुष्प्रियता एवं विकल्पों के चयन निम्नलिखित हैं—

### अभिविन्यास की दुष्प्रियता एवं परिवर्ती प्रतिमान

#### (Dilemmas of Orientation and the Pattern Variables)

पारसन्स, शील्स और ओल्डस ने लिखा है कि क्रिया के सिद्धान्त में परिवर्ती प्रतिमानों का विशेष महत्व है। आपने लिखा है कि कर्ता क्रिया की परिस्थिति में अनेक अभिविन्यासों की दुष्प्रियताओं की भूमिका अन्यतरीकरण करता है। कर्ता को प्रमुख विकल्पों की शृंखलाओं का चयन करना पड़ता है तभी उसे परिस्थिति का नियन्त्रित अर्थ, समझ में आता है। कर्ता को परिस्थिति के निर्णयिक अर्थ को समझने के लिए सर्वप्रथम विकल्पों की भूमिका का चयन करना होता है। पारसन्स और उनके साधियों को यह मान्यता है कि कर्ता को पाँच विशिष्ट दुष्प्रियता विकल्पों का चयन करना पड़ता है तथा उसके बाद ही उसके लिए परिस्थिति अर्थपूर्ण हो पाता है। इन्हीं पाँच दुष्प्रियताओं को जो कर्ता को विकल्पों के एकाधिक उपाय प्रदान करते हैं—पारसन्स एवं साधियों ने परिवर्ती प्रतिमान कहा है। इन्होंने परिवर्ती प्रतिमान को निम्न परिभाषा दी है—

“परिवर्ती प्रतिमान एक द्विभाषिति है जिसके एक पथ का चयन कर्ता को परिस्थिति के अर्थ का निर्णय करने से पहिले करना होता है और उसके बाद ही वह परिस्थिति के अनुसार क्रिया करता है।”

पारसन्स एवं साधियों ने लिखा है कि हम यह मानते हैं कि केवल पाँच भौतिक परिवर्ती प्रतिमान होते हैं जिनको क्रिया के सिद्धान्त के सन्दर्भ विच्यास से सीधे ही व्युत्पन्न किया है, एक व्यवस्था का निर्माण करते हैं। इन्होंने इनको निम्न सूची दी है जिसमें उनको क्रम संख्या, एक नाम प्रदान किया है जिससे इनकी विवेचना सरलतापूर्वक की जा सके।

## परिवर्ती प्रतिमानों की सूची

1. भावात्मकता-भावात्मक तटस्थला
2. म्ब-अभिविन्यास-मापूहिक अभिविन्यास
3. मर्वब्लाप्टोवाद विशिष्टतावाद
4. प्रदत्त-अर्जित
5. विभृतता विनिर्दिष्टता

### परिवर्ती प्रतिमानों की परिभाषाएँ

*(The Definitions of Pattern Variables)*

**( 1 ) संवेग को तृप्ति बनाने अनुशासन द्विधापत्ति :** भावात्मकता-तटस्थला (The Dilemma of gratification of Impulse versus Discipline Affectivity-Neutrality)—यह प्रतिमान उम् दुविधा में मन्मन्त्रित है जब कर्ता दो हुई परिस्थिति में एक निश्चित संवेग या प्रवृत्ति को तृप्ति करने को ममम्बा का सामना करता है कि वह उम् पूर्ण करे अथवा अपने पर नियंत्रित रखे। अगर परिमिति संवेग को पूर्ण करने की अनुमति देती है तब तो कर्ता भावात्मकता परिवर्ती प्रतिमान का चयन कर सकता है। अगर परिस्थिति कर्ता को अपने संवेग, प्रवृत्ति या उत्तेजना को नियंत्रित रखने को बाध्य करती है तो कर्ता को भावात्मक तटस्थला परिवर्ती प्रतिमान का चयन करना होगा।

पारसन्स एवं साथियों ने सभी प्रतिमान के चयन के सम्बन्ध में सांस्कृतिक पक्ष, व्यक्तित्व पक्ष और सामाजिक व्यवस्था पक्ष के अनुसार भी अलग-अलग व्याख्याएँ की हैं जो इस प्रकार हैं—

**( अ ) सांस्कृतिक पक्ष (Cultural Aspect)**

**भावात्मकता (हृष्टद्वृष्टद्वृष्टि)**—इस प्रतिमान में यानकात्मक प्रतिमान कर्ता को अपनी प्रवृत्ति को तृप्ति करने की अनुमति प्रदान करता है।

**भावात्मकता तटस्थला (Affective Neutrality)**—इसमें यानकात्मक प्रतिमान कर्ता को अवश्यकता को दो हुई परिस्थिति में स्वयं की इच्छाओं और संवेगों पर नियंत्रण रखने का आदेश देता है।

**( ब ) व्यक्तित्व पक्ष (Personality Aspect)**

**भावात्मकता (Affectivity)**—आवश्यकता पूर्ति के दृष्टिकोण से कर्ता इस प्रतिमान के अनुसार एक दो हुई परिस्थिति में, अवसर का लाभ उठाने और अपने संवेग को पूर्ण करने की अनुमति प्राप्त करता है।

**भावात्मकता तटस्थला (Affective Neutrality)**—इसमें आवश्यकता पूर्ति के दृष्टिकोण से कर्ता को अपने संवेगों पर नियंत्रण रखना होता है। कर्ता परिस्थिति का लाभ उठाकर अपने संवेगों, इच्छाओं एवं प्रवृत्ति को तृप्ति नहीं कर सकता है। उसे अनुरासित रहना होगा।

### ( स ) सामाजिक व्यवस्था पक्ष (Social System Aspect)

1. भावात्मकता (Affectivity)—इसमें भूमिका अपेक्षा के अनुसार भूमिका करने वाला पदभारी दो हुई परिस्थिति में वस्तुओं के प्रति अपनी निश्चित प्रतिक्रिया स्वतंत्र रूप से व्यक्त कर सकता है। उसे अनुशासन के प्रति स्वयं पर नियन्त्रण रखने की कोई आवश्यकता नहीं है।

2. भावात्मक टट्टस्थता (Affective Neutrality)—उसमें भूमिका अपेक्षा के अनुसार भूमिका करने वाले पदभारी को अनुशासन का ध्यान रखते हुए अपने सदेगों पर नियन्त्रण रखना होगा। वह अपने सदेगों को व्यक्त नहीं कर सकता है।

( २ ) निजी चनाम सामूहिक अभिरचियों द्विधापत्ति स्व-सामूहिक अभिविन्यास (The Dilemma of Private Versus Collective interests—Self-collective Orientation)—इसे पारसन्स एवं साथियों ने निजी अनुमति और सामूहिक उत्तरदायित्व के बीच वितरण की दुविधा भी बताया है। दो हुई परिस्थिति में जब उच्च आवृत्ति में अभिरचियों में असनुलम होता है तब निजी लक्ष्यों और सामूहिक लक्ष्यों के मध्य चयन करने की समस्या आती है। इस दुविधा का समाधान कर्ता द्वारा या तो स्वयं के हित का चयन करके होता है या फिर उन अभिरचियों की प्राथमिकता देकर किया जाता है जो समूह के लिए लाभकारी हैं जिनमें कर्ता भी लाभ का हिस्सेदार है।

### ( ३ ) सांस्कृतिक पक्ष (Cultural Aspect)

1. स्व-अभिविन्यास (Self-Orientation)—इसमें मानवात्मक प्रतिमान के अनुसार दो हुई परिस्थिति में कर्ता को एक सोमा तक अपने निजी हितों को पूर्ण करने के लिए अवसर का लाभ उठाने की अनुमति होती है। उसे दूसरे कर्ताओं की अभिरचियों का ध्यान रखने की कोई आवश्यकता नहीं है।

2. सामूहिक-अभिविन्यास (Collective-Orientation)—इसमें मानवात्मक प्रतिमान कर्ता के सामूहिक उत्तरदायित्व को परिभाषित करता है। मानवात्मक प्रतिमान कर्ता के उस क्षेत्र का वर्णन करता है जिसमें उसे सामूहिकता का ध्यान रखना होता है। उन मूल्यों का चयन करना होता है जिनके द्वारा वह अन्य सदस्यों के साथ उत्तरदायित्व पूर्ण करता है।

### ( ४ ) व्यक्तित्व पक्ष (Personality Aspect)

1. स्व-अभिविन्यास (Self-Orientation)—प्रतिमान के चयन से आवश्यकता पूर्ति के दृष्टिकोण से कर्ता को अपने लक्ष्य को पूर्ण करने की अनुमति होती है। उसे उस समूह का ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं है जिनका वह सदस्य है।

2. सामूहिक-अभिविन्यास (Collective Orientation)—इसमें आवश्यकता पूर्ति के दृष्टिकोण से कर्ता को दो हुई परिस्थिति में उन मूल्यों का ध्यान रखना होता है जिनका वह दूसरों के हाथ अर्थात् सामूहिकता के साथ हिस्सेदार है। अर्थात् वह पराहम् के द्वारा अधिमुखी होता है। कर्ता निजी हित को छोड़कर सामूहिक हित के मूल्यों का चयन करता है।

### ( स ) सामाजिक व्यवस्था पक्ष (Social System Aspect)

1. स्व-अभिविन्यास (Self-Orientation)—इसमें भूमिका अपेक्षा के अनुसार भूमिका पदधारी दी हुई परिस्थिति में अपने हितों सम्बन्धी मूल्यों को प्राथमिकता देता है। दूसरे कर्त्ता और के हितों का ध्यान रखने की उसे आवश्यकता नहीं है।

2. सामूहिक-अभिविन्यास (Collective-Orientation)—इसमें भूमिका अपेक्षा के अनुसार भूमिका करने वाले पदधारी को सीधे ही सामूहिकता के हितों एवं मूल्यों का ध्यान रखना होता है जिस सामूहिकता का वह सदस्य है। जब सामूहिक और निजी हितों में टकराव को स्थिति आती है जो इस प्रतिपान के अनुसार उसे सामूहिक हितों एवं मूल्यों को प्राथमिकता देने की उससे अपेक्षा रखी जाती है।

( ३ ) अनुभवातीतता यनाम सर्वव्यापकता की द्विपापत्ति : सर्वव्यापकताद्वाद-विशिष्टताद्वाद (The Dilemma of Transcendence Versus Immanence Universalism-Particularism)—जब कर्त्ता किसी परिस्थिति का सामना करता है तो उसके सामने ये दुविधा आती है कि वह वस्तु को परिस्थिति में सामान्य मानकों के अनुसार व्यवहार करे अथवा वस्तु को विशिष्ट तर्ग के अनुसार मानकर व्यवहार करे। इस द्विपापत्ति का हल मानकों के मापदण्ड को प्राथमिकता देकर किया जा सकता है जो अधिकतय सामान्यीकृत होते हैं अथवा मूल्य के उस मापदण्ड को प्राथमिकता देकर दुविधा को हल किया जा सकता है जो मूल्य कर्त्ता और वस्तु के विशिष्ट सम्बन्धों की व्यवस्था से सम्बन्धित हैं।

### ( अ ) सांस्कृतिक पक्ष (Cultural Aspect)

1. सर्वव्यापकताद्वाद (Universalism)—इसमें मानकात्मक प्रतिपान के अनुसार कर्त्ता को दी हुई परिस्थिति में सदस्य के प्रति सामान्य मानदण्डों के अनुसार व्यवहार करने की अनुमति प्रदान करता है न कि उसके गुणों के अनुसार व्यवहार करने की दृष्टि देता है।

2. विशिष्टताद्वाद (Particularism)—इसमें मानकात्मक प्रतिपान कर्त्ता को व्यक्ति के साथ व्यक्ति की विशिष्टताओं के अनुसार मानदण्डों का चयन करके व्यवहार करने के आधार निश्चित करता है।

### ( य ) व्यक्तित्व पक्ष (Personality Aspect)

1. सर्वव्यापकताद्वाद (Universalism)—इस परिवर्ती के अनुसार आवश्यकता पूर्ति के दृष्टिकोण से दी हुई परिस्थिति में कर्त्ता व्यक्ति के प्रति सामान्य मानदण्डों के अनुसार व्यवहार करता है न कि व्यक्ति की विशिष्ट विशेषताओं को ध्यान में रखकर करता है।

2. विशिष्टताद्वाद (Particularism)—इसमें आवश्यकता पूर्ति के अनुगार दी हुई परिस्थिति में कर्त्ता अपनी और प्रतिकर्ता की विशिष्ट विशेषताओं को ध्यान में रखकर विशिष्ट मापदण्डों एवं मूल्यों के आधार पर क्रिया करता है। यह सामान्यीकृत नियमों के अनुसार व्यवहार नहीं करता है।

## (स) सामाजिक व्यवस्था पक्ष (Social System Aspect)

1. सर्वव्यापकतावाद (Universalism) — भूमिका अपेक्षा के अनुसार दी हुई परिस्थिति में उन मानकों एवं मानदण्डों को प्राथमिकता दी जाती है जो पूर्ण रूप से सामान्योकृत शब्दावली के द्वारा परिभासित होते हैं। ये कर्ता और प्रतिकर्ता के विशिष्ट सम्बन्धों प्रस्थिति आदि से स्वतंत्र होते हैं।

2. विशिष्टतावाद (Particularism) — इसमें भूमिका अपेक्षा के दृष्टिकोण से सदस्यता को योग्यता एवं विभिन्न व्यवहार के लिए निर्णय की प्राथमिकता उन मानदण्डों के अनुसार निश्चित की जाती है जो कर्ता और प्रतिकर्ता के विशिष्ट सम्बन्धों और विशेषताओं पर आधारित होते हैं। इसमें सामान्योकृत सार्वभौमिक वर्ग की विशेषताओं का ध्यान नहीं रखा जाता है।

(4) सदस्यों की प्रकारताओं की द्विधायति : प्रदत्त-अर्जित (The Dilemma of Object Modalities Ascribed-Achieved) — जब कर्ता परिस्थिति में वस्तु (व्यक्तियों) का समना करता है तो उसके सामने यह दुविधा आती है कि वह उसके साथ कैसे व्यवहार करे। यह उन व्यक्तियों को उनकी कार्य कुशलता की क्षमता के अनुसार व्यवहार करे, अथवा वे जो कुछ हैं उसके अनुसार व्यवहार करे। इस दुविधा का समाधान वह दो प्रकार से कर सकता है। पहिला वह सदस्यों को उनकी विशेषताओं (जन्म के आधार पर) को प्राथमिकता दे अथवा दूसरा उनकी कार्य क्षमता (निष्पादन) को प्राथमिकता दे।

## (अ) सांस्कृतिक पक्ष (Cultural Aspect)

1. प्रदत्त (Ascription) — इसमें मानकात्मक प्रतिमान यह निर्धारित करता है कि कर्ता दी हुई परिस्थिति में सदस्यों को चयन करने में उनमें विद्यमान निश्चित लक्षणों को प्राथमिकता दे, जैसे—सामूहिक सदस्यता, आधिपत्य, पात्रमूलकता आदि। वह उस सदस्य को किसी भी विशिष्ट कार्य कुशलता (भूत, वर्तमान या भावी) का ध्यान नहीं रखेगा। ऐसा जाति व्यवस्था में होता है।

2. अर्जित (Achievement) — मानकात्मक प्रतिमान यह निर्धारित करता है कि दी हुई परिस्थिति में कर्ता को सामाजिक वस्तुओं (सदस्यों) को उनकी विशिष्ट कार्य क्षमताओं (भूत, वर्तमान या भावी) का ध्यान रखकर क्रिया करेगा न कि उनमें विद्यमान लक्षणों (सदस्यता, आधिपत्य आदि) का ध्यान रखेगा। इसका उदाहरण वर्ग व्यवस्था में होता है।

## (ब) व्यक्तित्व पक्ष (Personality Aspect)

1. प्रदत्त (Ascription) — आवश्यकता-पूर्ति के अनुसार कर्ता दिए हुए चयन के विन्दु पर सामाजिक वस्तु (सदस्यों) को उनमें विद्यमान लक्षणों के आधार पर क्रिया करेगा न कि उनको भूत, वर्तमान या भावी कार्य कुशलताओं की क्षमताओं के आधार पर। ऐसा जाति व्यवस्था में होता है।

2. अर्जित (Achievement) — आवश्यकता-पूर्ति के अनुसार कर्ता दिए हुए चयन के विन्दु पर सामाजिक वस्तु (सदस्यों) को उनकी विशिष्ट कार्य करने की क्षमता (भूत, वर्तमान

या भावो) के आधार पर क्रिया करेगा न कि उनके लक्षणों के आधार पर। यह उनकी धमता, बुद्धि कौशल के अनुसार व्यवहार करेगा। ऐसा वार्ग-व्यवस्था में देखा जा सकता है।

### (रा) सामाजिक-व्यवस्था पक्ष (Social System Aspect)

1. प्रदत्त (Ascription)—भूमिका अपेक्षा के अनुसार भूमिका पदधारी अपना अभिमुखन सामाजिक वस्तु (सदस्यों) के प्रति दी हुई परिस्थिति में वस्तुओं (सदस्यों) को उनके जन्मज्ञात लक्षणों को प्राथमिकता देगा न कि उनकी वास्तविक कार्य क्षमता को।

2. अर्जित (Achievement)—भूमिका अपेक्षा के अनुसार भूमिका पदधारी अपना अभिमुखन सामाजिक वस्तु (सदस्यों) के प्रति दी हुई परिस्थिति में वस्तुओं (सदस्यों) को उनके उन लक्षणों एवं विशेषताओं को प्राथमिकता देगा जो वास्तविक या अपेक्षित कार्य क्षमताओं से सम्बन्धित हैं और जिनका सम्बन्ध सीधी ही कार्यकुशलताओं में है न कि उन विशेषताओं को महत्व देगा जो विशिष्ट कार्यकुशलताओं से स्वतंत्र है। जैसे जन्म पर आधारित रादस्य को महत्व नहीं देना। व्यक्ति की स्वयं के हारा ग्राप्त उपलब्धियों को गहन्त्व देना।

(5) सदस्य के महत्व के क्षेत्र की द्विपापत्ति : विस्तृतता-विनिर्दिष्टता (The Dilemma of the Scope of Significance of the Object—Diffuseness-Specificity)—पाँचवा परिवर्ती प्रतिमान एक सदस्य का दूसरे सदस्यों के साथ सामाजिक सम्बन्धों के महत्वपूर्ण क्षेत्र के निर्धारण करने से सम्बन्धित है। सदस्य दूसरे सदस्यों के साथ सीमित या विशिष्ट सम्बन्ध स्थापित करने का चयन करता है अथवा असीमित और सामान्य सम्बन्ध स्थापित करने के या चयन करने के लिए स्वतंत्र है। दुविधा यह है कि या तो वह अन्य सदस्यों के अनेक पक्षों के प्रति क्रिया करे अथवा कुछ सीमित पक्षों के प्रति सम्बन्धित रहे।

### (अ) सांस्कृतिक पक्ष (Cultural Aspect)

1. विस्तृतता (Diffuseness)—इसमें मानकात्मक प्रतिमान दी हुई परिस्थिति में यह निर्धारित करता है कि कर्ता को पूर्व में किसी भी निश्चित निर्देशों का जो कर्ता या अन्य सदस्यों के लाभ से सम्बन्धित है, ध्यान नहीं रखना चाहिए। बल्कि जैसे-जैसे परिस्थितियां उभरती हैं उनके अनुसार महत्व के क्षेत्र की भिन्नता और व्यापकता में भी परिवर्तन आना चाहिए। ऐसा ग्रामीण समाजों के संयुक्त परिवार के सदस्यों में देखा जा सकता है।

2. विनिर्दिष्टता (Specificity)—इसमें मानकात्मक प्रतिमान दी हुई द्वि-परिस्थिति में यह निर्धारित करता है कि कर्ता को अपने से सम्बन्धित यात के लिए व्यक्ति से निर्दिष्ट क्षेत्र तक ही सीमित रहना चाहिए और अन्य सम्भव आनुभविक क्षेत्रों में प्रवेश नहीं करना चाहिए।

### (ब) व्यक्तित्व पक्ष (Personality Aspect)

1. विस्तृतता (Diffuseness)—आवश्यकता पूर्ति के दृष्टिकोण से कर्ता को अपनी तथा अन्य सदस्यों की प्रकृति तथा कर्ता के साथ वास्तविक सम्बन्धों में वास्तविक स्थिति के महत्व में जैसे-जैसे परिवर्तन आता है उसके अनुसार प्रतिक्रिया करनी चाहिए। अर्थात् कर्ता और

प्रतिकर्ताओं के सम्बन्धों के महत्व के क्षेत्र बहुत अधिक व्यापक और विस्तृत होते हैं। एमा परम्परागत संयुक्त परिवार के सदस्यों में मिलता है।

**2. विनिर्दिष्टता (Specificity)**—आवश्यकता पूर्ति के दृष्टिकोण से कर्ता को सदस्यों के साथ उसी सीमा तथा रीति से प्रतिक्रिया करनी होगी जैसा महत्व का सन्दर्भ व दायित्व सदस्यों के साथ पूर्ण निर्दिष्ट है। इसमें परिस्थिति के परिवर्तन के साथ महत्व के क्षेत्र को बदला नहीं जा सकता है।

### (स) सामाजिक व्यवस्था पक्ष (Social System Aspect)

**1. विस्तृतता (Diffuseness)**—इसमें भूमिका अपेक्षा के अनुसार भूमिका पदधारी सम्बन्धित चयन विन्दु पर किसी भी सदस्य की महत्वपूर्ण समर्थता जिसमें दायित्व भी सम्मिलित है, और वह दूसरों रचियाँ और दायित्व को पूर्ण करने में समर्थ है, को प्राथमिकता उस सीमा तक देगा जिस सीमा तक उससे पूर्ण करने की आशा की जाती है। वह अपनी भूमिका अभिमुखता सदस्य के निर्दिष्ट महत्व तक सीमित नहीं रहेगा।

**2. विनिर्दिष्टता (Specificity)**—इसमें भूमिका अपेक्षा के अनुसार भूमिका पदधारी, सम्बन्धित चयन विन्दु पर सदस्य के प्रति एक निश्चित सीमा तक ही अभिमुखी होगा। वह सीमित क्षेत्र तक ही अपनी प्राथमिकताओं को पूर्ण करेगा जिसकी उससे अपेक्षा एवं आशा की जाती है। वह उन कर्तव्यों एवं दायित्वों को पूर्ण नहीं करेगा जिनको स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं किया गया है। ऐसा नागरीय समाजों एवं आपुनिक समाजों के कर्ताओं और सदस्यों के मध्य देखा जा सकता है।

पारसन्स एवं साथियों ने क्रिया के सिद्धान्त की व्याख्या समाजशास्त्र, मानवशास्त्र और मनोविज्ञान को ध्यान में रखकर की है। आपने परिवर्ती प्रतिमानों में भी इसको स्पष्ट किया है। इन चाँच प्रतिमानों में से "प्रदत्त अर्जित एवं विस्तृतता विनिर्दिष्टता से समाजशास्त्र के अधिक निकट है। सर्वव्यापकतावाद-विशिष्टतावाद सांस्कृतिक मानवशास्त्रीय प्रतिमान है। भावात्मकता-भावात्मक तटस्थिता मनोवैज्ञानिक है। स्व-सामूहिक अभिविन्यास मनोवैज्ञानिक और समाजशास्त्रीय दोनों ही है। वैसे पाँचों प्रतिमान संस्कृति से अधिक प्रभावित एवं निकटता रखते हैं। समाजशास्त्र के इतिहास में पारसन्स के इन परिवर्ती प्रतिमानों का विशेष प्रभाव रहा है। इनके विचारों का मूल्यांकन समय-समय पर अनेक प्रबुद्ध समाजशास्त्रियों द्वारा किया जाता रहा है। पारसन्स का यह सिद्धान्त महत्वपूर्ण होते हुए भी आलोचनाओं से स्वतंत्र नहीं है। इनको प्रमुख आलोचनाएँ निम्न हैं—

### पारसन्स के क्रिया के सिद्धान्त की आलोचना

#### (Criticism of Parsons' Theory of Action)

पारसन्स के क्रिया के सिद्धान्त के प्रमुख आलोचक मैक्स ब्लैक, सोरोकिन, मिचैल, गाउडलनर, कोहेन आदि हैं। पारसन्स को प्रमुख आलोचना यह है कि इन्होंने अति क्लिएट भाषा

का उपयोग किया है। ब्लैक ने पारमन्त्र की भाषा में मन्दब्धित आपसि ढटाई है। आपने लिखा है कि आपने एक अर्थ के लिए अनेक किनष्ट शब्दों का प्रयोग किया है। पारमन्त्र की भाषा मन्दब्धी दृमरी आलोचना यह है कि आपने एक ही वात को बढ़ा-बढ़ाकर अनेक शब्दों में लिखा है जिसे भरत भाषा में कुछ पृष्ठों में लिखा जा सकता था।

### (1) मैक्स ब्लैक द्वारा आलोचना (Criticism by Max Black)

1. मैक्स ब्लैक ने पारमन्त्र की प्रमुख आलोचनाएँ निम्न की हैं। आपना कहना है कि पारमन्त्र एक ऐसे मिदानवेत्ता है जिनके पास जनुभाविक एवं प्रयोगार्थित तथ्य नहीं हैं। मोरोक्सिन ने भी लिखा है कि उनकी कृतियों में आपको कहीं पर न तो आँकड़े, तालिकाएँ एवं तथ्य नियंत्रण और न ही परीक्षण मन्दब्धी मूल्यान्तर आलोचना है। आप दोनों के अनुमान पारमन्त्र का मिदान अवलोकन पर आधारित तथ्यों में बहुत दूर है। पारमन्त्र ने मिदान के निर्माण में मनूलता स्पाइन करने वाले तत्त्वों का उल्लेख मात्र किया है। आपके मिदान को आर्थिक प्राप्ति के दृष्टिकोण से स्थार्ट माना जाता है।

2. ब्लैक ने लिखा है कि परिवर्ती प्रतिमानों के अन्तर्गत प्रमुख 'चक्र' शब्द का अर्थ 'संस्कीर्ण एवं जारीदा' लिया गया है। यह कहना पारमन्त्र का त्रुटिपूर्ण है कि क्रिया की ओरता वनाते समय व्यक्ति के मन्दूरु इस प्रकार के परिवर्ती प्रतिमान होते हैं। योगस्ट्रीड ने तास के खेल का ढाराहरण देते हुए समझ किया है कि खिलाड़ी तास खेलते समय इन परिवर्ती प्रतिमानों का प्रयोग करेगा तो खेलना सम्भव ही नहीं हो पाएगा।

3. ब्लैक ने पारमन्त्र के मिदान में तर्फ मन्दब्धी कमी वनाते हुए लिखा है कि तार्किक दृष्टि में इनके मिदान में मूलतन्त्र का अभाव है।

4. पारमन्त्र ने परिवर्ती प्रतिमान को मनूल (निरनाला) नहीं माना है। ये उन्हें द्वि-परिवर्तीय एवं विरोधी मानते हैं जबकि क्रिया में उनके मध्य की स्थिति भी देखी जा सकती है।

5. ब्लैक के अनुमान परिवर्ती प्रतिमान मानाव्य मिदान के लिए आवश्यक नहीं है।

6. पारमन्त्र परिवर्ती प्रतिमानों की मृच्छा और बढ़ा सकते थे। क्योंकि कठोरी की अभिवृतियों को अनेक आधार पर बर्गोकृत किया जा सकता है। ब्लैक ने ढाराहरण दिया है जैसे वैयाक्तिक-अवैयाक्तिक, शविपूर्व-शविगहित आदि। पारमन्त्र ने भी लिखा है कि परिवर्ती प्रतिमान और भी हो सकते हैं। फिलिप मेन्ट्रिनिक ने भी इस प्रकार की आलोचना की है।

### (2) बीरस्ट्रीड द्वारा आलोचना (Criticism by Bierstedt)

बीरस्ट्रीड ने पारमन्त्र के मिदान की आलोचना बताते समय लिखा है कि परिवर्ती प्रतिमान की ओरता विभिन्नोंका उपयुक्त यंत्र नहीं है। आपने लिखा, "मात्र इतना कहना पर्याप्त होता कि कुछ मन्दब्ध प्रतिमान-मन्दब्ध होते हैं, जैसे—कर भंगाहक व करदाना में। कुछ मन्दब्ध वैयाक्तिक भी होते हैं जैसे अभिवाकृत एवं वर्जन के मध्य। इन मन्दब्धों में ताताप्य एवं मनूलताना पाते हैं न कि द्विआधारित।"

### ( 3 ) सोरोकिन द्वारा आलोचना (Criticism by Sorokin)

सोरोकिन ने पारसन्स के सामान्य सिद्धान्त और क्रिया के सिद्धान्त को अप्रतिलिखित आलोचनाएँ की हैं—

( 1 ) पारसन्स के क्रिया सिद्धान्त की अवधारणाएँ स्पष्ट नहीं हैं। पारसन्स द्वारा प्रयोग की गई अवधारणाएँ अस्पष्ट और भ्रामक हैं। ( 2 ) पारसन्स के क्रिया के सिद्धान्त द्वारा मानव की सभी क्रियाओं की व्याख्या करना सम्भव नहीं है। यह सिद्धान्त मानव की कुछ क्रियाओं पर ही लागू होता है। ( 3 ) पारसन्स के क्रिया के सिद्धान्त के द्वारा क्रिया की सरचना एवं लक्षणों की व्याख्या स्पष्ट नहीं होती है। ( 4 ) इनके सिद्धान्त के माध्यम से क्रिया की व्यवस्था को पूर्ण रूप से समझा नहीं जा सकता है। ( 5 ) पारसन्स का क्रिया का सिद्धान्त कर्त्ता के सम्बन्ध में बहुत कम या कुछ भी स्पष्ट रूप से नहीं कहता है। ( 6 ) पारसन्स की क्रिया का सिद्धान्त का मुख्य पक्ष चेतन क्रिया है जिसके सम्बन्ध में पारसन्स ने बहुत कम एवं अपर्याप्त व्याख्या की है।

निष्कर्ष में सोरोकिन ने लिखा है कि क्रिया के सिद्धान्त के सम्बन्ध में पारसन्स का सिद्धान्त अपर्याप्त है तथा इससे सम्बन्धित वैज्ञानिक सिद्धान्त के लिए अभी और इनजार करना होगा।

### ( 4 ) मिचैल द्वारा आलोचना (Criticism by Mitchell)

आपने लिखा है कि पारसन्स के क्रिया के सिद्धान्त में सधर्व को कोई स्थान नहीं दिया गया है। यह पारसन्स के सिद्धान्त की बड़ी कमी है। मिचैल ने पारसन्स के समीक्षा करते हुए लिखा है कि आपके सिद्धान्त की अनेक कमियाँ हैं। आपके सिद्धान्त के अनेक आलाद्यक एवं प्रशासक देखे जा सकते हैं। पारसन्स ने समाज में एकात्मकता, भूल्य तथा मानक आदि को महत्त्व दिया है जबकि समाज में सधर्व शोषण और दमन आदि जैसे तत्व भी विद्यमान होते हैं। इन पर पारसन्स ने ध्यान नहीं दिया है। यह इनके सिद्धान्त को बड़ी कमी है।

### ( 5 ) कोहेन द्वारा आलोचना (Criticism by Cohen)

कोहेन ने पारसन्स के आलोचकों को निम्न तीन वर्गों में विभाजित किया है— ( 1 ) वे आलोचक जो गलत प्रश्न रखते हैं और उनका गलत समाधान प्रस्तुत करने के लिए पारसन्स की आलोचना करते हैं, ( 2 ) कुछ आलोचक पारसन्स द्वारा उठाए गए प्रश्नों का अलग-अलग उत्तर देते हैं, और ( 3 ) वे आलोचक जो पारसन्स को आलोचना करते हैं परन्तु उनके कुछ भौतिक तर्कों को स्वीकार करते हैं। प्रथम वर्ग के आलोचकों के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहा जा सकता है। दूसरे प्रकार के आलोचक मानते हैं कि पारसन्स ने मर्तैक्य एवं मूल्य उन्मेष पर सधर्व, उत्पीड़न तथा प्रभुत्व के मूल्य पर जोर दिया है। परन्तु इन पर समुचित प्रकाश नहीं डाला गया है। डाहरेनडार्क ने पारसन्स द्वारा उठाए गए मुद्दों को तो स्वीकार किया है परन्तु समाधानों को अस्वीकार किया है। आप कोहेन के अनुसार इस दूसरे प्रकार के वर्ग के आलोचकों में आते हैं। ताकबुड़ तीसरी श्रेणी के आलोचक हैं। आप पारसन्स के कुछ भौतिक तर्कों को स्वीकार करते हैं परन्तु साथ ही उनकी आलोचना भी करते हैं।

पारसन्न के कई आलोचकों को मान्यता है कि पारसन्स द्वारा प्रस्तुत व्यवस्था गत्यात्मक नहीं है। पारसन्न का कर्ता कभी भी क्रिया करता हुआ नहीं देखा जाता है। वह कभी भी लक्ष्य को प्राप्त नहीं करता है। लेविस फ्योर ने इम सम्बन्ध में लिखा है कि पारसन्सवादी व्यवस्था में क्रिया को क्रियाहीनता में अनृदित होने की प्रवृत्ति पाई जाती है। इस कमी को पारसन्न के सभी आलोचक बताते हैं।

**निष्कर्ष (Conclusion)**—गाउडलनर न लिखा है कि आधुनिक समाजशास्त्र पर पारसन्न के सिद्धान्त का प्रभाव ही नहीं है बल्कि इनके सिद्धान्त का आन्तरिक महत्व भी सिद्धान्त के रूप में है। आज ससार में कोई भी ऐसा समाजशास्त्री नहीं है जिसका शीक्षणिक समाजशास्त्र पर पारसन्न के प्रभाव का आधा भी प्रभाव हो। उनका आज भी समाजशास्त्र में बांधुक प्रभाव काफी है। आपके सिद्धान्त का प्रभाव समाजशास्त्र के सैद्धान्तिक जगत में व्यापक रूप से देखा जा सकता है।



## अध्याय-14

# भारत में समाजशास्त्रीय चिन्तन का विकास (Development of Sociological Thought in India)

भारत में समाजशास्त्रीय चिन्तन के विकास को अति प्राचीनकाल से देखा जा सकता है। भारत का लिखित इतिहास अति प्राचीन है। भारत के प्राचीन ग्रन्थों में भारतीय समाज के विकास से सम्बन्धित पाठीय सामग्री प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। भारतीय समाजशास्त्र एक विषय के रूप में नवीन है लेकिन भारतीय समाज के क्रमबद्ध और व्यवस्थित वर्णन और व्याख्या को प्राचीन ग्रन्थों में देख सकते हैं। समाजशास्त्रीय चिन्तन के विकास के स्रोत को पाठीय सामग्री को निम्न पाँच भागों में वर्गीकृत करके देख सकते हैं। ये हैं—(1) भारतीय धर्म ग्रन्थ, (2) ऐतिहासिक समाजान्यिक ग्रन्थ, (3) पुरातत्व सम्बन्धी साक्ष्य, (4) विदेशियों के विवरण, और (5) मध्यकालीन फारसी और अरबी साहित्य। इसके अतिरिक्त भारतीय समाजशास्त्रीय चिन्तन के विकास को अग्रिमतिथि शीर्षकों के अन्तर्गत क्रम से देखना चाहिए। सुधारवादी आन्दोलनों का प्रमुख राजनीतिक आन्दोलनों का प्रभाव एवं समाजशास्त्रीय चिन्तन में भारत विद्याशास्त्रियों का योगदान। इन्हीं शीर्षकों के अन्तर्गत भारत में समाजशास्त्रीय चिन्तन का विकास निम्नानुसार है—

(1) भारतीय धर्म ग्रन्थ (Indian Religious Books)—प्राचीन भारत में ब्राह्मण, बौद्ध और जैन धर्मों की प्रधानता थी। इन धर्म ग्रन्थों के पाठीय अध्ययन द्वारा भारत में समाजशास्त्रीय चिन्तन के विकास का परिदृश्य तैयार किया जा सकता है। प्रमुख पाठीय ग्रन्थ ब्राह्मण धर्म ग्रन्थ, बौद्ध धर्म ग्रन्थ और जैन धर्म ग्रन्थ हैं। इन धर्म ग्रन्थों में ब्राह्मण धर्म ग्रन्थ में चार वेद, 13 प्रमुख उपनिषद्, वेदांत, सूत्र ग्रन्थ, सृति साहित्य, महाकाव्य, पुराण आदि हैं। इन ग्रन्थों के पाठीय अध्ययनों से ज्ञात होता है कि तत्कालीन भारतीय समाज एवं सस्कृति को दशा कैसी थी? भारतीय समाज के विकास से सम्बन्धित सामग्री के महत्वपूर्ण स्रोत सृति साहित्य, महाकाव्य और पुराण भी हैं, जैसे—मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य, नारद, वृहस्पति, पारासर सृतियों एवं रामायण, महाभारत, प्राचीनतम महाकाव्य उल्लेखनीय स्रोत हैं। समाजशास्त्र के विकास में भारत विद्याशास्त्रियों ने तत्कालीन राजनीतिक भौगोलिक सस्कृति समृद्धि और रहन-सहन आदि का विस्तृत विवेचन किया है।

बौद्ध धर्म ग्रन्थ और जैन धर्म ग्रन्थ में भी क्रम से भारत की सामाजिक, सास्कृतिक, धर्मिक, आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था की महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है।

(2) पुरातत्व सम्बन्धी साक्ष्य (Evidences Related to Archaeology)—भारत में समाजशास्त्रीय चिन्तन का विकास भारत में उपलब्ध पुरातत्व सामग्री, जैसे—अभिलेख, कलाकृतियाँ, स्मारक भग्नावशेष पिट्ठी के वर्तन और सिक्कों के आधार पर भी देखा जा सकता है। ये साक्ष्य प्राचीन भारत के शासकों, सामन्तों तथा समृद्ध लोगों ने भूमियों के लिए लिए थे। समाजशास्त्रीय अध्ययनों के लिए इन अभिलेखों में सम्पादित भारत की सामाजिक-सांस्कृतिक महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलती हैं।

(3) विदेशियों के विवरण (Foreigner's Description)—प्राचीन भारतीय समाज के संदर्भ में विदेशी लेखकों के विवरण तथा ग्रन्थ उपलब्ध हैं। यूनानी लेखकों ने छटी शताब्दी ईसा पूर्व से भारतीय समाजिक व्यवस्था के संदर्भ में निन्तर कुछ न-कुछ लिखा है। मिस्न्डर के पूर्व के लेखकों की इच्छाओं में भारतीय समाज के विवरण मिलते हैं। मिस्न्डर के बाद के लेखक मेगस्थनीय ने 'इण्डका' व्यापक ग्रंथ अपने प्रत्यक्ष अनुभवों के आधार पर लिखा। चीनी लेखकों में चुमाचीन ने ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी में ग्रंथ लिखे। ऐसे ही अनेक विदेशियों के विवरणों में समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से भारत की धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक सम्बन्धी व्यहुमूल्य सामग्री उपलब्ध है।

(4) मध्यकालीन फारसी एवं अरबी साहित्य (Medieval Persian and Arabic Literature)—मध्यकालीन भारतीय समाज के अध्ययन के स्रोत फारसी और कुछ अरबी में हैं। ये प्रमुख स्रोत—तारीखे-उस-हिन्द-ताज-उल-मासिर, बाबसनामा, हुमारूनामा, अकबरनामा, आईने-अकबरी—इस साहित्य के कुछ उदाहरण हैं। ऐसे ग्रन्थ लगभग संलग्न में 40 से ऊपर हैं जिनमें अपने-आपने कात के भारतीय समाज की तत्कालीन समाजिक सांस्कृतिक विशेषताओं का वर्णन मिलता है। इनमें समाजशास्त्रीय चिन्तन के विकास को देखा जा सकता है।

(5) ब्रिटिश प्रभाव (British Impact)—भारतीय समाज के विकास पर ब्रिटिश शासनकाल के अनेक प्रभाव पढ़े हैं जिन्होंने भारतीय समाज में अनेक परिवर्तन किए हैं। ब्रितानिया सरकार ईसाई गिरजानियों और शिक्षा के कारण भारतीय समाज में सुधार आन्दोलन, मध्यम वर्ग का उदय, औद्योगीकरण, अक्षियादिता, पूँजीवाद आदि विभिन्न विचारधाराओं का प्रचार और प्रसार हुआ। ब्रिटिश प्रभाव के कारण नगरीकरण, परिवर्तन एवं राष्ट्रीयता की भावना आदि का उद्भव एवं विकास हुआ है। कुछ समाजशास्त्रियों ने ब्रिटिश प्रभाव को परिचयी अर्थात् योरोपीय संस्कृति का बाहक कहा है। के.एप. पणिकर के अनुसार, "ब्रिटिश शासन की रायमें अधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि भारत वा एकीकरण थी।"

ब्रितानिया सरकार ने भारत में पाठशालाएँ, विद्यालय, महाविद्यालयों, विश्वविद्यालय आदि स्थापित किए। भारत में शासन तथा प्रशासन चलाने के लिए भारतीयों को शिक्षित करना, नए-नए कानून बनाना, औद्योगीकरण करना, प्रेम लगाना आदि कार्य भी किए। भारत में स्वतः ही सांस्कृतिक आधुनिकीकरण हो गया। इन सबके प्रभाव से भारत का एकीकरण हुआ, राष्ट्रीयता की विचारधारा का विकास हुआ।

1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। इसने मूलतः आन्दोलन चलाया और 1947 ई. में भारत देश स्वतंत्र हुआ। हिन्दुओं के सामाजिक रूप से गिरावंत तथा व्यवस्थाओं में भा अनेक परिवर्तन हुए।

(6) सुधार आन्दोलनों का प्रभाव (Impact of Reform Movements)—भारत म समाजशास्त्रीय चिन्तन के विकास म सुधारवादियों के आन्दोलनों का विशेष प्रभाव पड़ा है। मध्यम वर्ग ने भारतीय समाज में सुधार के लिए 19वीं तथा 20वीं शताब्दी म अनेक प्रयास किये। सुधारवादियों का प्रयास भारत में धार्मिक और सामाजिक कानूनों को बदलना ही धर्म तथा म सुधार करना था। कुछ उल्लेखनीय सुधारक व्यापक के राजा राममोहन राय महाराज के ज्यानापीश महादेव गाविन्द रानाड राधाकीन देव दयानन्द सरस्वती, विवेकानन्द आदि हैं। राजा राममोहन राय न बदों के साथ ईसाई धर्म की शिक्षा आ का समावेश करके दशवायियों को प्रणालीशील बनाने का प्रयास किया। आपने भूतों प्रथा, बाल हत्या आदि बुराइयों और अध्यविश्वासों को दूर करने का प्रयास किया। इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की। रानाडे ने प्रार्थना समाज की स्थापना की जो ब्रह्म समाज पर आधारित था। दयानन्द सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। आपने जातिवाद, अध्यविश्वासों और अनुष्ठानों जैसी हानिकारक परम्पराओं को दूर करने का प्रयास किया और बदों की पुरातन शुद्धना को स्थापित करने का प्रयास किया। आपने भारत में परम्परा और आशुनिकता का समन्वय करके नवीन शिक्षा का सूचिपात्र किया तथा उत्तर भारत में दशानन्द एतो वैदिक महाविद्यालय स्थापित किए। विवेकानन्द ने रामकृष्ण पीठान की स्थापना की। इसके प्रमुख निम्न दो उद्देश्य रखे। पहला, शिक्षित भारतवासियों को समाज के कमज़ोर वर्गों के विकास के लिए उत्सहित करें और गरीबी तथा पिछड़ेपन का उन्मूलन करने का प्रयत्न करें। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए आपने आदिवासी, ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में पाठशालाएं और छात्रावासों की स्थापना की। इससे आपने सामाज्य सेवाओं में शिक्षा का प्रसार किया और बेरोजगारी को दूर करने का प्रयास किया। दूसरा, भारतीय बदों का पश्चिमी देशों में प्रचार और प्रसार किया जाए। इसके लिए आपने अनेक परिचयी देशों से आधारित जागरूकता के लिए कई केन्द्र खोले।

इन उपर्युक्त सुधारवादी आन्दोलनों से भारतीय समाज में समाजशास्त्र के उदय की पृष्ठभूमि तैयार हुई।

(7) राजनीतिक आन्दोलन का प्रभाव (Impact of Political Movement)—समाजशास्त्र के विकास में राजनीतिक आन्दोलनों का प्रभाव 1885 से देखा जा सकता है। आकर्तवियस ह्यूमन ने इस वर्ष राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की। गोंधी जी ने इस कांग्रेस दल को जनसाधारण की राजनीतिक पार्टी बना दिया जिसके अधिकतर सदस्य-किसान दस्तकार, नगर के व्यापारी और औद्योगिक मजदूर थे। राष्ट्रीय कांग्रेस मुट्ठे रूप से राजनीतिक गतिविधियों में व्यस्त रही। धार्मिक आन्दोलन में अप्रत्यक्ष रूप से इस आन्दोलन में सहयोग दिया। राजनीतिक आन्दोलन से राजनीतिक जागृति उत्पन्न हुई और धार्मिक आन्दोलन ने सोगों में आत्मविश्वास पैदा किया। भारतीय समाजशास्त्र के विकास में इन उपर्युक्त वर्णित सास्कृतिक धार्मिक और राजनीतिक आन्दोलनों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है।

**समाजशास्त्रीय चिन्तन की वैचारिक पृष्ठभूमि (Intellectual Background of Sociological Thought)**—भारत में समाजशास्त्र के विकास में वैचारिक पृष्ठभूमि का विशेष प्रभाव पड़ा। वैचारिक पृष्ठभूमि प्रदान करने वाले प्रमुख विद्वान् आनंदकुमार स्वामी, विनयकुमार सरकार विशेष उल्लेखनीय हैं। विनयकुमार सरकार का कहना था कि भारतीय समाज में भौतिकवादिता एवं धर्म निरपेक्षता दोनों ही विशेषताएँ, विद्यापान थीं। आनंदकुमार स्वामी ने कला के विकास पर जोर दिया तथा कला के माध्यम से जनसाधारण में जागृति पैदा की। आपको भारत का प्रारम्भिक सामाजिक व्यक्ति माना जाता है जिनके योगदान से भारतीय समाजशास्त्र का विकास सम्भव हो पाया है। स्वामी ने परम्परा और आधुनिकता के अन्तर को स्पष्ट किया तथा पूर्व और पश्चिम की तुलना करके भारत के अध्यात्मवाद और मूल्यों को अन्य संस्कृतियों से ग्रेट सिद्ध करने का प्रयास किया।

अंग्रेजी शासकों ने भारत में प्रशासन चलाने के लिए यहाँ के रीति-रिवाजों, सामाजिक संस्थाओं, प्रथाओं, मूल्यों को समझा। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए अनेक अंग्रेज प्रशासकों, विद्वानों जैसे हर्वर्ट रिजेल, हड्डन, विल्सन, विंडन पावर आदि ने भारतीय जनसमुदाय और इनकी विभिन्न संस्कृतियों का गहनता से अध्ययन किया जो आगे चलकर समाजशास्त्र और सामाजिक मानवशास्त्र के उद्भव और विकास में पृष्ठभूमि प्रदान करने में सहायक रहा। 1914 में बम्बई विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र का अध्ययन प्रारंभ हुआ। 1919 में बम्बई पैट्रिक गैडिस की अध्यक्षता में समाजशास्त्र और नागरिक शास्त्र विभाग की स्थापना हुई। इसी प्रकार से 1917 में कलकत्ता विश्वविद्यालय में, 1921 में लखनऊ विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र विषय के अध्ययन के केन्द्र बने और विभागों की स्थापना हुई।

**समाजशास्त्र के विकास में भारत विद्याशास्त्रियों का योगदान (Contribution of Indologists in the Development of Sociology)**—भारत में समाजशास्त्र के विकास में भारतीय और पाश्चात्य भारत विद्याशास्त्रियों का विशेष योगदान रहा है। उल्लेखनीय भारत विद्याशास्त्री-सर विलियम जेम्स, हेनरी भेन, अल्फ्रेड लायल, मैक्समूलर, कुमार स्वामी, डॉ. के. सरकार, राधाकमल मुकुर्जी, जो.एस. घुर्णे, डॉ.पी. मुख्यर्जी आदि गिनाए जा सकते हैं। इन विद्वानों ने भारत और उसकी संस्कृति के विभिन्न पक्षों का गहनता से अध्ययन किया तथा भारत की समृद्ध प्राचीन संस्कृति और दर्शनिक परम्परा पर प्रकाश ढाला। मैक्समूलर ने संस्कृत भाषा को सीखकर और भारत के प्राचीनतम महाकाव्यों, वेदों, साहित्यिक कृतियों आदि का अनुवाद करके लोगों के समझ प्रसुत किया। इसी द्वारा से भारत के भारत विद्याशास्त्रियों ने अनेक विषयों का अध्ययन संस्कृत वाङ्मय में किया, जिसके प्रभाव से भारतीय समाजशास्त्र का उदय और विकास सम्भव हो सका।

अग्निधित पृष्ठों में भारत में समाजशास्त्रीय चिन्तन के विकास में प्रमुख भारत विद्याशास्त्री जो.एस. घुर्णे, डॉ.पी. मुकुर्जी और आर.के. मुकुर्जी के योगदान की विवेचना की जाएगी। □

## अध्याय-15

# जी. एस. घुर्ये का योगदान (Contribution of G. S. Ghurye) (1893-1983)

### जीवन-चित्रण (Life Sketch)

जी. एस. घुर्ये का जन्म एक सारस्वत ग्राहण परिवार में 12 दिसंबर, 1893 में महाराष्ट्र के मालवा प्रान्त में हुआ था। आप बाल्यकाल से ही प्रतिभाशाली और कुशाग्रवृद्धि थे। आपका शैक्षणिक जीवन उच्च कोटि का रहा। आपने सभी परीक्षाएँ प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की थीं। आपने सस्कृत में एम.ए 1918 में और बाद में अंग्रेजी में एम.ए. एलिफन्टन महाविद्यालय, मुम्बई से प्रथम श्रेणी-प्रथम स्थान में उत्तीर्ण करके स्वर्ण पदक प्राप्त किया था। मुम्बई विश्वविद्यालय में प्रोफेसर पैट्रिक गेड्डिंड को 1919 में समाजशास्त्र को पढ़ाने के लिए नियुक्त किया था। उस समय घुर्ये एलिफन्टन महाविद्यालय में सस्कृत के प्राध्यापक थे तथा गेड्डिंड के भाषणों को सुनने जाया करते थे। ब्रिटिश विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र में प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए गेड्डिंड ने घुर्ये का चयन किया। इनकी सिफारिश पर घुर्ये को लन्दन भेजा गया। घुर्ये पहिले तो प्रो. एल टी हाबहाड़स के साथ कुछ समय तक अध्ययन करते रहे। उसके बाद आप डब्ल्यू.आर.एच. रिवर्स के पास अध्ययन के लिए कैनिंग्ज विश्वविद्यालय चले गए। वहाँ आपने अनेक सेख लिखे। आपने रिवर्स के निर्देशन में "Ethnic Theory of Caste" विषय पर शोध कार्य किया परन्तु घुर्ये का शोध कार्य पूर्ण होने से पहिले ही रिवर्स का देहाना हो गया था। घुर्ये पर रिवर्स का बहुत प्रभाव पड़ा जिसने घुर्ये की सभी मानवशास्त्रीय विषयों, जैसे—नातेदारी, प्रसारावाद आदि को ओर पैदा की।

घुर्ये कैनिंग्ज विश्वविद्यालय से डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त करके 1923 में धारिस भारत आए। आपको समाजशास्त्र विभाग, मुम्बई विश्वविद्यालय के रीडर एवं विभागाभ्यक्ष पद पर 1924 में पैट्रिक गेड्डिंड के बाद नियुक्त किया गया। दस वर्ष बाद 1934 में आपको पदोन्नत कर प्रोफेसर का पद प्रदान किया गया। आप इस पद से 1959 में सेवानिवृत्त हुए थे। आपकी प्रतिभा का लाभ उदाने के लिए मुम्बई विश्वविद्यालय ने एक नवीन पद—प्रोफेसर एमरीटस का प्रावधान करके यह पद आपको 1960 में प्रदान किया जिस पर आप अपनी मृत्यु (1983) तक कर्मठ कार्यकर्ता की तरह कार्य करते रहे। आपने 30 पुस्तकें अंग्रेजी लेख एक पुस्तक माराठी में लिखी है। आपकी तत्कालीन पुस्तक "The Burning Cauldron of North-East India" 1980 है। घुर्ये ने लिखा

था कि वेस्टर्मार्क की पुस्तक History of Marriage ने उन्हे समाजशास्त्र के लिए प्रभावित किया। आपने एम ए स्टर के 800 डॉक्टोरेट की उपाधि के लिए शोध कार्य किया। आपके शिष्य विश्वस्तर के समाजशास्त्री बने उनमें कुछ उत्तरोच्चनीय वैज्ञानिक एम एन श्रीनिवास के एम कापड़ी, ए.आर देसाई, वाई बी डामले, एम एस ए.राव आदि हैं। आपने भारत के अनेक समाजशास्त्र के प्राध्यापकों को शिक्षा दी थी। आप 1945-50 तक 'एन्प्रोफोलॉजिकल सोसायटी ऑफ वाय्डे' के अध्यक्ष रहे। भारतवर्ष में समाजशास्त्र के विकास और विम्नार के लिए अवर्णनीय कार्य किए हैं, तथा इण्डियन सोशियोलॉजिकल मोरायटी की स्थापना की। इस सोसायटी के तत्त्वावधान में आपने भारतीय स्तर की प्रथम समाजशास्त्रीय पत्रिका 'भोशियोलॉजिकल बुलेटिन' के प्रकाशन का शुभारम्भ किया जो आज की पत्रिकाओं में गिनी जाती है। आप इसके 1966 तक प्रथम अध्यक्ष रहे।

जी.एस. घुर्ये ने भारत में समाजशास्त्र को एक महत्वपूर्ण विषय के रूप में स्थापित किया तथा अपनी कार्यकृताता, वैज्ञानिक सोच, लंगुन, निर्देशन का अभूतपूर्व धमता, अध्ययन-अध्यापन एवं संगठन के द्वारा भारत में समाजशास्त्र को अल्पकाल में उचित स्थान प्रदान करवाया है। आपने भारतीय समाज से सम्बन्धित समाजशास्त्रीय शोध तथा सिद्धान्तों के निर्माण द्वारा समाजशास्त्रीय साहित्य का विकास किया तथा अपने शिष्यों द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के अनुसूच्यान करवाकर भारतीय समाजशास्त्रियों को एक समृद्ध पीढ़ी का विकास किया। घुर्ये के सम्बन्ध में एक बार डी.पी. मुख्यमंत्री ने कहा था, "आज घुर्ये ही एकमात्र भारतीय समाजशास्त्री हैं। अन्य भारत में समाजशास्त्री हैं।" घुर्ये ने स्वयं भी उच्च स्तर के अध्ययन-अध्यापन के साथ-साथ 30 विश्व विख्यात पुस्तकों अंग्रेजी में लिखी हैं, जिनमें से कुछ का वर्णन प्रस्तुत है—

### घुर्ये की प्रमुख रचनाएँ

#### (Major Works of Ghurye)

जी.एस. घुर्ये ने अपने दीर्घ कार्यकाल में अनेक रचनाएँ ऐतिहासिक तथा भारतशास्त्री विषय के अनुसार लिखी हैं उनमें से कुछ प्रमुख रचनाएँ हैं—

1. दा एवोरिजिन्स—सो काल्ड एण्ड देयर फ्यूचर, 1943
2. इण्डियन सापूज, 1953
3. कॉस्ट एण्ड क्लास इन इण्डिया का संशोधित एवं परिवर्तित संस्करण प्रकाशित हुआ। कॉस्ट एण्ड रेस इन इण्डिया और इसका संशोधित एवं परिवर्तित संस्करण प्रकाशित हुआ। कॉस्ट, क्लास एण्ड आक्यूप्रेशन, 1961 इसका हिन्दी संस्करण है— जाति, वर्ग और व्यवसाय।
4. सिटीज एण्ड सिविलाइजेशन, 1962
5. फेमिली एण्ड किन इन इण्डो-यूरोपियन कल्पन, 1962
6. दा शेड्यूल ट्राइब्स, 1963
7. कल्चर एण्ड सोसायटी, 1963
8. एन्प्रोफो-सोशियोलॉजिकल पेपर्स, 1963

9 सोशियल टेलरन्स् इन इण्डिया, 1968

10 रेस रिलेशन्स् इन नीग्रो अफ्रीका।

धुर्ये की उपर्युक्त वर्णित प्रमुख कृतियों में से कुछ का संक्षिप्त परिचय प्रस्तुत किया जा रहा है—

1. अनुसूचित जनजातियाँ (The Scheduled Tribes) 1963—धुर्ये की कृति The Scheduled Tribes में भारत की जनजातियों की समस्याओं और उनके समाधान के सम्बन्ध में विस्तारपूर्वक विवेचना को गई है। यह कृति आपकी पहिले प्रकाशित पुस्तक "The Aborigines 1901 called and their Future" का संशोधित तथा परिवर्द्धित संस्करण है। इसमें भारत की कुछ प्रमुख जनजातियों के सामाजिक संगठन, धर्म, नातेदारी, परिवार, विवाह आदि का सम्पूर्ण विवरण दिया गया है।

पुस्तक की अध्यायवार विषय—योजना निम्नानुसार है। प्रथम अध्याय में धुर्ये ने जनजातियों के विभिन्न नामों—जनजाति, आदिवासी, मूल निवासी, अनुभूचित जनजातियों आदि को विवेचना की है। भारत में विभिन्न जनगणना प्रतिवेदनों में इनके लिए प्रयुक्त किए गए नामों का भी उल्लेख किया गया है। अध्याय दो और तीन में जनजातियों का अन्य लोगों, जैसे—हिन्दू, ईसाई आदि से सम्पर्क के परिणामस्वरूप उत्पन्न समस्याओं और तनावों का वर्णन किया गया है। जनजातियों के प्रति अंग्रेजों की नीति का वर्णन अध्याय चार और पाँच में किया गया है। अध्याय सात में विभिन्न विद्वानों के दृष्टिकोणों को देने के साथ—साथ धुर्ये ने अपना मत भी व्यक्त किया है। अध्याय आठ से घारह में धुर्ये ने भारत की प्रमुख जनजातियों के सामाजिक-धार्मिक जीवन, उनकी सामाजिक संरचना एवं संगठन, विवाह, परिवार एवं नातेदारी की विवेचना की है। आपने वेरियर एस्लिन, हट्टन और मजूमदार आदि वैज्ञानिकों के द्वारा सुझाए गए जनजातियों की समस्याओं के समाधान का मूल्यांकन किया है तथा स्वयं ने समस्या के समाधान का सुझाव आत्मसात् दिया है। आपके अनुसार जनजातियों को सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, अर्थिक सभी समस्याओं के समाधान के लिए हिन्दू समाज के साथ आत्मसात् करना चाहिए।

(2) नीग्रो अफ्रीका में प्रजातीय सम्बन्ध (Race Relations in Negro Africa)—धुर्ये ने इस पुस्तक में अफ्रीका में प्रजातीय पर आधारित भेदभाव तथा नीग्रो समस्याओं का विश्लेषण किया है। आपने दक्षिण अफ्रीका के प्रजातीय तनावों पर भी प्रकाश ढाला है।

(3) भारतीयसाधु (Indian Sadhus) 1953—धुर्ये ने अपनी पुस्तक 'इण्डियनसाधुज़' में भारत में साधुवाद तथा साधुओं के उत्थान, इतिहास, कार्य एवं वर्तमान में हिन्दू साधुओं के संगठन पर प्रकाश ढाला है। इस पुस्तक के कुल 13 अध्यायों में भारतीय साधुओं के सम्बन्ध में समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण की महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की गई है। पुस्तक में महत्वपूर्ण सदर्भ ग्रन्थों एवं पुस्तकों की सूची भी दी गई है। धुर्ये ने भारत के विभिन्न सम्प्रदायों एवं पंथों का विस्तारपूर्वक विवेचन किया गया है। आपने भारत के प्रमुख साधु पंथों एवं सम्प्रदायों—शकर सम्प्रदाय के साधुओं या दशनामी, दशनामी नागा या लडाकू साधु, नाथ पंथी या कनफ़ड़ा जोगियों, वैरागी या वैष्णव साधुओं, सुधारवादी सन्यासियों, केतु समुदायी नागा या लडाकू वैरागियों आदि

का समाजशास्त्रीय विवेचन किया है।

(4) नगर और सभ्यता (Cities and Civilization) 1962—घुर्ये की पुस्तक 'सिटिज एण्ड मिवलाइजेशन' नगरीय समाजशास्त्र के धोन्ने में एक महत्वपूर्ण योगदान है। इस पुस्तक के ग्यारह अध्यायों में नगरों के प्राकृतिक इतिहास, अमरीका और इगलैण्ड के नगरों का इतिहास, भारत के नगरों को स्थिति तथा बृद्धि-नगर की राजधानियों तथा विश्वाल नगरों के रूपों की विवेचना की गई है। पुस्तक के अन्तिम अध्याय में मुम्ख्य नगर के सम्बन्ध में सविस्तार विवरण दिया गया है।

(5) यानवशास्त्रीय-समाजशास्त्रीय पत्र, (Anthropo Sociological Papers) 1961—घुर्ये ने समय समय पर जो पत्र एवं लेख मानवशास्त्र और समाजशास्त्र के विषयों में सम्बन्धित लिखे थे जो विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए थे उनका संकलन 'एन्थ्रोपो-सोशियोलॉजिकल पेपर्स' पुस्तक शीर्षक के अनार्गत प्रकाशित किया गया है। इस संकलित पुस्तक में सत्रह विषयों पर सत्रह अध्यायों में लेख प्रकाशित किए गए हैं। इनमें जो लेख प्रकाशित किए गए हैं वे—'भारत में द्वि-सगठन,' काठियावाड में ममेरे-फुफेरे-भाई-बहिन एवं द्वि-सगठन, 'नातेदारों का नामकरण', 'विवाह की आयु', 'भारत में विवाह और वैधव्य', 'मित्र की नातेदारी प्रथा एवं भारत की दाह-क्रियाएँ', 'मानव नाल को पृथक् करना'; 'सामाजिक कार्य एवं समाजशास्त्र', 'सामाजिक ब्रेणी के रूप में मित्रता', 'पारतीय परम्परा', 'भारतीय एकता'; 'मूल्य और समाज', 'शैली और सभ्यता', 'नवाचार और गतिशीलता का समाजशास्त्र' आदि हैं। इस प्रकार इस पुस्तक में विविध विषयों पर प्रकाश डाला गया है।

(6) संस्कृति और समाज (Culture and Society) 1963—घुर्ये ने 'कल्चर एण्ड सोसायटी' पुस्तक में सामाजिक विघटन के कारण संस्कृति के समक्ष आने वाली समस्याओं का विश्लेषण किया है। आपने हवेली तालुका के 111 गाँवों का लोक-नयरीय-अविच्छिन्नक (Folk-Urban-Continuum) को परम्परा में धारिस्थितिकीय को ध्यान में रखकर अध्ययन किया है, उसे इस पुस्तक में प्रकाशित किया है तथा जनसंख्या के आधार पर गाँवों का वर्गीकरण किया है। सम्पूर्ण हवेली तालुका को आपने समुदाय कहा है जिसका वर्गीकरण निम्न है—

#### हवेली तालुका (समुदाय) का वर्गीकरण

प्रकार— कृषिपुरा	ग्राम-राजा	महाग्राम	चेतोका
जनसंख्या (3,000 से अधिक जनसंख्या)	2,000-3,000	1,000-2,000	(500 से कम)

(जनसंख्या)

1. कृषिपुरा—हवेली में आठ गाँव तीन हजार गा उससे अधिक जनसंख्या के थे उन्हें कृषिपुरा की संज्ञा दी गई।

2. ग्राम-राजा—जिनको जनसंख्या दो हजार से तीन हजार के बीच थी उन्हें आपने ग्राम-राजा की संज्ञा दी। ऐसे ग्राम-राजा दस थे।

3. महाग्राम—जिनकी जनसंख्या एक हजार से दो हजार के बीच थी उन्हें महाग्राम की संज्ञा दी गई है। ऐसे 34 महाग्राम थे।

4. खेतका (छोटे गाँव) — जिनकी जनसंख्या 500 से कम थी उन्हे खेतका (छोटे गाँव) कहा। ऐसे बीस गाँव थे।

धुर्ये ने हवेली तालुका के अध्ययन में 1891 से 1951 तक के जनसंख्या के आँकड़ों का उपयोग किया। जनसंख्या के घनत्व का भी विश्लेषण किया। सामाजिक, धार्मिक, शैक्षिक एवं आर्थिक परिवर्तन के पश्चों का विशेष रूप से विवेचन किया गया है।

(7) जाति, वर्ग और व्यवसाय, 1961—धुर्ये की पुस्तक "कास्ट, क्लास एंड आक्षयप्रेशन" का हिन्दी अनुवाद "जाति, वर्ग और व्यवसाय" है। यह पुस्तक Caste and Class in India और Caste and Race in India का संशोधित एवं विस्तृत रूप है।

इस पुस्तक में कुल 12 अध्याय हैं जिसमें जाति-व्यवस्था के लक्षण, जाति समूहों का स्वरूप, युग-युग से जाति, जाति में परिवर्तन। प्रजाति और जाति, भारत के बाहर जाति के तत्त्वों, जाति व्यवस्था के मूल स्रोत, जाति तथा ब्रिटिश शासन अनुसूचित जातियों, व्यवसाय और जाति वर्ग तथा उसके कार्यों तथा जाति के भविष्य आदि जाति से सम्बन्धित विविध विषयों की विवेचना को गई है। यह कृति भारत में जाति-व्यवस्था से सम्बन्धित तथ्यों का महत्वपूर्ण स्रोत है।

धुर्ये ने इस पुस्तक की प्रस्तावना में लिखा है, "भारतीय जाति और वर्ग" इस नाम के मेरे ग्रन्थ का यह (जाति, वर्ग और व्यवसाय) परिवर्द्धित संस्करण है और मेरे 'भारतीय जाति और प्रजाति' नामक ग्रन्थ का चौथा संस्करण है। 'व्यवसाय' के सम्बन्ध में लिखे हुए एक नए प्रकरण को इस संस्करण में सम्मिलित करने से इसका विस्तार हो गया है। इस विस्तार से यह ग्रन्थ भारतीय समाज संरचना का विशेष अध्ययन प्रस्तुत करता है। अन्य परिवर्तन अनुषंगिक हैं। 9वें, 10वें एवं 11वें अध्यायों में नवीन सामग्री का संपादन किया गया है। अन्तिम अध्याय के शीर्षक को उपर्युक्तानुसार (प्रासारिकानुसार) परिवर्तित किया गया है। यह आशा की जाती है कि इस ग्रन्थ के फ़ाउंडों को ये नुल्ह परिवर्तन विषय की समस्याओं को अच्छी तरह से समझने में सहायक होंगे।"

इस पुस्तक में वर्णित जाति, वर्ग और व्यवसाय का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत है—

### जाति-व्यवस्था

जब हिन्दू समाज जाति के सामाजिक दर्शन के द्वारा शासित होता था और आधुनिक विचारधारा के अधिकारों और कर्तव्यों का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा था, उस समय धुर्ये के अनुसार हिन्दू समाज के निम्न छः प्रधान विशिष्ट लक्षण देखे जा सकते हैं—

1 समाज का खण्डात्मक विभाजन—(Segmental Division of Society)— हिन्दू जाति समाज न्यूनाधिक रूप में समरूप समुदाय नहीं था। यह एक ऐसा समाज था जिसमें विभिन्न समूह (जातियों) थे, जिनका अपना सुविकर्षित जीवन होता था और जिनकी सदस्यता जम्म से निपर्याप्त होती थी। किसी भी व्यक्ति की सामाजिक स्थिति आधुनिक यूरोप के वर्गों की भौति उसके धन पर निर्भर नहीं होती थी। ब्राह्मण और राजपूत जैसी केंची जातियों को छोड़कर अन्य सभी जातियों की नियमित तथा स्थाई परिषदें या प्रशासनिक संस्थाएं (पचायत) होती थीं। ये जाति पंचायते उप-जाति के साथ निषिद्ध खान-पान, पारस्परिक व्यवहार, स्त्री को रखेल या उप-पत्नी के रूप में रखना, स्त्री का अपहरण या व्यभिचार, अवैध संभोग करना, पत्नी का भरण-पौषण

नहीं करता, कर्ज नहीं नुकाना आदि अपराधों पर निर्णय दिया करती थी। जाति पंचायत अपने अपराधी सदस्य को दण्ड के रूप में स्थाई या अस्थाई रूप से जाति में वाहिष्कृत करती, जुर्माना, जाति के सदस्यों को भोज, शारीरिक दण्ड आदि दिया करती थी। घुर्ये ने लिखा है कि इन विशेषताओं के कारण "जाति स्वयं अपनी शासक थी।" विभिन्न जातियों के मध्य एक सांस्कृतिक खाई देखी जा सकती थी। आपने निष्कर्ष में लिखा है, "अतः जातियाँ छोटी तथा अपने आप में ममृची सामाजिक दुनियाएँ होती थीं और विशाल समुदाय में सम्मिलित रहते हुए भी एक-दूसरी से भिन्न होती थीं।" हिन्दू समाज जाति के द्वारा अनेक खण्डों (जातियाँ व उपजातियाँ) में विभाजित होता था।

**2 श्रेणीवद्धता (Hiearchy)**—घुर्ये के अनुसार जाति समाज का मुख्य लक्षण विभिन्न समूहों (जातियों) की श्रेणीवद्धता थी। भारत में उच्चता और निम्नता के क्रम में जातियों में सामाजिक वरिष्ठता देखने की मिलती थी। इसमें ग्राहण उच्चतम प्रस्थिति प्राप्त होती थी और हरिजन या अस्पृश्य जाति निम्नतम प्रस्थिति वाली होती थी। अन्य जातियाँ प्रतिवानुसार इनके मध्य क्रम में स्थित होती हैं।

**3 भोजन व सामाजिक समागम पर प्रतिवन्य (Restrictions on Feeding and Social Intercourse)**—इस सम्बन्ध में विस्तृत नियम विद्यमान था कि किस जाति का सदस्य किस प्रकार का भोजन एवं पेय पदार्थ किन-किन जातियों में ग्रहण कर सकता था और किन-किन से नहीं। इस सम्बन्ध में भारत में वहूत अधिक अनेकता विद्यमान थी। घुर्ये ने भोजन और सामाजिक समागम सम्बन्धी नियमों के आधार पर भारत को दो भागों में विभाजित किया है। आपने उत्तर भारत में जातियों का विभाजन नियम पाँच समूहों में किया है—(1) पहला स्थान द्विज यानी ग्राहणों का है। (2) दूसरा स्थान उन जातियों का है जिनके हाथ से ग्राहण मात्र जल ग्रहण कर सकते थे। (3) तीसरे स्थान पर वे जातियाँ आती हैं जिनके हाथ से ग्राहण मात्र जल ग्रहण कर सकते थे। (4) चौथा स्थान उन अलूत् जातियों का है जिनके हाथ से ग्राहण जल भी ग्रहण नहीं कर सकते थे। (5) अन्तिम स्थान पर वे जातियाँ आती हैं जिनमा स्पर्श मात्र किसी भी कटूर हिन्दू को अपवित्र कर सकता था। सिद्धान्त रूप में कैंची जाति का व्यक्ति अपने से नीची जाति के सदस्य हाथ स्पर्श हो जाने पर अपवित्र हो जाता था। परन्तु व्यवहार में इस नियम का इतनी दृढ़ता से पालन नहीं किया जाता है। पद्मास और विशेषतः मलबार में इस सिद्धान्त को और भी अधिक विस्तृत रूप में देखा जा सकता है। एक निश्चित दूरी से कम दूरी होने पर उन जातियाँ अपवित्र हो जाती हैं।

**4. विभिन्न खण्डों की नागरिक व धार्मिक असमर्थताएँ एवं विशेषाधिकार (Civil and Religious Disabilities of the Different Sections)**—जाति संरचना में उच्चतम जाति (ग्राहण) को अधिकतम नागरिक व धार्मिक विशेषाधिकार प्राप्त होते थे तथा उनकी न्यूनतम असमर्थताएँ होती हैं। इसके विपरीत निम्नतम जाति (अस्पृश्य या हरिजन) पर अधिकतम असमर्थताएँ होती थीं और न्यूनतम विशेषाधिकार। घुर्ये ने लिखा है, "विशिष्ट जातियों या जाति-समूहों का गौव में पृथक्करण नागरिक विशेषाधिकारों तथा असमर्थताओं का अल्पन ही स्पष्ट

चिन्ह है और यह सारे भारत में न्यूनाधिक रूप में विद्यमान रहता आया है।" नियमों की कठोरता गे दक्षिण भारत का विशिष्ट स्थान है। अपने लिखा है "उत्तर भारत, महाराष्ट्र और तेलंगाना कन्द प्रदेशों में केवल अपवित्र जातियों को ही पृथक् किया जाता था और उन्हे गाँवों को बाहरी सीमा पर रहने के लिए विवश किया जाता था।" तमिल व मलयालम प्रदेशों में प्रायः ऐसा होता था कि विभिन्न जातियाँ पृथक् भागों में रहती थीं या कभी कभी किसी गाँव को ही तीन भागों में विभक्त कर दिया जाता है। एक भाग में प्रमुख जाति या ग्रामण, दूसरे में शूद्र और तीसरे में पचम यानी अद्यत निवास करते हैं। ग्रामण, शूद्रों और पवमों के मोहल्ले पृथक् होते हैं।

ग्रामणों के सस्कार विशिष्ट—वैदिक क्रिया पद्धति की सहायता से सम्पादित होते थे जबकि अन्यों के सस्कार पौराणिक क्रिया पद्धति, जिसे कम पवित्र माना जाता है के द्वारा सम्पन्न किए जाते थे। अल्पतर पवित्र साहित्य का अध्ययन शूद्रों के द्वारा नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार से अन्य अनेक प्रतिवन्ध निम्न जातियों पर लगे हुए रहे हैं। मन्दिरों के अन्तर्गत भागों में मात्र ग्रामण ही जा सकते थे। शूद्रों तथा अन्य जातियों का पवित्र स्थानों में प्रवेश निपिछा था।

घुर्ये ने लिखा है, "ऐसा बर्णन पाया गया है कि भराठों तथा पेशवाओं के शासनकाल में पटार और माँग जातियों को पूना के दरवाजों के अन्दर दोपहर 3 बजे के बाद और सुबह 9 बजे से पहिले प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाती थी, क्योंकि इस समय में उनके शरीरों की लम्बी छाया पड़ती थी, जो ऊँची जातियों के सदस्य पर गिरकर उन्हे अपवित्र कर देती थी। महाराष्ट्र प्रदेश में अछूतों को सड़क पर थूकने नहीं दिया जाता था ब्योकि कहीं ऊँची जाति के किसी हिन्दू का पैर उससे छू जाने से वो अपवित्र हो जाते थे।"

मलबार तथा पूर्वी सीमा के ताडी बनाने वाले इश्वरा तथा शानारों को छाता, जूता या सोने के गहने पहिनने, गाये दुहने या देश की साधारण भाषा का भी उपयोग करने की अनुमति नहीं दी जाती थी। सन् 1865 तक ऐसा ही कानून था कि तिया या अन्य नीची जातियों को रित्र्यां कमर से ऊपर अपने शरीर को नहीं ढक सकती थीं। उन्हे अपने शरीर का ऊपरी भाग विल्कुल खुला रखने को विवश होना पड़ता था। सत्रप कारावास या मृत्युदण्ड प्रायः नीची जातियों के अपराधियों को ही दिया जाता था।

फारबस ने लिखा है, "भारत के अधिकांश भागों की भौति त्रावनकोर के ग्रामणों ने अपने आपको यथासाध्य दण्ड से मुक्ति पाने में पूरी सावधानी प्रदर्शित की। कम से कम एक ही अपाध में अन्य जातियों की अपेक्षा उन्हे बहुत ही अल्प दण्ड दिया जाता था।" बगाल में भूमि भोगने वाली जाति के अनुसार कर या लगान की राशि प्रायः परिवर्तित होती रहती थी। जाति प्रथा के अन्तर्गत विभिन्न जातियों की नागरिक और धार्मिक असमानताएँ एवं विशेषाधिकार उनकी जाति संरचना में उच्चता और सिद्धान्त के क्रम विन्यास के आधार पर भिन्न-भिन्न थे।"

5 अप्रतिवन्धित व्यवसायों के चयन का अभाव (Lack of Unrestricted Choice of Occupation)—सामान्यतः कोई भी जाति या उससे मिलता-जुलता जाति समूह कुछ व्यवसायों को अपना पैतृक व्यवसाय मानते थे। उस पैतृक व्यवसाय को वे किसी दूसरे लाभकारी व्यवसाय के लिए छोड़ना उचित नहीं माना जाता था। ग्रामण यह सोचता था कि उसके लिए पुरोहित

बनना या बने रहना उचित है। चमार जूते बनाना और चमड़े के कार्य को करना अपना परम कर्तव्य समझता था। घुर्ये ने टिप्पणी लिखी है कि यह मात्र सामान्य रूप से ही मत्य था क्योंकि व्यापार, कृषि, कृषि-श्रम, मैनिक सेवा जैसे व्यवसाय समूह थे जो किसी भी जाति के व्यक्ति के लिए खुले हुए थे। अधिकांश जातियाँ इनमें से किसी भी एक व्यवसाय के लिए उपयुक्त मानो जाती थीं। इसके साथ आपने यह भी लिखा है कि कोई भी जाति अपने सदस्यों को ऐसा धन्या अपनाने की अनुमति नहीं देती थी जो प्रतिष्ठाधातक हो, जैसे—ताड़ी या शराब बनाना, मलमूत्र या कृड़ा करकट उठाना या चमड़े का गन्धा कार्य करना। व्यक्ति के व्यवसाय के चयन करने में दो प्रकार के प्रतिवन्ध होते थे—(1) अपनी जाति-धन्युओं का नेतृत्व नियंत्रण, तथा (2) अन्य जातियों एवं सामाजिक प्रतिवन्ध भी व्यवसाय के चयन में प्रभावी रहते थे। घुर्ये ने उदाहरण दिया है कि जन्मजात ग्राहण के अतिरिक्त अन्य कोई भी व्यक्ति पुरोहित का कार्य करने की अनुमति ग्राप्त नहीं कर सकता था। इसी कारण पुरोहित का कार्य पूर्ण अधिकार परम्परागत एवं आनुवाशिक रूप से ग्राहणों का था। आपने यह भी स्पष्ट किया है कि महाराष्ट्र प्रदेश में ग्राहण को अनेक लौकिक कार्यों जैसे लेखापाल और सैनिक सेवा में देखा जा सकता था। इसी प्रकार भारतीय विद्रोह से पूर्व ग्राहण चंगल की सेना में सेवारत थे। राजपूताना के कुछ ग्राहण मारवाड़ी सेठों की सेवा करते थे। बुधनन (BuDhanan) के अनुसार, कर्नाटक में अनेक ग्राहण राजस्व एकत्र करने तथा दूत या संदेशवाहक का कार्य भी करते थे। गरजपूताने में ग्राहण अपने खेत पर आवश्यक श्रम करने तथा अपने श्रम को भूमिधरों को बेचा भी करते थे।

घुर्ये ने लिखा है कि कृषि में अनेक जातियाँ लगी हुई हैं। व्यक्तियों के लिए एक व्यवसाय से दूसरे व्यवसाय में बिना अपनी सामाजिक प्रस्थिति में परिवर्तन किए या जाति के अन्दर विवाह का अधिकार छोए चले जाना असम्भव नहीं है। रसेल (Russel) ने लिखा, “अनेक जातियों का एक-सा ही परम्परागत व्यवसाय है। मध्य प्रान्त की लगभग चालीस जातियों का धार्गाकरण कृपकों के रूप में, ग्यारह का बुनकरों के रूप में, सात का मछुआं के रूप में और ऐसे ही अन्यों का किया गया है।” घुर्ये ने निष्कर्ष में लिखा है कि यह सामान्य कथन स्वीकार किया जा सकता है कि प्रत्येक जाति के लिए जो व्यवसाय निश्चित है उसे अधिमान्यता पाने का अधिकार है। कतिपय अपवादों को छोड़कर प्रत्येक व्यवसाय प्रत्येक प्रकार के व्यक्ति के लिए खुला है। आपने इरविंग (Irving) का कथन उद्धरित किया जो इस प्रकार है, “यदि हम पुरोहित के कार्य को छोड़ दे तो जाति का भी आवश्यक प्रभाव जीवन की डस दिशा पर नहीं पढ़ता है जिस ओर कोई व्यक्ति जाना चाहे।” घुर्ये की टिप्पणी है कि इरविंग का उपरोक्त कथन स्थिति को कुछ चंद्रा-चंद्राकर प्रस्तुत करता है। आपने इस सम्बन्ध में बैन्स (Baines) के कथन को सही बताया है जो निम्न है, “फिर भी व्यवसाय जो जाति के लिए परम्परागत-सा है किसी भी प्रकार से आवश्यक रूप से वही नहीं है जिससे उम समूह के सभी या अधिकांश लोग वर्तमान समय में अपनी जीविका अड़ते हैं।”

6. विवाह पर नियंत्रण (Restrictions on Marriage)—हिन्दू समाज अनेक उप-समूहों में विभक्त होता था। प्रत्येक उप-समूह उपजाति के नाम से सर्वविदित होता था। यह प्रत्येक उपजाति अपने रहस्यों को गुप्त रखने के कारण अपने किसी भी सदस्य को उप-जाति से बाहर

विवाह नहीं करने देती है। इस प्रकार प्रत्येक उपजाति अनाविवाही होती है। जाति-व्यवस्था का अन्तर्विवाह का नियम बहुत कठोर होता है। वेस्टर मार्क ने तो 'अन्तर्विवाह को' 'जाति-व्यवस्था का सार' माना है। घुर्ये ने लिखा है, "फिर भी अन्तर्विवाह यानी अपनी ही उपजाति में विवाह करने के इस सामान्य नियम के कुछ अपवाद भी हैं आर उनका वारण अनुलोम विवाह की प्रथा का होना है। पजाय म विशेषतः पर्वतीय प्रदेश में ऊँची जाति का पुरुष किसी भी निम्न जाति की कन्या से विवाह कर सकता है। मलावार में जम्बूद्री तथा अन्य ग्राहण के कनिष्ठ पुरुष क्षत्रिय व नैयर स्त्रियों से विवाह कर लेते हैं। इनके अतिरिक्त प्राच्येर समूह को विवाह सम्बन्ध अपनी सीमाओं के अंदर करने होते हैं। किसी भी कोकणस्थ ग्राहण को कोकणस्थ ग्राहण परिवार म उत्सन्न कन्या से विवाह करना होता था। विवाह अपने निजी समूह में ही होना आवश्यक है। अगर इस नियम का उल्लंघन किया जाता है तो उसकी सदस्यता समूह से निष्कासन ही इसका सामान्यतः दण्ड होता है जिसे अपराधी पक्षी को भोगना पड़ता है।"

//8349

**जाति और उप-जाति :** एक समीक्षा (Castle and Sub-Castes A Review)

घुर्ये ने जाति और उपजाति के तुलनात्मक महत्व को अनेक तथों द्वारा स्पष्टच करने का प्रयास किया है। आपने लिखा है कि अन्तर्विवाह की जाति का मुख्य लक्षण मान लेने का अर्थ है कि इन उपजातियों को वास्तविक जातियाँ मान लिया जाए। गैट (Gait) ने इस पर निम्न दो आपत्तियों उठाई हैं। पहिला ऐसा करना "इस सम्बन्ध में स्थानीय लोगों की जो भावना है उसके विपरीत होगा।" दूसरा यह कि "व्यवहार में यह बहुत ही असुविधाजनक होगा क्योंकि इससे जातियों की संख्या अत्यधिक हो जावेगी।" घुर्ये ने दूसरी आपत्ति की उपेक्षा करते हुए लिखा कि सच्चा मात्र प्रशासनिक कठिनाई है। प्रथम आपत्ति के सम्बन्ध में आपने निम्न प्रमाण दिए हैं। आपने लिखा कि महाराष्ट्र में अन्य लोगों के लिए सारस्वत ग्राहण के बल सारस्वत नाम से विद्युत है परन्तु एक सारस्वत की दृष्टि में वह शेणवी या खेड़नेकर है। यद्यपि समूद्रे समाज के द्वारा जाति को ही मान्यता दी जाती है, तथापि जाति विशेष तथा व्यक्ति द्वारा जाति उपजाति मानी जाती है। एक ग्राहण की दृष्टि में अधिकाश अन्य लोग शूद्र हैं, चाहे उनकी प्रसिद्धि ऊँची या नीची हो। घुर्ये की मान्यता है कि हम किसी भी बड़ी भाषायी प्रान्त की सारी जनसंख्या को ग्राहण तथा शूद्र नामक दो जातियों या उन स्थानों में तीन जातियों में विभक्त कर देंगे जहाँ अनिक्षणूर्वक क्षत्रियों का भी पृथक् अस्तित्व माना जाता है। निष्कर्ष में आपने लिखा है, "इसके लिए पर्याप्त कारण विद्यमान है कि समाजशास्त्र की दृष्टि से इस संस्था का सही रूप समझने के लिए हमें उपजातियों को वास्तविक जातियाँ मानना चाहिए।

### बर्ग-व्यवस्था

#### (Class System)

घुर्ये के अनुसार वर्गों में सदस्यता स्वैच्छिक होती है तथा जन्म से निर्धारित नहीं होती है। किसी भी व्यक्ति की सामाजिक परिस्थिति आधुनिक यूरोप के वर्गों में उसके धन पर निर्भर करती है। आपने जाति और वर्ग के अन्तर को स्पष्ट करने के लिए मेकाइवर के निम्न कथन को उद्धरित किया है, "पूर्वी सभ्यता में जब कि वर्ग और प्रस्थिति का मुख्य निर्धारक तत्त्व जन्म था, परिचमी

मध्यता में आज धन ही वर्ग- निर्धारक के रूप में उतना ही या उसमें भी अधिक महत्वपूर्ण है और धन की अपेक्षा जन्म कम कठोर निर्धारक तत्व है। धन अधिक दुष्ट है। अतः इसके दावों को सरलतापूर्वक चुनौती दी जा सकती है, यह एक आंशिक विषय है इसमें पृथक्करण, उपर्जन या हम्मान्तरण अथवा जातिगत भेदभावों को पेंदा करने की क्षमता है तथा यह भेदभाव की स्थायी दरा उत्पन्न नहीं करता है, जिसे कि जन्म से उत्पन्न होती है।" युर्ये ने लिखा है कि हिन्दू समाज में प्रत्यक्ष व्यक्ति एक जाति में जन्म लेता है तथा अन्य व्यवसाय करने पर भी उसकी जाति परिवर्तित नहीं होती है। वर्ग व्यवस्था नाले समाज में व्यक्ति की प्रस्थिति का निर्धारण व्यवसाय और उसमें प्राप्त आय में होती है। आपने आगे लिखा है, "समृद्ध समुदाय के कानून को छोड़कर वर्ग के मदम्या के आचार को नियन्त्रित करने के लिए तथा उसकी नैतिकता का मार्गदर्शन करने के लिए काइ स्थायी या सामाजिक परिपद नहीं होती है। एक ही वर्ग के सदस्य भिन्न-भिन्न व्यवसाय अपनाते हैं, जो संगतिहोने पर स्थाई कार्य संचालक का समितियों के रूप में कार्य करते हैं, जो उनके मदम्यों पर अपने नियमों के अनुसार शामन करती हैं। ये नियम सामान्य रूप में विशाल समुदाय को न्यायोन्नित अधिकार-क्षेत्र को पृथक् रखते हुए केवल अपने व्यवसाय सम्बन्धी शिष्टाचार या आर्थिक लाभ का ध्यान रखते हैं। चुदिजीवी व्यवसायों में ये सामान्य नियम तथा प्रशासनिक आदेश ऐसे विषयों को निश्चित करते हैं, जैसे—प्रयोग सम्बन्धी योग्यताएँ, प्रशिक्षण का स्वरूप, पारिश्रमिक के तरीके, नौकरी की शर्तें, सहकर्मियों तथा जनता के प्रति व्यवहार के नियम, सार्वजनिक घटों पर की जाने वाली नियुक्तियों की योग्यताएँ, सेवा की शर्तें, निष्कासन के अधिकार आदि।" जाति व्यवस्था में जाति पंचायत अपनी जाति के लगभग सभी मामलों पर निर्णय देती है जिनका सविस्तार विवेचन अपनी कृति 'जाति, वर्ग और व्यवसाय' के म्यारहवें अध्याय में 'वर्ग तथा उसका कार्य' शीर्षक के अन्तर्गत निम्नानुसार की है—

### वर्ग तथा उसकी भूमिका (Class and its Role)

युर्ये ने वर्ग का महत्व, विरोपताएँ, भूमिका, गतिशीलता, निर्णायक कारकों आदि का विवेचन जाति के सन्दर्भ में किया है। युर्ये ने स्पष्ट किया है कि जाति को भौति वर्ग-व्यवस्था भी अगतिशील और विवाह आदि से सम्बन्धित प्रतिवन्धों से युक्त प्रथा रही है। आपने इस सम्बन्ध में विद्वानों के कथन उद्धरित किए हैं जो निम्न हैं— सी. ए. मैसे (C. A. Mace) ने वर्ग के मनोदैज्ञानिक आधार पर किए गए प्रानीन किन्तु गहरे निश्लेषण के बाद निम्न उद्गार प्रकट किए, "भिन्न राष्ट्रोंगता या भिन्न धर्म की पत्ती में विवाह करने की अपेक्षा यदि कोई युवक अपने वर्ग में बाहर विवाह कर लेता है तो वह अत्यधिक गम्भीर विषय हो जाता है।"

युर्ये ने बेनेडिटो क्रोसे (Benedetto Croce) के विचार उद्दरित किए हैं जो निम्न हैं, "पिछली शताब्दी से, विशेषतः पिछले पचास वर्षों से ऐसा प्रतीत होता है कि संसार सर्व के शोपवाली देवियों के दुःखम से आझान, उत्पादित, भूतोपचित तथा आतंकित हो गया है, जो कुछ पश्चकालीन माँडों या विदूपमाँ की टाली या शैतानों की चढ़ाई की भौति है जिसे 'सामाजिक वर्ग' कहते हैं।

1956 में काराडोग जोन्स और जॉहन हॉल (Caradog Jones and John Hall) ने सामाजिक गतिशीलता पर जो अध्येत्व किया था उसमें विवाह को प्रासादिक लक्षण के रूप में सम्मिलित किया गया था और उसके आधार पर जर्जी बेरेन्ट (Jerzy Berecht) ने निम्न कथन लिखा, “जिस सीमा तक विभिन्न सामाजिक समूहों के व्यक्तियों के मध्य विवाह होता है, यह सामाजिक सरचना के खुलेपन की कस्टोटी है।” इसमें वर्ग अनविवाह अर्धांत्र व्यक्ति अपने वर्ग में ही विवाह करने को प्राथमिकता देता पाया गया। 5,100 विवाहों में जो वनस्पाती के सामाजिक मूल के सम्बन्ध में उपलब्ध सामग्री को चार वर्ग श्रेणिया में वर्गीकृत किया गया और यह पाया कि (1) 44.9% विवाहों में पति और पत्नी का सामाजिक मूल एक ही समृद्ध का था। (2) वे विवाह जिनमें पत्नी-पति के वर्ग में तुरन्त नीचे वाले वर्ग की थी 30.6% थे। (3) वे विवाह जिनमें पत्नी-पति का वर्ग पति के वर्ग से दो स्थान नीचे वाले वर्ग की थी 18.6% थे। (4) 3.9% मामला में पत्नी का वर्ग पति के वर्ग से निम्नतर था। घुर्ये ने निष्कर्ष दिया कि, “ज्यांगे म गए विवाह यह संकेत किया जा सकता है कि सन् 1915 से पूर्व हुए विवाहों की तुलना में ये विवाह जो सन् 1940 तथा उसके बाद हुए उनमें अगतिशीलता या वर्ग-अनविवाह का अनुपात उल्लेखनीय रूप से कम था। जहाँ 1915 के पूर्व एक वर्ग के विवाह 48.7% थे वहाँ 1940 तथा उसके बाद ऐसे विवाह केवल 42.9% पाए गए। इस प्रकार वैशाहिक गतिशीलता में चूंडि देखी जा सकती है।

घुर्ये का कहना है कि प्रचलित श्रिटिश वर्ग-व्यवस्था का विभास पूर्ववर्ती सामन्तीय श्रिटिश वर्ग-व्यवस्था से हुआ जो यूरोप में सामान्य रूप से विद्यमान थी और सेंडान्टिक दृष्टि से भारतीय इतिहास के हिन्दू-युग के अन्त में जो जाति व्यवस्था थी, वह बहुत कुछ उसके जैसे ही थी। आपका कहना है कि यहापि इनमें समानता गहरी है तथापि इन दोनों में कुछ महत्वपूर्ण भिन्नताएँ भी हैं जिनको आपने इस व्यवस्था के वर्णन के द्वारा स्पष्ट किया है। यह इस प्रकार से हैं—

**श्रिटिश वर्ग-व्यवस्था (British Class System)**—सामन्तीय समाज द्वारा मान्यता प्राप्त वर्ग तीन से लेकर बारह प्रकार के थे। अधिकतर इनकी सामान्य संख्या चार थी—(1) सरदार, (2) पाद्री, (3) स्वतंत्र कृषक, तथा (4) भू-दास। सामन्तीय प्रथा भूमि एवं सामाजिक पद दोनों के लिए कानून के रूप में थे। जाति-व्यवस्था में भू-धारणाधिकार का तत्त्व नहीं था। जाति के प्रारंभिक काल में और सेंडान्टिक दृष्टि से उसके बाद भी जाति समूहों को चार या पाँच तक सीमित कर दिया जाता था। जाति समाज में ब्राह्मण सर्वोच्च थे वही यूरोपीय वर्ग समाज में योद्धा या सरदार जो धर्मियों के अतिरूप थे पहिले स्थान पर थे। सामन्तीय समाज का विभाजन तथा भेदभाव धार्मिक आदेश से रहित था जबकि जाति-व्यवस्था में धर्म प्रधान तत्त्व था। यही इन दोनों व्यवस्थाओं में प्रमुख अन्तर रहा है। पाद्री समाज के सभी वर्गों से भर्ती किए जाते थे। पाद्री केंद्रों रहते थे और अविवाहित ही मरते थे।

सामन्तीय वर्ग की सदस्यता अन्य वर्गों के लिए प्रतिवर्जित थी। जो जातियों के जैसा ही बदल वर्ग था। पाद्री वर्ग सामाजिक गतिशीलता प्रधान था जो जाति से भिन्न था। धर्मियों ने अनेक यार ब्राह्मण से उन पद प्राप्त करने का प्रयास किया परन्तु उन्हें सफलता नहीं मिली। अन्त में धर्मियों को ब्राह्मण के बाद बाली श्रेणी से ही सन्तोष करना पड़ा।

दूसरा अन्तर यूरोपीय वर्ग समाज और जाति-समाज के मध्य संतुल्य का है। वर्ग-समाज में समूहों की सछ्या बहुत ही कम थी तथा उनकी श्रेणीवरदाता तथा वरिष्ठता जाति-समाज की अपेक्षा बहुत कम जटिल थी।

प्रारम्भ में विभिन्न वर्गों के सदस्य एक-दूसरे से विवाह नहीं कर सकते थे। निम्न वर्ग की स्त्री से विवाह होने पर उस पत्नी को पति के वर्ग का व्यवहार प्राप्त नहीं होता था। उनकी सन्तानों को निम्न वर्ग में जाना पड़ता था। ये विशेषता जाति-व्यवस्था जैसी ही थी। वर्ग-व्यवस्था में सरदार लोगों का कर्तव्य रक्षा करना, पादरी का मनके लिए प्रार्थना करना तथा मामान्यजनों का कर्तव्य जाति व्यवस्था के शूद्रों की खाँति सबके लिए अन्व उत्पन्न करना था। किसी भी व्यक्ति के लिए अपना वर्ग परिवर्तन करना मृत्युजा मानी जाती थी।

वर्ग व्यवस्था में परिवर्तन या सर्वश्रेष्ठ सामाजिक स्थान्तर महारानी एलिजावेथ काल (1400 से 1800) के मध्य दिखाई देता है।

ट्रेवेलियन इस परिवर्तन को निम्न शब्दों में व्यक्त करते हैं, “एलिजावेथ के समय के इतिहास एवं साहित्य के अध्ययन से पूर्ववर्ती काल की अपेक्षा वर्गों में अल्पाधिक सामग्र्य तथा विभूक्त पारस्परिक व्यवहार का प्रभाव उत्पन्न होता है। यह युग न तो कृपकों के विद्रोह का था, न समतलन (Levelling) के सिद्धान्त का था, न जेम्स प्रथम के शासन काल के विरोधियों के भय का था और न उच्च वर्ग की उस एकानिकता तथा सभ्यमानता का था जिसका चिन्मण परवर्ती काल में जेन आस्टिन ने किया है। शेक्सपीयर के समय में वर्ग-विभाजन को सामान्य रूप में ही ग्रहण किया जाता था। उसमें न तो निम्न वर्गों में ईर्ष्या-द्वेष की भावना थी, न उच्च तथा मध्यम वर्ग में निम्न वर्गों को आधीनता के महान् नियम मिटवाने की गहरी चिन्ता थी जो अठारहवीं तथा उन्नीसवीं शताब्दी के प्रारम्भ में इतने कष्टदायक रूप से प्रकट होती है।”

चारिन्य का विकास तथा कल्पनों की उन्नति ने लोगों के नवीन वर्ग उत्पन्न कर दिए। ये वर्ग व्यापारियों, शिल्पकारों और श्रमिकों के थे। नवीन वर्गों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण वर्ग सीदागारों तथा व्यापारियों का था। ये भ्रष्ट वर्ग की प्रतिष्ठा प्राप्त करने की आकांक्षा रखते थे और प्राप्त; उसको प्राप्त भी कर सकते थे। पुर्ये ने लिखा है कि व्यापारी, सीदागार, ठेकेदार, बैंक बैठक-रांचालक और वित्त प्रबन्धक और आगे चलकर निर्माता, उद्योगपति या फैक्ट्री के स्वामी—ये सब मिलकर पूँजीपति वर्ग की रचना करते हैं। मूल रूप में ये मध्य वर्ग के नाम से प्रसिद्ध थे।

लगभग 18वीं शताब्दी के अन्तिम चतुर्थांश में और 19वीं शताब्दी के प्रारम्भ में होने वाले कृषि सम्बन्धी हस्तान्तर एवं औद्योगिक ड्राइव के परिणामस्वरूप ग्रिटिंग समाज के दर्जे त्वचा ने उल्लेखनीय परिवर्तन प्रदर्शित किया। श्रमिक वर्ग का आमर घढ़ गया था तथा यह समाज के अन्य विभागों से, विशेष रूप से नियोजक वर्ग (Employing Class) में अधिकाधिक रूप से पृथक हो गया। यह दूसरे 19वीं शताब्दी के द्वितीय चतुर्थांश तक इनका अधिक स्पष्ट रूप से प्रकृट हो गया कि डिजवॉयली ने ग्रिटिंग समुदाय को दो गण्डों यानी संघर्ष के लिए समृद्ध भरी और निर्धन लोगों में निर्भित बताया। पुर्ये का मत है कि इसके बाद ही मार्क्स और इन्जल्य ने अपने दो वर्गों तथा उनके संघर्ष के सामग्र्य में विचार प्रवर्त लिए।

धुर्ये ने लिखा है कि वेतनभोगी लोगों और मजदूरी कमाने वाले श्रमिकों में भेदभाव वही है जो वेतन और मजदूरी के मध्य है। वेतनभोगी कार्यकर्ता होने के कारण किसी भी व्यक्ति को श्रमिक वर्ग से पृथक् होने का अधिकार प्राप्त हो जाता है क्योंकि श्रमिक वर्ग की कसोटी मजदूरी के लिए कार्य करना तथा हस्त कार्य करना है।

नामकरण जो प्रार्थिक 'इस्टेट' व्यवस्था में प्रबलित था वह न केवल स्थिर था बल्कि उस समय के उत्पादन के प्रमुख साधन अर्थात् भूमि के विशिष्ट प्रकार के सम्बन्धों से जुड़ा हुआ था। इस प्रकार भद्र लोग वह वर्ग था जो भूमि का स्वामी था और भू-दास वह वर्ग था जिसका कर्तव्य किन्हीं रीति रिवाजों या कानूनी धाराओं के अधीन उस पूर्ण पर कृषि कर्म करता था।

जब कस्बों को बढ़ोतरी से व्यापारी सौदागर और शिल्पकारों के नवीन वर्गों का डाय द्वारा तो ब्रेणोबढ़ समाज में उनकी उचित स्थिति तथा उनकी उपाधि के विषय में कुछ गड़बड़ या कम से कम हिचकिचाहट तथा भ्रम विद्यमान था। समय अतीत होने पा शिल्पकारी ने कच्चे माल तथा उन्हे तैयार बस्तुएँ तथा उनमें परिवर्तित करने के साधनों पर नियन्त्रण खो दिया और वे अपनी विशिष्टता को भी श्रमिकों या मजदूरी कमाने वालों के सामान्य जनसमूह में खो देटे। इसी काल में व्यापारी, सौदागर और ठेकेदार समृद्ध हो गए तथा उनकी सख्ता में भी बृद्धि हुई। प्रत्येक मोड़ पर उनमें से ये लोग एक सख्ता में भद्र लोग यानी उच्च वर्ग में आत्मसात् हो गए। किन्तु उनकी बहुत बड़ी सख्ता पृथक् रही और धनोपार्जन के कार्य में लगी रही। ग्रेटन ने इस वर्ग को मध्य वर्ग की सज्जा दी है और धुर्ये ने इसे ऐतिहासिक मध्य वर्ग कहा है।

ग्रेटन के अनुसार मध्य वर्ग का आधारभूत लक्षण यह है कि, "वह स्वतंत्र हो या कम-से-कम स्वतंत्र होने की सामर्थ्य रखता हो।" सोम्यार्ट मध्य वर्ग का सादृश्य स्थानीय उत्पादन तथा वितरण के प्रतिनिधियों के रूप में देखते हैं। जब अर्थशास्त्री तीन वर्गों की योजना का उपयोग करते हैं तो उनका मध्य वर्ग मध्य-आय समूहों का प्रतिनिधित्व करता हुआ प्रतीत होता है।

लॉकवुड ने लिखा है, वर्ग प्रस्थिति तथा विशेष रूप से कार्य स्थिति करके तथा श्रमिक के मध्य प्रस्थिति विषयक प्रतिद्वन्द्विता को प्रोत्साहित करती रहती है और प्रस्थिति-विषयक प्रतिद्वन्द्विता वर्ग एक रूपता की चेतना को दुर्बल बना देती है।

सभी आधुनिक राज्यों में सेवा की शर्तें अपने कल्याणकारी पक्ष के साथ सभी श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी प्रदान करने की ओर आगे बढ़ने में प्रवृत्त है। सर्वाधिक महत्वपूर्ण भेद नियमित अनुक्रमों (Grandes) तथा सेवा सम्बन्धी सांगठन ये हैं जिनमें प्रार्थिक वेतन तथा अभिवृद्धियाँ सम्मिलित हैं। किसी भी कार्य में लगा हुआ कोई भी कलंक अधीक्षक या उससे भी अपिक उच्चतर एट तक पहुँचने की आकाशा रख सकता है। कुछ निश्चित रूप से इस आकाशा की यूर्ति कर लेते हैं। इस प्रकार के अर्थिक लाभ को प्राप्त करने के लिए मजदूरी करने वाले श्रमिकों को अपने वर्ग, कार्य तथा सामान्य पदों से बाहर जाना पड़ता है और वह इस कार्य को तभी कर सकता है जबकि उसमें असाधारण योग्यता हो।

नवीन मध्य वर्ग के रहन-सहन के आदर्श तथा प्रतिष्ठान मजदूरी कमाने वाले श्रमिकों तथा प्राचीन या ऐतिहासिक मध्य वर्ग से भिन्न हैं।

अभी कुछ ही समय पहले मलिन वस्त्रभारी (Black Coated) सर्वहारा वर्ग, निम्न अनुक्रमों के कर्क, दुकानों के गुम्बारों तथा ऐसे ही अन्य लोगों ने अपने आपको संघों (Unions) में संगठित कर लिया है। मध्ये अनुक्रमों के अध्यापक समस्त पेशे की अपेक्षा शिक्षा के सोपान के अनुसार अपने-अपने संघ बना रहे हैं। पेशेवर लोग तो प्रारम्भ में ही मंगठित हैं। अभी तक ऐसा कोई मध्य नहीं है जो बेतनभोगी व्यवसायों को अपने में लाने का प्रयाप्त कर रहा हो। बुद्धिजीवियों का कोई संघ नहीं बना है। बुद्धिजीवी लोग एक शताब्दी पूर्व की स्थिति की अपेक्षा बहुत ही भिन्न-भिन्न मध्यों में भी भरती किए जाते हैं। लेकिन ये मामाजिक घटनाएँ में अल्पाधिक दृढ़ स्थिति रखते हैं। जो एम् ट्रेविन्यन ने इनकी वस्तुस्थिति निम्न कथन में प्रकट की है, “यह उदारवादी स्पष्ट बकाया युग है जिसका मध्याधिक प्रतिनिधित्व करने वाले न तो कुलान परिवारों के हैं और न दुकानदार हैं बल्कि विश्वविद्यालय शिक्षा प्राप्त, पेशेवर बुद्धि के प्रशिक्षित लोग हैं जो मिल, हब्मले मैथ्य अर्नाल्ड, जार्ब इलियट तथा ग्राउनिंग के पाटक हैं। ये ऐसे दाढ़ी वाले बुद्धिजीवी भद्र लोग हैं जिनके पारिवारिक जीवन का पंच के पृष्ठों में निश्चित करने में डमारियर (Dumarier) को आनन्द आता है।

मामाज के अन्य वर्गों से श्रमिक वर्ग का पृथक्करण चिल्कुल नवीन घटना नहीं है। इनसा मध्ये इतना तीव्र था कि एन्जिल्म जो माझ्य के साथ वर्ग युद्ध की तैयारी में या श्रमिक वर्ग के द्वारा मध्य वर्ग को गिराकर मत्ता हस्तगत करने के संघर्ष में विश्वास रखते थे तथा उमका ममर्थन करते थे। 1844 में निम्न भविष्यवाणी की जो सही नहीं निकली। उन्होंने कहा, “मध्य वर्ग ऐसी भूमि पर निवास करता है जिसकी जड़ें खुदी हुई हैं। जिसका हुताति से पतन होना उतना ही निश्चित है जितना गणित साध्य-भी प्रत्यक्ष निरूपण। समस्त श्रमिक वर्ग का गहरा दोष थोड़े ही समय पर चाहूँ इस प्रकार क्रान्ति के रूप में फैल जाएगा कि जिसकी तुलना प्रांगीरी राज्य क्रान्ति बालकों का खेल सिद्ध होगा।”

निष्कर्ष में युरें ने वर्ग संघर्ष की समाजशास्त्रीय व्याख्याओं को प्रस्तुत किया है। व्यक्तियों तथा समूहों के कुछ ऐसे हित हो सकते हैं जो मट्टश होते हुए भी दूसरों के लिए सामान्य नहीं हो सकते। इनकी सन्तुष्टि के लिए प्रयास करने में प्रत्येक व्यक्ति तथा समूह के मार्ग में कुछ कठिनाइयाँ उपस्थित होती हैं। चौंक प्रतिस्पर्धी बहुत होते हैं। यह प्रतिस्पर्धां की स्थिति है जो शोष्र ही विरोध और उसके आगे संघर्ष का रूप ग्रहण कर मिलती है। किन्तु मध्य मामाज में ऐसी अनेक स्थितियाँ किन्हीं परम्परागत या कानूनी नियमों द्वारा तय को जा सकती हैं। पिर भी समूहों के आचरण में ऐसी स्थिति प्रचलित नियमों से मरलतापूर्वक नहीं तय हो पाती है और लाल्ये संघर्ष का रूप ग्रहण कर सकती है। श्रमिक वर्ग बनाम नियोजक वर्ग की स्थिति समय पर इतिहास के दौर में इस सीमा तक गिर जाती है कि चेकेल विस्फोटन ही उसका हल प्रस्तुत कर सकता है।

युरें ने इस प्रकार से ग्रामीन वर्ग-व्यवस्था का विवेचन करते हुए वर्तमान में वर्गों के विकास और स्थिति का जाति-व्यवस्था के मन्दर्भ में मारगर्भित पाठीय परिदृश्य प्रस्तुत किया है।

## व्यवसाय (Occupation)

घुर्ये ने अपनी कृति 'जाति वर्ग और व्यवसाय' में व्यवसाय के अनेक पक्षों की समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से विवेचना की है। आपने जाति व्यवस्था के लक्षणों का वर्णन करते हुए आलोच्य पुस्तक के प्रथम अध्याय में जाति का पौंचवा लक्षण "अप्रतिबन्धित व्यवसायों के घटन का अभाव" पर विस्तार से प्रकाश डाला है, आपने वर्ग व्यवस्था शीर्षक के अन्तर्गत लिखा है कि वर्ग-व्यवस्था वाले समाज में व्यक्ति की प्रस्तुति का निर्धारण व्यवसाय और उससे प्राप्त आय से होता है। आपने वर्ग-व्यवस्था में व्यवसाय की भूमिका एवं महत्व पर सविस्तार प्रकृश डाला है तथा व्यवसायों के आधार पर वर्गों के निर्माण उनमें परस्पर उच्चता-निम्नता का क्रम, इनमें काल ऋमिक परिवर्तन का जो सारांभित वर्णन किया है उसे सक्षेप में उपर्युक्त पृष्ठा में 'वर्ग-व्यवस्था' और 'वर्ग तथा उसकी भूमिका' शीर्षकों के अन्तर्गत दिया जा चुका है। व्यवसाय से सम्बन्धित तथ्यों के अतिरिक्त घुर्ये ने अध्याय-10 'व्यवसाय तथा जाति' से कुछ महत्वपूर्ण व्यवसाय सम्बन्धी तथ्य जाति और वर्ग के सन्दर्भ में प्रस्तुत किए हैं जो निन्म हैं—

1. जाति अपने उद्गम से व्यावसायिक नहीं है। उनीसबों शताब्दी के अध्यवनों के अनुसार इसके लक्षणों में केवल थोड़ा-सा बन्धन व्यवसाय के सम्बन्ध में था। घुर्ये के अनुसार, "इतिहास ने भी हमारे सामने ऐसी जातियों के उदाहरण प्रस्तुत किए गए हैं जो भिन्न-भिन्न व्यवसाय करती थीं तथा एक ही जाति के सदस्य भी भिन्न-भिन्न व्यवसाय करते थे।" सिद्धान्त रूप में बहुत प्राचीन काल से न केवल वर्णानुसार व्यवसाय या व्यवसायों के समूह निर्धारित किए गए, बल्कि उनमें से अनेक जाति के अनुसार भी निश्चित हुए।

2. उनीसबों शताब्दी के प्रारम्भ में यह कटूर विश्वास भी था कि बहुसंख्यक जातियों में से प्रत्येक का अपना परम्परागत व्यवसाय था और सदस्यों का वरानुगत व्यवसाय होता था जिसे त्याग देना अनुचित माना जाता था।

3. सभी समाजो—सभ्य, आदिवासी आदि समाजों में व्यवसायों का विभिन्न प्रकार से मूल्यांकन होता रहा है। सामाजिक वरिष्ठता एवं व्यवसायों व व्यवसाय समूहों की श्रेणीबद्धता की लगभग सर्वसम्पत्ति योजना भारत के जाति समाज में विद्यमान थी।

4. व्यवसायों के भारतीय मूल्यांकन में शारीरिक श्रम का तुलना में अशारीरिक श्रम के कार्यों को उच्चतर मानने का लक्षण उसी प्रकार विद्यमान था जैसा कि समकालीन ब्रिटेन और अमेरिका में मौन रूप से था।

5. भारत में कार्य के सामाजिक मूल्यांकन का दूसरा स्वरूप कार्य या उससे सम्बन्धित पदार्थ शुद्ध या अशुद्ध, परिवित्र है या अपवित्र, भ्रष्टाकारक है अथवा नहीं, को विशेष रूप से 19वीं शताब्दी से सामाजिक मूल्य का निर्धारक माना जाता रहा है।

6. पिछली शताब्दी तक व्यवसायों में कृषि को उत्तम माना जाता रहा है। घुर्ये ने इसे इस रूप में उद्धरित किया है। "व्यवसायों में कृषि उत्तम है, जबकि व्यापार मध्यम और नौकरी सबसे निकृष्ट है।" इसी तथ्य को गोस्वामी तुलसीदास ने अपनी कृति रामचरित मानस में इस प्रकार से स्पष्ट किया है, "उत्तम खेती मध्यम बान, अधम चाकरी भीख समान।"

7. ब्रिटिश प्रशासन के आगमन के बाद ही नीकरी के अवसरों में निरन्तर वृद्धि होती रही। ब्रिटिश काल से बेतन बहुत कम मिलता था तथा नीकरी लोगों के विकसित आत्मसम्मान से मेल नहीं खाती थी। मनु ने घोषणा कर दी थी कि नीकरी कुते का जीवन है।

8. घुर्ये ने व्यावसायिक समूह की रचना के तीन अनुक्रमों : उच्च, मध्य और निम्न वर्गों का उल्लेख किया है। तीसरे निम्न वर्ग के लोगों में मानसिक श्रम करने वाले तथा शारीरिक श्रम करने वाले दोनों प्रकार के कार्यकर्ताओं के लक्षणों का मिश्रण मिलता है। आपने वकालत के व्यवसाय को ब्रिटिश शासन काल की देन बताया है। अन्य व्यवसायों : इंजीनियर तथा भवन निर्माणकर्ता, डॉक्टर, चिकित्सक, बैंद्य, शिक्षक, कलकर्ता तथा अन्य अनेक व्यवसायों का आपने वर्णन एवं मूल्यांकन किया है। इस सम्बन्ध में आपने निष्कर्ष इस प्रकार है—

8.1 अध्यायपन का व्यवसाय भारत में सदैव एक आदरणीय व्यवसाय के रूप में रहा है।

8.2 इंजीनियरों तथा भवन निर्माणकर्ताओं का कार्य भारत के प्राचीन तथा मध्य युगों के विशाल निर्माण कार्यों में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। इन व्यवसायों में विशिष्ट जातियों के बाहर के लोग थे जो लकड़ी या पत्थर से सम्बन्धित परम्परागत व्यवसाय करते थे। मनु के अनुसार वह ब्राह्मण जो इन कार्यों को करते थे वे श्राद्ध भोज में आमंत्रित करने योग्य नहीं होते थे।

8.3 डॉक्टरी व चिकित्सक का व्यवसाय ब्रिटिश शासन काल से पूर्व भी भारत में विद्यमान था। मनु के अनुसार, “चिकित्सक का धन्या ब्राह्मण को इतना धृष्ट कर देता था कि वह श्रद्धा भोज के अयोग्य हो जाता था।

9. घुर्ये ने उन व्यवसायों का वर्णन किया है जो भारतीय जाति समाज में विद्यमान थे तथा जो ब्रिटिश शासन काल में विकसित हुए थे। आपने लिखा है कि अनेक व्यवसायों का विकास इंग्लैण्ड में सामन्तवाद के पतन और वाणिज्यवाद और उद्योगवाद के विकास के समय हुआ था। आपने व्यवसाय के विकास और वर्गीकरण का विस्तृत वर्णन करते हुए लिखा है कि सर्वप्रथम राजा ग्रेगरी ने इंग्लैण्ड की जनसंख्या का व्यावसायिक और प्रस्थिति वितरण सम्बन्धी अनुमान 1688 में किया। समस्त जनसंख्या (आवारा एवं भिखारियों की छोड़कर) को पन्द्रह श्रेणियों में विभाजित किया गया। इस वर्गीकरण में कलकर्ता को पृथक् नहीं रखा गया। अगले पनाम वर्गों के आर्थिक विकास के कारण छोटे जर्मांदार लोप हो गए और उनका स्थान भद्र एवं पेशेवर लोगों ने लिया।

10. 1801 में पेट्रिक कोलकुहोन ने व्यवसायों की स्थिति का विवरण दिया। आपने राजा के पन्द्रह के वर्गीकरण के स्थान पर चोस प्रकार दिए हैं। 1851 में इंग्लैण्ड की पहिले सरकारी जनगणना में सात हजार व्यवसाय दिखाए गए हैं। 1901 की जनगणना में व्यवसायों को 22 प्रमुख व्यवसाय समूहों में वर्गीकृत किया गया था।

11. घुर्ये ने इंग्लैण्ड की 1951 की जनगणना को उस व्यावसायिक वित्र का वर्णन किया है जो भारत में जाति से वर्ग के परिवर्तन को समझने में सहायक हैं। इस जनगणना में से तेरह व्यावसायिक समूहों का चयन किया गया है जो 82.7 प्रतिशत कर्मचारियों का वर्णन प्रदान करती

है। इसमें नियुक्त व्यक्तियों को पूर्ण सदृशा 30.8 प्रतिशत स्थिर्यां थी। धुर्ये ने 1951 की जनगणना के आधार पर निम्न निष्कर्ष प्रस्तुत किए हैं—

11.1 कलाकौं की जीवनयात्रा में परिनिरीक्षक प्रयत्नक और निर्देशक बनने की सम्भताएँ हैं।

11.2 इनके व्यवसाय को भारत में ब्रिटिश लोगों द्वारा अत्यन्त ही लोकप्रिय बना दिया गया है।

11.3 यही एक ऐसा व्यवसाय है कि जिसमें प्रवेश पाने के लिए साज सज्जा की दृष्टि से सरलतापूर्वक शौर मचाया जा सकता है।

11.4 समाज-कल्याण की अपनी सोची समझी हुई जाति में राज्य इन स्थानों को संरक्षण के साथ भरता है।

11.5 यह व्यवसाय विभिन्न जातियों के आगे बढ़ने में प्रयत्नशील तथा बुद्धिमान सदस्यों का मिश्रित पात्र बन जाता है और इसे नगरों तथा कस्बों में अधिक ग्रहण किया जाता है।

12 धुर्ये ने राष्ट्र सभा की सांख्यिकी विशेषज्ञों की समिति के 1938 के जनसंख्या वर्गीकरण के सिद्धान्त को उद्धरित किया है। जो निम्न हैं— (1) आर्थिक क्रियाकलाप की शाखा, व्यक्तिगत प्रस्थिति, और (3) व्यक्तिगत व्यवसाय। भारत में 1951 की जनगणना अधिकारी को यह उचित सलाह दी गई कि वो हमारे देश की दशाओं के अनुकूल वर्गीकरण में सशोधन करे।

डॉ आर गाडगिल ने 1954 में व्यावसायिक (सामाजिक-आर्थिक) अनुवर्गों की योजना प्रकाशित की। तेरहवां अनुक्रम बेकारों के लिए था। आपने 12 अनुक्रमों को तीन पृथक् आर्थिक समूहों में विभिन्न किया। इनमें से तीन अनुक्रमों में (1) अकुशल श्रमिक, (2) कुशल श्रमिक, और (3) अत्यधिक कुशल एवं परिनिरीक्षक हाथ से कार्य करने वाले श्रमिक आते हैं। अन्य 9 अनुक्रमों में इस प्रकार है। (4) छोटा कारोबार, (5) मध्यकारोबार, (6) फैक्ट्रियो, विशाल निर्माण-गृहों आदि के स्वायों, (7) निम्नतम पेशे तथा प्रशासकीय पद, ग्राम्यमिक अध्यापक आदि, (8) कलंक तथा दूकानों के गुपास्ते, (9) मध्यवर्ती पेशे संवैतनिक पद, माध्यमिक अध्यापक आदि, और (10) उच्चर पेशे तथा संवैतनिक पद, (11) निवृति चेतनभोगी, (12) भिक्षुकों एवं वैश्याओं का है।

गाडगिल के वर्गीकरण पर 1951 के भारतीय जनगणना अधिकारी ने ध्यान नहीं दिया। लेकिन एन बी सोवनी ने गाडगिल के तत्त्वावधान में 1954 में पूना में सर्वेक्षण किया जिसके निष्कर्ष धुर्ये ने निम्न रूप में प्रस्तुत किया है—

1 जाति के व्यावसायिक रचना के सापेक्षित अनुपात में बहुत अधिक परिवर्तन हो गया है। अकुशल हस्तकार्य में 'अन्य हिन्दुओं बुनकर जातियों की अत्यधिक प्रतिशतता है। अनुसूचित जातियों की भी 1937 के व्यावसायिक दृश्य की अपेक्षा कुछ अधिक ही प्रतिशतता है।

2. अन्य हिन्दुओं, बुनकर जातियों, मालियों तथा अनुसूचित जातियों में प्रत्येक का योगदान 1937 की तुलना में दुगुना हो गया है।

3. माध्यमिक पेशे तथा प्रशासकीय पदों में 15 प्रतिशत कर्मचारी 'अन्य हिन्दुओं' में से आते हैं।

4. केवल द्वादश जाति ऐसी है जिसके सदस्य सभी 9 अनुसूची क्रमों में पर्याप्त प्रतिशतता में हैं। अकुशल हस्तकार्य के अतिरिक्त सभी आठों अनुक्रमों में इस जाति के परिवार 5 प्रतिशत से अधिक हैं। इनकी उच्चतम प्रतिशतता कर्त्तव्य के गुमानों में है। द्वादश किमी एक परम्परागत व्यवसाय में सीमित नहीं है।

5. अनुसूचित जातियों के घन्घनयुक्त होने से इनका निम्नतम पेशों तथा प्रशासकीय पदों में प्रतिशत बढ़ा है।

6. माली जाति का छोटे कारोबार में उच्च प्रतिशतता है। इनकी प्रतिशतता अन्य सभी समूहों से अधिक है तथा भारां में दुगुनी है।

7. आठ अनुक्रमों में प्रत्येक में 'अन्य हिन्दुओं' की प्रतिशतता पाँच से अधिक है। अन्य किसी जाति की इतनी प्रतिशतता नहीं है।

8. द्वादशों को प्रतिशतता छोटे कारोबार में घटी है।

घुर्ये की मान्यता है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद राज्य द्वारा प्रारम्भ किया गया औद्योगीकरण तथा प्राविधिक प्रशिक्षण से जातियों की व्यावसायिक गतिशीलता में तेजी से नुड़ हुई है। आपने सुझाव दिया है कि गाडगिल और गोवनी के अध्ययन नगरीय क्षेत्रों की स्थिति के सम्बन्ध में मार्गदर्शन का कार्य कर सकते हैं। आपने एन जी. चार्फेकर के बदलापुर गाँव-कस्बे का उल्लेख किया है। आपने इनके अध्ययन का सार देते हुए लिखा है कि महाराष्ट्र के कुछ थोड़े से गाँवों की फैक्ट्री का कार्य इस बदलापुर गाँव की विशेषता है। इसे न केवल नगरीय प्रभाव अपितु नगरीय प्रवृत्ति माना जा सकता है। घुर्ये ने चार्फेकर के सम्बन्ध में लिखा, "श्री चार्फेकर का निम्नलिखित सार्थक कथन आज के ग्रामीण महाराष्ट्र की व्यावसायिक स्थिति का सारांश देता है। ऐसा प्रतीत होता है कि प्रत्येक समुदाय परम्परागत कार्य की अपेक्षा नींकरी को अधिक पसंद करता है।"

इस प्रकार से घुर्ये ने व्यवसाय में परिवर्तन को भारतीय समाज के सन्दर्भ में स्पष्ट किया है।

भारत में सामाजिक तनाव (Social Tension in India) —गोविन्द सदाशिव घुर्ये की भारत में सामाजिक तनाव पर पुस्तक सोशियल टेक्नान इन इण्डिया (Social Tension in India), 1968 में प्रकाशित हुई थी। इस पुस्तक में कुल 14 आध्याय हैं। इन अध्यायों में तनाव, संघर्ष और एकीकरण का भारतीय संदर्भ में विवेचन किया गया है। इस पुस्तक की पाठ योजना निमानुसार है—प्रथम अध्याय : संघर्ष, तनाव और एकीकरण के सम्बन्ध में समाजशास्त्रियों के दृष्टिकोण; द्वितीय अध्याय : अल्पसंख्यक और मानवाजिक तनाव, तृतीय अध्याय : मानव अभिभाव

और अल्पसंखक, चतुर्थ अध्याय : भारत का सविधान और अल्पसंखक, संघर्ष, पष्ठ एवं सप्तम अध्यायों में भारतीय इतिहास एवं संस्कृति (इसमें मुसलमानों एवं इसाई प्रभाओं का सशिखन विवरण दिया है), अष्टम अध्याय : हिन्दू तथा मुस्लिम का कला एवं भवन निर्माण का मिश्रण, नवम् अध्याय : भारतीय कुण्ठा, दशम् अध्याय : हिन्दू-मुस्लिम दोनों एकादश अध्याय भारतीय मुसलमानों के विचार और कार्य (I), द्वादश अध्याय : भारतीय मुसलमानों के विचार और कार्य (II), त्रयोदश अध्याय : भाषाई तनाव, और चतुर्दश अध्याय : एकीकरण या गढ़ीय एकता। अध्यायों के शीर्षक में सम्बन्धित विषया, अवधारणाओं एवं संपर्कोंओं का द्रव्यमान एवं व्यावस्थित अध्ययन प्रस्तुत किया गया है। धुर्ये द्वाग व्यक्त विचारों का सार निमानुसार है—

### तनाव, संघर्ष और एकीकरण

#### (Tension, Conflict and Integration)

धुर्ये के अनुसार तनाव सामाजिक जीवन की सार्वभौमिक घटना है। हेन्स मोर्गेन्थू (Hans Morgenthau) का कहना है कि तनाव घोरलू एवं अन्तरांद्वीय दोनों स्तरों पर देखा जा सकता है। तनाव संघर्ष का भूचक तथा परिणाम है। तनाव युले संघर्ष की पूर्वस्थिति है जिसमें हिसा, गली-गलौंज, अपशब्द, उग्र दलीलों आदि के बाद शत्रुता, विरोध, तोड़फोड़, असहयोग अथवा मात्र चिड़चिड़ापन पाया जाता है। समाजशास्त्र में विगत वर्षों में ही तनाव की अवधारणा पर ध्यान दिया जाने लगा है। इस शताब्दी के तीमरे दरशक के अन्त तक तनाव पर ध्यान नहीं दिया गया। फेयर चाइल्ड ने डिवशनरी ऑफ सोशियोलॉजी में तनाव पर चौथे दरशक में लिखा है जिसे समाजशास्त्र का प्रथम कार्य कहा जा सकता है। आर. एम. मैकीवर ने समाजशास्त्र की पुस्तक सोसायटी में सजातीय और प्रजातीय समूहों की चर्चा करते समय अन्तर-समूह तनाव पर प्रकाश ढाला। आपका कहना है कि समूहों में परस्पर उच्च स्तर का पूर्वाग्रह, तनाव और भेदभाव मिलता है। धुर्ये ने इन अवधारणाओं के इतिहास पर प्रकाश ढालते हुए लिखा है कि भारत में 1860 से 1910 की अवधि में तनाव और उच्च तनाव को समाज के कुछ वर्गों में देखा जा सकता है। सामाजिक सुधार और सामाजिक परिवर्तन इसके बास्तविक उदाहरण हैं। केशवचन्द्र सैन, विद्यासागर, रानाडे, ज्योतिश पूले, महर्षि कर्वे, लोकमान्य बाल गणाधर तिलक तथा गोपाल कृष्ण की जीवनियों में अनेक अवसरों पर तनाव और उच्च तनाव के अस्तित्व को देखा जा सकता है। धुर्ये ने तनाव की अवधारणा के सक्षिप्त इतिहास के बाद इसकी तथा अन्य सम्बन्धित अवधारणाओं की परिभाषाओं की विवेचना की है।

### अवधारणाओं की परिभाषाएँ

#### (Definitions of Concepts)

धुर्ये ने तनाव, सामाजिक तनाव, संघर्ष तथा एकीकरण आदि की परिभाषाओं की विवेचना की है जो निम्न है—

1. तनाव की परिभाषा (Definition of Tension)—धुर्ये ने स्पष्ट किया है कि तनाव की अवधारणा समाजशास्त्र में कैसे आई और इसका अर्थ क्या है। आपने लिखा है कि समाजशास्त्र

में मूल रूप से तनाव को अवधारणा शरीर क्रिया विज्ञान और शरीर क्रिया मनोविज्ञान से आई है। तनाव जीवों का एक गुण, क्षमता अथवा लक्षण है। यह स्वायत्त तंत्रिका यत्र के विभिन्न खण्डों में उत्पन्न होता है। जब इनमें से कोई एक क्रियाशील हो जाता है तो तनाव व्यवस्था के निश्चित खण्ड में एकत्र हो जाता है और वह असानी और अनियन्त्रित क्रियाओं को उत्पन्न करती रहती है। जब तक कि वह उपर्युक्त क्रिया द्वारा शान्त नहीं हो जाता है। तनाव के प्रमुख चालक पौष्टिक और लैंगिकता हैं। फ्रायड सम्प्रदाय के अनुसार लैंगिकता सभी तनावों और इच्छाओं में सर्वोपरि कारण है। समाजशास्त्र में कुर्ट लेविन (Kurt Lewin) ने सामाजिक मनोविज्ञान में क्षेत्र सिद्धान्त का विकास किया जिसे तनाव मनोविज्ञान भी कहा जाता है। आपने तनाव के दो प्रमुख प्रकार घोटाए हैं—सकारात्मक और नकारात्मक तनाव। घुर्ये ने लिखा है कि तनाव कोई अभिवृत्ति नहीं है तोकिन युद्ध की अवस्था या स्थिति है, जैसे— “अपमानता, गंवारपान, सरक्षकता, अक्षुण्डपन, घृणा, विमुखता, विद्वेषता और सन्देह।” मैंकीवर द्वारा बताई गई 51 अभिवृत्तियाँ ‘तनाव’ में स्थान रखती हैं। आपके अनुसार, “तनाव बुद्धि की एक अवस्था है जो समूह अथवा समूह के मदस्य को अलग-धला कर देती है और जो तनाव या अप्रियता का कारण है तथा एक व्यवहार के प्रतिमान को पैदा करता है जिसे उपर्युक्त वर्णित एक सा मिथित अभिवृत्तियों के रूप में देखा जा सकता है।”

**2. समाज और सामाजिक तनाव (Society and Social Tension)**—सामाजिक तनाव की परिभाषा देने से पूर्व आपने समाज की परिभाषाएँ उद्धरित की हैं जो निन्हें हैं—एल. टी. हायहाउस ने समाज को ‘सम्बन्धों का ऊरक’ बताया है। मैंकीवर ने समाज ‘सामाजिक सम्बन्धों का जाल’ बताया है। घुर्ये ने समाज को समूहों का और उन समूहों के सदस्यों का एकीकृत स्पष्ट बताया है। सभी मानव समाजों में व्यक्ति और समूह प्रमुख है। पार्के और घर्गैस्त ने दो प्रकार के समूह बताए हैं—(1) संघर्ष समूह, और (2) व्यवस्थापन समूह। घुर्ये ने लिखा है, “जातन के समाजशास्त्रियों आदि ने अपने समाज में भी विशिष्ट तनाव के समूह बताया है, ये हैं—(1) पारिवारिक जीवन में तनाव; (2) समुदायों में तनाव; (3) साहित्यिक संघों में तनाव, (4) ‘इटा’ वहिकृत जाति की सपटणा के ईट-गार्ट तनाव, (5) प्रजातीय तनाव; (6) धार्मिक जीवन में तनाव, (7) आर्थिक जीवन में तनाव; (8) वैनारिक तनाव; और (9) युवा लोगों पर तनाव। घुर्ये ने आलोच्य कृति में सामाजिक तनाव से तात्पर्य इहीं अन्तर वैयक्तिक तनावों और अन्तर-समूह तनावों से लगाया है।

**3. संघर्ष (Conflict)**—घुर्ये ने संघर्ष की अवधारणा के इतिहास पर प्रकाश ढालते हुए लिखा है कि यह अवधारणा तनाव की तरह व्यक्तिगत, अन्तर-वैयक्तिक और अन्तर-समूह घटना है। इस पर मोर्गेन्थू के विचार महत्वपूर्ण हैं। मोर्गेन्थू के अनुसार राजनीतिक दल, धार्मिक एवं प्रजातीय समूह, धोन तथा वस्तियों अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए आर्थिक गतिविधियों में पारस्परिक सेन-देन एवं संघर्ष करती है। इसके बाद आपने सामाजिक कार्य विधि का वर्णन किया है जिसमें संघर्ष पैदा होता है जिसका कारण विरोधी दावे होते हैं। मानव्यस और चालस डार्विन ने अस्तित्व के लिए व्यक्तियों और समूहों में संघर्ष को चर्चा की है।

जार्ज सिमेल ने चार प्रकार की सामाजिक अन्तःक्रियाओं के प्रकार बताए हैं—(1) सधर्ष, (2) प्रतिस्पर्धा, (3) व्यवस्थान, और (4) आत्मासतकरण। इनसे सम्बन्धित चार प्रक्रियाओं को भी स्पष्ट किया है जो सामाजिक व्यवस्था से सम्बन्धित हैं, ये निम्नानुसार हैं—(1) सन्तुलन प्रतिस्पर्धा से सम्बन्धित हैं। (2) राजनैतिक व्यवस्था-सधर्ष से सम्बन्धित है, (3) सामाजिक संगठन व्यवस्थान से सम्बन्धित है, (4) आत्मसातकरण व्यक्तिस्त्व तथा सास्कृतिक विरासत से सम्बन्धित है।

सिमेल ने सधर्ष के चार प्रकार बताए हैं—(1) युद्ध, (2) वैर एवं झगड़े, (3) मुकदमेबाजी, और (4) बहस या परिचर्चा। इ एस रॉस (E A Ross) ने अपनी कृति 'प्रिसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी में संधर्ष' से सम्बन्धित निम्न सात पक्ष लिखे हैं—(1) युगों का सधर्ष/युग-संधर्ष, (2) प्रजाति सधर्ष, (3) कस्बा देश/समुदाय/सधर्ष, (4) अन्तर्जातीय सधर्ष, (5) प्रौद्योगिक सधर्ष, (6) धार्मिक सधर्ष, और (7) पढ़े-लिखे एवं अनभिज्ञों में सधर्ष। मैकीवर ने मात्र दो सामाजिक प्रक्रियाओं (1) सहयोग, और (2) सधर्ष को माना है। मैकीवर कहते हैं, "समाज सहयोग है जो सधर्ष से रेखित होता है" (Society is Co-operation Crossed by Conflict)।

घुर्ये के अनुसार यग ने सामाजिक और व्यक्तिगत सधर्ष के निम्न आठ प्रकार बताए हैं—(1) प्रौद्योगिक, (2) प्रजातीय, (3) धार्मिक, (4) राजनैतिक, (5) अन्तर-समुदाय एवं अन्तः-समुदाय, (6) अन्तर-वर्गी और अन्तः-वर्गी, (7) लिंग एवं आयु सधर्ष, और (8) बौद्धिक अथवा आचार सिद्धान्तों का सधर्ष। संधर्ष की अवधारणा के विकास में ध्यान देने योग्य बात ये हैं कि संधर्ष मात्र दुकार्यात्मक एवं विधटनकारी ही नहीं है बल्कि यह संगठनात्मक कार्य भी करता है। फॉलेट (Follett) ने एक लेख "कंस्ट्रक्टिव कॉन्फिलक्ट" लिखा जिसमें आपने सधर्ष के संगठनात्मक एवं निर्माणात्मक पक्ष पर प्रकाश डाला। आपने कहा कि सधर्ष को अच्छा या बुरा कुछ भी नहीं मानना चाहिए। इसका अध्ययन धूर्वाग्रह के आधार पर नहीं करता चाहिए। सधर्ष के विचारों और हितों की भिन्नता के अनुसार देखना चाहिए। इस प्रकार से सधर्ष का अर्थ है मतभेद।

रबर्ट एनोल (Robert Angell) ने सधर्ष की एकात्मपरक भूमिका पर निम्न शब्दों में प्रकाश डाला है, "हमने इस पर जोर दिया है कि सधर्ष एकीकरण के साथ तब अनुशुप्ता रखता है जब सधर्ष के बल समस्त मापदण्डों के अनुसार होता है।" इसी प्रकार से एम एम लेविस कहते हैं, "युद्ध विना, शान्ति अन्दर, शान्ति विना, युद्ध अन्दर आज के समाज की परिवर्तित विशेषता है।"

घुर्ये ने संधर्ष की परिभाषा की विवेचना की है। आपने रोचिन एम विलियम्स द्वारा दी गई संधर्ष की परिभाषा उद्दृष्टि की है जो निम्न है, "सधर्ष मूल्यों (वितरणात्मक या अवितरणात्मक) में दृढ़ है जिसमें शत्रुओं का तत्काल उद्देश्य अपने प्रतिस्पर्धियों को प्रभावहीन, पीड़ित अथवा हटाना है।" विलियम्स का कहना है कि सभी परिचित सामाजिक व्यवस्थाओं में व्यक्ति स्वयं को किसी समूह का सदस्य मानता है जिसे बौद्धिक एवं व्यावहारिकता के अनुसार "हम समूह" कहते हैं।

तथा अन्य समूहों को "वे समूह" अथवा "अ-हम-समूह" कहते हैं। इस प्रकार की शक्ति समूह-संघर्ष का स्रोत होता है। किसी भी प्रकार की कुण्ठा (वास्तविक अथवा काल्पनिक) संघर्ष की प्रकृति को कठोर बनाने में 'आग में धी' का काम करती है।

रेमण्ड एरोन (Raymond Aron) ने संघर्ष की निम्न परिभाषा दी है, "समूह संघर्ष दो समूहों और व्यक्तियों में निरिचत सीमित वस्तु को प्राप्त करने अथवा पारम्परिक असात मूल्यों को पाने के लिए विरोध अथवा द्वन्द्व है।"

किंग्स्ले डेविस ने अपनी पुस्तक ह्यमन सोसायटी में प्रक्रिया के तीन महत्वपूर्ण प्रकारों में संघर्ष को प्रथम स्थान पर रखते हुए इसको दो प्रकारों का उल्लेख किया है—आशिक संघर्ष और पुर्ण संघर्ष, जिसमें समझौते की सम्भावना किसी भी स्तर पर नहीं होती है।

फॉलेट (Falleit) का कहना है कि संघर्ष अथवा मतभेद को हल करने के तीन प्रमुख तरीके हैं—(1) प्रभुत्व, (2) समझौता, और (3) एकीकरण। पुर्ये का कहना है कि फॉलेट का समझौता और समाजशास्त्रियों का व्यवस्थापन की प्रक्रियाएँ समान हैं। जब संघर्ष का हल एकीकरण के द्वारा किया जाता है तो स्थरीकरण उसका परिणाम निकलता है जो निर्भाणात्मक है। प्रभुत्व के द्वारा केवल एक पक्ष को वह मिलता है जो वह चाहता है, समझौते के द्वारा किसी को भी वो नहीं मिलता जो वह चाहते हैं तथा एकीकरण के द्वारा दोनों ही पक्षों को वो मिल जाता है जो वो चाहते हैं। इस प्रकार से एकीकरण व्यक्ति और सामाजिक समूहों के लिए एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है।


4. एकीकरण (Integration)—पुर्ये का स्वभाव रहा है कि वे अवधारणा की विवेचन में सर्वप्रथम उसके इतिहास पर अवश्य प्रकाश ढालते हैं। एकीकरण के इतिहास पर प्रकाश ढालते हुए आपने लिखा है कि फॉलेट ने एकीकरण की अवधारणा का प्रयोग राजनीतिक विज्ञान में 1921 और 1927 में किया था; अमरीका में एकीकरण की अवधारणा का उल्लेख 1931 तक 'एन्साइक्लोपीडिआ ऑफ दा सोशियल साइन्सेज' में नहीं हुआ था। यद्यपि एन्साइक्लोपीडिआ ग्रिटानिका के 14वें संस्करण में एकीकरण पर एक रांकित टिप्पणी लिखी गई। लेकिन इस अवधारणा की प्रक्रिया और महत्व को हर्वर्ट स्पेन्सर ने 1862 में अपनी पुस्तक में प्रयोग करके रखा कर दिया था। आपने जोर देकर कहा कि विभेदीकरण के साथ एकीकरण निर्जीव, जैविक और सामाजिक उद्विकास का महत्वपूर्ण सिद्धान्त है।

1931 में मैकोवर ने अपनी पुस्तक सोसायटी में फॉलेट एकीकरण की अवधारणा की प्राथमिक समूह के सिद्धान्त में समूह-प्रक्रिया के रूप में प्रस्तुत किया। मैकोवर ने विचारों का उपयोग किया तथा एकीकरण की अवधारणा को आगे बढ़ाया। बाद में सामाजिक परिवर्तन और प्रगति की विवेचन में मैकोवर ने हर्वर्ट स्पेन्सर के उद्विकास से सम्बन्धित एकीकरण के विचारों का भी उपयोग किया। आपने लिखा कि यह सामान्यतया कहा जाता है कि उद्विकास विभेदीकरण और एकीकरण की एक प्रक्रिया है लेकिन विभेदीकरण को जब ठीक से समझा जाता है तो वह एकीकरण को व्यक्त करता है।

डेविड एफ. अबेरले (David F. Aberle) ने एकीकरण की निम्न परिभाषा दी है, “एकीकरण से हमारा तात्पर्य है समाज की क्षमता जिससे वह बार बार खुले संघर्ष में पतन होने या स्वतंत्र छोटी व्यवस्थाओं की भूखलाओं में विख्यात बिना एक प्रकार से सांगठित पूर्णता में कार्य कर सके।”

वर्नर एस. लेण्डेकर (Werner S. Landekker) ने एकीकरण की परिभाषा न देकर इसके चार प्रकार दिए हैं—

### एकीकरण के प्रकार



**4.1 सास्कृतिक एकीकरण (Cultural Integration)**—सास्कृतिक मानदण्डों में एकीकरण।

**4.2 मानकीय एकीकरण (Normative Integration)**—सास्कृतिक मानदण्डों और मानव के व्यवहारों में एकीकरण।

**4.3 संप्रेषणप्रक एकीकरण (Communicative Integration)**—अर्थों के विनिमय द्वारा एकीकरण।

**4.4 प्रकार्यात्मक एकीकरण (Functional Integration)**—सेवाओं के विनिमय द्वारा एकीकरण जिसे अर्थशास्त्री ‘श्रम का विभाजन’ कहते हैं।

श्रम विभाजन की व्यवस्था की इकाइयों में पारस्परिक निर्भरता की मात्रा में प्रकार्यात्मक एकीकरण होता है। यह दूसरे प्रकार के एकीकरणों में सहायक हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। लेकिन अन्य तीनों प्रकार के एकीकरण एक-दूसरे से घनिष्ठ सम्बन्धित हैं। संचार अथवा अर्थों का आदान-प्रदान समूह में संप्रेषणप्रक (सचार सम्बन्धी) एकीकरण की मात्रा निर्धारित करता है जिसका सम्बन्ध सास्कृतिक एकीकरण और मानकीय एकीकरण के साथ है। लेण्डेकर के अनुसार संप्रेषणप्रक एकीकरण अन्य प्रकार के एकीकरणों का केन्द्रीय और प्रमुख आधार है। एम एम गोडेन ने दो स्तरों पर एकीकरण की अवधारणा का प्रयोग सामाजिक समूह के सन्दर्भ में किया है—(1) सामुदायिक एकीकरण स्तर, और (2) बहुवादी एकीकरण स्तर। 1959-60 में पीटर एम. ब्लॉग ने दो लेख “सामाजिक एकीकरण” पर लिखे और उससे सामाजिक एकीकरण समाजशास्त्र में स्थापित हो गया। एक लेख में आपने समूह में व्यक्तियों का एकीकरण—अन्तर वैयक्तिक एकीकरण की विवेचना की है तथा इसके सूचकों को स्पष्ट किया है। दूसरे लेख में आपने “ए थ्योरी ऑफ इन्टीग्रेशन” शीर्षक से लिखा। इसमें आपने बताया कि एकीकरण का निर्धारण समूह के सदस्यों में एक-दूसरे को आकर्षित करने की क्षमता सम्पर्क करने की क्षमता तथा ऐसा करने की इच्छा करती है। पॉलेट का कहना है कि एकीकरण स्पष्ट

करता है कि “समाधान मिल गया है जिसमें दोनों पक्षों को स्थान मिल जाता है तथा किसी भी पक्ष को कुछ भी लागत नहीं पड़ता है।”

रॉबर्ट स्कोटस् ने भौतिक और मनोवैज्ञानिक एकीकरण में योगदान दिया। कार्ल जे फ़ॅडरिक ने दो प्रकार के एकीकरण बताए हैं—एकताकारी और एकीकरण, तथा (2) ‘राष्ट्रीय निर्माण’। जेम्स एम. कॉलर्मन ने तथा कार्ल जी रामबर्ज ने प्रथम पुस्तक “राष्ट्रीय एकीकरण” पर 1964 में लिखी जिसमें आप दोनों ने (1) राजनैतिक एकीकरण, और (2) भूभागीय एकीकरण पर प्रकाश डाला है। पीछे इन जेकव् ने यूरोप के आर्थिक समुदाय की परिस्थितियों के आधार पर एकीकरण ने निम्न चार प्रकार निर्धारित किए—(1) राजनैतिक एकताकारी के रूप में एकीकरण, (2) आर्थिक एकताकारी के रूप में एकीकरण, (3) आर्थिक एवं राजनैतिक महयोग के रूप में एकीकरण, और (4) स्वतंत्र व्यापार के रूप में एकीकरण।

घुर्ये लिखते हैं कि जिस प्रक्रिया के द्वारा एकता की परिस्थिति प्राप्त की जाती है वे सभी जटिल तकनीके एकीकरण कहलाती हैं। इसके दो घटक हैं—(1) राजनैतिक एकीकरण जिसमें—(अ) भूभागीय एकीकरण, और (ब) आर्थिक एकीकरण सम्मिलित है। (2) सामाजिक एकीकरण, भूभागीय एकीकरण में सभी भौगोलिक क्षेत्रों की एकताकारिता आती है, तथा उनमें जैविक एकता होती है जो यातायात एवं संचार में व्याधि यन सके। आर्थिक एकता में सभी आर्थिक क्रियाएँ सभी लोगों व एक सामान्य प्रशासन के अधीन होती है।

दूसरा घटक सामाजिक एकीकरण है जिससे तात्पर्य है—व्यक्तियों और समूहों का ऐसा एकीकरण जिसमें व्यक्तियों में सामान्य साझा मूल्य होते हैं। इस सामाजिक एकीकरण का आधार और परिणाम मनोवैज्ञानिक एकीकरण होता है जो संप्रेषणप्रक एकीकरण के द्वारा होता है। संचार या संप्रेषणप्रक के द्वारा विभिन्न लोग परस्पर एक-दूसरे के समर्क में सामान्य मूल्यों के द्वारा आते हैं। यह प्रत्येक नागरिक में भावात्मक पहचान स्थापित करता है जिसे राष्ट्र-राज्य के द्वारा आदर्शपूर्ण रूप में प्रदर्शित किया जाता है। घुर्ये इस पूर्ण जटिलता को सामाजिक एकीकरण कहते हैं जिसका कारण आपने इसमें राजनैतिक पक्ष, प्रशासनिक एकता और राजनैतिक सहभागिकता का होना बताया है जो प्रत्येक नागरिक का राजनैतिक एकीकरण है और उसके प्रिलेने से राष्ट्रीय एकीकरण का निर्माण जो जटिलपूर्ण बनता है वह राष्ट्रीय एकीकरण कहलाता है।

5. सामाजिक तनाव और अल्पसंख्यक (Social Tension and Minorities)—घुर्ये ने अल्पसंख्यकों से सम्बन्धित सामाजिक तनाव की विस्तृत विवेचना की है। आपने भाषा के आधार पर अल्पसंख्यकों में तनाव का निर्धारण किया है। इसे आपने भाषाई तनाव कहा है। एक भाषा को बोलने वाले अल्पसंख्यक पूरे भारत में वसे हैं। वे अपनी भाषा को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता दिलवाना चाहते हैं। इसी प्रकार से एक धर्म को मानने वाले अल्पसंख्यक धर्मविलम्बी पूरे देश में फैले हुए हैं उनमें धर्म के आधार पर अन्य धर्मावलम्बियों के साथ धार्मिक तनाव या साधारणियक झगड़े देखे जा सकते हैं। घुर्ये ने सामाजिक तनाव के तीसरे रूप अल्पसंख्यकों में प्रान्तीयता के आधार पर भी मंघर्य की विवेचना की है। आपने यह पुस्तक 1968 में लिखी थी, उस समय सविभान

की 8वीं अनुमूली में यारह भाषाओं का उल्लेख किया गया था तथा भाषा के आधार पर भाषाई राज्यों के निर्माण की प्रक्रिया देखी जा सकती है। भारतीय संविधान ने अधिनियम 30 (1), (2) 350 (ब) 1 में "भाषाई अल्पसंख्यक समूह" और "भाषाई अल्पसंख्यक" का उल्लेख किया गया है। इस प्रकार से यह स्पष्ट हो जाता है कि भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों का निर्धारण सास्कृति या प्रजाति या राष्ट्रीयता के अनुसार नहीं है। यह केवल भाषा या धर्म अथवा दोनों पर आधारित है।

मुस्तिम भारतीय जो उद्दृ भाषाओं का भिन्न धर्म है तथा वे भाषा आर धर्म के आधार पर भारत में अल्पसंख्यक हैं। भारत में धर्म के आधार पर इंग्राई एक और अल्पसंख्यक हैं परन्तु वे कोई विशिष्ट भाषाई नहीं हैं। ये लोग भारत के विभिन्न राज्यों में फैल हुए हैं जहाँ उनका जन्म एवं पालन पोषण हुआ है तथा वे अपने अपने राज्यों की भाषा बालते हैं। इसलिए अंग्रेजी भाषा भारतीय इंसाइडों की विशिष्ट भाषा नहीं मानी जा सकती है।

अल्पसंख्यक द्वितीय महायुद्ध के बाद एक प्रकार के रूप में राजनीतिशास्त्र में और एक अवधारणा के रूप में अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों तथा कानून में प्रस्फुटित हुआ था। एनसाइक्लोपिडिया क्रिटानिका के 1964 के संस्करण में अस्पृश्यों, अल्पसंख्यकों की समस्याओं पर प्रकोश डाला गया है। कोहन के अनुसार, "अल्पसंख्यक वो समूह हैं जो सामाज्य वर्जन के बच्चन, भाषा या धार्मिक विश्वास और इन क्षेत्रों में अपने को निश्चित राजनैतिक क्षेत्र में वसे बहुसंख्यकों से भिन्न अनुभव करते हैं।"

लुईस विर्थ (Louis Wirth) ने अल्पसंख्यक की निम्न परिभाषा दी है, "एक लोगों का समूह अपने शारीरिक अथवा सास्कृतिक लक्षणों के कारण जिस समाज में रहते हैं उसमें असमान अथवा भेदभावपूर्ण व्यवहार करने के लिए दूसरों से पृथक् कर दिए जाते हैं और इसलिए वो अपने को सामूहिक भेदभाव का विषय मानते हैं। अल्पसंख्यक प्रस्थिति के साथ समाज के जीवन में पूर्ण सहभागिता सम्बन्धी अपयज्जन जुड़ा होता है।"

**निष्कर्ष:** यह कहा जा सकता है कि अल्पसंख्यक किसी समाज में एक छोटा समूह है जिसे उनके शारीरिक, सास्कृतिक, भाषाई, धार्मिक और राजनैतिक लक्षण या लक्षणों के कारण समाज के बहुसंख्यकों में अलग-धलग या पृथक् कर दिया जाता है। अल्पसंख्यक अपने को भेदभाव व्यवहार का विषय मानते हैं। समाज की सभी गतिविधियों में वे भाग नहीं ले सकते हैं। उन पर अनेक प्रतिबन्ध होते हैं। उनका विभिन्न प्रकार से शोषण किया जाता है अथवा उन्हें सामंजिक, धार्मिक, राजनैतिक, सास्कृतिक आदि क्षेत्रों में समान अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। इन्हीं भेदभावों के कारण राष्ट्र सभा ने अल्पसंख्यकों के अधिकार सम्बन्धी प्रावधान स्पष्ट किए हैं जिनका धुर्ये ने उल्लेख किया है।

#### अल्पसंख्यकों के प्रमुख अधिकार (Principal Rights of Minorities)

धुर्ये ने लिखा है कि राष्ट्रसभा केवल प्रजातीय, भाषाई अथवा धार्मिक अल्पसंख्यकों को मानता है। इसमें कहीं पर भी राष्ट्रीय अथवा सास्कृतिक अल्पसंख्यकों का उल्लेख नहीं मिलता।

है। इसी सन्दर्भ में राष्ट्र संघ ने प्रजातीय, भाषाई अथवा धार्मिक अल्पसंख्यकों के निन प्रमुख अधिकारों का वर्णन किया है—

**राष्ट्रीयता (Nationality)**—(1) एक व्यक्ति का निश्चित सीमा में आदतन आवास है अथवा वह आदतन आवास करने वाले की सन्तान है तो उसे उस राष्ट्र राज्य की राष्ट्रीयता प्राप्त हो जाती है जिसकी सीमा में वह थोड़ा आता है। (2) जीवन की स्वतंत्रता, और पूजा की स्वतंत्रता 'उन सभी निवासियों का अधिकार है, चाहे उसकी प्रजाति, धर्म या विश्वास वहाँ की जनता की व्यवस्था अथवा जनता के आचार से मेल नहीं खाते हो, (3) कानून के सामने सभी समान हैं। प्रजाति, भाषा या धर्म के आधार पर किसी भी राष्ट्र या देश में खोकरियों, व्यवसायों और उद्योगों में भेदभाव नहीं बरता जाएगा। (4) जो अल्पसंख्यक राष्ट्र है उन्हें पूरा अधिकार है अपने सामाजिक और धार्मिक संस्थाओं, पाठशालाओं और शैक्षणिक संस्थाओं को स्थापित करने, चन्दा द्वारा चत्तने आदि का अधिकार है। (5) राज्य उन पर उनकी भाषा के उपयोग पर कोई प्रतिबन्ध लागू नहीं करेगा। (6) राज्य इन्हें मौखिक अथवा न्यायालय द्वारा उनकी भाषा के बोलने के लिये राजकीय भाषा के अतिरिक्त सभी सुविधाएँ प्रदान करेगा। (7) राज्य उन्हें कस्तों और जिलों में वर्जों को पढ़ने के लिए प्राथमिक विद्यालयों में उपर्युक्त सुविधाएँ प्रदान करेगा। (8) राज्य उन्हें सम्पूर्ण बजट में से उनकी जनसंख्या के अनुपात में वित्तीय सहायता देगा जिसे वो शिक्षा, धर्म तथा दान के उद्देश्यों के रूप में उपयोग कर सकते हैं। (9) अल्पानियाँ और यूनान में मुसलमानों के परिवार के कानून और व्यक्तिगत अधिकारों के लिए राज्य कदम उठाएगा और वहाँ मुसलमानों को परम्पराओं के अनुसार व्यवस्था करेगा।

**सांस्कृतिक बहुवाद और बहु-समाज (Cultural Pluralism and Plural Society)**—घुर्ये ने सांस्कृतिक बहुवाद और बहु-समाज, समाज में विभिन्नता के पक्षों का तनाव के सन्दर्भ में आलोचनात्मक मूल्यांकन किया है। इससे सम्बन्धित विद्वानों के विचारों को आपने क्रमबद्ध रूप में प्रस्तुत किया है। किसी एक समाज में एक से अधिक प्रजाति या सांस्कृतिक मूल की जनसंख्या होने से वह बहु-समाज नहीं बन जाता है। बहु-समाज के लिए विभिन्नता एक आवश्यक लेकिन सनोपनिषद् क स्थिति नहीं है। सभी तथा अधिकतर राष्ट्र, जिनमें भिन्नता वाली जनसंख्याएँ होती हैं, आवश्यक नहीं है, वे बहु-समाज हो। उनको प्रमुख जनसंख्याओं के समूहों में जाति, भाषा, धर्म, भागीर्तिक थोड़ा तथा संस्कृति में अवश्य भिन्नता होती चाहिए। बहु-समाज में विभिन्नता की समस्या का समाधान प्रभावी जनसंख्या के अलावा अस्तित्व की पहचान, सम्पर्क के तत्त्वों के थोड़ा विशेष रूप से वाजार और राजनीति, सीमित होने चाहिए। एक बहु समाज तभी बनता है जब समाज में एक छोटा प्रमुख समूह होता है, जिसके पास समाज के अन्य सांस्कृतिक समूहों पर शक्ति एवं नियंत्रण रहता है। राष्ट्रवादियों की मान्यता है कि राजनीतिक और सांस्कृतिक विषय अपरिहार्य हैं। कोई भी संस्कृति तभी बनी रह सकती है जब उसके पास राजनीतिक सत्ता एवं शक्ति हो। इगीलिए बहु-समाज, बहु-संस्कृति तथा बहु-जनसंख्या, बहु-आर्थिकी आदि में तनाव वी समस्याएँ विद्यमान होती हैं।

घुर्ये ने लिखा है कि बहुवाद में अल्पसंख्यकों और बहुसंख्यकों के बीच बहुवादी उद्देश्य को बनाए रखने के कारण संघर्ष की कुछ मात्रा का बने रहने का खतरा सर्वदा बना रहता है। सर्वोच्च महत्त्व के विषय, जैसे—बाहर से आक्रमण के अतिरिक्त यह समाज में सबजन इच्छा नहीं होती है। आपने अन्त में लिखा है कि समुदाय के मध्य सम्बन्धों को सुधारने के लिए सभी प्रकार के सम्भव प्रयास किए जाते हैं तथा भी उन लोगों के बीच तनाव विद्यमान रहते हैं जो मोलिक प्रस्तो पर अपने भिन्न विश्वास व्यक्त करते हैं और उनमें भी जिनका जीवन एवं विचार विभिन्न भाषा और द्वारा व्यक्त होते हैं।

घुर्ये के उपर्युक्त योगदान एवं चिन्तन ने भारतीय समाजशास्त्र के विकास में उल्लेखनीय योगदान दिया है।

## अध्याय-16

# डी. पी. मुखर्जी का योगदान (Contribution of D.P. Mukherjee) (1894-1962)

भारतीय समाजशास्त्र में भूर्जटि प्रसाद मुखर्जी (Dhurjati Prasad Mukherjee) का विरोध स्थान है। आप डी. पी. मुखर्जी के नाम से जाने जाते हैं। डी. पी. मुखर्जी राधाकृष्णन मुखर्जी के ममकालीन रहे हैं। भारत के सामाजिक वैज्ञानिक आपको डी. पी. के नाम से पुकारते हैं। डी. पी. मुखर्जी का समाजशास्त्र के अतिरिक्त अर्थशास्त्र, माहित्य, संगीत और कला के क्षेत्रों में भी उत्तरोत्तरीय योगदान रहा है। समाजशास्त्र का सर्वाधिक लाभ आपके द्वारा प्रतिपादित अनेक अवधारणाओं, मिद्दान्तों, मौलिक विचारों, मौलिक व्यात्योत्त और विचारों की अद्वितीय अभिव्यक्ति के कारण हुआ है। अब हम व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध रूप से डी. पी. मुखर्जी के जीवन-चित्रण, प्रमुख रचनाओं, लेख, विचारों, समाजशास्त्र में योगदान, कार्य-प्रणाली आदि का अध्ययन करेंगे।

## डी. पी. मुखर्जी का जीवन-चित्रण (Life Sketch of D. P. Mukherjee)

डी. पी. मुखर्जी का जन्म बंगाल के एक प्रथम वर्गीय ब्राह्मण परिवार में सन् 1894 में हुआ था। आपके जन्मनिवाले के निर्माण पर परिवार एवं जाति के संस्कारों का प्रभाव पड़ा। आपने 1918 में एम.ए. इतिहास तथा 1920 में एम.ए. अर्थशास्त्र की परीक्षा पास की। आपने ये उपाधियों कलकत्ता विश्वविद्यालय में प्राप्त की। आपकी शिक्षा अच्छी हुई। आगे चलकर आपने अपने परिवार के वातावरण के प्रभाव के फलम्बन्य सिक्षण-कार्य व्यवसाय के स्वरूप में गहण किया। पहले आप इतिहास के विद्यार्थी रहे। उस काल में इतिहास में अर्थशास्त्र भी पढ़ाया जाता था। यदि भी आपने इतिहास में उपाधि प्राप्त की। आपने वर्षों तक यमाजशास्त्र और इतिहास का अध्ययन किया। ज्ञान के क्षेत्र में सभी विषयों में आप श्रेष्ठ लेते थे। आपका विवाह छायारेंद्री के माथे हुआ। घाट में आप एक समाजशास्त्री के रूप में उभरे तथा अन्नार्थीय चगत् में आपको एक समाजशास्त्री के स्वरूप में माना जाने लगा।

भूर्जटि प्रसाद मुखर्जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी मोलिक विचारक व भविष्य को देखने की अद्भुत क्षमता रखने वाले समाजशास्त्री थे। आपके शिक्षण काल म बगात में अनेक महान् हस्तियाँ थीं। उस समय चक्रिम चन्द्र, रवीन्द्रनाथ टाकुर एवं शरत् चन्द्र आदि के साहित्य का विशेष प्रभाव था। उस समय बगाली साहित्य का भी पुनर्जागरण हो रहा था। इस बातावरण का ही पी के व्यक्तित्व पर विशेष प्रभाव पड़ा। डी पी पर सामीत, राजनीति, चित्रकला, साहित्य और विज्ञान आदि का इतना अधिक प्रभाव पड़ा कि आपने समाज और अर्थशास्त्र के अतिरिक्त अनेक विषयों पर अधिकार के साथ काफी कुछ लिखा। डी पी को सामीत से सम्बन्धित अच्छी ज्ञान था। आप अक्सर उस्तादों के साथ बैठा करते थे और राम रामनियों की आपको अच्छी पहचान व पकड़ थी। आपने भारतीय सामीत के परिचय के सम्बन्ध में बाद में सन् 1945 में एक पुस्तक 'इन्द्रोड्वेशन टू इण्डियन म्यूजिक' लिखा। बाद में आपने मार्कस्वाद का गहन अध्ययन किया। आपके विचारों पर भास्त्याओं के अध्ययन, निवारण आदि के सम्बन्ध में मार्कस्वाद का प्रभाव देखने की मिलता है। आपके लिए राजनीतिक आनंदोलन और इसकी दशा और दिशा मात्र सामाजिक परिवर्तन के अग थे। आपके ज्ञान का लाभ एकीकरण को प्राप्त करने में सहायक रहा। डी पी जो कुछ कहते, लिखते अथवा करते थह बहुत प्रभावशाली होता था।

आपने अपना अध्यापक जीवन अपने निवास स्थान के बगावासी कॉलेज से प्रारम्भ किया। यहाँ से आप सन् 1922 में लखनऊ विश्वविद्यालय में व्याख्याता बने। यहाँ आपने अर्थशास्त्र एवं समाजशास्त्र के व्याख्याता पद पर कार्य आरम्भ किया तथा इस व्याख्यात विश्वविद्यालय में 32 वर्षों तक खूब पढ़ा, पढ़ाया, सीखा और सिखाया। इस कार्य काल में आपने अपने शिष्यों को पढ़ाया जो आगे चलकर भारत के राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के समाजशास्त्री के रूप में सामने आए। आपने इस विश्वविद्यालय की शैक्षणिक व्यवस्था एवं सागरण के निर्माण में अद्वितीय योगदान दिया। यद्यपि आपके शिक्षण का कार्यकाल लखनऊ विश्वविद्यालय में व्यतीत हुआ किन्तु बीच-बीच में आप अन्यत्र भी जाते रहे। आपने प्रथम उत्तरप्रदेश सरकार के समय में 1937 से 1940 तक विभिन्न पदों पर कार्य किया। जब कांग्रेस सत्ता में आई तो आप सूचना-विभाग के निदेशक बने। इस काल में आपने जन-सम्पर्क को बोल्डिक ट्राइट्कोण से पुर्णांगित किया। डी पी ने "अर्थशास्त्र और सांख्यिकी ब्यूरो" की स्थापना की और उसके द्वारा आपने समाज के अनेक महत्वपूर्ण विभिन्न पक्षों से सम्बन्धित सूचनाओं और तथ्यों को एकत्र करने, वर्गीकृत करने तथा विश्लेषित करने का कार्य प्रारम्भ किया। इस महत्वपूर्ण कार्य को प्रारम्भ करने का त्रैय आपको ही जाता है। आप इस क्षेत्र में और भी कार्य करते लेकिन उत्तरप्रदेश की कांग्रेस सरकार द्वारा अग्रेजों के साथ द्वितीय महायुद्ध की समस्या पर मतभेद होने के कारण त्याग-पत्र दे दिया गया जिसके परिणामस्वरूप डी पी मुखर्जी लखनऊ विश्वविद्यालय में व्याख्याता के पद पर लौट आये।

सन् 1947 में डी पी को उत्तरप्रदेश जौच समिति का सदस्य नियुक्त किया गया। इस समिति के सदस्य के नाते आपने अपने ज्ञान के आधार पर अमूल्य सुझाव देकर बहुमूल्य योगदान दिया।

सन् 1951 में आपको लखनऊ विश्वविद्यालय में प्रोफेसर बनाया गया। एम सी राव (M Chalapathi Rao) ने अपने सेख 'डी पी मुखर्जी : ए पोर्ट्रैट' (D P Mukherjee A

Portrait) में लिखा है कि आपको प्रोफेसर बहुत पहले ही बना देना चाहिए था लेकिन डॉ. पी. को पदों के प्रति कोई रुचि नहीं थी। प्रोफेसर नहीं बनने का उन्हें कभी दुःख नहीं हुआ और बनने से कोई खुशी भी नहीं हुई।

सन् 1953 में लखनऊ विश्वविद्यालय से सेवा निवृति के एक वर्ष पूर्व अलीगढ़ विश्वविद्यालय से अर्धशास्त्र विभाग के अध्यक्ष पद के लिए आपको निमन्त्रण प्राप्त हुआ जिसे आपने स्वीकार किया तथा वहाँ 5 वर्षों तक कार्यरत रहे। बाद में पूर्ण रूप से स्वम्भूत रहने के कारण वे कार्य नहीं कर सके। इसके उपरांत भी अलीगढ़ विश्वविद्यालय ने आपसे पद पर बने रहने का आग्रह किया, जिससे एक प्रेरणा स्रोत व्यक्तित्व वहाँ बना रहे। लेकिन आपने इस आग्रह को अस्वीकृत कर दिया।

डॉ. पी. मुखर्जी समाजशास्त्र के 'विजिटिंग प्रोफेसर' बनकर हेंग में 'इन्टरनेशनल इन्स्टीट्यूट ऑफ सोशियल स्टडीज' में कार्यरत रहे। डॉ. पी. मुखर्जी 'इण्डियन सोशियोलोजिकल एसोसिएशन' के संस्थापक सदस्य थे। आप इसकी कार्यकारिणी समिति के सदस्य थे। आप इस समिति के संस्थापक मण्डल के भी सदस्य थे तथा इसकी स्थापना में आपका उत्तराखणीय योगदान रहा। इस समिति द्वारा 1955 में आपने 'प्रथम अखिल भारतीय समाजशास्त्रीय साठन' की घटक की अध्यक्षता की। डॉ. पी. मुखर्जी को यूनेस्को ने पेरिस में व्याख्यान देने के लिए आमन्त्रित किया था। आपने पेरिस में ओजस्वी व्याख्यान दिया।

डॉ. पी. मौखिक बातचीत बहुत अधिक करते थे। आपसे युद्धजीवी खूब मिलते थे। आपके सेखन से अधिक महत्वपूर्ण व्याख्यान, वार्तालाप और विचार-विमर्श होते थे। आप धूप्रपान बहुत अधिक करते थे। वे अपने छात्रों से कहा करते थे "मेरे पास पुस्तके लिखने को समय कहाँ है?" आप विचारों की अभिव्यक्ति में अद्वितीय थे। "संस्कृति का समाजशास्त्र" विषय के आप अधिष्ठाता थे। आपने मौखिक बातचीत के द्वारा एक पीढ़ी को प्रशिक्षित किया, सोचने के लिए तैयार किया। आप कहा करते थे, "भानव का निर्माण करना मेरे लिए पर्याप्त है।" जब आप हेंग में थे, उस समय अधिक धूप्रपान के कारण आपके गले में कैंसर हो गया था, इसके ढपनार के लिए आप ज्यूरिफिश गये, वहाँ शल्य निकित्या की गई इसमें आपको कुछ आराम तो मिला लेकिन आपकी आवाज ख़राब हो गई। आप वापिस अलीगढ़ लॉट आये तथा अपने पद पर तब तक कार्यरत रहे जब तक शरीर ने साथ दिया। शिक्षा जगत् के लोगों को आपकी आवाज के ख़राब होने का हार्दिक दुःख रहा। आपके वार्तालाप पर अंकुश लग गया तथा मौखिक बातचीत के द्वारा आपके ज्ञान का संचार व हस्तानारण प्रतिवर्चित हो गया। 15 दिसम्बर, 1962 को उन्होंने अपनी मृत्यु का स्वागत किया। इस प्रकार से कौफों हाउस के चर्चा-जगत् का सुकरात इस संसार से उठ गया।

### डॉ. पी. मुखर्जी की रचनाएँ

(Works of D. P. Mukherjee)

1. 'वैमिक कन्सेप्ट्स इन सोशियोलॉजी'

(Basic Concepts in Sociology) 1932

2. 'पर्सनेलिटी एण्ड द सोशियल साइंसेज'

(Personality and the Social Sciences) 1924

- 3 'टैगोर : ए स्टडी' (Tagore A Study) 1943
- 4 'मोर्डन इण्डियन कल्चर' (Modern Indian Culture) 1942
- 5 'ऑन इण्डियन हिस्ट्री' (On Indian History) 1945
- 6 'इन्ट्राडक्शन टु इण्डियन म्यूजिक'
- (Introduction to Indian Music) 1945
- 7 'प्रोब्लम्स ऑफ इण्डियन युथ'
- (Problems of Indian Youth) 1946
- 8 'व्यूज एण्ड काउंटर व्यूज'
- (Views and Counter-Views) 1946
- 9 'डाइवर्सिटीज' (Diversities) 1958
- 10 'सोशियोलॉजी ऑफ इण्डियन कल्चर'
- (Sociology of Indian Culture) 1942
- 11 'इण्डियन ट्रेडिशन एण्ड सोशियल चेंज'
- (Indian Tradition and Social Change)

'भारतीय परम्परा और सामाजिक परिवर्तन' विषय पर आपने 'इण्डियन सोशियोलॉजिजल कॉन्फ्रेन्स', देहरादून, 1955 के अधिवेशन में अध्यार्थीय भाषण दिया। इसके अतिरिक्त आपने हीन उपन्यास प्रकाशित हुए। आपने एक कहानी संकलन भी प्रकाशित कराया। रवीन्द्रनाथ टैगोर के साथ आपने एक संगीत की पुस्तक लिखी और एक पुस्तक संगीत में ही अलग से भी लिखी। आपके बंगाली भाषा में लिखे निबंधों के दो खण्ड भी प्रकाशित हुए।

### डी. पी. मुखर्जी के सामाजिक विचार

(D. P. Mukherjee's Social Views)

डी. पी. मुखर्जी ने अनेक विषयों से सम्बन्धित महत्वपूर्ण विचार प्रस्तुत किए हैं। आपने सामाजिक विचार समाजशास्त्र, इतिहास और अर्थशास्त्र में विशेष रूप से अध्ययन किये जाते हैं। कला, संगीत और साहित्य से सम्बन्धित लेखों एवं विचारों को सम्बन्धित विषय में सम्मान की दृष्टि से धृढ़ जाता है। यहाँ उनके उन सामाजिक विचारों का उल्लेख किया जायेगा जिनमा समाजशास्त्र में विशेष महत्व है।

### सम्पूर्णवादी दृष्टिकोण

डी. पी. मुखर्जी का मत है कि विभिन्न विज्ञान, जैसे—समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र व इतिहास आदि परस्पर घनिष्ठतया सम्बन्धित हैं। इन विज्ञानों की सामग्री के आदान-प्रदान को आप आवश्यक मानते हैं। डी. पी. का मत है कि चौंक अर्थशास्त्र की जड़ सामाजिक वास्तविकता में विद्यमान होती है इसलिए अर्थशास्त्र की प्रकृति समाजशास्त्रीय है। आप यह भी कहते हैं कि सम्पूर्णवादी दृष्टिकोण ही समाज विज्ञान की व्याख्या का आधार होना चाहिए। आप लिखते हैं कि व्यक्ति, वैयक्तिकता और समाजीकरण का समवय है। वैसे आपका कहना है कि व्यक्तित्व पूर्ण एकता है और ज्ञान इस एकोकृत पूर्णता का आधार है। इसलिए सामाजिक विज्ञानों की

अध्ययन वस्तु को अलग अलग दृष्टिकोण से नहीं देखा जाना चाहिए। आपका कहना है कि आज ज्ञान का विभाजन हो गया है। वह कई शाखाओं व उप-शाखाओं में बंट गया है अतः उसमें पूर्णता समाप्त हो गई है। व्यक्तित्व के विभिन्न पक्ष होते हैं, डी. पी. के अनुमार इन विभिन्न पक्षों को एक पूर्णता मानकर अध्ययन करना चाहिए। आपने निष्कर्ष दिया है कि ज्ञान के विभिन्न पक्ष अवश्य होते हैं लेकिन समाज विज्ञान की पूर्णता एवं एकीकरण आवश्यक है और अगर हम समाजशास्त्र विषय का विकास करना चाहते हैं तो हमें सम्पूर्णतावादी दृष्टिकोण को अपनाना चाहिए।

डी. पी. मुखर्जी ने 'व्यूज एण्ड कारण्टर व्यूज' में लिखा है, "इम विषय को ज्ञान में काट दिया गया है, ज्ञान को जीवन से पृथक् कर दिया गया है और जीवन, जीवित सामाजिक दशाओं में अलग कर दिया गया है।" आपने यह कथन गणाजनशास्त्र की विद्यर्थी सामग्री के सम्बन्ध में कहा है। आप सामाजिक जीवन को पृथक्-पृथक् खण्डों में अध्ययन करने के विरुद्ध थं तथा सम्पूर्णतावादी दृष्टिकोण के समर्थक थे।

### पद्धतिशास्त्र (Methodology)

डी. पी. मुखर्जी की अध्ययन की गद्दति के सम्बन्ध में बहुत कुछ लिया जा सकता है। डी. पी. को मुख्यतया समाजशास्त्री माना जाता है, लेकिन आप अर्थशास्त्र, इतिहास, संगीत, चित्रकला व साहित्य आदि में भी अधिकार के साथ लिखते थे इसलिए आपकी अध्ययन-पद्धति ऐतिहासिक रही है। इसके अतिरिक्त किन्हों विषयों के अध्ययन की आपने भनो-समाजशास्त्रीय एवं दार्शनिक पद्धति का भी समर्थन किया है।

**1. द्वन्द्वात्मक-पद्धति (Dialectical Method)—**भारतीय समाज के अध्ययन के लिए आपने ऐतिहासिक पद्धति को अपनाया। आपने भारत की परम्पराओं के इतिहास में कालान्तरिक अध्ययन पर जोर दिया। इसमें आपने द्वन्द्वात्मक दृष्टिकोण के आधार पर भारतीय परम्पराओं के संघर्ष के अध्ययन को प्रस्तुत किया है। आपने लिखा है कि भारतीय समाज में परम्पराओं का संघर्ष (द्वन्द्व) वृहदस्तर और लघुस्तर की परम्पराओं में होता है। वृहदस्तर की परम्पराएँ संस्कृत भाषा में मिलती हैं तथा लघुस्तर की परम्पराएँ स्थानीय भाषाओं में मिलती हैं। इसके अतिरिक्त आपने भारतीय परम्पराओं का संघर्ष बाहर से आई इस्लामी एवं पश्चिमी समाजों वी परम्पराओं में भी चताया है। डी. पी. ने भारतीय समाज के सामाजिक परिवर्तन के अध्ययन की पद्धति ही गल और मार्ग के द्वन्द्वात्मक को संशोधित करके प्रस्तुत की है जिसे भारतीय समाजशास्त्र में 'डी. पी. मुखर्जी के द्वन्द्वात्मक उपागम' (D. P. Mukherjee's Dialectical Approach) के नाम से जाना जाता है।

**2. भनो-समाजशास्त्रीय पद्धति (Psycho-Sociological Method)—**आपने वैज्ञानिक अध्ययन पद्धति पर भी यथास्थान मत व्यक्त किया है, आप सत्य को जानने के लिए विभिन्न मार्गों के पश्चात् पर थे। आपने समाजशास्त्रीय अवधारणा का तत्त्व—व्यक्तित्व चताया है तथा विभिन्न प्रकार से इस तत्त्व को सिद्ध करने का प्रयास भी किया है। आप लिखते हैं कि "व्यक्तित्व पूर्ण एकता है तथा ज्ञान इस पूर्णता का आधार है।" आप ज्ञान को व्यक्तित्व के विकास का प्रमुख

माधन मानते हैं। डी पी मुखर्जी का दृष्टिकोण सम्पूर्णतावादी है, उसों के अनुभार आपसी अध्ययन पद्धति व्यक्तित्व के विभिन्न पक्षों का पृष्ठता में देखती है। चूंकि आप व्यक्तित्व पर अधिक जोर देते हैं, इसलिए आपसी अध्ययन पद्धति मना समाजशास्त्रीय है।

**3. दार्शनिक-पद्धति (Philosophical Method)**—डी पी मुखर्जी दार्शनिक पद्धति के भी समर्थक रहे हैं। डी पी की दार्शनिक प्रवृत्ति का आधार तर्फ और विवेक है। आपसी दार्शनिक पद्धति का मूल विन्दु युद्धियाद और व्यावहारिक तर्फ है। आप एक आर तर्फ या विवेक को घटनाओं के अध्ययन का यन्त्र मानते हैं तो दूसरी आर तर्फ या विवेक को व्यक्तित्व के विषय का साधन भी मानते हैं।

**4 विभिन्न विज्ञानों में सम्बन्ध (Relationship Between Various Sciences)**—डी पी मुखर्जी क्योंकि सम्पूर्णतावादी दृष्टिकोण के समर्थक थे इसलिए आप अर्थशास्त्र, इतिहास और समाजशास्त्र के पारस्परिक सम्बन्धों और ज्ञान के आदान प्रदान को आवश्यक मानते हैं। आपने समाजशास्त्र की प्रकृति को ऐतिहासिक घटाते हुए लिखा है कि समाजशास्त्र में साम्प्रतिक विशिष्टताओं का विशेष महत्व होता है इसलिए समाजशास्त्र की प्रकृति ऐतिहासिक है। आपने लिखा है कि अर्थशास्त्र की जड़े सामाजिक घटनाओं की विवरणीयता में हैं। इस कारण इसकी प्रकृति समाजशास्त्रीय है। आपने इतिहास की प्रकृति को दार्शनिक घटाता है। इस मत को स्पष्ट करते हुए आप लिखते हैं, “इतिहास मात्र अतीत की घटनाओं का ही अध्ययन नहीं है, वर्तिक अतीत की घटनाओं के अध्ययन के आधार पर इतिहास, समाज के भविष्य का अनुमान भी लगाता है इसलिए इतिहास की प्रकृति दार्शनिक है।”

**निष्कर्षतः:** डी पी मुखर्जी के सामाजिक विचार—व्यक्तित्व का अध्ययन, सम्पूर्णतावादी दृष्टिकोण, मनो-समाजशास्त्रीय अध्ययन पद्धति, दार्शनिक पद्धति, होगल के हुन्दूवाद व मास्त्रवादी विचारधारा आदि के समर्थक और पोषक थे।

### भारतीय समाजशास्त्र में योगदान

#### (Contribution to Indian Sociology)

डी पी मुखर्जी ने 'भारत के लिए समाजशास्त्र' में भारतीय समाजशास्त्र की विषय वस्तु, भारतीय समाजशास्त्र की अध्ययन-पद्धति, अवधारणाएँ व सिद्धान्त आदि से सम्बन्धित निम्नलिखित विचार व्यक्त किये हैं—

**1. भारतीय समाजशास्त्र की विषय-वस्तु (Subject-Matter of Indian Sociology)**—डी पी मुखर्जी ने भारतीय समाजशास्त्र की अध्ययन सामग्री को भारतीय परम्पराओं का अध्ययन घटाया है। आपने कहा कि भारतीय सास्कृति का विकास विभिन्न प्रजातियों एवं सम्प्रतियों की चुनौतियों एवं समलेपण का परिणाम है। आपने हिन्दू सिद्धान्त की व्याख्या करने के लिए भी परम्पराओं में आन्तरिक और वाह्य दबाव से उत्पन्न परिवर्तनों के अध्ययन को भी सम्मिलित करने पर जोर दिया है। भानव तथा समाज के हिन्दू सिद्धान्त की व्याख्या के लिए

परम्पराओं का अध्ययन महत्वपूर्ण बताया है। आपका कहना है कि भारतीय परम्परा और सभी परिवर्तनों की समाजवादी व्याख्या के लिए भी भारतीय परम्पराओं का अध्ययन करना आवश्यक है। डॉ पी. मुखर्जी ने भारतीय समाजशास्त्र की विषय सामग्री भारतीय परम्पराओं को बताते हुए यहाँ तक लिखा है कि भारतीय गमाजशास्त्री का प्रथम कर्तव्य इनमें अध्ययन करना है।

**2. भारतीय समाजशास्त्र के लिए व्याख्यात्मक पद्धति (Explanatory Method for Indian Sociology)**—डॉ पी. मुखर्जी ने भारतीय समाजशास्त्र की वैज्ञानिक अध्ययन पद्धति के मन्त्रमें काफी लिखा है। आपने कहा कि भारत का समाजशास्त्र अभी इस अवस्था में नहीं पहुँचा है कि वह आनुभविक लक्षणों की एकत्र करके अनुसंधान कर। आपने मन् 1955 में भारतीय समाजशास्त्र तथा उसके अनुस्थान के विषय पर अपने विचार निम्न शब्दों में व्यक्त किए हैं।

“एक भारतीय के रूप में तथाकथित शोध प्रबन्धों के जगत में कोई भी जीवन-अर्थ खोज निकालना असम्भव पाता है। भारतीय समाजशास्त्र के क्षेत्र व्याख्यात्मक ही हो सकता है जिसमें अधिकतर निर्भरता अन्तर्दृष्टि की पद्धति पर है जो 19वीं शताब्दी के विज्ञान की अपेक्षा सामाजिक क्रिया की भारतीय प्रणाली में भाग लेने से उत्पन्न होती है। अन्वेषण तो सदैव ही किया जायेगा, किन्तु इसे प्रेक्षित वस्तुओं की भावना के आधार पर करना होगा।”

आपने लिखा है कि भारतीय समाजशास्त्र आगे आने वाले कुछ वर्षों तक केवल व्याख्यात्मक ही हो सकता है।

**3. पाश्चात्य वैज्ञानिक तकनीक का विरोध (Opposition of Western Scientific Technology)**—डॉ पी. मुखर्जी ने लिखा है कि भारतीय समाज परिवर्तन के समाजों से भिन्न है। परिवर्तन के समाज काफी विश्रृंखलित हो चुके हैं। भारतीय समाज परिवर्तन नो हो रहा है लेकिन यह कम विश्रृंखलित है इसलिए पाश्चात्य वैज्ञानिक तकनीक, अवधारणाओं एवं सिद्धान्तों के द्वारा भारतीय समाजशास्त्री भारतीय समाज को भली-भाँत नहीं समझ सकते। आप परिवर्तनी परम्परा के आदर्श पर भारतीय समाजशास्त्र को विकसित करने के पक्ष में नहीं हैं। आपने मन व्यक्त किया है कि हमें भारत की सामाजिक घटनाओं की विशिष्ट रूप से व्याख्या करनी चाहिए तथा परिवर्तन के अध्ययन के प्रलूप, अवधारणाओं, सिद्धान्तों व तकनीक आदि को नहीं अपनाना चाहिए। परिवर्तन में जो वैज्ञानिक तकनीक विकसित एवं निर्मित की गई है, वह अन्य समाजों तथा संस्कृतियों को ध्यान में रखकर की गई है, उनके हांगे भारतीय-समाज तथा संस्कृति के तत्त्वों एवं स्वरूपों पर नहीं समझा जा सकता। आप भारतीय समाजशास्त्र को परिवर्तन के समाजशास्त्र की अनुरूपता बनाने के विरोधी हैं। आपने मन व्यक्त किया है कि भारतीय समाजशास्त्रियों ने प्रगति, सामानता और सामाजिक नियन्त्रण आदि का अध्ययन परिवर्तनी दृष्टिकोण की सहायता से किया है। वह भारतीय समाज के सन्दर्भ में विलकूल अनुपयुक्त है। भारतीय समाज को समझने के लिए आपने मुझाव दिया कि भारत के समाजशास्त्रियों को अपने समाज की संरचना, व्यवस्था, परम्परा और समस्याओं आदि को समझने के लिए उपयुक्त अवधारणाएं, अध्ययन-पद्धति दृष्टिकोण व सिद्धाना आदि निर्मित करने चाहिए।

4. मार्क्स के द्वन्द्ववाद के पक्षधर (Follower of Marx's Dialecticism) — डो पी मुखर्जी मार्क्स के द्वन्द्ववाद के पक्षधर हैं। आपने कहा कि भारत के सामाजिक सन्दर्भ में व्यक्तित्व और सास्कृति का अध्ययन करने के लिए मार्क्स की द्वन्द्वात्मक अध्ययन पद्धति को अपनाना चाहिए। आपने कहा कि मार्क्स की द्वन्द्वात्मक पद्धति भारत के लिए उपयुक्त पद्धति है। इस पद्धति के द्वारा भारत की विशिष्ट परम्पराओं, प्रलीँका, सास्कृतिक प्रतिमानों व सामाजिक क्रियाओं आदि वा अध्ययन किया जा सकता है। आप लिखते हैं कि भारतीय समाज को व्यास्तविकता को मार्क्स के द्वन्द्ववाद के द्वारा ही अच्छी तरह समझा जा सकता है।

ही पी मुखर्जी के भारत के लिए समाजशास्त्र के सन्दर्भ में व्यक्ति किये गये विचारों का प्रभाव भारत के अनेक समाजशास्त्रियों पर पड़ा।

5. भारतीय सामाजिक परिवर्तन में परम्पराओं का महत्व (Importance of Traditions in Indian Social Change) — डो पी मुखर्जी ने भारतीय परम्परा एवं सामाजिक परिवर्तन पर अपने विचार 1955 में 'अखिल भारतीय समाजशास्त्रीय सम्मेलन', देहरादून में अध्यक्षोंय भाषण में व्यक्त किये हैं। बाद में यह भाषण आपको कृति 'डाइवर्सिटीज' 1958 में 'इण्डियन ट्रेडीशन एण्ड सोशियल चेन्ज' में प्रकाशित हुआ। इसमें आपने भारतीय परम्परा एवं सामाजिक परिवर्तन के सम्बन्ध में इसके अध्ययन के महत्व परम्परा का अर्थ परम्पराओं में परिवर्तन, परिवर्तन के मिदान, परम्परा और आधुनिकता में सम्बन्ध, आधुनिकीकरण की परिभाषा एवं गांधीजी द्वारा प्रस्तावित आर्थिक पुनर्निर्माण की योजना आदि से सम्बन्धित विचार प्रकट किये हैं, जो इस प्रकार हैं—

5.1 परम्परा का अर्थ एवं परिभाषा (Meaning and Definition of Tradition) — डो पी मुखर्जी ने 'परम्परा' शब्द की व्याख्या ऐतिहासिक दृष्टिकोण से करते हुए इस शब्द को उत्पत्ति पर प्रकाश डाला है। डो पी ने लिखा है कि अंग्रेजी शब्द 'ट्रेडिशन' (Tradition) की उत्पत्ति 'ट्रेडर' (Tradere) शब्द से हुई है। 'ट्रेडर' शब्द का अर्थ है—हस्तानारण करना। संस्कृत भाषा में अंग्रेजी के ट्रेडिशन का समानार्थक शब्द 'परम्परा' है। 'परम्परा' शब्द का अर्थ है—उत्तराधिकार या 'ऐतिह'—जिसका अर्थ 'ईतिहास' है। रोमन कानून के अनुसार 'ट्रेडर' शब्द का अर्थ मूल्यवान वस्तुओं को जमा करना तथा सुरक्षित रखना है। उसके अनुसार नागरिक का यह नैतिक और कानूनी कर्तव्य है कि वह बहुमूल्य वस्तुओं को सुरक्षित रखे।

आद्यगों को संस्कृत साहित्य में भरम्पराओं का सरक्षक माना गया है। जाति प्रथा भी एक प्रकार से परम्परा है जिसके सरक्षक ब्राह्मण हैं। ब्राह्मण परम्पराओं को धार्मिक पुस्तकों द्वारा सुरक्षित रखते हैं और पोढ़ी-दर-पोढ़ी हस्तातरित करते हैं। डो पी के अनुसार, ब्राह्मण परम्परा को सामाजिक सरचना के रूप में बनाये रखते हैं। आपने भारतीय समाज की निरन्तरता का बना रहना भी परम्पराओं के कारण चलाया। आपने लिखा है कि परम्पराएँ भारतीय समाज का ईतिहास है।

5.2 भारतीय समाजशास्त्र में परम्परा का अध्ययन (Study of Tradition in Indian Sociology) — डो पी मुखर्जी ने विचार से यह स्थापना की है कि भारतीय समाजशास्त्र के अध्ययन का केन्द्र विदु परम्पराओं का अध्ययन है। आप भारतीय समाजशास्त्रियों का प्रथम

कर्तव्य 'भारतीय परम्पराओं का अध्ययन' मानते हैं। सन् 1955 में अखिल भारतीय समाजशास्त्री सम्मेलन में आपने अपने अध्यक्षों द्वारा प्राप्त भारत के समाजशास्त्रियों को भारत की सामाजिक परम्पराओं का अध्ययन करने को सलाह दी। आपने कहा कि हमारा जन्म भारतीय परम्पराओं से हुआ है, हमारा अस्तित्व भी इन्हीं में निहित है। हम अपनी परम्पराओं से भाग नहीं सकते। भारत की समाज-व्यवस्था में समूह की क्रियाओं को महत्वपूर्ण माना गया है। समूह की क्रियाएँ, मत, सम्प्रदाय व जाति आदि के रूप में होती हैं, इसलिए हमें पहले भारतीय होना चाहिए, अपनी समाज व्यवस्था को समझने के लिए भारतीय समाजशास्त्री की अपनी जनरीतियाँ, रुद्धियाँ, प्रथाओं और परम्पराओं से भाग लेना चाहिए। निष्कर्षतः डॉ. पी. मुखर्जी का मत, आग्रह एवं सलाह है कि भारत का समाजशास्त्र विशिष्ट विज्ञान तभी हो सकता है जब वह भारत की परम्पराओं का अध्ययन करे।

**5.3 संस्कृत भाषा एवं स्थानीय भाषा का ज्ञान आवश्यक है (Knowledge of Sanskrit and Local Dialects is Necessary)**—डॉ. पी. मुखर्जी ने भत व्यक्त किया है कि भारतीय समाजशास्त्रों के लिए सम्पूर्ण भाषा तथा स्थानीय भाषा का ज्ञान होना आवश्यक है। आप लिखते हैं कि अपनी समाज व्यवस्था का अध्ययन करने एवं समझने के लिए उसे जन-रीतियाँ, प्रथाओं, रुद्धियों एवं परम्पराओं आदि में भाग लेना होगा। उसे भारत की निम्न तथा उच्च विद्याओं का ज्ञान प्राप्त करना होगा। भारतीय समाजशास्त्री उच्च अथवा वृहद्-स्तरीय परम्पराओं का ज्ञान तभी प्राप्त कर सकता है जब उसे संस्कृत भाषा का ज्ञान हो, क्योंकि यह ज्ञान संस्कृत साहित्य में ही उपलब्ध है। लघु-स्तरीय विद्याओं के ज्ञान के लिए समाजशास्त्री को स्थानीय भाषाओं का ज्ञान होना चाहिए। आपने कहा है कि जिन भाषाओं में परम्पराएँ प्रतीकों के रूप में मूर्तिमान हैं उनके ज्ञान के बिना भारतीय परम्पराओं का अध्ययन एवं परिवर्तन का विश्लेषण सम्भव नहीं है। अब तक भारत में अध्ययन पश्चिम के अनुकरण ढारा हो रहा है। इस सम्बन्ध में डॉ. पी. मुखर्जी ने अग्र शब्दों में दुःख प्रकट किया है।

"मुझे यह देखकर दुःख होता है कि किस प्रकार हमारे भारतीय विद्वान उन आधुनिक (वैज्ञानिकों की) तकनीकों के आकर्षण के सामने बिना किसी प्रतिरोध अथवा सम्मान के हुक्म जाते हैं जिन्हें बाहर से प्राविधिक सहायता या क्रियात्मक ज्ञान के अंग के रूप में आगाह किया जाता है। बौद्धिक लेन-देन में जो कुछ चल रहा है, उससे ऐसा प्रतीत होता है कि हमारे पास प्रस्तुत करने की न तो कुछ शर्तें हैं और न खंडे होने के लिए आधार ही।"

**5.4 परम्पराओं के परिवर्तन के तत्त्व (Elements of Changes of Tradition)**—डॉ. पी. मुखर्जी ने परम्पराओं के परिवर्तन के प्रमुख तीन तत्त्व बताये हैं— (1) श्रुति, (2) स्मृति, और (3) अनुभव। अनुभव को परिवर्तन का कारण माना जाता है, अनुभव दो प्रकार का है—(1) व्यक्तिगत और (2) सामूहिक। व्यक्तिगत अनुभव ही परिवर्तन का मूल कारण है किन्तु वह शोध ही सामूहिक अनुभव का रूप ले लेता है। सामान्य अनुभव सदैव ही परिवर्तन का कारण रहा है। उदाहरण के लिए विभिन्न सम्प्रदायों और धार्मिक ग्रन्थों की ठत्तियाँ घड़े-बड़े सन्तों के व्यक्तिगत अनुभव से हुई हैं और कालान्तर में वे सामूहिक अनुभव के रूप में फैल गये। परम्पराएँ भी उच्च

और निम्न दोनों ही प्रकार की होती हैं। उच्च परम्पराएँ—प्रमुखतया बौद्धिक थीं जो श्रुतियों और स्मृतियों में केन्द्रित थीं जिनमें तर्क-वितर्क, वाद विवाद व परिवर्तन होता था। जिसका वारण-बृद्धि-विचार था। बृद्धि-विचार अनुभव से उच्च परिवर्तन का साथन है, अनुभव को निष्प माना गया है। इन उच्च और निष्प बौद्धिक परम्पराओं में जब सधर्ष होता है तो अमृत विचार एवं भावनाएँ उन्हे समीप लाने का प्रयास करती हैं।

**6. आधुनिकता एवं आधुनिकीकरण (Modernity and Modernization)—**डी पी मुखर्जी ने आधुनिकता एवं आधुनिकीकरण के सम्बन्ध म अपने विचार, अपने लेख ‘इण्डियन ट्रैडिशन एण्ड सोशियल चेंज’ मे व्यक्त किये हैं। आपने कहा कि भारत के सामाजिक परिवर्तन का अध्ययन तभी पूर्ण माना जायेगा जब भारतीय परम्पराओं एवं आधुनिकता के द्वन्द्व या सधर्ष एवं इनके परिणामों का अध्ययन किया जायेगा। आपने यह भी लिखा है कि आधुनिकीकरण एक ऐतिहासिक एवं गत्यात्मक अवधारणा है। परम्परा एवं आधुनिकीकरण परस्पर सार्पेक्ष अवधारणाएँ हैं। इसलिए परम्परा के ज्ञान के अभाव मे आधुनिकीकरण का अध्ययन नहीं किया जा सकता। आप यह भी लिखते हैं कि हम भारत के वर्तमान (आधुनिकीकरण) को अतीत (परम्परा) के सन्दर्भ में ही समझ सकते हैं। आपने इस तथ्य पर भी जोर दिया कि आधुनिकीकरण व परम्परा समय-सार्पेक्ष अवधारणाएँ हैं। परम्पराएँ अतीत से सम्बन्धित हैं और आधुनिकीकरण वर्तमान से सम्बन्धित है। आपने आधुनिकीकरण को समझाते हुए लिखा है कि परम्परा और आधुनिकता के अन्तर्खेल (Inter Play) से परम्परागत मूल्यों और सास्कृतिक प्रतिमानों मे जो विस्तार और परिमार्जन होता है, वह आधुनिकीकरण है। आपकी मान्यता है कि आधुनिकता और परम्परा दोनों गत्यात्मक अवधारणाएँ हैं। आपके अनुसार परम्पराएँ ही आधुनिकीकरण को प्रेरित करती हैं। परम्पराएँ अनेक विकल्पों मे से उपयुक्त विकल्प को चुनने का अवसर प्रदान करती हैं। आधुनिकता मे नवोन भूल्य और सास्थाएँ होती हैं जिनकी उत्पत्ति का आधार परम्पराएँ प्रदान करती हैं। आप द्वन्द्ववाद के पक्षधर हैं इसलिए आपने आधुनिकीकरण की प्रक्रिया की परिभाषा भी द्वन्द्व या सधर्ष के आधार पर दी है। आप लिखते हैं कि परम्परा और आधुनिकता में टकराव होता है, परम्परा वाद है, आधुनिकता प्रतिवाद है, इन दोनों के सधर्ष से जो संशोधित अथवा समन्वित स्थिति उत्पन्न होती है वह आधुनिकीकरण है जिसे समवाद के रूप में देखा जा सकता है।

**7. भारत का विकास (Development of India)—**डी पी मुखर्जी एक बहुमुखी प्रतिभावान समाजशास्त्री रहे हैं। आपने भारत की प्रगति तथा विकास के सम्बन्ध मे भी विचार व्यक्त किये हैं। आपके ये विचार एवं सुझाव सामाजिक एवं आर्थिक दृष्टिकोण से अपना विशेष महत्व एवं स्थान रखते हैं। भारत की प्रगति के लिए योजनाओं के निर्माण मे आपका यह आग्रह रहा है कि योजनाओं का आधार भारत की सांस्कृतिक परम्पराएँ होनी चाहिए। इसी सन्दर्भ मे आपने गांधीजी के विचारों का अध्ययन करने का सुझाव दिया और कहा कि विकास की योजनाएँ बनाने से पहले गांधीजी द्वारा सुझाए गए विन्दुओं का ध्यान रखा जाना चाहिए। डी पी ने कहा कि गांधीजी के सुझावों का अन्यानुकरण नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि गांधी जी ने भारतीय परम्पराओं के

साथ परिचयीकरण के गणन्यक के सम्बन्ध में व्यावहारिक एवं उपयोगी वाते नहीं बताई। ही पी ने भारत के विकास के संदर्भ में गौणीजी के कुछ विचारों का विशेष भी किया है। आपने एक और गौणीजी के रामराम को कल्पना वो इतिहास-विराणी बताया है तो दूसरी ओर उनके परम्परागती दृष्टिकोण का समर्थन किया है। अगर हम परिचय के समाजों की व्यापारों से बदला चाहते हैं तो भारतीय परम्पराएँ ही हमें डरकी बुराइयों में सुरक्षित रख सकती हैं। ही पी मुख्यजी ने भारत की विकास की योजनाओं के लिए परम्पराओं को महत्वपूर्ण बताया है तथा आपने नियुक्त है कि परम्पराओं का विकास हृदृढ़ एवं संघर्ष के द्वारा होता है। आपने परम्पराओं के हृदृढ़ परिवास में लिया है जो भारतीय समाजशास्त्र में महान् योगदान भासा जाता है।

**डी. पी. मुख्यजी : परम्पराओं का हृदृढ़**

(D. P. Mukherjee : Dialectic of Traditions)

डी. पी. मुख्यजी का 'भारत के समाजशास्त्र में परम्पराओं का हृदृढ़' से सम्बन्धित विचार महत्वपूर्ण है। आपने भारत में भारतीय परिवर्तन के संरचनात्मक परिवर्तन के अध्ययन के लिए हृदृढ़तम-उपाय का प्रयोग किया है। डी. पी. ने कहा कि भारत के समाजशास्त्रियों द्वारा परम्पराओं का समाजशास्त्रीय अध्ययन करना चाहिए। आपने परम्पराओं के अध्ययन के महत्व, उपाय, पद्धति, व्याख्या एवं विश्लेषण आदि पर प्रकाश ढाला है, जो निम्न प्रकार है—

**परम्पराओं के हृदृढ़ के अध्ययन का महत्व (Importance of Study of Dialectic of Tradition)—** डी. पी. मुख्यजी ने अपने विभिन्न भूगणां, वार्तालालों, लेखों एवं पुस्तकों में परम्परा एवं परम्परा के हृदृढ़ के अध्ययन पर जोर दिया है। आपको मान्दता है कि यदि हम भारतीय समाज एवं उसमें हानि वाले परिवर्तनों को रामझना चाहते हैं तो हमें यहले परम्पराओं को समझना होगा। डी. पी. ने परम्पराओं के अध्ययन के लिए हृदृढ़तम-पद्धति का सुझाव दिया। आपना कहना है कि परम्पराओं में हृदृढ़ या संघर्ष होता है। ये हृदृढ़ भारत को बुद्ध-स्तरीय परम्पराओं तथा लक्ष्मी-स्तरीय परम्पराओं के मध्य होता है। इनमें परम्परा अनुकूलन भी ही हो सकता है। भारत की आत्मिक परम्पराओं एवं वाह्य परम्पराओं में भी संघर्ष, हृदृढ़, टक्काव, भनुकूलन व समन्वय आदि होता है। इस प्रक्रिया के द्वारा ये भारत की सामाजिक संरचना को परिवर्तित करती है। डी. पी. मुख्यजी ने इसी संदर्भ में परम्पराओं के अध्ययन के महत्व को बताते हुए लिखा है कि भारतीय संस्कृति का विकास अनेक प्रजातियों एवं संस्कृतियों की क्रमागत चुनौतियों एवं उनके संस्कृतेष्ठ के परिणामस्वरूप हुआ है। इसको समझने के लिए आपने परम्पराओं के अध्ययन का समर्वेन किया है और लिखा है कि भारतीय समाजशास्त्री व्याख्यात्मक पद्धति से परम्पराओं के हृदृढ़तम-उपाय से अध्ययन कर सकता है।

**परम्परा का अर्थ, परिभाषा एवं विशेषताएँ (Meaning, Definition and Characteristics of Tradition)—** डी. पी. मुख्यजी ने अपने अध्यक्षीय भाषण एवं लेख, 'इंडियन द्रैडिशन एण्ड सोशियल चेन्ज' जो 'डाइवर्सिटी' कृति में प्रकाशित हुआ है, में परम्परा के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश ढाला है। आपने 'परम्परा' शब्द का लाइक अर्थ उल्लिखित

ब परम्परा ऐतिहासिक दृष्टि से दी है जिसकी चर्चा पूर्व में की जा चुकी है। मुखर्जी के अनुसार परम्परा से तात्पर्य हस्तातरण करना, कीमती बस्तुओं को सुरक्षित रखना उत्तराधिकार व इतिहास आदि से है। डी पी ने लिखा है कि परम्परा का लोग आदर सम्मान करते हैं और इनका समाज में लम्बे समय से प्रचलन चल रहा होता है। परम्पराएँ भारतीय समाज-व्यवस्था का इतिहास होती हैं जिनके द्वारा भारतीय समाज की निरन्तरता बनी रहती है। परम्पराएँ समाज में सन्तुलन व दृढ़ता बनाये रखती हैं। इस प्रकार परम्पराएँ उन स्रोतों से समुत्पन्न हैं जिनके पीछे ऋणियों को कल्पना की गई है। सारांशतः ये परम्पराएँ अनुदान क्रियाओं की सूचक होती हैं।

**परम्पराओं का द्वन्द्व (Dialectic of Traditions)**—डी पी मुखर्जी ने 'परम्पराओं का द्वन्द्व' उपागम के द्वारा भारतीय समाज के सामाजिक परिवर्तन की विवेचना की है। इसको आपने अपने अध्यक्षीय भाषण 'इण्डियन ट्रेडिशन इन सोशियल चेज्ज' व 'वेस्टर्न इन्फ्लूएस ऑन इण्डियन कल्चर' ('न्यू डेमोक्रेट, 1948'), 'मैन एण्ड प्लान इन इण्डिया', 'इकोलोगिक बीकली, वॉन्वे, 1953' आदि में प्रस्तुत किया है।

डी पी मुखर्जी ने विचार व्यक्त किया है कि भारतीय समाजशास्त्री परम्पराओं के अध्ययन के द्वारा विभिन्न सामाजिक विज्ञानों के मध्य पाये जाने वाले सम्बन्धों का पता लगा सकते हैं। आपने परम्पराओं के अध्ययन के महत्त्व पर प्रकाश डालते हुए लिखा है कि भारतीय समाजशास्त्रियों को निम्न कारणों से परम्पराओं के अध्ययन की ओर ध्यान देना चाहिए। आपका आग्रह है कि भारतीय समाजशास्त्री को उन सामाजिक परम्पराओं का अध्ययन करना चाहिए जिनके बीच उसने जन्म लिया है, पला है, बड़ा हुआ है और आज भी रह रहा है। डी पी का कहना है कि इन परम्पराओं का अध्ययन करना हमारे लिए आवश्यक तथा लाभदायक है। भारतीय समाजशास्त्री को पहले भारतीय होना चाहिए, उसके बाद उसे अपनी जनरीतियों, लोकाचारों, प्रथाओं तथा परम्पराओं में भाग लेना चाहिए तथा अपनी सामाजिक व्यवस्था को सही रूप में समझना चाहिए। भारतीय समाजशास्त्री के लिए केवल समाजशास्त्री होना पर्याप्त नहीं है बल्कि उसे भारतीय जनरीतियों को ठीक तरह से समझना भी चाहिए। आपने यह भी लिखा है कि भारतीय समाजशास्त्री को परम्पराओं में आन्तरिक एवं बाह्य दबावों (द्वन्द्व) से जो परिवर्तन हो रहे हैं, उनका अध्ययन करना चाहिए। डी. पी. की मान्यता है कि भारतीय परम्परा का संघर्ष आदिकाल से लेकर अब तक अनेक परम्पराओं—आन्तरिक एवं बाह्य, उच्च जनरीतियों एवं स्थानीय परम्पराओं में होता रहा है। आपने निष्कर्ष दिया कि भारतीय परम्पराओं के इतिहास से स्पष्ट होता है कि इनमें अवरोध एवं समावेषण की अपूर्व क्षमता है। भारतीय परम्पराओं में अनुकूलन की विशेष क्षमता है, जिसके कारण वह आज भी बनी हुई है।

मुखर्जी ने अपने धारण में स्पष्ट रूप से कहा कि आज भी धर्म से सम्बन्धित परम्पराएँ अपनी निरन्तरता बनाये हुए हैं। धार्मिक परम्पराओं का द्वन्द्व या संघर्ष नगरीय मध्यम वर्ग की नूतन परम्पराओं के साथ हो रहा है। आपका सुझाव है कि भारतीय समाजशास्त्रियों को इन परम्पराओं का विकास संघर्ष या द्वन्द्व के दृष्टिकोण से करना चाहिए। मुखर्जी लिखते हैं कि जब भारत के समाजों में स्वेच्छावाद या व्यक्तिवाद नहीं पनपा था, तब भारतीय किसान तथा यात्रिवार के मुखिया

आदि को अकांक्षाओं का स्तर निम्न था। भारतीयों के जीवन में निराशा तथा कुण्ठाओं का अभाव था। आपने कहा है कि अकांक्षाओं के स्तर का निर्धारण परम्पराएँ करती हैं। इसी सन्दर्भ में आपने यह भी लिखा है कि भारत की प्राचीन परम्पराओं में मनुष्य की अवधारणा पुरपर है, व्यक्ति नहीं है। इसलिए भारतीय समाजशास्त्रियों को अपने अध्ययन की इकाई समृह को चुनना होगा जिनके आचरणों और व्यवहारों को परम्परा नियन्त्रित, निर्देशित और सचालित करती है। इसी सन्दर्भ में डॉ. पी. ने परम्परा की परिभाषा देते हुए लिखा कि “परम्परा बास्तव में आचरण या व्यवहार का नियम है।”

### परम्पराओं के द्वन्द्वात्मक अध्ययन के प्रारूप

(Typologies of Dialectical Study of Tradition)

डॉ. पी. मुखर्जी ने भारतीय समाज की परम्पराओं का अध्ययन किया और आपने कहा कि यदि समाजशास्त्रियों को भारतीय समाज को समझना है तो इसको परम्पराओं का द्वन्द्वात्मक दृष्टिकोण से विभिन्न कालों में अध्ययन करना चाहिए। आपने भारतीय समाज की परम्पराओं के द्वन्द्व के आधार, प्रकार एवं रूप सुझाये हैं, जो निम्न प्रकार हैं—

1. लघु-एवं-बहुद-परम्परा में संघर्ष (Dialect of Great and Little Tradition)— सर्वप्रथम आपने यह कहा कि भारतीय संस्कृति के अन्दर ही आन्तरिक दबावों के फलस्वरूप बृहद्-परम्परा और लघु-परम्परा में संघर्ष होता है। ऐसा लगता है कि हीगल ने द्वन्द्वात्मक सिद्धान्त के सम्बन्ध में लिखा है कि जो बाद होता है उसके विरोध के तत्त्व उसी में से उत्पन्न होते हैं; इसी प्रकार भारतीय संस्कृति की बृहद्-परम्परा में विरोध लघु-परम्परा के रूप में इसके विरोध में उत्पन्न हुए हैं। समय-समय पर भारतीय संस्कृति की परम्पराओं के विरुद्ध भारतीय समाज में ही विरोध उत्पन्न हुए हैं। भक्तिकाल में चैतन्य, कबीर, दादू, नानक य विस्ती आदि ने परम्पराओं के विरुद्ध सुधारात्मक प्रयास किये। इसी प्रकार 19वीं शताब्दी में ग्रन्थ समाज, आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन आदि ने परम्पराओं के विरुद्ध सुधारात्मक आनंदोलन किये जो उस काल में विद्यमान परम्पराओं के विरुद्ध थे।

2. पुनर्जीवरण की श्रृंखलाएँ (Series of Renaissance)— डॉ. पी. मुखर्जी ने एक स्थान पर लिखा है कि भारतीय परम्पराओं का अध्ययन हमें पुनर्जीवरण के रूप में भी करना चाहिए। आप ही के शब्दों में, “:: 19वीं शताब्दी का पुनर्जीवरण केवल एक है, जो कि भारत में पुनर्जीवरण की श्रृंखला की अनिम कही है। हम कम-से-कम पहले के पाँच प्रमुख कालों को जानते हैं जिसमें परिवर्तन हुए हैं और सभी में नवजीवन के लक्षण मिलते हैं।” इन चक्रियों के बाद आपने भारतीय परम्पराओं के संघर्ष के आधार पर निम्न पाँच प्रमुख कालों का उल्लेख किया है। छठे वित्तानिया काल का आपने उल्लेख बाद में किया है—

1. वैदिक-आर्थकाल

2. बुद्ध-काल

3. गुप्त-काल

4. हर्ष एवं विक्रमादित्य काल
- 5 मुस्लिम काल (भवित काल)
- 6 ब्रिटानिया काल

इन कालों में परम्परा के सम्बन्ध में जो सघर्ष, अनुकूलन और परिवर्तन आदि मिले उमका उल्लेख आपने किया है।

3. उच्च एवं निम्न आरोही व अवरोही प्रक्रियाएँ (Ascending and Descending Processes)—मुखर्जी ने परम्पराओं के अध्ययन के सम्बन्ध में टर्नर (Turner) के वर्गीकरण का अनुकरण किया है। इनके अनुसार परम्पराएँ दो भागों में बँटी गई हैं, जो निम्न हैं—

- (1) उच्च (High)
- (2) निम्न (Low)

आपने इस वर्गीकरण के अनुसार परम्पराओं के द्वन्द्व के अध्ययन की योजना का उल्लेख किया है जिसमें गुरुविच (Gurvitch) के विचारों का भी समावेश किया है। आपने कहा है कि मुख्य बात यह है कि समाजशास्त्र को सामाजिक व्यवस्था के परिवर्तन की प्रक्रिया का विश्लेषण करना चाहिए जिसमें सम्बन्धित क्रियाएँ शिखर से नीचे की ओर जाती हैं और धरातल से शिखर की ओर जाती हैं, जिनको आपने निम्न शब्दों में व्यक्त किया है—(1) नीचे गहराई में जाना (Descent to the Depths), और (2) ऊपर ऊँचाई की ओर जाना (Ascent to the Heights)। इसको हम परम्पराओं की आरोही एवं अवरोही प्रक्रिया कह सकते हैं जिसमें परस्पर सघर्ष, अनुकूलन, सामंजस्य व समन्वय होता है। आपने लिखा कि “... और मैं ये सोचता हूँ कि भारतीय समाज एवं भारतीय समाजशास्त्र—हमारे सभी शास्त्र समाजशास्त्रीय हैं। ...” इस कथन को आपने इस सन्दर्भ में कहा है कि भारतीय समाज के सम्बन्ध में यह मूल्य समाजशास्त्रीय ज्ञान हमारे शास्त्रों में देखा जा सकता है।

4. आन्तरिक एवं बाह्य परम्पराओं में द्वन्द्व (Dialectic in Endogenous and Exogenous Traditions)—डी. पी. मुखर्जी ने भारतीय समाज की परम्पराओं के द्वन्द्व का वर्णन करते हुए लिखा है कि भारतीय परम्पराओं का टकराव समय-समय पर बाहर से आई परम्पराओं से होता रहा है, इनमें मुख्य रूप से इस्लाम एवं परिवर्तनीय वाद परम्पराएँ हैं। इन बाह्य परम्पराओं के काले भारतीय परम्पराओं में काफी परिवर्तन आया है। परिवर्तन की परम्पराओं का विश्लेषण आपने अपने लेख ‘वैस्टन इन्फल्टूएस ऑन इण्डियन कल्चर डाइवर्सिटीज’ में किया है।

5. परम्परा एवं आधुनिकता में द्वन्द्व (Dialectic in Tradition and Modernity)—डी. पी. ने लिखा है कि परम्परा और आधुनिकता में टकराव होता है, इसको आपने द्वन्द्ववाद के रूप में प्रस्तुत किया है। आपने एक प्रकार से परम्परा को बाद और आधुनिकता को प्रतिवाद माना है। इन दोनों के द्वन्द्व से जो सशोधित एवं समन्वित परिणाम निकलता है, उसी को आपने आधुनिकता कहा है। इसे अग्र प्रकार से स्पष्ट किया जा सकता है—

बाद ←→ प्रतिवाद = सम्बाद

परम्परा ←→ आधुनिकता = आधुनिकीकरण

डॉ. पी. मुख्यजी ने लिखा है कि वर्तमान का अध्ययन अतीत के सन्दर्भ में ही किया जा सकता है। इसलिए आधुनिकीकरण को समझने के लिए परम्परा को समझना आवश्यक है। परम्परा और आधुनिकता के अन्तर्मेल से परम्परागत मूल्यों और मानस्कृतिक प्रतिपानों में जो विस्तार और परिमार्जन होता है, वही आधुनिकीकरण है।

### भारतीय परम्पराओं का द्वन्द्वात्मक अध्ययन

(Dialectical Study of Indian Traditions)

डॉ. पी. मुख्यजी ने भारतीय परम्पराओं का जो द्वन्द्वात्मक विवेचन किया है उसे मंशित रूप में निम्न प्रकार से प्रस्तुत किया जा सकता है।

आपने परम्पराओं के दो प्रकार के द्वन्द्व बताए हैं—(1) आन्तरिक द्वन्द्व और (2) बाह्य द्वन्द्व। इन्हे निम्न क्रम में प्रस्तुत किया जा सकता है।

### परम्पराओं के द्वन्द्वात्मक अध्ययन के प्रारूप

आन्तरिक	बाह्य
1. बृहद् परम्परा एवं लघु परम्परा	1. इस्लाम काल
2. पुनर्जागरण की शृंखलाएँ	2. ग्रितानिया काल
3. वैदिक-आर्य काल	3. 19वीं शताब्दी का पुनर्जागरण
4. बौद्ध काल	4. आधुनिकता
5. गुप्त काल	
6. हर्ष व विक्रमादित काल एवं	
7. भक्ति काल	

1. आन्तरिक परम्पराओं का द्वन्द्व (Dialectic of Endogenous Traditions)—  
 डॉ. पी. मुख्यजी ने परम्पराओं के द्वन्द्व का प्रमुख प्रकार आन्तरिक द्वन्द्व का स्वरूप बताया है। इसमें आपने भारतीय समाज और संस्कृति में जितने भी प्रकार के परम्पराओं के द्वन्द्व हुए हैं, उन सभी को इसमें समाहित किया है। आपने भारत के इतिहास में द्वन्द्व की प्रक्रिया को काल-क्रमिक दृष्टिकोण से वर्णित करते हुए लिखा कि परम्पराओं का द्वन्द्व वैदिक-आर्य काल, बुद्धकाल, गुप्तकाल, हर्षवर्धन तथा विक्रम काल और भक्ति काल में हुआ है। इन सभी कालों में विद्यमान परम्पराओं का समाज के प्रमुख लोगों ने विरोध किया और सुधार के रूप में कुछ-न-कुछ परिणाम साप्ने आए। डॉ. पी. भारतीय इतिहास में मात्र 19वीं शताब्दी को ही पुनर्जागरण नहीं मानते यद्कि आप विभिन्न बालों यों भारत में पुनर्जागरण यी शृंखलाएँ भागते हैं। जिनकी अन्तिम कढ़ी उन्नीमवीं शताब्दी का पुनर्जागरण है। आपने मुस्लिम भाल को भी पुनर्जागरण की शृंखला की एक कढ़ी माना, जिसमें भक्ति काल में परम्पराओं का संघर्ष अधिक घाष प्रकट हुआ।

**2. बाह्य परम्पराओं से हृद्द (Dialectic with Exogenous Traditions)**— डी पी मुखर्जी ने लिखा है कि वैसे तो भारत में समय समय पर बाहर से अनेक प्रजातियाँ और संस्कृतियाँ आई लेकिन भारतीय परम्परा पर सबसे अधिक बाहर से आई इस्लामी और पश्चिमी ग्रितानिया परम्परा का प्रभाव पड़ा। इस्लामी परम्परा भारत में बाहर से आए मुसलमानों के साथ आई। डी पी ने लिखा कि पन्द्रहवीं व सोलहवीं शताब्दी में इस्लाम ने हिन्दूवाद पर पूर्ण रूप से प्रहर किया। इसके द्वारा हिन्दूवाद में परिवर्तन आया।

डी पी मुखर्जी ने अपने लेख 'बेस्टर्न इन्फ्लूएंस ऑन इण्डियन कल्चर' अर्थात् 'भारतीय संस्कृति पर पश्चिम के प्रभाव' की बहुत विस्तार से विवेचना की है। आपने लिखा है कि भारतीय समाज पर पश्चिम के प्रभाव को परम्पराओं के हृद्द में बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। जो प्रभाव मुस्लिम शासन से प्राप्त हुए थे, ग्रितानिया साम्राज्य ने उसमें व्यवधान डाला। डी पी ने अंग्रेजों द्वारा भारत में नवीन आर्थिकी, राजनीति, न्यायिक एवं सामाजिक व्यवस्थाओं व संस्थाओं को परिवर्तन का कारण माना है। आपका यह भी कहना है कि 19वीं शताब्दी में राष्ट्रवाद का विस्तार हुआ। इस काल में पुनर्जागरण की प्रक्रिया एवं समाज-सुधार आनंदोलन को डी पी पश्चिमी प्रभाव मानते हैं। आपने व्यक्तिवाद का उदय, स्वतन्त्रता की भावना व बाह्य सत्ता से मुक्ति आदि का कारण पश्चिम के प्रभाव माना है। इसी काल में ब्रह्म समाज, आर्य समाज, प्रार्थना समाज व रामकृष्ण समिति आदि ने भी समाज सुधार के प्रयास किए जो एक प्रकार से भारतीय परम्परा के विरुद्ध थे। ये सभी नवीन धार्मिक आनंदोलन पुरातन-समाज द्वारा अपने में समाहित कर लिए गए। डी. पी. ने भारतीय परम्पराओं पर पश्चिम के प्रभावों का विस्तार से उल्लेख किया है, जिसे हम अलग से निम्न प्रकार से प्रस्तुत कर रहे हैं—

### भारतीय संस्कृति पर पश्चिम का प्रभाव

#### (Western Influence on Indian Culture)

डी पी मुखर्जी ने अपने इसी शोर्षक के लेख में भारतीय परम्परा, संस्कृति और समाज पर बाह्य परम्परा अर्थात् पश्चिम के प्रभाव का विश्लेषण किया है। इसमें आपने भारत की अर्थव्यवस्था में परिवर्तन, आर्थिक कारकों का प्रभाव, शिक्षा, राष्ट्रीयता के लिए संघर्ष व इसाई मिशनरियों का प्रचार, पुनर्जागरण आदि पर प्रकाश डाला है।

डी पी. मुखर्जी ने मार्क्स के विचारों का उल्लेख करते हुए लिखा है कि भारत वर्ष में आधुनिकीकरण (पश्चिमीकरण) की प्रक्रिया ग्रितानिया प्रशासन के द्वारा प्राप्त हुई। एक प्रकार से अंग्रेजों ने ही भारतवर्ष में बहुमुखी परिवर्तनों की प्रक्रिया का श्रीगणेश किया, ऐसा डी. पी. और मार्क्स का मानना है। आपने लिखा है कि बाहर से अनेक प्रजातियाँ एवं संस्कृतियाँ भारत में आई और यहीं बस गई, लेकिन अंग्रेज यहाँ पर बसने के उद्देश्य से नहीं आए। डी. पी. ने लिखा कि पश्चिम के प्रभाव की समस्या स्वीकृति या अस्वीकृति की नहीं है, बल्कि इसको भारतीय परम्पराओं के सदर्थ में समझने की है। अंग्रेजों का उद्देश्य लाभ कराना था। उन्होंने अर्थव्यवस्था के परिवर्तन पर विशेष बल दिया। डी. पी. ने लिखा भी है कि किसी समाज की परम्परा को सबसे अधिक

पक्ष का आर्थिक व्यवस्था में आमूल नूल परिवर्तन होने का पड़ता है। अंग्रेजों ने भारत में अनेक नवीन परिवर्तन किए। ब्रिटानिया प्रशामन ने भारत की ग्रामीण आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था को विद्युटिस कर दिया। भू-व्यवस्था के अनेक नये कानून बनाकर उसे नवीन रूप दिया। भारत की अर्थव्यवस्था ग्राम, नगर, महानगर से होती हुई निश्च अर्थव्यवस्था में जुड़ गई और इस प्रकार में आत्मनिर्भरता पारस्परिक निर्भरता में बदल गई। यहाँ से कच्चा माल विदेश जाने लगा और उत्पादित वस्तुएँ यहाँ विकने लगीं।

डी. पी. तथा अनेक विद्वानों का कहना है कि भारत में गण्डीयवाद की भावना व गण्डीयता की लहर परिचय के प्रभावों का परिणाम है। शिक्षित भारतीयों में स्वतन्त्रता, समानता एवं गण्डीयता के मूल्य विकसित हुए। ये सोंग मानवतावाद के प्रति जागरूक हो गए। अब तक जो पुनर्जीवण प्रजातियों एवं मंस्कृतियों को प्रतिक्रिया के फलम्याप्त चल रहा था, वह ब्रिटानिया सरकार के कारण अहृत गत्यात्मक हो गया। ब्रिटानिया साम्राज्य के साथ-साथ भारत में ईसाई मिशनरियों ने ईसाई धर्म का युव प्रचार किया। यह धर्म-प्रचार मानवतावाद पर आपारित रहा है। इन मिशनरियों ने भारतीय परम्पराओं से सम्बन्धित अभ्यविश्वासों से लोगों को मुक्ति दिलाई। यहाँ के लोग अपने विकास एवं प्रगति की ओर सजग हो गए। भारतवर्ष में पश्चिम के प्रभाव का एक परिणाम यहाँ गर व्यक्तिवाद का उदय होना है। डी. पी. ने लिखा है कि भारतीय बुद्धिजीवी अपने स्वयं के बारे में सोचने लगे, व्यक्तियों में स्वतन्त्रता की भावना का उदय हुआ। स्त्रियों अपने पति व परिवार से मुक्ति की चाह लोगने लगीं। सार रूप में डी. पी. मुख्यर्जी ने ब्रिटानिया साम्राज्य के रूप में परिचयी संस्कृति एवं परम्पराओं के प्रभावों का विवेचन किया। आपने यह भी लिखा कि विभिन्न दोनों में इसका प्रभाव इतना बढ़ गया कि भारतीय लोग इस बाह्य सत्ता (ब्रिटिश शासन) से स्वतन्त्रता प्राप्त करने के लिए प्रयास करने लगे।

डी. पी. मुख्यर्जी ने यह भी बताया कि भारतवर्ष में जाति-प्रथा ने कभी चारों को विस्तृत नहीं होने दिया लेकिन परिचय के प्रभाव के कारण वर्ग के लक्षण उभरे और एक बड़े मध्यम वर्ग का उदय हुआ।

### भारतीय साहित्य का समाजशास्त्र (Sociology of Indian Literature)

डी. पी. मुख्यर्जी ने 'भारतीय साहित्य का समाजशास्त्र' को अपने लेख 'सोशियोलॉजी ऑफ इंडियन लिटरेचर' में वर्णित किया है। आपने लिखा है कि अप्र हम भारतीय साहित्य का सामान्य सर्वेक्षण करें तो पायेंगे कि इस साहित्य में निम्नलिखित समाजशास्त्रीय विशेषताएँ हैं। इन्होंने कहा कि साहित्य में संस्कृति और समाज का गत्यात्मक वर्णन मिलता है जो एक प्रकार से समाजशास्त्रीय है। आपके अनुसार भारतीय साहित्य की परम्पराएँ—साहित्य के इतिहास और साहित्य—दोनों में ही विषय-वस्तु के रूप में विद्यमान होती हैं। डी. पी. का मत है कि सांस्कृतिक परम्पराएँ एवं प्रयोग सामाजिक क्रियाओं को प्रभावित करते हैं और सामाजिक क्रियाएँ सांस्कृतिक परम्पराओं को प्रभावित करती हैं अर्थात् ये दोनों परम्पर घनिष्ठतया सम्बन्धित, अन्योन्यात्रित व संगुणित हैं। आपने निष्कर्ष निश्चालते हुए लिखा कि समाज के साहित्य की प्रकृति का समाज की

संस्कृति और सामाजिक प्रक्रिया से सीधा, प्रत्यक्ष और घनिष्ठ रूप से सम्बन्ध होता है। आपने पाद-टिप्पणी में लिखा कि अब तक जो साहित्य प्रकाशित हुआ है, उसमें निम्न कमियाँ मिलती हैं—

- 1 समाजशास्त्रीय पढ़तियों एवं सिद्धान्तों से अपरिचितता।
- 2 मार्वर्सवादी व्याख्या का अति-सरलीकरण, और
- 3 लेखक को अपनी मातृभाषा के अतिरिक्त अन्य साहित्यों में होने वाली घटनाओं के प्रति तटस्थता।

डी पी ने आगे लिखा है कि उपर्युक्त वर्णित प्रथम दो कमियों को तो समाजशास्त्र के ज्ञान के विस्तार के द्वारा हत किया जा सकता है लेकिन तीसरी कमी को समाप्त करने के लिए ऐसी अन्वेषण योजनाओं का सचालन करना होगा जिनमें विभिन्न भारतीय साहित्य के प्रतिनिधियों को एक साथ एकत्र किया जा सके और इस आधार पर अधिकल भारतीय दृष्टिकोण एवं यथार्थ परीक्षण के द्वारा सामाजिक एवं साहित्यिक निष्कर्ष निकाले जा सके। आपने कहा कि भारतीय साहित्य के विकास की उस समग्रता का अन्वेषण करना होगा जो भारत के सांस्कृतिक परिवर्तन के सामान्य रूप को प्रकट करे, इतना ही नहीं, आगे चलकर वह सम्पूर्ण सामाजिक प्रक्रिया की व्याख्या करने में योगदान करे।

## (1) साहित्य का विकास

(Development of Literature)

डी पी मुखर्जी ने संस्कृत को भारतीय संस्कृति एवं परम्परा का मुख्य स्रोत माना है। इसलिए भारतीय साहित्य एवं कला के विकास का अध्ययन प्राचीनकाल में संस्कृत साहित्य से शुरू होना चाहिए। प्राचीनकाल में संस्कृत ही समाज की परम्पराओं, प्रथाओं, रुद्धियों, संगठन, सामाजिक एकता, मूल्यों, आदर्शों एवं नियमों का आधार थी। इतिहास इस बात का साक्षी है कि भारतीय साहित्य पर इस्लाम का प्रभाव पड़ा। उसके बाद भवितव्यकाल का प्रभाव पड़ा और बाद में पश्चिम के अंग्रेजी साहित्य का प्रभाव पड़ा। डी पी द्वारा इन कालों में भारतीय साहित्य के विकास को इर्ही शीर्षकों के अन्तर्गत प्रस्तुत किया जायेगा।

**1. संस्कृत साहित्य (Sanskrit Literature)**—डी पी मुखर्जी ने लिखा है कि विभिन्न साहित्य के स्वरूपों का स्रोत संस्कृत साहित्य रहा है जिसका निर्माण सम्भान्त-वर्ग के द्वारा हुआ। जो भिन्नताएँ थीं, उनका कारण लोककथाएँ, गीत, कविताएँ, आदि था जो जन-सामान्य में विद्यमान थीं। संस्कृत भाषा ने इन भिन्नताओं को अपने में समाहित किया और एकीकृत साहित्य का निर्माण किया जो शताब्दियों तक बना रहा। सम्भान्त-वर्ग में जो जीवन की सामान्य सामाजिक परम्पराएँ थीं वे साहित्य के स्वरूपों की निरन्तरता के लिए प्रमुख रूप से उत्तरदायी थीं। ये लोग अपने को जनजातियों एवं लोगों को राजनैतिक विकेन्द्रीकरण के रूप में अलग-अलग लेकिन संगतित रूप से जीवन व्यतीत करना था। ये लोग अपनी इच्छानुसार स्वतन्त्र रूप से पास रहते थे। उनकी

आर्थिकी आत्मनिर्भार थी तथा मंचार के साधन कम विकसित थे इसलिए माहित्य पर नगरीय जीवन का प्रभाव कम पड़ा।

इतिहास इस यात का साक्षी है कि संस्कृत एवं प्राकृत साहित्य में स्वरूप एवं अन्तर्वर्त्मु में विनिमय हुआ। स्वरूप एवं अन्तर्वर्त्मु को संस्कृत साहित्य ने अपने में समाहित कर लिया। भारत के सौन्दर्य-शास्त्रियों की कविताओं में स्थानीय विशेषताएँ मिलती हैं। 16वीं शताब्दी तक संस्कृत भाषा प्रभावशाली थी। एक वंगाली लेखक ने अपनी रचना का संस्कृत भाषा में अनुवाद किया, जिससे उसे भारतीय लोग समझ गए।

**2. इस्लाम का प्रभाव (Impact of Islam)**—मुस्लिम शासन जो ग्रिटानिया शासन की तुलना में भारत में बहुत लम्बे ममय तक रहा, उसने भारतीय संस्कृति और माहित्य के किसी भी क्षेत्र को अदृष्टा नहीं छोड़ा। मुस्लिम शासन काल में मांस्कृतिक ममन्य हुआ। भारतीय साहित्य में उर्दू भाषा की उत्पत्ति एवं विकास हुआ। डो थी ने कहा, “उर्दू निश्चय ही भारतीय भाषा है।” यह भाषा कम्यों तथा उत्तर भारत के बड़े क्षेत्रों एवं दरिशन के कुछ क्षेत्रों में फैली। मुस्लिम शासन काल में न्यायालयों की भाषा उर्दू होने के कारण धीरे-धीरे मुदूर क्षेत्रों में भी यह फैल गई। भारतीय साहित्य में हिन्दुस्तानी और उर्दू भाषा में अन्तर करना मुश्किल होगा। राजनीति के कारण हिन्दू-मुरालमान अलग हो गये। उर्दू भाषा अधिक फ़रसी हो गई और हिन्दी भाषा अधिक संस्कृतमय हो गई। अदालतों की भाषा होने के कारण उर्दू अन्तर्क्षेत्रीय भाषा बन गई।

**3. भक्ति एवं साहित्य पर प्रभाव (Impact on Devotion and Literature)**—क्षेत्रीय भाषाओं के पुनर्जागरण तथा भक्ति का साहित्यिक महत्व बढ़ने से भारतीय साहित्य के विकास पर प्रभाव पड़ा। वाल्मीकि की संस्कृत रामायण के राम और सीता भी तुलसीदास के राम-सीता से भिन्न थे। वैदिक काल के साहित्य एवं आध्यात्मिक साहित्य के कारण मुस्लिम शासनकाल में भारतीय साहित्य में एकता में भिन्नता बनी रही। सम्प्रान्त वर्ग में संस्कृत साहित्य व्याप्त रहा और अदालतों के सम्पर्क वालों में उर्दू भाषा व्याप्त रही। जब भारतीय पृथ्वी पर पश्चिम का प्रभाव आया उस समय तक भारतीय समाज, भारतीय संस्कृति और भारतीय साहित्य समृद्ध एवं स्थिर और औपचारिक भी था। भारतीय साहित्य पर इस्लाम की तुलना में पश्चिम का प्रभाव अधिक पड़ा।

**4. पाश्चात्य प्रभाव (Western Influence)**—मुसलमानों के बाद भारत में ईस्ट इण्डिया कम्पनी आई जिसने यहाँ के स्थानीय ढंगों एवं व्यापारों को हानि पहुँचाई। इस कम्पनी के स्थापित होते ही उन्होंने यहाँ की पंचायतों को समाप्त किया, सामन्तवादी सम्बन्धों को बनाये रखा था अंग्रेजी साहित्य की शिक्षा को ऐसे वर्ग के निर्माण के लिए प्रारम्भ किया, जो सरकार की सहायता कर सके। इन भूमिपतियों (सामन्तों) और अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त लोगों से मध्यम वर्ग का निर्माण हुआ। मुखर्जी ने व्याप्त करते हुए लिखा कि ये पश्चिम के बुर्जुआओं से भिन्न थे तथा ये वर्ग अपने समाज से टूट गये और ‘मिशन्स’ की स्थिति में आ गये। “They were an Uprooted class who were kept hanging in mid air.” इसके साथ-साथ इस वर्ग की महत्वपूर्ण भूमिका

पर प्रकाश डालते हुए लिखा है कि “लेकिन इन अंग्रेजी प्रशिक्षित मध्यम वर्गों ने पश्चिमी संस्कृति के हस्तान्तरण के माध्यम के रूप में कार्य किया।” राजा राममोहन राय ने दोनों संस्कृतियों को देखा और योजनाबद्ध तरीके से पश्चिम आहान को स्वीकार किया। पश्चिम के सम्पर्क का सर्वोत्तम उदाहरण उनका नया साहित्य था। भारत में द्वितीनिया काल में भारतीय साहित्य नई दिशा में विकसित होने लगा। संस्कृत साहित्य के स्वरूप का प्रभाव अन्तोगता कमज़ोर पड़ गया। यद्यपि पश्चिम के साहित्य का सम्पर्क भारतीय जनता के एक वर्ग से ही था।

## (2) भारतीय साहित्य में सामान्य तत्त्वों का विकास

### (Development of General Features in Indian Literature)

डी पी मुखर्जी ने भारतीय साहित्य के विकास के इतिहास का सक्षिप्त वर्णन किया और उसके आधार पर आपने भारत के अनेक नवीन साहित्य में समय के साथ साध सामान्य तत्त्वों का वर्णन किया, जिनका डस समय विकास हुआ था। आपने साहित्य में विकसित निम्न चार प्रमुख लक्षणों की विवेचना की है—

1. क्षेत्र का विकास
2. नूतन मूल्यों का उत्तरोत्तर अधिग्रहण
3. नये वर्ग की उत्पत्ति
4. उद्योग एवं तकनीक का प्रभाव

1. क्षेत्र का विकास (Enlargement of Scope)—डी पी मुखर्जी ने लिखा है कि मुद्रण सुविधा, पुस्तकालीन शिक्षा के विस्तार से साहित्य में विकास हुआ। इसके विकास पर अंग्रेजी साहित्य के राजनीतिक दार्शनिकों का प्रभाव पड़ा। अब जो नया साहित्य विकसित हुआ उसमें उपन्यास, नाटक, यात्रा-वर्णन, नियन्त्रण, डायरी, कहानी, काव्य एवं महाकाव्य आदि की रचना हुई। पौराणिक नाटक लिखे जाने लगे तथा मंच पर खेले जाने लगे। उपन्यासों में ऐतिहासिक घटनाओं का वर्णन किया जाने लगा। बंगाल में महाकाव्य युरोपीय नमूनों के अनुसार लिखे जाने लगे।

2. नूतन मूल्यों का उत्तरोत्तर अधिग्रहण (Gradual Acquisition of New Values)—भारतीय साहित्य में अनेक नये मूल्यों का स्थान रातो-रात पश्चिम के मूल्यों ने ले लिया। मुखर्जी ने स्पष्ट किया है कि स्वतन्त्रता, समानता और भ्रातृत्व, राष्ट्रीयतावाद, विज्ञान तथा तर्कपूर्ण विचार व विशेष रूप से नये मूल्य भारतीय साहित्य में आये। ये मूल्य राजनीतिक समस्या व नागरिक स्वतन्त्रता से सम्बन्धित थे लेकिन जो धार्मिक सुधारवादी आन्दोलन थे, उन्होंने सामाजिक मापलों में इनके द्वारा हस्तक्षेप किया। तर्कपूर्ण विचारों का विकास विज्ञान और तकनीकी शिक्षा के अभाव के कारण तिरस्कृत हो गया। पश्चिम के इंसाई धर्म ने भौतिक समृद्धि को बढ़ावा दिया। भारतीय साहित्य में अनुकरण, संघर्ष, व्यवस्था, सामंजस्य और आत्मसात् आदि सभी सांस्कृतिक प्रक्रियाएँ विकसित हो गईं। इस नये साहित्य में समाजवाद, जिसमें ग्रेम, स्नेह, धैर्य, ताकिंक विचार व अन्वेषण की भावना आदि का विकास हुआ।

**3. नये वर्ग की उत्पत्ति (Origin of a New Class)**—डॉ. पी. मुखर्जी ने कहा कि जब ईस्ट इण्डिया कम्पनी भारत में आई और ब्रितानिया शासन की स्थापना यहाँ हो गई तो उन्होंने भारत के सामनों, जागीरदारों व भूमिपतियों को संरक्षण दिया। अपने प्रशासन को चलाने के लिए यहाँ को लोगों को अंग्रेजी भाषा सिखाई। इन दोनों ही प्रकार के लोगों—सामनों तथा अंग्रेजी-प्रशिक्षित लोगों का ढी. पी. मुखर्जी के अनुसार भारत में एक विशिष्ट वर्ग बन गया जिसे आपने बुजुआ-वर्ग कहा है, लेकिन ये पश्चिम के बुजुआ-वर्ग से भिन्न विशेषताओं वाला वर्ग है। अंग्रेजी-प्रशिक्षित इन राष्ट्रभ्रातृत्वों ने भारत में अंग्रेजी साहित्य द्वा विकास व विरतार किया। ये एक प्रकार से भारत और पश्चिम के साहित्य को जोड़ने वाले माध्यम बन गये। इन लोगों ने पश्चिम के साहित्य का अनुकरण किया, अपनाया और उसी प्रकार के साहित्य का निर्माण किया। भारत में यह सामाजिक व सांस्कृतिक हृष्ट की परीक्षित अंग्रेजी साहित्य के स्वरूप, विश्वास और दृष्टिकोण में मिलती है।

**4. उद्योग एवं तकनीकी का प्रभाव (The Effects of Industrialism and Technology)**—डॉ. पी. ने बताया कि भारतीय साहित्य में उद्योगवाद को प्रथम महायुद्ध के बाद पहचाना गया। हितीय महायुद्ध के बाद प्रविधि को भी माना जाने लगा, पूर्व के काल में इन दोनों कारकों ने अंग्रेजी भाषा में आर्थिक सामाजिक परिवर्तन किया था, जिसमें भारत की धन-सम्पत्ति का बहाव ब्रिटेन की ओर रहा। उस काल के दो भारतीय अर्थशास्त्रियों ने ऐतिहासिक उपन्यासों का इतिहास लिखा, जबकि पहले उपन्यास प्रायः भौतिक सफलता एवं विकास के सम्बन्ध में ही लिखे जाते थे। प्रथम महायुद्ध के बाद भारतीय साहित्य में भारतीय संघाज पर पूँजीवाद की घटनाओं का वर्णन किया जाने लगा। ग्रामीण रोमांचवाद से शास्त्रीय मार्क्सवाद तक सम्बन्धीय घटनाओं का वर्णन साहित्य में मिलने लगा। मार्क्सवादी विचारधारा में सामाजिक न्याय सम्बन्धीय बातें साहित्य की अन्तर्वस्तु में आने लगीं।

### (3) मिथ्या-व्यक्तिवाद का विस्तार

(Spread of Pseudo-Individualism)

ब्रितानिया सरकार के अनेक प्रभावों के फलस्वरूप भारतीय समाज के अंग्रेजी शिक्षित वर्ग में व्यक्तिवाद की उत्पत्ति और विकास हुआ। भौतिक वर्ग जो कि अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त था, वह अपनी स्थिति को सुदृढ़ करना चाहता था क्योंकि उसकी स्थिति संघाज में उत्थड़े वर्ग दैसी थी। डॉ. पी. ने लिखा कि इन लोगों की स्थिति में मिथ्यावाद पनपा जो बंगाली साहित्य से भारत के अन्य भागों में फैला तथा बंगाली साहित्य का प्रभाव अन्य भारतीय साहित्य पर पड़ा। रोमांचकारी व्यक्तिवाद ने एक प्रकार से सुखकर सामाजिक शक्ति का कार्य किया। इसके प्रभाव को बताते हुए डॉ. पी. ने लिखा कि पुरुषों ने महिलाओं का, जमींदारों ने किसानों का, उच्च वर्ग ने निष्प-भौतिक वर्ग का तथा मालिकों ने श्रमिकों का शोषण किया। इनका वर्णन भी भारतीय साहित्य में अभिव्यक्त होने लगा। आपने निष्कर्ष रूप में लिखा कि यह भी सत्य है कि क्षेत्रीय साहित्य अभी भी एक-दूसरे से भिन्न या जिसके पर्यावरण सम्बन्धीय कारणों के अतिरिक्त अन्य कारण भी थे,

जो निम्नलिखित हैं— 1. अंग्रेजी भाषा द्वारा शिक्षा तथा प्रारम्भ के यूरोप के वाणिज्य का ऐतिहासिक प्रभाव। 2. वाणिज्य के केन्द्र और कच्चे माल के निर्यात के बदलागाहो का प्रभुत्व। 3. औद्योगिक शेत्रों एवं नगरों का विकास—इन दोनों ने ग्राम नार संस्कृति के प्रसार की दिशा तय की। 4. विद्यमान साहित्य में सस्कृत अथवा फारसी परम्पराओं का न्यूनाधिक वर्चस्व—सस्कृत और उदू के इस वर्चस्व को भारत के सुदूर क्षेत्रों के हिन्दी साहित्य तथा दिल्ली, लखनऊ तथा हैदराबाद की अदालतों के केन्द्रीय क्षेत्रों में देखा जा सकता है। 5. अन्तिम कारण आपने विशेष रूप से सचार एवं मुद्रण के प्रसार को बताया है। इन भिन्नताओं के विद्यमान होने के उपरान्त तथा विद्यमान शासन के विकास के प्रभाव के कारण भारत में एक अखिल भारतीय साहित्य को पहचाना जा सकता है। आधुनिक भारतीय सास्कृति का विस्तार तो हुआ लेकिन वह मध्यम वर्गों के मूल्यों से आगे विस्तृत नहीं हो सकी।

#### (4) भारतीय साहित्य में सामान्य सामाजिक विश्वास

(General Social Faiths in Indian Literature)

डी. पी. मुखर्जी ने कहा कि उपर्युक्त वर्णित सामान्य सामाजिक और सास्कृतिक प्रक्रियाओं के फलस्वरूप निम्नलिखित सामान्य सामाजिक विश्वास देखे गये हैं जिन्होंने भारतीय साहित्य के विश्वासों और दृष्टिकोणों को प्रभावित किया है—

1. प्रगति में विश्वास
2. व्यक्ति में विश्वास
3. तर्क में विश्वास

इन तीनों सामाजिक विश्वासों की व्याख्या डी. पी. ने इस प्रकार प्रस्तुत की है—

1. प्रगति में विश्वास (Faith in Progress)—डी. पी. मुखर्जी ने भारतीय साहित्य के विकास से सम्बन्धित उन तत्त्वों पर प्रकाश डाला है जो सामाजिक और अर्थिक परिवर्तन के फलस्वरूप हुए हैं। आपका कहना है कि भारतीय साहित्य में प्रगति के प्रति विश्वास पश्चिम ने पैदा किया। प्रगति में विश्वास लगभग सार्वभौमिक था। ऐसा मानना है कि भारत के साहित्य में 'प्रगति में विश्वास' के तत्त्व का सन्देश भारत में पश्चिम ने पहुँचाया, अन्यथा वह विशेषता शायद ही भारत में पनप पाती। वैसे तो साहित्य में मुख्य रूप से विज्ञान ही इस विशेषता को लाता। भारत में विद्यानिया सरकार ने लोगों के लिए सभी कारों को करने की जिम्मेदारी ली थी, इसी के परिणामस्वरूप अनेक क्षेत्रों में पश्चिमीकरण हुआ, जिसका साहित्य की रचनाओं पर भी प्रभाव पड़ा।

2. व्यक्ति में विश्वास (Faith in the Individual)—डी. पी. मुखर्जी ने लिखा है कि भारतीय साहित्य में व्यक्ति के प्रति विश्वास का अध्ययन हमें भारतीय व्यक्तिवाद के आधार पर करना चाहिए। आपने भारतीय व्यक्तिवाद को—(1) आदि-भारतीय व्यक्तिवाद और (2) नव-भारतीय व्यक्तिवाद के रूप में बांटा है।

आदि-भारतीय व्यक्तिवाद से आपका तात्पर्य प्राचीन साहित्य में विद्यमान वैष्णव पदावली और सन्तों के गीतों में विद्यमान व्यक्तिवाद से है। इन गीतों और पदावलियों में व्यक्ति अन्त में अपने को भगवान को मर्मर्पित करता है। नृतन व्यक्तिवाद में तात्पर्य जाति, परिवार और राजनीतिक सत्ताओं के विरुद्ध नकारात्मक कार्यों में है तथा व्यक्ति में अधिकारों के प्रति नकारात्मक रुख से है। इस प्रकार के वातावरण में भी और स्वाभाविक रूप से अराजकता का व्यावरण पत्ता। राष्ट्रीय आन्दोलन के गाँधी-युग में जो साहित्य लिया गया वह भी इस अराजकता की विनाशकारी से चाहर नहीं आ सका। समाजवादी विचारधारा के अन्तर्गत जो साहित्य लिया गया उसमें भी इसी प्रकार के व्यक्तिवाद की झलक मिलती है।

**3. तर्क में विश्वास (Faith in Reason)**—डॉ. पी. मुखर्जी ने कहा कि तर्क एक प्रकार के नहीं थे। भारतीय साहित्य में तर्क विरक्त थे, लेकिन वे सोगों की पुस्तकों तक ही मंभित थे। तर्कों का उत्तम उपयोग पुराने लेखों, अभितेखों तथा वर्णनों की आलोचनात्मक व्याख्या करने के लिए किया जाता था। तर्क-विश्लेषण द्वारा उत्तम वैदिक साहित्य रखी गये। लेकिन यह ऐतिहासिक तर्क नहीं था। या तो यह वैज्ञानिक तर्क था या भारत की संस्कृति के गुण-गान करने के लिए गण्डीय सुरक्षा के लिए तर्क था। कुल भिलाकर भारतीय साहित्य में तर्क अनिन्दन तथा छोटे-छोटे छण्डों में मिलता था। यह सल्तनतों व राजनीति से सम्बन्धित था। दार्शनिक साहित्य में भी तार्किक विचार मिलते हैं। इस प्रकार तार्किक उपागम अनेक धार्मिक अन्यविश्वासों और सामाजिक विश्वासों के विरुद्ध मिलता है।

### ( 5 ) साहित्यिक विश्वासों का विकास

(Development of Literary Beliefs)

डॉ. पी. मुखर्जी ने इस लेख के अन्त में विस्तार से अनेक विश्वासों और मूल्यों के विकास का कालानुक्रमिक विवेचन किया है। आपने सिद्धा है कि प्रारम्भ के इतिहास में आधार से सम्बन्धित मूल्यों पर अधिक जोर दिया जाता था। परिचम के साहित्य में अनैतिरुता शमा करने योग्य थी जबकि भारत में यह क्षम्य नहीं थी। संस्कृत अथवा वैष्णव माहित्य में विद्यमान ग्रेम-सम्बन्धी तथा कामुक तत्त्व धीरे-धीरे भुला दिये गये अथवा धार्मिक ग्रतीकात्मक रूप से वर्णित किये जाने लगे। इस प्रकार बहुत ही न्यून औपचारिक आलोचनाएँ की जाती थीं। यह मव नये साहित्यिक विश्वासों को व्यक्त करता है। अथ कला, कला के लिए थी। साहित्यिक प्रतिक्रियाओं को कुछ लुटकाना भी दिया गया जो प्रभावशाली भी था। इसमें नये मामाजिक दृष्टिकोण गिरफ्तार हुए। सुधारवादियों ने साहित्य में पत्तियों का पत्तियों का तथा सासों के विरुद्ध बहुओं का, पुरों का पिता ओं के विरुद्ध, युवाओं का यृद्दों के विरुद्ध, उत्तीर्णितों का उत्तीर्णितों के विरुद्ध, दलितों का अत्याचारियों के विरुद्ध अथवा शोधियों का शोधकों के विरुद्ध परिवर्तियों वा वर्णन किया। प्रगम महायुद्ध के बाद साहित्यिक मूल्यों में और परिवर्तन आया। जिन सोगों ने कभी कालिदास अथवा भवभूति के विषय में नहीं गुना था ये भी अब इनके विषय में जाने लगे। विभिन्न साहित्यों का यह प्रभाव पढ़ा कि भारत के माहित्य में मानवतावाद का प्रमाण हुआ। 19वीं शताब्दी के तीसरे

दशक में मूल्यों के इस रुझान में दिशा एवं अतर्वास्तु स्पष्ट रूप से विकसित हो गई। भारतीय साहित्य के मूल्यों पर रूप भी 17वीं शताब्दी का भी प्रभाव पड़ा। इस बीच से भारत तथा अन्य उपनिवेशों में मार्क्सवाद का अध्ययन किया जाने लगा, जिसने सामाजिकवाद के विरुद्ध प्रक्रिया शुरू की तथा समाजवादी राष्ट्रवाद का स्वरूप ग्रहण किया। धीरे धीरे भारत में लोक-साहित्य की भी खोज की जाने लगी, चेतन या अवेतन रूप से संस्कृति का प्रसार हुआ और एक सामान्य आधार विकसित हुआ। इस साहित्य में स्त्रियों, घर्यों, अनूसूचित जातियों, निर्धन कृपकों औद्योगिक श्रमिकों श्वेत-ब्राह्मणी चावुओं तथा दलितों की आकाश्वाओं के लिए आवाज उठाई गई। इस प्रकार से डी पी मुखर्जी ने भारतीय साहित्य के इतिहास का वर्णन करने के उपरान्त लिखा कि सामाजिक कार्यों तथा साहित्य के प्रभाव को पहले की तुलना में अब अधिक व्यापक एवं गहन रूप से समझा जाने लगा।

### कला का विकास (Development of Art)

भारतीय कला का विकास विविध परम्पराओं से निर्भित एवं समर्पित होकर हुआ है। कला के विकास का अध्ययन करने से पूर्व इसका अर्थ और अध्ययन के कुछ आधार निश्चित करना श्रेयस्कर होगा। विद्वानों ने लिखा है कि “लखित कला का आकलन ही कला है।” भागवतरामण उपाध्याय ने कला की पूरिभाषा देते हुए लिखा है, “अभिराम अकन चाहे भोग-विलास के क्षेत्र में हो, चाहे रेखाओं में, चाहे वास्तुशिल्प में हो, वह कला ही है।” सार रूप में यह कहा जा सकता है कि, “कला अपनी दृष्टि से प्रकृति को देखती है। कलाकार कला को दृष्टि से दृश्य में पैठकर और प्रायः उससे अपने आपको एकीभाव करके देखता है, समझता है तथा अपनी तूलिका, हैनी अथवा लेखनी से सवार देता है, इसी को कला कहते हैं।” इस प्रकार कला के विभिन्न रूप—नित्रकला, संगीतकला, भूर्तिकला व स्थापत्य कला आदि अनेक रूप हैं। समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से भारतीय कला का विकास लगभग सिंधु सभ्यता के बाद से देखा जा सकता है। इसा पूर्व दूसरी शताब्दी के बाद वैदिक उदासीनता के कारण भारतीय कला को प्रगति टूट गई थी और उस सभ्यता तथा मौर्य काल की कला के बीच 1500 वर्षों का दीर्घ कालीनर पड़ गया था। मौर्य युग से जो कला का विकास प्रारम्भ होता है, वह निरन्तर चलता रहा है। कला के विभिन्न क्षेत्र, रूपों, प्रकारों और अभिप्रायों पर विदेशी संस्कृति के प्रभाव पड़ते रहे। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि भारतीय कला मुख्यतः हिन्दुओं से ही सम्बन्धित रही ही क्योंकि इस पर समय समय पर प्रभाव पड़ते रहे।

कला के अनेक रूप हैं, इनको मुख्यतया स्थापत्य कला, मूर्ति कला, चित्रकला संगीत व रंगभव आदि में वर्गीकृत किया जा सकता है। भारतीय कला के विकास के अध्ययन में स्थापत्य कला का सर्वाधिक अध्ययन हुआ है। भारतीय कला और उसके दृष्टिकोण के विरुद्ध कुछ भारतीय विद्वानों हुए हैं, उनकी दृष्टि में भारतीय कला कमज़ोर, ऊबाने वाली, गोतात्मक, अभौतिक और उद्योग के लिए अनुपयुक्त है। डी पी ने यह भी लिखा है कि भारत में कुछ ऐसे कलाकार भी

हैं जो पाश्चात्य तरीके से कला के सूजन में लगे हुए हैं। दूसरे कुछ ऐसे लोग भी हैं जो भारतीय कला के केवल प्रशंसक हैं। आपका कहना है कि भारतवासी मूलतः एक आध्यात्मिक प्रजाति के रूप में रहे हैं। यही कारण है कि भारतीय कला आध्यात्मिक मूल्यों की खान रही है। भारतवासी सदैव ऐतिहासिक दृष्टिकोण से अपनी प्रारम्भिक परम्पराओं, पौराणिक कथाओं तथा प्रतीकों के प्रति जागरूक व विशेष रुचि लेते रहे हैं। दुरुख की यात है कि आज मध्यम वर्ग के भारतवासी महाभारत के कथानकों से भी अपरिचित रहे हैं। लेकिन वर्तमान मन्दर्भ में दुरदर्शन के रामायण, महाभारत व चाणक्य आदि धारावाहिकों के द्वारा अनेक भारतवासी इनमें परिचित हुए हैं। अनेक समाजशास्त्रियों एवं मानवशास्त्रियों ने भी लिखा है कि अनेक मार्गालिक उत्तरांशों में गागृहिक पूजा के लिए सप्तूर्ण भारत में मिट्ठी की प्रतिमाएँ बनाई जाती हैं। ये प्रतिमाएँ भिन्न-भिन्न प्रकार की मिट्ठी से बनाई जाती हैं। इन प्रतिमाओं की विशेषता ये है कि भारत के विभिन्न क्षेत्रों में उनकी परम्पराओं के अनुसार इनका निर्माण किया जाता है। विंगाल में दुर्गा माता की हजारों प्रतिमाएँ बनाई जाती हैं। दक्षिण भारत के केरल ग्राम में विभिन्न उत्तरांशों पर विशेष जातियों द्वारा दून्य कोटि के तृतीय एवं नाटक प्रदर्शित किये जाते हैं।

भारत में कला के विकास एवं महत्व को क्षेत्रों के आधार पर ग्राम और नगर में बाँटा जा सकता है तथा काल के आधार पर ग्रामीन एवं नवीन कला के रूप में बाँटा जा सकता है। दो पी ने कहा है कि ऐतिहासिक दृष्टिकोण से भारत में कला को जितना महत्व पहले दिया जाता था उतना आज नहीं दिया जाता है। ग्राम और नगर के सदर्भ में कला का महत्व नगरों की तुलना में ग्रामों में अधिक है। नगरीय समाजों में मध्यमवर्गीय लोग कला के प्रति अधिक उदासीन पाये जाते हैं।

कला के विकास के दृष्टिकोण से अध्ययन करने पर यह तथ्य सामने आता है कि लोगों में पहले की तुलना में अब कला के प्रति रुचि अधिक बढ़ी है। इसका प्रभाव कलात्मक उत्पादन तथा विक्री पर पड़ा है, इसे सामाजिक प्रक्रिया के रूप में विकास की दिशा में एक आनंदोलन कहा जा सकता है। कला के प्रशंसक—गांव और नगरों—दोनों में ही काफी है। कला के क्षेत्र में प्रतिभाशाली कलाकारों का अभाव भही है। जैसे—जैसे भारत का विभिन्न क्षेत्रों में विकास हुआ है उसका प्रभाव कला के विकास पर भी पड़ा है। दो पी. ने लिखा है कि कलात्मक वस्तुओं व वित्रों का उत्पादन बढ़ा है और इसमें स्वरीददारों की संख्या भी बढ़ी है।

आधुनिक सिनेमा या चलचित्रों का अध्ययन करने से यह स्पष्ट हो जाता है कि उनकी विषय-वस्तु अधिकांशतः पौराणिक है। चल-चित्रों में बुद्ध, अरोक, चैतन्य एवं अन्य सन्तों तथा कवियों के सम्बन्ध में जानकारी दी जाती है। चल-चित्रों में अनेक लोकप्रिय उपन्यास, नाटक, निवन्य, कहानियों का भी विवरण किया गया है, जैसे—शाकुनतलम्, मेघदूत, जातक कथा, रामायण, महाभारत, उपर खैयाम आदि चलचित्रों के द्वारा भारतीय समाज की विभिन्न समस्याओं, ऐतिहासिक घटनाओं, साहित्यिक रचनाओं, कृपकों का शोषण, स्त्रियों की समस्याओं व अस्पृश्यता आदि का विवरण मिलता है।

भारतीय कला विविध परम्पराओं से प्रभावित हुई है, लेकिन चित्रकला पर प्रधानत, हिन्दुओं का वर्णन रहा है क्योंकि इस्लाम अधिकाशत चित्रकला के विरुद्ध रहा है। भारतीय चित्रकला में प्राकृतिक दृश्यों के चित्र प्रसिद्ध रहे हैं। यहाँ राग-रागनियों को भी चित्रों द्वारा दर्शाया गया है। विषय वर्षों में रागिनी नियों के नीचे दोहे लिखने की प्रथा भी रही है। यशाल में चित्र पर टैंगोर की कविताएँ लिखी हुई मिलती हैं।

भारत में सभी प्रकार की कलाओं में वास्तुकला सबसे अधिक सामाजिक रही है। नृत्य कला की दृष्टि से भारत में यह कला विभिन्न क्षेत्रों में रही है लेकिन पिछले वर्षों में इसके प्रति लोगों में आकर्षण बढ़ा है। नृत्य के क्षेत्र में विभिन्न क्षेत्रीय शैलियों भी मिलती हैं। इन क्षेत्रीय शैलियों ने नृत्य के विरासत में उल्लेखनीय योगदान दिया है। ग्रामों या कस्बों में नृत्य मण्डलियों के अभिनय की स्थानीय लोग उत्साह एवं रुचि के साथ देखते हैं। गुजरात में 'गर्वा नृत्य' बहुत प्रसिद्ध है। नृत्य कला में स्त्री-पुरुष दोनों ही समाज रूप से भाग लेते हैं। क्षेत्रीय आधार पर 'भरत नाट्यम्' मणिपुरी व कथकली आदि क्षेत्रीय शैलियों के नृत्य हैं जिनका देश-विदेश में योजनावद्ध रूप में प्रदर्शन किया जाता है।

भारत में लोक नृत्यों की भी अधिकता है। इन नृत्यों में कलाकार हाथों में तलवार, ढंडियाँ, प्रात्यचा, सेजियम, मजोरे आदि लेकर नृत्य करते हैं। भारत में जनजातियों एवं ग्रामीण क्षेत्रों में त्योहारों के अवसर पर लोक-नृत्यों का आयोजन किया जाता है। होली के अवसर पर भी विशेष प्रकार के नृत्य का आयोजन किया जाता है और नृत्य के दौरान ही विवाह भी सम्पन्न किये जाते हैं। लोक-नृत्यों की मुख्य विशेषता यह है कि सभी लोग नृत्यों में भाग लेते हैं और नर्तक और दर्शक का भेद नहीं होता है। भारत में लोक नृत्य और उनकी शैली अपना विशेष स्थान रखती है।

कलाकारों तथा कला के विकास के लिए अनेक योजनाएँ कार्यान्वित की गयी हैं। कलाकारों को समाज में सम्मान प्रदान किया गया है। इनको समाज में प्रसिद्धि एवं प्रतिष्ठा प्राप्त हुई है। सूटियों की स्थापना के फलस्वरूप कलाकारों को सूटियों से उच्च पदों पर नियुक्तियाँ दी जाती हैं, कला के विकास के द्वेष में कला केन्द्रों द्वारा विभिन्न कार्यक्रम एवं प्रतियोगिताएँ आयोजित की जाती हैं, कलाकारों को सम्मान, पुरस्कार व प्रदर्शन के सम्मान में प्रोति-भोज दिये जाते हैं। एक प्रकार से भारत में विभिन्न कलाओं के विकास में इनकी अहं भूमिका है। विषय वर्षों में भारत में चित्रकला, सागीत कला, नृत्य कला आदि सामाजिक वास्तविकता के निकट आती जा रही हैं। अनेक सामाजिक समस्याओं के समाधान के लिए विभिन्न कलाओं के द्वारा सुझाव एवं समाधान प्रस्तुत किये जाते हैं।

डी. पी. मुखर्जी ने अपने लेख 'उपन्यास' में सामाजिक समस्याओं के अन्त में कला से सम्बन्धित निष्कर्ष दिये हैं।

1 कलाकार स्वरूप को मुश्किल से ही अन्तर्वस्तु पर आरोपित करता है।

2 अन्तर्वस्तु सदैव सामाजिक होती है।

3. अन्तर्वस्तु और स्वरूप दोनों ही सामाजिक प्रक्रियाओं को प्रतिविष्वित करते हैं, समाज को प्रतिविष्वित नहों करते।

4. सामाजिक प्रक्रियाएँ द्वन्द्वात्मक होती हैं। इसमें विरोध के द्वारा प्रत्येक चरण पर समस्याएँ उत्पन्न होती हैं।

5. समस्याएँ सम्पूर्ण सामग्री होती हैं और उनका समाधान सम्पूर्ण काल्पनिक साहित्य द्वारा होता है।

6. समाधान समझ या ज्ञान के द्वारा होता है न कि विशिष्ट संकाय के द्वारा।

7. डाउने (Downay) लिखते हैं कि “प्रमाणित सृजनात्मक निर्माण का विकास वैज्ञानिक अन्तर्दृष्टि से होता है।”

8. कला और दस्तकारी में परस्पर बहुत कम अन्तर होता है। उनमें अन्तर्भाग समान होता है। तकनीकी कठिनाइयों की समस्याओं का समाधान तथा वस्तुओं के विरोध पर विजय पाना—कला और कला—वस्तु—दोनों में समान रूप से मिलता है। कला में जो वस्तु विरोध करती है, वह कला का आदि-स्वरूप है, जिसके निश्चित एवं प्रमाणित समाज का आदि-स्वरूप कहता है।

इस प्रकार से डी. पी. मुखर्जी ने भारत में समाजशास्त्रीय चिन्तन के विकास में अनेक प्रकार से योगदान किया है। □

## अध्याय-17

# आर. के. मुखर्जी का योगदान (Contribution of R. K. Mukherjee) (1889-1968)

भारत में समाजशास्त्र और सामाजिक विचारधारा के विकास में जिन भारतीय विद्वानों ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है, उनमें सधाकमल मुखर्जी का नाम सदैव स्मरणीय रहेगा। समाजशास्त्र में उनका महत्व सामाजिक मूल्यों से सम्बन्धित विचारों के कारण है। उनके विचार उनको कृति "इन्स्टीट्यूशनल थ्योरी ऑफ इकोनोमिक्स इन सोशियोलॉजी" में निहित हैं। उन्होंने अपने विचार "ए जनरल थ्योरी ऑफ सोसाइटी" में दिए हैं, जिसमें उन्होंने सामाजिक मूल्यों का विश्लेषण प्रस्तुत किया है। इसके विषय में बोगार्डस ने अपनी कृति "दा डब्ल्यूप्रेष्ट ऑफ सोशियल थॉट" में कहा है कि "मुखर्जी ने सामाजिक मूल्यों का जो विश्लेषण प्रस्तुत किया है वह केवल—पूर्व और पश्चिम—दोनों का ही समन्वय नहीं करता, अपितु सार्वभौमिक सामाजिक अन्तःक्रिया के सन्दर्भ में पूर्वीय तथा पाश्चात्य सामाजिक विचारधारा के एक समन्वय का परिणाम है," पूर्व और पश्चिम को विचारधाराओं को समन्वित करने की योग्यता प्राप्त करने का कारण यह था कि मुखर्जी शिक्षा प्राप्त करने के उद्देश्य से यूरोप में रहे हैं।

## जीवन चित्रण एवं रचनाएँ

### (Life-Sketch and Works)

सधाकमल मुखर्जी का जन्म 7 दिसम्बर सन् 1889 को पश्चिमी चगाल के बहामपुर (मुर्शिदाबाद) जिले में हुआ था। उनके पिता गोपालचन्द्र मुखर्जी एक सुविख्यात बकील थे। उनका परिवार बौद्धिक दृष्टि से सम्पन्न था, बड़े भाई की रचि पूर्व और पश्चिम के साहित्य के अध्ययन में विशेष थी, घर में पुस्तकों का बाहुल्य था, इसका प्रभाव यह हुआ कि मुखर्जी को भी भारतीय दर्शन के सम्बन्ध में अपने ज्ञान की बृद्धि का अवसर पर्याप्त रूप से मिल सका। उन्होंने इतिहास का भी अध्ययन हचिपूर्वक किया। मुखर्जी को शिक्षा प्रेसोडेसी कॉलेज, कलकत्ता में हुई। सन् 1910 में आप बहामपुर के कृष्णनाथ कॉलेज में अर्थशास्त्र के प्राध्यापक बन गये और पाँच वर्ष तक उसी पद पर रहे। इस काल के दौरान उन्होंने अर्थशास्त्र से सम्बन्धित कई शोध कार्य किये, जिनके आधार पर सन् 1916 में आपकी प्रथम कृति "दा फाउन्डेशन ऑफ इण्डियन इकोनोमिक्स" का प्रकाशन हुआ।

सन् 1915 में उन्हे बंगाल में सहकारिता आन्दोलन पर सामाजिक सर्वेक्षण व शोध कार्य के लिए 'प्रेमचन्द्र-रामचन्द्र छात्रवृत्ति' प्रदान की गई।

सन् 1916 में मुख्यजी की नियुक्ति लाहौर (ਪंजाब) के सनातन धर्म कॉलेज में एक वर्ष के लिए प्राचार्य पद पर हुई। सन् 1917 में उन्होंने 10 व्याख्यान "भारतीय अर्थशास्त्र के सिद्धान्त" विषय पर पंजाब विश्वविद्यालय में दिए। सन् 1917 से 1921 तक पाँच वर्ष तक आपने कलकत्ता विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र और राजनीतिक दर्शनशास्त्र विषय का अध्यापन किया। सन् 1920 में कलकत्ता विश्वविद्यालय में ही उन्होंने "भारतीय ग्रामीण समुदाय में सामाजिक एवं आर्थिक परिवर्तन" विषय पर टॉक्सटर को डिपाइंसिप्राप्त की। सन् 1921 से 1952 तक आप लखनऊ विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र एवं समाजशास्त्र विभाग के प्रोफेसर एवं अध्यक्ष पद पर कार्यरत रहे। वहाँ पर उन्होंने अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र और मानवशास्त्र के शोध-कार्य और अध्ययन-कार्य में भी समन्वित दृष्टिकोण और पढ़ातिशास्त्र का शुभारम्भ किया। उन्होंने ग्रामीण अर्थशास्त्र, श्रमिक अर्थशास्त्र, सामाजिक परिस्थितिशास्त्र, सामाजिक मनोविज्ञान एवं सामाजिक दर्शनशास्त्र से सम्बन्धित अनेक लेखों एवं अध्ययन-प्रतिवेदनों का भी प्रकाशन कराया। इन विषयों को उन्होंने एक महत्वपूर्ण स्थान प्रदान कराया, जिनको कि उस समय तक उपेक्षा की दृष्टि से देखा जाता था।

सन् 1945 से 1947 तक आप ग्वालियर सरकार के आर्थिक सलाहकार के रूप में कार्यरत रहे। मुख्यजी अन्तर्राष्ट्रीय सरकार के अनेक सरकारी व शैक्षिक संगठनों के चेयरमैन व सदस्य भी रहे। 1946 में आप एफ. ए. ओ. के अर्थशास्त्र एवं सांख्यिकी कमीशन के अध्यक्ष चुने गए। सन् 1955 से 1958 की अवधि गें उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय के कुलपति का पद भार सम्भाला। उस पद से अवकाश ग्रहण करने के उपरान्त वे उसी विश्वविद्यालय के "जे. के. इन्स्टीट्यूट ऑफ सोशियोलोजी एण्ड ह्यूमन रिलेशन्स" के डाइरेक्टर के रूप में चयनित किये गये और इस पद पर कार्य करते हुए आप सन् 1968 में दिवंगत हो गए।

**रचनाएँ(Works)**—मुख्यजी ने अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, परिस्थितिकीशास्त्र, दर्शनशास्त्र, मनोविज्ञान, संस्कृति, कला, धर्म, रहस्यवाद, प्रतीकों व मूल्यों का समाजशास्त्र व आचार जैसे अनेक महत्वपूर्ण विषयों पर लेखन कार्य किया। जीवन के अन्तिम वर्षों में आपका रुझान अध्यात्मवाद की ओर हो गया था। उन्होंने "भगवद् गीता" पर एक विस्तृत टीका लिखो जो उनकी मृत्यु के उपरान्त "दा सोंग ऑफ दा सैल्क सुप्रीम" नाम से प्रकाशित हुई।

आपकी कुछ प्रमुख कृतियाँ निम्नालिखित हैं—

1. 'दा फाउंडेशन्स ऑफ इण्डियन इकोनोमिक्स' (1916)
2. 'दा प्रिंसिपल्स ऑफ कम्प्रेंटिव इकोनोमिक्स' (1922)
3. 'डेमोक्रेसीज ऑफ द इंस्ट' (1923)
4. 'चॉर्डलेण्डस ऑफ इकोनोमिक्स' (1925)
5. 'रीजनल सोशियोलोजी' (1926)
6. 'माइण्ड इन सोशियोलोजी : इन्डोडोक्षन टू सोशियल माइसोलोजी' (1928)

- 7 'दा थोरी एण्ड आर्ट ऑफ द मिस्ट्रिसिजम' (1937)
- 8 'मैन एण्ड हिंज हेबिटेशन' (1940)
- 9 'सोशियल इकोलोजी' (1945)
- 10 'दा सोशियल फक्तरान ऑफ आर्ट' (1948)
- 11 'दा सोशियल स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यूज' (1949)
- 12 'दा इण्डियन स्क्रीम ऑफ लाइफ' (1949)
13. 'दा डाइनेमिक्स ऑफ भोरलस' (1951)
- 14 'ए हिस्ट्री ऑफ इण्डियन सिविलाइजेशन' (1956)
- 15 'दा हॉरिजन ऑफ मैरेज' (1956)
- 16 'दा कल्चर एण्ड आर्ट ऑफ इण्डिया' (1959)
17. 'दा फिलोसोफी ऑफ सोशियल साइन्स' (1960)
- 18 'दा फिलोसोफी ऑफ पसनेलिटी' (1963)
19. 'दा डाइमेशन्स ऑफ द्वामन इवोल्यूशन' (1964)
- 20 'दा डाइमेशन्स ऑफ वैल्यूज' (1964)
- 21 'दा डेन्सिटी ऑफ सिविलाइजेशन' (1964)
- 22 'बनेस ऑफ बैनकाइण्ड' (1968)
- 23 'दा कॉस्मिक आर्ट ऑफ इण्डिया' (1968)
- 24 'दा कम्प्यूनिटी ऑफ कम्प्यूनिटीज' (1966)
- 25 'दा फिलोसोफी ऑफ मैन' (1966)
26. 'दा सोग ऑफ दा सैल्फ सुप्रीम' (1971)

राधाकमल मुख्यार्जी के प्रमुख समाजशास्त्रीय योगदानों की व्याख्या निम्न प्रकार से की जा सकती है।

### सामाजिक विज्ञान का सिद्धान्त (Theory of Social Science)

मुख्यार्जी के मत में समाजशास्त्र, भौविज्ञान, सामाजिक मानवशास्त्र और मानव परिच्छिति शास्त्र में हुई प्रगतियों के आधार पर निष्कर्ष निकलता है कि अब सामाजिक विज्ञानों का एक घनिष्ठ एकीकरण होने और समाज के एक सामान्य सिद्धान्त के निर्माण करने का समय आ गया है। समाज का यही सामान्य सिद्धान्त सामाजिक सम्पद्यों और संरचनाओं के सम्बन्ध में सभी समाज-विज्ञानों से प्राप्त सिद्धान्तों, नियमों व व्याख्याओं का समूह ही है। यह एक समग्ररूप में समाज से सम्बन्धित एकीकृत और समन्वित ज्ञान का समूह है। मुख्यार्जी का कहना है कि "यदि विभिन्न सामाजिक विज्ञानों के बीच पाई जाने वाली खाई को पाटा नहीं जायेगा और यदि अलग अलग सामाजिक विज्ञान सामाजिक जीवन के उस पक्ष से ही अपने बीच सम्बन्धित रहेंगे, तो समाज का एक समग्र रूप और समाज का एक सामान्य विज्ञान कभी भी उभरकर सम्पन्न नहीं आयेगा।

क्योंकि समाज अन्तःसम्बन्धित वास्तविकताओं की समग्रता है। समाज इसीलिए विभाजन के योग्य नहीं है और समाज के विषय में काई वास्तविक घोथ तभी सम्भव हो सकता है, जब एक समग्रता के रूप में समाज की आदतों, मूल्यों और प्रतीकों का अध्ययन किया जाए।”

मुखर्जी के मत में समाज के सामान्य सिद्धान्त के निर्माण के लिए यह आवश्यक है, कि सामाजिक तथ्यों, सामाजिक सम्बन्धों और अनुभवों की सामान्यता को अपूर्त औपचारिक प्रतिमान के रूप में तकन्युक क्रमबद्धता में प्रस्तुत किया जाए।” मुखर्जी के मत में इसका कारण यह है कि “सामाजिक जीवन में कोई शुद्ध, प्राणिशास्त्रीय इच्छाएँ एवं सवेग नहीं होते, बल्कि उनका समीकरण, समन्वय व स्फुटान्तरण अर्थों, मूल्यों और प्रतीकों के रूप में हो जाता है। मुखर्जी के मत में समाज का सामान्य सिद्धान्त दो धारों पर निर्भर है—एक तो यह कि सामाजिक तथ्यों और अनुभवों की घटु-विभिन्नता व प्रकृति को स्पष्ट स्वीकार किया जाए आर दूसरा यह कि सामाजिक तथ्यों के समन्वय स्वरूप को मूल्यों तथा प्रतीकों के मन्दर्भ में समझने व विश्लेषित करने का प्रयास किया जाए। इसके लिये प्राकृतिक विज्ञानों एवं समाज-विज्ञानों की महानता ली जा मानी जाए।”

### महत्वपूर्ण अवधारणाओं की परिभाषाएँ (Definitions of Important Concepts)

मुखर्जी के मत में समाज के सामान्य सिद्धान्त में मूल्यों का महत्वपूर्ण स्थान होता है क्योंकि “समस्त मानव-सम्बन्ध और व्यवहार अपनी ही प्रकृति के कारण मूल्य हैं।” इन मूल्यों को मानव में, मानव से और मानव के लिए ही खोजा जाता है। समाज मूल्यों का ही संगठन और संकलन है अतः समाज के सामान्य सिद्धान्त का प्रतिपादन मूल्यों के सन्दर्भ में ही सम्भव है और समाज क सामान्य सिद्धान्त का प्रतिपादन करने के द्वारा कई समाजशास्त्रीय अवधारणाओं, जैसे—संस्था, संस्कृति, सामाजिक सम्बन्ध, समूह व समाज आदि को भी मुखर्जी ने परिभाषित किया जा निन्नलिखित है—

**1. संस्था (Institution)**—संस्था को उन अधिक संगठित, औपचारिक तथा सुस्थिर सामाजिक सम्बन्धों व व्यवहारों के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जो मनुष्यों के कातिपय मामान्य व स्थाई लक्ष्यों एवं मूल्यों की पूर्ति करते हैं।

**2. संस्कृति (Culture)**—संस्कृति एक समाज के सदस्यों के विश्वासों, मूल्यों तथा व्यवहारों का पूर्णयोग अथवा समाप्ति है, तथा उन प्रतीकों की समाप्ति है, जो इन विश्वासों, मूल्यों और व्यवहारों को संचालित करते हैं।

**3. सामाजिक सम्बन्धों (Social Relations)**—इनको परिभाषित करते हुए मुखर्जी ने लिखा है कि सामाजिक सम्बन्धों को मनुष्यों की एक-दूसरे के प्रति अभिव्यक्त उन मनोवृत्तियों तथा व्यवहारों के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो उनके सामान्य लक्ष्यों तथा मूल्यों के द्वारा प्रस्तुत व निर्देशित होते हैं।

**4. समूह (Group)**—समूह सहयोगी व्यक्तियों का उह क्रमबद्ध सामाजिक सम्बन्ध व व्यवहार है, जिनका उद्भव उनके सामान्य लक्ष्यों तथा मूल्यों के सामन्वय तथा आपूर्ति के कारण होता है।

5. समाज (Society) — समाज को परिभाषित करते हुए मुखर्जी का कहना है कि समाज सामाजिक सरचनाओं और प्रकारों का वह योग है जो लोकाचारों, विश्वासों सम्बन्धों और व्यवहारों के एक व्यवस्थित व क्षेत्र प्रतिमान को प्रस्थापित रक्षा तथा संचारित करता है ।<sup>11</sup>

### समाज का सामान्य सिद्धान्त (General Theory of Society)

मुखर्जी ने समाज का सामान्य सिद्धान्त प्रतिपादित करने से पूर्व समाज की विभिन्न दृष्टिकोणों से परिभाषाएँ दी हैं, जो अग्र प्रकार हैं—

1. परिस्थितिशास्त्र — परिस्थितिशास्त्र के दृष्टिकोण से समाज एक प्रदेश है ।
2. अर्थशास्त्र — अर्थशास्त्रीय दृष्टिकोण से समाज एक वर्ग है ।
3. नीतिशास्त्र — नीतिशास्त्रीय दृष्टिकोण से समाज चरित्र निर्णय के लिए सहभागिता अथवा समागम है ।
4. समाजशास्त्र — समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से समाज एक संस्था है ।

निष्कर्ष — मुखर्जी का कहना है कि समाज के सामान्य सिद्धान्त में इन सभी आधारभूत पक्षों—प्रदेश, वर्ग, सहभागिता और संस्था को समाविष्ट करना आवश्यक है ।

### समाज : एक मुक्त-व्यवस्था (Society . An Open System)

मुखर्जी का समाज के सम्बन्ध में यह सामान्य सिद्धान्त इस मान्यता पर आधारित है कि समाज एक मुक्त-व्यवस्था (Open System) है । जबकि इससे पूर्व के विद्वानों के मत में समाज को एक बन्द-व्यवस्था के रूप में भाना जाता था । मुखर्जी के मतानुसार समाज के सामान्य विज्ञान में मुक्त-व्यवस्था के सिद्धान्त को इस प्रकार प्रतिपादित करना होगा कि उसके द्वारा जीवन-निर्धारण, प्रस्थिति, जीवनस्तर व्यवस्था एवं चरित्र की वह गतिशीलता प्रकट हो जिसके द्वारा सामाजिक-सम्बन्धों को आगे बढ़ाया जा सके, जिससे वे अधिकाधिक उद्देश्यपूर्ण बने ।

### समाज का महाविज्ञान (Master-Science of Society)

मुखर्जी को कल्पना समाज का एक महाविज्ञान बनाने की थी जिसमें मानव परिस्थितिशास्त्र (Human Ecological), समाजशास्त्रीय सिद्धान्त और मूल्यों व प्रतीकों के सिद्धान्त सम्मिलित होंगे । इन तीनों का पृथक्-पृथक् अस्तित्व भी रहेगा और परस्पर आदान-प्रदान के घण्टिष्ठ सम्बन्ध भी होंगे । इस आदान-प्रदान से सभी को लाभ होगा और महाविज्ञान के विकास का मार्ग भी प्रशंसन होगा, जो समग्र रूप में समाज के सम्बन्ध में व्यवस्थित ज्ञान दे सकेगा । इस सामान्य सिद्धान्त के आधार पर विभिन्न सामाजिक विज्ञान एकता के सूत्र में बंध जायेगे और उनके भव्य की दृष्टियाँ भी कम हो जायेंगी । इस दृष्टि से यह महाविज्ञान स्वर्यं समाजशास्त्र से ज्यादा विस्तृत एक विज्ञान होगा । मुखर्जी ने अपनी कृति 'ए जनरल थ्योरी ऑफ सोसाइटी' में समाजशास्त्र

को इस रूप में परिभाषित किया है—समाजशास्त्र समाज के सामान्य सिद्धान्त का एक ऐसा भक्ष है, जिसका सम्बन्ध सम्भाओं की सरचना के अन्तर्गत सचार और प्रभिति के सामाजिक सम्बन्धों में है।” समाजशास्त्र के अध्ययन की वस्तु व्यक्तियों के मध्य पाए जाने वाले पारस्परिक प्रभिति-सम्बन्ध है, जैसे—नातंदारी, प्रतिस्पर्द्धा, सहयोग व आधिपत्य आदि। समाजशास्त्र का प्रकार्य सामाजिक मूल्यों का वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोण से अध्ययन करना है। अर्थात् पुराने व नए मूल्यों का मूल्यांकन करना और पनपते हुए मूल्यों की प्रवृत्तियों को सामाजिक परिस्थिति आवश्यकता और अनुभव के सन्दर्भ में भमझने का प्रयास करना है।

मुख्यजी के मतानुसार मानवीय सम्बन्धों के वास्तविक अध्ययन के लिए यह अनिवार्य है कि सभी सामाजिक विज्ञानों में एकता हो और यह कार्य समाज का महाविज्ञान ही कर सकता है। मानवीय सम्बन्धों के ये विविध स्वरूप—सामाजिक आविष्कारों, जीवन की विविध अभिव्यक्तियों, उच्चात् मूल्य अनुभव की प्राप्ति के लिए किए गये प्रयासों तथा मानव-जीवन के स्पष्ट अर्थ को दृढ़ने में प्रकट होते हैं।

मुख्यजी के अनुसार आज समाज को एक ऐसे समाज विज्ञान के सिद्धान्त की आवश्यकता है, जिसके द्वारा सामाजिक मूल्यों को मापा जा सके, साथ ही ऐसे महाविज्ञान की भी आवश्यकता है जो मानव-जाति से सम्बन्धित व अभी तक न खोजे गए प्रश्नों के उत्तरदेसकेंगा। यह विज्ञान समाजशास्त्र से भी विस्तृत होगा। यद्यपि आज समाजशास्त्र का अध्ययन-क्षेत्र काफी बढ़ रहा है। समाज की अनेक शाखाएँ, जैसे—मूल्यों का समाजशास्त्र, प्रतीकों का समाजशास्त्र, कलाओं का समाजशास्त्र तथा धर्म का समाजशास्त्र आदि मिलकर कार्य कर रही हैं, फिर भी यह महाविज्ञान और भी उच्चतर आदर्श की ओर अग्रसर होगा।

मुख्यजी के मत में समाज के इस प्राविज्ञानिक विश्वव्यापी होगा, जो विश्व-समुदाय की समस्याओं को सुलझायेगा और मानव-जाति के समान मूल्यों का समादर करेगा, जहाँ वे मूल्य विभिन्न देशों व समाजों के हो कर्यों न हों। यह महाविज्ञान एक ऐसे दर्शन को भी अपनाएगा जो विभिन्न सामाजिक विज्ञानों में पाए जाने वाले पूर्वानुमानों का परीक्षण एवं पुनर्निर्माण, परिवर्तित हो रहे सामाजिक—पर्यावरण सम्बन्धी सम्बन्धों व मूल्यों के सन्दर्भ में करेगा तथा स्वयं को सुधारने की पद्धति को भी अपनाएगा।

मुख्यजी का मानना है कि समाज का यह महाविज्ञान उन समस्याओं का भी समाधान खोजेगा कि समाज में एकता, व्यवस्था, सुरक्षा, स्वतन्त्रता एवं सहभागिता किस प्रकार प्राप्त की जा सकती है। यह मानव सम्बन्धों के सामाजिक और भौतिक पक्षों के पारस्परिक सम्बन्धों को भी स्पष्ट करेगा। यह उन प्रक्रियाओं को भी परिभाषा करेगा, जिनके द्वारा एक संस्कृति विशेष के आदर्श-मूल्यों को प्रीघोषिको द्वारा नवोन स्वरूप प्रदान होता है, अथवा वे समाप्त हो जाते हैं। यह महाविज्ञान ईश्वर को परिपूर्णता और पवित्रता के साथ-साथ सौन्दर्य और सदाचार के समन्वय प्रतीक के रूप में मान्यता प्रदान करेगा और यह स्वीकार करेगा कि ईश्वर सभी प्राणियों के हृदय में निवास करते हैं और वे धौर-धौर किन्तु लगातार मानवना को सार्वभौम स्वतन्त्रता और पूर्णता की ओर ले जाते हैं।

## सामाजिक मूल्य (Social Values)

राधाकमल मुख्यों ने मूल्य सम्बन्धी विचारों को जो सिद्धान्त विकसित किया है उसके कारण उनकी छाति देश व विदेश में पर्याप्त रूप से हुई है। मूल्यों के सम्बन्ध में उनके विचार "द सोशियल स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यूज" एवं "दा डाइमेन्शन ऑफ वैल्यूज" में व्यक्त किए गए हैं। "दा सोशियल स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यूज" नामक कृति में आपने मूल्यों के साधाजशास्त्रीय सिद्धान्त का प्रतिपादन किया है जिसमें मूल्यों की उत्पत्ति एवं विकास, मूल्यों के मनोवैज्ञानिक नियमों एवं मूल्यों की सुरक्षा आदि पर ध्रुकाश ढाला गया है। दूसरी कृति "दा डाइमेन्शन ऑफ वैल्यूज" में मूल्यों के विभिन्न आयामों का उल्लेख किया गया है जिसमें मनोविज्ञान, जीवविज्ञान, दर्शनशास्त्र व तत्त्व गोपाला आदि में पाये जाने वाले मूल्यों की व्याख्या प्रस्तुत की गई है। मूल्यों के सम्बन्ध में आपका मानना है कि मूल्यों का एक सामाजिक सास्कृतिक आधार होता है इसी कारण प्रत्येक समाज के मूल्यों में एक भिन्नता दिखाई पड़ती है। आपका भत्ता है कि मूल्यों के बारे में जब तक कोई सार्वभौम सिद्धान्त विकसित नहीं किया जाता, तब तक मानव जाति की वास्तविक प्रगति नहीं हो सकती।

### सामाजिक मूल्यों का अर्थ एवं परिभाषा (Meaning and Definition of Social Values)

मुख्यों ने मूल्यों को परिभाषित करते हुए कहा है, "मूल्य समाज द्वारा मान्यता-प्राप्त इच्छाएँ अथवा लक्ष्य हैं, जिनका अन्तरीकरण सौख्यने अथवा सामाजीकरण की प्रक्रिया के माध्यम से होता है तथा जो व्यक्तिनिष्ठ अधिमान, मानव तथा अभिलाषाएँ बन जाते हैं।" मुख्यों के भत्ता में मूल्य मानव-समूहों और व्यक्तियों के द्वारा प्राकृतिक और सामाजिक समाज से सामजिक करने के उपकरण हैं। ये ऐसे प्रतिमान हैं जो मनुष्य की विभिन्न प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु मार्गदर्शन करते हैं। इन्हे सामाजिक अस्तित्व का केन्द्रीय तत्व कहा जा सकता है जिनकी रक्षा के लिए समूह के सदस्य हर सम्भव त्वय करने को तत्पर रहते हैं। मूल्यों के प्रति सदस्यों की स्वाभाविक आस्था होती है अर्थात् मुख्यों के भत्ता में मूल्य "समाज द्वारा स्वीकृति प्राप्त आकाशाएँ और लक्ष्य" हैं। इसे इस रूप में समझ किया जा सकता है—मूल्य समाज के नियम, कानून, प्रथा, नीति, प्रतीक एवं संस्थाओं में व्याप्त होते हैं—जिसे समाज उचित मानता है वही मूल्य होते हैं। मुख्यों का कहना है कि मनुष्य को मूल्य अपने जीवन से, अपने पर्यावरण से, अपने आप से, समाज और सास्कृति से ही नहीं, अपितु मानव अस्तित्व व अनुभव से प्राप्त होते हैं। मनुष्य को अपने परिस्थितिगत पर्यावरण से सन्तुलन बनाए रखने की आवश्यकता होती है, अपने भाषण-पोषण एवं जीवन-नीराह के लिए अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है, अपने समाज एवं समूह के लोगों के साथ सम्बन्ध बनाए रखने पड़ते हैं, अपनी सम्झौते के मध्य आदान-प्रदान की प्रक्रिया में भागीदार होना पड़ता है। इन सबके कारण समाज के सदस्यों के लिए समाज द्वारा अधिमान व मानदण्ड निर्धारित करने आवश्यक होते हैं जिन्हे व्यक्ति सामाजीकरण की प्रक्रिया के दौरान अपने व्यक्तित्व में सम्मिलित कर लेता है अर्थात् मूल्य समाज के सदस्यों के बीच होने वाली अन्तःक्रियाओं के फलस्वरूप धीरे-धीरे उत्पन्न होते हैं।

## मूल्यों एवं नैतिकता के उद्विकास के आयाम

उद्विकास क्रम	मूल्य	सामाजिक संकुल	नैतिकता प्रतिमान	व्यवस्था के गुण
1 जैविकीय परिस्थितिकीय	रक्षण, प्रभुत्व एव सालत्व	हित समूह	पारस्पर्य	व्यवहार-युद्धि
2 सामाजिक	प्रस्थिति	समुदाय	न्याय	निष्ठा
3 लोकातीत आँर चरित्र	व्यवितत्व	सम्पूर्ण मानव	प्रेम	श्रद्धा
		समुदाय		

उपर्युक्त तालिका को इस रूप में समझा जा सकता है। नैतिकता के मूल्यों की उत्पत्ति अहं की सीमा को पार करने पर होती है। दूसरों के साथ सम्बन्ध और पारस्पर्य से मूल्यों का विकास होने लगता है। परा-अहं के मूल्य अन्तःकरण और निष्ठा से उत्पन्न होते हैं। व्यक्ति का मध्यम जैसे-जैसे अपने से विस्तृत सामाजिक क्षेत्र से जुड़ता जाता है, उसके मूल्य भी उद्विक्तित होने लगते हैं। मुख्यजी ने सामाजिक संकुल और मूल्यों का श्रेणीक्रम स्थापित करते हुए हित-समूह, समुदाय और सम्पूर्ण मानव-समुदाय के तीन स्तर बताए हैं।

1. हित-समूह (Interest-Group) — हित-समूह में भाईड़ की तुलना में स्थायित्व अधिक होता है। राजनीतिक-दल व समिति आदि इसके उदाहरण हैं—मानव के निजी हित विना पारस्पर्य के पूरे नहीं ही सकते अतः सहयोग, सहानुभूति और दूसरों के हितों को ध्यान में रखने से न्यूनतम मूल्य उत्पन्न होते हैं और अपने सीमित हितों की पूर्ति के लिए सहयोग व संघर्ष आदि करते रहते हैं। इस समूह का प्रमुख गुण 'व्यावहारिक युद्धि' है।

2. समुदाय (Community) — समुदाय अथवा समाज के अन्तर्गत हित पूरे समुदाय के सहयोगात्मक जीवन से जुड़ जाते हैं। ये हित-समूह की अपेक्षा अधिक व्यापक होते हैं। इस संगठन का प्रमुख गुण 'निष्ठा' है।

3. सम्पूर्ण मानव समाज (Total Human Society) — जब मानव का तादात्म्य सम्पूर्णता से ही जाता है तो मूल्य सार्वलैकिक हो जाते हैं। प्रेम, समानता, वभुत्व, आदि ऐसे उच्च गुण हैं जिनके पालन में व्यक्ति को त्याग व तपस्या करनी होती है। इस समूह का प्रमुख गुण 'शक्ति' है।

मुख्यजी स्पष्ट रूप से मानते हैं कि मनुष्य के नैतिक मूल्यों का उद्विकास हित-समूह के माध्यम से 'आदर्श समाज' अथवा संसार के मुक्त समाज की ओर हो रहा है। ज्यकि मूल्य और परम्परा के स्तरों पर पक्ष और प्रतिपक्ष में जो छन्द होता है, उससे सत्य का संश्लेषित रूप सामने आता है। मुख्यजी के मत में यही उद्विकास की द्रष्टव्यात्मक प्रक्रिया है।

मुख्यजी मूल्यों को दो बगों में विभाजित करते हैं— (i) माध्य मूल्य, एवं (ii) माध्य मूल्य।

साध्यमूल्य (Intrinsic Values) — वेत्तश्यतथा सन्तोष (Goals and Satisfaction) है जिन्हें मनुष्य और समाज जीवन और सहितक के विकास के लिए स्वोक्षर करते हैं, जो व्यक्ति के व्यवहार में अनन्वित होते हैं और जो स्वयं साध्य होते हैं।

**साधन मूल्य (Instrumental Values)**—ये वे मूल्य हैं जिन्हे मनुष्य और समाज प्रथम प्रकार के अर्थात् साध्य मूल्यों की प्राप्ति करने के लिए व उन्हें उन्नत बनाने के लिए साधन के रूप में मानते हैं। स्वास्थ्य सम्पत्ति, सुरक्षा, सत्ता एव प्रस्तुति आदि से सम्बन्धित मूल्य 'साधन मूल्य' हैं जिनका उपयोग किन्होंने लक्ष्यों व सन्तोषों की प्राप्ति के साधन के रूप म किया जाता है। मुखजी साध्य मूल्यों का अभूत अधबा लोकातोत (Transcendent) मूल्य और साधन मूल्यों को विशिष्ट (Specific) अथवा अस्तित्वात्मक (Existential) मूल्य भी कहते हैं क्योंकि साध्य लोकातीत या अमृत मूल्य समाज एव व्यक्ति के जीवन के उच्चतम लक्ष्यों म सम्बन्धित होते हैं जबकि साधन, विशिष्ट अथवा अस्तित्वात्मक मूल्यों को लैंकिंग लक्ष्यों की पृति के साधन के रूप म प्रयुक्त किया जाता है। साधन मूल्यों के चुट्टिमत्ता पूर्ण उपयोग के बिना साध्य मूल्य पूर्णता की प्राप्ति नहीं कर सकते। मनुष्य का सम्बन्ध भी साध्य मूल्यों की तुलना म साधन मूल्यों से ज्यादा होता है। इसी कारण साधन व मूल्यों की विवेचना सामाजिक विज्ञान द्वारा अधिक की जाती है।

### मूल्यों का स्रोपान एवं संस्तरण

#### (The Scale and Hierarchy of Values)

मुखजी ने मूल्यों के तीन आयाम बताए हैं—(i) जैविक (Biological) (ii) सामाजिक (Social), तथा (iii) आध्यात्मिक (Spiritual)।

1. **जैविक मूल्य (Biological Values)**—जैविक मूल्य स्वास्थ्य कुशलता व सुरक्षा आदि से सम्बन्धित होते हैं। मानव जीवन जैविक आधार पर ही निर्भर है। जब शरीर स्वस्थ व उपर्युक्त होगा तभी वह जीवन निर्वाह करने में सक्षम होगा, इसलिए मूल्यों के संस्तरण में सर्वप्रथम जैविक मूल्यों का स्थान है।

2. **सामाजिक मूल्य (Social Values)**—जैविक जीवन समाज की सहायता के बिना सम्भव नहीं हो सकता। इस कारण जैविक मूल्यों के पश्चात् सामाजिक मूल्यों का स्थान है। सामाजिक मूल्यों में सम्पत्ति, प्रेम, न्याय आदि को लिया जाता है।

3. **आध्यात्मिक मूल्य (Spiritual Values)**—जैविक और सामाजिक मूल्यों की वास्तविकता 'सत्यम् शिवम् सुन्दरम्' की प्राप्ति में निहित है जिसे जैविक और सामाजिक स्तर से गुजरते हुए ही प्राप्त किया जा सकता है। इसी कारण आध्यात्मिक मूल्य सबसे उच्च स्तर के होते हैं—सत्य, सुसग्गति, सुन्दरता तथा पवित्रता से सम्बन्धित होते हैं—इन्हें साध्य अन्तर्निष्ठ अथवा लोकातीत मूल्य कहा जाता है। आध्यात्मिक मूल्यों को सर्वोच्च मूल्य कहा जाता है, सामाजिक और जैविक मूल्यों का स्थान इसके उपरान्त है, जिनका उद्देश्य सामाजिक समाज और सुव्यवस्था को बनाये रखना है इसीलिये ये साधन मूल्य, बाह्य मूल्य अथवा क्रियात्मक मूल्य कहलाते हैं। जैविक मूल्यों को जीवन को बनाये रखने के लिये आवश्यक माना जाता है ये भी साधन मूल्य ही हैं।

उपर्युक्त विवेचन के क्रम में मुखजी ने निम्नलिखित सामान्योक्तरण प्रस्तुत किया है—

(1) साध्य मूल्य साधन-मूल्यों की तुलना में प्रेरित होते हैं क्योंकि साध्य मूल्य ही मानव जीवन को सार्थकता प्रदान करते हैं।

(2) साध्य-मूल्य और साधन मूल्य परस्पर घुलते-मिलते एवं एक-दूसरे में व्याप होते रहते हैं। साधन-मूल्य साध्य मूल्यों के भाव में युक्त रहकर अपना क्रियारूप बनाए रखते हैं।

(3) व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन के प्रत्येक द्वेष में मूल्यों की दुन्दात्मक गति होती है।

(4) वास्तविकता में जीविक मूल्यों से उच्चतर मूल्यों को कुछ सीमा तक तो प्राप्त किया जा सकता है किन्तु व्यक्ति उन श्रेष्ठ मूल्यों न्हों प्राप्त करने का प्रयास करता रहता है।

(5) उच्चतर अथवा आत्म लोकातीकरण मूल्यों का कार्य जीवन को बनाए रखने के कार्य से उच्च श्रेणी का है।

(6) सार्वभीम मूल्य वे आदर्श-नियम हैं जो कि मूल्यों की संस्तरणात्मक व्यवस्था को नियन्त्रित एवं निर्देशित करते हैं।

### मूल्य के नियम

(Laws of Values)

मुखर्जी ने अपनी कृति "दा सोशियल स्टूडीज ऑफ वैल्यूज" में मूल्यों के कुछ नियमों का उल्लेख किया है, जो निम्नलिखित हैं—

(1) समाज के नियंत्रण अथवा अनुमोदन के कारण ममस्ता मानवीय अभिप्रेरणाएँ मूल्यों में रूपान्तरित हो जाती हैं। समाज इन प्रेरणाओं को टालता है, और उनकी अभिव्यक्ति के साधनों को निश्चित करता है।

(2) आधारभूत अथवा मौलिक मूल्यों को सन्तुष्टि हो जाने पर उन मूल्यों के प्रति विदासीनता उत्पन्न हो जाती है। इस स्थिति में समझ और संस्कृति द्वारा नवोन संश्य एवं साधन प्रस्तुत किये जाते हैं जिनके कारण पुनः नये मूल्यों का जन्म होता है। इसे 'मूल्यों के चक्र का नियम' (Law of the Cycle of Values) कहा जाता है।

(3) मूल्य परस्पर पुलमिल जाते हैं और उनके सम्मिलन से निरन्तर वदलाव दिखाई देता है। यह सम्मिलन कभी सन्तुलित और कभी असन्तुलित रूप में देखने को मिलता है।

(4) विभिन्न मूल्यों में आपस में प्रतिस्पर्द्धा चलती रहती है, इससे मूल्यों में एक संस्तरण विकसित हो जाता है जिसके अन्तर्गत साध्य-मूल्यों को साधन-मूल्यों की तुलना में उच्चतर स्तर प्रदान किया जाता है।

(5) समाज अथवा संस्कृति व्यक्ति को मूल्यों के मौलिक प्रतिमान प्रदान करती है। मानवीय मूल्य मनुष्य के सामाजिक सम्बन्धों के होतक हैं। यह संस्कृति, परम्परा व प्रशिक्षण ही हैं जो उन मौलिक मूल्यों का निर्माण करते हैं।

(6) मनुष्य का विवेक एवं निर्णय और समाज का अनुभव मूल्यों के एक रोपान का निर्माण करते हैं जिससे उत्तम, मध्यम और अधम मूल्यों के बीच भेद पैदा हो जाता है।

(7) मूल्यों में वैयक्तिकता, विभिन्नता एवं अनोयापन पाया जाता है। व्यक्ति अपनी चुनिंदा, आदत, आवश्यकता और क्षमता के आधार पर उनका चयन करता है।

(8) अनेक मूल्य परस्पर संघर्ष करते हैं। ऐसी स्थिति में व्यक्ति अपनी शिक्षा, अनुभव और आदर्श नियमों के आधार पर उपयुक्त मूल्यों का चयन करता है।

(9) सामाजिक पर्यावरण समृद्धि सम्बोधित सम्बन्ध एवं अनुभव की सामाजिक परिस्थिति में ही मूल्यों में गुणात्मक सुधार घटित होता है। जिसे जैसे एकात्मस्ता से सामृद्धिकता की ओर आगे बढ़ा जाता है वैसे वैसे मूल्य भी अधिकाधिक सम्पूर्ण आत्मनिर्भर और स्थाई होते जाते हैं।

(10) प्रत्येक समृद्धि और सत्त्वा व्यक्ति के अपने स्वार्थ के कारण एक प्रकार की द्वृतीयकता को प्राप्त करते हैं जिसके माध्यम से व्यक्ति एक उद्देश्य को प्राप्त कर एक आदर्श तक पहुँच जाता है।

(11) कला, सांगीत, साहित्य एवं धर्म से सम्बन्धित अन्तर्दृष्टि और सहानुभूति के गुण भवान् व्यक्तियों में अद्वितीयता से होते हैं जिसके कारण उनके भोलिक मूल्यों को जाना जा सकता है और उन्हे अन्य व्यक्तियों तक प्रभावशाली ढंग से संप्रेषित किया जा सकता है।

(12) व्यक्ति का आदर्श मूल्य, उसकी अन्तर्दृष्टि सौन्दर्यात्मक एवं धार्मिक बोध, उसका व्यावहारिक आविष्कार एवं उत्साह आदि का प्रमुख स्रोत सामाजिक संस्कृति होती है जो व्यक्ति के जीवन को प्रभावित करती है।

### मूल्य और व्यक्तित्व (Value and Personality)

मुख्यों का मानना है कि मूल्यों का विशेष महत्व व्यक्तित्व का निर्माण करने में है। व्यक्ति का व्यक्तित्व जितना अधिक आदर्श मूल्यों को अपनाता है, उनमें ही अधिक व्यक्ति समाज से अपना समझन कर पाता है। प्रत्येक समाज के लिए भी यह आवश्यक है कि वह व्यक्तित्व के सर्वोच्च मूल्यों का निर्माण करे व्योकि यदि किसी समाज के मूल्य व्यवस्थित, नियमित एवं श्रेष्ठ नहीं होगे, तो वह समाज जीवित नहीं रह पाएगा और उसके अभाव में उसकी सभ्यता का भी शीघ्र अन्त हो जायेगा क्योंकि सभ्यताओं का उत्थान पतन उनके द्वारा व्यक्ति के विकास पर दिए जाने वाले घल पर ही सम्भव होता है। अतः मुख्यों का मानना है कि किसी समाज को जीवित रहने के लिए नियमित रूप से व्यक्तित्व के सर्वोच्च मूल्यों की पूर्णता का प्रयास करना चाहिए।

### सामाजिक मूल्यों का महत्व या कार्य (Importance or Functions of Values)

मुख्यों के मत में समाज और व्यक्ति के जीवन में मूल्यों का अत्यधिक महत्व है। उसके अनुसार भौतिकशास्त्र के लिए गति और गुरुत्वाकर्पण का जो महत्व है व शरीर विज्ञान के लिए पाचन-प्रक्रिया और रक्त-सचार का जो महत्व है, वही महत्व सामाजिक विज्ञानों के लिए मूल्यों का है। मूल्यों को समाज से पृथक् नहीं किया जा सकता। मुख्यों कहते हैं, "समाज मूल्यों का एक संगठन एवं संकलन है।" सामाजिक क्रिया में सामृद्धिक अनुभव होते हैं, जिनका निर्माण—व्यक्तिगत एवं सामाजिक—दोनों ही प्रकार को मनोवृत्तियों और प्रत्युत्तरों द्वारा होता है। ये मूल्य समाजों का निर्माण करते हैं और सामाजिक सम्बन्धों को संगठित भी करते हैं।

मुखर्जी का मत है कि यदि कोई समाज अपने अस्तित्व को बनाए रखना चाहता है, तो उसे व्यक्तित्व के सर्वोच्च मूल्यों की पूर्ति अवश्य करनी चाहिये। मानव कल्याण के लिए भी मूल्यों का पालन एवं संरक्षण अत्यावश्यक है। समाज में एकता, समर्थन एवं नियन्त्रण भी मूल्यों द्वारा ही सम्भव होता है। मूल्यों के अभाव में समाज का अस्तित्व ही नहीं रहेगा। मुखर्जी के मतानुसार मूल्यों का महत्व अथवा कार्य निम्नलिखित है—

( 1 ) व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण (Important for the individual)—व्यक्ति के जीवन में मूल्यों का अत्यधिक महत्व है। मुखर्जी का कहना है कि मूल्य मनुष्य के सामाजिक जीवन के अनुरूप स्थिर और संगतपूर्ण तरीके से उसके आवंगों एवं इच्छाओं को प्राप्ति करके, व्यक्ति के उद्दिकाम और चयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह वृह प्रक्रिया है जिसके द्वारा मनुष्य की स्वकेन्द्रित, तात्कालिक तथा अस्थिर आवश्यकताओं को एक स्थाई मानसिक समूहों में रूपान्वरित किया जाता है। हाँव्य के शब्दों में जिमर्क विना बीवन घिनावना, पशुगत् एवं सक्षिप्त घन जायेगा। व्यक्ति मूल्यों के आधार पर ही अपनी सामाजिक पर्यास्थितियों से सलता से अनुकूलन कर लेता है। मूल्यों के कारण ही व्यक्ति समूह के अग के रूप में स्वयं को मानने लगता है। इस प्रकार व्यक्ति को जीवन-मूल्यों के कारण ही अर्थपूर्ण माना जा सकता है। व्यक्तित्व के निर्माण तथा समर्थन में भी मूल्यों का अत्यधिक महत्व है।

( 2 ) समाज में एकरूपता उत्पन्न करने में महत्वपूर्ण (Important in bringing Unanimity in the Society)—व्यक्ति समाज में प्रचलित मूल्यों के अनुसार ही आचरण करते हैं इसके परिणामस्वरूप सभी के व्यवहारों में एकरूपता आ जाती है। इस प्रकार मूल्य समाज में एकरूपता को उत्पन्न करने में सहायक होते हैं।

( 3 ) समाज के आदर्श विचारों व व्यवहारों के निर्धारक (Determinant of Ideal Values and Behaviour for the Society)—मूल्य समाज के विचारों व व्यवहारों का निर्धारण करते हैं क्योंकि सामाजिक मूल्यों में आदर्श निहित होते हैं। इन्हें सामाजिक स्वीकृति व मान्यता प्राप्त होती है, इसलिए सामाजिक मूल्यों का आदर्श विचारों व व्यवहारों का प्रतीक माना गया है।

( 4 ) व्यक्तित्व के निर्माण तथा संगठन में सहायक (Helpful in the Development and Organisation of the Personality)—सामाजिक मूल्य व्यक्तित्व के निर्माण और संगठन के लिए भी महत्वपूर्ण हैं। मुखर्जी के मतानुसार मूल्य व्यवस्था व्यक्तित्व की संरचना को परिभासित एवं नियन्त्रित करती है और इसके बदले में व्यक्ति अपने आचरणों द्वारा मूल्यों की परिशुद्धि और उनका परिमार्जन करता है। इस प्रकार दीर्घों के आपसी सम्बन्ध के कारण ही मूल्यों में परिवर्तन, परिवर्द्धन एवं परिमार्जन होता रहता है।

( 5 ) भौतिक संस्कृति के महत्व को बढ़ाने वाले (Increases the importance of the Material Culture)—सामाजिक मूल्य भौतिक संस्कृति, जैसे—कार, मरम, टेलीफोन व टेलीविजन आदि के लिए भी महत्वपूर्ण हैं क्योंकि इनसे सामाजिक प्रतिष्ठा में धृढ़ि होती है। सामाजिक मूल्य इन भौतिक वस्तुओं को उपयोगी एवं प्रतिष्ठासूचक मानते हैं।

(6) सामाजिक क्षमता का मूल्यांकन (Evaluation of Social Potentiability)—मूल्य ही समूह और व्यक्ति को क्षमता का मूल्यांकन करते हैं। इन मूल्यों के आधार पर ही व्यक्ति यह जानने में सक्षम होते हैं कि दूसरे लोग उन्हें किस दृष्टि से देखते हैं अथवा सस्तरण में वे कहाँ स्थित हैं।

(7) सामाजिक नियन्त्रक (Social Controller)—मुखर्जी का मत है कि सामाजिक मूल्य सामाजिक नियन्त्रण में सहायक होते हैं। मूल्यों में आदेश सूचक और अनिवार्यता के तत्त्व होते हैं जिनके समाज में प्रचलित जनरीतियों प्रथाओं और नेतृत्व नियमों के कारण बल मिलता रहता है। परिणामस्वरूप समाज द्वारा विपरीत आचरण करने वालों को दण्ड एवं समाज के अनुसूत्य आचरण करने वालों को पुरस्कार की व्यवस्था की जाती है।

(8) अनुरूपता और विपथगमन को स्पष्ट करते हैं (Specify unanimity and Deviation)—जो व्यवहार सामाजिक मूल्यों के अनुकूल होते हैं, उन्हें अनुरूपता और इनके विपरीत व्यवहारों को विपथगमन कहा जाता है। सामाजिक मूल्य, सामाजिक अस्तित्व के लिए आवश्यक हैं और कोई भी समाज इनके उल्लंघन की आज्ञा नहीं देता, ऐसा करने वाले को दण्डित किया जाता है। इस प्रकार सामाजिक मूल्य सामाजिक विधान को रोकने के लिए और सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक हैं।

(9) सामाजिक संगठन और एकीकरण के लिए महत्वपूर्ण (Important for Social organisation and Integration)—सामाजिक मूल्य समाज में संगठन और एकीकरण को जन्म देते हैं। व्यक्ति समाज द्वारा स्वीकृत व्यवहारों के अनुसार आचरण करते हैं तो उससे समाज में एकीकरण व सागठन बना रहता है—समाज में समान आदर्शों, व्यवहारों एवं मूल्यों को स्वीकार करने के कारण सामुदायिक भावना का जन्म होता है। समाज मूल्यों को स्वीकार करने वाले अपने आपको निकट का मानते हैं अतः परस्पर सहयोग करते हैं उससे समाज में भी संगठन बना रहता है।

मुखर्जी का मानना है कि सामाजिक जीवन के विभिन्न पक्षों से सम्बन्धित मूल्यों में एक प्रकार्यात्मक सम्बन्ध होता है, जिसके परिणामस्वरूप सामाजिक सम्बन्धों में तालमेल बना रहता है और समाज में व्यवस्था और सन्तुलन बना रहता है। उदाहरणार्थ—परिस्थितिगत स्तर पर प्राकृतिक साधनों के उपयोग सम्बन्धी मूल्य होते हैं, आर्थिक स्तर पर—आय का वितरण, समाज कल्याण व जीवन-स्तर से सम्बन्धित मूल्य होते हैं, राजनीतिक स्तर पर समानता, सत्ता व स्वतन्त्रता आदि से सम्बन्धित मूल्य होते हैं, वैधानिक स्तर पर न्याय, समानता, स्वतन्त्रता व सुरक्षा आदि से सम्बन्धित मूल्य होते हैं। उसी भाँति सामाजिक स्तर पर सामाजिक संगठन एवं व्यवस्था से सम्बन्धित मूल्य होते हैं। नैतिक स्तर पर सहयोग, सहानुभूति, प्रेम व न्याय आदि से सम्बन्धित मूल्य होते हैं—इस प्रकार मुखर्जी के मत में सुसङ्कृत समाज का प्रथम लक्षण सर्वश्रेष्ठ मूल्य ही होते हैं। मूल्यों के साथ सामाजिक विज्ञानों के प्रकार्यात्मक सम्बन्ध को निम्नलिखित तालिका द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है—

## सामाजिक विज्ञानों के प्रकार्य और मूल्य

क्र सं	सामाजिक विज्ञान	प्रकार्य	संस्थानिक मूल्य
1	मानवीय परिमिथितिकी	प्रभुत्व, आरक्षण, मातृत्व	उपयुक्तता
2	मनोविज्ञान	व्यवहार	समग्रता
3	समाज विज्ञान	यथोगण और प्रमिथिति	संगठनात्मक एकता
4	अर्थशास्त्र	विकल्प चयन	जनकल्याण
5	राजनीतिकशास्त्र	स्वतन्त्रता एव नियन्त्रण	समनिता
6	न्यायशास्त्र	सुधा, साधाजिक सम्बन्ध	सुधा
7	नीतिशास्त्र	नीतिक मूल्यों का उत्थान	निःस्वाधेंता

मुख्यजीव ने व्यक्ति, समाज और मूल्य में पाए जाने वाले पारस्परिक सम्बन्धों को दर्शाने के लिए दीपक की बत्ती, तेल और ज्योति का उदाहरण प्रस्तुत किया है। जिसमें व्यक्ति को बत्ती, समाज को तेल और मूल्यों को ज्योति कहा गया है। तेल (समाज) के बिना बत्ती (व्यक्ति) अधूरी है, और ज्योति (मूल्यों) के बिना बत्ती और तेल (व्यक्ति और समाज) निरर्थक हैं। अर्थात् मूल्य ही अनतोगत्वा व्यक्ति और समाज के जीवन में ज्योति लाते हैं। मुख्यजीव का कहना है कि “मनुष्य और समाज—तैरती हुई बत्ती और गहरे तेल के बीच छलने वाले अनन्त आदान-प्रदान से मूल्य अनुभव की उजली, स्थिर ज्योति पनपती है, जो कि हमारे नीरस और निशानद विश्व को निरनार प्रकाशित करती रहती है।”

मुख्यजीव के गतानुसार यदि रागाज अपने अस्तित्व को बनाए रखना चाहता है तो यह आवश्यक है कि वह सर्वोच्च मूल्यों की नियमित पूर्ति करता रहे। छविकितत्व की सर्वोत्तम खोज मुन्द्रता, अच्छाई और प्रेम के उच्चतर आध्यात्मिक मूल्य (Higher Spiritual Values of Beauty, Goodness and Love) हैं। इन्हीं के आधार पर संस्थाओं की सृष्टि और पुनःसृष्टि होती है। अतः सम्पूर्ण मानव-समाज और मानव-कल्याण के लिए मूल्य अति महत्वपूर्ण हैं।

### मूल्य और विमूल्य (Values and Disvalues)

राधाकृष्णन मुख्यजीव ने मूल्यों के साथ-साथ विमूल्यों का भी उल्लेख किया है। आपने नकारात्मक मूल्यों को ही विमूल्य या अपमूल्य कहा है—मुख्यजीव का कहना है कि सामाजिक व्यवहार के सभी आयामों में मूल्यों के साथ विमूल्य भी उपस्थित रहते हैं। सामाजिक आन्यताओं की अवस्थाना-

करना अथवा सामाजिक मूल्यों का उल्लंघन करना ही विमूल्य कहलाता है। अपराध, भ्रष्टाचार, द्वेष, हिंसा, विघटन व शोषण आदि विमूल्य ही हैं। विमूल्यों को उत्पत्ति सामाजिक जीवन में बुराइयों के पलस्वरूप होती है।

मूल्य और विमूल्य में अन्तर स्पष्ट करते हुए मुखर्जी का मानना है कि 'सत्य की सदा विजय होती है' यह एक श्रेष्ठतम् भूल्य का उदाहरण है, किन्तु 'राजनीति में कुछ भी अमुचित नहीं होता है' यह विमूल्य का उदाहरण है। 'क्षमा करे देना हो मवसे बड़ी मजा है' यह मूल्य है किन्तु 'खून का घटला युन' यह विमूल्य है। 'परिश्रम का फल मीठा होता है' यह एक उच्चतर मूल्य है, किन्तु 'जिओं और जीने दो' यह विमूल्य का उदाहरण है। इस प्रकार व्यक्ति मूल्योंकी अवहेलना करके विमूल्यों को स्वोकार कर लेता है। वैयक्तिक स्तर पर वैईपानी, हिंसा, घृणा व अवहेलना आदि विमूल्यों के उदाहरण हैं। "अपने पड़ोसी से प्रेम करो" सामाजिक मूल्य है, जबकि "दुष्ट के साथ दुष्टों का व्यवहार करो" विमूल्य का उदाहरण है। इसी प्रकार हिंसा, शोषण, साम्राज्यवाद, धेनवाद, भाषावाद और राजद्रोही गतिविधियाँ आदि विमूल्यों के उदाहरण हैं। विमूल्य उन स्थाओं या व्यवहारों के माध्यम से अभिव्यक्त होते हैं, जो कानून और सामाजिक सहिताओं की अवमानना करते हैं।

मुखर्जी के मतानुसार विमूल्यों की उत्पत्ति तीन वारणों से होती है—

( 1 ) शारीरिक अथवा जैविकीय आवश्यकताएँ (Physical or Biological Necessities)—विमूल्यों की उत्पत्ति का प्रथम कारण जैविकीय है। जब व्यक्ति अपनी आवश्यक आवश्यकताओं, जैसे—भोजन, आवास और वस्त्र आदि की भी पूर्ति नहीं कर पाता अर्थात् शारीरिक कष्ट, कृपोषण, सुविधाओं का अभाव, अभिवृद्धि में बाधा, वस्त्र व आवास की अपर्याप्तता, बीमारी व सुरक्षा का अभाव आदि अमुविधाएँ उसे सलाती हैं तो विमूल्यों की उत्पत्ति होती है।

( 2 ) मानसिक आवश्यकताएँ (Mental Necessities)—मानसिक आवश्यकताओं की समुचित पूर्ति न होने पर भी विमूल्यों की उत्पत्ति होती है। जब व्यक्ति की प्रेम, प्रतिष्ठा, प्रसिद्धि एवं सुरक्षा विषयक मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति में बाधा उत्पन्न होती है, तो उस स्थिति में वह मानसिक तनावों एवं संघर्षों का शिकार हो जाता है। क्योंकि मनोवैज्ञानिक आधार पर आत्मसंतोष के लिए इनकी पूर्ति आवश्यक होती है—इसके अभाव में व्यक्ति में कृत्रिम एवं विकृत मूल्य विकसित हो जाते हैं, जो उसकी इच्छाओं और आकृक्षाओं की पथभ्रष्ट तरीकों से पूर्ति करते हैं—यही विमूल्य होते हैं।

( 3 ) सामाजिक आवश्यकताएँ (Social Necessities)—सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति न होने पर भी विमूल्यों की उत्पत्ति हो जाती है। जब व्यक्ति के समक्ष सधारणात्मक स्थितियाँ उत्पन्न हो जाती हैं तो वह उनको सहन करने अथवा भुलाने के लिए भेलत रास्ते अपनाता है। शारीरिक योनि, परिवारिक सन्तुलन में बाधा ढालना आदि स्थितियाँ समाज में विघटन पैदा करती हैं—क्योंकि जब व्यक्ति अपने दुख-दर्द को भुलाने के लिए अत्यधिक शराब का सेवन करता है तो इससे उसके परिवार की सुख शान्ति भंग होती है, आर्थिक झट्ट होता है और स्वास्थ्य भी

खराय हो जाता है—इन सबसे पारिवारिक और फिर सामाजिक मन्तुलन विकृत हो जाता है—उम्मीदें उत्पन्न समस्याएँ समाज में विभूत्यों को विकसित करती हैं। इस प्रकार आवश्यकताओं का अभाव ही विभूत्यों का कारण होता है।

मुखजी के मत में विभूत्यों की वृद्धि से समाज में वैयक्तिक एवं सामाजिक एकीकरण की व्यवस्था की जा सकती है तथा रचनात्मक उपायों में विकृत व्यक्तित्व वाले व्यक्तियों के लिए पुनर्वाग्म जैमें उपायों को लागू किया जा सकता है। इस प्रकार मूल्यों को लोगों की आमांशाओं के अनुरूप बनाना आवश्यक है।

सुधारात्मक उपायों में विचलित व्यवहार वाले व्यक्तियों के लिए सामाजिक एकीकरण की व्यवस्था को जा सकती है तथा रचनात्मक उपायों में विकृत व्यक्तित्व वाले व्यक्तियों के लिए पुनर्वाग्म जैमें उपायों को लागू किया जा सकता है। इस प्रकार मूल्यों को लोगों की आमांशाओं के अनुरूप बनाना आवश्यक है।

### प्रादेशिक समाजशास्त्र (Regional Sociology)

“राजनल सोशियोलॉजी” (1926) मुखजी की प्रसिद्ध कृति है जिसमें उन्होंने प्रादेशिकता के विषय में अपने मौलिक विचार प्रस्तुत किए हैं। उन्होंने यह स्पष्ट करने का प्रयास किया है कि किसी प्रदेश की प्राकृतिक विशेषताएँ वहाँ के वासियों की मनोवृत्तियाँ, प्रथाओं, आचारों, मंस्थाओं और चरित्र को बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। आपने प्रादेशिक अर्थशास्त्र को ऐसे विज्ञान के रूप में प्रस्तुत किया है, जिसका सम्बन्ध एक भीगांतिक क्षेत्र का मानव व्यवहार और मानव जीवन के बीच पाए जाने वाले प्रकार्यात्मक सम्बन्धों के अध्ययन से है। इसमें विभिन्न प्रदेशों के लोगों के सामाजिक जीवन और उनके व्यवहारों का तुलनात्मक अध्ययन भी किया जाता है। वे प्रादेशिकता को भी मानव-व्यवहार की एक विशेष अभिव्यक्ति मानते हैं जो अपने क्षेत्र विशेष की परिस्थितियों द्वारा प्रभावित, नियंत्रित और निर्देशित होती है। इस प्रकार प्रादेशिक समाजशास्त्र भी विज्ञान की एक शाखा है।

मुखजी प्रादेशिक समाजशास्त्र के अन्तर्गत निम्नलिखित पक्षों का अध्ययन करने पर जोर देते हैं—

- (i) प्रादेशिक जीवन के जाल का अध्ययन।
- (ii) प्रदेश तथा प्रादेशिक समूह के सन्दर्भ में मानव परिस्थितियों का अध्ययन।
- (iii) सामाजिक प्रृष्ठों के प्रादेशिक आधार का अध्ययन।
- (iv) आर्थिक एवं सामाजिक प्रक्षयों के बीच अनुकूलन का अध्ययन।
- (v) राजनीतिक मन्द्यन्मयों पर आर्थिक परिस्थितियों के प्रभाव का अध्ययन, तथा,
- (vi) प्रादेशिक समाजशास्त्र की प्रवृत्तियों का अध्ययन।

मुखजी के विचार में प्रत्येक प्रदेश वहाँ के निवासियों के लिए एक विशिष्ट पर्यावरण को प्रमुख करता है, जो यमान तथा प्रिय होता है। मात्र ही प्रत्येक प्रदेश स्पष्टतया पहचाने जाने

चाली विशिष्ट प्रकार की सरचनाओं को जन्म देता है, तथा विशिष्ट सामाजिक प्ररूपों को भी जन्म देता है। इस प्रकार मुख्यों अपने इस नवीन विज्ञान में प्रदेश के लोगों को एक सौबे के रूप में स्वीकारते हैं।

प्रादेशिक समाजशास्त्र के सन्दर्भ में मुख्यों तीन सिद्धान्तों को स्वीकार करते हैं।

(1) एक प्रदेश विशेष का प्रभाव सामाजिक, राजनीतिक आर्थिक एवं वैधानिक सम्भाओं पर सामान्य रूप से पड़ता है, इस कारण प्रादेशिक समाजशास्त्र इन सभी सम्भाओं को परस्पर घुली-मिली मानता है।

(2) प्रादेशिक समाजशास्त्र का कार्य-स्थान, कार्य और जनता (Practice, Work and Folk) के पारस्परिक व्यवहारों का अध्ययन करना और उनके निष्पत्तियों से नगरों और प्रदेश में पाए जाने वाले नवीन जीवन का अध्ययन करना है।

(3) प्रादेशिक समाजशास्त्र जो सामाजिक अनुमन्यान करता है, उसका आधार सामाजिक मनोविज्ञान और सामाजिक मानवशास्त्र के ज्ञान पर निर्भर करता है।

इससे निष्कर्ष निकलता है कि मुख्यों अपने प्रदेश के साथ मानव का मात्र प्राकृतिक ही नहीं, अपितु मनोवैज्ञानिक सम्बन्ध भी मानते हैं। क्योंकि व्यक्ति को अपने जन्म-स्थान के प्रति अपनात्म एवं लगाव होता है इसी कारण वह वहाँ की भाषा, रहन सहन, रीत-रिवाज, खान-पान, जीवन का लोका, शिल्पकला व संस्कृति को सरलता से ग्रहण कर लेता है और उस जीवन से अपना समाजोज्जन शोषिता से कर लेता है। व्यक्ति का जन्म-स्थल ही उसको प्रथम पाठशाला होती है। प्रदेशों के मानव की सम्पूर्णता पर प्रभाव का अध्ययन करना प्रादेशिक समाजशास्त्र का लक्ष्य है। यद्यपि आधुनिक समय की परिस्थितियाँ मानव-जीवन को विषम बनाती जा रही हैं, फिर भी प्रदेश का प्रभाव उस पर विद्यमान है।

आर्थिक दृष्टि से देखें तो प्रत्येक प्रदेश का आर्थिक विकास और अवरोध दो कारणों से प्रभावित रहा है।

(i) उस क्षेत्र में प्राप्त प्राकृतिक सम्पदा और साधन, तथा

(ii) उस सम्पदा का उपयोग करने की मानव की क्षमता और संगठन भा स्तर। कृपि अथवा उद्योग, पशुपालन आदि सभी आर्थिक विकास के साधन मानव की सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक व मानसिक गतिविधियों को प्रभावित करते हैं और मानव को अपने प्रदेश की जलवाया, पशु-पश्ची, वनस्पति व खनिज पदार्थ आदि से अनुकूलन करना पड़ता है। यद्यपि आज विज्ञान के प्रभाव व नवोन आविष्कारों ने पर्यावरण के प्रभाव को क्षीण कर दिया है जो कि कुछ समय पूर्व तक अत्यधिक रूप में था।

मुख्यों का मानना है कि प्रदेश विशेष में एक विशिष्ट संस्कृति जन्म लेती है जिसका कारण पर्यायारण और सामाजिक कारणों के बीच की अन्तःक्रिया होता है। प्रत्येक प्रदेश की संस्कृति अलग होती है और इसके कारण कोई भी दो प्रदेश परस्पर भिनता लिए हुए होते हैं। यह भिनता उन्हें राष्ट्र को मुख्यधारा से अलग कर देती है जिसके कारण प्रान्तवाद अथवा संकुचित प्रादेशिकता की भावना विकसित होती है। यह संकुचित प्रादेशिकता की भावना अपने प्रदेश की भाषा और

सम्कृति की श्रेष्ठ और अन्य को हीन मानती है। परिणामस्वरूप उम्प्रदेश के लोग अपने लिए राजनीतिक और आर्थिक सुविधाएँ प्राप्त करने का प्रयास करते हैं आर राष्ट्रीय हिंदू कों कोइ महत्व नहीं देते। परिणाम यह होता है कि प्रादेशिक भवित्व तो बढ़ती जाती है और राष्ट्रकाद की भावना कमज़ोर होती जाती है।

अतः मुख्यों की मान्यता है कि जब प्रदेशवाद की भावना बलवत्ती हो जाती है तो वह नियंत्रण के बाहर हो जाती है और एक विद्रोह के रूप में उभरती है। ऐसी स्थिति से बचने के लिए आवश्यक है कि उसे मृजनात्मक एवं रननात्मक कार्यों में लगाया जाए।

### सामाजिक पुनर्निर्माण (Social Reconstruction)

मुख्यों ने सामाजिक पुनर्निर्माण के मन्त्रमें भी अपने महत्वपूर्ण विचार व्यक्त किए वे इसके लिए एक योजना प्रस्तुत की है। मुख्यों का कहना है कि जब समाज में सामाजिक विपटन उत्पन्न हो जाता है, अव्यवस्था हो जाती है अथवा संघर्ष की स्थिति आ जाती है तो ऐसी समस्यात्मक स्थिति में सामाजिक पुनर्निर्माण की आवश्यकता होती है जिससे समाज को पुनः संगठित किया जा सके, किन्तु सामाजिक पुनर्निर्माण सभी समाजों पर समान रूप से लागू नहीं किया जा सकता, क्योंकि प्रत्येक समाज की समस्याएँ भिन्न-भिन्न होती हैं। आधुनिक समय में समाजों में व्यापक पक्षपात, घृणा, सन्देह आदि के कारण समस्याओं वी अधिकता हो गई है। परिणामस्वरूप असनुलेन एवं विधटन की स्थिति उत्पन्न हो गई है। मानव में अहंवाद व आक्रामक व्यवहार की अधिकता हो गई है। इन सभी समस्याओं के नियंत्रण के लिए सामाजिक पुनर्निर्माण की अतीव आवश्यकता है। मुख्यों के अनुसार सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सभी क्षेत्रों में पुनर्निर्माण निम्नालिखित रूप से हो सकता है।

(i) **सामाजिक क्षेत्रों में पुनर्निर्माण (Reconstruction in Social Field)**— यह तमान समय में औद्योगिकरण, नगरोकरण, पाश्चात्य सम्भवता और संस्कृति का प्रभाव बढ़ रहा है, इसका प्रभाव यह हुआ है कि अब समाज के मूल्यों में अनेक परिवर्तन हो रहे हैं। मानव-मनोवृत्ति व आदतें भी बदल रही हैं। समाज का नियंत्रण दीला होता जा रहा है। इसका प्रभाव परिवार व जाति प्रथा पर भी पड़ रहा है। जाति प्रथा समाप्त हो रही है। ग्रामीण-समुदायों का हास हो रहा है, संयुक्त परिवार समाप्त हो चले हैं। इन सबका प्रभाव सामाजिक जीवन पर भी पड़ रहा है, सामाजिक क्षेत्रों में पुनर्निर्माण के अन्तर्गत उन कारणों की खोज करनी होगी जो सामाजिक जीवन को प्रभावित कर रहे हैं व उनमें सन्तुलन ला रहे हैं। पुनर्निर्माण के दृष्टिकोण से इन समस्याओं को मुलझाना आवश्यक है। परिवर्तन के कारण जो समस्याएँ आ गई हैं उनको दूर करके परिवार व समाज के आदर्शों, पूलों को विकसित करना आवश्यक है जिससे सामाजिक अनुकूलन हो सके। साथ ही ऐसे नियमों को विकसित करना आवश्यक है जो समाज में व्यापी धुराइयों को दूर कर सके।

(ii) **आर्थिक क्षेत्र में पुनर्निर्माण (Reconstruction in Economic Field)**— आर्थिक दृष्टिकोण से भी पुनर्निर्माण की अतीव आवश्यकता है, इसके लिए अनेक महत्वपूर्ण कार्य किए जा सकते हैं, जैसे— ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि और उद्योगों का आधुनिकीकरण किया जाना आवश्यक

है। ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का अधिकाधिक विकास करना आवश्यक है तथा समाज की अनेक कुरीतियों, जैसे—दहेज, बालविवाह, पर्दाप्रथा व विधवा पुनर्विवाह नियेध आदि के विरुद्ध जनमत तैयार किया जाना चाहिए। नारों में श्रमिक और पूँजीपतियों के सम्बन्धों में सुधार, श्रमिकों को शोषण-मुक्त कराकर उनके अधिकारों को दिलवाना आवश्यक है। श्रमिकों के लिए सामाजिक कल्याण व सुरक्षा आदि की सेवाएं उपलब्ध कराई जानी चाहिए।

(III) राजनैतिक पुनर्निर्माण (Political Reconstruction)—मुखर्जी राजनैतिक पुनर्निर्माण के अन्तर्गत 'मानव जाति के राष्ट्रमण्डल' की स्थापना करने का सुझाव देते हैं जिससे विभिन्न राष्ट्रों के मध्य विवादों को निपटान, प्रतिस्पर्द्धा को कम करने, गलतफहमियों को दूर करने और राष्ट्रों में परस्पर भाई चारों की भावना पैदा करने का कार्य हो सके। इससे राष्ट्रों के बीच का सघर्ष कम होगा और सभी राष्ट्र समान रूप से शक्तिशाली बन सकेंगे किन्तु इन सबके लिए कुछ राजनैतिक मूल्यों का विकसित करना आवश्यक है, यथा—प्रत्येक देश अपने पड़ोसी देश के अधिकारों एवं कर्तव्यों को स्वीकारे तथा समानता, स्वतन्त्रता, न्याय, राजभक्ति और सत्ता आदि के भूल्यों को अपनाए। इससे अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सहयोग और न्याय की वृद्धि होगी व विश्वस्तर पर सबकी उन्नति होगी।

(I) औद्योगिक पुनर्निर्माण (Industrial Reconstruction)—मुखर्जी का मानना है कि औद्योगिक क्षेत्र में मशीनों की सहायता से उत्पादन में वृद्धि की जाए किन्तु श्रमिकों का आर्थिक शोषण न हो, न ही उनकी छेंटनी की जाए। इस प्रकार मुखर्जी मशीनों का विरोध नहीं करते किन्तु वे श्रमिक और मशीनों के मध्य ऐसा तालमेल चाहते हैं जिससे श्रमिकों का शोषण भी न हो और उत्पादन में वृद्धि हो सके। श्रमिकों को उनकी सेवा का उचित भुगतान मिल सके, जिससे वे मुख्खी रह सके।

मुखर्जी पाश्चात्य देशों की नकल का भी विरोध करते हैं क्योंकि वहाँ का पर्यावरण यहाँ से भिनता लिए हुए है। अतः पाश्चात्य देशों की नकल करके हम अपनी आर्थिक व सामाजिक परम्पराओं की अवहेलना ही करेंगे, जो देश की उन्नति में बाधक होगी।

इस प्रकार मुखर्जी ने अपनी रचनाओं के माध्यम से यह कहना चाहा है कि आज जो भूल्यों का हास हो रहा है, जोवन शैली में बदलाव आ रहा है, उसमें व्यक्ति की क्या भूमिका होनी चाहिए। मुखर्जी समाज-विचार के अग्रज रहे हैं, वे ऐसे समाज-विचारक रहे हैं जिनके विचारों का महत्व सर्वव्यापी है। वे एक दार्शनिक, विचारक, रहस्यवादी एवं समाज-वैज्ञानिक के रूप में सर्वमान्य रहे हैं।

### सामाजिक पारिस्थितिकी (Social Ecology)

राधाकमल मुखर्जी ने विश्वविद्यालय पुस्तक 'Social Ecology' सन् 1945 में लिखी थी। आप लखनऊ विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र विभाग के अध्यक्ष थे। मूलतः आप अर्थशास्त्री थे। आपने अर्थशास्त्र के अतिरिक्त समाजशास्त्र में भी पुस्तकें एवं अनेक लेख लिखे थे। आपकी पुस्तक *Regional Sociology* भी समाजशास्त्र में एक महत्वपूर्ण योगदान

है। आपने अनेक पुस्तकों एवं लेखों में समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र के मतभेदों को कम करने एवं इनमें परस्पर निकटता लाने का प्रयास किया है। सामाजिक पारिस्थितिकी (Social Ecology) कृति में भी आपने इसी उद्देश्य को पूर्ण करने के साथ-साथ जीव विज्ञान, पर्यावरण, परिस्थिति विज्ञान के अनेक उदाहरण देकर इनमें परस्पर सम्बन्धों तथा निर्भरता पर भी प्रकाश डाला है। राधाकमल मुकर्जी की इस पुस्तक 'सामाजिक पारिस्थितिकी' में कुल पचदह अध्याय हैं। इसके अतिरिक्त पुस्तक में भूमिका एवं अनुक्रमणिका भी दी गई हैं। आपने पुस्तक की भूमिका में विस्तार से परिस्थितिकी एवं समाजशास्त्र के परस्पर सम्बन्धों, अन्तर तथा परस्पर निर्भरता पर प्रकाश डाला है। पुस्तक में जो विषय लिए गए हैं वे अध्यायवार क्रम से निम्न प्रकार हैं— अध्याय । समाज और सहजीवितता, II प्रतिस्पधा और विशेषोकरण की सीमाएँ, III प्रभुत्व और दूरी के प्रश्नाएँ, IV पारिस्थितिक एवं सामाजिक पिरामिड, V मनवीय समूहन की गतिशीलता एवं परिचालन, VI जनसंख्या का पारिरिधितक सतुलन, VII प्रस्थिति—पारिस्थितिक और सामाजिक, VIII मानव की सामाजिक और नैतिक सीमाएँ, IX पारिस्थितिक एवं सामाजिक गतिशीलता, X समय, तकनीक एवं समाज; XI सामाजिक गतिशीलता की स्वतंत्रता, XII पारिस्थितिक एवं सामाजिक सगठन के सांस्कृतिक प्रतिमान, XIII आर्थिकी के पीछे पारिस्थितिकी, XIV राजनीति के पीछे पारिस्थितिकी, और XV सामाजिक सतुलन।

### पुस्तक का उद्देश्य (Aim of the Book)

राधाकमल मुकर्जी का इस पुस्तक को लिखने का उद्देश्य सामाजिक पारिस्थितिकी की अवधारणाओं का वैज्ञानिक वर्णाकरण करना, और ऐसी वैज्ञानिक अध्ययन पद्धति का विकास करना रहा है जिसके द्वारा सामाजिक पारिस्थितिकी को नवीन प्रकार्यात्मक और परिमाणात्मक समाजशास्त्र का आधार बनाया जा सके। मुकर्जी ने इस कृति में प्रसुत पारिस्थितिकी-अवधारणाओं और प्रक्रियाओं को भी प्रस्तुत करने का प्रयास किया है जो समाजशास्त्र के ढाँचे को पुनःनिर्धारित करने में सहायक हो सकेगा। मुकर्जी के अनुसार, समाजशास्त्र के अध्ययन की भौतिक इकाई, क्षेत्र होती है। क्षेत्र एक प्रकार से व्यक्तियों का पारिस्थितिकी समूहन है, एक आर्थिक ढाँचा और सांस्कृतिक व्यवस्था है। आपने लिखा है, "एक अर्थ में, इस पुस्तक को तुलनात्मक सामाजिक पारिस्थितिकी फो लिखने का एक प्रयास माना जाए जिस पर तुलनात्मक अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र की आधारशिला लिखत है।" आपकी मान्यता है कि—प्रदेश, जनसंख्या और समाज-तीन पृथक् कारक नहीं हैं। ये परस्पर एक-दूसरे को प्रभावित करते हैं और एक स्वाभाविक प्राकृतिक सन्तुलन बनाते हैं। प्रत्येक को दूसरे के सन्दर्भ में सञ्ज्ञना चाहिए।

### सामाजिक पारिस्थितिकी का क्षेत्र (Scope of Social Ecology)

राधाकमल मुकर्जी ने सामाजिक पारिस्थितिकी का क्षेत्र स्पष्ट करते हुए लिखा है, "सामाजिक पारिस्थितिकी का क्षेत्र मानव की सामाजिक संरचनाओं और कार्यों का व्यवस्थान, प्रदेश, व्यवसाय और समाज की अन्तःक्रिया की प्रक्रियाओं—पर्यावरण के प्रकार्य और जीव के समाजशास्त्रीय सम्बन्ध—जिसमें सभी सामाजिक घटनाएँ व्य्वन्न होती हैं का अध्ययन करना है।"

## प्रमुख अवधारणाएँ

### (Major Concepts)

मुक्जी ने अपनी कृति में सामाजिक परिस्थितिकी तथा इससे सम्बन्धित निम्न प्रमुख अवधारणाओं को परिभाषाएँ दी हैं—

( 1 ) सामाजिक परिस्थितिकी (Social Ecology)—मुक्जी के अनुसार, सामाजिक परिस्थितिकी स्थान, व्यवसाय और समय व्यक्तियों और समूहों की प्रतिस्पर्धा सहयोग, समर्पण व्यवस्थान और उत्तराधिकार को प्रक्रियाओं के सम्बन्धों का अध्ययन करती है। दूसरी ओर समाज व्यक्ति का सीमित पर्यावरण में संचया वृद्धि के लिए परिस्थितिक अनुकूलता है और इसीलिए सभी मानवीय अन्तःक्रियाओं की व्याख्या परिस्थितिकी प्रक्रिया के द्वारा को जा सकती है।

मुक्जी ने सामाजिक परिस्थितिकी का समाज से सम्बन्ध स्पष्ट करते हुए लिखा है, “ सामाजिक परिस्थितिकी समाज को मानव की जनसंख्या वृद्धि के प्रति अनुकृत्या मानती है, जो श्रम के विभाजन और सामाजिक संगठन की पहल एवं सुधार करती है और उपकरणों की सम्पदा, व्यवसायों, जीवन के प्रतिमानों और परम्पराओं का संचारण करती है। प्रत्येक थेत्र में समाजशास्त्र के अन्येषण की इकाई समुदाय होती है न कि मानव, सम्बन्ध होते हैं न कि व्यक्ति। मानव सम्बन्ध परिस्थितियों और संस्कृति से व्यवस्थान का प्रतिनिधित्व करते हैं।

( 2 ) मानव परिस्थितिकी (Human Ecology)—मुक्जी ने मानव परिस्थितिकी के सम्बन्ध में लिखा है, “ सामाजिक परिस्थितिकी पर्यावरण से मानव वे व्यवस्थान के स्वरूप और प्रक्रिया का अध्ययन करती है। ” मानव परिस्थितिकी की दो उप शाखाएँ हैं— ( 1 ) संपारिस्थितिकी और ( 2 ) स्वपारिस्थितिकी। आपने इन दो उप शाखाओं का वर्णन इस आधार पर किया है कि परिस्थितिकी या पर्यावरण के कारक-व्यक्ति एवं समुदाय—दोनों को प्रभावित करते हैं।

2.1 संपारिस्थितिकी या सामुदायिक परिस्थितिकी (Syncology)—मुक्जी ने यानव परिस्थितिकी के समुदाय पक्ष को सामुदायिक परिस्थितिकी या संपारिस्थितिकी कहा है। इसमें पर्यावरण सम्बन्धी कारकों का प्रभाव समुदाय पर तथा समुदाय की पर्यावरण के प्रति प्रतिक्रिया का क्रमबद्ध तथा व्यवस्थित अध्ययन किया जाता है। मुक्जी का कहना है, मानव परिस्थितिकी के सामुदायिक पक्ष को भी सामुदायिक परिस्थितिकी कह सकते हैं। इसके अन्तर्गत मानव जीवशास्त्र, मानव भूगोल, अर्थशास्त्र, समाज गतिविहान तथा तकनीकी के साथ परिस्थितिकी की अन्तःक्रिया के कारण प्राप्त अन्तःवैज्ञानिक दृष्टिकोण आते हैं। सामाजिक प्रणति को परिस्थितिकी या पर्यावरण सम्बन्धी कारक प्रभावित करते हैं। इनका अध्ययन लाभकारी है।

2.2 स्वपारिस्थितिकी या वैद्यकिक परिस्थितिकी (Autecology)—स्वपारिस्थितिकी पर्यावरण सम्बन्धी कारकों के प्रति व्यक्ति की प्रतिक्रिया या अध्ययन करती है। मुक्जी ने लिखा है कि स्वपारिस्थितिकी व्यक्ति का अध्ययन पर्यावरण, भौतिक और जैविक के सम्बन्ध में करती है।

स्वपरिस्थितिकी और भूपरिस्थितिकी—दोनों परम्परा एक-दूसरे पर निर्भर एवं अन्तर्सम्बन्धित हैं। मुकर्जों का मानना है कि जैसे-जैसे समाज की प्रगति होती है, वैमं-वैमं मानव परिस्थिति का कार्य और महत्व बढ़ता जाता है और परिस्थितिकी अवस्थाओं का महत्व व कार्य घटता जाता है, किन्तु मानव प्रगति के माथ पर्यावरण का प्रभाव समाप्त नहीं होता है वल्कि पर्यावरण और परिस्थितिकी के कारकों का प्रभाव तो मानवीय सम्बन्धों तथा उम्मीदें सुनन करने की क्षमता पर पड़ता ही है जो सामाजिक प्रगति को भी निर्देशित एवं नियन्त्रित करता है। इस रूप में परिस्थितिकी—व्यक्ति और समुदाय—दोनों को प्रभावित करती है। वैयक्तिक-परिस्थितिकी और समुदाय-परिस्थितिकी दोनों परम्परा अन्तर्सम्बन्धित हैं और एक-दूसरे पर निर्भर हैं क्योंकि व्यक्ति पर्यावरण सम्बन्धी कारकों के प्रति जो प्रतिक्रिया व्यक्ति की जाती है उम्मीद प्रभाव समुदाय पर पड़ता है और समुदाय की पर्यावरण के प्रति जो प्रतिक्रिया व्यक्ति की जाती है उम्मीद प्रभाव व्यक्ति पर पड़ता है। व्यक्ति य समुदाय दोनों को ही कुछ सीमा तक पर्यावरण से भी अनुकूलन करना होता है—निकर्षण: परिस्थितिकी के कारक—व्यक्ति और समुदाय—दोनों को ही प्रभावित करते हैं। पर्यावरण में अनुकूलन व्यक्ति और समुदाय दोनों करते हैं।

(3) व्यावहारिक परिस्थितिकी (Applied Ecology)—यह सामाजिक परिस्थितिकी का वह पक्ष है जो जनसंख्या, प्राकृतिक साधनों, वनस्पति एवं पशुजन्म के परिस्थितिकी सन्तुलन के साथ वारण-प्रभाव सम्बन्धों का अध्ययन करता है। यह उपयोगी एवं व्यावहारिक पक्ष का विशेष ध्यान रखता है अर्थात् समाज के विकास के म्याहों के सन्दर्भ में अध्ययन करके निष्कर्ष निकालता है एवं सामाजिकरण करता है।

(4) अध्ययन की इकाई: मानव प्रदेश (Unit of Study : Human Region)—मुकर्जों ने सामाजिक परिस्थितिकी के अध्ययन की इकाई मानव प्रदेश बताई है। आपने इसके महत्व को निम्न शब्दों में संक्षिप्त किया है—“मानव मम्बन्धों के अध्ययन के लिए मानव प्रदेश हो। उचित इकाई है क्योंकि एक प्रदेश विशेष में ही हम एक-दूसरे के माथ अनुकूलिया करने वाले संस्कृति के धारक मानव समूहों तथा पौधे, पशु एवं अन्य निर्जीव पर्यावरण के बीच पाए जाने वाले जटिल अन्तर्सम्बन्धों को ठीक तरह में समझ सकते हैं। भूभवतः मानवीय सामाजिक व्यवहारों, सामाजिक संस्थाओं तथा अनुकूलन की मानवीय समस्याओं को प्रारंभिक मंकुल में पृथक् करके पूर्ण रूप से नहीं समझा जा सकता है।”

### सामाजिक परिस्थितिकी के कार्य

#### (Functions of Social Ecology)

राधाकर्मल मुकर्जों ने सामाजिक परिस्थितिकी के तीन महत्वपूर्ण कार्यों का वर्णन किया है, जो निम्न प्रकार हैं—

(1) अनुकूलन (Adaptation)—मुकर्जों के अनुगार सामाजिक परिस्थितिकी का प्रथम और महत्वपूर्ण कार्य मानव और भानवीय मंस्था ओं का एक विशिष्ट प्रदेश के माथ अनुकूलन की प्रक्रिया का चयन करना होता है। इस अनुकूलन में—प्राकृतिक और जैविक—दोनों प्रकार

के कारकों का अध्ययन किया जाता है। प्राकृतिक कारकों के अन्तर्गत प्रदेश विशेष की मिट्टी जलवायु भूमि की रचना, जैसे—पठार, पहाड़ दलदल क्षेत्र सभ्यता भूमि आदि आते हैं उनके साथ अनुकूल के साथ साथ जैविक कारकों जैसे—पेड़-पौधे, एवं पशुजगत के साथ अनुकूलता करना भी सम्पर्कित है।

( 2 ) समठनात्मक सम्बन्ध (Integrating relations)—मानव की क्रियाओं को साझित करने वाली कुछ शक्तियाँ होती हैं, उनका पता लगाना सामाजिक परिस्थितिकी का द्वितीय कार्य है। ये समठनात्मक शक्तियाँ स्थानिक भोजन सम्बन्धों एवं पर्यावरण सम्बन्धी कारक होती हैं। इन कारकों एवं शक्तियों को खोज निकालना ज्ञान विज्ञान का कार्य है।

( 3 ) मन्तुलन की मापना (To measure equilibrium)—सामाजिक परिस्थितिकी का तृतीय महत्वपूर्ण कार्य एक प्रदेश विशेष में मानव एवं अन्य सजीव और प्राकृतिक कारकों में परस्पर दबावों का अध्ययन करके सतुलन की स्थिति को ज्ञात करना है। मानव के स्थायित्व अस्तित्व और प्रभुत्व को स्थिति ज्ञात करना कि उसके ऊपर अन्य कारकों का अनुकूल प्रभाव पड़ा है अथवा प्रतिकूल। मानव समाज की स्थिति कैसी है? ये कुछ घाते सामाजिक परिस्थितिकी द्वारा ज्ञात की जाती हैं।

### परिस्थितिकी एवं अनुकूलन (Ecology and Adaptation)

मुख्यों परिस्थितिकी के अन्तर्गत प्राकृतिक अवस्थाओं के महत्व को मानते हैं क्योंकि इनके साथ आज भी व्यक्ति को अनुकूलता प्रदान करना पड़ रहा है भले ही उसने विज्ञान की सहायता से प्रकृति पर विजय प्राप्त कर ली हो।

मुख्यों का मानना है कि प्रकृति पर विजय प्राप्त करने के लिए यदि मानव प्रकृति का अनुसरण नहीं करेगा तो उसमें (प्रकृति में) असन्तुलन पैदा हो जाएगा जिसके परिणामस्वरूप प्राकृतिक विपरितियों के आने की सम्भावना रहेगी। इस कारण परिस्थितिगत तात्त्व-मेल अत्यावश्यक है। मुख्यों का कहना है कि किसी भ्रष्ट-विशेष एवं प्रदेश-विशेष में कुछ विशेष प्रकार के रोगों का आक्रमण दिखाई देता है, जिसके साथ व्यक्ति को अनुकूलन करना चाहता है। उन्होंने सामग्रस्य को चर्चा करते हुए कहा है, “जीवन के जात के जटिल, बहुविध तथा विस्तृत धारे जीवित विश्व के विभिन्न अशों को एक साथ बांधते हैं, इसीलिए उनमें सामंजस्य का बना रहना अत्यन्त आवश्यक है। एक प्रदेश के पेड़-पौधों की निर्मम कटाई करके देखिए अथवा खरोंक के स्थान पर रोगों की फसल की बुराई करके देखिये अथवा मध्यारों की बुढ़ि को रोकिये तो इन सबको विपरीत प्रतिक्रिया दिखाई देगी। भारत में घच्छों के प्रकोप के कारण असम और बागल में मरोरिया का प्रकोप अत्यधिक होता है—इन परिस्थितियों से अनुकूलन करने के लिए वहाँ की जलवायु में चाय की खेती खूब होती है जिसके सेवन से मरोरिया के कैलने पर रोक लगती है।” इस प्रकार मुख्यों के मत में परिस्थितिगत विशेषताएँ अपनी महत्वपूर्ण भूमिकाएँ निभाती हैं और असन्तुलन को रोकती हैं।

मुकजीं ने धर्म, जादू, प्रथा, परम्परा और विश्वास आदि मध्यों पर पर्यावरण के प्रभाव का अध्ययन किया है। आदिम समाज में एक प्रथा 'टोटम' प्रचलित है। जिसमें कुछ विशेष प्रकार के पेड़-पौधों व पशु-पक्षियों को मारना नियिद होता है। इसका कारण यह है कि पेड़-पौधों अथवा पशु-पक्षियों को माने से पर्यावरण का सन्तुलन यिगड़ जाता है। इसी कारण 'टोटम' के माध्यम से इस प्रकार का नियेध लगाया गया है। आदिम ममताजी में तृफान को रोकने व वर्षा लाने के लिए जादू का प्रयोग किया जाता है। इसके पीछे भी उद्देश्य पर्यावरण पर मनुष्य का नियन्त्रण आधित करना है। टोटा जनजाति में भैंगों से मध्यमित कई प्रथाएँ व कर्ग काण्ड प्रचलित हैं, जैसे—ये लोग भैंगों को परिव्र भानते हैं और भैंग-यातन में ही आमा जीवन निर्वाह करते हैं। इन भवकूं पीछे भी सभी का उद्देश्य पशु जगत में मम्बन्ध बनाए रखना ही होता है। कृषि कार्य के पूर्व खेतों की पूजा करना, विवाह में मध्यी देवी देवताओं का आहान करना आदि का उद्देश्य भी पर्यावरण की विभिन्न शक्तियों के साथ मानवीय सम्बन्धों के मन्तुलन को ही प्रकट करता है। इसी प्रकार प्रथाएँ भी पर्यावरण के मन्तुलन को स्पष्ट करती हैं, उदाहरण के लिए हिन्दुओं में विवाह के अवसर पर 'घूरा' पूजने की प्रथा है। उभया उद्देश्य भी प्राकृतिक शक्तियों को मान्यता प्रदान करना है।

मुकजीं ने परिस्थिति की अवस्थाओं एवं शक्तियों के साथ मानव के अनुकूलन की निष्ठलिखित ही स्तरों पर चर्चा की है—

(1) प्राचीन समय में ज्ञान, विज्ञान का विकास कम था। अतः उस समय लोग पर्यावरण पर अत्यधिक निर्भर थे क्योंकि प्रकृति के साथ अनुकूलन करने के अतिरिक्त उनके पास कोई अन्य विकल्प ही नहीं था।

(2) इसके पश्चात् व्यक्ति ने अपनी आवश्यकताओं की गृहिति के लिए पर्यावरण के साथ तार्किक और क्रमबद्ध अनुकूलन किया।

(3) इसके बाद की स्थिति आधुनिक काल की है जिसमें पर्यावरण को मानव का सहयोगी माना जाता है। यह (व्यक्ति) पर्यावरण में छिपी असीमित सम्भावनाओं वी खोज करके उनका उपयोग जन-कल्याण के लिए कर सकता है। व्यक्ति आज चन्द्रमा पर जा पहुँचा है। इससे स्पष्ट है कि आज व्यक्ति परिस्थितिकी के साथ अपने प्रगाढ़ सम्बन्धों को बनाए हुए है। आज व्यक्ति प्रकृति का दास नहीं, उसका सहयोगी।

### मानव समाज में परिस्थितिकीय प्रक्रियाएँ

#### (The Ecological Processes in Human Society)

इस आतोंच्य पुस्तक में आपने अनेक स्थलों पर पहले जीव-जन्तुओं और परिस्थितिकी तथा बनस्पति और परिस्थितिकी की विषय-वस्तु, अध्ययन के क्षेत्र, महत्व अद्वितीय प्रकाश डाला है। इसके बाद आपने मानव, मानव समाज, संस्कृति, आर्थिकी, स्तरीकरण, जनसंचया, वितरण, सन्तुलन, देशीय एवं सामाजिक गतिरोलता, सहयोग आदि अनेक समाजशास्त्रीय एवं सामाजिक विज्ञान की प्रक्रियाओं पर परिस्थितिकी के सन्दर्भ में प्रकाश डाला है। आपना दृढ़ विश्वाग है कि अर्थशास्त्र, जनांकिकी और प्रादेशिक समाजशास्त्र के निष्कर्षों, सामाजीकरणों तथा ज्ञान का

उपयोग पारिस्थितिकी के शीत्र में किया जा सकता है और इसी प्रकार से पारिस्थितिकी का प्रभाव अर्थशास्त्र, जनकिकी और समाजशास्त्र से सम्बन्धित अवधारणाओं, अध्ययन-विषयों एवं प्रक्रियाओं पर देखा जा सकता है। आपने समाजशास्त्र की सरचना से सम्बन्धित महत्वपूर्ण पारिस्थितिकीय प्रक्रियाओं का उल्लेख किया है, जो निम्न हैं—

- |                     |                            |
|---------------------|----------------------------|
| (1) वितरण           | (2) श्रम का विभाजन         |
| (3) गतिशीलता        | (4) प्रतिस्पर्धात्मक सहयोग |
| (5) स्थानीकरण       | (6) अनुक्रमण एवं आक्रमण    |
| (7) सामाजिक सन्तुलन |                            |

मुख्यों ने उपर्युक्त प्रक्रियाओं का विवेचन प्रथम अध्याय · समाज और सहजीवन के अन्तर्गत किया है। आपके अनुसार ये प्रक्रियाएँ इस प्रकार हैं—

(1) वितरण (Division) — बहुत समय से भूगोल उन भौतिक कारकों का अध्ययन करता रहा है जो जनसंख्या के वितरण और स्रोतों को सासार में निर्धारित करते हैं। अर्थशास्त्र ने इसके ज्ञान में बड़े उद्योगों, व्यापारिक संस्थानों और बाजार के स्थानीयकरण के कारणों, आधुनिक सचार और यातायात के साधनों के प्रकारों तथा उत्पादास जो किसी विशेष क्षेत्र में जनसंख्या के संकेन्द्रण का नियन्त्रण करते हैं, का अन्वेषण करके वृद्धि की है। नगरीय एवं ग्रामीण घटिकों का नियन्त्रण प्राकृतिक सम्पदा और फसलों के वितरण द्वारा होता है। मानव पारिस्थितिकी जीवन के प्रतिमानों का पूर्णता में अध्ययन करती है जिसमें बनस्पति, जीव जन्म और मानव संगठनों का अध्ययन भी सम्मिलित है। सभ्यता जलवायु, स्थलाकृति और खाद्य बनस्पति, जीव तथा दूसरी सम्पदाएँ जो जनसंख्या वितरण, यास स्थान, उद्योग और जीवन की कला को नियन्त्रण करती हैं, के अध्ययन करने के साथ साथ सचार और यातायात के साधनों, रेल और जलमार्ग, रेल-इन्जन, भाष-जहाज और स्वचालित घाहन, डैनिक-समाचार, और टेलीफोन का भी अध्ययन करती है। इसके अतिरिक्त सभ्यता सामाजिक अभियुक्ति, प्रथाएँ, टैरिफ सूची और उत्पादास कानून जो मानव परिचालन को नियन्त्रित करता है, जनसंख्या का विसर्जन या संकेन्द्रण का भी अध्ययन करती है। ये सभी पारिस्थितिकी शक्तियाँ हैं जो मानव समूहों का वितरण और उत्पादास तथा पृथक्करण का नियन्त्रण आवास और व्यवसाय के आधार पर करती है। प्रतिस्पर्धा, सम्पदाओं के दोहन में श्रम के विभाजन और विशेषीकरण के द्वारा मानव समुदाय—उपग्राम (डाणी), ग्राम, कस्ता और नगर में अपने को वितरित करती हैं। ये सभी सम्बन्धित इकाइयाँ—उपग्राम, ग्राम, कस्ता और नगर पारिस्थितिकी प्रक्रिया, जैसे—श्रम का विभाजन, विशेषीकरण, परिचालन और संकेन्द्रण के परिणाम हैं।

(2) श्रम का विभाजन (Division of Labour)—मानव समाज में श्रम का विभाजन आयु, लिंग, प्रजाति और वर्ग और व्यक्तियों की भिन्न-भिन्न क्षमताओं पर आधारित होता है। मानव समुदायों में रुचियों की भिन्नता एवं क्षमता तथा अविष्कारशीलता के कारण श्रम का विभाजन बहुत अधिक विस्तृत, बहुत अधिक स्टीरियोटाइप (रूढ़िवद्ध) और बहुत अधिक परिवर्तनीय हो गया है। सभी पारिस्थितिक कारक एवं शक्तियाँ, जैसे—पौसम या जलवायु सम्बन्धी

कारक, खाद्य पदार्थों की उपलब्धि, प्रजनन की क्रिया, शिशुओं का पालन-पोषण एवं सन्तानों को संख्या, महामारियाँ आदि जनसंख्या की अधिकतम वृद्धि आदि मानव के क्षेत्रीय सम्बन्धों को प्रभावित करते हैं। इन कारकों का प्रभाव जनसंख्या के घनत्व पर भी पड़ता है। पर्यावरण की अनुकूलनता को मानव का प्रभाव एक-विवाह और बहुपल्ली एवं बहुपति विवाह की परम्परा पर भी पड़ता है। मुक्कजी ने लिखा है कि गतिशीलता एक महत्वपूर्ण क्रियाविधि है जो जीवों की जनसंख्या के उपयुक्त घनत्व और वितरण को बनाती है।

(3) गतिशीलता (Mobility)—गतिशीलता या उत्प्रवास का नियम जीवों एवं मानव जगत में हमेशा रहा है। वासजीर वां परिधि या वस्ती के बाहर ढकेल दिया जाता है तथा राकिशाली केन्द्र पर कब्जा कर लेते हैं। जी. टायलर के अनुसार सभी प्रजातियों का उद्भव केस्थियन समुद्र के पास सामान्य शंशाव भूमि में हुआ था। प्रमुख प्रजातियाँ एशिया के पौच्छंत्र मण्डलों में स्थित हो गईं तथा बहुत अधिक आदिम प्रकारों को दुर्गम स्थान में ढकेल दिया गया। उत्प्रवासन की पारिस्थितिकी हमें पूर्व-ऐतिहासिक काल के प्रारम्भिक मानवों के भटकने और भिन्नताओं की समझने में महायता बरती है। भोजन की उपलब्धता तथा खाद्य सामग्री के क्षेत्रों के अनुसार मानव एक स्थान से दूसरे स्थान पर भटकते रहते थे। मुक्कजी लिखते हैं कि व्यावहारिक पारिस्थितिकी ने हमें आयत किए गए पेड़-पौधों, जीवों और कीट-पतांगों का नवीन आवास-स्थल में सफलता और असफलता के सम्बन्ध से अवगत कराया है। विल्कुल भिन्न स्थिति में पौधे, जीव या मानवों का पतन हो जाता है। इम प्रकार सामाजिक पारिस्थितिकी प्रभावी जाति, वर्ग, प्रजाति आदि से सम्बन्धित भौगोलिक गतिशीलता का अध्ययन एवं विश्लेषण करती है।

(4) प्रतिस्पर्धात्मक सहयोग (Competitive Co-operation)—मुक्कजी, हसी जीव-वैज्ञानिक गॉस (Gause) एवं हल्डेन (Haldane) ने जीवों में पारस्पर संघर्ष, सहयोग एवं प्रतिस्पर्धा पर नवीन तथ्य एवं विचार व्यक्त किए हैं। डार्विनवाद में संघर्ष को मानव-व्यवहार की व्याख्या के सम्बन्ध में एक-दरफ़ा तथा आज गुमराह करने वाला भाना जाता है। हल्डेन ने अनेक उदाहरण देकर स्पष्ट किया है कि जब तक एक जाति (स्पोशीज) मुख्य रूप से दूसरी जाति अथवा बाह्य प्रकृति से संघर्ष करती है तब तक वह सामान्यतया फिटर बन जाती है। जब जाति के अन्दर संघर्ष होता है तब ऐसा नहीं होता है। आकार में वृद्धि, हथियारों एवं मूल प्रवृत्ति में विकास, इस प्रकार की लड़ाइयों में लाभकारी होते हैं, सेकिन इनका अन्त सामान्यतया जाति का अन्य परिस्थितियों में कुम्मायोजन के रूप में होता है या इनका लोप हो जाता है। इसी प्रकार से अनेक आदिवासी लोगों ने जब अनेक पशुओं की पूर्णतः नष्ट कर दिया था तो उनको अकाल का सामना करना पड़ा था और उनको सभ्य संस्कृतियों के साथ रहने के लिए मजबूर होना पड़ा अथवा अलूटे खोहड़ जंगलों में जाना पड़ा। सामाजिक पारिस्थितिकी प्रतिस्पर्धात्मक सहयोग को समुदायों के मंगठन की विशेषता मानती है। इस विज्ञान को मान्यता है कि भोजन और रहने के स्थान के लिए प्रतिस्पर्धा अथवा संघर्ष होना व्यवस्था के कार्य से सम्बन्धित होता है। मुक्कजी लिखते हैं कि एक रेवड़, पशुओं का सुण्ड या मानव समूह एक दुश्मन को ढाराने या लड़ने में अधिक सफल होते हैं अपेक्षाकृत एक अकेले के। इसी सन्दर्भ में मुक्कजी की मान्यता है कि मानव समाज में

प्रतिष्यर्थीतमक महयोग महस्त्वपूर्ण प्रक्रिया है जिसका अध्ययन पर्यावरण अथवा परिस्थितिकी के सन्दर्भ में करना आवश्यक है।

(5) स्तरीकरण (Stratification)—मुख्यों के अनुसार प्रत्येक समुदाय में प्रतिष्यर्थी और सहजीवन के द्वारा एक या एक से अधिक प्रभुत्व जातियाँ बन जाती हैं। स्तरीकरण के द्वारा प्रत्यक्ष श्रेणी या वर्ग के जीवों या मानव समुदायों में प्रतिष्यर्थी नियन्त्रित की जाती है। मानव समाज के परिस्थितिकी प्रतिमानों में विभिन्न सामाजिक श्रेणियाँ, वर्ग, जातियाँ तथा व्यक्तियों में भिन्न भिन्न धरोंयों सम्बन्ध देख जा सकते हैं। सामाजिक श्रेणियों के विभागक धन और मत्ता है। लेकिन प्रत्येक व्यक्ति की सामाजिक वर्ग में स्थिति वो निरन्तर चुनौतियाँ गतिशीलता अथवा दूसरे के उत्प्रवासन से मिलती रहती है। परिस्थितिक गतिशीलता अथवा तेजी से एक दोष में अच्युताजिक खण्ड, श्रेणी या समूह का आक्रमण स्तरीकरण की प्रभावित करता है। इस प्रकार सामाजिक परिस्थितिकी में स्थान, व्यवसाय और समय के आधार पर व्यक्तिया एवं समूहों के पारस्परिक सम्बन्धों का विशेष महत्व है। उत्प्रवास, जनसंख्या नियन्त्रण, उत्पादन में विकास आदि महस्त्वपूर्ण परिस्थितिकीय कारक हैं जो सामाजिक स्तरीकरण का नियन्त्रण, सचालन एवं सञ्चुलन करते हैं।

(6) अनुक्रमण एवं आक्रमण (Succession and Invasion)—सामाजिक परिस्थितिकी में सामाजिक परिवर्तन और अनुक्रमण की व्याख्या और मापन किया जाता है। समय-समय पर नए महस्त्वपूर्ण केन्द्रों की संख्या और गुणवत्ता तथा सेवाओं के वितरण की प्रवृत्ति का अध्ययन किया जाता है। भवीत सामाजिक व्यवस्था के विकास और आक्रमण की गति को मापा जाता है जो सामाजिक परिवर्तन और अनुक्रमण को स्पष्ट करती है। मानव परिस्थितिकी में हम अनुक्रमण देख सकते हैं जो देश के स्थानीय केन्द्रों एवं शहरों में समन्वित रूप, सेवाओं और संस्थाओं के रूप में उभरते हैं। सामाजिक जगत में आर्थिक इतिहास अनुक्रमण के उदाहरण स्पष्ट करता है। यहाँ पर प्रवृत्ति विश्वासात्मक व्यवस्थान की ओर होती है। अनुक्रमण वानिकी से कृषि और अपरिष्कृत कृषि से गहन खेती, उद्योग, वाणिज्य, जन-संख्या के पुनःविनाश एवं सामाजिक सरचनाओं तथा संस्थाओं के पुनर्गठन के द्रव्य में होता है।

अनुक्रमण दोष, दोष का उप-विभाजन, ग्राम और नगर के आधार पर होता है। कस्बों एवं नगरों में जनसंख्या वृद्धि से गिरजाघर, मन्दिर, पाठशालाएँ, औद्योगिक धोजनालय एवं अन्य सेवाओं के संस्थानों की संख्या में वृद्धि होती चली जाती है। इसी प्रकार से आचारी के बढ़ने से कपड़ों की दुकानें, परचूनी एवं पसारों की दुकानें आदि के आकार और विक्री में वृद्धि होती है। जितनी अधिक गतिशीलता होती ही तेजी से सभी शेषों में अनुक्रमण होगा। नगर से अन्य ग्रामीण दोषों में वैनिक, वाणिज्य प्रतिष्ठान, दुकानें, सामृद्धिक संस्थाएँ, दैनिक समाचार पत्र, रेडियो आदि पहुँचते हैं जो ग्रामीण जीवन व्यवस्था को परिवर्तित करते हैं। इस प्रकार से सामाजिक परिस्थितिकी समाज से सम्बन्धित अनेक पक्षों में अनुक्रमण और आक्रमण की प्रक्रिया का अध्ययन एवं मूल्यांकन करती है।

(७) सामाजिक संतुलन (Social Equilibrium)—मुकर्जी ने सामाजिक पारिस्थितिको में सामाजिक सन्तुलन की प्रक्रिया पर अनेक प्रकार से प्रकाश डाला है। आपने सामाजिक सन्तुलन को एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया बताया है। समाजशास्त्र सामाजिक सन्तुलन को न केवल जैविक या आर्थिक सन्तुलन के रूप में देखता है बल्कि यह संस्थाओं की समरसता और मानव के विभिन्न आवेगों, रचनाओं, मूल्यों, सद्गुणों एवं व्यक्तित्व के प्रकारों के अनुसार देखता है। समाजशास्त्र सामाजिक सन्तुलन को सामाजिक समरसता और प्रस्थिति, सम्पत्ति, स्वतंत्रता एवं नियन्त्रण के वितरणों में न्याय के आधार पर व्यक्त करता है। यह भी समाजशास्त्र ममुदाय के अनुमार देखता है। सामाजिक सन्तुलन एक जैविकीय एवं अर्थशास्त्रीय वास्तविकता के रूप में निश्चित व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए वास्तव में लिए जाते हैं। पारिस्थितिक सन्तुलन को आर्थिक सन्तुलन के द्वारा प्राप्त किया जाता है और जब अधिकतम सामाजिक कल्याण एवं न्याय प्राप्त कर लिए जाते हैं तब आर्थिक सन्तुलन भी स्थापित हो जाता है। समाज में अचानक जनमंड्या में वृद्धि या कमी हो जाती है तब असन्तुलन आ जाता है। उत्पादन, धन, वस्तुओं, सेवाओं आदि में परिवर्तन पारिस्थितिक, आर्थिक एवं समाजशास्त्रीय कारणों से आते हैं जो व्यक्तिगत, सामुदायिक, सामाजिक आदि सन्तुलन को प्रभावित करते हैं। अनेक राजनीतिक कारक, जैसे—दीर्घ सरकारी अनिश्चितता, युद्ध, सम्पत्ति सम्बन्धी असुरक्षा, उच्च कर, कर्ज में वृद्धि, साहू पर देवाव, मुद्रा स्फीति, व्यापार में अनिश्चितता आदि असन्तुलन पैदा कर देते हैं। अन्य मनोवैज्ञानिक कारक, जैसे—कैशन, जीवन के तरीकों, दृष्टिकोण, श्रमिक एवं धन सम्बन्धी भारणाओं के कारण भी असन्तुलन पैदा होता है।

समाज ने सर्वदा मानव को जैविक इच्छाओं और पर्यावरण में सम्पत्ति, प्रस्थिति, स्वतंत्रता और नियन्त्रणों की संस्थाओं द्वारा सन्तुलन बनाया है। सामाजिक सहयोग, प्रस्थिति, सम्पत्ति और नियन्त्रण के द्वारा व्यक्ति की जन्मजात आवश्यकताओं और सीमित रापनों के मध्य सन्तुलन बनाए रखा है। इतना ही नहीं इसके द्वारा आर्थिक इच्छियों और समाज कल्याण तथा न्याय में भी सन्तुलन बनाए रखा है। संस्थाओं ने व्यक्ति और व्यक्ति के बीच, व्यक्ति और वस्तुओं के बीच या लोगों की पारस्परिक सेवाओं में भी सन्तुलन बनाया है।

मुकर्जी ने इस प्रकार से सामाजिक पारिस्थितिकी के गहत्वपूर्ण पक्षों पर समाज, आर्थिकी, पर्यावरण, व्यक्ति, जीव, पेड़-पौधों आदि के सन्दर्भ में प्रकृज्ञ डाला है।